राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] अष्टम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 18 वां दिवस [संख्या 19

1] [2

शुक्रवार,

दिनांक 26 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री हीरा लाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

सारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

सीकर जिले के ग्रामदानी गांव

557 **श्री फूल चन्द गुर्जर (नीम का थाना) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सीकर में कितने ग्राम ग्रामदानी में हैं ? कृपया पंचायत समिति वार गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त ग्रामों में से कौन कौन से गांवों ने ग्रामदानी से अलग करवा कर पंचायत राज में शामिल होने के प्रार्थना पत्र दिये हैं ?

(3) उक्त प्रार्थना पत्रों पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

मंत्री, पंचायत राज (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) जिला सीकर में 46 ग्राम ग्रामदानी में हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) 25 ग्रामों के व्यक्तियों ने जिलाधीश सीकर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) राजस्थान ग्रामदान अधिनियम 1971 की धारा 37 (क) की उप धारा 5 के तहत उप खण्ड अधिकारी नीम का थाना द्वारा जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री फूल चन्द गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुए, इसकी जांच की कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई और जांच की क्या प्रगती है ? एक दूसरा प्रश्न और पूछना चाहता हूं इसी के सम्बन्ध में कि ग्राम दान से पंचायत राज में शामिल होने पर कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें कितना समय लगता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तारीख 28.3 1985, 9.4.1985, 20.4.1985 और

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

17.6.1985 में उप खण्ड अधिकारी को जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और जो प्रक्रिया होती है नोटिस देने की, वह इन तारीखों में हुई है। एज पर रूल्स ये एक बार एन्क्वायरी कर लेते हैं। उसके बाद इस अधिनियम के तहत कलेक्टर को डिसिजन गवर्नमेंट को कनवे करना है। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होता है। इसमें थोड़ा समय लगता है।

श्री फूल चन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो भी गांव ग्रामदान में से जाना चाहते हैं उनमें 51 पर्सेन्ट यह लिख कर दे देते हैं कि हम नहीं रहना चाहते हैं। लोगों ने काफी समय से प्रार्थना पत्र दे रखे हैं जो तहसील में पड़े हुए हैं। जनता इतना दुखी है, ग्रामदानी में कोई काम नहीं हो रहा है। नीम के थाने में 46 गांव हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, यह सरकार कितना और समय लेगी, और इसकी कार्यवाही में क्या बाधा आ रही है ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया कार्यवाही चालू है।

श्री फूल चन्द गुर्जर : एक बात और जानना चाह रहा हूं, क्या राज्य सरकार ऐसे ग्रामदानी गांवों, जो पंचायत राज में सम्मिलित होना चाहते हैं, को शामिल करने की योजना रखती ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया, कार्यवाही चल रही है। माननीय सदस्य, प्रक्रिया है।

श्री फूल चन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कानून बना हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, विधान सभा के अन्तिम सत्र में जो संशोधन आया था उस संशोधन में और सातवीं विधानसभा में जो संशोधन आया था उसमें यह कहा गया था माननीय मंत्री महोदय द्वारा कि जो गांव इसमें शामिल होना चाहेंगे उन्हें कार्यवाही करके सम्मिलित कर लिया जायगा। अब क्या कारण है ? नीम के थाने के ये जो गांव हैं, न पंचायत राज में है और न नगरपालिका में इसलिय इनको एन. आर.ई.पी. वगैरह का कोई फायदा नहीं मिलता है। ग्रामदान में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है सारे के सारे गांव उपेक्षित हैं। इन लोगों को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन गांवों ने प्रार्थना पत्र दे दिये हैं, अधिकांश गांव शामिल होना चाहते हैं तो क्या तकाजा करके कार्यवाही करवायेंगे ताकि पंचायतों के चुनाव से पहले वह शामिल हो जायें ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या कानून में परिवर्तन किये बिना....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हो गया परिवर्तन।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : परिवर्तन हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या यह सही है कि इस उद्देश्य को फेल करने के लिये.... ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

विवाद का विषय न बनायें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये ग्रामदानी गांव कब बने ? और बनने के बाद जो एक्ट था उसमें कब-कब संशोधन हुए ? 25 प्रार्थना पत्र किस तारीख से किस अधिकारी के पास आये ? इनकी जांच जिलाधीश के मार्फत हो रही है या सीधा/उपखण्ड अधिकारी कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : बता दिया, उप-खण्ड अधिकारी जांच कर रहा है।

श्री हीरासिंह।

(व्यवधान)

मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। बैठें कृपया।

अजमेर तारागढ़ सड़क

558. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे —

(1) अजमेर से तारागढ़ तक सड़क बनाने का काम कब प्रारम्भ किया गया और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है, और कितना खर्च हुआ है ?

(2) नगर विकास न्यास अजमेर का इसमें कितना खर्चा हुआ और इस सड़क के लिये अध्यक्ष द्वारा जनता से कितना चन्दा इकट्ठा किया गया ?

(3) क्या चन्दा एकत्रित करने के लिये राज्य सरकार से कोई अनुमति प्राप्त की गई ? यदि हां, तो कृपया अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इस सड़क निर्माण में किस-किस विभाग का कितना-कितना खर्चा हुआ है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) सड़क बनाने का कार्य नवम्बर, 1983 में प्रारम्भ किया गया था। तारागढ़ तक पहुंचने के रास्ते की कुल लम्बाई 8.5 कि. मी. है। इस सम्पूर्ण दूरी पर कच्चा ट्रैक बनाया जाकर उसमें से 2 कि. मी. ट्रैक पर रोड़ी की सड़क बनाई जा चुकी है। 2 कि. मी. रोड़ी की सड़क में से 1.5 कि. मी. पर तारकोल भी बिछाया जा चुका है। इस ट्रैक की 2 कि. मी. लम्बाई में पक्की रिटेनिंग वाल व पुलिया का निर्माण भी कराया जा चुका है। इस समस्त कार्य पर अब तक 29.54 लाख रुपये खर्च हो चुका है।

(2) नगर विकास न्यास ने इस कार्य के खर्चे के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में अब तक कुल 28,50,000 रुपये भिजवाये हैं। इसके अलावा नगर विकास न्यास द्वारा स्वयं बिजली लगाने पर विविध खर्च हुआ है।

(3) तारागढ़ विकास मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 28-4-1984 में स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जन साधारण से सहयोग चाहा था और उसी के द्वारा चन्दा इकट्ठा किया गया था। जिसकी राजकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(4) सड़क निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को नगर विकास

(श्रीमती कमला)

न्यास, नगर परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कुल 33.00 लाख रुपये दिये गये। इसमें से 29.50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पहले तारागढ़ विकास मण्डल के अध्यक्ष माननीय शिवचरण जी माथुर थे? अब कौन हैं? क्या माथुर साहब उस मण्डल के अध्यक्ष थे? उस समय सेठ चम्पा लाल से 15 हजार रुपये एकत्रित किये गये थे उन पैसों के हिसाब का क्या हुआ?

यह जो तारागढ़ रोड का निर्माण हो रहा है इसके लिए ग्रामीण विकास अभिकरण से 33 लाख रुपये खर्च हुए हैं....

श्रीमती कमला : नहीं, तीनों से। तीनों संस्थाओं से पैसा लिया गया है।

श्री हीरासिंह चौहान : ग्रामीण विकास अभिकरण का पैसा इस रोड पर या इस विकास मण्डल पर क्यों खर्च हो रहा है जब कि यह विशेष रूप से ग्रामीण विकास अभिकरण के गांवों के विकास के लिए है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विकास मण्डल ने पदेन मुख्य मंत्री को अपना अध्यक्ष बनाने का पेटर्न बनाया हुआ है। पहले जो मुख्य मंत्री थे वह इसके अध्यक्ष थे, और अब जो मुख्य मंत्री हैं यदि वह स्वीकृति देंगे तो वह उसमें अध्यक्ष रहेंगे। इन्होने जो चन्दा इकट्ठा किया है उसके 1,55,500 रुपये का विवरण इस प्रकार से है–स्माल सेविंग्स ऑफिस से इन्होंने 20 हजार रुपये लिये, चम्पा लाल जैन से 11,000 रुपए, यू.आई.टी. अजमेर से 20,000 रुपए, आनन्द सिनेमा, जोधपुर से एक लाख रुपए, कल्पना थियेटर से एक हजार रुपए श्री सीमेन्ट ब्यावर से 2000, अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से 500 इस तरह यह सारा मिलकर के 155500 इन्होंने लिया है जो सेविंग बैंक के अन्दर जमा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : इन्होंने पूछा था कि ग्रामीण विकास अभिकरण से जो पैसा लिया क्या तारागढ़ के लिए वह पैसा खर्च करना उपयुक्त था।

श्रीमती कमला : वैसे आम तौर से डी. आर. डी. ए. का जो पैसा है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है। इस मुद्दे में विशेष तौर से कोई टूरिस्ट प्लेस कायम करने या उसके विकास के लिए किसी प्रकार से पैसा दिया गया। इसकी स्वीकृति या इसके लिए प्रावधान या इसके लिए विशेष अनुमति लेने की मेरे को अभी जानकारी नहीं है। मैं मालूम करके बता सकती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन बहुत महत्वपूर्ण है मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदया परसों तक जानकारी करके इसका जवाब दे देंगी। डी. आर. डी. ए. का पैसा शहरों के ऊपर खर्च कर दिया गया है, यही शिकायत है। गांवों का विकास नहीं हो रहा। तारागढ़ में यह पैसा जहां आप लगा रहे हैं, टूरिस्ट कार्पोरेशन लिखता है कि इससे कोई टूरिज्म के कारण से कोई लाभ होगा या ज्यादा यात्री वहां पहुंचेंगे, इस प्रकार की भी स्थिति नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में कहीं पर भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि डी. आर. डी. ए. का पैसा आम तौर पर म्यूनिसिपल लिमिट्स में लगाया जाता है। इसलिए इस एक आइटम से सारा विकास ही रूक जाय ऐसी स्थिति तो नहीं है। विकास के हिसाब से नहीं लेकिन सिद्धान्तत इसको किया जाना चाहिए था या नहीं, यह बात जरूर विचारणीय है। बाकी इसके दो लाख रुपये इधर डाइवर्ट होना, डी. आर. डी. ए. से दो लाख पांच हजार रुपया दिया गया, उसका दिया जाना वांछित था या नहीं था यह मैंने पूछताछ की है। उसकी सूचना मुझे नहीं मिली कि किस विशेष अनुमति के तहत यह दिया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, विशेष अनुमति ली गयी है क्या ? तहत ही दिया गया होगा यदि विशेष अनुमति ली गयी होगी।

श्रीमती कमला : वही मैं कह रही हूं, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दिया गया तथ्य तो स्वीकार कर लिया माननीय मंत्री महोदय ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसकी विशेष अनुमति है या नहीं, यह जांच का विषय हो गया है। अगर नहीं होगी.......

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर विशेष अनुमति नहीं हैं तो क्या कलैक्टर इस बात के लिए अधिकृत है कि डी. आर. डी ए. का पैसा इस रोड के ऊपर खर्च कर दे ?

श्रीमती कमला : ध्यान तो नहीं है लेकिन यह किस प्रकार किया गया, क्या गवर्नमैन्ट ने कोई स्पेशल सेंक्शन इ के लिए दी है, यह जानकारी का विषय है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह चन्दा इकट्ठा करने से पहले सरकार से कलैक्टर ने अनुमति ली थी ?

श्रीमती कमला : कलैक्टर ने कोई चन्दा इकट्ठा नहीं किया। जो तारागढ़ विकास मण्डल है एक स्वयंसेवी संस्था है। उसने चन्दा इकट्ठा किया है और स्वयंसेवी संस्था को सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती चन्दा लेने के लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि इस स्वयंसेवी संस्था के अन्दर दो को छोड़कर बाकी सब सरकारी अधिकारी और मंत्री हैं ?

श्री अध्यक्ष : सवाल का जवाब आने दो न आप।

श्रीमती कमला : संस्था जब अपना गठन करती है तो वह सिटीजन के नाते सरकारी अधिकारियों को भी उसमें रख सकती है, और नागरिकों को भी रख सकती है। इसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि यह सूची मेरे पास है 14 सदस्यों की। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन राज्य मंत्री हैं, वन राज्य मंत्री हैं, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री हैं, जिला प्रमुख अजमेर हैं, वित्त सचिव हैं, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग हैं, सचिव, पर्यटन विभाग हैं मुख्य अभियन्ता है, मुख्य वन संरक्षक हैं, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग है, अध्यक्ष, नगर

6

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सुधार न्यास हैं, संसद सदस्य अजमेर क्षेत्र के हैं, कलैक्टर, अजमेर हैं। मैं आपकी मार्फत यही माननीय मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं जिस प्रकार का यह विकास मण्डल बना हुआ है इसमें सारे सदस्य वह हैं जो अधिकारी हैं या राज्य सरकार के मन्त्री। तो चन्दे के लिए किसी से भी कहेंगे आप उसे चन्दा देना पड़ेगा। नगरपालिका से कहेंगे उसे भी देना पड़ेगा, और उन्होंने दिया है। इसमें चन्दा एकत्रित करने के लिए जिसको भी कहा जायेगा उसकी हिम्मत नहीं कि वह मना कर दे। उसके पश्चात् यह जो ग्रामीण विकास अभिकरण की चर्चा हो गयी मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदया ने तो बताया नहीं कि क्या कारण था उसको देने का, शायद कल-परसों बता दें, वह बात ठीक है ... ...

श्री अध्यक्ष : मुख्य बात तो ग्रामीण विकास की है कि ग्रामीण विकास अभिकरण से पैसा दिया गया। इस बात का झगड़ा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, चन्दा और विकास अभिकरण से पैसा लेना, दोनों बातें हैं। सब अधिकारी अगर उनमें रहेंगे तो कहां बंदिश आयेगी! कहीं फार्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 28 लाख रुपये तो लग गये, सड़क के निर्माण पर अभी तो यह स्थिति बनने वाली है कि 50 लाख रुपये और लाओ तो सड़क बनेगी। आगे पैसा कोई देना नहीं चाहता, जबर्दस्ती करेंगे तो बात अलग है। वरना न पर्यटन का कोई फायदा होगा और सारे सरकारी धन का अपव्यय हो जायेगा, यह निवेदन करना है मुझे।

श्री हीरा सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर के भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश मेघवाल जी ने इसके संबन्ध में ज्ञापन दिया था कि यह योजना खर्चीली है किसी प्रकार से व्यवहारिक नहीं है और शेखचिल्ली की योजना है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। उस ज्ञापन के बाद मे भी इसमें जिला अभिकरण से धन खर्च किया जा रहा है। यह क्यों किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस सिनेमा मालिक ने एक लाख रुपये दिये?

श्रीमती कमला : मैंने पढ़ा है न नाम?

श्री हीरा सिंह चौहान : वह सुनने में नहीं आया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति के लिख देने से तो कोई योजना शेख चिल्ली की होती नहीं। सडक बना रहे हैं, तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है इसलिए यह कतई तौर पर शेखचिल्ली की योजना नहीं है। यह लिखने वाले के सोचने का ही आधार है बाकी ....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज नहीं मानेंगे तो आप भी मान लेंगी कि शेखचिल्ली की स्कीम है।

श्रीमती कमला : नहीं, शेखचिल्ली वाली नहीं है। सभी "इम्पोर्टेण्ट प्लेस"

एक माननीय सदस्य : वह भी तो व्यक्ति ही है।

श्री अध्यक्ष : व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति की क्या बात है।

श्रीमती कमला : व्यक्ति कैसा भी होगा लेकिन जो बात लिखी है वह कोई तथ्यपूर्ण है क्या कि शेखचिल्ली की योजना है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह बता दें कि विकास स्तर की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें इस सड़क पर कितना व्यय होना और कब तक पूरी होना बताया गया है। यह निवेदन करना है यह सवाल है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने यह पूछा कि एक लाख रुपये कौन से सिनेमा वाले ने दिये.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : अपने बिल से दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुछ दिनों के बाद शेखचिल्ली की जगह शिवचरण जी माथुर का नाम आने लगेगा।

श्रीमती कमला : नहीं नहीं, वह सिनेमा का नहीं है। I am sorry. I am very sorry. बीच में उसका हैडिंग दूसरा लगा हुआ था। यह है डिस्ट्रिक्ट डवलपमैन्ट आफिसर्स स्माल सेविंग्स, अजमेर का। आनन्द सिनेमा का एक हजार, है, कल्पना थियेटर का एक हजार है और श्री सीमेण्ट का दो हजार है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खां। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कितना पूरा पैसा लगेगा, कब तक पूरी हो जायेगी, यह बता दें कृपया।

श्री अध्यक्ष : है नहीं। आपने कह दिया सब कुछ। आपने कह दिया उनके मुंह से ही कहलाना चाहते हैं।

श्री रमजान खां (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अकाल राहत का पैसा भी इस तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर खर्च कर दिया गया। एक सवाल तो मेरा यह है। दूसरा, क्या यह सही कि जब इसकी प्रथम बार तकनीकी स्वीकृति हुई थी तब पी. डब्ल्यू. डी. के सचिव ने इन्कार कर दिया था, नोट लगा दिया गया था कि इतने रुपये में यह सड़क पूरी नहीं होगी। और तीसरा, मेरा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय महोदय, कि क्या यह सही है कि यहां पर टेलीविजन, हाई पावर का टेलीवीजन रिले सेन्टर लगाना प्रस्तावित था ? उस टेलीविजन रिले सेन्टर का क्या हुआ ? इस सड़क का पहले तो कितना एस्टिमेट बना और अब इसका दोबारा एस्टिमेट जो यहां पर आ चुका है, कितनी राशी का एस्टिमेट है, कृपया यह बताया जाय चार सवाल।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाग एक में जो विवरण दिया है उसमें यह लिखा है, अब तक इसकी जो कार्यवाही पूरी हुई है उसमें दो किलोमीटर रोड़ी की सड़क, दो किलोमीटर कच्ची सड़क और 1.5 किलोमीटर तारकोल की सड़क बनी है। इसमें खर्चा हुआ है 29.54 प्रति किलोमीटर के हिसाब से। इस हिसाब से 8.5 किलोमीटर के आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आयेगा। उन्होंने कितना अंदाज लगाया, उसका मेरे पास अभी कोई लेखा-जोखा नहीं है।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री महोदया से पूछा था कि क्या अकाल राहत का पैसा भी इसमें लगा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जिस मण्डल के चैयरमैन हों, उसकी योजना के बारे में माननीय मंत्री महोदया को पता नहीं है कि कितना एस्टिमेट है, कितना काम हो गया है और आगे कितना खर्चा होगा ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य महोदय से पूछना चाहती हूं कि अगर ऐसा ऐतिहासिक स्थान जहां पर पृथ्वीराज चौहान रहे और जो टूरिस्ट महत्व का, ऐतिहासिक महत्व का स्थान है पर पब्लिक और सरकार मिल कर काम कर रही हैं तो उसमें एतराज की क्या बात हो सकती है !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर अकाल राहत का लाखों रुपया खर्च हुआ है, एन. आर ई पी. का दस लाख रुपया लग चुका है ....

श्रीमती कमला : एन. आर. ई. पी. का लगा है तो इसमें एतराज़ की क्या बात है ! लोगों को रोजगार मिला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें, कृपया आप बैठें। आर्डर प्लीज।

559.

फलासिया क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र

559. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने आंगनबाडी केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? प्रत्येक केन्द्र पर लाभान्वितों की संख्या कितनी स्वीकृत है ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) आंगनबाडी केन्द्रों की देखरेख के लिए कितने सुपरवाइजरों के पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के अनुसार सभी सुपरवाइजर कार्यरत हैं अथवा नहीं ? नहीं, तो क्यों ? इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(3) एक आंगनवाडी केन्द्र कितनी आबादी पर खोला जाता है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) फलासिया बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 125 आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 120 आंगनबाडी केन्द्र चल रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र पर लाभान्वितों की स्वीकृत संख्या 100 है।

(2) केन्द्र की देखरेख के लिए महिला सुपरवाइजरों के 7 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 2 कार्यरत हैं शेष के लिये शीघ्र भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

(3) एक आंगनबाडी केन्द्र शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 1000 की आबादी तथा आदिवासी क्षेत्र में 700 की आबादी पर खोला जाता है।

श्री कुबेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब सुपरवाइजरों के पद खाली हैं तो उनकी अनुपस्थिति में आंगनबाडी का क्या पूरा उपयोग हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपरवाइजरों की कमी से आंगनबाडी के अन्दर जो सुविधायें दी जाती हैं, खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती है क्योंकि वहां पर आंगनबाडी वर्कर काम कर रही है।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन आंगबाडियों को खोलने से कितने लोगों को लाभ मिला अब तक ? एक आंगनवाडी खोलने से कितने लोगों को लाभ मिला, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो बता दिया है मंत्री महोदय ने श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सुपरवाइजर नहीं होने से व्यवस्था सही चलती है

श्री छोगाराम बकोलिया : कुल लाभान्वितों के बारे में जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है तो 8600 बालकों को और दुग्ध पिलाती माताओं को लाभान्वित किया गया है। रिक्त पदों के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है; पदों को भरने की कार्यवाही हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरराम।

श्री भंवरराम (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाल विकास परियोजना और पोषाहार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं क्या उनके भौतिक सत्यापन की व्यवस्था कर रखी है ? राज्य सरकार की जो मौजूदा व्यवस्था है क्या उससे यही व्यवस्था कायम करायेंगे ? इस व्यवस्था से धन का दुरुपयोग होता है, फर्जी आंकड़े पेश किए जाते हैं, वह सही नहीं होते इसके भौतिक सत्यापन की अन्य कोई व्यवस्था की जावे। जन प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान रखे जाने की क्या कोई सम्भावना है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि फलासिया की जो ज्याग्राफिकल कण्डीशन है उसमें दो सी. डी. पी. ओ. 120 केन्द्रों को किस तरह से सुपरवाइज करते हैं ? क्योंकि सुपरवाइजरों के सुपरविजन और फिजिकल वैरिफिकेशन करना होता है और इंटीरियर में जाने की व्यवस्था नहीं है। तो उनके सी. डी. पी. ओज के सुपरविजन की क्या व्यवस्था कर रखी है, यह जवाब दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सी. डी. पी. ओज. पोस्टेड हैं वह सुपरविजन का कार्य करते हैं, और वे इंटीरियर में भी जाते हैं। और जो पद रिक्त हैं उनके भरने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं कम्युनिकेशन का माध्यम पूछ रहा हूं।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी. डी. पी. ओज के पास जीप रहती है और उस जीप के माध्यम से वह हर एक सेंटर पर जाकर पूरा पूरा इंस्पेक्शन करते रहते हैं। पीरियोडिकली उनकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अनुसार आगे की सारी कार्यवाही की जाती है।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो बाल विकास परियोजना चलाते हैं और उनके केन्द्र खोलते हैं उनके प्रस्ताव कब तक मांगे जाते है ? और जो केन्द्र हैं इन केन्द्रों के विस्तार का क्या प्रोसीजर है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी, 560।

ग्राम शिवबाड़ी में कान्ता खतूरिया कालोनी के भूखण्डों का आवंटन

560. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा बजट सत्र 1982 के तारांकित प्रश्न दिनांक 18–3–1982 के उत्तर में पंचायत राज मंत्री ने जिलाधीश, बीकानेर को बीकानेर शहर के मास्टर प्लान के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम शिवबाड़ी में 'कान्ता खतूरिया कालोनी' के अनियमित रूप से आवंटित भूखण्डों को अपने स्तर पर मैरिट के आधार पर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पचायत के नियमानुसार निरस्त करने हेतु 24–4–1980 को विभागीय पत्र लिखा जाना बताया था ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1982 के वर्षाकालीन सत्र के तारांकित प्रश्न में पंचायत राज मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि जिलाधीश, बीकानेर को निर्देश दे दिये गये हैं कि एक माह में भू-खण्ड निरस्त कर दिये जावें ?

(3) उक्त दोनों सत्रों के प्रश्नों के उत्तर में उक्त कालोनी के भू-खण्ड बिक्री के करीब 30 लाख वर्गगज जमीन के घोटाले को मानने के बावजूद अभी तक जिलाधीश द्वारा इन्हें निरस्त करने मे विलम्ब करने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर उक्त भू-खण्डों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

मंत्री पंचायती राज (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी हां। न्यायालय जिलाधीश बीकानेर में दो निगरानियां 310 विक्रय किये गये भू-खण्डों को निरस्त करने हेतु पेश की गई थीं जिन्हें जिलाधीश ने खारिज कर दी। उक्त भू-खण्डों के अतिरिक्त पट्टों के क्रेताओं के पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण पटटों के निरस्त किये जाने की कार्यवाही अब तक नहीं हो सकी है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 19-53 की धारा 27–ए एवं राजस्थान पंचा-

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

यत सामान्य नियम, 1961 के नियम 272 के अनुसार मामले में न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुनवाई का अवसर देकर ही भू-खण्ड खारिज करने का प्रावधान है। भू-खण्ड क्रेताओं के पूर्ण विवरण उपलब्ध न होने के कारण पट्टों के निरस्त किये जाने की कार्यवाही में विलम्ब हुआ है।

(4) कलैक्टर द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 27–क के अन्तर्गत पारित आदेशों में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं यह विधिक परीक्षण का विषय है, क्योंकि कलैक्टर द्वारा धारा 27–क के अन्तर्गत राज्य सरकार की ही शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख का विषय है कि एक तरफ राज्य सरकार संसाधनों के लिए रोती है। 30 वर्ग मीटर भूमि, जो बीकानेर के मास्टर प्लान में आई हुई है और जिसकी छः करोड़ रुपये कीमत है, के बारे में मैं सन् 80 से निरन्तर प्रश्न पूछ रहा हूं इस सदन में। हालांकि आपने प्रश्न के भाग (2) में उत्तर दिया है कि जी नहीं इस विधान सभा में तत्कालीन पंचायत राज मंत्री ने यहां हाऊस में आश्वासन दिया था कि एक माह के अन्दर इन प्लाटों का निपटारा करने और निरस्त करने का जिलाधीश को निर्देश दे दिया गया है इसके उपरान्त भी आज आप किस तरह से घुमा-फिरा कर इस मामले को दबाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने भाग (1) में जो उत्तर दिया है कि दो निगरानियां 310 विक्रय किये गये भू-खण्डों के बारे में पेश की गई थीं तो ये निगरानियां किन-किन व्यक्तियों की थीं ?

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि क्या आपने 18-3-1982 के उत्तर में बीकानेर शहर के मास्टर प्लान के क्षेत्र में पड़ने वाले कान्ता खतूरिया कालोनी के अनियमित रूप से आवंटित भू-खण्डों को अपने स्तर पर मैरिट के आधार पर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत के नियमानुसार निरस्त करने हेतु 24-4-1980 को विभागीय पत्र लिखा जाना बताया था ? अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह उत्तर दे रही है जबकि यह मामला सन् 1976 से चल रहा है और जिसके बारे में विकास विभाग ने जिलाधीश को लिख दिया था। राज्य सरकार की ओर से पंचायत और विकास विभाग ने अनुमति दे दी और राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था। यह छः करोड़ की 30 लाख वर्ग मीटर भूमि कान्ता खतूरिया कालोनी, जिसके बारे में हर एक जानते हैं, इसके लिए अगर मंत्री महोदय इस तरह का उत्तर दें तो यह बड़े दुःख का विषय है। इस मामले में (6) करोड़ रुपये की जमीन फंसी है इसको सिर्फ धाराओं के उलझन में फंसाते हैं तो बड़े दुख का विषय है। मैं चाहूंगा, इसके लिये स्पष्ट बतायें की दो निगरानी कराने वाले व्यक्ति कौन थे ? और किन आधारों पर जिलाधीश ने इसको निरस्त किया ? मैंने पूछा था कि आपका जो विभागीय पत्र लिखा गया 24.4.1980 को उसके बाद क्या कार्यवाही हुई और उस की क्या रिपोर्ट आई।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का आरोप है दूसरे नम्बर के उत्तर पर, चूंकि आपने प्रश्न पूछा था मैंने दो तीन बार विभाग से इसकी जांच करवायी थी कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया या नहीं। उन्होंने ना कहा है। अगर आप सही निकलते हैं तो उनके खिलाफ मैं एक्शन ले लूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : तारिख कुछ चेन्ज हो सकती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने उनसे पूछा है अगर इसमें कोई होगा तो मैं उनके खिलाफ एक्शन ले लूंगा, यह तो मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैं भी मानता हूं, आपने चर्चा का फरमाया वह ज्यादा चर्चित इसलिए हैं कि आपके खिलाफ उन्होंने दो बार चुनाव लड़ा है।

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : दो बार इनके खिलाफ लड़ीं और दोनों बार हारीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह पहले वहां से लड कर जीती भी हैं आपके खिलाफ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : और मैंने भी उनको हराया है।

श्री अध्यक्ष : बराबर हो गये चलिये। आर्डर प्लीज। बराबर हो गये आप। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैटर सीरियस है, मैं मानता हूं। विभाग ने बार-बार जिलाधीश महोदय, बीकानेर को कहा भी है। 1983 में कहा, 4.7.1985 को भी कहा है कि भाई, इस सिलसिले को जल्दी निपटाइये। इसमें, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी दिक्कत यह है कि जितने अलॉटीज हैं उनको नोटिस देना पड़ता है। कुछ नोटिस देने के बावजूद वहां पर हाजिर नहीं हुए। उसके कारण से खास कर यह डिले हुई है। मैं आपको विश्वास दिलता हूं कि आज की तारिख में एक बार और कलेक्टर को कहूंगा कि इसको एक डेढ़ महीने में निपटाने की कोशिश करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है। जैसा उसके अन्दर इन्होंने बताया कि जो क्रेता थे उनका अता-पता नहीं हैं। यही तो हमारा भी आरोप था कि बेनामी हैं जिनका कोई अता-पता नहीं है। फिर राज्य सरकार को क्या दिक्कत है उनको निरस्त करने में और कब्जा लेने में ?

श्री अध्यक्ष : कोशिश पूरी कर लेनी चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराणा : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी जानकारी में है कि इसी मामले में विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग द्वारा जांच राज्य सरकार करवा चुकी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह तो मैंने कह दिया।

श्री मानिक चन्द सुराणा : उस जांच में जब यह सारा घोटाला पाया गया उसके बाद राज्य सरकार ने यह मामला जिलाधीश को राज्य सरकार की निहित शक्तियों में स्थानान्तरित करके दिया है। कलेक्टर एक बेचारा छोटा अधिकारी है। वह वहां की जिला प्रमुख हैं, और वह वहाँ का सचिव, जिला परिषद् है। इस परिस्थिति को देखते हुए उस फाइल को वापस राज्य सरकार को

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

ट्रांसफर करके राज्य सरकार के स्तर पर इसकी कार्यवाही करना, मैं कहना चाहूंगा, उचित है : इसलिये क्या आप ऐसा करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देवीसिंह जी समझ गये। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व सूचना में ..

(व्यवधान)

मैं अर्ज कर रहा हूं। पूर्व सूचना में मैंने यह कहा है, विशिष्ट शासन सचिव से जांच हुई है। जांच होने के बाद सरकार ने 1980 में जिलाधीश को अण्डर डेलिगेटेड पावर कहा है कि इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिये। जिलाधीश ने हमारे से कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाही, वह उन्होंने 24.4.1980 को चिठ्ठी के तहत हमसे पूछा। नियम 272 के तहत कार्यवाही के बारे में कार्य शुरू हो गया। अब 4.7.1985 को एक बार बहुत ही स्ट्रांगली मानिक चन्दजी साहब, हमने जिलाधीश को कहा है। चूंकि मामला बहुत ही उलझ गया है और डिले हो रहा है इसलिये अगर बेनामी हो, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, हो सकता है कोई बेनामी ट्रांसफर हुए हों, तो कलेक्टर के लेवल पर ही इसकी जांच होकर के एक्शन तो डेलिगेटेड पावर के तहत कलेक्टर ही लेगा।

श्री मानिक चन्द सुराणा : वह ले ले लेकिन इस बात की व्यवस्था आपको करनी है। आप तो स्वयं जानते हैं. कोई लोग वहां पर नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मौके पर लाखों गज जमीन आज भी खाली पड़ी है। हम यह कह रहे हैं, राज्य सरकार उस कब्जा ले ले, या यू. आई. टी. उसका कब्जा ले ले, उसको बेचे और धन, साधन इकट्ठा करके वहां के डवलपमेंट में लगाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो वहां नहीं है उसके लिये, बड़ा सिम्पल है, यह नोटिस जारी कर सकते हैं दैनिक अखबार में कि यदि किसी का प्लाट है तो फलां तारिख को सुनवाई होगी वह भी आ जाय। इसकी यह सारी प्रक्रिया बहुत सरल है। आपने जो स्ट्रांगली चिट्ठी भेजी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिलाधीश को यह कहें कि इस सारी प्रक्रिया को एक महीने के भीतर....

श्री अध्यक्ष : यह तो कह दिया ना, डेढ़ महिना। आपने एक महीना कहा इन्होंने डेढ़ महिना उनको कहा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों लोगों ने मकान बना लिये ....

श्री मानिक चन्द सुराणा : 6 करोड़ की जमीन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, छोटा प्रश्न नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बड़ी चिन्ता रहती है एक हजार करोड़ के लिये, उनको कोई सैंकड़ों करोड़ के सुझाव आ चुके हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिये माननीय पंचायत राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिर्फ इसलिये कि वह वहां की जिला प्रमुख हैं और कांग्रेस में हैं, मैं चाहूंगा कि आप कानून की प्रक्रिया को उसका जो कानूनी रूप है वह लेने देंगे और उसको राजनैतिक संरक्षण जो कुछ बड़े मंत्रियों का पीछे से रहा है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, यह आश्वासन भी मैं आपसे लूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : इस बारे में मैं बता दूं आपको, यह ए. सी. डी. की रिपोर्ट है 1978 की। इसके अन्दर लिखा है कि श्रीमती कान्ता खथूरिया और उनके सहयोगियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की औपचारिक जांच-पड़ताल से प्रकट होता है कि आरोपों में पर्याप्त सार है। इसमें कहा गया है कि भूतपूर्व और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी पर्याप्त प्रभाव कांता खथुरिया प्रयोग करती हैं। यह ए. सी. डी. की रिपोर्ट है जिसकी यह जांच हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा इसके लिये आप तुरन्त कार्यवाही कीजिये। 6 करोड़ रुपये की जमीन है उसमें लगातार लोग कब्जा किये जा रहे हैं। सन 1980 में से यह प्रश्न उठाये जा रहा हूं। लोग कब्जा किये जा रहे हैं। आखिर ये कैसे उनको बेदखल कर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब तो बहुत कम समय दिया गया है डेढ़ महीने का।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व में एक महीने का समय था। तत्कालीन पंचायत राज्य मन्त्री शीशराम ओला ने....

(व्यवधान)

श्री मानिक चंद सुराणा : मैं, माननीय मन्त्री जी, यह कहना चाहूंगा डेढ़ महीने की अवधि में आप इसको करायें। यदि आप इसको नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से यह 6 करोड़ की जमीन पर नाजायज कब्जे हो जायेंगे, यू. आई. टी. को एक पैसा नहीं मिलेगा। सूरसागर में जो 50 लाख रुपये लगने हैं पर्यावरण सुधार में वह लग नहीं पायेंगे। इसलिए आप इसमें निश्चित रूप से त्वरित गति से कार्यवाही करने का आश्वासन दें।

श्री देवी सिंह भाटी ' अध्यक्ष महोदय, इसे आप गम्भीर मानते हैं या नहीं ? 20 लाख वर्ग गज....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कह दी यह बात। आप दोहरा रहे हैं उसको। समय ले रहे हैं।

श्री मानिक चंद सुराणा : ऐसे मामले अन्य शहरों में कम होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आपने प्रश्न उठा दिया ;

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, हम कितनी बार उठायेंगे। सन् 1968 से यह सवाल उठा रहे है। इस विधान सभा में 1972 में यह उठा, 1977 में उठा, उठता ही जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय। आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

एक माननीय सदस्य : काफी फर्क पड़ जायेगा, इससे टैक्स कम हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें कृपया। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब शहरों में कांता खथूरिया नहीं है। यह कह रहे है कि बीकानेर के अलावा कोई मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सब शहरों में कांता खथूरिया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कितने आदमियों के नाम से कालोनी हैं। कोई फोटो लगवाले लेकिन कालोनी कैसे बना लेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय इस मामले में ज्यादा गम्भीरता से विचार नहीं होगा तो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपको कैसे एकदम जोश आ गया। जवाब आ रहा है, आप बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय सदस्य संसदीय भाषा से अलग जा रहे हैं, आप उन्हें कहिये कि इस तरह से कोट नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज कृपया बैठे। मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती हमीदा बेगम : इस बात को कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आप बैठें, आर्डर प्लीज।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आक्षेप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। आप बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य, आप इकट्ठा बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। मैंने कुछ सुना नहीं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

आर्डर। बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, जीवित व्यक्तियों के नाम से नगरों और कालोनियों के नाम रखे जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठें। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसको ठीक समझते हैं क्या ? आप व्यवस्था दे दें, आप ठीक समझते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह इस सदन का काम नहीं है। कृपया बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाम लेकर कोई बात कही है। आप कार्यवाही से उस कोट को निकलवाने की की बात कहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें आप।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य ने मेरा नाम कोट करवाया है। इसको आप सदन की कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप सदन की सदस्या हैं, आप इस सदन की सदस्या हैं, कभी कभी आपका नाम, लिया जा सकता है। बैठें, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(16)

श्रीमती हमीदा बेगम : गलत रेफ्रेंस दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठें कृपया। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें समझाइये कि इनका नाम लेना असंसदीय नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही अर्ज कर दिया विलम्ब तो हुआ है मैं देखूंगा कि आगे इसमें देरी न हो लेकिन उलझा हुआ मामला है। कानून के हिसाब से कार्यवाही हो, इसको मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

रेफरल हास्पिटल, ऋषभदेव में एक्स-रे मशीन का उपयोग

561. **श्री दयाराम परमार** : (खेरवाड़ा) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रेफरल हास्पिटल, ऋषभदेव में एक्स-रे मशीन है ? यदि हां, तो कब से आई हुई है और उसका उपयोग किन कारणों से नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त हास्पिटल के प्रभारी डाक्टर द्वारा अपनी व्यक्तिगत एक्स-रे मशीन का उपयोग करने के कारण सरकारी मशीन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त हास्पिटल की बंद एक्स-रे मशीन को चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री छोगाराम बाकोलिया) (1) जी हां, यह मशीन 27-3-1981 को आई थी। एक्स-रे टेक्निशियन के अभाव में 11-1-1983 से उपयोग में नहीं लाई जा रही है।

(2) जी हां, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है।

(3) जी हां, शीघ्र चालू करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन सप्लीमेंटरी प्रश्न हैं। एक तो 1981 से एक्स-रे मशीन आने के बाद टेक्निशियन के अभाव के लिए सरकार से कितनी बार पत्र-व्यवहार किया ? दूसरा, क्या नियमों में ऐसा कहीं प्रावधान है कि एक हास्पिटल परिसर में डाक्टर अपना धन्धा लगाकर अपना बिजनेस कर सकता है ? और तीसरा, क्या सिरदर्द और बुखार की बीमारी के लिए भी एक्स-रे करवाना आवश्यक होता है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, उनका पहला प्रश्न तो मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूं।

श्री दयाराम परमार : मैं रिपीट कर देता हूं। एक्स-रे मशीन जब से वहां पहुंची है तब से लेकर आज तक कितनी बार प्रभारी डाक्टर ने गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार किया कि टेक्निशियन के अभाव में मशीन बन्द पड़ी है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : इस एक्स-रे मशीन को 13-7-1982 से 11-1-198

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

तक काम में लिया गया है और 67 एक्स-रे फिल्में ली गई हैं उसके बाद एक्स-रे पर रेडियोग्राफर की पोस्टिंग नहीं होने के कारण से यह काम में नही ली जा रही।

एक माननीय सदस्य : रेडियोलोजिस्ट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य,

श्री छोगाराम बकोलिया : इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है उस सम्बध में निवेदन है कि सी. एम. एच. ओ. द्वारा इसके ठीक होने के लिए कोई कार्यवाही और पत्र व्यवहार निदेशालय को नहीं पहुंचा है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है कि परिसर में डाक्टर द्वारा क्लिनिक चला कर एक्स-रे मशीन को यूज में लेकर काम करने का प्रावधान है या नहीं हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि इस प्रकार कहीं पर भी कोई भी डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस केवल ड्यूटी अवर्स के बाद में कर सकता है लेकिन उसके मायने यह नहीं हैं कि वह प्राइवेट क्लिनिक खोल कर परिसर के अंदर आफिस आवर्स के अंदर किसी पेशेंट को देखने की कार्यवाही करता हो। इस आदेश को पूर्णतया अमल में लाने के लिये स्पष्ट निर्देश सी. एम. एच. ओ. को दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद कहीं अगर एसी कोई कार्यवाही होगी तो उस पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

श्री दयाराम परमार : तीसरा प्रश्न और रह गया है, दस्त और बुखार के लिए भी एक्स-रे करवाना आवश्यक होता है क्या? सिर दर्द हो या पेट में दर्द हो जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डाक्टर थोड़े ही हैं मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : रेडियो टेक्निशियन, रेडियोलोजिस्ट और रेडियोग्राफर यह तीन बातें कही हैं, आप इन तीनों में अंतर समझा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप रेडियोलोजिस्ट को कब तक लगा देंगे?

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि प्राइवेट क्लिनिक डाक्टर नहीं चलाए, यह आदेश, सरकार ने कब जारी किए?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो रेडियोग्राफर की कमी है....

(व्यवधान)

श्री हरि कुमार औदित्य (रामगंज मण्डी) : रेडियोग्राफर की जगह फोटोग्राफर लगा दें।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बोल रहे हैं। आपको जवाब दे रहे हैं। Do'nt Confuse please.

श्री छोगाराम बकोलिया : रेडियोग्राफर ठीक है। I am very much correct जो रेडियोग्राफर की कमी है वह शीघ्र पूरी कर दी जायेगी। तीन महीने के अंदर-अंदर उसकी पोस्टिंग करेंगे।

(व्यवधान)

(18)

श्री महेन्द्र शास्त्री : यह कब लगा देंगे, मंत्री महोदय तारीख बतावें।

श्री अध्यक्ष : तारीख अभी नहीं है मंत्री महोदय के पास। आर्डर, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

जयपुर नगर के उत्तरी पूर्वी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप फल सब्जी मण्डी यार्ड

562. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार उपभोक्ताओं व विक्रेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर के उत्तरी पूर्वी दिल्ली नेशनल हाई वे के आस-पास कोई नया फल सब्जी मंडी यार्ड बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या इस संबंध में किसान और विक्रेताओं का एक शिष्टमण्डल सरकार से मिला था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) जी हां, भूमि की उपलब्धि के उपरान्त इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, गत तीन साल से कृषि फल सब्जी मंडी के लिए उस इलाके के अन्दर नेशनल हाई-वे के पास जनता के द्वारा, जनता के नुमाइंदों के द्वारा पूछा गया है, और तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने कहा था कि तुरन्त ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। मैं वर्तमान मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, तीन साल तक आपने जमीन की व्यवस्था नहीं की, अब तक जमीन की व्यवस्था कर देंगे ? दूसरी बात, क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि आमेर, जमुवारामगढ़ और आगरा रोड से फल, सब्जी पैदा करने वाले किसान जो अपना माल लेकर आते हैं उनको लाल कोठी की मण्डी पर जाने में कितनी दिक्कत होती है ? और कि पूर्वी और उत्तरी इलाके में जो गरीब उपभोक्ता रहते हैं 3-4 लाख, उनको सब्जी खरीदने में कितनी दिक्कत होती है ? तो इन सारी बातों को देखते हुए टाप प्रायोरिटी में लेकर मंत्री जी जल्दी ही सब्जी मन्डी बनाने की कृपा करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो मुझे पूरी जानकारी है कि सब्जी फल उत्पादकों को दिक्कत होती है। मेरे पास यह महकमा था और मैं स्वयं इस भूमि के बारे में मौका देखने गई थी। जल महल के सामने कुछ जमीन उपलब्ध थी जिसको बाद में किसी और परपज के लिए दे दिया गया। उसके बाद दूसरी भूमि देखी वह जमीन सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दे दी गई अब। फिर कोशिश की जा रही है कि जहां भी जमीन उपलब्ध हो जाय। उसको लिए जाय। योजना यही है कि यहां कृषि उपज मण्डी हो जाय। एक चौमू रोड पर जिसके लिए भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की गई है काफी लंबे समय तक कार्यवाही की गई कि तीन और फसल मण्डियां हो जायं एक सांगानेरी रोड पर बनी हुई है और एक आमेर रोड पर और एक चौमू रोड पर लेकिन भूमि उपलब्धि की सबसे बड़ी समस्या है। माननीय सदस्य अगर मदद करें जमीन ढूंढने और दिलवाने में, जल्दी हो जाएगा।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज : अगर माननीय मंत्रीजी बाजार भाव में जमीन खरीदने का इरादा रखते हों तो बात करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नेक्स्ट प्रश्न।

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 16 जुलाई 1985

यूरोपीय भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा

305. श्री दामोदर दास आचार्य (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्व विद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा यूरोपीय भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को लगभग 3–4 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया जा चुका है ?

(2) यदि हां, तो विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक यूरोपीय भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उक्त डिप्लोमा कोर्स चालू सत्र में प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, दिनांक 15-1-1983 को प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

(2) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा चार भाषाओं में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स चलाने का निर्णय लिया गया था किंतु यू. जी. सी. द्वारा सिर्फ दो भाषाओं की स्वीकृति भेजी गई। इन दो भाषाओं की स्वीकृति के साथ भी यह शर्त लगाई गई कि मार्च, 1988 के पश्चात इनका सम्पूर्ण खर्चा राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा है जो विचाराधीन है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री दामोदर दास आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि फ्रांस की आर्थिक सहायता से दिल्ली में एक रिसर्च सेन्टर की स्थापना की गई है। उसमें हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर सभी प्रवेश पा सकते हैं। यदि वे डिप्लोमा कोर्स किये हुए हों। उनकी सहूलियत के लिए यह कार्य यहां कब तक निपटाया जा सकेगा ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यू. जी. सी. के द्वारा इस तरह की बहुत सारी पोस्ट क्रीएट करके, स्वीकृत करके भेजी हुई हैं। विभिन्न फैकल्टी के विभिन्न विषयों के लिए एक बहुत बड़ा मसविदा उसका बना हुआ है लेकिन वित्त विभाग के सामने यह कठिनाई है कि इतने सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को बहुत बड़ा फाइनेन्शियल इन्वोल्वमेंट है इसलिए इसमें इतना डिले हो रहा है। मैं नहीं कह सकती हूं कि कब तक वे इसको एप्रूव करेंगे, या नहीं करेंगे यह वित्त विभाग के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री खगार सिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(20)

ग्राम खीवाड़ा के भूतपूर्व जागीरदार से सीलिंग सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण

308. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम खिवाड़ा के भूतपूर्व जागिरदार के पास 25-2 1958 व 9-12-1959 को किस किस गांव में कितनी कितनी कृषि भूमि थी ? क्या इस भूमि में से काफी भूमि का हस्तांतरण किया गया ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस को ?

(2) क्या भूमि के हस्तांतरण के बावजूद भी खीवाड़ा ठाकुर के पास काफी भूमि बच रही ? यदि हां, तो सीलिंग के प्रावधान्तर्गत क्या ठाकुर के पास बच रही भूमि का अधिग्रहण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस भूमि का कब तक अधिग्रहण किया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) ग्राम खीवाड़ा के भूतपूर्व जागीरदार के पास दिनांक 25-2-1958 तथा 9-12-1959 को किस-किस ग्राम में कृषि भूमि थी एवं इस भूमि में से कब-कब व किस-किस को यह भूमि हस्तांतरित की गई उन व्यक्तियों के समस्त विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

(2) जी हां। भूमि के हस्तांतरण करने के पश्चात् भी खीवाड़ा ठाकुर के पास 123.4 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि शेष रही थी जिसके बाबत सीलिंग प्रकरण संख्या 51/70 में पारित आदेश दिनांक 8-12-1972 के अनुसार शेष भूमि से 30 स्टैण्डर्ड एकड़ को छोड़कर 93.4 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

(3) भाग 2 में उत्तर दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया [परिशिष्ट 2 देखें)

श्री खंगारसिंह चौधरी : इसके अन्दर साहब, मुडा दोलजी में जो भूमि है उन्होंने 500 और 200 बीघा जमीन जो बतायी है उसमें 57 बीघा का बेचान बताया है। इसके अलावा रजिस्ट्रियां ज्यादा हुई हैं जो इसमें नहीं दर्शायी हुई हैं, और उन्होंने इसमें पूरा जवाब नहीं दिया है। उसके अन्दर एक रिकबचंद, एक दूसरे शर्मा हैं खीवाड़ा के 400 बीघा जमीन बेची है वह इसमें नहीं बतायी है इसलिए यह उत्तर अधूरा है। इसकी पूरी जानकारी दी जाये। इसको स्थगित किया जाये क्योंकि इसमें····

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो इसका क्या मतलब है ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : उनकी जमीनों को जो अधिकृत हैं, जिनकी जमीनें रजिस्ट्रीशुदा थी उनके इसके अन्दर नाम नहीं आये जबकि उनकी जमीनें ली गई हैं सीलिंग के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं दिया जायेगा। जमींदार की····

(व्यवधान)

श्री खंगारसिंह चौधरी : नहीं साहब, उनकी रजिस्ट्रीशुदा जमीन है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सुविधा के लिये मैं कुछ तथ्य निवेदन करती हूं। यह जो केस था, यह ओल्ड सीलिंग केस के तहत में डील हुआ है। इसमें अगर 1959 के पहले तक कोई बेचान किया गया हो तो वह बेचान वैध है और अगर उसके बाद कोई बेचान किया गया है तो वह बेचान अवैध है। यह केस राज्य सरकार के स्तर पर प्राधिकरण में, जो मैंने तारीख 8-12-1972 बतायी तब आर. ए. ए. के यहां गया। उसको आर. ए. ए. ने फाइल किया। उसके बाद ठाकुर साहब रेवेन्यू बोर्ड में गये। रेवेन्यू में सिर्फ इतनी तरमीन की गयी कि जो जमीन अधिग्रहण की गई है या पहले जो बेचान वैध माना गया है वह तो सही है उनको सिर्फ इतनी इजाजत दे दी जाये कि जो जमीन वे सलैक्ट करना चाहते हैं सीलिंग के अन्तर्गत उनको उसकी इजाजत दी जाये। तो सरकार ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी और उस एरिया के उस गांव की जो स्टैण्डर्ड एकड़ बनती थी उसके अलावा जितनी सरप्लस लैण्ड थी वह सरकार ने ले ली। आप मेहरबानी करके यह बता दें कि कौन सी जमीन उस तारीख के बाद बेच न हुई जो हमारे नोटिस में नहीं आयी और यह कि जो उनको छोड़ी गयी है वह उस गांव के अन्दर सीलिंग की जो जमीन छोड़ी जानी चाहिये उससे ज्यादा छोड़ी गयी है। यह हमको बता दीजिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी : गुडा दोलजी के अन्दर 400 बीघा जमीन बेची हुई है।

श्रीमती कमला : जमीन बेची है। उन्होंने कई बार बेची है 28-12-1968 को बेची है, 28-2-1966 को बेची है, 21-6-1967 को बेची है, 19-2-1959 को बेची है, 15-12-1965 को बेची है, 19-3-1959 को बेची है, 30-12-1959 को बेची है, 27-9-1965 को बेची है। इसके अलावा और कोई जमीन जो आपकी निगाह में है····

श्री खंगारसिंह चौधरी : मेरे कहने का मतलब यह है कि तीसरे नम्बर पर जो गांव है दोलजी का गुडा इसका सवाल है। इसके अन्दर जो

श्रीमती कमला : सिर्फ इसका ही सवाल पूछ लें तो मैं जवाब दे दूंगी ···

श्री खंगारसिंह चौधरी : यह जो 57 बीघा जमीन बतायी है उसके अलावा ज्यादा जमीन बेची है और उनकी वह जमीन रजिस्ट्रीशुदा है। सीलिंग के अन्तर्गत उनके पास जमीन होते हुए भी उस जमीन का बेचान किया गया है।

श्रीमती कमला : कब बेची है?

श्री खंगारसिंह चौधरी : 1959 के अन्दर।

श्रीमती कमला : हैं?

श्री अध्यक्ष : 1959 में।

श्रीमती कमला : 1959 ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : हां जी।

श्रीमती कमला : वह तो अधिकृत है ना।

(व्यवधान)

ऐसा है, देखिये जिस तारीख तक उनको बेचने का अधिकार है उस तारीख तक कोई एतराज नहीं है।

22

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, सवाल उनका यह है कि उन्होंने जमीन बेच दी, रजिस्ट्री करवा ली और वह अधिकृत होते हुए भी उसको बताया नहीं। और जो जमीन उन्होंने छुड़वाई है वह जमीन छुड़ा दी है जो उन्होंने बेची थी और इस तरह उस किसान को नुकसान पहुंचाया गया।

श्रीमती कमला : यह तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे ऐसे भूमिधारियों के केस हैं जिस जमीन पर कोई लायबिलिटी थी या जो बिल्कुल फ्री थी और उसके अलावा जो जमीन सरप्लस थी जिस पर काश्तकार काबिज था और वह जमीन खाली नहीं थी ऐसे कई मामले राज्य सरकार की निगाह में हैं। उनका आइडेन्टिफिकेशन कर के कार्यवाही भी कुछ मामलों में की गयी है। यह केस उसमें से हो सकता है तो दूसरी बात है।

श्री संगारसिंह चौधरी : कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया, कार्यवाही करेंगे। आपके कहने से अब क्या।

श्रीमती कमला : यह किसानों की और जागीरदारों की बात हो रही है। सरकार ने जो जमीन दी है उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए तो ठीक है लेकिन जो सीलिंग का फैसला किया है सरप्लस लैण्ड ली गयी है उसमें कहीं कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री मानिक चन्द सुराना : अन-एन्कम्बर्ड भूमि ही सरण्डर कर दी। जो जागीरदार के लिए बहुत जरूरी है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनके लिए आपने कहा कार्यवाही हो रही है। यह कार्यवाही कम से कम आपकी अध्यक्षता में तो कुछ त्वरित गति से हो।

श्रीमती कमला : उसकी तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कानूनी कॉम्प्लीकेशन्स कई हो चुके हैं क्योंकि बीच में समय बहुत निकल गया खातेदारी किसी के नाम हो गयी, क्या हो गया काश्तकारों की उनकी जमीन कहीं चली गयी। तो बड़ी भारी दिक्कत उस खातेदारी में आती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोविन्द सिंह।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सुविधायें

314. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद):–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या शिक्षा विभाग के आदेश सं. एफ. 22 (2) शिक्षा/ग्रुप-1, दिनांक 21-10-1978 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त शिक्षा शुल्क की पूरी छूट व बॉयज फण्ड की आधी रियायत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जा रही है ?

(2) यदि हां, तो गत वर्ष कितने विद्यार्थियों को इस रियायत का लाभ मिला ? अगर नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला): (1) जी हां।

(2) पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित वर्ग का जो विद्यार्थी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

(श्रीमती कमला)

करता है तो उसे इस आदेश का लाभ दिया जाता है। गत वर्ष इससे लाभान्वित छात्रों की संख्या सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं से उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं हो सकता। बाकी सिद्धांत तौर पर यह निश्चित है कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए विद्यार्थी अगर सर्टिफिकेट लाकर पेश करते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सुविधा एडेड कालेज में और यूनिवर्सिटी में दी जा रही है? अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है कि यह प्रमाण-पत्र के संबंध में तहसीलदार या किसी एस. डी. ओ का सर्टिफिकेट मांगते हैं। क्या मंत्री महोदया इस बात का विचार करेंगी कि गांव का सरपंच एम. एल. ए., एम. पी. या प्रधान अगर इनको सर्टिफाई करें कि उनकी जाति यह है और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उसके आधार पर यह उनके स्कूल की फीस में रियायत के हकदार हैं? इसके बारे में सरकार की कोई नीति है? तीसरा सवाल मेरा यह है कि जिस तरह अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों को प्रवेश में छूट मिलती है उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए इस वर्ष के लिए यदि कोई नियमों में प्रावधान हो....

एक माननीय सदस्य : मंत्रिमण्डल में भी कोई प्रायोरिटी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय कई मामलों में विधायक साहिबान और सांसद साहिबान की जो पुष्टि है वे काम में लेते है, मगर इसमें है कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम है। अगर दी जा सकती है तो उसमें करने में कोई एतराज नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें, नीचे बैठें। मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं....

श्रीमती कमला : दूसरा, जो भर्ती के अन्दर छूट बात कही गयी है, अध्यक्ष महोदय ऐसी कोई छूट अलग से भर्ती के अन्दर नहीं है इसलिए इसमें भी होने का सवाल ही नहीं है।

(12.00 मध्य ह्)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। लम्बा भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंडल आयोग की जिस समय स्थापना की गई थी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : राजस्थान सरकार ने यह सुविधा दी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो तब तक यह सुविधा जारी रहेगी। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जानकारी चाहता हूं, इसके तहत सर्टिफिकेट देने की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है तो जब तक अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वह सर्टिफिकेट नहीं दिया

(श्री नाथू सिंह)

जायेगा तब तक यह रियायत क्या उनको नहीं दी जायेगी ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, सर्टिफिकेट देने की सरकार ने क्या व्यवस्था करवाई है ? कौन से अधिकारी को आपने कब आदेश दिया ?

श्रीमती कमला : यह आदेश तो दे रखा है। वे सब जो गजेटेड आफिसर हैं उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। यह तो पहले से ही है सब मामलों पर। यह तो आपको मालुम ही है। लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मालूम है लेकिन कुछ बोलना चाहते हैं, सदन में कुछ बोलना चाहते हैं, उस वर्ग से जुड़ना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : आज की तारीख तक किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप छोड़ते नहीं हैं।

श्री नाथूसिंह : सर्टिफिकेट नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप छोड़ते नहीं हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : होस्टल में, यूनिवर्सिटी में और अन्यत्र जैसे एस. सी. और एस. टी को फैसिलिटी देते हैं क्योंकि यह सुविधा दी तो आपने शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को ही है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं दें। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री नाथूसिंह : इसलिए जानना चाहता हूं कि एस. सी. और एस. टी. के छात्रों की तरह होस्टल में और दूसरी जगह जैसे ट्यूशन फीस आदि में क्या उनको भी यह सुविधा देना चाहते हैं।

श्रीमती कमला : उनको बराबर है।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : मैं मन्त्री महोदय से या जानकारी चाहूं हूं कि पिछड़ा वर्ग में कुण-कुण सी जातियां आवै है।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बता दें।

श्रीमती कमला : थे लिखो। मैं लिखाऊं, देखां लिखण लागो हो के नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : कलम कापी ले ली हो तो वैसे लिखाऊं नहीं तो आपको सूची दे दूंगी। अजमेर के अन्दर 57 ऐसी जातियां है जो पिछड़े वर्ग में हैं ..

श्री नत्थीसिंह : राजस्थान में।

श्रीमती कमला : अजमेर के अलावा 57 जातियां हैं अजमेर में 23 हैं जिनके नाम हैं-अहीर, बंजारा....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, नाम रहने दें।

श्रीमती कमला : बहुत सारा है।

श्री मोहन प्रकाश : मैं इनसे पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री नाथूसिंह : मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब तक लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह जी, मैं उत्तर नहीं दिलाऊंगा। No mandal Aayog here।

आर्डर प्लीज। बैठें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकार पर ओवर ड्राफ्ट व ऋण

776. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सरकार पर विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं ओवर ड्राफ्ट की क्या स्थिति है ?

(2) विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयत्न कर रही है ?

(3) राज्य को विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा ओवर ड्राफ्ट पर प्रतिदिन कितना ब्याज देना पड़ता है ?

उत्तर

(1) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के खाते में रनिंग बैलेन्स के आधार पर दिनांक 5-7-85 को कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था। राज्य सरकार पर दिनांक 1-4-85 को संशोधित अनुमान 84-85 के अनुसार विभिन्न ऋणों के 2339.43 करोड़ बकाया थे। विवरण संलग्न है।

(2) चूंकि 5-7-85 को कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था अतः चुकाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। विभिन्न प्रकार के ऋणों की किश्तों तथा ब्याज का भुगतान राज्य सरकार प्रति वर्ष अपनी आय से करती है।

(3) चूंकि वर्तमान में कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है अतः ब्याज का प्रश्न नहीं उठता। ऋणों पर ब्याज प्रतिदिन न होकर ऋणों की शर्तों के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक होता है। परिवर्तित बजट अनुमान 85-86 के अनुसार शर्तों के अनुरूप राज्य ऋण के शेष पर देय ब्याज 159.53 करोड़ एवं छोटी बचतों, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां व अन्य दायित्व पर देय ब्याज (47.83 करोड़ कुल 207.36 करोड़ का है जो कि प्रतिदिन 0.57 करोड़ होता है।)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जयपुर में पंजीकृत व्यक्तियों को आवास आवंटन

777. श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में जयपुर शहर में बने बनाये मकान देने हेतु

(26)

(श्री बिहारी लाल पारीक)

आवासन मंडल ने विभिन्न वर्गों के आवेदन-पत्र पंजीकरण किये थे ? यदि हां, तो कुल कितने ?

(2) क्या वर्ष 1973 के पंजीकृत आवेदकों को बने बनाये मकान आवटन करने हेतु 19-2-1982 को लाटरी निकाली गई थी ?

(3) क्या 19-2-1982 को लाटरी द्वारा मालवीय नगर में आवंटित किये सभी मकानों का कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं दिया, तो अब कब्जे कब तक दे दिये जावेंगे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्गों में खोले गये पंजीकरण द्वारा कुल 25978 आवेदकों द्वारा आवास प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये थे।

(2) जी हां। जयपुर के लिए निकाली गई थी।

(3) जी हां, दिनांक 19-2-82 को 445 मकान मालवीयनगर में आवंटित किये गये थे जिसमें से लगभग 80 मकानों का कब्जा देना शेष है, इन सभी मकानों का कब्जा इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक दे दिया जायेगा। कब्जा न देने का मुख्य कारण आवंटियों द्वारा कब्जा लेने न आना तथा विवादास्पद, मृत्यु, आय वर्ग परिवर्तन आदि प्रकरण विचाराधीन होना है।

राज्य बीमा व प्रावधायी विभाग द्वारा फर्नीचर की खरीद

778. श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दैनिक समाचार-पत्र न्याय दिनांक 8 अप्रेल एवं 13 जून, 1985 के अंक में बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा फर्नीचर की खरीद में अनियमितताओं संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसके अनुसार फर्नीचर की खरीद 14 लाख रुपये की की ?

(2) क्या यह सही कि उक्त खरीद में नियमों की अवहेलना की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खरीद के मामले का स्पेशल आडिट करवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(3) क्या संबंधित प्रशासनिक विभाग ने इस सम्बन्ध में उक्त विभाग के निदेशक से कोई जानकारी प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभाग ने अथवा प्रशासनिक विभाग ने समाचार-पत्र में प्रकाशित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं समझती ?

उत्तर

(1) जी हां। फर्नीचर की कुल खरीद रुपये 12.39 लाख है न कि 14 लाख रुपये।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

भूमि बन्दोबस्त की अवधि

779. श्री नाथू सिंह (टोड रायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के

(श्री नाथू सिंह)
अनेक गांवों में भूमि बन्दोबस्त की अवधि समाप्त हो जाने पर भी बन्दोबस्त नहीं हो पाया है।

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारियों के मुख्यालय जिला मुख्यालयों पर स्थापित हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा हेतु सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों के मुख्यालय समस्त उपजिलों में स्थापित करने एवं प्रत्येक गांव व तहसील का भूमि बन्दोबस्त निश्चित अवधि में कराने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) कृषकों की सुविधा हेतु सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का क र्यालय तहसील मुख्यालय पर आवश्यकता पड़ने पर रखा जाता है जैसे अभी भी कुछ सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का मुख्यालय तहसील आमेर, हिण्डोन चित्तौड़गढ़ व देवली में स्थापित है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारियों को निर्देश दिये हुये हैं कि कृषकों की उजरदारियां सुनने के लिये सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पंचायत मुख्यालयों पर रुककर गांवों में ही उजरदारियों का निस्तारण करें। समस्त उप खन्ड मुख्यालयों पर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का मुख्यालय स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि में प्रत्येक गांव व तहसीलों का बन्दोबस्त किया जाना संभव नहीं है।

तिल्ली व सरसों के तेल की खरीद

780. चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला अजमेर हेतु जे. के. एण्ड कं. ज्वेलर्स, जयपुर से दिनांक 18-1-1985 को दो लाख बावन हजार पांच सौ इक्यावन रुपये पच्चीस पैसे का तिल्ली व सरसों का तेल किस-किस आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि के निर्माण के लिये किस अधिकारी अथवा कमेटी के अनुमोदन से खरीदा गया ? इसके क्रय हेतु क्या मापदन्ड अपनाये गये, तथा किस माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करने के विज्ञापन का प्रचार व प्रकाशन किया गया तथा किस-किस व्यापारी ने कब-कब किन शर्तों पर निविदाएं प्रस्तुत कीं ? इन निविदाओं को कब किसके द्वारा खोला जाकर किस आधार पर जे. के. एण्ड कं. ज्वेलर्स की निविदा को स्वीकृत कर कब तक माल सप्लाई करने हेतु कब क्रय आदेश दिया गया था ? कृपया विज्ञापन, प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस तेल के क्रय आदेश देने के पूर्व बाजार से भावों का जायजा भी लिया गया था ? यदि हां तो किस माध्यम से और उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) रसायनशाला में प्राप्त होने पर इन तेलों का दिनांक 30-6-1985 तक कब कब कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग कर किस किस आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि का कितनी-कितनी मात्रा में निर्माण किया

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

गया तथा उसकी कितनी-कितनी मात्रा किस-किस वितरण केन्द्र पर कब-कब भेजी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाओं में औषधि निर्माण हेतु अजमेर रसायनशाला में मै. जे. के. एण्ड कं. ज्वेलर्स जयपुर से नारायण तेल, रोगन गुल, रोगन बाबुना, मरहम सफेद जात्यादि तेल, पंच गुण तेल एवं कृष्ण मरहम सफेद के निर्माण हेतु रु. 2,52,868.30 पैसे का तिल्ली का तेल तथा निशा तेल के निर्माण करने के लिये 16,481.25 पैसे का सरसों का तेल दिनांक 18-1-1985 को स्थानीय क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकार किया गया था।

उक्त औषधियों के निर्माण हेतु तेल तिल्ली एवं तेल सरसों की निविदा जारी कर भण्डार क्रय समिति द्वारा दिनांक 19-10-1984 को दरें अनुमोदित करने के पश्चात् निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा क्रय आदेश दिये गये थे।

इस माल को खरीदने हेतु सदस्य सचिव (लेखाधिकारी निदेशालय आयुर्वेद विभाग राज. अजमेर) द्वारा दिनांक 6-7-1984 को निविदा विज्ञप्ति प्रसारित की गयी थी जिसके प्रचार एवं प्रकाशन हेतु जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने के लिये भेजी गई जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 3539/84 दिनांक 7-7-1984 द्वारा निम्न समाचार पत्रों को प्रकाशित करने हेतु भेजी :-

1-दैनिक नवज्योति संयुक्त, जयपुर

2 नव भारत टाइम्स, दिल्ली

3-साप्ताहिक इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता

इस निविदा की अंतिम तिथि 23-8-84 में दिनांक 10-9-1984 वृद्धि की गई थी।

जिन व्यापारियों के द्वारा निविदायें प्रस्तुत की गई उसका विवरण मय निविदा देने की दिनांक तथा व्यापारियों द्वारा दी गई शर्तों सहित (परिशिष्ट 'क') सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्राप्त निविदाओं को दिनांक 11-9-84 को विभागीय भण्डार क्रय समिति के सदस्यों तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष सचिवालय जयपुर में खोला गया। प्राप्त निविदाओं में मैसर्स जे. के. एण्ड कम्पनी, ज्वेलर्स, जयपुर की तेल तिल्ली एवं तेल सरसों (एग मार्का) की दरें न्यूनतम होने तथा एग मार्क तेल भी शुद्धता, गुण-धर्म की दृष्टि से मानवोपयोगी होने के कारण उक्त व्यापारी की दरें भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी।

निदेशक, आयुर्वेद विभाग के द्वारा आदेश क्रमांक 24641-45 दिनांक 15-12-1984 से तेल तिल्ली एवं तेल सरसों आदेश निर्गमन दिनांक से 45 दिन में माल सप्लाई करने के क्रय आदेश दिये गये।

विज्ञापन संबंधित माल के लिये प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) निर्माण एवं वितरण का विवरण (क्रमशः परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग') सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जोड़ पायतन भूमि में खनन

781. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़):

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या तलाईयों की जोड़ पायतन भूमि में खनिज निकालने की इजाजतें नियम विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो कोलायत तहसील के गांव मोखां, बच्छासर व चानी के तलाईयों की जोड पायतनों में खनिज हेतु लीज कैसे दी गई हैं, और किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

जी नहीं, खनिज रियायत नियम, 1960 व अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के अन्तर्गत तलाईयों की जोड़ पायतन भूमि में खनन पट्टे न देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के नियम 4 (5) के अनुसार केवल ऐसी भूमि पर जो राज्य सरकार अथवा स्थानीय आथोरिटी द्वारा किसी विशेष उद्देश्य अथवा जन उद्देश्य के लिये अधिसूचित की गई हो, खनन पट्टे नहीं दिये जा सकते। खनन पट्टों के आवंटन के संबंध में उठाया गया प्रश्न स्पष्ट नहीं है। इस विभाग को यह जानकारी काफी प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि प्रश्नान्तर्गत क्षेत्र को खनिज विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग अथवा स्थानीय आथोरिटी ने जन उद्देश्य हेतु क्षेत्र अधिसूचित किया हो। जानकारी उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सांचोर में पेयजल व्यवस्था

782. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र, सांचोर जिला जालोर में काफी गांवों में पीने के पानी का गंभीर संकट है ? अगर हां, तो कुल कितने गांवों में मनुष्य एवं पशुओं के पीने के पानी का संकट है ? उनमें से कितने गांवों में अब तक पीने के पानी का सरकार द्वारा इन्तजाम किया गया है व शेष में कब तक कर दिया जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि गांव गुडाहेमा में सहुओं की ढाणी, भादुओं की ढाणी, गोयतों की ढाणी एवं गांव गुडाहेमा की बस्ती में पीने के पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं है ? अगर हां, तो इन स्थानों पर पीने के पानी का बन्दोबस्त कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर जिला जालोर में कुल 161 गांव हैं जिनमें से 138 गांव पेयजल से लाभान्वित किये जा चुके हैं। शेष 23 गांवों को धन

(30)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्धि के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(2) जी हां। तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जायेगी।

भरतपुर के हैण्ड पम्प्स

783. **श्री शमशुल हसन (कामां):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर की पंचायत समिति कामां एवं नगर क्षेत्र में कितने हैण्ड-पम्प्स और टंकियां जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं ?

(2) इनमें से अब तक कितने हैण्ड-पम्प्स और कितनी जलप्रदाय टंकियां लगाई जा चुकी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कई हैण्डपम्प खराब हुए पड़े हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, क्यों और कब से ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर की पंचायत समिति कामां व नगर क्षेत्रों में 683 हैण्ड-पम्प एवं 15 टंकियां जलदाय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं।

(2) पंचायत समिति कामां व नगर क्षेत्रों में 611 हैण्ड पम्प लगाये गये तथा 4 टंक योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं।

(3) कामां में 55 और नगर में 42 हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों में जनता द्वारा किसी कारण से मिट्टी पत्थर भर दिये गये थे, वे हैण्डपम्प मई, 85 से खराब पड़े हैं। अवरुद्ध हैण्ड-पम्पों को ठीक किया जा रहा है, तथा चौक हुए हैण्ड पम्प की जगह नये हैण्ड पम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

खानपुर पंचायत की नगरपालिका में क्रमोन्नति

784. **श्री हरीश शर्मा (खानपुर)**

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि खानपुर पंचायत को नगर-पालिका बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो खानपुर को कब तक नगरपालिका घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) झालावाड जिले के खानपुर कस्बे की जनसंख्या कितनी है, तथा खानपुर ग्राम पंचायत की वार्षिक आय क्या है ? पंचायत के कुल कितने वार्ड हैं ?

(3) क्या यह सही है कि खानपुर में भारत के जैन समाज का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान चांदखेड़ी जैन मन्दिर है और प्रतिदिन काफी तीर्थ यात्री चांदखेड़ी आते हैं और चांदखेड़ी खानपुर पंचायत का एक मोहल्ला है ? क्या ऐसी स्थिति में नगरपालिका के गठन से कस्बे का विकास व साज संवार बेहतर हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मामले में जिलाधीश से कुछ और जानकारी मंगवाई गई है। सूचना आने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) खानपुर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 9,211 है। वार्षिक आय 1,60,551.56 रुपये एवं 14 वॉर्ड हैं।

(3) जी हां।

आवासन मण्डल के लेखे

785. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आवासन मण्डल में लेखों का इन्द्राज कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कम्प्यूटर व्यवस्था पर कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि कम्प्यूटर द्वारा जो लेखे तैयार किये गए उनमें 90 प्रतिशत से भी अधिक अशुद्धियां पाई गई, तथा इस व्यवस्था से आवन्टियों को अनावश्यक परेशानियां उठानी पड़ रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस दोषपूर्ण प्रणाली को वापिस लेने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, गत 5 वर्षों में कम्प्यूटर व्यवस्था पर 4,45,279.19 रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) जी नहीं, किन्हीं आवंटियों द्वारा यदि कोई अशुद्धि ध्यान में लाई जाती है तो उसका निराकरण आगामी, वर्ष के लेखे तैयार करते समय कर दिया जाता है फिर भी यह प्रणाली ठीक प्रतीत नहीं हुई तो समाप्त करने पर विचार किया जावेगा।

गोपालपुरा खाद कारखाना

786. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एग्रो इण्डस्ट्री के गोपालपुरा खाद के कारखाने में प्रतिदिन कितने खाद मैटेरियल की आवक है, तथा प्रतिवर्ष कुल कितनी खाद का उत्पादन होता है?

(2) खाद से सम्बन्धित प्रतिवर्ष की आय व व्यय कितना है? वर्ष 1979 से अप्रेल, 1985 तक की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 से वर्ष 1984–85 तक खाद मेटेरियल (गारबेज) की प्राप्ति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल गारबेज की मात्रा (टनों में)	औसत प्राप्ति प्रतिदिन (टनों में)
1979–80	26,872.175	73.62
1980–81	54,071.000	148.14
1981–82	44,144.000	120.94
1982–83	32,207.000	88.24
1983–84	34,412.000	24.28
1984–85	60,566.000	165.93

(कृषि मंत्री)

वर्ष 1979–80 से वर्ष 1984–85 तक विभिन्न खादों का उत्पादन टनों में निम्न प्रकार रहा है :—

खादों के नाम	वर्ष 79–80	80–81	81–82
1	2	3	4
1. पी.जी. कोर्स	4500.000	31033.000	34330.000
2. राज कम्पोस्ट	—	1495.450	1801.165
3. एग्रो कम्पोस्ट	1801.850	910 000	—
4. एग्रो सुपर कम्पोस्ट	322.020	550.485	219.150
5. जिप्सी कम्पोस्ट	—	367.630	291.750
6. जिप्सी सुपर कम्पोस्ट	—	16.450	230.910

खादों का नाम	82–83	83–84	85–86
	5	6	7
1. पी. जी. कोर्स	17601.000	19910.000	240.67.000
2. राज कम्पोस्ट	1856.610	653.500	673.240
3. एग्रो कम्पोस्ट	103.200	472.940	434.650
4. एग्रो सुपर कम्पोस्ट	74.980	42.960	37.530
5. जिप्सी कम्पास्ट	40.800	177.690	108.435
6. जिप्सी सुपर कम्पोस्ट	16.000	20.000	87.900

(2) एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के गोपालपुरा खाद के कारखाने से सम्बन्धित प्रतिवर्ष की आय व व्यय:—

वर्ष	आय (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
1979–80	3.18	6.57
1980–81	8.95	11.08
1981–82	11.22	12.26
1982–83	8.39	12.51
1983–84	9.34	10.91
1984–85	8.31	10.30

नोट:—वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 के आय-व्यय अंकेक्षित नहीं है।

नगर परिषद्, किशनगढ़ की रसीद बुकें

787. श्री जगजीतसिंह (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद् किशनगढ़ के जयपुर रोड़ चुंगी नाके से एक या दो वर्ष पूर्व नगर परिषद् की रसीद बुक चोरी गई थी ? यदि हां, तो क्या नगर परिषद् द्वारा कोई पुलिस कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या चोरी की गई रसीदों से किशनगढ़ आवासीय प्लाट बेचे गये ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रसीद बुक की चोरी नहीं हुई। बुक संख्या 319 व 320 में से कुछ रसीदों की मूल प्रतियां गायब हुई थीं। नगर परिषद् द्वारा पुलिस थाना में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई जिस पर उप अधीक्षक आरक्षी एवं थाना प्रभारी ने नगर परिषद् को विभागीय जांच करने के लिए लोटा दिया। नगर परिषद् द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(2) गायब हुई रसीदों से किशनगढ़ में आवासीय प्लाट बेचे गये ऐसी कोई जानकारी नगर परिषद् को प्राप्त नहीं हुई है।

नाहरी का नाका (पूर्व) योजना के भू-खण्ड

788. श्री जयकिशन सोलावड़ा (दूदू): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका पूर्व योजना (रामनगर) में निर्मित तथा अनिर्मित समस्त भू-खण्डों पर भू-खण्ड संख्या अंकित कर दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई अनिर्मित भू-खण्ड ऐसे है जिनके भू खण्ड संख्या अंकित नहीं की गई हैं और उन पर प्राधिकरण के कर्मचारियों ने पड़ौसियों द्वारा कब्जे करवा दिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि भू-खण्ड संख्या 983 के आगे के रिक्त भू-खण्ड संख्या 984 अंकित न करके उसके आगे के भू-खण्ड की संख्या 984 अंकित की गई है और उस रिक्त भू-खण्ड पर प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा करवा दिया गया ? यदि हां, तो मौके पर कब्जा किसका है ?

(4) इस कालोनी में ऐसे और कितने भू-खण्ड हैं ? जिसके भू-खण्ड संख्या अंकित नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। अब इन पर भू-खण्ड संख्या कब तक अंकित करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) भू-खण्डों पर नम्बर निलामी अथवा कब्जा दिए जाने के समय ही अंकित किये जाते हैं। अन्य खाली भू-खण्डों पर नम्बर अंकित करने की कोई परिपाटी नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार। भू-खण्डों पर कब्जा कराने के बारे में कोई जानकारी या सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) मौके पर भू-खण्ड संख्या 983 साइट प्लान के अनुसार मौजूद है तथा भू-

(34)

(नगर आयोजना मंत्री)

खण्ड संख्या 983 व 984 के बीच में एक खाली भू-खण्ड है। यह भू-खण्ड मौके पर नापने के उपरान्त जानकारी में आया है। इसकी क्रम संख्या 983-ए दी जाकर नीलामी/आवंटन की कार्यवाही चालू की जा रही है। विधिवत कब्जा या निर्माण भी इस भू-खण्ड पर उपलब्ध नहीं है। भू-खण्ड संख्या 984 आवंटित है एवं उसकी नाप भी साइट प्लान के अनुसार ही मौके पर है।

(4) चूंकि खाली प्लाटों पर भू-खण्ड संख्या अंकित करने की परिपाटी नहीं है, अत: इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

नेहरू पार्क, अलवर

789. **श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :** क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर विकास न्यास द्वारा अलवर शहर में नेहरू पार्क का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उक्त पार्क पर कुल कितना व्यय किया गया है?

(2) उक्त पार्क में बिजली की साज सज्जा पर कितना व्यय किया गया?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा नेहरू पार्क का विकास कार्य कराया जा रहा है। उक्त पार्क पर न्यास द्वारा वर्ष 84-85 तक 9,74,757.43 रुपये का कुल व्यय किया गया है।

(2) उक्त पार्क में बिजली की साज सज्जा पर न्यास द्वारा वर्ष 79-80 से 84-85 तक 2,47,599.40 रुपये का व्यय किया गया है।

सलुम्बर की सड़कें

791. **श्री धन्न सिंह (सलूम्बर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सलुम्बर तहसील में कितनी सड़कें कृषि उपज मण्डी के कार्यक्रम में शामिल की गई हैं, कृपया सड़कवार, नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बस्सी से कन्तोड़ा रोड कृषि उपज मण्डी में लिया गया है लेकिन अभी तक कार्य अधूरा है? राज्य सरकार इस सड़क को कब पूरा कर देगी?

(3) यह कार्य कब तक शुरू हो जावेगा?

उत्तर

(1) सलुम्बर तहसील में कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर की धनराशि से निम्नांकित सड़कें स्वीकृत हुई हैं:—

1.	सम्पर्क सड़क भवराना	2.50 कि. मी.
2.	सम्पर्क सड़क सेरिया	2.50 कि. मी.
3.	बस्सी से कन्तोड़ा	3.9 कि. मी.

(2) बस्सी से कन्तोड़ा सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 7 कि. मी. की है किन्तु फिलहाल राज्य सरकार ने 3.9 कि. मी. के निर्माण की स्वीकृति ही जारी करी है। मण्डी समिति द्वारा जून, 1985 तक

(कृषि मंत्री)

5, 64, 323 की धनराशि से इस सड़क के 3.9 कि. मी. के हिस्से का निर्माण लगभग पूर्ण करा दिया गया है। मण्डी समिति, उदयपुर द्वारा परियोजना ऋण के भुगतान किये जाने के कारण शेष सड़क का निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के उपरान्त ही सड़क के निर्माण कराने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

मंडी यार्ड का निर्माण

792. श्री किरोड़ी लाल (महुआ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला सवाई माधोपुर की कृषि उपज मण्डी समिति मंण्डावर महुआ रोड द्वारा मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कबसे ?

(2) इस मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य कब तब पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

(3) अब तक कितनी दुकानों का निर्माण हो चुका है ? क्या यह सही है कि अब तक निर्मित दुकानें मण्डी समिति को संभला दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु आवंटित भूमि पूर्ण रूप से कब्जे में ले ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, मार्च, 1984 से निर्माण कार्य चालू है।

(2) नवीन मण्डी यार्ड का निर्माण मार्च, 1986 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(3) अब तक 15 दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है। इन दुकानों में बिजली का कार्य प्रगति पर है, अतः मण्डी समिति को नहीं सम्भलवाई जा सकी हैं।

(4) नवीन मण्डी यार्ड निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 40 बीघा भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है। वैसे धारा 17(4) भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत 65 बीघा अवाप्त करने की विज्ञप्ति जारी करी गई थी किन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार 25 बीघे छोड़े जाने का निर्णय लिया गया था।

बीज निगम द्वारा अनावश्यक बोरियों की खरीद से हानि

793. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बीज निगम में 50 हजार बोरी खाली होते हुए भी बीज उत्पादकों से बीज क्रय करते समय खाली बोरियों का उपयोग नहीं करने से निगम को 2 लाख रुपये की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

उत्तर

जी हां, निगम के पास लगभग 50 हजार खाली बोरियां स्टाक में थीं। किन्तु निगम की कुल आवश्यकता रबी 1984-85

(कृषि मंत्री)

उत्पादन हेतु ही एक लाख 25 हजार बोरियों की थी। इस प्रकार सभी उत्पादकों को खाली बोरियां उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था। संभावित औसतन 3 भरत के आधार पर इस प्रकार आने वाला कुल खर्च केवल 12/ रुपये प्रति बोरी ही रहता है। जबकि बोरी का भाव 16-18 रु. प्रति नग था। इस प्रकार उत्पादकों को दिये गये 4/- रु. प्रति क्विंटल के अनुदान से निगम को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। अतः इस संबंध में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता।

मांडा योजना के अन्तर्गत स्कूल भवन का निर्माण

794. **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लालपुरा तहसील थानागाजी में मांडा योजना के अन्तर्गत स्कूल भवन का कार्य करवाया गया है? क्या इस स्कूल भवन के निर्माण में धन के गबन के बारे में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां, इस प्राथमिक शाला भवन के निर्माण में राशि के गबन के बारे में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है?

डीडवाना में लीज पर दिया पहाड़ी क्षेत्र

795. **श्री भंवरराम** (डीडवाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम कोलीया, तहसील डीडवाना, जिला नागौर का पहाड़ी क्षेत्र लीज पर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व कब दिया गया?

(2) क्या ग्रामवासियों के निजी उपयोग के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा गया है? यदि हां, तो कौनसा खसरा नम्बर? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में दस खनन पटटे आवंटित किये हुए हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) ग्रामवासियों के निजी उपयोग हेतु क्षेत्र छोड़े जाने हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि ग्राम कोलिया के पहाड़ी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र रिक्त है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के नियम 55 के अन्तर्गत काश्तकार को उनके निजी उपयोग हेतु खनिज की मांग करने पर निःशुल्क परमिट जारी किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

रॉक फास्फेट का उत्पादन

796. **श्री प्रभूलाल** (नैनवा)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री प्रभूलाल)

क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स के वर्तमान संगठन एवं संस्थापन के अनुरूप खनन कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया इस कम्पनी की स्थापना से लगाकर अब तक के राक फास्फेट के उत्पादन के आंकड़े, उसके प्रति टन विक्रय मूल्य के आंकड़े, उस विक्रय मूल्य में समय-समय पर की गई बढ़ोतरी के आंकड़े तथा राक फास्फेट की आय से हुये आंकड़ों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विगत पांच वर्षों में केवल वर्ष 1984-85 में निर्धारित लक्ष्य से कम खनन कार्य हुआ है। वर्ष 84-85 में 31 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित था और वास्तविक खनन 26.59 लाख टन का हुआ है। इस कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :-

(1) 4.6 क्यू. मीटर के दो शावेल में एक साथ बड़ी यांत्रिकी खराबियां हो गई थीं।

(2) फास्फेट की पट्टी में काफी दरारों के होने से ब्लास्टिंग का असर प्रभावी नहीं हो रहा था और ब्लास्टिंग के बाद काफी बड़ी-बड़ी चट्टाने निकली। इन सबको तोड़ने हेतु समय-समय पर काफी सैकण्डरी ब्लास्टिंग करना पड़ा।

वांछित ब्यौरा संलग्न तालिका "ए" "बी" एवं "सी" में दर्शा दिया गया है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

बाड़मेर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

797. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मडली जिला बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू है ? यदि हां; तो इसमें कितना स्टाफ कार्यरत है ? कृपया स्टाफ में कार्यरत डाक्टर्स, नर्स, कम्पाउण्डर आदि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर कार्यरत डाक्टर्स उक्त केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहते एवं जोधपुर में अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कभी जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त डाक्टर्स के विरुद्ध जन भावना को दृष्टिगत रखते हुए, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्यरत स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस संबंध में जांच प्रकरण जिलाधीश व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बीच चल रहा है।

(3) जी हां, जांच प्रकरण पूर्ण होने व डाक्टर्स को दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

दाल चीनी की खरीद

798. श्री हरि शंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर हेतु मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर से दिनांक 8-1-1985 को तीन हजार पांच सौ बयालीस रुपये चालीस पैसे की दाल चीनी किन औषधियों के निर्माण हेतु खरीदने का कब किसके द्वारा निर्णय लिया और इस दाल चीनी को खरीदने हेतु कब-कब किस-किस माध्यम से निविदायें आमन्त्रित करने का विज्ञापन व प्रकाशन किया गया तथा किस व्यापारी ने कब-कब किन-किन शर्तों पर निविदायें प्रस्तुत कीं ? कृपया विज्ञापन प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रसायनशाला में यह दाल चीनी प्राप्त होने पर इसमें से दिनांक 30-6-1985 तक कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग कर कब-कब किस-किस औषधि का कितनी-कितनी मात्रा में निर्माण किया गया, और निर्मित औषधियों को किस-किस औषधि वितरण केन्द्र पर कब-कब सप्लाई किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस दाल चीनी के क्रय आदेश देने के पूर्व बाजार से भावों का जायजा भी लिया गया था ? यदि हां, तो किस माध्यम से और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाओं में व्योषादिवटी, योगराज, गुग्गल, शिवागुटिका, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षावलेह, च्यवनप्राश, अर्कपान, सफूफ शिरी, नमक सुलेमानी, एलादीवटी, चन्द्रप्रभावटी, ब्रह्मरसायन, अमरसुन्दरीवटी, लवण भास्कर चूर्ण दशान संस्कार चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, यवानीखांडव चूर्ण, लवंगादि चूर्ण एवं अग्नि सन्दीपन चूर्ण के निर्माण हेतु रुपये 3542.40 पैसे की दालचीनी दिनांक 4-1-1985 को स्थानीय क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 8-1-1985 को क्रय की गई।

न्यूनतम निविदादाता द्वारा अनुबन्ध नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए शेष निविदाओं से नेगोशियेसन्स के पश्चात् भण्डार क्रय समिति द्वारा दिनांक 30-11-1984 को मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर की न्यूनतम दर अनुमोदित करने के पश्चात् निदेशक, आयुर्वेद द्वारा दिनांक 26-12-84 को क्रय आदेश दिये गये।

इस औषधि के खरीदने हेतु सदस्य सचिव (लेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर) के द्वारा दिनांक 6-7-1984 को निविदा विज्ञप्ति प्रसारित की गई जिसे जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने के लिये भेजी गई थी। जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 3539/84 दिनांक 7-7-1984 द्वारा निम्न समाचार पत्रों को प्रकाशित करने हेतु भेजा:–

1-दैनिक नवज्योति संयुक्त, जयपुर
2-नवभारत टाईम्स, दिल्ली।

(आयुर्वेद मंत्री)

3-साप्ताहिक इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता।

इस निविदा की अन्तिम तिथि 23-8-1984 में प्रथम वृद्धि दिनांक 10-9-1984 तक तथा द्वितीय वृद्धि 21-9-1984 तक की गई थी।

जिन व्यापारियों के द्वारा दाल चीनी की निविदायें प्रस्तुत की गई उसका विवरण मय निविदा देने की दिनांक तथा व्यापारियों द्वारा दी गई शर्तों सहित (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विज्ञापन, सम्बन्धित औषधियों के लिये प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) दिनांक 30-6-1984 तक पांच किलो दाल चीनी का दिनांक 27-2-1985 को उपयोग कर 304 किलो व्योषादिवटी निर्माण किया गया। उक्त निर्मित औषधि के वितरण का विवरण (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अलवर चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञों की व्यवस्था

799. श्री जगजीत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर की जनसंख्या डेढ़ लाख है और उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास हो रहा है और दुर्घटनाओं में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है?

(2) यदि हां, तो वहां 'ए' श्रेणी के अस्पताल में मेडिसन, सर्जरी व गायनाकोलोजी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों की व्यवस्था कब तक सरकार करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर शहर की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है।

शेष प्रश्न की जानकारी चिकित्सा विभाग के पास नहीं है।

(2) मेडिसिन, सर्जरी व गायनाकोलोजी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों को सृजित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, टाडगढ़ (अजमेर)

800. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला अजमेर के टाडगढ़ ग्राम में एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है?

(2) उक्त केन्द्र के भवन का पिछले एक वर्ष से उपयोग हो रहा है अथवा उसमें ताला लगा हुआ है?

(3) मातृ व शिशु कल्याण केन्द्र को निर्धारित भवन में क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ऐसा नहीं करने से मातृत्व व शिशु कल्याण व प्रसूति कार्य में क्या गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है?

उत्तर

(1) जी हां !

(2) भवन उपयोग हो रहा है। दिनांक 26-3-85 से 15-6-85 तक महिला चिकित्सक के प्रसूति अवकाश पर चले जाने के कारण इस केन्द्र में आने वाले रोगियों का उपचार उसी परिसर में स्थित डिस्पेन्सरी में किया गया।

(3) उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रश्न नहीं उठता है।

केशवराय पाटन के मांडा–योजनांतर्गत ग्राम

801. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने गांव मांडा योजना के अन्तर्गत हैं ?

(2) मांडा योजना में उक्त गांवों में कौन-कौन से कार्य अब तक किये गये ?

(3) क्या मांडा चयनित गांवों में सरकार विद्युत् प्रदाय करना चाहती है ? यदि हां, तो कितने गांवों को और कब तक ?

(4) क्या मांडा चयनित गांवों को सरकार सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को और कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र में 39 गांव मांडा योजना के अन्तर्गत हैं।

(2) मांडा ग्रामों में 8 नलकूपों, 37 हैंडपम्प, 6 प्राथमिक पाठशालाएं, एक चिकित्सा शिविर, 3000 फलदार पौधे वितरित जनजाति के गरीब परिवार के छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहनस्वरूप किताबें एवं पोषाकों का वितरण किया गया। 22 यूनिट (व्यक्तियों को) 2200 छायादार पौधे वितरित किये गये।

(3) मांडा योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतिकरण का कार्यक्रम अभी तक सम्मिलित नहीं है।

(4) मांडा योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्य अभी तक सम्मिलित नहीं हैं।

पीपल्दा क्षेत्र में ट्यूब वेल

802. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में बालूपा, ककरावदा, फसोद, नोनेरा, बिनायका तथा इटावा पचायतों के कई खेतों में अभी सिंचाई नहीं होती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों के लिय ट्यूब वेल खुदाकर सिंचाई करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(भू-जल मंत्री)

(2) यदि किसान कुवें बनवाने के लिए धनराशि जमा करवायेंगे तो विभाग उनका कार्य तकनीकी दृष्टि से उचित हुआ तो करेगा।

छीपाबड़ोद में शराब की दुकान

803. श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) श्री प्रभूलाल (मैनवा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, छीपाबड़ोद में शराब की कितनी दुकानें हैं ?

(2) क्या घोषित दुकानों के अतिरिक्त ग्रामों में भी शराब की दुकानें चलती हैं ? यदि हां, तो विभाग व पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या लाइसेंसदारों को शराब की दुकानों पर खुली शराब बेचने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) छीपाबड़ोद पंचायत समिति में देशी मदिरा की 6 मुख्य दुकानें व 6 उप-दुकानें हैं।

(2) जी नहीं।

(3) लाइसेंसदारों को शराब की दुकानों पर खुली शराब बेचने का अधिकार नहीं है। अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

लूनकरणसर लिफ्ट नहर में खालों का निर्माण

804. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इन्दिरा नहर के लूनकरणसर लिफ्ट नहर क्षेत्र में क्या प्रस्तावित सारे खाले विभाग द्वारा बना दिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? कृपया खालों की आर. डी. नम्बर व चक वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या लिफ्ट नहर क्षेत्र के खालों से किसानों द्वारा सिंचाई शुरू करने से पूर्व ही टूट चुके हैं और उनकी शिकायतें किसानों ने विभाग को की हैं ? क्या समस्त टूटे खालों की मरम्मत विभाग द्वारा करवाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लिफ्ट नहर के पानी का पूर्ण उपयोग खालें टूटे होने के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण क्षमता से नहर के पानी का उपयोग हो सकेगा ? नहर की पूर्ण क्षमता कितने धन फुट है व अब तक ज्यादा से ज्यादा कितना पानी किस तिथि को कौन-कौन सी प्रणाली में छोड़ा गया ? कृपया विवरण सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) लिफ्ट नहर क्षेत्र व उसकी वितरिकाओं व माइनरों द्वारा कुल कितनी भूमि सिंचित होनी प्रस्तावित है तथा वर्तमान में कितनी भूमि सिंचित हो रही है ?

(५२)

(श्रीमती रतन कंवर)

(5) मुख्य लिफ्ट नहर वितरिकाओं व माईनरों की चक बार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर के लूनकरणसर लिफ्ट नहर क्षेत्र में कुल 256 खालों का निर्माण होना है। पम्पिंग स्टेशन नं. 4 तक 218 खालों का निर्माण करवाया जा चुका है। इसमें सिर्फ बुर्जी 439.70 आउट सेट के खाल की चार हजार फिट का निर्माण नहीं हो सका क्योंकि यह लम्बाई रेल्वे लाइन के दूसरी तरफ पड़ती है, जहां रेल विभाग द्वारा पुल बनाना है। पम्पिंग स्टेशन नं 4 के नीचे 38 खालों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिनकी सूची संलग्न की जा रही है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि लिफ्ट नहर क्षेत्र के खालों के किसानों द्वारा सिंचाई करने से पूर्व क्षति पहुंची है। इस क्षेत्र के समस्त खालों का निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। चकों में काश्तकार आबाद नहीं होने, तेज आंधियों और पशुओं के इधर-उधर भटकने के कारण क्षतिग्रस्त खालों को ठीक कर उन्हें संबधित काश्तकारों को टेल तक पानी पहुंचाने के बाद संभलवा दिये गये है। 218 निर्मित खालों में से 154 खालों की मरम्मत करवाई गई। 45 खालों में मरम्मत की आवश्यकता नहीं थी। जबकि 19 खालों में कृषक आबाद नहीं होने के कारण केवल अति-आवश्यक मरम्मत करवाई गई।

(3) यह सही नहीं है कि खाले टूट जाने के कारण लिफ्ट नहर के पानी का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। लिफ्ट नहर में पानी प्रवाहित करने की क्षमता 568.06 क्यूसेक है। वर्तमान में नहर के अन्तिम छोर पर बचे हुए खालों का निर्माण कार्य एवं वितरिका, उप-वितरिकाओं का कार्य प्रगति पर है जिसके कारण नहर में क्षमता का पानी नहीं चलाया जा रहा है, निर्माण कार्य सम्पन्न हो जाने पर नहर में पूर्ण क्षमता से पानी चला दिया जायेगा। नहर की सभी प्रणालियों में डिजाइन के अनुसार पानी छोड़ा गया है। वर्तमान में चक्रीय प्रणाली के अनुसार दिया रहा है।

(4) लिफ्ट नहर क्षेत्र में कुल 1,14,047 एकड़ भूमि सिंचाई होनी प्रस्तावित है। वर्ष 1984-85 तक 97,679 एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसमें 32900 एकड़ सिंचाई हो चुकी है।

(5) लिफ्ट नहर वितरिकाओं व माइनरों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राजकीय चिकित्सालय, सिरोही

805. श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिरोही चिकित्सालय को 'ब' श्रेणी में गत वर्ष क्रमोन्नत कर उसमें रोगी शैय्या की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई है ?

(श्री रामलाल सोलंकी)

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार रोगी शैय्या की संख्या में की गई वृद्धि के कारण सिरोही में नए वार्ड का निर्माण इस वित्तीय वर्ष 1985-86 में प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कितनी रोगी शैय्या की व्यवस्था उस वार्ड में होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

(3) उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

नमक भू-खण्डों का आवंटन

806. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवा-महल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग ने नवम्बर, 1983 में बहुत से नमक-भू-खण्ड एलॉट करने के लिए राजस्थान राज-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो अब तक यह भू-खन्ड एलॉट क्यों नहीं किये गये और कब तक किये जाने की उम्मीद है ?

(2) क्या यह सही है कि विज्ञप्ति में दर्शाये गये प्लाटों में से कई प्लाट पूर्व में ही कुछ बड़े सेठों को एलॉट कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी पेन्डिंग है ? यदि हां, तो उन प्लाटों को एलॉट करने का कारण क्या था और वह विज्ञप्ति से क्यों नहीं हटाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि इन भू-खण्डों में निर्धारित प्रतिशत से एलॉटमेंट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को भी नहीं किया जाकर अपनी मनमर्जी के लोगों को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। आवंटन का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) कुचामन क्षेत्र में 56 भू-खण्डों के आवंटन हेतु विज्ञप्ति राज-पत्र में दिनांक 24-11-83 को जारी हुई थी। इन रिक्त भूखण्डों से चार भूखण्ड एक इकाई को उनके पक्ष में निरस्त भूखण्डों के एवज में परिवर्तित करते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16-11-83 द्वारा आवंटन किये गये थे, जो आवंटन न होकर परिवर्तन का मामला था तदुपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों को भी निदेशालय से 22-11-83 द्वारा सूचित कर दिया था कि उक्त इकाई के पक्ष में किये गये परिवर्तित भूखण्डों को रिक्त न समझा जावे। वर्तमान में उच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई रिट याचिका विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

सरपंच द्वारा सार्वजनिक प्याऊ के निर्माण की राशि का दुरुपयोग

807. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री बाबूलाल बैरवा)

करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत, रौनीजाण पंचायत समिति, कठूमर जिला अलवर के सरपंच ने कुछ दिन पूर्व अपने सरपंच काल में, ग्राम घोसराना में सार्वजनिक प्याऊ के निर्माण की राशि पंचायत कोष से उठायी थी ?

(2) यदि हां, तो किस आधार पर राशि उठाई गई है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम घोसराना में रुपये 5,000/- की लागत से सार्वजनिक प्याऊ निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर व्यय किया गया है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

व्याख्याता को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति

808. श्री गोविंदसिंह (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 11 जनवरी, 1985 को राज्य सरकार द्वारा व्याख्याता संघ से वार्ता में यह निर्णय लिया गया था, कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा को सीधा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर 80% पदोन्नति दी जायेगी ?

(2) यदि हां, तो इस निर्णय की क्रियान्विति में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) यदि नहीं, तो राज्य सरकार कब-तक इस निर्णय को लागू करने का विचार रखती है ?

(4) क्या जब तक यह निर्णय क्रियान्वित नहीं किया जाता है तब तक हायर सैकण्डरी के प्रधानाध्यापक पद पर अन्य अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चर्चा हुई थी।

(2) प्रस्ताव का परीक्षण करवाया जा रहा है।

(3) प्रकरण के सभी पहलुओं के परीक्षण के पश्चात् ही कोई कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) जी नहीं।

बून्दी जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के पदों की पूर्ति

809. श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदों पर अध्यापक नहीं लगाये गये

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार कब तक उक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं के कुल 2023 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 128 पद रिक्त हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

गेहूं उत्पादन

810. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कितना गेहूं पैदा हुआ तथा पिछले वर्ष कितने गेहूं की सरकारी खरीद हुई ?

(2) इस वर्ष कितने गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना खरीदा गया ? यह पूर्ण वसूली का कितना प्रतिशत है ?

(3) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1983-84 में अनुमानत: 34,41,638 मै. टन एवं वर्ष 1984-85 में अनुमानत: 27,94,536 मै. टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। वर्ष 1983-84 के उत्पादन में से वर्ष 1984-85 में समर्थन मूल्य पर 2,17,359 मै. टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है।

(2 इस वर्ष 1985-86 में 2 लाख मै. टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया गया तथा उसी के अनुरूप तैयारी की गई थी, परन्तु समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 37,281 मै. टन की हुई। यह लक्ष्य का 18.5 प्रतिशत है।

(3) केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए गेहूं खरीदने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

राज्य बीमा पालिसीज की परिपक्वता अवधि

811. श्रीमती सुधा देवी (मण्डावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सभी राज्य कर्मचारियों की बीमा विभाग द्वारा की गई बीमा पालिसी की मैच्योरिटी तारीख बढ़ाई गई है ?

(2) मैच्योरिटी तारिख में वृद्धि करने से क्या सभी कर्मचारियों की बीमा राशि में वृद्धि की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती सुधादेवी)

(3) क्या 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की बीमा पालिसी की राशि में कोई वृद्धि न होने का पूर्व से ही नियम है ? यदि हां, तो क्या इस नियम में भी आयु सीमा की वृद्धि की गई है ?

(4) कर्मचारियों की आयु 50 वर्ष से अधिक होने के कारण बीमा राशि में वृद्धि न होने पर भी उनकी मैच्योरिटि डेट में वृद्धि करना व उनकी बीमा राशि का रोकना कहां तक न्यायोचित है ?

(5) प्रश्न के भाग (4) में उल्लिखित प्रकार के मामलों में प्रिमियम में वृद्धि की राशि (जी. पी. एफ) में जमा होगी फिर मैच्योरिटी तारीख में वृद्धि कैसे उचित है ?

(6) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के मामले में कर्मचारी के ओप्शन पर बीमा राशि देने या न देने का नियम में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की पालिसी में भी उनकी परिपक्वता स्वत्व तिथि की वृद्धि के परिणामस्वरूप बीमा धन में वृद्धि हुई है। ऐसे कर्मचारियों से बीमा कटौती दर में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती क्योंकि 50 वर्ष से अधिक आयु होने पर बीमा धन में देय प्रीमियम के अनुपात में कमी रहती है और इस प्रकार यह उन्हें लाभदायक नहीं रहता। इसलिए इस आयु सीमा में वृद्धि नहीं की गई है ?

(4) 50 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मामलों में भी उनके जीवन पर पूर्व में जारी किये समस्त बीमा अनुबन्धों की परिपक्वता तिथि में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उनके बीमा धन में स्वतः वृद्धि हो गयी है : ऐसे मामलों में परिपक्वता स्वत्व की राशि 58 वर्ष की आयु के आधार पर ही देय है क्योंकि राज्य बीमा योजना राजस्थान सेवा नियम के प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है और उनकी सेवा शर्तों में यह सम्मिलित है। अतः राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी बीमा पालिसी का बीमा धन कर्मचारियों को उसकी सेवा निवृति की आयु के आधार पर ही दिया जाता है।

(5) यह सही है कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों से बीमा की कटौती में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती और पूर्व में जारी बीमानुबन्धों हेतु दिये जाने वाले प्रीमियम एवं वेतन खण्ड दर के अनुसार देय प्रीमियम के अन्तर की राशि सामान्य प्रावधायी निधि में जमा की जावेगी परन्तु उनके जीवन पर जारी पूर्व बीमानुबन्ध 58 वर्ष के आधार पर परिपक्व होंगे। अतः उन्हें उसी तिथी को ही बीमा धन की राशि दी जा सकती है।

(6) चूंकि राज्य बीमा योजना कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है और उनकी सेवा शर्तों के अधीन है अतः मामलों में विकल्प नहीं दिया जा सकता।

कर्मचारियों के जी. पी. एफ. लेखों का संधारण

812. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के जी. पी. एफ. के लेखे महालेखाकार कार्यालय से बीमा विभाग में हस्तांतरित हुए हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि महालेखाकार कार्यालय से जी. पी. एफ. (balance) प्रति वर्ष कर्मचारियों को सूचित किया जाता था जबकि बीमा विभाग द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, समस्त कर्मचारियों को 31 मार्च, 1985 तक उनके खाते में जमा राशि से कब तक सूचित कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की किश्तों को जी. पी. एफ. में जमा किया गया है ? यदि हां, तो कितनी तथा क्या उनका समायोजन कर्मचारियों के लेखे में किया जा चुका है ?

(4) जिन कर्मचारियों ने तीन साल तक ऋण नहीं लिया है क्या उसे अधिक ब्याज दर से गणना कर उनके खातों में जमा किया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने जो राशि इम्पाउण्ड के रूप में जमा की थी, उसका भुगतान 31 मार्च, 1985 के बाद कर्मचारियों को करना था ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। 1-10-1979 से।

(2) जी हां। महालेखाकार कार्यालय में जी. पी. एफ. के मात्र वैकल्पिक खातों का संधारण होता था जबकि मई, 80 से राज्य सरकार द्वारा महगाई भत्ते की एक किश्त की आधी राशि जी. पी. एफ. खाते में जमा कराये जाने के निर्णय से यह योजना समस्त राज्य कर्मचारियों पर लागू हो गई जिससे खातों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 के वार्षिक लेखा विवरण पत्र जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 81-82 के 5 जिलों को छोड़कर समस्त जिलों के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। वर्ष 82-83 के लेखा विवरण पत्र इस वर्ष के अन्त तक जारी कर दिये जावेंगे। वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र वर्ष 1986 के अन्त तक जारी किये जाने की संभावना है। जयपुर जिले के कर्मचारियों का वर्ष 83-84 एवं आगे का कार्य मशीनीकरण (Computerisation) द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है जिसके मार्च, 1986 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(3) दिनांक 1-5-80 से महंगाई भत्ते की किश्त की 50 प्रतिशत राशि एवं एक किश्त 1-4-82 से और एक किश्त दि. 1-9-82

(वित्त मंत्री)

से राज्य कर्मचारियों के जी. पी. एफ. खाते में जमा की जा रही है।

(4) जी हां। जो कर्मचारी 3 वर्ष तक अपने जी. पी. एफ. खाते में जमा राशि से कोई ऋण नहीं लेता है उन खातों पर 1 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज दिया जाता है।

(5) जी नहीं। सामान्य भविष्य निधि (राजस्थान सेवायें) नियम 1954 के प्रावधानानुसार जी. पी.एफ. खाते की राशि का भुगतान सेवा निवृत्त होने, सेवा त्यागने आदि पर किया जाता है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सेवा में रहते हुए भी जमा राशि का 50 प्रतिशत एवं पुत्री की शादी के लिए 75 प्रतिशत अन्तिम आहरण (फाइनल विथड्रावल) स्वीकार किया जाता है।

अजमेर के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

813. श्री ललित भाटी (केकड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले के कितने गांव पेयजल योजना से जुड़े हुए है और क्या उन्हें जनसंख्या के आधार पर जोड़ा गया है? यदि हां, तो कितनी जनसंख्या के आधार पर? कृपया पंचायत समितिवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में सन् 1980 से 1985 के बीच कितने गांवों को जल प्रदाय योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित था और उनमें से कितनों को जोड़ा गया? शेष को न जोड़ने के क्या कारण रहे? कृपया सकारण गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सन् 1985-86 में इस जिले में कितने गांवों को जल प्रदाय योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? कृपया पंचायत समिति एवं गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले के 815 गांव मार्च, 1985 तक पेयजल योजना से लाभान्वित किये जा चुके हैं। जी नहीं। ग्रामों का चयन समस्याग्रस्त होने के आधार पर किया गया है।

(2) वर्ष 1980 से 1985 के बीच में 712 ग्रामों को पेयजल योजना से जोडा जाना प्रस्तावित था एवं सभी ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

(3) वर्ष 1985-86 में पेयजल योजना से लाभान्वित किये जाने वाले ग्राम विचाराधीन हैं।

विधवा पेन्शन

815. श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधवा पेन्शन इस समय राज्य में कितनी औरतों को मिल रही है? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर ग्रामीण बेरोजगारों की नियुक्ति

816. श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराये): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने पर सम्बन्धित अध्यापक अपना स्थानांतरण निरस्त करा लेते हैं ? इस स्थिति के निवारण हेतु क्या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षक पद पर कम वेतन देकर लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अधीन ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों में ऐसी स्थिति नहीं है। केवल कुछ विद्यालयों में ही कुछ पद रिक्त हैं। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन हैं।

(2) जी नहीं, कुछ अध्यापक अपने गृह जिलों में अवश्य स्थानांतरण करा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को कम वेतन पर अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है। शिक्षित बेरोजगार यदि अध्यापक के पद पर निर्धारित योग्यता रखते हैं तो वे नियमानुसार उचित माध्यम से अध्यापक के पद पर नियुक्ति पा सकते हैं।

बानसूर क्षेत्र की ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा

817. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर के मोठूका, फतेहपुर, कल्याणनगर, बानसूर, भूबसेड़ा, चूला, रघुनाथपुरा, खेड़ा, श्यामपुरा, कानपुरा, रामनगर माजरा, बालावास, रसनाली, नवलपुरा, महनपुर, लोयती, उछपुर, ढाकला, सांथलपुर, नांगल कोथल, रामपुर, केहरपुरा, बेरा नांगल, लाखा, कोठिया, पालाकाबास, भाखरवाला, मोरोड़ी, खोरी, निमूचाना आदि गांवों की ओलावृष्टि के कारण समस्त फसलें चौपट हुई थी ?

(2) क्या पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा फसलों की क्षति के कारण मुआवजा देना तय हुआ था ?

(3) क्या सरकार ने पीड़ित किसानों को मुआवजा प्रदान कर दिया था ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील के 21 गांवों में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत या अधिक क्षति होने वाले प्रभावग्रस्त गांवों की सूची राजस्थान राज-पत्र दिनांक 20-4-1985 में अधिसूचित की गई है जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. कोथल 2. बाढ़मावसिंह 3. बचियावास 4. साथलपुर 5. बानसूर 6. श्यामपुरा 7. हरसोरा 8. बाढ़पुरोहित

(52)

(कृषि मंत्री)

9. नारोल 10. बाढ़ घघला 11. वामन-वास 12. मूरियावास 13. तालवास 14. बाबली का बास 15. किशोरपुरा 16. माजरा रावत 17. भूपखेड़ा 18. रघुनाथपुरा 19. चूला 20. कल्याण नगर 21. गुवाड़ा

इसके पश्चात जिलाधीश अलवर ने अपने पत्र संख्या 4157–58 दिनांक 18-7-85 के द्वारा सूचित किया है कि अन्तिम सूचना के अनुसार 50% से अधिक खराब वाले अलवर जिले के केवल निम्न चार गांव ही बचे हैं :—

नाम तहसील	नाम ग्राम
तिजारा	1–अलावमपुर
	2–गहनकर
	3–मौसमपुर
किशनगढ़	4–बोलनी

इस प्रकार बानसूर तहसील में अब कोई भी ऐसा गांव नहीं रहा जिसमें ओला-वृष्टि से 50% से अधिक खराबा हुआ है।

(2) पीड़ित किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा अलवर जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित 25 गांवों के लिए उनके द्वारा दी जा रही फसलों पर वांछित आदानों पर रुपये 3.75 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाने का निम्न प्रकार प्रावधान किया गया है :—

(क) लघु कृषक को	25 प्रतिशत
(ख) सीमांत कृषक को	$33\frac{1}{3}$,,
(ग) अनुसूचित जाति एवं जन जाति कृषक को	50 प्रतिशत

(3) रुपये 3.75 लाख की अनुदान राशि जिलाधीश अलवर को आवंटित कर दी गयी है जिसका उपयोग खरीफ 1985 में किया जावेगा।

खराब भूमि में जिप्सम डालने हेतु सब्सिडी

818. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंजाब व हरियाणा की तरह खराब जमीनों में जिप्सम डालने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1 व 2) जी हां। वर्ष 1985-86 से राजस्थान के 11 जिलों में कृषि विभाग के माध्यम से खराब जमीनों में जिप्सम के डालने पर अनुदान कृषक श्रेणी के अनुसार निम्न प्रकार से देय है :—

(क) लघु, सीमान्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक कुल लागत का 75 प्रतिशत।

(ख) अन्य सामान्य कृषक–कुल लागत का 50 प्रतिशत।

खेतड़ी क्षेत्र में कुओं से पेयजल व्यवस्था

819. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मालाराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कितने ग्रामों को कुओं द्वारा पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है ? उपलब्ध करवाये गये कुओं द्वारा पेयजल सप्लाई कितनों पर चालू है और कितने बन्द अथवा खराब पड़े हैं ? कृपया ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि कुछ ऐसे पेयजल कुओं के कनेक्शन काट दिये गए हैं, जिनके बिल जमा नहीं हुए हैं ? क्या बिल जमा न होने के प्रमुख कारणों में पानी की सप्लाई न होना भी है ? क्या सरकार ऐसे कुओं की जांच कर इन्हें पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पेयजल अनुपलब्ध ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु खेतड़ी क्षेत्र के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के 60 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है एवं 51 योजनायें चालू हैं। 9 ग्राम जिनमें योजनायें बन्द है। ग्रामों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) बिजली के बिल जमा न होने पर 9 टी. एस. एस. योजनाओं के कुओं के कनेक्शन काटे हुए हैं। जी हां। इसका एक कारण पानी की सप्लाई न होना है। कुओं की जांच कर पुनः चालू करना विचाराधीन है।

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रकार निर्धारित होने पर इस राशि का निर्धारण किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

कृषि गणना विभाग के आयुक्त

820. श्री ग्यारसीलाल (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि गणना विभाग में सन् 1981 से लेकर अब तक कमिश्नर के पद पर किन किन अधिकारियों ने काम किया है ?

(2) इस विभाग द्वारा गणना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) कृषि गणना विभाग में सन् 81 से लेकर 21-2-82 तक श्री आनन्द मोहन लाल ने कमिश्नर के पद पर कार्य किया 15-3-84 से अब तक श्री आर. वी. सोनटके कमिश्नर के पद पर कार्यरत है।

(2) इस विभाग द्वारा कृषि गणना आधार कृषि वर्ष 1970-71 आधार कृषि वर्ष 1976-77 और आधार कृषि वर्ष 1980-81 पूर्ण की गई। उपरोक्त कृषि गणनाओं में जोतधारकों की संख्या, उनके द्वारा जोता गया कुल क्षेत्रफल जोतधारकों के काश्तकारी का स्तर, जोतधारकों का

(राजस्व मन्त्री)

भूमि उपयोग का विवरण, साधनवार निरा सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित और असिंचित जोतधारकों की संख्या, फसलवार कुल सिंचित व असिंचित क्षेत्रफल, भू खण्डों की संख्या, जोतधारकों द्वारा उर्वरक एवं कीट नाशक दवाइयों का प्रयोग तथा उनके पास कृषि यन्त्र एवं उपकरण की संख्या के विषय में सूचना संकलित की गई। सूचना का सारणीकरण कर कृषि गणना वर्ष 1970-71 और कृषि गणना 1976-77 का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर एवं 1980-81 का प्रारम्भिक प्रतिवेदन मुद्रित कराया गया।

प्रतिवेदन 1970-71 पृष्ठ 254, प्रतिवेदन 1976-77 वोल्यूम-1 पृष्ठ 222, वोल्यूम-2 पृष्ठ 469 व 1980-81 का प्रारम्भिक प्रतिवेदन 43 पृष्ठ का है। प्रतिवेदनों की प्रतियां संलग्न हैं।

स्पीडर टायर एण्ड ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी पर बिक्रीकर की बकाया

821. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्पीडर टायर एण्ड ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि., 39 एफ, विश्वकर्मा इण्स्ट्रीयल एरिया जयपुर पर कितना बिक्री कर कब से बकाया है ?

(2) उक्त फर्म का मालिक कौन है ?

(3) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए ?

उत्तर

(1) मै. स्पीडर टायर एण्ड ट्यूब मैन्यू. कं. प्रा. लि. 39, एफ, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर में निम्न प्रकार बिक्री कर बकाया है :—

आदेश की दिनांक	कर निधारण वर्ष	बकाया राशि
8-4-75	71-72 व 72-73	20.68 (आर. एस. टी)
11-2-82	74-75	17781.77
11-2-82	75-76	12832.07
11-2-82	74-75	330.00 (सी. एस. टी.)
	कुल बकाया	30964.52

(वित्त मन्त्री)

(2) उक्त फार्म प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसके अध्यक्ष एवं संचालक निम्न-लिखित हैं—

अध्यक्ष–1.	श्री एस. के. मित्तल	इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एडवाईजर (रिको) उद्योग भवन, जयपुर।
संचालक–2.	श्री वी. वी. रमन	सीनियर मैनेजर (ईण्टरनल आडिट) (रिको) उद्योग भवन, जयपुर।
3.	श्री एम. एल. भार्गव	चीफ मैनेजर (प्रोडक्ट्स) (रिको) उद्योग भवन, जयपुर।
4.	श्री प्रदीप माथुर	सी-56 लाल कोठी मार्ग, सीवाड़ एरिया, बापू नगर, जयपुर।

(3) उक्त कम्पनी 75-76 के बाद से ही बन्द है। राजस्थान इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन, जयपुर द्वारा अधिग्रहित की हुई है जिनसे वसूली के लिए बराबर प्रयास किये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान सरकार ने तीनों विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये निश्चित योजना स्वीकृत की है ? यदि हां तो कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके सेवाकाल में पदोन्नति की कोई व्यवस्था वर्तमान में है ? यदि नहीं तो क्या विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों में पदोन्नति संबंधी इस विसंगति से महाविद्यालय शिक्षकों में असंतोष नहीं बढ़ रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस विसंगति को दूर करने हेतु महाविद्यालय शिक्षकों के लिये भी पदोन्नति योजना लागू करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य के महाविद्यालयों में कार्यरत कालेज शिक्षकों को उनके सेवाकाल में राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियमों में पर्याप्त पदोन्नति के प्रावधान उपलब्ध हैं, अतः असंतोष का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

(54)

एस. टी. सी. में प्रवेश हेतु आयु सीमा

823. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एस. टी. सी. में प्रवेश पाने के लिए प्रवेशार्थियों की आयु सीमा 20 वर्ष रखी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि की दृष्टि से सरकार भविष्य में आयु सीमा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। एस. टी. सी. में प्रवेशार्थ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी है एवं अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष। सामान्यत: विद्यार्थी 16 से 18 वर्ष की आयु सीमा में हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण हो जाते हैं एवं जो छात्र अग्रिम अध्ययन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते एवं एस. टी. सी. करना चाहते हैं उनके लिये 20 वर्ष की आयु सीमा उपयुक्त है। सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ जाने से एस. टी. सी. में प्रवेशार्थ अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

तारागढ़ (अजमेर) विकास योजना

824. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तारागढ़ (अजमेर) विकास योजना में अब तक कितनी रकम खर्च हुई है, तथा योजना में कुल राशि कितनी व्यय होगी ?

(2) अब तक व्यय की गई राशि में से नगर सुधार न्यास, अजमेर व नगर परिषद द्वारा कितनी-कितनी रकम लगाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास एवं नगर परिषद के द्वारा इतनी बड़ी राशि लगाने से इनकी अपनी योजना पूरी नहीं हो पाई ?

(4) तारागढ़ विकास योजना के पूर्ण हो जाने के बाद राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) तारागढ़ विकास योजना पर अब तक कुल 29.54 लाख रुपये खर्च हुए हैं तथा इस योजना पर 133.55 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(2) अब तक नगर सुधार न्यास ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को 28.50 लाख की राशि भिजवाई है, इसमें 10 लाख रुपया नगर परिषद के अंशदान के रूप में सम्मिलित है.

(3) जी नहीं।

(4) तारागढ़ विकास योजना अजमेर शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए है। इसलिए अभी प्राप्त होने वाली आय के बारे में कहना सम्भव नहीं है।

चिकित्सा अधिकारी, सोजत द्वारा प्राप्त यात्रा भत्ता

825. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)
श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री माधवसिंह दीवान)

करेंगे:—

(1) पिछले तीन वर्षों में सोजत चिकित्सालय के इन्चार्ज ने कितना-कितना यात्रा भत्ता किस-किस माह की यात्रा बाबत उठाया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन यात्राओं को उचित मानते हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जोधपुर में दूरबीन नसबंदी शिविर

826. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर में मार्च, 1985 के अन्तिम सप्ताह में दूरबीन द्वारा नसबंदी शिविर महिला बाग हयूसन अस्पताल में लगाया गया ?

(2) यदि हां, तो उसमें 24-3-1985 को कितनी महिलाओं का ऑपरेशन किया गया ?

(3) क्या इस शिविर के पूर्व एक पर्चा मुख्य एवं उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोधपुर द्वारा निकाला गया जिसमें रु. 158 की राशि, लाटरी का टिकट व रु. 25 का स्टील सेट देने की घोषणा की गई थी ?

(4) क्या उन महिलाओं को उक्त घोषणानुसार इनाम दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या उनकी रसीद ली गई ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 24-3-85 को महिला बाग में नसबंदी शिविर लगाया गया था।

(2) महिलाओं का इस शिविर में आपरेशन किया गया था।

(3) जी हां।

(4) महिलाओं को नियमानुसार रुपये एवं लाटरी का टिकट दिया गया। 25/- रुपये कीमत का स्टील सेट जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण उक्त शिविर में नहीं दिया गया।

बाड़मेर जिले में चिकित्सा भवनों का निर्माण

827. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में लगातार अकाल के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण जन सहयोग के अभाव में नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या

(56)

(श्री हेमाराम चौधरी)

विभाग सरकारी धन से भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या विभाग उपरोक्त केन्द्रों पर स्टाफ के रहने के लिए भवन बनाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर योजनाबद्ध तरीके से विचार किया जायेगा।

(2) जी हां, योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जायेगा।

गोविन्दगढ़ हास्पिटल की एक्स-रे मशीन

828. श्री रघुवर दयाल (रामगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गोविन्दगढ़ (अलवर) अस्पताल में एक्स-रे मशीन कब खरीदी गई एवं उसका लागत मूल्य क्या था?

(2) इस एक्स-रे मशीन से पिछले दो वर्षों में कितने एक्स-रे खींचे गये? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(3) क्या उक्त मशीन गत काफी समय से खराब है? यदि हां, तो कब से व किन कारणों से तथा अब तक ठीक नहीं कराये जाने से रोगियों को हो रही असुविधा के लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) क्या सरकार जिम्मेदार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही व एक्स-रे मशीन को शीघ्र ठीक कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) एक्स-रे मशीन दिनांक 27-4-78 को क्रय की गई, जिसका लागत मूल्य 28,200/- रुपये है।

(2) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली व अर्थिंग व्यवस्था की सुविधा नहीं होने से एक भी एक्स-रे नहीं खींचा गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं। बिजली व अर्थिंग व्यवस्था नहीं मिलने के कारण प्लान्ट बन्द है। बिजली बोर्ड से बारम्बार सम्पर्क किया जा रहा है।

(4) बिजली बोर्ड द्वारा व्यवस्था होने के बाद एक्स-रे मशीन शीघ्र चालू हो जायेगी।

कुचामन नमक झील

829. श्री हरिशचंद्र कुमावत (नावां): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुचामन नमक झील में कितने प्लाट कब से खाली पड़े हैं?

(2) इन प्लाटों को आवंटन हेतु कितने पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं? क्या उन

(श्री हरिशचन्द्र कुमावत)

आवेदनों के ज़रिये प्लाटों को आवंटन किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) कुचामन झील में चालू नमक उद्योग में कितने श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है ? खाली प्लाटों के आवंटन के बाद इसमें कितनी नमक के उत्पादन में वर्षवार कितनी सम्भावित वृद्धि होगी।

(4) नावां तहसील के अन्य नमक उत्पादन क्षेत्रों में रिक्त पड़े प्लाटों का आवंटन कब तक किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) कुचामन लवण क्षेत्र में कुल 52 भू-खण्ड रिक्त हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. 5 भूखण्ड वर्ष 1962 से रिक्त हैं।
2. 5 ,, ,, 1963 से रिक्त हैं।
3. 6 ,, ,, 1974 से रिक्त हैं।
4. 7 ,, ,, 1977 से रिक्त हैं।
5. 29 ,, ,, 1980 से रिक्त हैं।

(2) कुचामन लवण क्षेत्र में खाली भू-खण्डों के आवंटन हेतु 504 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

(3) कुचामन लवण क्षेत्र में वर्तमान में लगभग तीन हजार श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। रिक्त भूखण्डों के आवंटन पश्चात् नमक उत्पादन में लगभग 28 हजार मै. टन की वृद्धि हो सकेगी।

(4) नावां तहसील के अन्य लवण उत्पादन क्षेत्रों में रिक्त पड़े भू-खण्डों के आवंटन संबंधी मामला विचाराधीन है।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

830. श्री शिवचरण सिंह (करौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के कौन-कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं व कौन कौन भारत सरकार ने पिछड़े मान रखे हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार की सिफारिश की ओर ध्यान न देकर अपने स्तर पर ऐसा निर्णय करती है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये गये आर्थिक सूचकांक (इकोनोमिक इण्डीकेटर) के आधार पर 18 जिलों को "राज्य औसत से नीचे" मानकर उन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये थे–भारत सरकार द्वारा इनमें से 16 जिलों को ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया। राज्य सरकार ने तो सम्पूर्ण प्रदेश को ही पिछड़ा मानकर इसे पिछड़ा घोषित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित 16 पिछड़े जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूंकि ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जाता

(58)

(उद्योग मंत्री)

है अतः वह स्वविवेक गुण-अवगुण के आधार पर प्रस्ताव अस्वीकृत भी कर सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

रीको द्वारा उत्पादित टीवी सैट्स

831. श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (रीको) द्वारा टेलिविजन सैट्स का उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया ? उत्पादन के वर्ष से लगाकर आज तक किस-किस वर्ष में कितने टी. वी. सैट्स का उत्पादन व विक्रय किया गया ? कृपया वर्षवार आंकड़ा सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक बेचे गये कितने सेट्स किश्तों पर विक्रय किये गये और किश्तों पर विक्रय किये गये सेट्स में कुल कितने सेट्स की सम्पूर्ण राशि का चुकारा रीको को हो चुका है ?

(3) किश्तों पर बेचे गये कितने सेट्स की धनराशि अभी तक रीको की लोगों में बकाया पड़ी है ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बकाया कुल राशि में से कितनी राशि भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, मन्त्रियों, विधायकों व संसद सदस्यों में बकाया है।

(5) रीको द्वारा उक्त रकम अब कब तक वसूल कर ली जावेगी ?

(6) रीको को प्रत्येक वर्ष में टी. वी. सेट्स के निर्माण में अब तक कुल कितना मनाफा रहा है ? कृपया वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) हां, रीको टी.वी. को आसान किश्तों पर बेचने की योजना बनाई थी। मार्च, 1985 तक किश्तों पर 13,767 टी.वी. सेट्स बेचे गये जिनका मूल्य 442, 47239.69 है। ऐसे सेटों की संख्या जिलेवार निम्न प्रकार है:—

जयपुर	11,442	रुपये	35824767.67
अजमेर	1,518	रु.	5379353.59
गंगानगर	789	रु.	2883259.09
कोटा	7	रु.	29111.60
टौंक	7	रु.	29111.60
सीकर	22	रु.	93365.58
भरतपुर	2	रु.	8,270 56
	13 767	रु.	4,42,47,239 69

(2) किश्तों पर बेचे गये टी.वी. सेट भुगतान की योजना निम्न प्रकार थी:—

1. जून, 82 तक 12, 24 व 36 किश्तों में

(उद्योग मंत्री)

2. जुलाई 82 से अगस्त, 82:– 18 किश्तों में

3. सितम्बर, 83 से अगस्त, 84 तक:- 16 किश्तों में।

हां, किश्तों पर बेचने की योजना सितम्बर, 84 से स्थगित कर दी गई। किश्तों पर बिकने वाले टी.वी. सेटों की वसूली की प्रक्रिया में दिक्कत होने व नकद राशि से अधिक सेट बिकने से किश्तों पर बेचने की योजना स्थगित कर दी गई।

मार्च, 1985 तक रु. 51,29, 995.44 रु. व 4 00 000 ब्याज राशि बकाया थी। इसकी वसूली के लिए बकायादारों को व उनके गारन्टरों को नोटिस दिये जा रहे हैं एवं विभागीय अधिकारियों से ऐसे कर्मचारियों के वेतन से वसूली हेतु पत्र व्यवहार किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार ऐसे बकायादारों को कानूनी नोटिस भी दिए गए हैं।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. (रीको) द्वारा टेलीविजन सेट्स का उत्पादन वर्ष 1976 से शुरू किया गया। उत्पादन के वर्ष से लगातार आज तक टी.वी. सेट्स के उत्पादन व विक्रय के आंकड़े वर्षवार निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	उत्पादन सेट्स	विक्रय सेट्स
1976-77	616	271
1977-78	2312	1490
1978-79	1572	2195
1979-80	1888	2226
1980-81	3316	3227
1981-82	4011	4046
1982-83	6202	5007
1983 84	3435	2727
1984-85	5642	5713
1985-86 (17 जुलाई तक)	653	576

अब तक 13,767 सेट्स किश्तों पर विक्रय किये गये और इन सेट्स में से 7,793 सेट्स की सम्पूर्ण राशि रीको को प्राप्त हो चुकी है।

(3) किश्तों पर बेचे गये 5, 974 सेट्स की धनराशि अभी तक रीको की लोगों में बकाया है जिलेवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

जिला	सेट्स
जयपुर	3836
गंगानगर	727
अजमेर	1389
सीकर	13
कोटा	6
टोंक	3
कुल योग :–	5974

(4) किश्तों की योजना में दो वर्ग रखे गये हैं (प्रथम) राज्य कर्मचारी (द्वितीय) सामान्य जनता। राज्य कर्मचारियों में रुपये 40,67,095.39 व सामान्य जनता में रुपये 7,31,013.05 माह जून, 1985 तक बकाया है। किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अलग से योजना नहीं थी।

(उद्योग मंत्री)

(5) उक्त बकाया रकम की वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत बकायादारों को व उनके गारन्टरों को नोटिस दिये जा रहे हैं। सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार कानूनी नोटिस भी दिये जा रहे हैं वसूली शीघ्र होने की आशा है।

(6) रीको को प्रत्येक वर्ष टी.बी. सैट्स के निर्माण में अब तक वर्षवार लाभ/हानि इस प्रकार है:—

वर्ष	लाभ (लाखों में)	हानि (लाखों में)
1976-77	—	1.79
1977-78	2.73	—
1978-79	12.75	—
1979-80	17.46	—
1980-81	17.66	—
1981-82	10.20	—
1982-83	12.02	—
1083-84	—	9.46
1984-85	हिसाब तैयार किया जा रहा है।	

पाली के विद्यालयों की क्रमोन्नति

832. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रैल, 1980 से अब तक पाली जिले में किन-किन प्राथमिक, एवं माध्यमिक शालाओं को कब-कब क्रमोन्नत किया गया ?

(2) अब किन-किन को क्रमोन्नत किये जाने का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव किया गया है ?

(3) इस प्रस्ताव के अनुसार इनको कब-कब क्रमोन्नत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) अप्रेल सन् 80 से अब तक पाली जिले में क्रमोन्नत प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी से वर्ष 1985-86 में विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) इस वर्ष 1985-86 में विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है अतः पाली जिले में विद्यालय क्रमोन्नत करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

वेतन से ऋणों की कटौती का वार्षिक प्रमाण-पत्र जारी करना

833. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का यह विचार है कि राज्य कर्मचारी द्वारा वेतन से चुकाये गये सब ऋणों व प्रीमियम इत्यादि का वार्षिक आधार पर एक प्रमाण-पत्र सबन्धित विभागाध्यक्ष उसे जारी कर दें,

(श्री कालीचरण सराफ)

ताकि वार्षिक आधार पर अदेयता हो सके, तथा सेवा निवृत्ति पर अनावश्यक परेशानी न हो ?

(2) यदि हां, तो कब तक सरकार इसे अमली रूप देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऋणों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी कराये जाने का राज्य सरकार का विचार नहीं है क्योंकि ऐसी सुविधा प्रत्येक राज्य कर्मचारी को पास बुक जारी करने के सरकार के निर्णय से उपलब्ध हो जायेगी। इस पास बुक में राज्य बीमा योजना एवं सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत की गई समस्त कटौतियों व ऋण वापसी के इन्द्राज नियमित रूप से किये जायेंगे।

(2) जी नहीं। ऋणों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण-पत्र संबन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी कराये जाने का राज्य सरकार का विचार नहीं है क्योंकि ऐसी सुविधा प्रत्येक राज्य कर्मचारी को पास बुक जारी करने के सरकार के निर्णय से उपलब्ध हो जायेगी।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 4-7-1985)

राजस्थान नहर की चारणवाला शाखा

105. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) : श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चारणवाला शाखा की आर. डी. 25 से आर. डी. 30 तक लेवल में डिजायन के मुकाबले 2.5 फीट का अन्तर पाया गया है ? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध क्या कानूनी व विभागीय कार्यवाही की गई है ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) राजस्थान नहर में किस-किस नहर का लेवल व निर्माण डिजायन के मुताबिक नहीं पाया गया है। कृपया नहर वार विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) राजस्थान नहर निर्माण में किस-किस अभियन्ता को, किन-किन कार्यों में दोषी पाया गया है ? दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कानूनी व विभागीय कार्यवाही की है। कृपया विवरण मय आरोप-पत्र व अभियन्ताओं के नाम सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। चारणवाला शाखा की बुर्जी 25-30 के लेवल्स में डिजायन के मुकाबले कोई अन्तर नहीं है अतः किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(2) मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनायी नहरों में निम्न नहरों पर त्रुटियां रह गयी:–

(1) शेरपुरा लालेवाली बुर्जी 5 से 8 वितरिका

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) गेगड़ा माइनर बुर्जी 5 से 12
(3) माहिवाला माइनर बुर्जी 5 से 12
(4) दांतनवाला माइनर बुर्जी 38 से 48
(5) सियासर माइनर बुर्जी 1 से 12
(6) खशानवाला माइनर बुर्जी 1 से 4.8
(7) चारण वितरिका बुर्जी 25 से 50
(8) ऐरीवाली माइनर बुर्जी 25 से 32
(9) बीकानेर लूनकरणसर नहर बुर्जी 120 से 181

(3) उपरोक्त पैरा दो में वर्णित क्रम संख्या 1 से 8 पर वर्णित नहरों में कुल 17 कि. मी. लम्बाई में मामूली त्रुटियां पायी हैं जो कुल 3014 कि. मी. लम्बाई के अनुपात में 0.6 प्रतिशत से भी कम है जो इतने बड़े क्षेत्र में फैले कार्य में अस्वाभाविक नहीं है। इन नहरों में रही त्रुटियों को मामूली व्यय पर ठीक करवा दिया गया है। व इन त्रुटियों हेतु सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर पर हुई त्रुटियों के सम्बन्ध में उत्तरदायी 22 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र कार्मिक व सिंचाई विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं। दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री जगजीत सिंह, अधिशाषी अभियन्ता — वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता
2. श्री डी. सी. चतुर्वेदी, अधिशाषी अभियन्ता — वर्तमान अधिक्षण अभियन्ता
3. श्री पी. एस. माथुर, सहायक अभियन्ता — वर्तमान अधिशाषी अभियन्ता
4. श्री राम लाल माथुर, सहायक अभियन्ता — वर्तमान अधिशाषी अभियन्ता
5. श्री बी. एल. लूथरा, अधिशाषी अभियन्ता
6. श्री आर. सी. माथुर, सहायक अभियन्ता
7. श्री बी. एन. माथुर, सहायक अभियन्ता
8. श्री आर. एन. सचदेवा, सहायक अभियन्ता
9. श्री जोगेन्द्र सिंह, उप अभियन्ता
10. श्री भजन सिंह उप अभियन्ता
11. श्री प्यारा सिंह, उप अभियन्ता
12. श्री केशव कुमार माथुर, उप अभियन्ता
13. श्री एस. के. पुरी, उप अभियन्ता
14. श्री सुखदेव चन्द, उप अभियन्ता
15. श्री आर. एल. शर्मा, उप अभियन्ता
16. श्री पी. सी. त्यागी, उप अभियन्ता
17. श्री लल्लू सिंह, उप अभियन्ता
18. श्री एन. के. भाटिया, कनिष्ठ अभियन्ता
19. श्री हरीश भंभानी, उप अभियन्ता
20. श्री हरदयाल सिंह, उप अभियन्ता
21. श्री लच्छी राम, उप अभियन्ता
22. श्री राधेश्याम, उप अभियन्ता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-7-1985)

नगरपालिकाओं द्वारा भूमि का स्थानान्तरण

444. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने अपने आदेश दिनांक 18-11-1983 के जरिये समस्त जिलाधीशों को जिले की नगरपालिकाओं के सीमा क्षेत्र के बिना नाम या ऐसी अन्य भूमियां नगरपालिकाओं को स्थानान्तरित करने के आदेश प्रसारित किए थे ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस आदेश के अनुसरण में जिला पाली में किन-किन नगरपालिकाओं को कितनी-कितनी बिना नाम या ऐसी ही सरकारी भूमि में से कितनी-कितनी भूमि का स्थानान्तरण किया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) इस आदेश के अनुसार कितनी भूमि का किन-किन नगरपालिकाओं को स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? कृपया इसके कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त आदेश के अनुसरण में पाली जिले में भूमि का स्थानांतरण नहीं किया गया है।

(3) उक्त आदेश के अनुसरण में पाली जिले में पाली नगर परिषद द्वारा नियमानुसार प्रीमियम जमा नहीं कराये जाने से ख. नं. 975 रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा बारानी दोयम व ख. नं. 1465 रकबा 3 बीघा बारानी दोयम का स्थानान्तरण नहीं किया जा सका है। नगरपालिका जैतारण सोजत व रायपुर से संबंधित जिन-जिन भूमि का स्थानान्तरण नहीं किया गया।

स्थगित प्रश्न

(17-7-1985)

जैसलमेर नगर में अनधिकृत कब्जे

457. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर शहर में कितने परिवारों के अनधिकृत कब्जे मार्च 1984 से जून, 1985 तक हटाये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या जिन गरीब लोगों के अनधिकृत कब्जे हटाए गये थे उनको वापिस रहने के लिए पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया उसकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) जिन अतिक्रमियों को पट्टे नहीं दिए गए हैं, उनको कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में मार्च, 1984 से जून, 1985 तक हटाये गये अनधिकृत

(64)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कब्जों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें हटाया गया था, वापिस बसाया गया है। ऐसे लोगों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था :

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री को लाइम स्टोन की खान की दी गई लीज के सम्बन्ध में।

(2) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई तहसील की बैरवाओं की ढ़ाणी में पीने के पानी के लिए हैंड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राष्ट्रीय बसें चलने के संबंध में।

(4) श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू, सीकर जिलों में पंचायत समिति द्वारा अध्यापकों के चयन के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर के सी. एम. एच. ओ. के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

(6) श्री दाऊदयाल जोशी और श्री हरिकुमार औदिच्य सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर में राशन की दुकानों पर घटिया किस्म के चावल की बिक्री के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव की परिसीमा में नहीं आते अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर सिमको फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर से श्रमिकों को ले-ऑफ देने के सम्बन्ध में। इस विषय पर 29-7-1985 को वक्तव्य रखा गया है। माननीय सदस्यों को उस समय स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान की ओर से मांगरोल तथा सांगोद कस्बों में साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में। इस विषय पर चर्चा हो चुकी है अतः मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से आकाशवाणी जयपुर से ब्रज लोकगीतों के प्रसारण के सम्बन्ध में। यह केन्द्र का विषय है तथा

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन का विषय भी नहीं है अतः मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की भी अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सहरावरा तहसील रामगज मंडी की एक बंजारन महिला के साथ पुलिस कर्मचारियों के द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अध्यक्ष, नगरपालिका जैतारण द्वारा अनियमित तौर से पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहनलाल बाकृपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में दो वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरिजन बस्ती, घाटोल के व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण की राशि पूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरिजन बस्ती, घाटोल के व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण की राशि पूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद में मिलावट व अनियमितताओं के संबंध में।

(7) श्री रमजान खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दोराई निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर की सात सौ बीघा कृषि भूमि आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त किये जाने के संबन्ध में।

(8) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोलायत निवासी ईश्वर लाल मेघवाल के घर में घुसकर पुलिस चौकी के इन्चार्ज द्वारा बलात्कार करने के प्रयास के संबन्ध में।

(9) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आबू पर्वत चुंगी चौकी के पास की जमीन बेचान के संबन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की भरतपुर कोतवाली में ले जाकर पिटाई करने से मृत्यु के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 11-5-1985 को 16 हजार फार्म विभिन्न महाविद्यालयों को भेजे गये थे। अतिरिक्त मांग आने पर 3 हजार नौ सौ फार्म और भेजे गए। किसी विद्यालय अथवा छात्रों से ऐसी सूचना नहीं आयी कि फार्मों का अभाव है। 10,906 आवेदन पत्र पुनर्मूल्यांकन के प्राप्त हुए हैं।

66

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री नारायण राम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भोपालगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा गबन के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 30 हजार रुपये के गबन में व्यवस्थापक, कैशियर और विक्रेता तीनों दोषी पाये गये। इसमें से 1,221/- रुपये के अतिरिक्त सारी राशि जमा हो चुकी है। कैशियर और विक्रेता को निलम्बित कर आरोप-पत्र दिये गये हैं और व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार को लिखा गया है।

(4) श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीय नगर योजना में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में घटिया सामान के उपयोग के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि मकानों की छतें लीक होने के सम्बन्ध में 13 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही कर निराकरण कर दिया गया है। मण्डल की टीम ने प्रत्येक सैक्टर में जाकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी किया है। अनधिकृत कब्जे का कोई मामला बोर्ड के सामने नहीं आया। 8,200 मकान आवंटित किये गये, उनमें से तीन हजार के कब्जे दे दिये गये हैं।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा रेकार्ड जलाये जाने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि अनुपयोगी कागज छांटकर जलाये गये थे। चालान, रसीदें, आवंटन-पत्र, भवन की कम्प्लीशन रिपोर्ट आदि से सम्बन्धित कागज नहीं जलाये गये।

(6) श्री जगमाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की सीमा पर निर्माणाधीन मसानी बैराज से 4 हजार बीघा जमीन डूब में आने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि भारत सरकार से चर्चा के बाद बैराज के पैरामीटर्स 8-12-1981 की बैठक में तय किये गये और एफ.आर.एल. 245 मीटर तय किये। इससे राजस्थान की कोई भूमि डूब में नहीं आती।

(7) श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर बांध में वर्षा से आये पानी को सिंचाई विभाग द्वारा निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि दिनांक 30-5-1985 की वर्षा से बांध में 93.50 फीट पानी भरा उस समय बांध के पाल का काम करवाया जा रहा था। इस कार्य को करने के लिए मोरी खोली गयी और कुछ पानी निकाला गया। उस समय 30-45 ग्रामवासी भी मौजूद थे और उनको इसके लिए कोई ऐतराज नहीं था। अब जल स्तर 92.50 फीट है।

(8) श्री चम्पालाल बांठिया, श्री हरिकुमार औदिच्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती विद्या पाठक और सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती लीलादेवी के साथ बलात्कार के प्रयास की रिपोर्ट पुलिस में करने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव...

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : मेरे चार प्रस्ताव

(व्यवधान)

आप रोज कहते हैं....

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य, जितने मैं ले सकता हूं उतने मैंने ले लिए। मैं आपका नाम भी पुकार लूंगा। कल आपने जो स्थगित करवाया उसके बाद बोलिए....

श्री सोपत सिंह (हनुमानगढ़) : मेरे स्थगन प्रस्ताव को तो सरकार के पास भेजा नहीं।

श्री कालीचरण सराफ : दो दिन के समय में कैसे आ पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें। जितना निकल सकता है, आज भी 7–8 निकाले हैं। कृपया बैठें। जितना मैक्सिमम ले सकते हैं मैं ले लूंगा...

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ललितकिशोरजी का जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारा भी है....

श्री अध्यक्ष : आपको यहां समय दूंगा। उस वक्त अगर होगा तो दूंगा मैं। माननीय सदस्य, कृपया बैठें, आर्डर प्लीज....

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सी. पी. आई. का है बहुत....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। कृपया सहयोग करें। कृपया बैठें। श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम में यही कहूंगा कि चिंगारी जब कोई भड़के तो सावन उसे बुझाये जब सावन ही आग न लगाये तो उसे कौन बुझाये। यही मामला है, अध्यक्ष महोदय। यही सवाल है, अध्यक्ष महोदय। मेरी बात का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर। बोलने दें माननीय सदस्य को, कृपया।

श्री हरीश शर्मा : रामगंज मण्डी तहसील खदान का क्षेत्र है। यह सबको पता है कि खदान में काम करने वाले अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, बंजारे लोग गरीब होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप क्या कहेंगे। यदि किसी गरीब के घर कोई सुन्दर लड़की पैदा हो जायं ? उसके लिये वह अभिशाप बन जाती है। यह होता है इस समाज के ठेकेदारों के कारण। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको ऐसा एक मामला बताना चाहता हूं जो बहुत सनसनी खेज है सामोद तहसील के रहने वाले छीतर बंजारे की लड़की कमली बंजारन वहां एक खदान पर काम करती है। बहुत बड़ा एरिया है सहराखदा। अध्यक्ष महोदय, वहां क्या हुआ कि छीतर की बेटी कमली का प्रेम जिसको आजकल लोग कहते हैं लव, खदान का एक बड़े ठेके-

(68)

(श्री हरीश शर्मा)

दार के छोटे पुत्र से हो गया ग्रौर काफी घनिष्ठ हो गया। लेकिन उसके माता-पिता ने, इस कमली के माता-पिता ने कहा, नहीं। सारे बंजारों ने विरोध किया कि ग्रपनी जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, छोरे के साथ नहीं जायेगी। अध्यक्ष महोदय, खेतों में लव प्रेम चलता रहा ग्रौर वह भी ग्रपना घर बार छोड़कर उस कमली के साथ रहने लग गया। वह कभी कमली के साथ यहां रहता, कभी उस गांव में रहता, कभी उस गांव में। कभी यहां कभी वहां। दोनों कभी इधर कभी उधर घूमते फिरते। ग्रच्छी तरह से प्रेम चलता रहा। इस प्रेम में ही इस कमली को उससे गर्भ रह गया। गर्भ ठहरने का परिणाम यह हुग्रा ग्रध्यक्ष महोदय, कि उसका बड़ा भाई ग्रर्थात् बना साहब मुझे बहुत दुख है, शर्म ग्राती है कहते हुए कि वह वहां की खैराबाद पंचायत के प्रधान का पुत्र है, ये बहुत शर्म की बात है....

श्री ग्रध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य संक्षेप में। कृपया बोलने दें उन्हें।

(व्यवधान)

Let him speak. जारी रखें।

श्री हरीश शर्मा : इन्होंने एक मर्डर, एक खून पहले किया। इनका एक पुत्र है वहां के कनवार गांव की एक ढाणी के इसी प्रेम के चक्कर में। न जाने कितने खून कर चुके हैं। इनका काम है पैसा देना, लालच देना ग्रौर गरीबों की सुन्दर लड़कियों को उठाकर उनके साथ व्यभिचार करना ग्रौर व्यभिचार करके छोड़ देना, मार देना या कत्ल कर देना। ग्रध्यक्ष महोदय, इतने कत्ल करने के बावजूद इनका कुछ हुग्रा नहीं। लेकिन इस बात में हुग्रा यह कि उसके बड़े भाई ग्रर्थात् बड़े बना को जब इस बात का मालूम पड़ा तो उसने कहा छोड़ दो इस लड़की को, मत करो शादी। उसने कहा, नहीं, मैं तो शादी इस कमली से ही करूंगा, इसी के साथ रहूंगा। ग्रौर छोटे बना ने राजपूती शान में ग्राकर प्रतिज्ञा ले ली कि प्राण जाये पर वचन न जाये। यह कह कर प्रतिज्ञा की उसने कि चाहे कुछ भी हो जाय, मेरे प्राण चले जायं पर कमली, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा ग्रौर जो पुत्र होगा या लड़की होगी। उसको मैं पालूंगा, पासूंगा। उसको विश्वास दिलाया, ग्रध्यक्ष महोदय, कि साथ रहूंगा। छोटे बना ने ग्रब ग्रपने भाई की बात नहीं मानी तो एक दिन क्या हुग्रा कि छोटा बना बाहर चला गया तो बड़े बना ग्रौर थानेदार मोढ़क साथ गये, वहां खदान में ग्रपना ग्राफिस था उस कार्यालय में जाकर बैठ गये। वहां से मुंशी को भेजा रात को 12 बजे इस कमली को बुलाने के लिये। कहा, कमली, चलो, तुम्हें थानेदार साहब ग्रौर बड़े बना साहब बुला रहे हैं। तो जब कमली ग्रौर कमली का पिता, दोनों ग्राये तो वहां ग्राकर थानेदार साहब ने कमली के पिता से कहा कि तुम तो वापस जाग्रो

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज....

श्री हरीश शर्मा : हम इसको समझा देंगे कि तुम उसका साथ छोड़ दो। पिता तो वापस ग्रा गया ग्रध्यक्ष महोदय। पिता के वापस ग्राते ही क्या हुग्रा, चार लोग थे बड़ा बना, एक थानेदार, एक मुंशी ग्रौर

(श्री हरीश शर्मा)

एक अन्य। चारों ने मिलकर उसका ब्लाउज उतार दिया, फाड़ दिया फिर उसका मुंह नोचा, नीचे डाल दिया....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा : फिर उसका मुंह बन्द कर दिया कपड़े से और रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक उसके साथ चारों ने बलात्कार किया। वह खून में लथपथ हो गई। उसके बाल कटवा दिये गये महसूस कराने के लिए। सब बड़े-बड़े लम्बे बाल कटवा दिये। स्त्री की शोभा बाल से होती है वह कटवा दिये। उसकी सारी इज्जत, सारी शान उतार ली और वहां से उसको भगा दिया। वह भागकर एक बस में जो कोटा जा रही थी बैठ गई कोटा बस में वह खून से लथपथ पड़ी रही। एक महिला यात्री ने उससे कहा कि ये तो ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ...

श्री हरीश शर्मा : तो उसने कहा कि मेरे साथ ये ये हुआ। रोने लग गई बस में ही। तो कमली को वह महिला राजस्थान पत्रिका के आफिस में लेकर आयी। वहां के लोगों ने कलेक्टर को फोन किया। कलक्टर कोटा भी महिला ही थी। कोटा कलक्टर ने कहा कि इसको पुलिस के कंट्रोल रूम में भेज दो, कार्यवाही हो जायेगी। लेकिन वह भयभीत थी पुलिस के नाम से कि पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख की बात यह है कि आज तक भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। भगवान करे इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। इनको यह नहीं होता। यह बहुत खतरनाक बला है और बला का परिणाम बाहर जनता देगी। हम यहां तो कमजोर हैं लेकिन बाहर पब्लिक कमजोर नहीं। माननीय, बला तो बाहर समझ आती है।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मामला है। ये तो....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें आप। माननीय सदस्या, Don't disturb please. आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : प्रधान और बदमाश सभी खराब हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री हरीश शर्मा : तो मुख्य सवाल यह है कि यदि खैरियत चाहते हो ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा : क्या पिछड़ी जाति और गरीब जाति में सुन्दर लड़कियां पैदा होना अभिशाप है, एक पाप है ? इस विकसित युग में भी क्या ये ठेकेदार बड़े लोग पैसे के बल पर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ? यह बहुत गम्भीर सवाल है कि पुलिस का भी इसमें हाथ था। 12 बजे रात में बलात्कार करने के लिए

(श्री हरीश शर्मा)

उसको बुलाया, यह कितना गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने पहले ही कहा था "चिन्गारी जब कोई भड़के तो सावन उसे बुझाये, सावन ही जब अगन लगाये तो उसे कौन बुझाये।" इस सवाल का जवाब कौन देगा ? इस आधार पर मैं चाहूंगा कि बलात्कार करने वाले, धोखा देने वाले, उनके प्रेम को आग लगाकर उजाड़ने वाले इन निम्न गिरे हुए घृणित लोगों के साथ कठोरतम कार्यवाही की जाये। यह मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं आपकी आत्मा तक देखना चाहता हूं कि आपके दिल में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, महिलाओं के प्रति इज्जत प्यार और सम्मान है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। हीरासिंह।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाये तो उस खेत का रखवाला कौन होगा....

श्री अध्यक्ष : आप बन जाइये।

श्री हीरा सिंह चौहान : निवेदन यह है कि मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जैतारण नगरपालिका में धार्मिक स्थान आये हुए हैं, सार्वजनिक स्थान आये हुए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष कभी भी नगरपालिका की मीटिंग बुलाते नहीं। उनका बहुमत भी नगरपालिका में नहीं है लेकिन राज्य सरकार से उसको सब प्रकार का वरदहस्त मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जैतारण नगरपालिका के अन्तर्गत सार्वजनिक धर्मशाला मोठियों की बगीची में लाखों रुपये नगर के लोगों के लगे हुए हैं जैतारण नगर में बाहर के लोगों के लिए ठहरने की एक मात्र जगह जो है वह सार्वजनिक धर्मशाला मोठियों की बगीची है। उसमें तीन मंदिर भी आये हुए हैं, कुआ आया हुआ है, टंकी बनी हुई है। इस मोठियों की बगीची की जमीन को नगरपालिका के अध्यक्ष ने बंजर और गड्ढे वाली बताकर जिला प्रशासन को सूचना देकर, आबादी भूमि में कंवर्ट करा लिया।

उस धर्मशाला का एक निजी ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन होता है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए इसी जमीन, जिस पर लाखों रुपये लगे हुए हैं, को खड्डा और बंजर वाली बताकर आबादी भूमि में परिवर्तित कराके नगरपालिका में ले लिया। अब उसी जमीन का दूसरों को पट्टा देने की कार्यवाही कर रहा है। इसके विरुद्ध वहां के नागरिकों ने जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को बार-बार ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार एक छतरी वाली बगीची है, हुकुम, जिसमें छतरी बनी हुई हैं। उसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। लेकिन अब नगरपालिका के अध्यक्ष ने तारीख 24.7.1985 को अपने हस्ताक्षर युक्त, सेक्रेटरी के भी दस्तख्त नहीं है, उसको नोटिस जारी कर दिया कि यह जमीन सार्वजनिक घोषित की जाती है, और इसका विक्रय किया जायेगा। मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह बात अर्ज की थी कि जब बाड़ ही खेत को

(श्री हीरासिंह चौहान)

खाने लग जाय तो उसकी रक्षा कौन करेगा। नगर पालिका अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है, कोई सरपंच हो, कोई भी नगर का अध्यक्ष हो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है, सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, इस प्रकार के बाग-बगीचों के रख-रखाव के लिए व्यवस्था करे लेकिन यह नगर पालिका अध्यक्ष, जैतारण भंवरलाल भाटी हैं वह सब प्रकार के जो सार्वजनिक स्थान हैं उनको नगर पालिका के अधीन लेकर नीलाम करके बेचना चाहता है और अनधिकृत रूप से धन कमाना चाहता है। उन रुपयों को भी वह सही उपयोग में नहीं लगायेगा, मनमाने तरीके से प्लान बनाकर उसमें खर्च करेगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सार्वजनिक मन्दिर, सार्वजनिक स्थान हैं उनकी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाय। अन्यथा जैतारण में अब और ज्यादा कोई सार्वजनिक स्थान नहीं हैं। एकमात्र धर्मशाला है, जबकि जैतारण एक कस्बा है, सब डिवीजन का मुख्यालय है। उसमें किसी प्रकार लोगों के ठहरने का स्थान है नहीं। एक मौजियों की बगीची है जहां पर लोग पिछले कई वर्षों से ठहर रहे हैं। उप खण्ड मुख्यालय दो तहसीलों का होने के कारण वहां के लोगों के रुकने का यही एक मात्र स्थान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौजियों की बगीची और छतरी वाली बगीची जो उसके अन्तर्गत आयी हुई हैं, दोनों को नगर पालिका अपने अधीन नहीं ले, उसे रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : एक आरोप लगाया है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, बैठें, कृपया। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया। मोहनलाल जी हैं।

आप तो अपने विचार कह दीजिये, पढ़ना तो सदन में मना है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पाइन्ट्स नोट कर रखे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री पढ़ते हैं उनको नहीं कहते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य पढ़ते हैं उनको नहीं कहते हैं।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव। नागौर जिले के जायल विधान सभा क्षेत्र के गांव कमेडिया में वर्ष 1983 में मिडिल स्कूल खोला गया था। उसमें 250 से 300 लड़के विद्या अध्ययन करते हैं। फिर भी आज तक मात्र दो ही अध्यापकों से बच्चों की पढ़ाई कराना असम्भव है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के....

श्री अध्यक्ष : आपका तो छात्रावासों पर था। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : थोड़ा विषय बता दें।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में छात्रवृति नहीं मिलने के सम्बन्ध में....

श्री मोहनलाल बारूपाल : हमारे नागौर जिले के अन्दर छात्रावास चलता है। उसमें लड़कों को एड दिया जाता है। कभी तो छः महीने में करते हैं मगर अब दो साल हो गये हैं। अभी मिली नहीं है। इस लिए आप लोगों से हम निवेदन करते हैं। टाइम पर एड दिलायी जाय।

आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपके लिए एक छोटी सी कविता पेश करता हूं।

यह जो महाराज संग्राम सिंह जी हैं यह सूरदास जी महाराज के शिष्य थे। संग्राम दास जी कहते हैं:–

"सुण हाकम संग्राम कहे आन्धो मत हो यारो
दूजा कै दो आख्यां थारै कजई चार
थारै कजई चार दो देखने बारे
दो हिया के माय उसी से न्याय सुधारे
जस अपजस रहसी अठै समय पाय दिन चार
सुण हाकम संग्राम कहे आंधो मत हो यार।"

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे, बिराजिये। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर देश की सबसे बड़ी ऊन मण्डी है। यहां करीब 45 मिल हैं जो गलीचे बनाने के काम में आने वाले धागे का निर्माण करती है। इस धागा बनाने के काम की इन मिलों में करीब 25-30 हजार मजदूर काम करते हैं। ऊन का धागा बना कर मुजफ्फर, उत्तरप्रदेश तथा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : जयपुर के बाजारों में भेजते हैं जहां से गलीचे बनकर देश विदेश में बिकने जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार की उपेक्षावृत्ति की वजह से देश की सबसे बड़ी ऊन मण्डी और उस पर आधारित यहां के उद्योग, जो धागा बनाने का काम करते हैं इनकी हालत बड़ी खस्ता हो गई है और यह उद्योग चरमरा रहा है। वहां की यूनियन वालों ने मेरे को एक ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है, क्योंकि यहां पर हमेशा अकाल पड़ता है, भेड़ें यहां से पलायन करती हैं बाहर जाती हैं इसलिए भेड़ें यहां से पलायन न करें, यहीं रहें तो इनको पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो जाये। यही नहीं, इन भेड़ों को यहां से काटने के लिए बूचड़ खानों में दूसरे प्रान्तों में भेजा जाता है। इनकी मांग यह है कि भेड़ें बूचड़ खानों में नहीं जाय, यहीं रहें। अकाल पड़ने से चारे-पानी के अभाव में जो भेड़ें बाहर जाती है पलायन करती हैं इनको यहीं रोका जाय तो इनको आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है। आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि भेड़ें बीकानेर का पशुपालन का, भेड़ पालन के धन्धे का मुख्य आधार है, भेड़ों पर हजारों लोग जिवित हैं इसलिए इनका वहां से पलायन रोका जाय और इनको चारे पानी की व्यवस्था कराई जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग जिन अन्य चीजों पर आधारित है जैसे पानी की दरें बढ़ायी हैं यह बहुत अधिक पड़ती हैं

(श्री हीरालाल आर्य)

और जो बिजली की दरें बढ़ायी हैं उससे भी छोटे-छोटे जो उद्योग हैं इन पर बड़ा भारी बोझ पड़ा है। बीकानेर में बिजली की जो कटौती की जाती है 6 से 9 बजे तक उससे भी इनको····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : 25-50 पर्सेन्ट की कटौती होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य खंगार सिंह जी, बीच में नहीं आयें।

श्री हीरालाल आर्य : इससे भी यहां के उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो, इन उद्योगों को जीवित रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि पानी की दरें बढ़ाई हैं, बिजली की दरें बढ़ाई हैं, वहां बिजली की कटौती रही है उस में कटौती न की जाय। इनका यह भी कहना है पहले से ही पेट्रोलियम पदार्थ और रेल का किराया बढ़ने से इनको माल इधर-उधर ले जाने में बड़ी तकलीफ आती है। इतना बड़ा उद्योग है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्योग है इसको जीवित रखा जाना आवश्यक है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उक्त उद्योग को जीवित रखने के लिए, जिनकी मैंने मांग की है उनको वहां के लोगों से बात करके समस्याओं को दूर करें ताकि देश विदेश में प्रसिद्ध गलीचे का यह काम जीवित रह सके।

श्री अध्यक्ष : श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है तहसील घाटोल के बारे में। घाटोल गांव में एक हरिजन बस्ती है। उस हरिजन बस्ती में सन् 1980 से 1984 तक हरिजनों को, करीब 50 हरिजनों को तीन हजार रुपये प्रति हरिजन मकान बनाने के लिए सहकारी समिति विभाग से दिये गये। जहां कुछ हरिजनों को तीन हजार रुपये पूरे मिले, कुछ को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये ही दिये गये है। फिर भी उन से मय ब्याज तीन हजार की रेट से वसूली की जा रही है। यह वसूलात क्यों की जा रही है? गलत ढंग से वसूलात करने करने वाले जो व्यक्ति हैं इनके नाम भी मैं यहां पर लेना चाहता हूं। वह है–घाटोल ग्राम पंचायत के सरपंच, रतन लाल जी घाटोल पंचायत समिति के प्रधान श्री नाथू लाल जी वहां पंचायत समिति के....

श्री अध्यक्ष : नाम न लें, माननी सदस्य, कृपया....

श्री नवनीत लाल नीनामा : माननीय अध्यक्ष जी, नाम इसलिये लेने पड़ रहे है कि अन्याय हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : उनके पद बोल दें। जिस पद पर वह काम कर रहे हैं ... उनके पद बोल दें आप।

श्री नवनीत लाल नीनामा : हरिजनों के सिर के ऊपर पत्थर रखे जा रहे हैं, मार-पीट की जा रही है, डराया जा रहा है कि तुम्हारे मकान नीलाम कर दिये जायेंगे। इस तरह का अन्याय हो रहा है वहां पर। इसलिए मेरी यह मांग है कि तुरन्त आज ही पंचायत समिति घाटोल को खबर पहुंचायी जाय और

(74)

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

घाटोल क्षेत्र में सहकारी समितियों के जो वसूली अधिकारी हैं वह गरीबों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, उन्हें रोका जाय। सही जांच करें फिर वसूली की जाय। अब इस तरह से सहकारी समिति पाटोदा राठोड के रामसिंह नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने खाद की बागी नहीं ली फिर भी उनके नाम दर्ज है। जहां सरपंच व्यवस्था करता है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका स्थगन प्रस्ताव घाटोल के बारे में था। कृपया बैठें।

श्री नवनीत लाल नीनामा : हां, तो घाटोल का ही है...

श्री अध्यक्ष : हां, तो कृपया बैठें। आप दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं पाटोदा....

श्री नवनीत लाल नीनामा : घाटोल के बारे में ही बोल रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो पाटोदा के बारे में बोल रहे हैं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : घाटोल पंचायत समिति के बारे में ही है। तो मेरा यह कहना है कि इसी तरह से देस्ता, जीवा के नाम 750-750 रुपये फर्जीनामा मांडकर वसूली की जा रही है। इसी तरह लाडिया हरजी, गौतम और नाथू इनके नाम मंडे हुए हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं लिया सहकारी समिति से। लाडिया के नाम 12 हजार रुपये, गौतम के नाम 7093 रुपये और नाथू के नाम 1686 रुपये मांडकर जबरन वसूली की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नवनीत लाल नीनामा : इसलिये मेरी यह मांग है कि सही जांच की जाकर वसूली की जाय। इसके अलावा सहकारी समिति के इन्सपेक्टर अपने साथ में पुलिस रखकर मारते हैं, डराते हैं। जिस किसान ने वास्तविक रूप में पैसा नहीं लिया है और उससे इस प्रकार जबरन वसूली की जाय तो कभी भी मारा-मारी हो सकती है। इसलिये आपके द्वारा सरकार से, विभागीय अधिकारियों से या विभाग व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो अन्यायपूर्ण तरीके से वसूली की जा रही है उसे तुरन्त रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ऐसी दवाइयां खरीदी जा रही हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, जो खराब भी है जो महंगी भी हैं और अधिक मात्रा में खरीदी जा रही हैं और इस तरह से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है उस के विषय में है।

आयुर्वेद विभाग में जो दवाइयां खरीदी जाती हैं, एक तो उसकी व्यवस्था ही बहुत खराब है कोई नया सैट नियम नहीं है. सैम्पल्स उन दवाइयों के सैम्पल्स लिये नहीं जाते। जो दवाई खरीदी जाती है वह खराब बनी हुई होती है। एक ही आदमी के नाम

(श्रीमती विद्या पाठक)

से 8-8, 10-10 एजेन्सी हैं, सब जानते हैं उनमें से किसी एक का सेम्पल एप्रूव हो जाता है। इस तरह सारी दवाइयों के एक ही व्यक्ति की एजेन्सी के सैम्पल एप्रूव हो जाते हैं। वह नाम फर्म होती एक ही व्यक्ति की है, चाहे फर्म कई अलग-अलग नामों से हो। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से खरीद की जा रही है। न तो दवाइयों को पहले बाजार में देखा जाता है कि उनकी रेट्स क्या हैं, न रेट कन्फर्म की जाती है, न कोई लेबोरेटरी टैस्ट करवाया जाता है, न टैक्निकल कमेटी जो एप्रूव करती है कि यह दवाई ली जाय, इस स्पेसिफिकेशन की ली जाय की राय ली जाती है। उस तकनीकी समिति को भी बाई-पास किया जाता है। इसकी पर्चेजिंग कमेटी जरूर बनी हुई है जिसमें कहने को तो 5 मैम्बर हैं पर प्रैक्टिकली देखा जाय तो एक ही व्यक्ति के पास दो डेजिगनेशन हैं इसलिये व्यक्ति एक ही रहता है और डेजिगनेशन दो। उदाहरण के तौर पर अजमेर में फार्मेसी का जो मैनेजर है, वही उसका टैक्निकल मैम्बर भी है। इस तरह से कुछ ही लोगों की मिली भगत से अनावश्यक रूप से दवाइयां खरीदी जा रही हैं, प्रचलित है और सब की जानकारी में हैं। एक ही व्यक्ति की 5-5, 6-6, 7-7 फर्म्स अलग-अलग नाम से चल रही हैं। इस तरह से खरीद में घोटाला हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984-85 में अभी कुछ ही दिनों पूर्व एक दवाई खरीदी गयी जिसको कहते हैं "सब्सेवाइज वन"। यह दवा फोड़े फुन्सी के काम आती है। अध्यक्ष महोदय, यह दवा खरीदी गई 6 हजार शीशी। एक शीशी पांच सौ मिली-लिटर की है और इसकी कीमत 2 लाख 10 हजार रुपये है। इस दवा की आवश्यकता नहीं थी। यह एक लीटर 70 रुपये की पड़ी और इसकी सबस्टीट्यूट दूसरी दवाई कभी खरीदी ही नहीं गई। आयुर्वेद विभाग ने यह दवा 2 लाख 10 हजार रुपये की खरीदी है और इसके सब्स्टीट्यूट को बनाने का प्रयत्न नहीं किया जबकि विभाग ही यह दवाई बनाता है जिसको "वेदनाशक" बोलते हैं विभाग ने वेदनाशक 1983-84 में बनाई, 1984-85 में भी बनाई। यह दवाई रीसेन्टली सब जगह रसायन शालाओं में भेजी गई है। सिर्फ एक वर्ष के लिए ढाई लाख रुपये, और उसमें से 2 लाख 10 हजार रुपये की एक ही बार में, सिंगल टाइम पर्चेज की गई। इसका सब्स्टीट्यूट, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी आधी कीमत का पड़ता है। 1984-85 में यह दवा ली गई। यही क्यों खरीदी गई जबकि आवश्यकता नहीं थी? 70 रुपये लिटर के हिसाब से पैसे लगे। इसका सब्स्टीट्यूट, जो विभाग बनाता है हमेशा प्रयोगशाला में, पिछले साल भी बनाई, सिर्फ 1983-84 में ही नहीं बनाई वह मिलती है 14 रुपये लिटर और इन्होंने जो पर्चेज की है वह 70 रुपये लिटर के हिसाब से। 70 रुपये लिटर के हिसाब से. माननीय अध्यक्ष महोदय। और जब यह पूछा गया कि यही क्यों खरीदी गई तो यह कहा गया कि यह इसलिये लेनी पड़ी कि स्प्रिट अवेलेबल नहीं करवाया। तो यह, अध्यक्ष महोदय, देखने की बात है कि स्प्रिट अवेलेबिल क्यों नहीं करवाया। सारी बात सही भी मान ली जाय तो इसका सब्स्टीट्यूट टिंचर होता है। टिंचर बाजार में लगभग 15 रुपये लिटर के हिसाब से मिलता है। 2 लाख 10 हजार रुपये की दवाई खरीदी

(श्रीमती विद्या पाठक)

गई यदि टिचर लिया जाता तो 1 लाख 10 हजार रुपये का पड़ता.........

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद में नहीं आता है....

श्रीमती विद्या पाठक : रोज ले रहे हैं, मान्यवर। रोज लिया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : जारी रखिये।

श्रीमती विद्या पाठक : यदि मान लिया जाय कि टिंचर की बात भी है तो वेदनाशक, जो 14 रुपये मिल रहा है, क्यों नहीं लिया गया ? वह क्यों नहीं बनाया जबकि रा-मैटीरियल इनकी फार्मेसी में पड़ा है ? इसलिए मेरा यह आरोप है कि केवल एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये इनके एजेन्ट्स की मार्फत सरकार को इस तरह की पर्चेजिंग में डेढ़ लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संखिया की आवश्यकता विभाग में नहीं पड़ती है। वह भी खरीदा गया और वह भी इम्पोर्टेड। उसका हिंदी का नाम हड़तारिया रखा है। 560 किलोग्राम संखिया खरीदी गई 853 रुपये की रेट में इसी वर्ष में। उसकी टोटल कीमत हुई 4 लाख 77 हजार 680 रुपए एक ही फर्म, जिसकी बहुत सारी सब फर्म्स है, रामगोपाल एण्ड कंपनी, जयपुर के यहां से खरीदी गई। दो टैण्डर्स आये थे। कम राशि वाले जो टेन्डरर थे जिन्होंने एप्लाई किया था जब उन लोगों ने अपने टेन्डर एक्सैप्ट करने को इनसिस्ट किया तो उनका नमूना लिया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया। पर दूसरी फर्म, जिसकी 7-7 सब-फर्म्स हैं और जो एक व्यक्ति श्री रामगोपाल शर्मा की है, वहां से न तो नमूना लिया गया न नमूना मांगा गया। मिलकर दवाई अन्दर रखी गई और पर्चेज कमेटी से पास भी करवा लिया। तो इस तरह की मिली भगत से यह 560 किलोग्राम संखिया खरीदा गया ईरानी संखिया इसका नाम है। अब, यह संखिया फार्मेसी के माध्यम से कौनसे रोगियों को खिलानी चाहिये, इसकी कन्जम्शन कहां करेंगे ? यह प्रैक्टिकल नहीं। इस तरह से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे विभाग में बर्बादी की जा रही है लास्ट मोमेन्ट पर परचेज करते हैं, इररेलेवेंट दवाइयां परचेज करते हैं। बड़ा गोखरू नाम की एक दवाई जिसको इन्होंने पहले कर दिया, इसकी परचेज कमेटी ने कह दिया कि ये दवाइयां नहीं खरीदनी फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, 1917 किलो दवाई खरीदी गई। साढ़े 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, इसके हुए 28776/– रुपये। 1 फरवरी, 1985 को लोकल परचेज कमेटी ने इसको देखा, उसको टेस्ट किया, यह कमेटी की प्रोसेडिंग में लिखा हुआ है, कि यह पतला है, धुला हुआ है, छोटा है इसमें कीड़े लगे हुए हैं, लेने के काबिल नहीं है। मगर जिस कमेटी ने 11-2-1985 को अपनी प्रोसीडिंग में यह नोट किया उसी कमेटी ने 12-3-1985 को उसमें से 64 बोरियां वही दवाई, दूसरी नहीं, खरीद ली, जबकि उनका नोट दिया हुआ है। इस तरह से ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 18 हजार रुपये का नुकसान हुआ। इसकी इतनी आवश्यकता भी थी तो ऐसी सब-स्टैण्डर्ड दवाई खरीदने से क्या

(श्रीमती विद्या पाठक)

मतलब। अध्यक्ष महोदय, उसको खरीदने के लिए एक रैकेट बना हुआ है जिसकी सरकार को जानकारी है। एक भूतपूर्व मंत्री के पुत्र सतीश गुप्ता, जो इसके एजेन्ट रहे हैं की मार्फत यह होता है। जिस किसी ने भी यदि कोई ओब्जेक्शन किया तो उसके एक-एक साल में सात-सात ट्रांसफर करवाये और फिर नेगोशिएट किया। जब वह दवाई पास कर दी गई तब फिर उसका प्रोपर पोस्टिंग उसी जगह पर हुआ। इस तरह अनेक एग्जाम्पल्स हैं जो इस वर्ष की परचेजेज में....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : काफी मात्रा में घोटाले हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भी किये हैं। सरकार एक तरफ टैक्स लगाती है, डेफिसिट बजट बनाती है, डवलपमेंट वर्क्स रोकती है और दूसरी तरफ ऐसे करेप्शन को प्लग नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं, एक कमेटी बने जो इस विभाग के लिए रूल्स बनाये। एक और कमेटी बने जो फूल प्रूफ केस बनाकर परचेज सिस्टम को ठीक करे और अब तक जो इररेगुलरिटीज हुई हैं उसमें जो व्यक्ति इन्वाल्व्ड हैं उनको सजा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर के पास दोराई गांव अजमेर से करीबन चार किलोमीटर दूर है। इस गांव का दुर्भाग्य उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन से इस गांव को अजमेर नगर परिषद् की सीमा में मिला दिया गया। कभी तो इस गांव के चरागाह को बेचा जाता है यू. आई. टी. के द्वारा, कभी इस गांव की कृषि भूमि को अवाप्त किया जाता है आवासन मण्डल, अजमेर द्वारा और कभी गांव वालों को कोई और तकलीफ दी जाती है। पिछले दस सालों से लगातार इस गांव के लोगों को तंग किया जा रहा है। इस गांव की आबादी करीबन डेढ़ हजार है। डेढ़ हजार की आबादी में से करीबन 104 खातेदारों को, 700 बीघा जमीन है जिसमें तीन फसलें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन में रिजका, फल-सब्जी और बाग-बगीचे लगे हुए हैं। फल सब्जी अजमेर शहर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, रिजका हर रोज अजमेर शहर के अन्दर जानवरों को चराने के लिए बेच देते हैं। हर साल तीन फसलें देने वाली इस कृषि भूमि को पिछले दस साल से आवास मण्डल अवाप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस विषय में मैं आपको निवेदन करूं कि सन् 1975 के अन्दर जब अजमेर शहर के अन्दर फ्लड आ गया था उस वक्त इस जमीन के अन्दर करीबन आठ फुट पानी भर गया था और इससे करीबन एक किलोमीटर की दूरी पर जहां आवासन मण्डल मकान बनाने जा रहा है तीन जगह से रेलवे लाईन टूट गई और ऐसी नई-नई नदियां खड़ी हो गई जहां पर पी. डब्ल्यू. डी. को नई पुलिया बनानी पड़ी, रेलवे डिपार्टमेन्ट को लाखों रुपये खर्च करने पड़े। उस जगह आवासन मण्डल मकान बनाना चाहता है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि इसी जमीन के पास कृषि उपज मण्डी अजमेर के पास करीबन एक हजार बीघा जमीन, जो कुछ तो सर-

(श्री रमजान खां)

कारी है, कुछ बारानी है, वहां पड़ी हुई है। उसको देने के लिए ग्रामवासी तैयार भी है। इसकी जगह वह जमीन अवाप्त कर ली जाय तो बहुत बेहतर होगा और यह कृषि भूमि केवल कृषि के काम में आ सकेगी।

एक अर्ज और करके मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। अजमेर में माह अप्रेल के अन्दर एक एजीटेशन हुआ। सैंकड़ों स्त्री-बच्चों ने जिलाधीश के कार्यालय पर आकर जिलाधीश के कार्यालय का घेराव किया था। उस वक्त जिलाधीश महोदय, तुलसी राम वर्मा ने आश्वासन दिया था कि ए. डी. एम. साहब को इसकी एन्क्वायरी के लिए लगाया जाय। ए. डी. एम. साहब ने एन्क्वायरी की। ए. डी. एम. साहब ने इस चीज को माना कि वाकई इस गांव में तीन फसलें हो रही हैं और यह जमीन मकान बनाने के लिए अवाप्त नहीं की जाय। वहां से एक डेपुटेशन आकर के आदर्श किशोर जी सक्सैना, जो आवासन मण्डल, जयपुर के अध्यक्ष थे, मिला। उस समय उन्होंने एक बात कही कि खाना पहले और मकान बाद में। इतनी बात होते हुए भी, इतने आश्वासन देते हुए भी अधिशासी अधिकारी, आवासन मण्डल, अजमेर हर महीने नोटिस निकालता है, गांव वालों को डराता है कि इस जमीन को कब्जा करने के लिए आ रहे हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, वह ग्रामवासियों को डराता-धमकाता है और ग्रामवासियों से रिश्वत की मांग करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी जमीन छुड़वा सकता हूं, मैं तुम्हारी जमीन छुड़वाने में मदद कर सकता हूं। इस चीज के लिए रिश्वत दो पैसा दो, इकट्ठा करके इसका खर्चा दो। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाय या अजमेर से हटाया जाय। जिलाधीश कह रहे हैं कि उस जमीन को अवाप्त नहीं किया जाय, ए. डी. एम. की रिपोर्ट है कि अवाप्त नहीं की जाय आदर्श किशोर जी की रिपोर्ट है कि अवाप्त नहीं की जाय फिर भी अजमेर जिले के आवासन मण्डल का अधिशासी अधिकारी कहता है कि अवाप्त करूंगा। यही चीज निवेदन करनी थी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय तो सर्वोपरि है परन्तु मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था बहुत ही गम्भीर मामले के बारे में था कि पुलिस द्वारा बार-बार इस प्रकार की हरकतें और बलात्कार हो रहे हैं।

(12.47 म.प.)

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी उपाध्यक्ष पदासीन)

लेकिन जो भी है, मैं इसके बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय जिला बीकानेर में कोलायत के अन्दर कोलायत चौकी का इन्चार्ज हवलदार सोहनलाल दिनांक 5-6-1985 को वहीं कोलायत के अन्दर कांजरों का बास जहां बहुत गरीब लोग बाग और अनुसूचित जाति के लोग बाग रहते हैं, उनका मोहल्ला है, में रात के साढ़े

(श्री देवीसिंह भाटी)

ग्यारह बजे गया। हवलदार स्वयं शराब पीये हुए था। उसके दो साथी जो पुलिस चौकी के सिपाही थे, और वह, तीनों मिल कर उस मोहल्ले में गये और एक मकान में जबर्दस्ती घुस गये। उसके बाद में उस मकान में से एक औरत ने रोला मचाया तो अड़ोस-पड़ोस से लोग इकट्ठे हो गये। उसकी जमकर पिटाई की। रिपोर्ट लिखवाने गये जब वे थाने के अन्दर इत्तिला करने गये। रिपोर्ट लिखवाने गये कि इस प्रकार से हवलदार और सिपाही शराब पी कर आये और उन्होंने एक औरत की बेइज्जती करनी चाही तो वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद में कांजर आदमी और औरत इट्कठे होकर कम से कम तीस-चालीस की संख्या में पुलिस अधीक्षक बीकानेर से जाकर मिले और दरख्वास्त दी कि इस प्रकार से आपके कर्मचारी कोलायत पुलिस चौकी के इन्चार्ज और सिपाही हमारे घरों के अन्दर शराब पीकर घुसे, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें, मुकदमा दर्ज करें। लेकिन बड़े दुख: के साथ कहना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां दरख्वास्त देने के बाद आज तक भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उल्टे हुआ यह कि चूंकि वह पिट चुके थे और मामला जनता के सामने आ चुका था इसलिए उन हवलार और सिपाहियों ने जाकर जनर थाने में यह रिपोर्ट दर्ज करा दी कि रात के साढे ग्यारह बजे हम कंजरों का बास में गये, हमें एक व्यक्ति ने इत्तिला दी थी कि वहां शान्ति व्यवस्था भंग होने जा रही है। रात के साढे ग्यारह बजे तो सब सो रहे थे लेकिन उस मामले को घुमाने के लिए, अपनी गल्ति को छुपाने के लिए उन्होंने उल्टा उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन्होंने हमारे साथ पिटाई की, दंगा फसाद करना चाहते थे इनके हाथ में लाठियां थीं। इस तरह से लिख दिया, क्योंकि ये तो मैनिपुलेशन करना जानते हैं कि वहां झगडे के अन्दर घड़ी गिर गई जो इन्होंने चोरी की नियत से उठा ली। इस प्रकार उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया, जिन लोगों ने वहां पर बलात्कार करने का प्रयास किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि जिन लोगों ने शिकायत की उल्टे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर उस दिन 5-6-1985 को उन लोगों के खिलाफ एस. पी. साहब द्वारा या थाना गजनेर में कार्यवाही हो जाती तो ऐसी हिमाकत उन लोगों की नहीं होती। 17-7-1985 को यही सोहन लाल ईश्वर लाल सन आफ किसनाराम मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर, कोलायत के घर में घुस गया और उसने जबरदस्ती भीतर जाकर वहां पर उसकी औरत के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। पर जब ईश्वर लाल जग गया था। जाग हो जाने के बाद में वहां पर रोला मचा और लोग-बाग वहां पर इकट्ठे हो गये उसको पकड़ कर लोगों ने उसकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद में कोलायत के सरपंच के पास ले गये वहां पर जितने भी मौजिज आदमी थे वे उसे पुलिस चौकी में पुलिस मैन के साथ गजनेर थाने में ले गये। वहां पर उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन पुलिस वालों को आखिर क्या हो जाता है कि वह बार-बार ऐसी हरकतें करते हैं? पता नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

उनके दिमाग में क्या चीज घुसी हुई है, मैं ऐसा शब्द यहां पर बोलना नहीं चाहता हूं पर कहना पड़ता है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चढ गया है कि वह लोग बार-बार ऐसी हरकतें करते हैं उनके बारे में समय समय पर सूचना भी दी गयी है कि यहां की पुलिस चौकी के कर्मचारी, अधिकारी जो भी इन्चर्ज है, थानेदार है, वह ऐसी हरकतें करता है। वह रात को शराब पीता है शराब पी कर इज्जतदार लोगों के घरों में घुस जाता है लेकिन कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं होती है। अब जब इसके खिलाफ मुकदमा बन गया तो इन लोगों ने ऐसा षड़यंत्र किया है कि इस मामले को दबाया जाय जब उनके साथी थानेदार और दूसरे साथी पुलिस के मुकदमे मे फंस गये तो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ दूसरे जिलों में दूसरे थानों में झूठे मुकदमें बनाये। वे अब यह कोशिश कर रहे हैं कि उनको फंसाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो कानून बना हुआ है वह उनके तहत लोगों की रक्षा के लिये है यदि रक्षा करने वाले ही ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी हरकतें है तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर लोगों की औरतों की इज्जत कैसे सुरक्षित होगी, कैसे कोई औरत हिम्मत करेगी कि थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करावे ? अभी चार दिन पहले की बात है, इन्डियन एक्सप्रेस में आया था कि दिल्ली में एक पुलिस थाने में एक पति और पत्नी रपट दर्ज कराने के लिये गये थे वहां पर जो इन्चार्ज था थाने का उसने उसके पति को कहा कि आप तो जाइये, आपकी यहां पर जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाइये, यह रपट लिखा कर आ जायेगी। और उसके बाद थाने के इन्चार्ज ने शराब पीकर उस औरत के साथ बलात्कार किया। उसकी शिकायत हुई और फिर उसको ससपेंड किया गया। इसी प्रकार जैसे अभी पूर्व में मेरे कई साथियों ने जिक्र किया विमला नाम की एक औरत के साथ आठ पुलिस अधिकारियों ने लगातार 6 माह तक बार-बार बलात्कार किया। तो मेरा निवेदन यह है कि आखिर कौनसी ऐसी जगह है जहां पर आदमी जाकर निर्भय होकर फरियाद कर सकता है। अगर पुलिस थाने में फरियाद करने जाते हैं तो पुलिस वाले औरतों के साथ बलात्कार करते हैं या फिर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस गूंगी और बहरी राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए एक कमीशन गठित करवाइये कि आखिर उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज आ गई है, यह लोग बलात्कार क्यों करते हैं और यह बलात्कार कैसे रोके जा सकते हैं। जैसे यूरोप में 16 वीं शताब्दी में जब बड़े-बड़े लोग अपनी रोजी कमाने बाहर जाते थे तो वह लोग अपनी औरतों के लिए एक विशेष प्रकार का बैल्ट बनवाते थे। और फिर योनि के बांध कर लॉक कर देते थे ताकि पीछे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। तो आप भी पुलिस वालों के जब वह ड्यूटी पर हों तब इस प्रकार के डबल लॉक लगा दिया जाय ताकि आइन्दा ऐसी वारदातें नहीं हों वरना मुझे तो इन्हें रोकने का कोई ऐसा तरीका नजर नहीं आता। या फिर ऐसा हो कि लोग लट्ठ लेकर उनके सामने खड़े हो जायें। पर ऐसा खड़े होते हैं तो यह उन लोगों के ऊपर सबसे पहले मुकदमें तैयार

(श्री देवीसिंह भाटी)

करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो लोग हैं जिनके····

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह योनि के क्यों आप उन के ही क्यों नहीं लॉक लगा देते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यही तो मैं कह रहा हूं। उस वक्त यूरोप में ··

श्री देवीलाल : आप उनकी जबर्दस्ती नसबंदी कर दो।

श्री देवीसिंह भाटी : अरे नसबंदी से कुछ नहीं होता है। इनके तो कोई डबल लॉक लगेगा तब ही पार पड़ेगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जिले के पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दे कि क्यों नहीं पुलिस इन्चार्ज कोलायत थाना जिसके खिलाफ बार-बार शिकायतें मिली हैं के खिलाफ, समय पर कार्यवाही की जाती है। जो प्रार्थना-पत्र पूर्व में दिया गया था उसके अनुसार कार्यवाही की जावे। उन लोगों के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही का चालान प्रस्तुत किया जावे, यह मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। डाक्टर उजला अरोड़ा।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने और खारची से जीतकर आने वाले माननीय सदस्य खंगारसिंह ने एक एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था। उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि अदालत से उस स्थगन प्रस्ताव की जानकारी आ गई है। उसके लिए आज के लिए आपसे मौका मांगा था और आपने स्वीकार किया था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी देखेंगे।

(व्यवधान)

उस वक्त आप दोनों का नाम पुकारा गया था आप यहां थे नहीं। आज के मे तो जगह नहीं है कल देखेंगे। आज के में जगह नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : पांच बजे तक मंत्रीजी यहीं पर हैं, मौका है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चार लाख का घोटाला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप थे नहीं, मैंने आपको दिखाया भी था।

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं, मैं थी, उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : मैं तो एक मीटिंग में चला गया।

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं, मैं थी, हुक्म। अभी नहीं, बाद में देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सफोकेशन हो रहा है उसे दूर करवायें, सबसे पहले आप दरवाजे खुलवायें। यहां बैठने और बोलने में सुविधा नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : एयर कण्डिशन चालू करवा देते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां पर तो खड़ा होना और बैठना बिलकुल मुश्किल हो रहा है, आप एयर कण्डिशन शुरू करवा दें। बहुत परेशानी हो रही है आप दरवाजे खुलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी एयर कण्डिशन चलवा देते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चलाएं पहले। यह काम हो जावे फिर मेरी मान लो।

उपाध्यक्ष महोदय, आबू नगर पालिका के अन्तर्गत एक जमीन है बिलकुल चुंगी चौकी के पास जिस जमीन का रकबा 30.882 एकड़ है। वह जमीन नगरपालिका, आबू की है। जिसकी कीमत लगभग दो करोड़ रुपये है। इसके लिए नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ने एक सोसाइटी अपने नाम से बनाई एजुकेशन सोसाइटी। उस सोसाइटी द्वारा वह अब उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस जमीन को जो यह सोसाइटी की जमीन कह रहे हैं वह डुण्डई गांव के 9 काश्तकारों की है। 9 काश्तकारों की भी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। हुआ यह था कि ब्रिटिश शासन काल में डुण्डई गांव के लोगों को यह जमीन चराई के लिए दी गयी थी। लेकिन सन् 1944-45 में इस गांव के काश्तकारों को 93 हजार रुपये देकर यह चरागाह की जमीन उनसे वापस ले ली गयी। वापस लेकर अजमेर में इसका अधिग्रहण कर लिया गया। उस समय अजमेर में जो रेजीडेन्ट सचिव थे, दीक्षित, उन्होंने पत्र संख्या 23/910 अप्रैल, 1944 के द्वारा यह जमीन आबादी भूमि में परिवर्तित कर दी और आबादी में परिवर्तित करने के बाद एक निश्चित अवधि में अजमेर कान्वेन्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाने के लिए वह जमीन दे दी और उसके साथ-साथ यह कहा कि आप यहां पर भवन बनावें लेकिन वहां पर भवन नहीं बना और यह जमीन जो सरकार ने ले ली थी और सरकार ने यह जमीन लेकर नगरपालिका, आबू को दे दी। यह सरकार के कानून के तहत कार्यवाही कम्पलीट है और जब कार्यवाही कम्पलीट हो गयी तब अब यह श्री धर्मानन्द जो कि अध्यक्ष हैं उस नगरपालिका के उन्होंने इसे अपने स्वामित्व में दर्ज करा ली और नगरपालिका की आवासीय योजना में खुली नीलामी में 6 रु. से लेकर 65 रु. तक यह जमीन आक्सन हुई। यहां पर लोगों की इस बोली पर नीलामी छूटी और यहां पर भवन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, उनको अधिकार दे दिये। अब उनको जब अधिकार प्राप्त हो गया और वहां पर एक दो मकान बन भी गये हैं। मैंने खुद ने वहां पर जाकर, जब मैं आबू गयी थी, उस समय मैंने यह देखा कि वहां पर अजन्ता ऐलोरा की दो गुफाओं के पास होटल बना। उसके पास इस जमीन पर मीणा होटल बनाया था। अब पूर्व अध्यक्ष ने इस जमीन को सोसाइटी के नाम से नाजायज तौर पर बेचनी शुरू कर दी है और उधर डुण्डाई के काश्तकारों के पास पहुंचे और कहा कि लाओ मुझे रुपये दे दो, मैं यह जमीन तुम्हें दिला देता हूं।

(1.00 म.प.)

(श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा)

उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, सारे कागजात उनके पास थे नगरपालिका के स्वामित्व घोषित हो जाने के बाद सारे कागजात आबू के पास थे। इस तरह से उन्होंने काश्तकारों को धोखा दिया। दूसरा नगरपालिका की जमीन पर बेचान किया सभी एजुकेशन सोसायटी के नाम से, अब यहां के तहसीलदार ने जब उनको कहा कि स्टेम्प पूरे नहीं हैं, इस नाम से रजिस्ट्री करवाने आये तो इसमें स्टेम्प की कमी थी और कमी होने पर उन्होंने जिलाधीश सिरोही को सारे कागजात भेजे कि इनकी जांच की जाये। वहां नगरपालिका के जो अधिशासी अभियन्ता हैं उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। उसके बाद सिरोही जिलाधीश के द्वारा और पुलिस के द्वारा इस गलत आदमी को संरक्षण दिया जा रहा है। जिनको जमीन बेच दी गई है, आवंटन के द्वारा, पैसा ले लिया था उनको भवन नहीं बनाने दिया जा रहा है। बिना आर्डर जो कि 1979 में भवन शुरू हुआ था बनना, मैं वहां पर 1981 में गई थी भवन का काम कम्पलीट हो चुका था उसको तोड़ने के आदेश दिये गये। इस तरह से गलत काम किया जा रहा है। जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रम्हानंदजी और उनके भाई बालमुकुन्दजी उन दोनों के खिलाफ कार्यवाही करके जो वैध आवंटन करके जमीन दी गई उनको नक्शे-पट्टे दिये गये, इसलिए उनको भवन बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें डराना धमकाना बन्द किया जाना चाहिये। जिस अधिकारी ने गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह सारा घटनाक्रम अखबारों में छपा है, राजस्थान पत्रिका में उसकी पूरी कार्यवाही छपी है। लेकिन 6 अक्टूबर को छपने के बाद भी आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की मैं सरकार से और गृहमंत्री बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री है, उनसे आग्रह करूंगी कि आबू नगरपालिका में जिनको बेचान की गई है उनको मिले। इसके लिए आप कार्यवाही करेंगे यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये भरतपुर की पुलिस इस प्रकार निर्दयता, घोर गैर जिम्मेदारी से पच्चीस वर्ष के नौजवान मैकेनिक एदलसिंह की मृत्यु का कारण बनी, उस संबन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 14-7-1985 को एदलसिंह और उसके दो साथी, छतरसिंह और सुरेन्द्रसिंह, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं, उपाध्यक्ष महोदय और इनकी मैकेनिक की दुकान है और कुम्हेर दरवाजे पर भरतपुर में अपनी दूकान बन्द करके अपने गांव जा रहे थे। मथुरा रोड पर इनका स्कूटर फिसला जिससे एदलसिंह जो स्कूटर चला रहा था सिर पर चोट लगी। उसके बाद पुलिस की गश्ती जीप वहां पहुची। उसने दूसरे दो व्यक्ति, छतरसिंह और सुरेन्द्रसिंह, जो एदलसिंह को अस्पताल ले जाने के लिए वापस जा रहे थे, को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम गिर गए इसके सिर पर चोट आई है इसलिए इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी और निर्दयता के साथ उनसे मारपीट शुरू की। इतना मारा कि जब तक उनकी दो बेंत नहीं टूट गई, मारते रहे। फिर उनको पकड़कर, फूल

(श्री नत्थीसिंह)

सिंह जो एस.आई. था उसने स्कूटर ले लिया और तीनों को जीप में डालकर कोतवाली ले आये। रास्ते में जनरल अस्पताल पड़ता है। उन लोगों ने कहा कि गम्भीर चोट है, अस्पताल में दाखिल कराने दो। लेकिन वह नहीं माने और उनको कोतवाली ले गए। पूरे 6 घंटे एदलसिंह को बेहोश पटके रखा और उन दोनों को बन्द कर दिया। यह हालत है कि बार-बार कहने पर भी फूलसिंह और दूसरे लोग जो कोतवाली में थे उन्होंने उसको अस्पताल में नहीं जाने दिया। रात के दो बजे के बाद जब एक अधिकारी दूसरी कोतवाली का आया उसने जब देखा कि यह मर जायेगा और कोतवाली की बदनामी होगी, तब एदलसिंह को जनरल अस्पताल, भरतपुर में दाखिल कराया गया। उसके दोनों साथियों छतरसिंह और सुरेन्द्रसिंह ने कहा कि हममें से कम से कम एक को वहां रहने दो ताकि हम लोग देखभाल कर सकें, लेकिन पुलिस ने यह बात नहीं मानी। उन दोनों को पकड़कर कोतवाली ले आये और उसे अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। वह बेहोश था। उसको अटेंड करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। डाक्टर ने कहा, दवायें लाओ इसके परिवार वालों को सूचना दे दो कि तुम्हारा आदमी बेहोश अवस्था में, घायल अवस्था में अस्पताल है। लेकिन सुबह के 6 बजे तक उन दोनों को बन्द रखा गया। अस्पताल से डाक्टर ने खबर भिजवाई कोतवाली में कि इसकी हालत गम्भीर है और यह किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है। तब उन दोनों को कोतवाली से भगा दिया गया। उस वक्त इन्सपेक्टर या सहायक इन्सपेक्टर, जो भी था, कह रहा था कि हमने डकैत पकड़े हैं। फूलसिंह ने रिपोर्ट की कि हमने ऐसे डकैत पकड़े हैं जिन्होंने हत्यायें की हैं, ऐसे डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। वह अस्पताल गये। उन्होंने उसके घर वालों को खबर दी। अस्पताल में डाक्टरों ने कहा कि इसे जयपुर ले जाओ, अब हम इसको नहीं बचा सकते। जब वे उसे जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल में लेकर आए, तो 17 तारीख को सुबह पांच बजे उसने दम तोड़ दिया, उसको नहीं बचाया जा सका।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से, गृह मंत्री से जानना चाहता हूं क्या यह पुलिस इसलिए है? वह घायल था, पास के गांव का रहने वाला था। भरतपुर में कुम्हेर दरवाजे पर उसकी मैकेनिक की दूकान है। रोजमर्रा का आना जाना है उसके बावजूद पुलिस वालों ने उसके साथ यह बर्ताव किया और अब वह कहता है कि घायल अवस्था है, इसे अस्पताल में ले जाने दो तो पुलिस का कर्तव्य था कि उसको वह खुद पहुंचाती लेकिन उसे 6 घंटे तक अस्पताल नहीं पहुंचाया और उनके साथ थाने में बुरी तरह से मारपीट करते रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में 18 तारीख को भरतपुर का कुम्हेर दरवाजे का और डीग का मैकेनिक बाजार थे, बन्द रहे। डेढ़ हजार की तदाद में नागरिकों ने जुलूस निकाला। वह कलेक्टर के पास गये, पुलिस अधीक्षक के पास गये, ज्ञापन दिया कि इस तरह से हत्या करवायी गयी है, पुलिस की लापरवाही से यह हुई है, लेकिन कोई

(श्री नत्थीसिंह)

सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान पत्रिका के प्रतिनिधि वहां पर गये, उनके दो साथियों का इन्टरव्यू लिया। सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि भरतपुर जाते हुए जागीरे वाले पुल के पास हमें पुलिस की गश्ती गाड़ी मिली। पुलिस वालों ने हमें रोका डण्डों और राइफल से हमारी पिटाई शुरू कर दी। पुलिसकर्मी हमें बेरहमी से तब तक पीटते रहे जब तक उनके दो बेंत नहीं टूट गये। करीब 20 मिनट की पिटाई के बाद पुलिसकर्मी हमें जीप में डालकर पुलिस लाइन ले गये। सहायक निरीक्षक फूलसिंह हमारे स्कूटर को चलाकर लाया। उसमें उन्होंने यह भी कहा बताया है कि हमें अस्पताल में दाखिल करा दो, लेकिन पुलिस वालों ने यह बात नहीं मानी। फिर कहा है कि 2 बजकर दस मिनट पर अस्पताल में कोतवाली के दूसरे अफसर आये। उन्होंने हमें अस्पताल भेजा। हमारे अनुनय विनय करने पर भी हममें से एक को वहां नहीं रहने दिया। इस तरह वहां की स्थिति की 18 और 19 तारीख के "राजस्थान पत्रिका" में और 19 और 20 के "अमर ज्वाला" जो वहां निकलता है और 21 के जनसत्ता अखबार में रिपोर्टिंग हुई। बड़ा विरोध हुआ। 24 तारीख को मैंने यहां स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद भी जिन पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से यह काम करने की बात की है उनके खिलाफ वहां फौजदारी का केस आज तक दर्ज नहीं किया गया, न कोई और कदम उठाया गया है। मैं मांग करता हूं, जिस तरह से उसकी मौत हुई है उसको देखते हुए उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, औद्योगिक क्षेत्र का यह जो थाना है जिसके इन्चार्ज ने यह काम किया है, वह थाना बनने से पहले चौकी थी। आपको मालूम होगा, जागीरे क्षेत्र की रोड पर आप कई बार जाते हैं, कि कई लोगों को पीटा गया, लूटा गया जिसकी रिपोर्ट की गई। इसके बाद इसे थाना बना दिया गया। थाना बनने के बाद पुलिस के कांस्टेबल को वहां पिटाई हुई। उसके बाद जागीरे जाते हुए एक आदमी को जान से मार दिया गया आज तक किसी भी केस में कुछ नहीं हुआ। वहां पर वृन्दावन जाती हुई, राजस्थान रोडवेज की बस लूटी गई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ दूसरी तरफ सभ्रांत नागरिक जो अपना काम करके अपने गांव जाते हैं उनको इस तरह से परेशान किया जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। मुझे मालूम हुआ है, एक जरिये से मुझे सूचना मिली है कि जब इतना आन्दोलन हुआ तो फूलसिंह, जो पुलिसकर्मी है को सस्पेंड कर दिया गया। कहा गया कि इसको हम सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। यह मौत हुई है जो क्रिमिनल केस है, नेगलिजेंस आफ क्रिमिनल एक्ट है। मैं आपके माध्यम से हमारे गृहमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये और जो नौजवान, पच्चीस वर्ष का मैकेनिक मरा है उसको मुआवजा मिलना चाहिये ताकि पुलिस को ताड़ना हो, इस तरह के खतरनाक एटिट्यूड पुलिस ले रही है, इस तरह तरह के गम्भीर अपराध बढ़ रहे हैं, पच्चीस वर्ष के नौजवान को जबरदस्ती मौत के घाट उतार दिया उनको सबक मिल सके और लोगों को एहसास हो सके पुलिस रक्षा करने के लिए है, हमारे नागरिकों की जान लेने के लिए नहीं है।

(86)

(श्री नत्थीसिंह)

इसलिए आपकी मार्फत मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तत्काल कार्यवाही करके जो दोषी लोग हैं उनको सजा दी जाय। एक नहीं बल्कि कई लोग थे, पुलिस की उस पैट्रोलिंग जीप में। उसके बाद जब उन्हें कोतवाली ले गए हैं तब भी कई अधिकारी मौजूद थे। मुझे मालूम हुआ है कि वे उन्हें कोतवाली लाने से पहले एक बड़े पुलिस के अधिकारी के पास पुलिस लाइन्स में लेकर गये थे। फिर क्यों नहीं उस पुलिस अधिकारी ने उस समय कहा कि अस्पताल लेकर जाओ कोतवाली जाने के बाद क्यों नहीं पुलिस अधिकारी ने कदम उठाया कि इतने घायल आदमी को पहले अस्पताल पहुंचाओ ? 6 घंटे तक वहां आदमी को पटके रखा गया है। यह जो अपराधिक मनोवृत्ति है और जैसा उन्होंने व्यवहार किया है उसके लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए, आपकी मार्फत मेरी यह मांग है सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकुमार औदिच्य

(अनुपस्थित)

श्री नारायण राम बेड़ा

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासीय शोषण मण्डल जिसको राजस्थान आवासन मंडल कहा जाता है पर मैं उसको आवासीय शोषण मंडल कहता हूं, के बारे में पहला मौका है हाउस में कि जब कुछ बातें सरकार के ध्यान में लायी जानी चाहिए वह मैं ला रहा हूं और इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि थोड़ा समय ज्यादा ले लूं तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं सिवाय रेलेवेन्ट बात के और कुछ नहीं कहूंगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि जनता की यह मजबूरी है कि उसको शहरों में मकान चाहिए और जैसा भी मकान उनको दिया जाता है उसमें रहने के लिए वह बाध्य है। सरकार का यह आवासन मण्डल जनता की इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। जितने भी मकान आवासन मण्डल ने बनाये हैं उनमें जो मैटेरियल लगा है उसकी जांच की जानी चाहिए लेकिन वह कभी की नहीं गयी। मैं तो स्वयं मालवीय नगर में रहता हूं और उसका मुझे रोज अनुभव होता है। वहां पर मकान मिट्टी से बने-पुते हुए हैं। अभी बरसात बहुत तेज नहीं हुई है, जयपुर में बहुत ज्यादा तेज बरसात नहीं हुई है लेकिन नये मकान लीक कर रहे हैं। उन मकानों का जो प्लास्टर है वह तो मामूली सी बरसात में ही उतर जाता है। उसकी जांच आवासन मंडल यदि कहीं करा ले और सरकार इसमें ध्यान दे तो शायद उसमें बहुत बड़ा घोटाला मालूम होगा।

दूसरी बात यह है कि आवासन मंडल ने जब मकान बनाने शुरू किये तो एक कीमत निर्धारित और घोषित की। सन् 1979 में मध्यम वर्ग (ब) आय वर्ग के लिए मकान की 46 हजार की कीमत तय की और उस पर 10 पर्सेन्ट का मार्जिन रखा। 10 पर्सेन्ट कम-ज्यादा हो सकता है। लेकिन आज उन्हीं मकानों की कीमत ली जा रही है 72 हजार रुपये जो कि आर्बिटेरी आवासन मण्डल ने तय की है। किसी से पूछा नहीं, किसी की सलाह नहीं ली। और लोगों

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

की मजबूरी है इसलिए वह धूल के मकान 72 हजार रुपये देकर भी ले रहे हैं और उसमें रह रहे हैं। मगर एक बात उन्होंने और की। मैं मालवीय नगर का उदाहरण देता हूं। सैक्टर 1, सैक्टर 2, सैक्टर 3, सैक्टर 4, सैक्टर 5, सैक्टर 6 और सैक्टर 7 अभी बन रहे हैं। सैक्टर एक में जो सुविधायें, जो एक्स्ट्रा मैटेरियल लगाया गया है वह सैक्टर 2 में नहीं है। सैक्टर 2 में जो दिया है वह सैक्टर 3 में नहीं है। जो सैक्टर 3 में है वह सैक्टर 4 में कम कर दिया। कहीं किवाड़ों की, कहीं चिकडोर्स की कमियां करते गये, मैटीरियल कम लगाते गये और कीमत बढ़ाते गये। इस तरह यह आवासन मण्डल राजस्थान की जनता का बहुत शोषण कर रहा है। अभी जो बरसात हुई है, मैं सैकड़ों मकानों का अब तक मुआयना कर चुका हूं, मेरे अपने मकान को तो देख ही रहा हूं, सारे मकान लीक कर रहे हैं। उसमें एक कोई घोल लगाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता है। उसको छत के ऊपर कहीं लगा देते हैं उससे कोई लीक-वीक बन्द होता नहीं है....

श्री भंवरलाल शर्मा : चूना लगा दिया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चूना भी नहीं है वह। चूना तो लगा ही दिया उन्होंने सबके, वह तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : चूना है नहीं कि चूना लगाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : चूना तो खरीददार के लगाया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रहने वालों के तो चूना लगा दिया है। चूना मकानों में नहीं है। सीमेंट का काम तो मकानों में बिलकुल होता ही नहीं है। सीमेंट शायद जान-बूझकर वर्जित सी कर रखी है, उसमें जरूरत ही नहीं है।

दूसरा सवाल आता है कि यह आवासन मन्डल जो नई कालोनी बना रहा है उसका विकास ठीक ढंग से हो, उसकी बसावट ठीक हो इसके लिए अभी से ध्यान रखा जाये तो शायद ठीक होगा। अभी से उसमें गड़बड़ियां पैदा हो गयीं तो जो हालात आपके जौहरी बाजार में और चांदपोल में हैं जहां अनोथराइज्ड कब्जे तुड़वाने के केम्पेन चला रहे हैं यही नौबत वहां नहीं आये इसलिए सरकार अभी से सावधान रहे। वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद तो कहती है कि हमने उसको संभाला नहीं और आवासन मण्डल कहता है कि हमने नगर परिषद को संभला दिया है। स्थिति क्या है, यह सरकार, जो बीच में है, उसको भी पता नहीं है। उस हालत में सारे गटर रेत से भरे हुए हैं, बिलकुल साफ नहीं हैं। सड़क से मकानों का प्लिन्थ लेवल दो फीट नीचे है। इसका मतलब सड़क पर यदि दो फीट पानी निकलेगा तो गटर में पानी भरा रहेगा और सारा पानी मकानों में जायेगा। उसको आवासन मण्डल के अधिकारी या कोई भी रोक नहीं सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके पानी की कमी नहीं रहेगी।

(88)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पानी में डूब जायेंगे और अच्छा रहेगा।

इसी तरह मकानों का जो प्लान बनाया है उसकी तो बात ही छोड़िये। 72 हजार रुपये का मकान दे रहे है उसमें स्टोर रूम नहीं है। यदि वहां पर कोई परिवार रहेगा तो उसको सामान रखने के लिए दो बैडरूम एक ड्राइंग रूम और एक स्टोर रूम नहीं है। इस तरह का पैटर्न या स्कीम इस आवासन मण्डल ने बनाई है कि मेरी समझ में नहीं आती लेकिन लोगों की मजबूरी है और वह उसका फायदा उठा रहे हैं। बिजली की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क पर बिजली के खम्बे लगे हुए नहीं हैं। कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि नगर परिषद कह रही है कि हमने संभाला नहीं और वह कह रहे है कि हमने नगर परिषद को संभला दिया। इसलिए वहां लाइटों की व्यवस्था को देखने वाला कोई है ही नहीं। सड़कें भी कई जगह तो है ही नहीं और जो हैं भी वह टूटी-फूटी और उनमें इतने गड्ढे हैं कि रात को वहां पर पैदल आदमी भी यदि बिना ठोकर खाये निकल जाए तो उसको भाग्यवान समझना चाहिये। ऐसी स्थिति वहां सड़कों की बना रखी है जबकि उसका डवलपमेंट हो रहा है। यह कह रहे हैं कि हम उसका डवलपमेंट कर रहे हैं। अभी से वहां अनआथोराइज्ड कब्जे शुरू हो गये। लकड़ी की उठाऊ दुकानें जगह-जगह लग गयीं। सब्जी मंडी ऐसी बन गई कि बिलकुल बाजार में, सड़क के बीच में आ गई। उन्होंने पार्क बनाने के लिए जो जगह छोड़ी है वहां कोई फैंसिग नहीं की। उसका परिणाम यह हुआ कि उसमें कूड़े-करकट के ढेर लग रहे हैं। न लेवलिंग है। केवल जगह उन्होंने छोड़ दी। अब वहां पर मालवीया नगर में सैक्टर 3 में तो एक पार्क में शराब की अनाधिकृत दुकान भी खुल गयी है। गुण्डागर्दी का भी एक अड्डा वहां पर खोल दिया गया ताकि वह भी उनको वहीं मिल सके। इस चीज के बारे में नागरिकों ने कई बार लिखा है लेकिन सरकार उसके बारे में चिन्ता करती नहीं है। वहां पर कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है, जवाब आपके पास से आया है, कि 8000 मकान मालवीया नगर में बने है जिसमें से 5 हजार मकान आवंटित कर दिये गये और 3000 बाकी हैं। या शायद उल्टा होगा। मैंने तो यह सुना है कि 8000 में से 5000 आवंटित कर दिये और 3000 बाकी हैं। हो सकता है 3000 कर दिये हों और 5000 बाकी हों। कुछ भी मिला लीजिये। यदि 5000 है तो 25000 की मिनिमम आबादी है और 3000 है तो 15000 की आबादी है। लेकिन वहां पर 15000 की आबादी के लिये कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है और न उसके लिए चेष्टा की जा रही है। मुझे यह पता चला है कि यहां पर कई ऐसी संस्थायें हैं कि जिन्होने आवासन मण्डल को एप्लाई किया है कि आप हमें जमीन दे दीजिये हम यहां पर स्कूल बनायेंगे, यहां पर स्कूल चलायेंगे लेकिन आवासन मण्डल इस पर भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। कई हजार लोग वहां रह रहे हैं और चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्य बाजार अजमेरीगेट यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर केवल एक डिस्पेंसरी बना रखी है। वहां एक डाक्टर बग्गा पहले थे। जब उनकी वहां शिकायत हुई

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करप्शन वगैरह की तो उनका जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर जेल में उन्होंने कोई काण्ड कर दिया तो उन्हें फिर से ले जाकर मालवीया नगर डिस्पेंसरी में लगा दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक जो डिस्पेंसरी है।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : सरकार तो बातों में मशगूल है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (ऊर्जा मंत्री) : सरकार है यहां बैठी है।

श्री शोपतसिंह : सरकार है तो सही लेकिन बातों मे मशगूल है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लेकिन कान तो उधर है।

श्री शोपतसिंह : कान हैं क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपके नहीं हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं तो आपके कान बरकरार तब मानूंगा कि जब मेरी बात सुनकर उस पर कुछ करोगे, नहीं तो समझूंगा कि कान नदारद हैं। आपने सुना ही नहीं, तो सुन ही लीजिये कृपया वहां पर एक अच्छा डाक्टर लगायें और वहां पर एक अच्छा....

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : आप धीमी गति से समाचार कैसे दे रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : धीमी गति से इसलिए दे रहा हूं कि आपके कान जरा कमजोर हैं। इसलिए उस डिस्पेंसरी को एक छोटा सा अस्पताल बनायें, वहां एक लेडी डाक्टर बैठायें एक अच्छा डाक्टर बैठायें। जो वर्तमान डाक्टर है उसकी शिकायत बहुत बड़े व्यक्तियों ने की है आपके रिटायर्ड सेक्रेटरी ने भी, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं जिनका नाम मैं बताना नहीं चाहता, बहुत रेस्पेक्टेबल हैं। उन्होंने कहा था कि इनको हटाइये, हमारी तो इज्जत बड़े खतरे में है। इसलिए मेहरबानी करके तुरन्त कोई न कोई एक्शन लीजिए, दूसरा डाक्टर भेजिये, अस्पताल बनाइये।

अब वहां पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं जे.डी.ए. के द्वारा। मैं रोज देखता हूं। वृक्ष लगाने का यह क्रम कई महीनों पहले शुरू हुआ था। मैंने भी एक वृक्ष अपने यहां लगा लिया। मैंने जो वृक्ष लगाया वह तो अब 15 फीट ऊंचा चला गया मगर जे. डी. ए. के टोटल 100 पर्सेन्ट पेड़ जो मेन रोड पर हैं जहां किसी का निवास स्थान नहीं है अभी 9 इन्च के नीचे पड़े हैं। कुछ पता नहीं। वहां रोज एक ट्रक आता है पानी का। वह कहते हैं, हम पानी देते हैं मगर उनकी ऊंचाई 9 इंच या 6 इंच से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनकी ग्रोथ नीचे जा रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्या यह स्पेशल टाइप के वृक्ष हैं जो कि 6 इंच या 9 इंच तक ही रहने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे नहीं ? जे.डी.ए. लाखों रुपये वृक्षारोपण के नाम से खर्च कर रही है और यह देखने वाला कोई

(90)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नहीं कि जो वृक्ष हमने लगाये हैं वे वृक्ष ऊपर आ रहे हैं या नहीं।

इसके अलावा सभी सैक्टर्स में जे.डी.ए. ने शापिंग सेन्टर बनाये हैं लेकिन आज तक उन शापिंग सेन्टर्स में दुकानें नहीं खुलीं। पता नहीं, उनकी नीलामी भी हुई कि नहीं। लोग यह शिकायत करते हैं, साहब, कि लोगों ने मकानों में प्राइवेट दुकानें खोल लीं इसलिए अगर यह दुकानें नीलाम भी हुईं तो चल कैसे सकती हैं। जब तक वह मकानों की दुकानें बन्द नहीं करवाते हैं हमारी दुकानें चलेंगी नहीं। इसलिए वह शापिंग सेन्टर चालू हों इसकी और अन-आथोराइज्ड दुकानें जो मकानों में बिना कामर्शियल काम्पलेक्स बनाये खुली हुई हैं, उनको रोकने की व्यवस्था करें। उस शापिंग सेन्टर को डवलप करें ताकि वहां के रहने वालों को हर बार छोटी-छोटी चीजों के लिए 10 किलोमीटर दूर आना जाना नहीं पड़े। वहां कोई सिटी बस जाती नहीं जो 15-20 मिनिट में आ जाये। वहां पर छोटी-छोटी मिनी बसें जरूर हैं वह भी गुंडों का एक अड्डा हैं। किसी औरत की इज्जत उन बसों में सुरक्षित नहीं रहती। बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं उनको भेड़-बकरियों की तरह भरा जाता है। वह भी आप जैसे मां-बाप की बच्चियां हैं। उनके साथ चीटिंग होता है, उनके च्यूंटी भरी जाती हैं उनकी बेइज्जती होती है और यह हम अपनी आंखों के सामने देखते है। इस सरकार जो कहना है कि हमारे कान हैं, के शायद आंख भी होगी, तो आंखों से जाकर देख लीजिये। कल मैं जब विधान सभा से गया तो जब हर मार्ग पर तीन आदमी मरे हुए, तीन लाशें पड़ी हुई थीं। इनकी मौत मिनी बस के एक्सिडेन्ट के कारण हुई थी। आज अखबार में भी उन दोनों की खबर आई है, एक स्कूटर पर दो आदमी थे मर गये, और एक आदमी और मरा हुआ पड़ा था जिसको टक्कर मार दी।

श्री शोपत सिंह : आपने पुलिस को इत्तिला नहीं कर दी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पुलिस वहां खड़ी थी पत्थर लगाकर। लाश के चारों तरफ पत्थर लगाये हुए थे। उसके मुंह से खून निकला हुआ था। पुलिस, पता नहीं क्या इन्तजाम कर रही थी, मौका देख रही थी या क्या कर रही थी ? लेकिन यह स्थिति करीब-करीब रोज वहां पर होती है। तो इन मिनी बसों को तो आप मेहरबानी करके बड़ी बसें बनायें, जिस तरह से यह आजकल चल रही हैं वह मानवोचित नहीं है। कम से कम महिलाओं के लिए बड़ी ही असुविधा है। इसलिये कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि एक-दो सिटी बस ऐसी हों जो 15-20 मिनिट में वहां से सीधे अजमेरी गेट पर आ जायें और अजमेरी गेट से वहां जायें तो लोगों को आने-जाने में सुविधा रहे और यह आवासन मण्डल जिस उद्देश्य से आपने बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाये। लकड़ी की जो उठाऊ दुकानें जगह-जगह पर लगी हुई हैं उनको अभी से हटा दीजिये वरना बाद में फिर वे हटेंगी नहीं और हमेशा के लिए समस्या आपके सामने खड़ी हो जायेगी और उस कालोनी का विकास नहीं होगा। इसलिए यह प्रमुख कुछ बातें आपके ध्यान में रखी हैं। अब सरकार के आंख और कान दोनों हैं या नहीं, यह बाद में पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्रीमती उज्ज्वल अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय मालवीया नगर में 8, 7 और 6 सैक्टर के पीछे एक बड़ा भयंकर नाला है उसके पीछे आप आवंटियों को मकान देने जा रहे है। उन पर क्या बीतेगी? उसको पिटिंग कर पक्का नाला बनाइये, मुख्य रास्तों पर लाइटें लगाइये। लाइटों का पैसा आपने तीन साल से यहां दिया हुआ है बिजली विभाग को। वहां पर लोगों को आते जाते मुसीबत हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार इसमें ध्यान दे। आपने उपनगर बसाया है तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह रहे थे, हमारे कान हैं। कान हैं तो मुंह भी होगा। तो जरा कुछ कह दें, आश्वासन दे दें कि क्या करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सब नोट कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने कानों का उपयोग किया तो जरा मुंह का उपयोग भी कर लीजिये। क्या हम यह मान लें कि आपके मुंह नहीं है, यह माने कि आपके जुबान नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री हंसराज मिढ्ढा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का टाइम दे दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): पहले तो जो भाभड़ा साहब ने बात उठाई है उसका मैं समर्थन करता हूं। मालवीया नगर की योजना जनता रिजीम की योजना थी। मैं समझता हूं, उसकी मुख्य सड़कों पर प्रकाश नहीं होने के कारण....

श्री शोपतसिंह : यह आपकी आवाज कहां चली गई?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जरा ठहरिये। कल नहीं बोलने दिया था आपने। दुघटनायें होती रहती हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य सड़कों पर लाइटें लगनी चाहिए। मालवीया नगर की प्रमुख पांच-सात सड़कों, मकानों, इन सब का समुचित विकास होना चाहिए। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मालवीया नगर आज बिलकुल जीर्ण शीर्ण दशा में पड़ा हुआ है। इसके लिए 75 लाख रुपए भंवरलाल शर्मा जब यहां स्वायत्त शासन मन्त्री थे तब केन्द्रीय मन्त्री सिकन्दर बख्त जी ने दिया। अब उसको, मैं समझता हूं, केवल इसलिए खर्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि जनता पार्टी के रिजीम में मालवीया नगर बना है, इसलिए इसका विकास नहीं हो रहा है। यह बात अलग है। मालवीया नगर का नाम पसन्द न हो तो ऋषि गालवनगर रखें या मालवीया नगर ही रखें, लाला लाजपतराय नगर रखें, विद्याधर नगर नाम रखें। अब अगर इस सरकार को यह नाम पसन्द न हो तो फिर कान्ता कथूरिया के नाम का नगर रखें या कोई और नाम का नगर रखें मुझे उसमें

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

आपत्ति नहीं लेकिन मुझे निवेदन करना है कि इसका विकास होना चाहिये। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आभड़ा जी के विषय के साथ ही मेरा विषय जुड़ गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हाऊसिंग बोर्ड, नाहरी का नाका की तरफ जायें तो वहां देखेंगे, कितनी नारकीय दशा है, वहां पर सारे पार्कों की हालत बिल्कुल खराब पड़ी है जीर्ण-शीर्ण दशा में पार्क हैं, एक भी पार्क नहीं बना हुआ है वहां पर। सड़कों की हालत खराब है, सड़कों पर मिट्टी, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जानवर मरे पड़े हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, वह चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है इसलिए मेरा जाना मुश्किल हो गया है। वे कहते हैं, अब आना विधान सभा के बाद, आपकी नहीं ठुकाई करदें तो आप देखना। इसलिए, मैं समझता हूं, मान्यवर मैं भी आपका एक सदस्य हूं विधान सभा का मैम्बर हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर आ जायें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां विषय पर आ रहा हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि आप मंत्री महोदय से कहें, वहां पर सड़कों की हालत ठीक हो जाय, लाइटों की व्यवस्था ठीक हो जाये, पार्कों की व्यवस्था ठीक हो जाये, मालवीय नगर का विकास हो जाये। मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज से लेकर मालवीय कालोनी तक जो रास्ता गया हुआ है वहां अन्धकार छाया हुआ है वहां लाइटों की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो। हाऊसिंग बोर्ड की कोलोनी की भयंकर दुर्व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

अब मैं मूल विषय की ओर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि पुराने कागजात नहीं जलाये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुर्द-बुर्द करने की नियत से बड़े-बड़े लोगों को भूखण्ड दिये गये हैं। पिछली बार आवासन मंत्री, हाऊसिंग बोर्ड के मिनिस्टर थे दूल्हाराम जी, अरे आपके साथ रहे हैं भगवन, उन्हें जवाहर नगर में पार्क के बीच में....

एक माननीय सदस्य : दूल्हाराम जी ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दूल्हाराम ही कह रहा हूं।

पार्क के बीच में मकान बना लिया। बड़े-बड़े लोगों के सार्वजनिक पार्क के बीच में मकान बनाये गए जवाहर नगर में। उन सारी बातों को गोल-माल करने की नियत से यह रिकार्ड जलाने का काम किया है ताकि यह रिकार्ड हाथ में न आ जाये। अभी हाल में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके एक दिन पहले 20 बोरे पुराने रिकार्ड के वहां पर हाऊसिंग बोर्ड के प्रांगण में जलाये गये, जिसके चित्र मेरे पास हैं। लाने वाले लोग लाते हैं, मैं तो वहां पर गया नहीं। चित्र मेरे पास मौजूद हैं। मैंने यहां पर स्थगन प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष महोदय ने कृपा कर दी, राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजा। मैंने कहा, आज भी सात बोरे और जलाये जायेंगे, आज ही चर्चा हो जाये

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लेकिन आपकी व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था है कि सरकार को जानकारी के लिए भेज दिया। विधान सभा एडजार्न होने जा रही है कब जानकारी आती है क्या मालूम ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास यह कागजात मौजूद हैं। सन् 1973 से लोग परेशान हैं, लोगों को मकान हाऊसिंग बोर्ड से मिल नहीं रहे हैं लोग बिल्कुल दुखी हैं। दुखी होने के कारण से फिर कृषि भूमि में जाकर मकान बनाते हैं। जयपुर शहर के 75 हजार लोगों की रकम जमा होने के बाद भी, आज तक सरकार ने केवल 534 नक्शे विशेष प्रभावशाली लोगों के देखे हैं जबकि नक्शे 75 हजार लोगों ने पेश किये हैं। 21-7-1984 तक जितने लोगों ने जयपुर में कृषि भूमि रूपांतरण की रकम जमा कराई, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, वहां तो केवल उनका एक रेकार्ड है। यदि आज फिर से सरकार कृषि भूमि रूपांतरण की रकम जमा कराने की अवधि कन्शेसन रेट पर बढ़ा दे तो मैं कहता हूं, जयपुर शहर में अभी तक 14 करोड़ 50 लाख जमा हुआ है और अब लगभग 6-7 करोड़ और इस जयपुर शहर में जमा हो सकता है राजस्थान में 28 करोड़ रुपया जमा हो गये इस कृषि भूमि रूपांतरण के, यह पैसा सन् 1984 से पड़ा है लेकिन नियमन हुआ नहीं इसलिए लोगों ने, गरीब लोगों ने हाऊसिंग बोर्ड में एप्लिकेशन दी। हाऊसिंग बोर्ड में एप्लिकेशन दी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी रकम जमा है, यह मेरे पास मौजूद है–एक चालान है मेरे पास 13-2-1985 का, दयाराम सन ऑफ गिर्राज प्रसाद ने रकम जमा कराई है। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी का ही आदमी है। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप इस समय कुर्सी पर विराजमान हैं और आपके ही वहां का आदमी निकल आया है। दयाचन्द सन ऑफ गिर्राज प्रसाद मकान नं. 2/14....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पिता के नाम का है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चालान की एक रसीद मेरे पास मौजूद है, जो बोरी में से लाये लोग, जो वहां जलायी जा रही थीं वहां पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चालान की रसीद ट्रिप्लीकेट में हाऊसिंग बोर्ड में होनी चाहिए वह मेरे पास मौजूद है। आप देख लीजिएगा, कोई फर्जी नहीं है। इसको कहीं टेस्ट कराना हो तो लेबोरेटरी में भेज कर टेस्ट करा लीजिए। मेरे पास यह रसीद मौजूद है। अब इस प्रकार से यदि रेकार्ड खुर्द-बुर्द किया जायगा तो आखिरकार जिस व्यक्ति ने इसी व्यक्ति ने, मान्यवर जो रकम जमा कराई है, 5 हजार ...

श्री छोगाराम बकोलिया : किसी बाबू से ले आये होंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप जो चाहे कह दें, आपकी अकर्मण्यता मैं बता रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की ट्रिप्लीकेट वाली चालान रसीद मेरे पास है, जो जलाई जा रही थी। मैंने कौनसा गुनाह कर दिया कि आपके नोटिस में यह बात लाया हूं। इसी प्रकार से, मान्यवर, यह मेरे पास है, नोटिस,

(94)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

अन्तर्गत धारा 80, मुरारीलाल धतूरा, पंचवटी, उदयपुर। इस प्रकार के कागज सन् 1985 के हैं। यह रसीद भी है। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, डेट आपको बताई 13-2-1985 की। यह जो नोटिस दिया यह भी 1985 का ही है यानि कोई पिछला रेकार्ड हो, कोई 10-20 साल पुराना हो तो बात अलग है। अभी तो वर्तमान सत्र चल रहा है दो साल, तीन साल, पांच साल आखिर रेकार्ड तो जरूरी है मेरा आरोप है कि उस रेकार्ड को खुर्द-बुर्द किया गया।

मान्यवर, एक कम्प्लीशन रिपोर्ट है 15-12-1982 की। जब किसी को मकान दिया जाता है तो इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि मकान में कितनी खिड़की हैं, कितनी चटकनी हैं, कितने लाइट कनेक्शन्स हैं, कितनी टोंटी हैं। आपने तो हाऊसिंग बोर्ड का मकान ले रखा है न, उपाध्यक्ष महोदय। यह कम्प्लीशन रिपोर्ट है, इस कम्प्लीशन रिपोर्ट को भी वहां जलाया जा रहा था। इसका जब यह उत्तर आया तो मुझे दुख हुआ यही सबसे बड़ी बात हुई वरना मैं तो आई-गई समझ लेता कि जो कुछ हो गया, हो गया। लेकिन उत्तर यह आया कि, साहब, हमारे यहां तो कागज जलाये नहीं गये तो आखिरकार मेरे पास कागज कहां से आ गये? इसलिए मुझको यह सिद्ध करना पड़ रहा है। जब मुझको मालूम पड़ा कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो मैं इन्हें उठाकर लाया कहीं से। मैंने सोचा, कागजात को तो लाओ वरना जो बात कह दी वह कहीं असत्य सिद्ध न हो जाय। यह कागज पड़े हैं। इसी प्रकार, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह कागजात और हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड की तरफ से आरक्षण योजना, लाटरी नंबर एक की सफलता पर बधाई, ये सारे कागज मेरे पास हैं जिसमें लोगों को बधाई दी गई कि आपका नम्बर आ गया है, अब आप 500 रु. अग्रिम जमा कराओ। इस प्रकारके मेरे पास एक नहीं दो नहीं, तीन नहीं कई कागजात मौजूद हैं। ये कागज मेरे पास मौजूद हैं जिनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। क्या कारण है आखिरकार इस खुर्द-बुर्द करने के?

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले नेताओं ने, राज नेताओं ने भू-खण्ड ले लिए, पार्कों में, सार्वजनिक जमीन पर, और भी ले लें तो ले लें आप तो रोजाना आरक्षण करते हैं आप पर तो कोई असर होता ही नहीं। विधान सभा में कितनी ही आलोचना कर लें उल्टा प्रमोशन होगा। मैं समझता हूं इनके मिनिस्टर पर तो कोई असर होता नहीं उल्टा प्रमोशन और होता है। कोई उप मन्त्री है तो राज्य मंत्री बन जायगा, मिनिस्टर बन जायगा फिर कुछ और बन जायगा या मुख्य मन्त्री बन जायगा। यहां विधान सभा में आरोपों पर उल्टा आदमी का प्रमोशन होता है। यह मेरे पास मौजूद है, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, रेकार्ड मेरे पास मौजूद है। 13-1-1985 आवासन अधिकारी श्रीमती सर्वेश माथुर पत्नी श्री जगदीश चन्द्र शर्मा चालान नम्बर इतना, वर्ष 1985 ये सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। अब आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से मेरे पास मौजूद है जो आवटन-पत्र दिया जाना था। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास मौजूद है, पजेशन लेटर जो दिया जाना था। ये सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं मय चित्र

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

के जिसके आधार पर मालूम पड़ता है कि वे जल रहे थे, बोरियों में जल रहे थे....

(व्यवधान)

जले हुए हैं मेरे पास, आखिरकार।

श्री शिवराम शर्मा : कुछ चोरी भी चले गये थे कागज।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो लाया नहीं आखिरकार। शिवरामजी, बात बड़ी गम्भीर है। आप सत्तारूढ़ दल में बैठे हैं आपकी तो यह इच्छा होगी ही। आप कृषि भूमि में मकान बेच लेते हो इसलिए आप तो चाहोगे ही कि हाऊसिंग बोर्ड में कोई जाये नहीं, सब मेरे पास ही आवें और दुकान चले। परमात्मा करे, आप और करोड़पति हों, और मालदार हों, यह मैं चाहता हूं क्योंकि आप मेरे जयपुर के साथी विधायक हैं। लेकिन मेरा निवेदन करना है, हाऊसिंग बोर्ड में इस प्रकार की अव्यवस्था न हो। अभी मान्यवर हरिशंकरजी भाभड़ा साहब ने कहा, मालवीय नगर तथा जवाहर नगर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क वहां पर है नहीं। केवल एक पार्क जिस समय मैं यू.आई टी. का चेयरमैन था उस समय बना था। मालवीय नगर हमारी वाली योजना, विद्याधर नगर हमारी वाली योजना। नाहरी के नाके में हालत खराब है। आज हाऊसिंग बोर्ड की सारी कालोनीज में मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, हालत खराब है। फिर उसके बाद भी इस प्रकार से लोगों के आवटन-पत्र, चालान फार्म, आदि को खुर्द-बुर्द किया जाय। आदमी वहां पर जाय तो कहे, हमारे पास रेकार्ड उपलब्ध नहीं है, तुम हमारे पास और पैसे जमा कराओ। तो इस घोर अव्यवस्था की ओर, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे। मन्त्री महोदय, इस संबंध में कोई वक्तव्य दें तो ठीक होगा....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनट में अपनी बात के लिए और समय लेना चाहूंगा।

मैंने यह समझ करके कि आप आज चेयर पर होंगे, एक प्रस्ताव रखा था। आज राजस्थान की एक चौथाई आबादी वृजभाषी क्षेत्र में है किन्तु खेद का विषय है कि वृज क्षेत्र की जनता की सांस्कृतिक परम्पराओं के उत्थान के बारे में किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। विशेषकर आकाशवाणी जयपुर, अजमेर से वृज लोक गीतों का प्रसारण न होने से वृज क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। सावनी महीनों के मल्हार गीत और कैला देवी के मेले के लांगुरिया गीतों की कैसिट का आकाशवाणी, जयपुर में अभाव होने से, वृज क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। क्या राज्य सरकार इस बारे में समुचित व्यवस्था करवायेगी? इसमें आप व्यवस्था करिये। किस्मत से आप इस समय चेयर पर हैं। मैं समझता हूं, भरतपुर की भाषा वृज की भाषा है। इसके अलावा यह दिन कृष्ण की लीला और जन्माष्टमी के उत्सव के हैं, सावन का महीना है। तो इस वृज भाषा की इस प्रकार से आकाशवाणी से घोर उपेक्षा हो, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुए आपके इस समय चेयर पर रहते हुए घोर उपेक्षा हो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने आपके मन

96

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

की भावना कही है। आकाशवाणी से वृज भाषा में यह लांगुरिया लोकगीत प्रसारित हों। और हाऊसिंग बोर्ड की जो घोर अव्यवस्था है, इस ओर निश्चित रूप से सरकार का ध्यान हो, यही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री हंसराज मिद्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय लूंगा ..।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है ...

(व्यवधान)

सब चीज आ गई।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पानी के विवाद को लेकर सारा सदन चिंतित नजर आया। आज मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का कितना ही पानी जिसको राजस्थान रोक सकता था, जिसको रोकने से अलवर, भरतपुर सरसब्ज हो सकते थे उस पानी को ही दूसरी स्टेट हमारी स्टेट से ले जा रही है। हमारे पानी का वह हिस्सा जो दूसरे स्टेट की भौगोलिक सीमा में है उसको राजस्थान सरकार जबरन ले ले, यह तो असम्भव है लेकिन मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से कि राजस्थान का जो पानी है, राजस्थान की जो मूल नदी है साबी नदी, उसके पानी को ही रोक लीजिये, आपके तीन या चार जिले सरबसब्ज हो जायेंगे और पूर्वी राजस्थान की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वी राजस्थान की जब बात आती है तो कितनी ही बडी समस्या हो, पश्चिमी राजस्थान के मेरे साथी सदस्य उसको बडे हल्के तरीके से नापते हैं। जिस तरह से कल सारा सदन, जैसे शोक मग्न हो इस तरह की मुद्रा में था। चाहे वह पश्चिमी राजस्थान का हक कट रहा था, चाहे वह राजस्थान के किसी भी हिस्से का हक कट रहा था पर सब सदस्य चिंतित थे। आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है पर मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान की ही नहीं बल्कि राष्ट्र हित का सवाल था। लेकिन आसन की व्यवस्था हुई कि यह लोक महत्व का नहीं है। अब मैं आपसे पांच मिनट चाहता हूं। मैंने कभी इन्टरप्ट नहीं किया, कभी ज्यादा समय नहीं लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आज मेरे प्रश्न का जवाब दिया है कि दिल्ली सरकार से यह रिपोर्ट आई है कि मसानी बैराज के पूरे होने से राजस्थान का एक भी गांव नहीं डूबेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पानी मसानी बैराज में रूकेगा तो क्या ये उसको हवा में रोकेंगे? केवल 500 एकड़ रकबा हरियाणा सरकार को दिया है और 500 एकड़ में भी कन्स्ट्रक्शन हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं बाद में जो पानी रूकेगा, पानी का जो बहाव होगा राजस्थान और दिल्ली की सरकारें क्या इसे हवा में रोकने का इन्तजाम बना रही हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास नोटिस हैं, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि आज से चार साल पहले मेरे

(श्री जगमाल सिंह यादव)

क्षेत्र के 22 गांवों को नोटिस दिया गया था कि आप मकान नहीं बनवाओगे।

आपके पक्के कुए नहीं बनेंगे, आपके यहां सड़क नहीं बनेगी, आपके यहां को-आपरेटिव सासायटी के गोदाम नहीं बनेंगे। आपके यहां स्कूल नहीं बनेंगे, यहां तक कि उस क्षेत्र जो 7 साल से इलेक्ट्रिफाइड है के लोग बिजली के कनैक्शन के लिए तरस रहे हैं। बिजली के अधिकारी यह कहते हैं कि यह गांव तो डुबाव में आयेंगे भरत में आयेंगे, मसानी बैराज बन रहा है यह गांव डूब जायेंगे, यहां तो विकास कार्य नहीं होगा। दूसरी तरफ यह सरकार जवाब देती है कि गांव डुबाव में नहीं आयेंगे, राजस्थान का कुछ हिस्सा नहीं डूबेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं, यह राजस्थान सरकार कहां थी 1976 में, जब मसानी बांध की नींव रखी गई? आज जो सदन के नेता हैं, आज जो सरकार के हैड हैं वही उस दिन भी सरकार और सदन के हैड थे जब 1976 में हरियाणा सरकार ने मसानी बैराज का निर्माण कार्य चालू किया? उस समय क्या यह सरकार सो रही थी? सबसे बड़ी शर्म की बात तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जिस पानी को रोका गया, राजस्थान की बाउन्ड्री पर रोका गया। वह पानी असल में राजस्थान का है। मैं आंकड़ों के आधार पर और वहां के एक्स. ई एन. आदि अधिकारियों की बात के आधार पर कहना चाहता हूं। उन लोगों का कहना है कि राजस्थान की 5000 एकड़ जमीन डूबत में आ रही है। फिर झगड़ा क्या हो रहा है। किस बात का सर्वे करा रहे हैं? झगड़ा मुआवजे की बात पर हो रहा है। राजस्थान ने अपने सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी दिल्ली भेजे हैं, चंडीगढ़ भेजे हैं। हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग से कई वार्तायें हो चुकी हैं और मुआवजे की बात हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हमारा एक भी गांव नहीं डूबेगा, मैं आपकी नालेज में लाना चाहता हूं, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार दोनों के बीच में 13500/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा तय होने जा रहा है। राजस्थान सरकार जब कहती है, नहीं डूबेगी, एक इंच जमीन नहीं जायेगी तो सरकार मुआवजा किसको देगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुआवजा तय होने जा रहा है। मैंने एक पत्र सरकार को लिखा है। मसानी बैराज बन गया है, 113 करोड़ करीब सवा अरब रुपये की योजना है जो कि बनकर तैयार हो गई है। इसके अन्तर्गत 18 बैराज बनने हैं जिसमें से 12 पूरे हो गये, 6 लगभग पूरे होने जा रहे हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा था पत्र में मैंने एक ही बात कही कि आप इन गांवों को तो नहीं बचा सके, आप राजस्थान के पानी को तो नहीं रोक सके, आप पूर्वी राजस्थान के हितों की रक्षा तो नहीं कर सके, आप उसमें हिस्सा तो नहीं ले सके लेकिन आप कम से कम एक रहम तो इन किसानों पर कर दो। मैंने यह लिखा है राजस्थान सरकार को। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां यह डैम बनाया गया है, जहां यह बैराज बनाया गया है वह जगह धारूहेड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया से मात्र 2 किलोमीटर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दूर है। मैं तर्क के आधार पर कहना चाहता हूं कि वहां की भूमि की रेट दो लाख और 3 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से है क्योंकि वहां इण्डस्ट्रियल एरिया बन गया। अगर यह मसानी बैराज नहीं बनता तो क्या राजस्थान की यह जमीन दो लाख और 3 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं बिकती? अब 13500 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा देने की बात हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार को करना चाहती है। अगर माननीय सिंचाई मन्त्री जी के ज्ञान में यह चीज नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों स्टेट्स का झगड़ा मात्र एक चीज पर अटका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांध की जो ऊंचाई है उस पर अगर कभी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से साबी नदी में ज्यादा पानी आया और चादर चली, दो फीट तीन फीट की चादर चली तो हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा इतना रकबा और फालतू डूबेगा इसलिए उसका भी मुआवजा दो। हरियाणा सरकार के लोग कह रहे है, हरियाणा सरकार कहती है कि चादर चलने के बाद जो इलाका डूबेगा उसका हम कोई मुआवजा देना नहीं चाहते। राजस्थान सरकार इसका जवाब नहीं देती है। मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको कि यह बातें तय हुई हैं वार्ताओं के दौर चले हैं, और यह कहते हैं कि एक भी गांव नहीं डूबेगा। परसों मैंने दिल्ली के एक मन्त्री का बयान अखबार में पढ़ा कि मसानी बैराज से राजस्थान का एक भी गांव नहीं डूबेगा, एक भी इन्च रकबा नहीं जायेगा। मैं रिपीटीशन नहीं चाहता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि उस बांध का पानी रुकेगा कहां? यह सरकार मुझे यह बता दे क्योंकि हरियाणा ने तो हमारी बोर्डर पर उस बांध को बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी ज्यादा नहीं बोला, लेकिन चूंकि यह मेरे क्षेत्र की, अलवर जिले की और सारे पूर्वी राजस्थान की मेरे खयाल से सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए मैं दो मिनट में एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं राजस्थान सरकार से आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि जब इलाका नहीं डूबेगा तो जो विकास कार्य बन्द पड़े हैं, आप उनको चालू करा दीजिये। एक भी सड़क, काम की एक भी चीज, एक नये पैसे के विकास का काम साल में 1976 से लगाकर आज तक नहीं हुआ। एक भी स्कूल का निर्माण नहीं किया गया है, गांव वालों को मकान न बनाने के लिए नोटिस दे दिये हैं। ठीक है, आपके जवाब से मैं सहमत हूं लेकिन राज्य सरकार में अगर जरा भी शर्म है तो आप आदेश जारी कीजिये कि यह इलाका डूबत नहीं आयेगा, और विकास का काम कीजिये। एक बात और, मेरी अलवर में सिंचाई विभाग के एक एक्स. ई एन. से बात हुई उन्होंने कहा, गांव तो नहीं उठाया जायेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं उठाये जायेंगे? उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का एक प्रस्ताव है कि गांव के चारों तरफ तो हम एक खाई बना देंगे। मैं इस बेशर्म सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या वहां लोग-बाग तैरेंगे, नौकायन करेंगे जब उनकी जमीन मसानी बैराज में डूब जायेगी तो इसमें खाई बना कर उन लोगों का क्या किया जायेगा? वह नौकायन करेंगे? वह किसान क्या धन्धा करेंगे? राजस्थान सरकार उन गांवों को इसलिए नहीं उठाना चाहती कि उनमें जो पक्के

(श्री जयमाल सिंह यादव)

और कच्चे मकान बने हुए हैं उनका मुआवजा देने की जरूरत पड़ती है और वह उसे मुआवजा देने से टालना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमित समय में मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अब तक राजस्थान सरकार ने किया, जो किया अगर पश्चिमी राजस्थान की तरह से पूर्वी राजस्थान के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, मैंने पहले भी अपने बजट भाषण में इस बात का निवेदन किया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भेदभाव की यह नीति ले बैठे और राजस्थान के दो टुकड़े करने की मांग खड़ी हो जाये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिचाई मन्त्री आज मौजूद हैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, यह इलाका आपने दे दिया 11 एकड़ जमीन आपकी गई, नदी आपकी गई, सब कुछ अहित राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का हुआ। आप और कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके दिल्ली सरकार से प्रोटैस्ट करें। दो स्टेट की बाउन्ड्री पर जो भी बैराज बनता है उस संबन्ध में कोई कानून-कायदा जरूर होगा। माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली से प्रोटैस्ट करके चाहे आप 50 फीसदी पानी नहीं लें लेकिन अगर मसानी बैराज से आपने 25 या 30 फीसदी पानी का हक भी हासिल कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं सिचाई विभाग का एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैं उस साक्षी के महत्व को देखकर कहता हूं कि जितना पानी इसमें आता है उससे अलवर और भरतपुर जिले की बिजली की समस्या हल हो जायेगी। दोनों जिलों में नहरें निकाल दीजिये, बहुत बड़ी योजना नहीं होगी। राजस्थान नहर पर आप हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो, अलवर और भरतपुर पर केवल कुछ सौ करोड़ रुपये खर्च कर दीजिए इस मसानी बैराज से अलवर और भरतपुर की सिचाई की समस्या हल हो जायेगी। सिचाई की समस्या हल होगी तो बिजली भी आपके पास बचेगी। मैं ज्यादा नीतिशास्त्र की, सिद्धान्तों की बात नहीं करता। बस अन्त में आप लोगों से, सरकार से एक ही बात की भीख मांगता हूं कि इस अलवर जिले और भरतपुर जिले को बचाइये। मेरे क्षेत्र के 22 गांव डूब जायेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, अगले साल जब बांध तैयार हो जाय और भगवान ने अगर मुझे इस सदन का सदस्य रखा तो, माननीय सिचाई मन्त्री, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ियां भगी डोलेंगी, 22 गांव बहेंगे और आप उन्हें नहीं बचा सकेंगे। समय रहते आप इसका इन्तजाम कीजिए, उन गांवों के लोगों को उठाइये, और अन्यत्र अच्छी जगह बसाने की व्यवस्था कीजिए। साथ ही दिल्ली सरकार से यह प्रोटैस्ट कीजिए कि मसानी बैराज हमारी सीमा पर बना है, हमारे पानी से बना है इसलिए हमको उसमें हिस्सा दिलायें। इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपका आयेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : नहीं, उसका नहीं। मैं तो सिचाई मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं। मैं अधिकृत जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि

(100)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान की सरकार ने, मसानी बैराज बनने के कारण बैक वाटर से जो डिफिकल्टी पैदा होगी जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य महोदय ने किया है के बारे में राजस्थान सरकार ने अधिकृत रूप से चार बार हरियाणा सरकार को लिखा है। क्या मन्त्री महोदय कैटेगरीकली यहां बैठे-बैठे कहने की स्थिति में हैं, या क्या पता करके कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने यह प्रोटेस्ट किया कि नहीं? और अगर किया है तो माननीय सदस्य ने सदन को जो जानकारी दी है वह ठीक है, और सरकार का जो जवाब आपके पास आया है वह बिल्कुल गलत है? मैं चाहता हूं, सिंचाई मंत्री महोदय इस बात की जांच करें और जांच करके सदन को आस्वस्त करें कि आपने 4 बार हरियाणा सरकार को जो प्रोटेस्ट लैटर दिया वह ठीक है। अगर ठीक है तो यह 22 गांव निश्चित रूप से डूबने वाले हैं और राजस्थान सरकार के सामने समस्या पैदा होने वाली है। इस नाते से अपने पत्रों के आधार पर ही इस बारे में आपको हरियाणा सरकार से मुआवजा लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिए, मेरा यह कहना है।

श्री जगमाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही निवेदन है, सरकार के इस दावे को झूठा साबित करने के लिए एक निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 10 सदस्यों की समिति नियुक्त कर दीजिए। मैं विपक्ष का सदस्य हूं, अगर मेरी सीमा से मात्र दो फर्लांग से दूर भी बांध बना हो तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रिकार्ड में है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरी सीमा, राजस्थान की सीमा से दो फर्लांग दूर वह बांध है, 113 करोड़ रुपये की योजना है तो उसका पानी रुकेगा कहां? बांध के आगे हरियाणा पड़ता है और पीछे राजस्थान पड़ता है। राजस्थान से साबी नदी जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह सरकार बता दे, चाहे दिल्ली सरकार बता दे, चाहे इनके टैक्निशियन बता दें, या सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी मुझे यह बता कर संतुष्ट कर दे कि यह पानी रुकेगा कहां? मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी बात गलत निकले।

श्री मुक्ति लाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं, साबी नदी निकलती तो मेरे गांव के पास से है। अलवर के अन्दर बांध बनने वाला था तो मैंने काफी कोशिश की. मैंने चिट्ठियां लिखी थीं। मैं जब 1962 में एम. एल. ए. था तो सरकार ने बांध बनाया नहीं। मैंने खूब कोशिश की कि अलवर के अन्दर बांध बन जाए क्योंकि साबी नदी हमारे गांव के पास से निकलती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको भी मालूम है साबी नदी हमारी त्रिवेणी है, पर वह बांध नहीं बनाया राजस्थान सरकार ने। और जब राजस्थान सरकार ने बांध नहीं बनाया तो हरियाणा के लोगों ने बांध बना लिया। अगर हरियाणा वाले हमें पानी नहीं देते हैं तो माननीय मंत्री महोदय भी हरियाणा वालों को कोई पानी नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ... माननीय सदस्य.... माननीय शोपतसिंह जी ।

(व्यवधान)

अब चूंकि यह मसला पहले काफी डिस्कस हो चुका है इसलिए आप कोई दूसरी बात हो, तो उठायें ।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सवाल सांगोद का था मैंने जो सवाल उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही हैं । मांगरोल और सांगोद दोनों का ही है ।

श्री शोपतसिंह : यह विषय अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष : इससे जो अलग बात हो वह आप कहें । दो मिनट में ।

श्री शोपतसिंह : वह उस घटना से संबंधित है । मुलजिम पकड़ा नहीं । जिन्होंने घटना की, जिन्होंने लोगों को मारा वह घटना उससे संबंधित थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डेलिकेट सवाल था । उस दिन भी हमने इसको छेड़ा नहीं । उसके कोम्पली-केशन धीरे-धीरे रास्ते-रास्ते कहीं सारे राजस्थान को ग्रस्त नहीं कर लें, इसलिए मैं कह रहा हूं । राजस्थान हिन्दुस्तान के उन इलाकों में से है जहां बहुत कम साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं । यह कोई दंगे नहीं हुए यह कोई सरकार की मेहरबानी नहीं है अगर बात इस सरकार के बस में होती तो बहुत कुछ पहले ही हो जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंह जी.... माननीय शोपतसिंहजी, इस पर बहुत डिस्कस हो चुका है, स्टेटमेंट भी हो चुका है इसलिए उससे अलग कोई बात हो तो कहें ।

श्री शोपतसिंह : मुझे आप इजाजत दे रहे हैं, मैं दो मिनट में इसको खत्म कर दूंगा । मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं खबरदार करना चाहता हूं । बहुत ही डेलिकेट मामला है । कहीं राजस्थान में भी यह आग शुरू नहीं हो जावे । हमारे पड़ोस में गुजरात में क्या हुआ ? दूसरे सूबों में क्या हो रहा है ? इसलिए मेहरबानी करके आप निश्चित रूप से एक नीति तय करें । सवाल हिन्दु और मुसलमान का नहीं है । जो झगड़ा करते हैं जो दंगा करते हैं उन बदमाश लोगों की कोई कौम ही नहीं है । न वह हिन्दू होते हैं, न मुसलमान होते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन चर्चा हुई लेकिन सांगोद में किसी को पकड़ा नहीं पकड़ लेते तो दूसरे दिन यह घटना नहीं होती । दूसरे दिन उन्हीं कुछ तत्वों ने, दूसरी तरफ के दूसरे तत्वों ने सारे बाजार में आग लगाई, पुलिस की मौजूदगी में मांगरोल जला । अभी मेरे पास लेटर आया है, 65 दुकानें जल चुकी हैं, 28 लोगों की उनकी जायदाद तबाह हो गई । आपके पुलिस स्टेशन के सामने दुकानें जलाई गई, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जलाई गई । आपकी पुलिस खड़ी रही । आपने पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? जब साम्प्रदायिक दंगों का सवाल आता है तो केन्द्र सरकार के और हमारे मन्त्री यह बात कहते हैं कि इन दंगों की जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों पर डाली जाय । जहां भी दंगा होता है उसकी रेस्पोंसिबिलिटी जब तक वहां के लोकल अधिकारियों पर नहीं डालेंगे,

(102)

(श्री शोपतसिंह)

उनको सजा नहीं देंगे, तब तक यह बन्द नहीं होंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय,। मेरे स्थगन प्रस्ताव में जो मैंने लिखा है वह यह है कि जिन लोगों की दुकानें जलाई गई उस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की ? कितने लोगों को पकड़ा, और उन दुकादारों की जिनकी दुकानें लूटी गई, जलाई गई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। बहुत गम्भीर मामला है। अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटि के लोग चाहे वह हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, की काट-छांट कर दुकानें जलाई जावें तो उसकी सिक्योरिटी क्या है ? आखिरकार क्या करेंगे वे ? कहां जायेंगे वे लोग ? आज एक महिने से ज्यादा वक्त हो गया, उन लोगों को किसी ने पूछा तक नहीं कि कितना नुकसान हुआ, कितना मुआवजा मिलेगा। आपके पास मुआवजे की राशि नहीं है तो आप बैंकों से किसी तरह से इमदाद दिलाने की कोशिश कीजिए। वे मायनोरिटीज के लोग हैं। आपको इमदाद देनी पड़ेगी। आपको उसमें भरोसा कायम करना पड़ेगा। कहीं उनमें यह भरोसा हिल न जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान को बचाओ इस बीमारी से। उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लो जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ। मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद था, पुलिस के लोग मौजूद थे, पुलिस फोर्स मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में सारा का सारा फ्लेयर-अप हुआ और कस्बे की 70 दुकानें जला कर छोड़ दीं। इसी तरह से सांगोद में दुकानें जला कर छोड़ दीं। इसलिए राज्य सरकार को शीघ्र से शीघ्र, जिन लोगों का माल लूटा गया, दुकानें लूटी गईं उनसे बैठ कर बात करनी चाहिए, कलप्रिट्स को पकड़ा जाना चाहिए चाहे वे किसी कौम जाति के हों और उन स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जहां पर यह साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दी गोद) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कलप्रिट्स पकड़ लिए गए क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय दाऊदयाल जी।....

श्री दाऊ दयाल जोशी : सांगोद में जो घटना घटी और जो मुख्य अपराधी थे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य दाऊदयाल जी, यह री ओपन नहीं होगा।

(व्यवधान)

माननीय श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में पानी की विकट समस्या है, यह सब जानते हैं। वहां पर बीसलपुर में एक बांध बना हुआ है। उस बांध के कारण वहां पर पानी रोक लिया जाता है। उस बांध से जब ज्यादा पानी होता है उससे काफी इलाकों में खेवट इत्यादि गांवों में सिंचाई भी होती है। बांध में पानी के रहने से वहां के आसपास के कुओं का खारा जल

(श्री बिरदमल सिंघवी)

भी मीठा हो जाता है और वहां के लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलता है। बाद में जब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो बांध के पानी से बीसलपुर गांव का जो तालाब है उस तालाब में पानी भर कर वहां के पेयजल की समस्या है को भी हल किया जाता है। परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण बांध में जब पानी भर जाता है उस पानी को वैसे ही बहा दिया जाता है। हम बड़ी मुश्किल से यह पानी प्राप्त कर पाते हैं एक-एक बूंद पानी के लिए तो तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पानी बरसे और बांध भरे। परन्तु इस बार सौभाग्य से वर्षा बहुत जल्दी हो गई, जो वर्षा हमेशा जून-जुलाई में होती है वह इस बार मई माह में ही हो गई। और बांध में काफी अच्छा पानी भर गया। लोगों को बड़ी तसल्ली हुई आया, बड़ा उत्साह आया, किसानों की आंखों में खुशहाली के नजारे चमकने लगे कि, भाई, इस बार हमारे यहां पानी भर गया है, पीने के पानी की समस्या भी ठीक हो जायेगी। उसके साथ बांध से लगते हुए जो तीन-चार गांव हैं सीतावास, जाटियावास इत्यादि इन गांवों के लोगों ने भी समझा कि हमारे यहां इस साल फसल अच्छी हो सकेगी। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि पानी जब ज्यादा आता है तो वहां क्या होता है? यह बात सही है कि एक्सपेक्टेशन से कुछ जल्दी वर्षा हो गई। परन्तु बांध के जो एरिया डूब में हैं, उस एरिया में कुछ लोगों की काश्त होती है। वह बहुत थोड़े लोग हैं। उन कुछ काश्तकारों की काश्त को बचाने के लिए, सारे बांध को खाली कर दिया गया। और आज भी आप देखेंगे, यह जवाब भी आया है, उसमें जितना पानी पहले भर गया था उतना पानी आज तक इतनी अच्छी बरसात होने के बाद भी नहीं भरा। उससे भी कम पानी भरा गया है। तो वहां उन लोगों की केवल कुछ काश्त को बचाने के लिए वहां सारे गांव के लोगों का नुकसान कर दिया, अड़ोस-पड़ोस के गांवों के लोगों का नुकसान कर दिया गया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कहा यह गया है कि उन्होंने पाल को ठीक करने के लिये ऐसा किया है। पाल की रिपेयरिंग का काम हो रहा था उसको ठीक करने की यह बात कही है। यह बिलकुल गलत है। जो दो चार किसान या पांच-सात-दस किसान वहां पर डूब की जमीन में काश्त कर रहे थे उनको बचाने के लिए, केवल उनको लाभ पहुंचाने के लिये सारे क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है। सारी खेती को खराब किया जा रहा है। जो पानी इकट्ठा हो सकता था उसको हानि पहुंचायी गई है। मैं निवेदन करूंगा, आइन्दा के लिये ऐसा करें तो जो क्षेत्र डूब के हैं या तो उनको बता दिया जावे कि यदि वे काश्त करते हैं तो अपनी रिस्क पर, नुकसान होगा तो उनका होगा, या तो आप उनको मुआवजा देकर वहां से हटा दीजिये हमेशा के लिये। उनको वहां पर काश्त मत करने दीजिये, वहां पर काश्त करने पर पाबन्दी लगा दीजिये। केवल उन लोगों को बचाने के लिये आप सारे के सारे पानी को निकालकर, सारे के सारे एरिया को खराब कर दें, यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी पूरी व्यवस्था की जाये। इस बार तो भगवान की दया

(श्री बिरदमल संघवी)

हुई है कि हमारे यहां पर वर्षा ठीक समय पर हो गई और बांध में कुछ पानी भर गया अन्यथा बड़ी विकट समस्या हो जाती, यह बांध खाली हो जाने से सारा क्षेत्र बड़ी दुविधा में पड़ जाता। तो मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्योंकि वर्षा हो गई इसलिये इतनी समस्या नहीं रही परन्तु फिर भी आयन्दा के लिये इस प्रकार की कोई बात नहीं हो इसलिये सारा जो कुछ भी करना है, पाल ठीक करवाना है, रिपेयरिंग का काम करवाना है तो मई से पहले-पहले अप्रेल माह तक सारा काम करवा लीजिये, मार्च तक करवा लीजिये परन्तु इस बहाने आप बांध का सारा का सारा पानी खाली न करें। बड़ी मुश्किल से तो पानी मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से वर्षा होती है और उसको आप इस प्रकार से निकाल दें, यह बड़ी दुविधा का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायणराम बेड़ा।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं जानकारी करा दूं।

श्री बिरदमल सिंघवी : आपको ज्यादा जानकारी है, इसकी बात छोड़ दीजिए आप।

श्री रामसिंह बिश्नोई : बीसलपुर का जो मामला उठाया, यह मेरे क्षेत्र लूणी का मामला है इसलिए इनकी जानकारी नहीं है, मैं पूरी जानकारी सदन को करा दूं। इसलिए कह रहा था।

श्री बिरदमल सिंघवी : जानकारी ज्यादा है आपको, उपाध्यक्ष महोदय मैं इसको चैलेंज करता हूं। यह कहते हैं जानकारी ज्यादा है। वहां की जानकारी मुझे ज्यादा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप इनको समय दें तो मैं भी सिंचाई मन्त्री तीन साल रहा हूं, मुझे भी समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह अलग से आप उठा लेना। माननीय रामसिंहजी इनका स्थगन प्रस्ताव था, कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थोड़े था।

एक माननीय सदस्य : इनका स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, इस समय इसको विवाद का विषय न बनायें।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सदन को गुमराह करने की बात है, मैं क्लियर कर दूं। वास्तव में, उस बांध का काम चल रहा है, 50–60 लाख रुपये उसके लिए खर्च किये गये हैं। उस पर काम चल रहा है। यह पक्का काम कराने के लिए वहां पर कुछ कार्यवाही हो रही है बाकी अभी कोई सिंचाई नहीं हो रही है। मीठड़ी के ऊपर यह बांध बनाया जा रहा है। किसानों ने वहां कोई फसल नहीं बोयी है, वहां पर एक भी कुआ नहीं है। किसी किसान को फायदा करने की बात नहीं है, न किसी किसान ने वहां कुछ बोया-किया है। वहां पर बन्धे का काम चल रहा है। बंधे में पानी आ गया....

(व्यवधान)

विभाग ने कोई गलती नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का जवाब आया है। श्री नारायण राम बेड़ा।

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था भोपालगढ़ की मार्केटिंग सोसायटी के बारे में। अभी खाद और बीज के वितरण का समय है। इस समय मार्केटिंग व्यवस्था में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, इस सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। पिछले एक साल की अवधि के अंदर, 1982-83 की आडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जो वहां व्यवस्थापक थे, कैशियर थे, सैल्समैन थे, उन तीनों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हुए। रीजनल आडिट आफिस में धारा 74 के तहत। मुकदमा नम्बर 76 जिसमें कुल राशि 5723.50 रुपये है और 8-6-1984 को मुकदमा नम्बर 77, रुपये 24359.75।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी राशि कोटा बांटने में और स्टाक में गबन की है। सरकार की तरफ से यह जवाब आया है कि कुछ राशि जमा हुई है, मगर मैं आपको सूचना के तौर पर यह बता देना चाहता हूं, दोनों मुकदमों में फैसले रीजनल आडिट आफिस में 19-6-1985 को हुए। उसके ऊपर यह फैसला हुआ है कि उसमें पूरी तरह से व्यवस्थापक दोषी है। उसके ऊपर साढ़े अठारह पर्सेन्ट जुर्माने के वसूल करने योग्य उन्होंने माना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर जो सैल्समैन और कैशियर रखे गये थे क्या वह ही दोषी थे? क्या विभाग द्वारा जो मैनेजर, व्यवस्थापक वहां बैठाया गया था वह दोषी नहीं था? उस व्यवस्थापक के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाये? यह मार्केटिंग सोसायटी जिसको हम लाखों-करोड़ों रुपये तक का अधिकार देते हैं सरसों खरीदने के लिए मेरे यहां भोपालगढ़ में एक क्विंटल भी सरसों नहीं खरीदी। यह अव्यवस्थित तरीके से पड़ी है। इन्हीं के खिलाफ 25-5-1985 को इन्क्वारी होती है, ए. आर., जोधपुर वहां जाते हैं चैकिंग में, वैसे ही। वहां चैकिंग के दरमियान उनको कई अनियमिततायें मिलती हैं। उन अनियमितताओं पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26-5-1984 को व्यवस्थापक और सैल्समैन दोनों को निलम्बित कर दिया गया। मगर व्यवस्थापक का उसमें कुछ नहीं हुआ? उनके ऊपर अलग से इन्क्वायरी जरूर खोलते हैं धारा 70 के तहत, मगर उसके ऊपर कार्यवाही कुछ नहीं होती। इन्क्वायरी खोलने के बाद 21-11-1984 को जांच निरीक्षक को यह आदेश दिया गया ए आर. की तरफ से कि आप तुरन्त यह इन्क्वायरी करके एक महीने के अन्दर-अन्दर जवाब दें। आज एक महीने का एक साल बीतने जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें गम्भीर आरोप है। जिस दिन 25-5-1984 को वह गये थे तो वहां शक्कर का घोटाला पाया गया, 31-5-1984 को जो 13 800 रुपये की शक्कर बेची जा चुकी थी उसके पैसे जमा करवाये। उसके बाद जब इन्होंने 26-5-1984 को दोनों व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया था तो 17-6-1984 तक व्यवस्थापक ने इन दोनों से चार्ज नहीं लिया, सिर्फ इसलिए इनको रखा कि रेकार्ड में कोई भी गड़बड़ हो तो उस गड़बड़ को सही, व्यवस्थित कर सकें। तो क्या उनका दोष नहीं था? जब जांच हुई 25-5-1984 को

(श्री नारायणराम बेड़ा)

तो उसके दरमियान 37 बोरी गेहूं स्टोर में कम पाया गया। 37 बोरी स्टोर में कम पायी गई। क्या यह व्यवस्थापक की जिम्मेदारी नहीं थी ? क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी ? दूसरी यह अनियमितता की कि 21 बोरी गेहूं 4-10-1983 को बेची जा चुकी थी और 25-5-1984 तक उसकी रकम कैश-बुक में जमा नहीं की। क्या सात महीने तक उन पैसों को वैसे ही रखा गया ? क्या इसमें व्यवस्थापक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी ? व्यवस्थापक के खिलाफ जब धारा 74 का मुकदमा दर्ज करते हैं तो कानून यह कहता है, धारा 74 का मुकदमा दर्ज होने के बाद क्यों नहीं रिकवरी के लिए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाय ? मगर मुकदमा करना तो दूर, उनके ऊपर विभाग की तरफ से कोई एक्शन तक नहीं हुआ। क्या इस मार्केटिंग सोसायटी को धुंआधार सोसायटी बनाना चाहते हैं ? मुझे मालूम नहीं, इसका क्या करना चाहते हैं ? पिछले वर्ष राज्य सरकार की तरफ से मजले आम चला। उस मजले आम के तहत 12980 मामले आये, दरख्वास्तें आयीं। उसमें से 5211 दरख्वास्तें वहां निपटाई गयीं और उसमें 55.50 लाख रुपये वसूल किये। 7769 मामले ऐसे थे जो वास्तव में इन अधिकारियों के विरुद्ध बनते थे पर वह सारे ए.आर. के आफिस में सौंप दिये गये और आज तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ। तो यह मजले-आम लगाना और यह टी.ए., डी.ए. बनाने का मकसद क्या था, मैं पूछना चाहता हूं ? क्यों खर्चा कर रही है सरकार ? इन सारे 7769 मुकदमों को आपने पैंडिंग करके रख दिया। उनके ऊपर कार्यवाही हो नहीं रही है। मुझे आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना है कि जो–जो ऐसे हैं, जिनके खिलाफ धारा 74 के मुकदमे दर्ज हैं, जिनके खिलाफ फैसला हो चुका है उनको तुरन्त प्रभाव से सस्पैंड ही नहीं बल्कि निष्कासित करना चाहिए।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो इस सदन के उन माननीय सदस्य के बारे में है जो उस तरफ बैठे हुए हैं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि कालापानी एक गांव है अरनोद तहसील के अन्दर जो प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर आता है। वहां 15-16 वर्ष की एक जवान औरत, लीलादेवी, जिसको लड़की कहना चाहिए, दिनांक 21-6-1985 को सुबह 6 बजे जब अपने कपड़े धोने, नहाने, पानी भरने के लिए कुए पर गई तो सुबह इस सदन के माननीय सदस्य प्रतापगढ़ से कांग्रेस (आई) के टिकट पर निर्वाचित सदस्य ने उसके साथ में बलात्कार किया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यह मामला अदालत के अन्दर चल रहा है ? आप बताइये, अदालत में चल रहा है ?

श्री चम्पालाल बांठिया : आप सुनिये, मुझे कहने दें।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, उपाध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जो स्थगन प्रस्ताव है, वैधानिक प्रश्न है, माननीय सदस्य को नोटिस दिया गया है, वह जवाब देंगे। माननीय सदस्य जवाब देंगे।

(व्यवधान)

पंकज पंचोली (बेगू) : यह राजनीति से प्रेरित ग्रारोप है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो किया उन्होंने वही बता दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री चंपालाल बांठिया : मेरा स्थगन प्रस्ताव कोई सब-ज्यूडिस नहीं है, उसकी जांच करिये।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पाल्लीवाल (गंगापुर) : ग्रदालत में चल रहा है मामला। सदन में पेश करने से क्या हुग्रा, बलात्कार का ग्रारोप लगाया गया है, वह बिलकुल निराधार, बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : जो ग्रारोप लगाया गया है यह सरासर गलत ग्रौर ××× है, ग्रौर यह कहने वाला भी ××× है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सब जुडिस में है, ग्रदालत में दावा पेश किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय। उनको पूरी जानकारी नहीं है, मामला प्रतापगढ़ का है।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं, हम मानते हैं कि कहीं कहीं पर....

एक माननीय सदस्य : इस पर महिलाग्रों को नहीं बोलने दिया जाये।

श्रीमती हमीदा बेगम : लेकिन ग्रौरतों को इस तरह की हवा नहीं बनानी चाहिये ...

(व्यवधान)

श्री हरिश्चंद्र पाल्लीवाल : ×××ऐसे ×××ग्रारोप लगाइये, प्रत्यारोप लगाइये, सबसे बढ़िया हुग्रा है यह।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर ग्रौर विचारणीय मामला है कि किसी माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया; सरकार से उसकी सूचना मांगी गई, उसमें सारे तथ्य किसी प्रकार से ग्राये नहीं। इसको ग्रासन की तरफ से रिजैक्ट किया गया है। रिजैक्ट करने के उपरांत एक ग्राम परम्परा के तहत उनको बोलने का कहा गया। न

××× माननीय ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रभिव्यक्ति ग्रपलोपित की गई।

(श्रीमती कमला)

तो पुलिस से सूचना ग्राई, न कोर्ट से डिसाइड हुग्रा है। सुनिये....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्रीमती कमला : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर कैसे हो जायेगा मैं बोल रही हूं ? बिना किसी सबूत, बिना किसी ग्राधार के....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (टूटू) : ग्रापमें सुनने की ताकत होनी चाहिये। ग्राप सुनना नहीं चाहते है ग्रौर ग्रारोप लगाये जा रहे हैं, कमाल करते हैं ग्राप। मन्त्री जवाब देने के लिये खड़े हुए है, उत्तर दे रहे हैं, ग्राप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : ललित जी, ललितजी।

श्रीमती कमला : बीच में कहां से ग्रा गया, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सैटेन्स भी पूरा नहीं हुग्रा था ? मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुग्रा उससे पहले ही कहां से पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, कौनसी धारा के तहत पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर लाये हो ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा विराजिये, मैं यह महसूस करता हूं।

एक माननीय सदस्य : ग्रासन की कमजोरी है, ऐसे स्थगन प्रस्ताव को नहीं लेना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि यह इश्यु, मैं महसूस करता हूं कि बहुत सेंसेटिव है इसलिए मैं चाहूंगा ग्रौर सदन की गरिमा को देखते हुए ग्रौर सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए मैं महसूस करता हूं कि ग्रभी इसको पोस्टपोन किया जाये....

(व्यवधान)

ग्रौर इसमें ग्रध्यक्ष जी निवेदन करूंगा कि पार्टी के नेता से इस संबन्ध में बातचीत करके फिर समय तय करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री कालीचरण सराफ : इस प्रकार का गम्भीर ग्रारोप है, इसको ग्राप पोस्टपोन करके दबाना चाहते है ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की गरिमा को देखते हुए, मैं स्पीकर साहब से निवेदन करूंगा कि वह जिनको बुलाकर बातचीत करना चाहते हैं बातचीत करके....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूं, मैं बोल रही थी। कोई पाइन्ट आफ आर्डर बीच में नहीं होता ...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह फिर बीच में खड़ी हो गई....

श्रीमती कमला : मैं आसन की इजाजत से खड़ी हुई हूं मैं बोल रही हूं, तो पाइन्ट आफ आर्डर बीच में कैसे हो सकता है ?

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : On a point of order.

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, अगर गम्भीर आरोप लगाया गया है तो उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय। अंकित न किया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री मोहन प्रकाश : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री हरि कुमार औदिच्य : × × ×

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्रीमती हमीदा बेगम : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री हरि कुमार औदिच्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री बिरदमल सिंघवी : × × ×

श्री सी.पी. जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय दाऊदयाल जी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर व्यवस्था दी जा चुकी है उस पर कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, नियम 273 की ओर

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

ध्यान दिलाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, Rule 273 Procedure regarding allegation against person.

श्री उपाध्यक्ष : यह पढ़ा हुआ है....

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य, स्पीकर की रेग्युलेटरी पावर है उसको आप बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, यह मेरा देखा हुआ है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी सदस्य, के अगेंस्ट चार्ज लगाने से पहले नोटिस देना पड़ता है। माननीय सदस्य ने पहले नोटिस दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया वह ठीक है ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर जी।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया था उसके सिलसिले में मुझे भी कुछ कहना है।

श्री नाथूसिंह : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : No point of order.

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मेरी भी सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पाइंट आफ आर्डर उस समय रिजेक्ट कर दिया इसलिए मैं अपनी अधूरी बात शुरू करती हूं....

(व्यवधान)

जरा सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को दबाया जा रहा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार की ओर से....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : पाइंट आफ आर्डर। ये जो मुझे कह रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार इस बात को दबाना चाहती है।

श्रीमती कमला : कोई दबाना नहीं चाहती।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से कोई जवाब सुनना नहीं चाहता है, यह कोनसी व्यवस्था है ?

एक माननीय सदस्य : काला पानी गांव में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य व्यवस्था दे दी है, बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये बैठिये। ..

(व्यवधान)

श्री बंऊदयाल जोशी : टेप सुनाऊं क्या ?

श्री चम्पालाल बांठिया : यह कागज देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

(2.23. म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। मैं सोचता हूं इस....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं अपनी बात कह रही थी उसी के बीच में यह सब हंगामा हुआ ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज, आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य, आसन पावों पर है। बैठें कृपया। आसन पावों पर है, बैठें। आर्डर, माननीय सदस्य। इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर। इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो बात आप सदन में कहना चाहते थे, मैं समझता हूं, सारी बात कह दी गयी है दोनों की ओर से।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। पाइन्ट आफ आर्डर

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके पूर्व जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विराज रहे थे उन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव, जिसको आपने रिजेक्ट किया था, पर कुछ समय के लिए बोलने के लिए माननीय सदस्य का नाम पुकारा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस स्थगन प्रस्ताव को रखने वाले तीन माननीय सदस्य हैं। जैसे ही बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पहला वाक्य शुरू किया, उसी समय से इन्टरप्शन शुरू हो गया....

श्री अध्यक्ष : पहला वाक्य नहीं। कुछ बात कह दी थी। मैंने सुना है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : पहला शब्द नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला वाक्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने रूलिंग दी, उसके अनुसार बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बोलना शुरू किया। जैसे ही अपना वाक्य शुरू किया और उसे पूरा किया, ट्रेजरी बैंचेज के बीस-पच्चीस माननीय सदस्य खड़े हो गये। मेरी विनम्र अपील है कि तीन सदस्य उस पर बोलने वाले हैं, आपने उस विषय को रिजैक्ट किया है। जो फैक्टस हैं उनको आपके सामने थोड़े से समय में रखने के लिए आपने आज्ञा दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को उस पर अपनी बात को कहने का मौका देवें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात तो सब कह दी। अपनी जो बात कहनी थी। कह दी।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : बात नहीं की। मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी :....केवल लड़की के कपड़े की बात कही है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज.... कृपया बैठें, माननीय सदस्य....

श्री चम्पालाल बांठिया : इस प्रकार की टेप है....

श्री अध्यक्ष : सदन के अन्दर टेप रिकार्डर नहीं चलते हैं, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, आपने सब बात कह दी। जिस गम्भीरता से...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आप बैठें, कृपया, माननीय सदस्य....

सुश्री पुष्पा जैन : आप प्रोसिडिंग्स देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोली हैं, ठीक है, लेकिन माननीय सदस्या जो कुछ सदन में कहना चाहती थीं, सदन में कह दिया गया है। मैं समझता हूं....

(व्यवधान)

(श्री ग्रध्यक्ष)

प्रतापगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे दें।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रापमें ग्रपील करना चाहता हूं.... .

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। ग्रापको कहा कि ग्रापकी सारी भावना ग्रा गयी है....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल जी, कृपया बैठें ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

एक सैंटेंस में....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

ग्रापको जो ग्रारोप लगाना था वह लगा दिया। कृपया बैठें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रापकी ग्राज्ञा शिरोधार्य करते हैं। एक बार ग्रापका ग्रादेश हो जाये ग्रौर उनको सदन में कुछ बोलने नहीं दिया जाय मैं....

श्री ग्रध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे ग्रधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इसके विरोध में हम बहिष्कार करते हैं....

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री नार्यूसिंह : मैंने नोटिस दिया है ..

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। वह नोटिस तो हो गया। माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज। कोई नोटिस नहीं।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ग्रापने किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यदि कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

आप प्रोसिडिंग्स देख लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, आप उनका हाथ पकड़ते हैं और उसी हाथ पर राखी बंधवाते हैं। × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या आपने उन लोगों पर चार्ज लगा दिये हैं ...

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उससे राखी बंधवाते हैं ...

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह सदन की गरिमा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया बैठें।

सुश्री पुष्पा जैन : इस सदन से वाक-आउट करती हूं....

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : ....माननीय अध्यक्ष महोदय, नारियों को बदनाम करते हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें।....

(व्यवधान)

आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : इस प्रकार से ....

श्री अध्यक्ष : आप सहयोग करें, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

इस तरह से तो इस बात के महत्व को ही खत्म कर दिया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्पष्टीकरण देना चाहें तो ...

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर तथ्यों को

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहन प्रकाश)

छुपाया नहीं जाना चाहिए और अगर एक महिला सदन में बलात्कार की कोई बात कहती है तो उसको आपको बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। मैंने आज्ञा दी थी उनको। उन्होंने दूसरों को हक दे दिया अपना।

श्री धनराज (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय जैसा माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वह बेबुनियाद है, केवल राजनैतिक बदले की भावना को लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : कोई बदले की भावना नहीं है। यह टेप प्रमाण है। मैं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की टेबल पर नहीं रखा जायेगा। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नौटंकी क्या हो रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य बैठें।

श्री मोहन प्रकाश : सदन की प्रतिष्ठा गिर रही है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल लिये थे।

आप बोलेंगे, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री शोपत सिंह : कांग्रेस के सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर देते ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।···· अंकित न हो।

श्री शोपत सिंह : +++

श्री अध्यक्ष : इस चर्चा पर अंकित नहीं करेंगे ··

श्री शोपत सिंह : +++

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

सुश्री पुष्पा जैन : इन ××× के राज में कोई महिला सुरक्षित नहीं है।

श्री शोपत सिंह : किसी विधायक को इजाजत नहीं है कि इस प्रकार से करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बैठें। मैंने चर्चा समाप्त कर दी है। इस विषय पर चर्चा समाप्त कर दी गयी है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, बलात्कार के मामले में रोजाना आसन व्यवस्था देता है और माननीय सदस्यों को यह अधिकार देता है कि वह ठीक तरह से अपनी बात कहें ...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें

श्री शोपत सिंह : लेकिन इस मामले में चूंकि एक विधायक है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।... अंकित न हो।...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++

श्री शोपत सिंह : +++

श्री जगत सिंह : +++

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : +++

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैंने चर्चा समाप्त कर दी, माननीय सदस्य। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, कृपया अपनी बात प्रारम्भ करें

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : इस चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मेरा। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपसे बढ़कर रक्षक हमारा कौन है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने मौका दे दिया आपको। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था आज उस प्रस्ताव के बारे में क्या ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। माननीय सदस्या। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं दूसरी कार्यवाही शुरू करूं ?

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : +++

श्री पुष्पा जैन : +++

श्री सी. पी. जोशी : +++

श्रीमती हमीदा बेगम : +++

श्री दाऊदयाल जोशी : +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें कृपया। आर्डर प्लीज। मैंने चर्चा समाप्त कर दी। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, कृपया शुरू कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग के लिए सी.ए.डी. की योजना आज के मुख्य मंत्री और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीमान् हरिदेवजी जोशी के....

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। समय का थोड़ा ख्याल रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये सारा हमारे क्षेत्र का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आप कहें, जरूर कहें, लेकिन संक्षेप में। आज आपके सामने दो बिल और दो-तीन मसले और भी हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय 1 जून 1984 को ...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती की...

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हाड़ौती की काया-पलट करने के लिये। जून, 1974 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेवजी जोशी के मुख्यमंत्रित्वकाल में इस योजना का प्रारंभ हुआ। ताकि दो चरणों की योजना का हाड़ौती के सारे क्षेत्र को कृषि की दृष्टि से अत्यन्त फायदा पहुंचाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय इसके अन्तर्गत 1 लाख 67 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि का समतलीकरण होगा, खेत-सुधार के काम किये जायेंगे और जल-विकास आदि का लक्ष्य निर्धारित करके यह तय किया गया था जिससे पैदावार दुगुनी हो जाय। पहला चरण 1976 में प्रारम्भ हुआ था जो समाप्त हो गया। दूसरे चरण की शुरूआत होनी थी किन्तु मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय बूंदी से आने वाले विधायक जो वित्त मंत्री भी थे, के मन में पाप आ गया। इसकी चर्चा मैं अभी एक क्षण में करूंगा। दो चरणों को इस योजना में जो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे उनमें से तीन चौथाई को हटा दिया गया तथा केवल एक चौथाई ही वहां पर काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने तय किया था, घोषणा की थी इस विधान सभा में कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। योजना पर पुनर्विचार शुरू हुआ। पुनर्विचार के बाद यह निश्चित हो गया कि यह योजना चालू रहनी है। इसके पश्चात् भी थोड़े दिन पहले और 475 कर्मचारियों के पद तोड़ दिये गये, उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया गया। अब 900 में से केवल 475 कर्मचारी शेष हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1 लाख 67 हजार हैक्टेयर भूमि के विकास का लक्ष्य था। और आज ढाई लाख एकड़ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। बारिश और नहरों का जो अतिरिक्त पानी है उसके विकास, जलोत्थान के लिए नालियां बन गयीं। बूंद-बूंद पानी के उपयोग के लिए नहरें पक्की हो गयीं। 92 किलोमीटर सड़कों पर डामर कर दिया गया, उन्हें काम योग्य बना दिया गया जिस पर 90 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1982 के अन्त में इस योजना के लिये विश्व बैंक एक अरब की राशि ऋण के रूप में देने को तैयार थी ये बात सच है कि कुछ अधिकारियों के कारण कैचमेंट एरिया के भूमि सुधार के सम्बन्ध में किसानों को परेशान किया गया। उनको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भूमि दी गयी। उनसे जितनी भूमि ली थी उससे कम भूमि उन्हें

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दी गयी। कर्मचारियों ने गलती की थी जिसकी किसानों ने शिकायत की, यह बात सच है। ग्रावश्यकता तो यह थी कि किसानों की शिकायत पर गौर किया जाता ग्रौर इस प्रकार के कर्मचारियों को सीख सिखाकर इस बात के लिये कहा जाता कि हाड़ौती संभाग की इतनी ग्रच्छी योजना में जो इस प्रकार बात पैदा कर रहे हो उसको समाप्त करो, किसानों को राहत दो। तत्कालीन वित्त मन्त्री महोदय श्रीमान् बृजसुन्दरजी शर्मा इस बार तो जीतकर नहीं ग्राये, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके कुछ श्रीमान् किसान थे। जहां भूमि का समतलीकरण शुरू हो गया। वहां उन श्रीमत किसानों ने शोषित ग्रौर गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। होना तो यह चाहिये था कि वहां भूमि के बारे में रपट लिखायी जाती। उनकी थोड़ी सी जमीन छीनती ग्रौर उपयुक्त किसानों को वापस मिलती। जब यह होना शुरू हुग्रा तो तत्कालीन वित्त मन्त्री के पेट में तकलीफ शुरू हो गयी। कुछ थोड़े से श्रीमत किसानों को राहत देने के लिए हाड़ौती सम्भाग को इरिगेशन की सुविधा पहुंचाने वाली सी.ए.डी. की सारी योजना उस छोटी सी बात के सहारे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। किसानों में रोष उत्पन्न हो गया। बड़ा रोष था। सी.ए.डी., में उसको ठीक करने का प्रयत्न तो नहीं किया गया बल्कि ग्रपने लोगों को राहत पहुंचाने के लिये निवर्तमान वित्त मंत्री महोदय उसे समाप्त करने की सोच बैठे। बावेला मचा किसानों में, ग्रान्दोलन शुरू हो गया, विधान सभा में जोर से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद यहीं विधान सभा के पटल पर तय किया गया था, वित्त मंत्री का ग्राश्वासन यहां की रिपोर्टिंग में दर्ज है। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार करेंगे योजना पर। पुनर्विचार करने के बाद तय किया गया कि इस योजना को चालू रखा जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कृषि मन्त्री महोदय से ग्रौर ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रब कौनसे कारण उपस्थित हो गये? उस दिन जवाब देते समय सरकार ने कहा, एक बार निश्चय हो गया योजना को जारी रखने का, दूसरे चरण को प्रारम्भ कराने का, ग्रौर एक ग्ररब रुपया जो विश्व बैंक से मिलता, उसको लगाने का। लेकिन उसके बाद? यह बात ठीक है कि कैचमैण्ट में कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं किसानों को, पर मन्त्री महोदय उनको ठीक करने की कोशिश करें। वह करना तो दूर रहा। इस योजना से ग्रापकी दुगनी भूमि सिंचित होने लगी है, बहुत ग्रधिक सड़कों का निर्माण हो गया है, भूमि सुधार हो गया है। इस योजना की इतिश्री करने के लिए एक साल पड़ा है। ग्राज जाइये सी.ए.डी. के दफ्तर में, 80 पर्सेण्ट कमरों में ताले लगे हुए हैं, कर्मचारी सरप्लस घोषित हो रहे हैं। जो परमानेण्ट हैं उनको तो भेजा जा रहा है बीकानेर, उसमें कुछ कहना नहीं। सरकारी नौकरी है ग्रौर उनको नौकरी करनी है। किन्तु जो वर्क-चार्ज पर हैं, हजारों की संख्या में पहले थे ग्रौर ग्रभी भी इसके ग्रन्दर हैं उनको बेरोजगारों की कगार में खड़ा कर दिया गया। यह कौनसी वैलफेयर गवर्नमेंट है कि किसान विरोधी सरकार एक बार ग्रपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू करती है, ग्रौर ग्राज ग्राप हाथ झाड़कर खड़े हो जाते हैं?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उस दिन मन्त्री महोदया जवाब दे रही थीं, कह रही थीं कि अभी सोच रहे हैं हम। क्या सोच रहे हैं? धीरे-धीरे करते-करते पद कम किये चले जा रहे हैं, दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। आठ डिवीजन पहले तोड़ दिये, ढाई डिवीजन फिर तोड़ दिये। 475 कर्मचारी अभी तोड़ दिये, 425 और तोड़ देंगे जैसे ही विधान सभा खत्म होगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हाड़ौती के लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक, दीगोद से आने वाले माननीय विधायक, पीपल्दा से आने वाले माननीय विधायक, बारां से आने वाले माननीय विधायक,, इस क्षेत्र के सारे लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। किसानों को फायदा हो रहा था, किसान उसका फायदा ले रहे थे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कुछ हमको समझाओ तो सही, हम जन प्रतिनिधियों को बुलाओ, थोड़ा डिसकस करो, बैठो तो सही, चर्चा करो। पर चर्चा करने की किसको फुर्सत है? एक साल दिया वित्त मंत्री महोदय ने। मैं तो चाहता था बूंदी के विधायक यहां होते। जो स्थानापन्न हैं वित्त मंत्री, वह अभी चर्चा करते। वह जरा है नहीं यहां, जानकर चले गये क्योंकि वे····

श्री अध्यक्ष : जीतकर आये हैं स्थानापन्न कैसे हो गये? पांच साल के लिए परमानेन्ट हैं। पांच साल के लिए तो हैं ही इस सदन में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मन्त्री महोदय बैठे हैं, पता नहीं कृषि विभाग का काम भी देखते हैं, नहीं देखते। जो देखती थीं वह चुपचाप चली गयीं। उनको कुछ कहने के लिए मैं आग्रह करूंगा इसलिए यहां से चली गयीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करें। मन्त्री महोदय, बैठक करें, अगर कोई कठिनाई है, सुझाव देने हों तो हमको बुलायें, विधायकों को विश्वास में लें। हाड़ौती की जनता के साथ इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, वह न करें। वहां के कर्मचारी जिस प्रकार बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं, उसको बन्द करें। यह मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्थगन प्रस्ताव मैंने पांच तारीख को दिया था ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी दूसरे आ रहे हैं। कृपया बैठें। आपका अलग करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहली बार इस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

प्रकार की सरकार देखी है कि केन्द्र प्रवर्तित योजना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको जो पैसा मिल रहा है उस पैसे का सदुपयोग न करें। शायद एक भी राज्य सरकार ऐसी कहीं नहीं है जहां वर्ल्ड बैंक पैसे देने को तैयार खड़ा है और हम कहते हैं, हमको नहीं चाहिये। चाहिये क्यों नहीं ? इसलिये नहीं चाहिये कि चुनाव का समय था लोगों को वायदा कर लिया था कि कैचमैन्ट के तहत जो मुआवजा मिलता था वह मुआवजा मूल व्यक्तियों को दिया जायेगा। जो भू-धारी थे उनकी भूमियों को प्रभावी व्यक्तियों ने बूंदी जिले में खरीद लिया या चूंकि चमार की जमीन ब्राह्मन ने खरीद ली, मुआवजा तो चमार को मिलेगा। चमार को एक बार यदि मुआवजा मिल गया तो फिर उसके मालिकाना हक ब्राह्मन जी से छिन जायेंगे। यह है मोटी बात जिसके कारण सी. ए. डी. की करोड़ों रुपयों की योजना हमने हाथ से गंवा दी। अध्यक्ष महोदय, आखिरकार इस सी. ए. डी. का करना क्या चाहते हैं ? चुनाव के दिनों में जब यह पता लगा कि सी. ए. डी. समाप्त हो रही है, धीरे-धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है तो लोगों में चिन्ता व्याप्त हुई। लेकिन वोट लेने थे। वोट लेने के कारण दो तारीख को राजस्थान के तत्कालीन सिंचाई मन्त्री श्री चन्दनमल जी ने वक्तव्य दिया है। वह वक्तव्य राजस्थान के भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों में आया है। तीन तारीख को वोट पड़ने थे कोटा म, दो तारीख को वक्तव्य दिया। क्योंकि चुनाव के समय यदि लोगों में यह धारणा बनी रहती की हमको यहां से जाना पड़ेगा, सी. ए. डी. जैसी महत्वपूर्ण योजना कोटा जिले में समाप्त हो जायेगी तो कांग्रेस के जो इक्के-दुक्के × × × आ गये हैं यह भी समाप्त हो जाते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। × × × शब्द एक्सपंज किया जाये। शब्दों का प्रयोग ध्यान से करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : चन्दनमल जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह मैं निवेदन कर रहा हूं।

"राज्य के सिंचित क्षेत्र के मन्त्री श्री चन्दनमल जी ने बताया कि योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोटा स्थित चम्बल विकास परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 3 करोड़ 99 हजार 280 रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होने कहा कि बहुत शीघ्र इस परियोजना को इसके पूर्व स्वरूप में लाया जा रहा है। बैद ने बताया कि आर्थिक प्रावधान के विरुद्ध वर्ष 1985-86 की अवधि में योजना आयोग के द्वारा दो करोड़ 91 हजार 50 रुपये स्वीकृत किये गये हैं।"

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : "प्रावधान के रूप में इस बात का ध्यान रखा जायेगा।"

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दीजियें, सारा पढ़ने की क्या जरूरत है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हां, संक्षेप में कह रहा हूं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या में कोई अनावश्यक कटौती नहीं की जायेगी क्योंकि बार-बार कटौती किये जाने से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है।"

यह दो तारीख को वक्तव्य प्रसारित हुआ मार्च के दिन। आगे कह रहे हैं।

"चंद ने कहा कि सरकार एक क्षेत्र का विकास करने के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अपनी भाषा में कहना है, कह दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : "दूसरे क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावित नहीं होने देगी।"

इसके साथ ही श्रीमान धारीवाल साहब का वक्तव्य आया, जो कह रहे हैं।

सांसद धारीवाल ने कहा कि लोक सभा चुनावों के दौरान उन्होंने कर्मचारियों से जो वायदा किया था, चन्दन मल जी के वक्तव्य के बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि परियोजना को खण्डित नहीं किया जा रहा है। इसे सुधार के रूप में बनवाने का प्रयास पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीसरी जो धारणा बन रही थी कि सी. ए. डी. के दफ्तर में मेडिकल कालेज आ रहा है। गया मेडिकल कालेज। चन्दन मल जी ने बनवाया है। चन्दन मल जी कह रहे हैं कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पढ़ने से क्या होगा? अपने मुंह से कह दीजिए। समय न लें, कृपया। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं, वही कह रहा हूं।

उन्होंने कहा कि सी. ए. डी. की बिल्डिंग में किसी भी मूल्य पर मेडिकल कालेज नहीं आयेगा। अलग से हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

यह चन्दनमल जी का वक्तव्य है। इसके बावजूद तारीख 7 जून, 1985 को 245 कर्मचारी कट गये। क्या हैं वह? लघु वेतन भोगी कर्मचारी हैं। 33 पटवारी कम कर दिये। दो जिलेदार कम कर दिये। 20 एल. डी. सी. कम कर दिये। 15 यू. डी. सी. कम कर दिये 60 कनिष्ठ लेखाकार कम कर दिये। 30 लेखाकार कम कर दिये। एक भी अधिकारी को नहीं हटाया गया। केवल छोटे वेतन भोगी कर्मचारियों को वहां से हटाया गया है। मेरा निवेदन करना है, एक तरफ कर्मचारी कम किये जा रहे हैं दूसरी तरफ सी. ए. डी. के अधीक्षण अभियन्ता राज्य सरकार को लिख रहे हैं कि कोटा में सिंचाई बहुत अधिक तादाद में बढ़ गयी है। कोटा में वर्तमान में 100 पटवारी कार्य करते हैं। 180 पटवारियों की जगह 230 पटवारी लगाये जायें। यह राज्य सरकार को 22-4-1985 को लिखी गयी चिट्ठी में लिखा है। नार्म्स तय किये हुए हैं कि तीन हजार एकड़ जमीन पर एक पटवारी रहेगा जबकि आज तीन हजार चौदह एकड़ जमीन चम्बल सिंचित क्षेत्र में एक पटवारी के पास है। नार्म्स तय किये हुए हैं कि छः हजार से अधिक की वसूली पर एक पटवारी रहेगा।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जबकि एक पटवारी पर 8,200 से अधिक की वसूली आज हो रही है। मेरा निवेदन करना है, जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा है, एक तरफ जब वसूली बढ़ी है ऐसी स्थिति में 23 पटवारी कम करना कहां तक ठीक ? जहां अधीक्षण अभियन्ता कह रहा है कि 230 पटवारी मुझे चाहिए, वहां 130 में से 33 घटाकर 93 पटवारी वहां रह गये। आखिरकार इन छोटे लोगों के साथ सरकार क्या चाहती है ? यह सही है कि सी. ए. डी. की योजना के तहत भ्रष्टाचारियों, बेईमानियों ने वास्तव में जो घपला किया था उसके कारण चम्बल सिंचित क्षेत्र सी. ए. डी. कैचमैण्ट के कारण हर व्यक्ति परेशान है। आज उसकी वसूलियों की जो बात हो रही है उससे पूरे क्षेत्र के लोगों में

(5.00 म. प.)

भय व्याप्त है कि कब हमसे ये वसूली करने के लिये आयेंगे डण्डे के बल पर कब ये मेरी भूमि को छीन कर ले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस बात से लोग अत्यन्त त्रस्त थे, दुखी थे भ्रष्टाचार के कारण उसके बावजूद सरकार ने वह कैचमैण्ट की योजना समाप्त नहीं की, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में जब डीजल की कमी आई थी तो भी मेरे यहां कमी नहीं थी। खूब लो, सस्ते दाम पर सी. ए. डी. का डीजल धड़ल्ले से बिकता था। मेरा निवेदन करना है कि कैचमैण्ट के कार्य को समाप्त कर बाकी के सारे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया जाय, जिन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है उनको नहीं हटाया जाय और यदि हटाया ही जाय तो इन बड़े हाथियों को हटाया जाय। उन पर तो हाथ नहीं डाल रहे हैं वह तो एज इट इज कार्य कर रहे हैं। मेरा पुरजोर शब्दों में आपसे निवेदन है, कैचमैण्ट के खर्चे को वसूल करने का सरकार ने जो तय किया है तो हमने भी तय किया है कि फूटी कौड़ी नहीं लेने देंगे, इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हाड़ौती का किसान किसी भी मूल्य पर कैचमेन्ट की फूटी कौड़ी सरकार को नहीं देगा। इसी बात पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री खंगार सिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था मेरा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका था ....

श्री हीरालाल आर्य : मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत संक्षेप में कह दीजिये। रिपीट नहीं करें कृपया। एक मिनट बैठें, आप। श्री खंगार सिंह जी, बैठें आप, एक मिनट बैठें। रिपीट नहीं करें, दोहराये नहीं। कोई बात।

श्री हीरालाल आर्य : रिपीट नहीं करूंगा, अध्यक्ष महोदय। चम्बल सिंचाई परियोजना देश की बड़ी ...

श्री अध्यक्ष : आप भूमिका नहीं बांधें। जो मुद्दे के पाइन्ट हैं वह जल्दी से जल्दी कह दें, कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : कुछ तो आखिर बोलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से है। संक्षेप में ही कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। इसमें तीन डेम बने हुये हैं। चौथा चम्बल बैराज है जिससे एल. एन. सी. और आर. एन. सी. दो नहरें निकलती हैं जिससे एम. पी. और राजस्थान की कोटा और बूंदी की 6 तहसीलें सिंचित होती हैं। उस इलाके में जब सिंचाई की सुविधा हुई तो वहां का बड़ा विकास हुआ था, लोग बड़े खुश थे। लेकिन सिंचाई हुई तो भूमि में जल भरा। ठीक तरह से उसका रख-रखाव नहीं हो रहा था, इस वजह से कृषि उत्पादन ठीक तरह नहीं हो रहा था। इसलिये 1974 में और....

श्री अध्यक्ष : आप भूमिका बता रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे पर आ जाइये।

श्री हीरालाल आर्य : जो प्रथम फेज था उसमें सिंचाई के साथ-साथ जलोत्थान, ड्रेनेज कृषि विस्तार सड़कें बनाने इत्यादि के काम किये जा रहे थे, अध्यक्ष महोदय, जिससे उस इलाके का काफी विकास हुआ था। यह फर्स्ट फेज़ के काम सन 1980 तक चले थे। इस पूरे इलाके को फेजेज में बांटा हुआ था। 1980 में पूरा होने वाला काम 1980 में पूरा नहीं हुआ तो 1982 तक इन कामों को पूरा करने की अनुमति सरकार ने दी। अतः 1982 तक ये काम पूरे होने थे। 1982-83 में जो काम बच गये थे उनको पूरा करने का सैकण्ड फेज़ चालू किया जाय या नहीं किया जाय, इस पर विचार करने के लिये सरकार ने पूरा साल निकाल दिया। इसी समय जब केन्द्र में योजना आयोग की मिटिंग चल रही थी उसमें अपने तत्कालीन वित्त मंत्री ने सी. ए. डी की चर्चा करते समय कहा कि हम सी. ए. डी. को तोड़ना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : यह तो गये साल की बात कह रहे हैं अभी की बात कह दीजिये। यह सब बातें आ चुकी हैं, माननीय सदस्य। ललितजी कह चुके हैं अपने भाषण में। आप दोहरा रहे हैं व्यर्थ में।

श्री हीरालाल आर्य : जो पूरा काम दो फेज में होने वाला था, सैकण्ड फेज में काम नहीं होने से उसमें आधा काम बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी भी नहरों का रख-रखाव ठीक नहीं हो रहा है। कई क्षेत्रों में नहरें खुलना बाकी हैं। अभी भी कई क्षेत्रों में जहां सैकण्ड फेज़ खोला हुआ था ड्रेनेज का काम नहीं हुआ है, वहां पर अभी भी सीपेज हो रहा है। काम अधूरे पड़े हैं। जहां ड्रेनेज खुद गये हैं वहां पर पुलिया नहीं बनी हैं, गावों के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। सड़कों का काम भी यही लोग करते थे। अब कई स्थानों पर सड़कें नहीं बनने से पूरे क्षेत्र का विकास एकदम अवरुद्ध हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सी. ए. डी. समाप्त करने की बात पूरे हाडोती क्षेत्र के किसान बड़े असन्तुष्ट हैं, वहां का विकास अवरुद्ध हो गया है। इस

(124)

(श्री हीरालाल आर्य)

खबर के साथ ही पूरे हाड़ौती क्षेत्र में अन्धकार छा गया है और विकास के काम अवरुद्ध हो गये हैं। इस सी. ए. डी. के सारे विभाग तोड़ने की बात थी तो अधिकांश विभाग तोड़ दिये। धीरे-धीरे काम करके बाकी भी तोड़ते जा रहे हैं। सी. ए. डी की हालत यह है कि अन्तिम सांस ले रही है। लेकिन फिर भी सरकार स्पष्ट रूप से नहीं कहती है कि हमने सी. ए. डी. को तोड़ दिया है, फिर भी यही कहते हैं कि हम नहीं तोड़ रहे हैं। अभी भी इस साल करीब 475 कर्मचारियों की छंटनी की है। पटवारी की वहां आवश्यकता है क्योंकि सिचाई का एरिया है, वह लोग, वसूली करते हैं सिचाई की व्यवस्था करते है उनको भी तोड़ दिया है और वह इधर-उधर भटक रहे हैं। सारे दफ्तर सुनसान पड़े हैं। एक तरफ तो सी. ए. डी. तोड़ने से विकास के काम अवरुद्ध हो गये हैं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य : इस निमित्त जो सारे दफ्तर बने थे या बनने वाले थे वह सुनसान पड़े हैं या कई गांवों में अधूरे पड़े हैं। इसमें से जो स्थायी कर्मचारी निकाले हैं बाहर हो गये वह तो एडजेस्ट हो गये लेकिन जो मजदूर थे सैंकडों हजारों की संख्या में एक-एक डिवीजन में, एक-एक नहर पर, एक-एक सब डिवीजन में थे, उनको निकाल देने से उनके सामने रोटी रोजी की समस्या खड़ी हो गई है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सी. ए. डी. के इन कामों को वर्ल्ड बैंक की....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : टीम आई थी उसने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। दूसरे प्रांतों के लोग आकर सी. ए. डी. के विकास के कामों को देख रहे थे उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी कि ये विकास के काम क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। दूसरे प्रांत भी इन कामों को अपने यहां प्रारम्भ करने की सोच रहे थे। सारा पैसा इस तरह खर्च हो रहा था....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : सारा पैसा वर्ल्ड बैंक का खर्च हो रहा था, राज्य सरकार केवल 25 पर्सेन्ट पैसा खर्च कर रही थी। जनहित और हमारे क्षेत्र की इतनी महत्वपूर्ण योजना को इस अदूरदर्शी सरकार ने, गांवों का अहित करने वाली सरकार ने जो तोड़ दिया है यह उस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। काम अधूरे पड़े हैं, नहरें बिखरी पड़ी हैं, अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : सारा इलाका तहस-नहस हो गया है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे काम की योजना बनी थी, पर काम अधूरे रह गये हैं। आप ही फर्मायें कि किसी मकान की दीवारें तो बन जायं और उस पर छत नहीं हो, उसका क्या उपयोग है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : सैकण्ड फेज के काम नहीं होने से उस इलाके की यही हालत

(श्री हीरालाल आर्य)

है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित को महत्वपूर्ण योजना पुनः चालू करने का यह सरकार विचार करे ताकि इस इलाके का समुचित विकास हो सके। केवल कैचमैंट के काम से उस इलाके के लोग नाराज थे क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आप दोहरा रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : कैचमेंट के काम को तो किसानों ने....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्री हीरालाल आर्य : कैचमेंट की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां सीपेज हो रहा है, किसानों ने चलाकर वहां कैचमेंट कराया लेकिन उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था इसलिए उसकी शिकायत की थी, उसके पैसे कम करने की शिकायत की थी लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बाध्य होकर किसानों ने यह तय किया है कि कैचमेंट का हम एक पैसा नहीं देंगे। अभी पिछले दिनों हमारे ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

समाप्त करें आप।

श्री हीरालाल आर्य : हाड़ौती के हजारों किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं। कैचमेंट का पैसा नहीं देने के लिए सुल्तानपुर में 10 हजार किसनों ने प्रदर्शन किया, इटावा में 10 हजार किसानों ने प्रदर्शन किया...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हीरालाल आर्य : हम एक पैसा नहीं देंगे। पूरे हाड़ौती के किसान....

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा हो गया, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारे क्षेत्र की विकास परियोजना को, हाड़ौती के विकास की एकमात्र परियोजना को पुनः चालू किया जाय। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। बहुत संक्षेप में।

श्री हरिमोहन शर्मा : वर्ल्ड बैंक के साथ चम्बल एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम बनाई थी वह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी स्कीम थी। चम्बल एरिया डवलपमेंट की इस स्कीम के कारण कोटा जिला और लेफ्ट कैनाल जो कोटा से निकल कर आती है उससे पूरे बून्दी जिले को बहुत लाभ मिला। अनेक सड़कों का निर्माण हुआ, अनेक नहरों का निर्माण हुआ, उनकी मरम्मत के भी काम हुए। सड़कें भी बनीं, रास्ते भी बने लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य को

(126)

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पूर्ति के लिए यह योजना चलायी थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थीं जिनके कारण उस उद्देश्य की प्राप्ति के बिना ही इस स्कीम को बीच में तोड़ा गया।

आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक अधूरे काम बून्दी जिले में चम्बल एरिया डवलपमेंट योजना में पड़े हुए हैं जिनके पूरे होने पर इनका जनहित में बहुत उपयोग हो सकता है। एक स्कीम बनी थी–बी. डी. एस., बून्दी डवलपमेंट स्कीम उस स्कीम के तहत 1960 में जो नहरें बनीं उसमें आज तक रिपेयर के नाम से कोई पैसा नहीं लगाया गया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह नहर की डिजाइन की गई थी तो पांच सौ क्यूसेक पानी के हिसाब से उसकी डिजाइन की गई थी। आज की तारीख में जब तक 700 क्यूसेक पानी उसमें नहीं छोड़ा जाय जब तक उस नहर में 500 क्यूसेक पानी नहीं चलता है और पानी टेल पर नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार प्रतिदिन 200 क्यूसेक वाटर, जो उस नहर से बहता है, ड्रेन में जाता है, काश्तकारों के खेतों को खराब करता है। एक ओर तो काश्तकारों के खेत पानी से खराब होते हैं और दूसरी ओर टेल एण्ड के काश्तकार पानी के लिए तरसते हैं। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि टेल एण्ड पर इन्होंने 56% डिजाइन किया था। हैड पर तो 100 पर्सेन्ट इरिगेशन हो रहा है लेकिन टेल पर 50 पर्सेन्ट भी नहीं हो पाता है इसलिए मेरा आपकी मार्फत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि सरकार इस सारे मसले पर पुनर्विचार करे और पुनः विचार करके चम्बल एरिया डवलपमेंट की जो स्कीम है उसको पुनर्जीवित करे, उसी तरीके से उसको चालू करे।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी में चम्बल एरिया डवलपमेंट स्कीम के तहत पचास लाख रुपयों की लागत की अनेक बिल्डिंग्स आज बनी हुई हैं जिसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी नहीं रहता है, इसलिए कोई भी नागरिक, कोई भी आदमी उसके किवाड़, उसके सामान ले जाता है। इतनी कीमती बिल्डिंग का कोई उपयोग वहां पर नहीं हो रहा है।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बाराबन्दी के नाम से एक स्कीम चलाई थी चम्बल एरिया डवलपमेंट के तहत। 2–2, 4–4 सब-डिवीजनल बाराबन्दी के नाम से खुल गए। शुरु से आज तक बाराबन्दी के नाम से पटवारी है। हमको यह उत्तर मिला मेरे एक प्रश्न के जवाब में कि हमने वहां पर इतने बीघा जमीन में बाराबन्दी की है लेकिन मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बीघा भूमि में भी बाराबंदी नहीं हुई और लाखों रुपया उस बाराबन्दी के नाम पर वहां कर्मचारियों को दिया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि कर्मचारी वहां से हटा दिये जायं। मेरी तो पुरजोर प्रार्थना है कि सरकार तुरन्त इस ओर ध्यान दे, लाखों रुपयों की कीमती बिल्डिंगें नष्ट हो रही हैं। योजना अधूरी है, सड़कों का काम अधूरा है, काश्तकारों का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में सरकार तत्काल ध्यान देकर इस सी.ए.डी. को पुनर्जीवित करे। निश्चित तौर से कुछ हम लोगों के द्वारा और कुछ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ समय पूर्व ऐसा वातावरण पैदा किया गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिमोहन शर्मा : हम कुछ लोग थे, आप सब लोग भी उनमें थे जिनके द्वारा सी.ए.डी. को खत्म करने जैसा वातावरण पैदा किया गया केचमेंट के नाम पर कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और यह मांग की गई कि सी. ए. डी. को तोड़ो । मुझे प्रसन्नता है कि आज वह लोग ही यह मांग कर रहे हैं कि सी. ए. डी. को पुनर्जीवित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए । पहले कैचमेंट के नाम पर साढ़े चार हजार रुपये जो एकड़ का खर्चा आता था आज वो ही कैचमेंट डेढ़ सौ बीघा में यही सरकार करवा रही है । पहले वाले काश्तकारों के दिमाग में आता हैं कि तुम नये कैचमेंट करवाने वाले काश्तकारों से डेढ़ सौ ले रहे हो और हम पुराने वालों से साढ़े चार सौ ले रहे हो एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए । अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोटा-बून्दी की बहुत उपयोगी स्कीम है मेहरबानी कर सरकार इस पर विचार करे और इसको उसी गति से चालू करे ।

श्री अध्यक्ष : श्री खंगार सिंह चौधरी ।

श्री खंगार सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मौका दिया, मारवाड़ जंक्शन....

श्री दाऊदयाल जोशी : अच्छा बोलते हैं, × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बीच में दखल देते हैं । आप जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ।

श्री खंगार सिंह चौधरी : जब से यह मारवाड़ जंक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना उस रोज से आज तक किसानों से लाखों रुपये लूटे गये हैं । मेरे पास उन काश्तकारों द्वारा जमा कराये गये पैसों की ओरिजनल रसीदें फोटो स्टेट कापी मौजूद हैं । एक-एक काश्तकार से एक-एक हजार रुपये हर साल वसूल किये गये हैं । ऐसा एक काश्तकार पेमा सन आफ मानाजी गुडानवा का है जिससे 21-3-1983 को 1510/- रुपये वसूल किये लेकिन लेजर बुक में केवल 510 - रुपये जमा हैं । और उसी काश्तकार से दि. 21-3-1984 को 1489.33 रुपये वसूल किये, उसको भी मांग-पत्र उतने ही रुपयों का दिया गया जबकि लेखे में 1489.33 पैसे हैं । इसी प्रकार 28-3-1985 को उसी काश्तकार से 1519 रु. वसूल किये गये जिसमें से 519.70 खाते में जमा हैं खाते में, लेजर बुक में और एक हजार रुपये का उसके अन्दर गबन किया है । एक ही काश्तकार के पास जिसकी मेरे पास ओरिजनल

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(128)

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

रसीदें हैं और वो मांग-पत्र भी मौजूद है। हमारे एरिया में जब से यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है उस रोज से लगाकर आज तक इसमें बड़ा भारी घोटाला हो रहा है। इसी प्रकार से तारीख 29-3-1984 को मेगाराम सन आफ लाला, साकिन जाएदा से 820 रु. लिए गए 820 रुपये की रसीद है रसीद के पृष्ठ पर 40.10 है जो रिकार्ड में भी मेरे हिसाब से 40.10 होने चाहिये क्योंकि जब यह दूसरी रसीद है उसके पीछे 40.10 है। इस प्रकार उसका पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया गया तारीख 7-4-1985 को, उसके ऊपर पुलिस ने एन्क्वायरी की। एन्क्वायरी के दौरान वो अपनी अग्रिम जमानत कराने के लिए मुन्सिफ कोर्ट में गया वहां उसकी दरख्वास्त खारिज हुई, उसके बाद वह सेशन कोर्ट में गया। सेशन में उसकी दरख्वास्त खारिज हुई, फिर वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत कराई वो केस चल रहा है।

इसी प्रकार आहुआ के सरपंच पृथ्वी सिंह जी जिसकी रसीदें बेनालाल सन आफ किशनसिंह अहुआ 22-2-85, उसको 509 रुपये की रसीद दी गई जबकि उसके खाते में सिर्फ 9 रुपये जमा हैं। इसी प्रकार मैना सन आफ मालीग गुड़ा केशरीसिंह. 23-12-1983 को 348 रुपए की रसीद दी गई और खाते में 18 रुपये जमा हैं। दला सन आफ भला गुड़ानवा 28-3-1985 को 974.32 की रसीद दी गई जिसके पीछे 473.32 रुपये ही जिसके खाते में जमा हैं।

इस प्रकार मेरे पास करीब 10-15 रसीदें हैं इसी प्रकार की। उस प्रकार उसमें गबन हुआ। जिस समय यह केस खुला, इसका मालूम पड़ा एक जाएदा गांव के अन्दर तारीख 29-3-1985 को जब गांव में कैम्प लगा वहां वसूली हुई, वसूलियां होते-होते पांच जो बिल हैं, पांच बिल और उसकी रकम को एक तरफ उसकी रसीद रखने के बाद रसीद में 1170 96 पैसे है उन पांच रसीदों के और वसूल किये 4164 रुपए इस प्रकार जब ए. ई. एन. से शिकायत की, ए. ई. एन. ने उसकी इन्क्वायरी की, इन्क्वायरी करने के बाद वो पैसा क्योंकि वहां का लेन-देन है वो ईमानदार था इसलिए उसने यह पोल खोल दी। इस पोल के जरिये यह सारी पोलें खुलीं। उसने कहा यह तुम काश्तकारों को वापिस दे रहे हो तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूं. तुम पैसा दो तो तुम्हारे हाथ से दो मुझे मतलब नहीं। वो पैसा वहां रखकर चला गया फिर वो पैसा दिया तो उसने कहा कि 200 रुपये तू ले ले. उसने कहा कि मैं किस बात के लूं।

(3.10 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष पदासीन)

तो फिर पुलिस में केस दर्ज किया गया और उसकी इन्क्वायरी जो हुई उसमें क्या हुआ। इसके अलावा डिपार्टमैंटल इन्क्वायरी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने करायी एक्स. ई. एन. से नहीं ए. ई. एन. सोजत से वहां पर ए. सी. सक्सेना ने इन्क्वायरी की है और इसमें करीब 10-11 आदमी इन्वाल्व हैं और उसमें यह बताया कि सन् 74 से रेग्यूलरली इन्क्वायरियां चलती आ रही थीं। आपके डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

बोर्ड से इन्क्वायरी हुई उसके अन्दर सीत है और उसके अन्दर कागजात वगैरह जो. सी. आर. के हैं उस फाईल में से गायब कर दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर इस मामले में बहुत भारी घोटाला है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसमें कम से कम 4 लाख रुपये का अनुमान है, चार लाख रुपए का घोटाला हुआ है और वह इन लोगों ने किया है और उसकी छुरी इन काश्तकारों के गले में फेरी है। यह एक बड़ा ही भारी तथ्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माफंत मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जाँच करावें और जाँच हो भी गई है और मेरे खयाल से वह आपके पास आ भी गई होगी जिसमें हमारे जोधपुर के ए. सी. गर्ग साहब ने बड़ा ही सहयोग किया और उसमें गर्ग साहब ने इन्क्वायरी करके तारीख 17-7-1985 को यहां भेजी है। आपके पास आ गई होगी या नहीं यह तो आपके चेयरमैन साहब जानें या चीफ इंजीनियर साहब जानें, पर इन काश्तकारों से ज्यादा पैसा वसूल कर लिया गया है और यह फर्जी रसीदें उनको दी गई हैं। अब यह बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बोर्ड ने जब यह मांग-पत्र दिया तो मांग-पत्र के हिसाब से उन लोगों ने, काश्तकारों ने पैसा जमा कराया और पैसा जमा कराने के बाद उनको वापस यह पैसा देने का दायित्व बोर्ड के ऊपर है। तो बोर्ड उन लोगों को वापस पैसा दे और यह पैसा लेकर जो फर्जी रसीदें दी गयी हैं उनका भुगतान उन काश्तकारों को होना चाहिये या उनके खाते में अग्रिम जमा होने चाहिये जिससे कि काश्तकारों को राहत मिले।

इसी प्रकार अनेक लोगों पर मिनिमम चार्जेज के नाम पर एवरेज चार्जेज लगाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा सन आफ गंगा के ऊपर जिसके यहां पर साढ़े सात हार्स पावर की मोटर लगी हुई थी सन 80 से मोटर तेज चलता था तो उसके वास्ते शिकायत की गई तो दूसरा मोटर लगाया गया परन्तु उसके लगने के एक साल बाद उस कुए में पानी सूख गया। अतः दूसरा कुआ खोदा गया और फिर दूसरे कुए में इन्जिन लगाया गया। वह एक-दो घण्टे ही चलता था। तो उसी पुराने कुए के हिसाब से न्यूनतम चार्ज कर लिया गया और इस प्रकार उससे चार साल तक वसूली की गई और उसके चार हजार दो सौ रुपये वसूल करने थे लेकिन एवरेज चार्जेज के हिसाब से बिलकुल सीधा सीधा 12,193 रुपए वसूल कर लिये। इस प्रकार से वहां पर काश्तकार पर अन्याय किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं है, यह व्यक्तिगत प्रश्न है। आप लोक महत्व के प्रश्न पर बोलें। मैं मानता हूं कि यह व्यक्तिगत प्रश्न है, हर एक केस को अलग-अलग से न बतायें। मैं सीधा मानता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं है।

श्री खंगार सिंह चौधरी : इसी तरह गांव चावलिया के अन्दर गंगाराम सन आफ केसा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह लोक महत्व का नहीं है, व्यक्तिगत महत्व का है।

(व्यवधान)

श्री खंगार सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब मोटर ही नहीं चली फिर भी उसको बिल दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नाम बता दीजिये। सीधे से।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सीधी सी बात है, इसमें इतना बड़ा धपला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खंगार सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पड़े हैं। जिनमें काट-छांट की गई हैं और काट-छांट करके उनके घर पर बिल दिया। इसके अलावा अपने विद्युत मण्डल से मात्र पत्र दिया जाता है कनेक्शन लेने के लिए उसके अन्दर यह लिखा है कि मीटर आप अपना स्वयं का लगवायेंगे। तो वहां पर इस प्रकार से मीटर लोगों ने जमा करवाये मीटर जमा कराने के बाद क्या हुआ, पता नहीं वह स्कीम खतम हो गई या क्या हुआ और न तो उन लोगों को कनेक्शन दिया और जिन लोगों ने मीटर खरीद लिए थे वह अब क्या काम आयेंगे। यह 17-8-1984 का किस्सा है। मांग-पत्र दिए उसके अन्दर साफ लिखा हुआ है कि मीटर स्वयं लावें और उन्होंने मीटर भी खरीद कर जमा करा दिया। यह सब रसीदें हमारे पास हैं पर अभी तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। मारवाड़ जंक्शन पर 1600 कुए हैं जिन पर कनेक्शन हैं लेकिन सिर्फ 600 कुओं पर ही मीटर है। बाकी के तमाम मीटर खराब पड़े हैं और आज से नहीं दो साल से चार-चार साल से बन्द पड़े हैं। तमाम मीटर बन्द होने के बाद भी ए. ई. एन. का यह फर्ज बनता है कि वह हर तीन माह में जाकर मीटर चैक करे कि उसमें क्या खराबी है पर आज दिन तक उन मीटर्स को चैक करने कोई नहीं आया। ए. ई. एन. तो क्या वहां का जे. ई. एन. भी नहीं आया। इसके अलावा वहां जो मीटर रीडिंग करता है उसकी ड्यूटी होती है कि वह जाकर रिपोर्ट करे कि वहां का मीटर खराब है पर वहां कोई नोट करने नहीं आता है और इस प्रकार से काश्तकारों को लूटा जा रहा है। फिर यह स्कीम आपने क्यों बनायी ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज से पांच साल पहले खूब पानी था तब इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चलती थी पर अब वहां पर बिजली पूरी आती नहीं है। दो-तीन घंटे ही बिजली आती है फिर भी पांच साल से उन लोगों से एवरेज चार्ज ही वसूल किये जाते हैं। इस प्रकार एक-एक काश्तकार से 12-12 और 13-13 हजार रुपये वसूल किये जाते हैं। पैसे वाले मामले में मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पैसा जिन काश्तकारों से वसूल किया गया है उसको या तो वापिस किया जावे या उनके खातों में जमा करवाया जावे। इसके लिए कुछ न कुछ आदेश दें। यह मसला, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का क्या हुआ उसके बारे में भी आप हमें अवगत करावें ? अगर इसके अन्दर और कुछ भी लोग हों तो उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और उसके अलावा गांवों के अन्दर करीब-करीब खारची मारवाड़ जंक्शन में तो कनेक्शन के बारे में यह स्थिति है कि वहां पर खारची में 4000 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

जिनमें से पांच ट्रांसफार्मर हर समय खराब रहते हैं और तीन-तीन महीने तक ठीक नहीं होते हैं जिससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है और अगर वह ठीक नहीं करवाते हैं तो बेचारे काश्तकारों से पैसे वसूल क्यों किये जाते हैं। यह जो पैसे बेकार में वसूल किये हैं उसमें बहुत भारी घपला है और अब बलसा गांव में दो महीने से ट्रांसफार्मर ठीक नहीं है। इसी तरह बलता और जागुन्दा और लादाणा में भी ट्रांसफार्मर खराब हैं। बोर्ड की काश्तकारों को मारने की कीर्ति हो रही है उनका कुछ धन्धा ही ऐसा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट की इन्क्वायरी में जिनके खिलाफ में जांच की गई है उनका चालान नहीं करेंगे तो वहां के लोगों को परेशानी होगी। इसके अलावा वहां पर जो स्टाफ है, तमाम स्टाफ को आप बदल दीजिये और फिर बाद में इसकी जानकारी करें और जानकारी करने के बाद हमें भी जानकारी करावें और काश्तकारों को राहत दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की तारीफ करूं या खेद प्रकट करूं कि वह इतनी देर तो सदन में बैठी थीं और जैसे ही माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए और यह जाना कि अब फर्जी बिल के बारे में चर्चा करेंगे तो मन्त्री महोदय इस सदन को त्याग कर बाहर चली गयीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (मन्त्री, पंचायती राज) : मैं बैठा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : आप बैठे हैं उसका मुझे एतराज नहीं है वो भी बैठे थे। मुझे खुशी थी कि वो बैठे होते माननीय सदस्य ने जब चर्चा आरम्भ की तो मुझे दुख है कि मन्त्री महोदय उठकर सदन से चले गये हैं ऐसा हो कि मानो वह उदासीन विषय था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी इच्छा है कि आप देखें कि ट्रेजरी बैन्चेज पर मन्त्री जी बैठे हैं या नहीं यह तो आपके हाथ है। यह आपका अधिकार है, जैसा आप चाहें क्योंकि राजस्थान का रहमो कर्म आप पर है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कल तो आपके नेता महोदय ने इनके वर्किंग के बारे में बहुत ही बढ़िया कम्प्लीमैन्ट दिये थे।

सुश्री पुष्पा जैन : आप कमेन्ट करते हैं मैं समझती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, विषयान्तर नहीं हों।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि फर्जी बिलों के मामले में माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य पेश किये। पाली जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी बिल बनाकर गरीब काश्तकारों को लूटा जा रहा है। चार-पांच साल से लोग शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बधाई देना चाहती हूं खारची से जीतकर आने वाले माननीय

(सुश्री पुष्पा जैन)

सदस्य को और वहां की जनता को कि इन्होंने वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फर्जी बिल बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उपाध्यक्ष महोदय, खारची की जनता ने, पाली की जनता ने मांग की कि फर्जी बिल बनाकर गरीब जनता को लूटने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाये। इस पर उच्च अधिकारी एडिशनल चीफ इन्जीनियर जो जोधपुर में बैठे हैं एस. सी. सक्सेना, ए. ई. एन. सोजत को नियुक्त किया कि वह खारची मारवाड़ जंक्शन में जाकर इस बात की जानकारी करें कि यह मामला क्या है। वह एस. सी. सक्सेना मारवाड़ जंक्शन के आफिस में आये तो वहां नियुक्त ए. ई. एन. ने रिकार्ड में से कागज फड़वा दिए कर्मचारियों की मदद से। इस तरह कागज फड़वाकर रिपोर्ट को गायब कराने की शिकायत श्री सक्सेना ने उच्च अधिकारी, जोधपुर को जाकर दी, उच्च अधिकारी को इसका पता बताया तो उन्होंने कहा कि यह बहुत सीरियस मामला है, गरीब काश्तकारों को वास्तव रूप से लूटा जा रहा है लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिये। मैं उस अधिकारी को बधाई देना चाहती हूं और उसका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने श्री एस. सी. सक्सेना को इस फर्जी बिल के मामले की जांच के लिए नियुक्त किया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, फर्जी बिल बनाने के इनके तरीके देखिये। 173 रुपए का वास्तविक बिल था। 173 पर कार्बन कापी इस तरीके से रखी कि 73 लिख दिया, 1 भी लिख दिया और उसके बाद कार्बन निकालकर एक के ऊपर डंडा खींचकर सात कर दिया, लिहाजा हो गया 773। उपभोक्ता को जो बिल दिया वह 773 का और जो लेजर में है वह 173। दूसरा उदाहरण पेश करना चाहूंगी. एक बिल है दो रुपये का, उसके अन्दर कार्बन कापी लगाकर उन्होंने नौ रुपये लिखकर जगह खाली छोड़ दी और कार्बन कापी निकाल ली उसके आगे बाद में पचास रुपये और लगा दिये लिहाजा हो गया पांच सौ नौ और दो रुपये के बिल पर उपभोक्ता से पांच सौ नौ रुपये वसूल कर लिये। ऐसे कितने ही उदहारण मैं पेश कर सकती हूं। बेहतर यही होगा कि माननीय सदस्य ने जो बिल दिखाया है उसकी फोटो कापी वह माननीय मंत्री को दे दें और सदन के पटल पर रख दें। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की फर्जी कार्यवाही की जांच श्री सक्सेना ने की। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा, इसमें जो अपराधी थे उसमें से कुछ अपराधियों ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट को आवेदन दिया। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजैक्ट कर दी। यह सरकार क्या कोर्ट से भी बड़ी है, क्या जुडिशियरी से भी बड़ी है? कोर्ट ने माना है कि वह अपराधी है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई काग्नीजेंस नहीं लेना चाहती। आप कहेंगे कि काग्नीजेंस कैसे नहीं लिया है, उन पर जांच अपाइंट कर दी श्री सक्सेना की मार्फत। मैं यही कहना चाहती हूं कि उस जांच का हश्र क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, श्री एस. सी. सक्सेना ने जांच की। मैं कहना चाहती हूं कि श्री भंवरसिंह यू. डी. सी., श्री मूलचन्द, एल. डी. सी. और चम्पालाल चपरासी, यह दो-तीन लोग नहीं हैं यह गैंग पूरा ऊपर से नीचे तक है जिसमें अधिकारी,

(सुश्री पुष्पा जैन)

चपरासी, क्लर्क सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। अगर मिलीभगत नहीं होती तो चार-पांच साल से पाली जिले में ही नहीं जोधपुर जिले में भी इस प्रकार के फर्जी बिल बनाकर जो लोगों को लूट रहे थे वह कोर्ट में क्यों जाते। इन्होंने गैंग बनाया उसमें नीचे-ऊपर के लोग भी हैं चपरासी भी हैं क्लर्क भी हैं। तो उसमें भंवर सिंह यू. डी. सी. मूल चन्द एल. डी. सी. और चम्पालाल चपरासी को सस्पेंड किया गया। उसके बाद इसमें सांवर एकाउंटेंट, ए. डी. शर्मा, नारायण सिंह यू. डी. सी., नेमा सिंह एल. डी. सी. राम चौहान, एल. डी. सी., श्री माथुर ए. ई. एन., श्री जैन ए. ई. एन., इस तरह के कई कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उनके खिलाफ चार्ज शीट दी। उसके बाद क्या हुआ? जो लोग फंस रहे थे उन्होंने एप्रोच किया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनमें से एक ए. ई. एन कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व विधायक के जंवाई हैं। उन्होंने आकर मन्त्री महोदय से एप्रोच किया कि जल्दी से जल्दी सक्सैना को हटा लो, हमारे काबू नहीं आ रहा है। अगर इस सक्सैना को नहीं हटाया गया और जांच वापस नहीं ली गई तो हम सब फंस जायेंगे और कांग्रेस की बहुत बदनामी होगी। लिहाजा मैं यह कहना चाहती हूं कि जो सक्सैना जांच कर रहे थे, जो सोजत के ए. ई. एन. थे उनको मन्त्री महोदय के आदेश से चौबीस घन्टे के अन्दर-अन्दर कोटा के थर्मल पावर प्लांट पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कोटा थर्मल प्लांट पर जाकर चौबीस घन्टे के अन्दर अपनी रिपोर्ट भेजो। मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से सरकार से कि कोई अपराध करे तो उसको इनाम, कोई जांच करे, ईमानदारी बरते उसको सजा। जो ईमानदार अधिकारी जांच कर रहा था उसको आपने सोजत से हटाकर कोटा ट्रांसफर कर दिया और जांच ले ली। जो अधिकारी इसमें शरीक था, भूतपूर्व विधायक का जवाई उसको इनाम क्यों दिया? पाली को, खारची की जनता चूंकि नाराज थी आपने उसी जिले में इनका दूसरी जगह तबादला कर दिया। क्या वह सस्पेंड नहीं हो सकता था? चपरासी सस्पेंड हो सकता है, क्लर्क सस्पेंड हो सकता है लेकिन ए. ई. एन. सस्पेंड नहीं हो सकता जो जिम्मेदार है इस सारे कारनामे का। उपाध्यक्ष महोदय, पाली के अन्दर ही नहीं इससे पहले बिलाड़ा में भी इस प्रकार के फर्जी बिल पकड़े गये। उसकी जांच का परिणाम मंगवाकर देखेंगे तो खुद पायेंगे कि सोजत में, पाली में, खारची में, बिलाड़ा में और कई अन्य जगहों पर इस तरह फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये गरीब काश्तकारों से ऐंठे गये। मैं पूछना चाहती हूं, किससे न्याय मांगे गरीब किसान, किससे फरियाद करे? यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके कामों की चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा करिये तो कोई सुनने वाला नहीं। कोई विधायक अपराधी तो उसके बारे में सारे के सारे हल्ला करके खड़े हो जायेंगे और हमारा मुंह बन्द कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने इन गरीबों के प्रति...

श्री चम्पालाल बांठिया : आसन तो खूब संजीदा है, हाथ क्यों हिला रही हैं।

(134)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मांग करती हूं कि जो फर्जी बिल पाली जिले में पकड़े गये हैं जिनकी जांच सक्सेना कर रहे थे. मैं सबसे पहली मांग करूंगी कि ग्रगर सरकार में वास्तविक ईमानदारी है, यदि ग्राप चाहते हैं कि गरीब काश्तकारों को लूटने वालों को सजा मिले ग्रपराधी की जाति ग्रपराधी है उसकी कोई पार्टी नहीं है, न कांग्रेस है, न भारतीय जनता पार्टी है, न जनता पार्टी है, न लोक दल है, ग्रपराधी ग्रपराधी है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे कांग्रेस से ताल्लुक रखता हो। किसी भी सरकार को यह ग्रधिकार नहीं कि ग्राप ग्रपराधी को सीज करें या ग्रपराधी को परमिशन दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस गर्ग में से ग्रपराधियों के कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नामंजूर कर दी क्या ग्राप यह समझते हैं कि कोर्ट ने गलत निर्णय लिया? ग्राप यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कोर्ट ने गलत निर्णय दिया तो निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि वह लोग ग्रपराधी हैं। मैं ग्रापसे पूछना चाहती हूं कि वह क्या वजूहात थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से ग्रापने सक्सेना को सोजत से तबादला करके कोटा के थर्मल प्लांट में भेजा? मैं ग्रापसे कहना चाहती हूं कि श्रीमती सक्सेना जो उदयपुर में लेक्चरर हैं को सोजत से कोटा भेज दिया। कहां कोटा ग्रौर कहां उदयपुर। मैं ग्रापके माध्यम से मांग करना चाहती हूं, ग्राप तबादला करें सक्सेना का, मुझे कोई उज्र नहीं है, ग्राप कोटा करें, बाड़मेर करें जहां ग्राप करें, चाहें तो उनके खिलाफ एक्शन लें लेकिन भगवान के लिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक श्री सक्सेना से वह जांच नहीं लें। वह जांच वापस उनके सुपुर्द की जाये ताकि वास्तविकता का पता लग सके। ग्रपराधी ने ग्रगर ग्रपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पर्यटन मंत्री।

सदन की मेज पर रखा जाने वाले पत्र। प्रतिवेदन एवं लेखे।

सदन पटल पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (मन्त्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्रनुमति से मैं कम्पनीज ग्रधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा 3 (बी) के ग्रन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे वर्ष 1983-84 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। Call attention motion.

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक व बजट भाषण में विरोधाभास

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ग्रा गया है ऐसा?

श्री दिग्विजय सिंह : ग्रापको सुनने से मालुम पड़ेगा। बहुत गम्भीर मसला है। उपाध्यक्ष महोदय ग्राज जिस बिजनैस के ऊपर ध्यान ग्राकर्षण के बाद हम राजस्थान

(श्री दिग्विजय सिंह)

भूमिकर विधेयक लेने जा रहे हैं उस भूमिकर विधेयक के अन्दर और माननीय मुख्य मन्त्री ने जो बजट भाषण पढ़ा उसमें इतना विरोधाभास है कि वह सर्वथा इस सदन का प्रिविलेज मोशन बनता है ...

श्री उपाध्यक्ष : यह अभी प्रश्न नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : यह अभी प्रश्न ही नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें उसके बाद...

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : आप को कुछ समझने में गलती है। मैं उसको क्लेरिफाई कर सकती हूं। There is no contradiction at all.

श्री उपाध्यक्ष : बाद में करें। उस समय आयेगा तब।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गलती है तो वह भी प्रिविलेज ही है। कांट्रेडिक्शन तो है ही।

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय वह आयेगा उस समय देखेंगे। वह प्रश्न अभी दूर है।

श्रीमती कमला : नहीं है। I have examined.

श्री दिग्विजय सिंह : मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सुन लें ...

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, कल एक माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी उसके बाद सारे को एग्जामिन किया गया तो उसमें कान्ट्रेडिक्शन नहीं है। यह जरूर है कि एक जगह बजट भाषण के अन्दर उन्होंने जो रेफरेंस किया है उस रेफरेंस को देने की जरूरत नहीं थी। बस इतना ही है।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : बाकी अभी इन्होंने तो कहा ही नहीं कि क्या मामला है।

श्रीमती कमला : कल आ चुका है इस लिए इतना भी नहीं समझ सकते क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिग्विजय सिंह जी, बाद में उसको कर लेंगे। Let us finish this. विषय को आने दीजिये। अभी वह प्रश्न नहीं है सामने। माननीय सदस्य, समझें।

स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी

श्री मुक्ति लाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले अध्यक्ष विराजे रहे थे तब कहा था और आपको कहता हूं कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया उसको आज 22 दिन हो गए। अब 22 दिन में भी सरकार का जवाब नहीं आया।

श्री नाथू सिंह : उसी सरकार को वोट देते हो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वोट तो दूंगा, XXX वोट की बचत छोड़ दो। आज 23 दिन हो गये, माननीय उपाध्यक्ष जी ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल जी आप स्पीकर साहब से चेम्बर में मिल लें कि क्या पोजीशन है। वह बता देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पोजीशन तो मैं मालूम कर आया। अभी तक सरकार की जवाब नहीं आया, माननीय उपाध्यक्षजी ...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पीकर साहब से बात कर लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपको सही बात कहता हूं। अगर जवाब आया हो तो बता दें मुझे बोलने की तो इजाजत देंगे फिर ...

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर साहब से बात कर लीजिए, माननीय सदस्य। श्रीमती विद्या पाठक। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

विधायी कार्य के लिए पर्याप्त समय

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आधा मिनट। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा हूं कि इस विधान सभा का मूल काम नियम बनाने का है, विधान बनाने का है। मैं काफी समय से देखता आ रहा हूं बराबर और विनम्र निवेदन करूंगा आगे के लिए कि विधान सभा का जो मूल काम होता है वह तो हो नहीं पाता। आज दो विधेयक आयेंगे हमारे सामने। एक तो बिक्रीकर विधेयक और दूसरा भूमिकर विधेयक। और आज हो लगा दिये गये हैं 3 तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और दो आधा घण्टे की चर्चा। अब रात्रि को 7 बजे यह भूमिकर विधेयक और बिक्रीकर विधेयक लाये जायेंगे और होगा यह कि जिसमें माननीय सदस्यों को रुचि लेनी चाहिये क्योंकि विधान सभा का मूल काम तो यह है जो आज होगा, बाकी तो फ्री स्टाइल है सारा मामला, मेरा निवेदन करना है कि इसमें मैम्बर्स न तो रुचि लेंगे और अन्त में होगा क्या कि 8 बजे गये और कोई यों इशारा करेगा कि साहब रोटी खानी है, ढाबे पर हमारी रोटी सूख रही है। मैं समझता हूं कि जो मूल काम है विधान सभा का वह मूल काम तो हो नहीं पाता है और बाकी सारे कामों में समय लगता है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं व्यवस्था का प्रश्न इसलिए कह रहा हूं कि आगे भविष्य में इस प्रकार का ध्यान रखा जाये कि जिस दिन यह बिल रखे जायें उस दिन, मैं समझता हूं कि इतना और बिजनेस नहीं रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह सुझाव है आपका।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सुझाव है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती विद्या पाठक।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से अलोपित किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटपूतली तहसील, ग्राम रघुनाथपुरा की सार्वजनिक भूमि खसरा नम्बर 80 को कतिपय सहकारी कर्मचारियों द्वारा हड़पना

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। कोटपूतली में रघुनाथपुरा में महरमपुरा नवाब एक गांव है उसकी भूमि खसरा नं 80 रकवा 4 बीघा–इसके संबंध में जो भूमि विवाद और भूमि के मामले में जो घोटाला हो रहा है उसके विषय में मैं चर्चा करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कस्टोडियन की भूमि है और इसको नियमों के अन्तर्गत भी बेचे जाने का अधिकार किसी को नहीं है। सार्वजनिक रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस भूमि को 1-8-1964 को वहां के व्यक्ति सोहन लाल यादव के द्वारा वहां का जो स्कूल है उस स्कूल को, खेल का मैदान, स्कूल का भवन बनाने और एक शहीद स्मारक बनाने इन परपजेज के लिए दान के रूप में दे दी गयी। और जो दे दी गयी तो उसके सारे कागज पत्र तैयार हो गये, सारे पेपर्स वेलिडली तैयार करके हैंड ओवर कर दिये गये। यह भूमि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 75 के सेटलमैंट के गिरदावरी रेकार्ड तक उस स्कूल के नाम रही थी। इस जमीन पर एक शहीद स्मारक बना हुआ है जिसकी पूजा आज भी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 26-2-1973 को तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जी जोशी ने उसका शिलान्यास किया। उस पर शिलान्यास का पत्थर भी लगाया गया। वहां एक फंक्शन हुआ बहुत बड़ा, उस फंक्शन में, माननीय मन्त्री महोदया तब भी मन्त्री थीं, आपकी अध्यक्षता हुई। नवल किशोर जी, मुंशीलाल महावर, सहदेव जी, जनार्दन सिंह गहलोत कांग्रेस के जो तब के गण मान्य लोग थे वह उस फंक्शन में मौजूद, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के सब लोग मौजूद, उससे संबंधित दूसरे विभाग के लोग, दूसरे अन्य विभागों के लोग, वह भी वहां मौजूद इस तरह उसका एक तरह से भूमि-पूजन हो गया। उस भवन को बनाने के लिए वहां के रामेश्वर रघुनाथपुरिया को एन्ट्रस्ट किया गया कि स्कूल का भवन या इसकी जो बिल्डिंग बनेगी उसको आप देखेंगे। शहीद स्मारक आज भी यहां बना हुआ है। स्कूल बिल्डिंग बनवाने के लिए उसी वक्त चन्दे से पैसा इकट्ठा करके कुछ मैटीरियल भी डलवा दिया गया, 5 ट्रक बजरी और 20 ट्रक पत्थर कि इससे स्कूल का भवन बनेगा। आज भी वह मैदान सार्वजनिक रूप से काम में आ रहा है। टूर्नामेन्ट यहां होते रहे हैं, सार्वजनिक फंक्शन होते रहे हैं, बच्चों के खेल होते रहे हैं, बच्चे खेल खेलते रहे। यह उस फंक्शन, जिसका मैंने अभी नाम लिया, की मेरे पास सारी तस्वीरें हैं। जिसमें वे सब, जिनका मैंने अभी नाम लिया पार्टिसिपेट करते हुए बताये गये हैं।

स्टोरी इसके बाद शुरू होती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। नेशनल हाई वे नम्बर 1 पर यह स्थित है। यहां एक सीमेन्ट की फैक्ट्री लग गयी तो जमीन हो गयी वैल्युएबल और कुछ लोगों की नीयत में आ गया खोट। तो हुआ क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां के तहसीलदार, पटवारी और सेठ

(138)

(श्रीमती विद्या पाठक)

रघुनाथपुरिया, जो कलकत्ता में रहते हैं, इन सब की मिलीभगत से इसमें दुकानें बनना चालू हुआ, दुकानों की नींव भरना चालू हो गया। नागरिकों ने बराबर तहसील में रिपोर्ट की। जब तहसील में बहुत इनसिस्ट किया गया तो बजाय इसके कि इस अवैध काम को रोका जाता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में वहां जो तहसीलदार पोस्टेड था उसने इन सबको रैगुलरली बनाने के लिए आदेश दे दिये और इस आदेश के अन्तर्गत वहां दुकानें बनने का काम सिलसिलेवार चालू हो गया। केवल यही नहीं, कुछ समय बाद के वहां के पटवारी मक्खन लाल यादव का दस साल का लड़का रमेश यादव है-यह जमीन इन सब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों की मिलीभगत से दुकानों के काम को रोक कर उस दस वर्ष के बच्चे के नाम अलाट कर दी गयी। उसके बाद बहुत से लोगों ने, नागरिकों ने इसका विरोध, वह लोग जिला शिक्षा अधिकारी से मिले। उन्होंने शिक्षा अधिकारी महोदय को यह भी बताया कि इस साजिश में आपके यहां के कुछ नेता भी शामिल हैं और आपके विभाग के कुछ अध्यापक भी शामिल हैं। शिक्षा अधिकारी महोदय ने उसकी जांच करवाई। जांच में पाया गया कि कुछ टीचर्स इसमें इनवाल्वड थे। चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट को वह जमीन दी गयी थी अतः शिक्षा अधिकारी महोदय की डाइरेक्ट रेस्पान्सिबिलिटी बनती थी इसलिए उन्होंने इस मामले को आगे भी टेक-अप किया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 21-7-1984 को किसी सिलसिले में किसी तहसीलदार महोदय की वहां एक ग्राम सभा हुई। उस ग्राम सभा में सब बड़े-बड़े लोग मौजूद थे। उसमें नागरिकों ने शिकायत की कि यह जमीन स्कूल की है और इसमें दुकानें बन रही हैं, इस तरह जमीन का मिसयूज हो रहा है, घोटाला हो रहा है तो कलेक्टर महोदय ने आदेश दिये एस डी. एम. और तहसीलदार को कि एक हफ्ते के अन्दर इसकी कार्यवाही करके मुझको सूचित किया जाये और जमीन स्कूल को हैण्ड ओवर कर दी जाये। इस परस्युएन्स में नागरिक फिर तहसीलदार से मिले। उन्होंने फिर वही कार्यवाही की जो पिछली बार की थी। यानि वह दुकानें बनना और जो जमीन पटवारी के लड़के के नाम कर दी थी, उस स्थिति को न केवल यथावत रखा बल्कि उसको प्रोत्साहित किया और तब से इस केस का यह सिलसिला आज तक चल रहा है। यानि स्कूल को यह अलाटमैंट हुआ 1-8-1964 को लेकिन स्कूल के पजेशन में यह भूमि आज भी नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारियों नेताओं इन सब से बराबर चर्चा होती रही है मगर यह इसलिये असरदार नहीं है क्योंकि वहां के स्थानीय रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, तहसीलदार, पटवारी हैं उन्हीं से रिपोर्ट मांगी जाती है। जो रिपोर्ट अपनी तरफ से उनको सूट करती है उसी को कन्फर्म कर देते हैं स्थानीय लोगों से मिली-भगत और साजिश चल रही है इस तरह से अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिल रही, ध्यान आकर्षण करने का मेरा परपज यही था कि यहां यह जो भूमि है यह वैलिडली स्कूल की है, स्कूल को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बिंदु उठाये हैं, उसके बारे में जो ध्यान आकर्षित किया है उसमें बहुत से मुद्दे महत्व के हैं। उन्होंने जो कहा है उसमें से काफी कुछ घटनायें हुई भी हैं। कुल मिलाकर उसमें स्थिति इस प्रकार से है :—

ग्राम रघुनाथपुरा तहसील कोटपूतली के ख. स. 80 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005 के इन्द्राजात के अनुसार नवाब फेज अली खां पिसर मुतवफ्रा नवाब मोहम्मद इन्से खां जाति कायमखानी के बिस्वेदारी में थी और खाता नं. 31 के खसरा नं. 80 के उपरोक्त भूमि पर बतौर काश्तकार मंगला पुत्र लालू अजीर, निवासी रघुनाथपुरा का नाम अंकित था। 1947 में फैज अली खां पाकिस्तान चला गया और भूमि कस्टोडियन के तहत आ गई और मंगला काश्त करता रहा। बिस्वेदारी उन्मूलन उपरांत तथा मंगला के फौत होने पर, यह आराजी उसके पुत्र सोहनलाल द्वारा काश्त की जाती रही। करीब 14 बिस्वा भूमि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग में आने के पश्चात् शेष 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि सोहनलाल द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 5-10-1964, श्री मामचन्द्र पुत्र गोविंदराम महाजन निवासी रघुनाथपुरा के नाम बेचान कर दी गई। क्रेता मामचन्द्र के मुख्त्यार खास श्री रामेश्वरलाल पुत्र गोविंदराम (रामेश्वरलाल रघुनाथपुरिया) ने इस भूमि में से 6 बीघा 10 बिस्वा, जरिये रजिस्ट्री, दिनांक 8-9-1972 को, श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री सोताराम यादव बनाम मुख्तियार सरला देवी पुत्री रामनाथ यादव (पत्नी उमरावसिंह) निवासी कंवरपुरा को बेचान कर दी। शेष 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि का विक्रय श्री रामेश्वरलाल ने बतौर मुकाम खास जरिये रजिस्ट्री, दि. 17-12-1983 श्री रोशनलाल पुत्र श्री मक्खनलाल यादव साकिन आशपुरा को बेचान कर दी। रोशन लाल नाबालिग है और अध्ययन कर रहा है तथा उसके पिता मक्खनलाल तहसील कोटपूतली के पटवार मंडल भांकरी मे पटवार पद पर कार्यरत हैं। उक्त खसरा न. 80 में दिनांक 26-12-1973 को तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय के कर-कमलों द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया गया तथा एक गूजर स्वतंत्रता सेनानी के नाम का शिलालेख भी लगाया गया।

मौके की जांच के अनुसार जो भू-खण्ड 5 बीघा 3 बिस्वा रोशनलाल पुत्र मक्खनलाल के नाम से 17-12-1983 को विक्रय किया गया, वहीं पर स्कूल भवन का शिलान्यास किया गया एवं गूजर स्वतंत्रता सेनानी के शिलालेख को लगाया गया। उक्त भूमि खसरा नं. 80 के मूल कृषक सोहनलाल से मामचंद्र पुत्र गोविंदराम महाजन द्वारा क्रय की गई थी और उसके भाई रामेश्वरलाल ने बतौर मुख्तियार खास इस भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम बेचान कर दिया। श्री रामेश्वरलाल मुख्तियार खास द्वारा जो 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि, ग्यारसीलाल को बेची गई थी वह अभी भी भू-प्रबन्ध अभिलेखों में कस्टोडियन के नाम से दर्ज है। किन्तु रोशनलाल के नाम से बेची गई भूमि के लिए सहायक भू-अभिलेख अधिकारी (भू-प्रबंध विभाग) ने आदेश दिनांक 1-9-1984 से रोशनलाल (नाबालिग) के नाम खातेदार स्वीकृत की है और भू-प्रबन्ध अभिलेखों

(श्रीमती कमला)

कस्टोडियन के स्थान पर रोशनलाल के नाम से दुरस्ती कर दी गई है।

मुख्य मन्त्री महोदय के कर कमलों से दिनांक 26-12-1973 को स्कूल भवन तथा गूजर स्वतन्त्रता सेनानी स्तम्भ के लिए जो शिलान्यास किये गये, उसमें से स्कूल भवन के शिलान्यास का पत्थर गायब कर दिया गया है। इस सबंध की रिपोर्ट पुलिस थाने में दिनांक 18-3-1978 को दर्ज कराई गई, लेकिन शिलान्यास का पत्थर बरामद नहीं हुआ। वीर गूजर स्वतन्त्रता सेनानी का शिलालेख अभी भी मौके पर मौजूद है।

श्री रोशनलाल (नाबालिग) के नाम से जो भू-खण्ड श्री रामेश्वरलाल रघुनाथपुरिया ने बतौर मुख्तियार खास बेचान किया, उसके लिए ग्रामवासियों ने अदालत मुन्सिफ कोटपूतली में मुकदमा दायर किया, जहां से स्थगन आदेश जारी हुआ है जिससे रोशनलाल को निर्माण कार्य करने से पाबंद किया गया है। श्री रोशनलाल की ओर से स्थगन आदेश के विरुद्ध जयपुर ग्रामीण जिला जज के न्यायालय में दिनांक 28-8-1984 को श्री रोशनलाल द्वारा अपील की गई जो अभी भी विचाराधीन है।

कस्टोडियन की भूमि के लिए मंगला को उसके जीवन काल में एवं सोहनलाल को बाद में कभी भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। कस्टोडियन भूमि का इस प्रकार बेचान एवं खातेदारी दर्ज करना सर्वथा अवैध है तथा इण्डियन डिसप्लेस्ड परसन्स (रिहैबिलिटेशन एण्ड कम्पनसेशन) एक्ट, 1954 की धारा 12 के विपरीत है।

कलेक्टर, जयपुर द्वारा तहसीलदार, कोटपूतली को निर्देश दिये गये हैं कि वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 175 के अधीन अविलम्ब एस. डी. ओ., कोटपूतली की अदालत में इस कार्यवाही के खिलाफ दावा कर भूमि के अनधिकृत व्यक्तियों को बेदखल करावें। राज्य सरकार तत्कालीन तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही करने हेतु राजस्व मंडल को निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में लीलैण्ड के वाईकिंग माडल के अनावश्यक कलपुर्जों की खरीद

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला मैं उठा रहा हूं वह राज कोष में लगभग 39 लाख रुपये के लास के सम्बन्ध में है। रोडवेज में लाखों रुपये का घाटा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कोई भी सामान क्रय किया जाता है तो इसके लिए एक परचेजिंग कमेटी बनी हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : इस समय बहुत धीरे बोल रहे हैं। आज नम्र हैं आप।

श्री नाथूसिंह : आज आपसे प्रेरणा ले रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो परचेजिंग कमेटी बनी हुई है उसमें सी. एम. ए. होता है, चीफ कन्ट्रोलर आफ एकाउन्ट्स होता है,

(श्री नाथूसिंह)

चीफ एकाउन्ट्स आफिसर होता है एम. डी. और चेयरमैन होता है। कोई भी सामान खरीदने से पहले मामला इस बोर्ड में रखा जाता है। यह उसे एप्रूव करता है, उसके बाद सामान खरीदा जाता है। जो मामला मैंने रखा है इसमें 39 लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने खरीदे हैं लीलैण्ड के वार्किंग माडल के। वार्किंग माडल की कुछ गाड़ियां राजस्थान रोडवेज में हैं लेकिन डेढ़ साल से करीब-करीब सब खराब हो चुकी हैं उसके स्पेयर पार्ट्स खरीदे हैं। इन स्पेयर पार्ट्स में चार तरह के आइटम खरीदे गये लेकिन इसके जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने बताया तीन तरह के आइटम्स खरीदे हैं, गीयर बाक्स, फ्रन्ट एक्सल असेम्बली और गीयर एक्सल असेम्बली। इसके साथ ही साथ स्टीयरिंग और खरीदे हैं, यह चार आइटम्स खरीदे हैं। लेकिन इन्होंने जवाब में तीन ही आइटम बताये है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा सामान जो 39 लाख रुपये का खरीदा गया, यह कैसे खरीदा गया, इसकी आवश्यकता क्या थी? इसके लिये सी. एम. डी. अपनी राय प्रकट करते हैं। उसके बाद कितनी किन चीजों की आवश्यकता है? यहां पर दो सेन्ट्रल वर्क शाप हैं, एक जयपुर में स्थित है एक अजमेर में।

(4.00 म. प.)

उन दोनों में क्या-क्या प्रोडक्शन होता है? कुछ सामान का रिपेयरिंग भी होता है तो इन दोनों वर्क-शाप में क्या-क्या सामान प्रोडक्शन नहीं होता है, किन-किन का रिपेयरिंग नहीं होता है उसी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में, इन सब चीजों को नजरअन्दाज किया गया। मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि यह सामान लीलैण्ड कम्पनी से खरीदा गया राजेश मोटर्स के थ्रू, जिनके पास आज ऐजेन्सी है। उनके यहां यह 39 लाख का सामान फालतू पड़ा हुआ था, उनकी इतनी मनी ब्लाक हो रही थी तो उन्होंने राजेश मोटर्स के थ्रू इनको एप्रोच किया। एप्रोच करके कहा लीलैण्ड वालों ने कि हमारी इतनी मनी ब्लाक हो रही है, इतना सामान पड़ा हुआ है, इसको आप खरीद लो और तो इनके बीच में आपस में सौदा तय हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, 30 परसैन्ट कमीशन तय हुआ। 30 पर्सेन्ट कमीशन के हिसाब से 11 लाख 70 हजार रुपया होता है। इस तरह लगभग 12 लाख रुपया तय हुआ और उसके बाद यह सामान खरीदा गया। अब यह सामान किस तरह से खरीदा गया, उपाध्यक्ष महोदय?

महाराष्ट्र के पास इस समय 11 हजार लीलैंड की गाड़ियां हैं, इस तरह की गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा 11 हजार गाड़ियां हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत गाड़ियां हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं लेकिन वहां कोई भी स्पेयर पार्ट्स यहां से नहीं खरीदता इसलिये इनके पास यह फालतू सामान पड़ा था तो उसको बेचने के लिए इन्होंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एप्रोच किया। सबसे पहले एक सी. एम. ई. को एप्रोच किया। उस सी. एम. ई. ने

(श्री नाथूसिंह)

अपनी राय प्रकट की कि यह सामान खरीदा जाय।

यहां, उपाध्यक्ष महोदय, दो सी. एम. ई. हैं–एक सी. एम. ई. प्रोडक्शन और एक सी. एम. ई. प्लानिंग। उपाध्यक्ष महोदय एक सी. एम. ई. की जब यह राय आई तो दूसरे सी. एम. ई. के पास मामला गया। उन्होंने अपनी राय प्रकट की कि इस सामान को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह जो सामान खरीदा जा रहा है इसका प्रोडक्शन हमारे यहां ही होता है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 400-500 पार्ट्स इसी तरह के इस समय राजस्थान परिवहन निगम का जो सैन्ट्रल वर्कशाप है, इसमें मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब ये पुरानी गाड़ियों को डिसपोज-आफ करते हैं तो उस समय इस तरह का मोटा-मोटा सामान निकाल लिया जाता है, उसके बाद ही उन गाड़ियों को डिसपोज-आफ करते हैं। कुछ सामानों की रिपेयर भी करते हैं और जो काम में आने वाला होता है, उसको काम में ले लेते हैं और उसके बाद में इन गाड़ियों में उस सामान को लगाते हैं तो इस समय सैन्ट्रल वर्कशाप के अन्दर 400-500 नग इस तरह के सामान के आलरेडी पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यह सामान खरीदा गया। वह सामान खरीदने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से एक भी नट काम में नहीं आया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि....

एक माननीय सदस्य : यह कब खरीदा गया?

श्री नाथूसिंह : डेढ़ साल पहले।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक साल से लेकर आज तक उस सामान का इन्स्पैक्शन तक नहीं हुआ जबकि कानूनन सामान के आते ही एक या दो दिन के अन्दर-अन्दर उसका इन्स्पैक्शन होना चाहिये कि जो पेटियां आई हैं, इनमें क्या-क्या बन्द है, क्या सामान है क्या सामान नहीं है, खाली तो नहीं हैं, सामान है तो कौन-कौन सा है, कौन सा माडल है, क्या है, पत्थर है कि लोहा है, कि लकड़ी है, क्या मामला है उसका इन्स्पैक्शन तक नहीं हुआ। आज भी बंद पेटियों में वह सामान ज्यों-का-त्यों ही पड़ा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, बाकी का इतना सामान पड़ा हुआ है, वह काम में नहीं आया है। इसको खरीदने का तरीका भी क्या निकाला। इन्होंने परचेजिंग बोर्ड के सामने इस मामले को नहीं ले गये। तो क्या किया? एक नोट-शीट घुमाई। पहले यह नोट-शीट मि. एस. एन. लोनकर, जो सी. एम. ई. हैं वहां उनके पास गयी। उन्होंने रिकमन्ड किया कि जितनी गाड़ियां हैं उसका 10 पर्सेन्ट सामान खरीदा जाय कलपुर्जे वगैरह खरीदे जायं लेकिन दूसरे सी. एम. ई. मि. टण्डन ने इसके विपरीत रिपोर्ट दी जो इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि सामान खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका प्रोडक्शन यहीं होता है, और भी फालतू सामान हमारे यहां पहले से ही पड़ा हुआ है। इतने सामान को किसी डिपो ने भी नहीं मांगा। डिपोज को जब

(श्री नाथूसिंह)

कहा गया. सामान ले जाओ तो उन्होंने कहा, आलरेडी हमारे पास सामान पडा है। इस सामान को मंगा कर हमारे कोष में और वृद्धि होगी इसलिये किसी भी डिपो वाले ने इस सामान की मांग नहीं की। न यह सामान मगाया और न भेजा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, परचेजिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, उनके पास नोट शीट को पर्सनली ले जा करके उस पर साइन करवाये। गये। इस तरह से बिना परचेजिंग बोर्ड में ले जाये, बिना एप्रूव कराये, नोट-शीट पर पर्सनली उनके साइन करवा करके उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान खरीदा गया....

(व्यवधान)

वह बता रहा हूं, इसमें सम्मिलित तीन व्यक्ति और पांच आदमियों की यह कमेटी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मानता कि चेयरमैन और एम. डो. का इसमें हाथ है। लेकिन ये तीन आदमी सी. एम. ई. मि. एस. एन. लोनकर, चीफ कन्ट्रोलर, आफ स्टोर्स मि. एन. सी सक्सैना और चीफ अकाउन्टस आफिसर मि. ए. सी. शर्मा, इन तीनों ने मिलकर कान्सपरेसी की, रिकमन्ड किया, नोट-शीट घुमाई और सामान मंगा लिया। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदया से कि इस तरह का यह 39 लाख रुपये का सामान खरीदा गया, वह रुपया ब्लाक एक साल से ब्लाक है, उसके ब्याज का आंज कितना रुपया बनता है? उस ब्याज का नुकसान हुआ और इस तरह से 30 पर्सेन्ट कमीशन खा करके इन्होंने यह सामान बिना आवश्यकता के खरीद लिया। बड़ी-बड़ी जितनी दूसरी रोडवेज हैं वे भी इस तरह के स्पेयर पार्ट्स खरीदती नहीं हैं तो मेरा प्रश्न है, कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हैं जो मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा स्कैण्डल है। 12 लाख रुपये इन्होंने, तीनों लोगों ने मिल कर खाये है, 39 लाख रुपये रोडवेज के ब्लाक किये हैं। एक तरफ आप रोडवेज में घाटा बता रहे हैं और इसीलिये रोडवेज का किराया अभी 19 पर्सेन्ट बढ़ाया है। आम आदमी पर आप वजन डालते जा रहे हैं लेकिन जो लोग बैठकर खा रहे हैं और इस तरह से जनता को लूट रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदया, कि इस मामले की आप जांच करवायें। जांच करवाने से पहले या तो सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाइये या उच्चाधिकारियों, कान्फिडेन्शल उच्चाधिकारियों, जो अच्छे ईमानदार हैं, की एक टीम या कमेटी बनायें और आप स्वयं, मन्त्री महोदया, यह सामान जो सेन्ट्रल वर्क शाप में पड़ा हुआ है टी. बी. सेनेटोरियम के पास, इस सामान को सीज करवायें, नहीं तो मुझे शक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सामान को निकाला जायगा, उसको इधर-उधर किया जायगा और फिर कहा जायगा कि काम आ गया। सारा का सारा सामान बन्द पेटियों में पड़ा है इसलिये आज ही इस सामान को सीज कराया जाय। किस तारीख को यह सामान खरीदा गया? आज तक वह क्यों नहीं काम में आया? उसका पेमेन्ट उसी तारीख को कर दिया गया लेकिन आज तक सामान काम में नहीं लिया जा सका तो सारे सामान को सीज

(144)

(श्री नाथूसिंह)

किया जाय और उसकी जांच की जाय कि कितना सामान खरीदा गया और कितना मौजूद है और कौन-कौन लोग इसमें दोषी हैं। दोषी व्यक्तियों को सस्पैन्ड किया जाय और फिर इसकी एन्क्वायरी कराई जाय क्योंकि कागजों में ये हेरा-फेरी करेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं उनके जवाब में माननीय मन्त्री महोदया से चाहूंगा कि क्या यह मामला परचेजिंग बोर्ड की बिना सहमति के खरीदा गया है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे और क्या यह मामला उसमें एप्रोच हुआ है, वहां गया है ?

दूसरा मेरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या इस सामान का आज तक कोई इन्सपेक्शन हुआ है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ? और यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं, और दोषी के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस समय सेन्ट्रल वर्क शाप, जयपुर और अजमेर में भी इस तरह के सामान का प्रोडक्शन होता है, रिपेयरिंग होती है ? पुरानी गाड़ियों का क्या इस तरह का सामान सेन्ट्रल वर्क शाप में मौजूद है ? यदि हां तो कितना ? और चौथा सवाल मेरा यह है. उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या पुरानी गाड़ियों को डिसपोज आफ करते हुए इस तरह का सामान निकाल लिया जाता है और रिपेयरिंग करके फिर उस सामान को और जगह काम में लिया जाता है ? एक उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सवाल है कि क्या इस मामले में इसका पेमेन्ट उसी दिन कर दिया गया ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सी. एम. ई. प्रोडक्शन ने क्या रिपोर्ट दी और सी. एम. ई. प्लानिंग की क्या रिपोर्ट है ? यदि उसने इस सामान को नहीं खरीदने की रिपोर्ट दी है तो फिर इस सामान को क्यों खरीदा गया ? यही मेरे कुछ सवाल हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका मैं माननीय मंत्री महोदया से उत्तर चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मोहन प्रकाश : (राजाखेड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर 28 लाख रुपये रोडवेज खर्चा करती है अपने कर्मचारियों के मुकदमा लड़ने पर....

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : काहे पर ?

श्री मोहन प्रकाश : 28 लाख रुपये खर्चा कर रही है रोड़वेज....

श्रीमती कमला : किस चीज में ?

श्री मोहन प्रकाश : अपने कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने में और वह कर्मचारी वे हैं जो कि दो-दो कोर्टों से रोड़वेज के खिलाफ जीत चुके हैं। तो हमारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

श्रीमती कमला : तो इससे क्या संबंध है ?

श्री मोहन प्रकाश : मैं वही बता रहा हूं कि इस तरह के घोटाले हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप जो सामने लाये, वह ठीक है।

श्री मोहन प्रकाश : और वह गरीब कर्मचारी जो दो कोर्टों में रोडवेज को हरा चुके हैं जो 500-600-700 रुपये तनख्वाह पाते हैं तो दो कोर्टों में हराने के बाद तो कम से कम उनको नौकरी पर ले लेना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सूचना दे दी, ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5–6 बातें कही हैं उनमें से प्रमुख बात यह है कि यह परचेजेज किस आधार पर की जाती हैं और उसके बोर्ड का क्या गठन है । परचेजेज की खरीद किये जाने का आधार मण्डल के द्वारा सन् 1978 में अपनी एक बैठक में किया हुआ था । उसका आधार यह है कि मण्डल के पास में जितनी भी बसेज की फ्लीट है उनके अनुपात में 10 पर्सेंट खरीद की जानी चाहिए । इससे पहले यह 5 पर्सेन्ट थी बढ़ा करके बाद में इसको 10 पर्सेन्ट किया गया । उसी के अनुपात में तीन असेम्बलीज इन्होंने खरीदने का फैसला किया । फ्रन्ट एक्सल असेम्बली जिसमें जो फ्लीट है वह 1461 बसों की है उसका 10 प्रतिशत 146 होता है । इनको वास्तविक आवश्यकता 101 की थी । उसके पेटे इन्होंने सिर्फ 60 खरीदे हैं । गियर बाक्स 140 होते हैं मापदण्ड के मुताबिक, वास्तविक आवश्यकता 30 की थी उतनी ही इन्होंने खरीदीं । इनका रीयर एक्सल जो था वह मापदण्ड के मुताबिक 146 होता है, वास्तविक आवश्यकता 79 की दिखायी गयी और उसके पेटे 60 खरीदा गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला मुद्दा यह है कि निर्धारित मापदण्ड से भी इतना कम प्रतिशत खरीदने के बाद उसका उपयोग कम हुआ । जो गीयर बाक्स थे वह 30 खरीदे उनमें से डेढ़ साल या दो साल जितनी भी अर्सा हुआ उसमें 9 काम में आये । रीयर एक्सल जो इन्होंने 60 खरीदे उसमें 11 नग काम मे आये । फ्रन्ट एक्सल 60 खरीदे उसमें अभी तक एक नग नये में से काम में आया है । बाकी क्यों नहीं काम मे आये और किस कारण से अभी तक रखे हुए है, यह मुख्य मुद्दा है इसकी खरीद के पीछे । मैंने इसकी जब जानकारी की तो मालूम यह पड़ा कि आम तौर पर जितनी बसेज आम रूट पर चलती रहती हैं, उनकी कुछ असेम्बलीज खराब हो जायें तो उनको सबस्टिट्यूट करने के लिए जितनी जरूरत पड़ती रहती है उसको, और जितनी सालाना बसेज रिजेक्ट की जाती हैं उनमें से जो स्पेयर असेम्बलीज निकलती है उनको दुरुस्त करा कर उपयोग करने का जो प्रपोरशन है उस अनुपात को आम तौर पर पिछले वर्षों के मुकाबले में घटाकर के खरीदा लेकिन पिछले दो वर्षों में इनकी जो रिजेक्टेड बसेज थीं उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण से उनमें से ही इनकी काफी असेम्बलीज निकलीं और उनको इन्होंने ज्यादा काम में लिया । जो नयी खरीदी गयीं थीं उनको वह उतनी काम में नहीं ले पाये जो कि उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से कुछ जस्टिफाइड करने की कोशिश की है । 1978–79 में फ्लीट 45 बसेज रिजेक्ट, कन्डम की जाती रहीं, 1979-80 में तीन हुई, 1980–81 में 17 हुई, 1981-82 में 32 हुई, 1982–83 में 93 हुई, 1983–84 में 60, 1984–85 में 66 । इस प्रकार लगातार तीन वर्षों में क्योंकि कन्डेम्ड व्हीकल्स बहुत बड़ी संख्या में ही

(146)

(श्रीमती कमला)

गये तो उनसे जो स्पेयर असेम्बलीज निकाली गयीं उनको ज्यादा काम में लिया गया इसलिए यह काम में नहीं आ सकीं। लेकिन इसका यह पूर्ण उत्तर नहीं है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि हमको क्या लम्बी प्लानिंग करके यह नहीं सोचना चाहिए था कि अगर इतने साल के लिए हम खरीदते हैं तो इतने साल में कितनी बसें कन्डैम होंगीं, कितनी आन रुट हैं, उनकी असेम्बलीज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसके हिसाब से हम को कितनी चाहिए। मण्डल ने जो प्रस्ताव पास किया था 10 पर्सेन्ट आफ दि टोटल फ्लीट, उसके हिसाब से तो बहुत कम खरीदा है लेकिन कम खरीदा हुआ भी और ज्यादा कम इसलिए प्रतीत हो रहा है कि रिजेक्टेड और कन्डंम बसेज थीं ज्यादा होने से इनको अपनी ही बसेज में से यह सब असेम्बलीज काफी मिल गयीं। मैं इस बारे में इतना ही कह सकती हूं कि सिर्फ 10 पर्सेन्ट के हिसाब से न देख करके आगे तक की काफी लम्बी प्लानिंग करके कि कितनी बसेज कन्डैम होनी हैं, कितनी बसेज में सब्स्टीट्यूट होने हैं, कितनी बसेज नयी खरीदी जानी हैं उसके हिसाब से वास्तविक मांग कितनी होनी है वही हमको की जानी चाहिए, इस तरह का एक आगाही पत्र हम निगम को भेजने की सोचते हैं।

दूसरा, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि यह कोई राजेश कम्पनी की मार्फत खरीदी, ऐसा नहीं है। सीधे लीलेण्ड कम्पनी से खरीदा है और उनके भाव उन्हीं के हिसाब से लिये गये हैं। जो माल खरीदा उसमें इन्स्पैक्शन कितने का हुआ, कितना अभी बंधा पड़ा है और जो खरीदा गया वह उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कितना है और कितना नहीं है इसकी डिटेल मेरे पास में अभी नहीं है।

श्री नाथूसिंह : इन्स्पैक्शन कितने का हुआ ?

श्रीमती कमला : कुछ का हो चुका है, वैरिफिकेशन भी हो चुका है, रजिस्टर में इन्द्राज भी हो चुका है लेकिन सब इन्सपैक्शन में से कुछ का इन्द्राज इसलिए नहीं किया है कि उनके कुछ स्पेयर पार्टस कम्पनी ने दिये नहीं हैं। इसलिए वस्तुस्थिति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इसमें जहां कहीं घपला नजर आता है वह इसलिए नहीं है कि पर्सेन्टेज के हिसाब से जो डिसीजन इन्होंने लिया, उसके हिसाब से ही खरीदा है। जहां तक आपने पूछा कि इसमें परचेजिंग बोर्ड के मेम्बरान कौन-कौन हैं, इसमें चेयरमैन हैं, एम. डी. हैं, जी. एम., स्टोर हैं, जी. एम. आपरेशन्स है, जी. एम. प्रोडक्शन हैं, सी. ए. ओ. हैं और डब्ल्यू. एम. मैम्बर सैक्रेटरी हैं, तो इस तरह से सभी आई. ए. एस. इसकी अथोरिटीज हैं। इसमें कहीं क्या आपको गड़बड़ प्रतीत होती है उसकी और जांच करा सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 और सवाल पूछना चाहता हूं मैंने यह सवाल पूछा था कि क्या इस सामान का इन्स्पैक्शन हो गया, उसके जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा कि कुछ का तो हो गया और कुछ का इसलिए नहीं हुआ कि कम्पनी ने दिया नहीं सामान....

श्री उपाध्यक्ष : कुछ पुर्जे उनके।

श्रीमती कमला : इन्स्पैक्शन तो सब का हो गया लेकिन इन्सपैक्शन और इन्द्राज कुछ का ही हुआ है। कुछ का इन्स्पैक्शन होने के बावजूद उनका इन्द्राज इसलिए नहीं करा कि उनके साथ के कुछ पार्ट्स बाकी हैं।

श्री नार्यूसिंह : उनके साथ के पार्ट्स दिये ही नहीं कम्पनी ने, यही न? उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में सामान खरीदा, पेमेण्ट हो गया। पेमेंट 1983 में ही हो गया और यह कह रहे हैं कि अभी तक उसके कुछ पार्ट्स साथ में मिले नहीं हैं। यही, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो जवाब अधिकारियों ने दिया है वह गोल माल जवाब देने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी इसमें बचना चाहते हैं साफ-साफ। जब पार्ट्स आपके सामने नहीं आये, आपने उनका इन्स्पैक्शन नहीं किया तो आपने पेमेंट कैसे कर दिया? 1983 में सामान खरीदा, किस आधार पर आपने पेमेण्ट कर दिया? सामान क्या आया? सामान पूरा आया कि नहीं? पूरा सामान आये बिना इन्होंने पेमेण्ट भी कर दिया तो यह पेमेण्ट किस आधार पर हुआ, एक सवाल तो यह है। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि गियर बाक्स के 11 पीस काम में आये हैं, रीयर एक्सल 11 और फ्रन्ट एक्सल केवल एक, यह आंकड़े गोल माल हैं। मन्त्री महोदया, इसलिए जांच करायें। इसीलिए मैंने कहा था, यह भी काम में नहीं आये हैं। आप उसको सील करवाइये, जितना सामान पड़ा हुआ है उसमें से एक भी एक्सल काम में नहीं आया। मैं बता रहा हूं, आज ही सील करवायें। इसीलिए जब मेरा कालिंग अटेन्शन यहां से गया उसके बाद वहां भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद इन्होंने सोचा कि हम इस मामले में फंसे इसको गोलमाल करो, गोलमाल कुछ नग इतने इसमें हैं, इतने इसमें हैं। क्या इस परचेजिंग बोर्ड में जिनके एक्सपर्ट्स बैठे हुए, थे उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि जितनी गाड़ी डिस्पोज आफ हो रही हैं हर साल उनकी पर्सेन्टेज बढ़ती जा रही है? मन्त्री महोदया, आप खुद जाकर वहां मुआयेना कीजिए, 400-500 नग आपके पुरानी गाड़ियों के डिस्पोज-आफ होकर सेन्ट्रल वर्क शाप में पड़े हुए हैं। इनको मालूम था कि, करोड़ों का सामान पड़ा हुआ है उसके बावजूद जान बूझकर यह खरीद की गई है। आपने तो कह दिया, आपने सीधा सा कह दिया कि टैन पर्सेन्ट का पहले से नियम बन गया था। यह टैन पर्सेन्ट का नियम इसलिए बना था, उपाध्यक्ष महोदय, यदि सामान की कमी पड़े सामान नहीं हो तो मैक्जिमम सामान टैन पर्सेन्ट खरीदा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन इन्होंने टैन पर्सेन्ट का आधार बना कर बिना आवश्यकता के खरीद लिया। मैंने एक सवाल और पूछा था कि क्या परचेजिंग बोर्ड में इस मामले को एप्रूव करवाया? इसको एप्रूव नहीं कराया गया, उपाध्यक्ष महोदय, नोट-शीट को घुमा करके पर्सनली एक-एक मैम्बर के दस्तखत करवाये गए, साइन करवाये गए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला, सारा जो जवाब दिया गया है, मन्त्री महोदया, घुमा-फिरा कर के अधिकारियों ने अपने को बचाने के लिए किया

(148)

(श्री नाथूसिंह)

है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन अधिकारियों को बचाइये मत। यह बहुत गम्भीर मामला है, इसलिए आपको कह रहा हूं।

श्रीमती कमला : जो मुद्दे स्पष्ट नहीं हैं उनकी जांच अवश्य कराई जाएगी। आपने दो-तीन मुद्दे ऐसे उठाये हैं जिनकी जानकारी भी नहीं है, वे स्पष्ट भी नहीं हैं। एक तो यह कि जो सामान आया वह क्या-क्या आया, क्या उसका वैरिफिकेशन हुआ, वह रजिस्टर में दर्ज हुआ, उसकी पेमेन्ट कब हुई और दूसरा आपने कहा कि सैन्ट्रल वर्क-शाप के अन्दर इस तरह की बहुत सारी असेम्बलीज तैयार थीं या उनका सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, वहां तैयार की जा सकती थीं। इस बात की जांच करवा लेंगे। इसके बाद में जो एप्रूवल का मामला है कि बोर्ड के अन्दर एप्रूवल कराना चाहिए था, वह हुआ या नहीं हुआ, ये तीन-चार मुद्दे जो आपने बताये हैं, या और भी बतायेंगे तो उनकी एक साथ जांच कराकर इसके बारे में कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं....

श्री मुक्तिलाल मोदी : प्राइवेट आदमी को कमीशन देते हैं, सरकार को कितना कमीशन दिया ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मोदीजी सीधा कम्पनी से खरीदा है, प्राइवेट आदमी से नहीं खरीदा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय मन्त्री जी, प्राइवेट आदमी को भी कमीशन देते हैं यह तो सीधा कम्पनी से खरीदा है तो वह भी कमीशन देते हैं यह आपको मालूम है। सरकार को कमीशन नहीं दे और रेट पर चीज दे तो यह कहां तक उचित है ? बताओ, सरकार को नुकसान हो गया ना !

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह तो मैंने जानकारी नहीं की कि जो कमीशन प्राइवेट कम्पनियों को देते हैं वह निगम को दिया या नहीं दिया। दिया जाना चाहिए, मिलना चाहिए, कायदे की बात है। अगर किसी कमीशन के मामले में ...

श्री शोपत सिंह : कमीशन तो आफिसर्स ने ले लिया था।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सुनिये, कमीशन का मतलब किसी अफसर से नहीं है। Institution is always purcheser.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अन्तिम प्रश्न और

(श्री नाथूसिंह)

पूछना चाहूंगा। मैंने यह नहीं कहा था कि राजेश मोटर के थ्रू खरीदा। मेरा मतलब यह नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय। जयपुर में लेलैंड का डीलर है राजेश मोटर। उपाध्यक्ष महोदय, खरीदा सामान वहीं से, लेलैंड से। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां से नहीं खरीदा। सामान सीधा वहीं से खरीदा था लेकिन इन तीन व्यक्ति, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, और भी हो सकते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार ये लोग हैं, मुझे पता लगा है वह इतने ही हैं, इन लोगों ने मिल कर एक कांसपिरेसी की और वह....

श्री उपाध्यक्ष : वह आ गया है, रिपीट मत करें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। इन्होंने सौदा किया। 30 पर्सेन्ट कमीशन का जो मैं कह रहा हूं वह रोडवेज को नहीं मिला है। खरीदने पर भी नहीं मिली। 30 पर्सेन्ट कमीशन ये सीधा खरीदने में खा गए।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सुनिये, आप जो कमीशन खाने की बात कहते हैं वह ड्यू कमीशन किसी भी परचेज ऐजेंसी का होता है, वह तो होगा। मिला ही है निगम को। बाकी कौन कितना खा गया, यों ही एब्सर्टली चार्ज आप किसी पर कुछ भी लगावें, यह तो आपकी मर्जी की बात है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आप जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बार बार नहीं।

श्री नाथूसिंह : आप जांच करवाने से पहले सामान को सीज करवायें और कागज अपने हाथ में लें, मैं इतना ही चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से दो प्रश्न करना चाहूंगा।

श्री शोपत सिंह : चार कर लो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक तो यह कि 10 परसेंट वेल्यू का जो सामान खरीदने की बात बताई है, क्या मंत्री महोदया उसकी मीटिंग के मिनिट्स देखेंगी ?

श्रीमती कमला : वेल्यू का नहीं बताया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : टेन पर-सेंट जो उसकी फ्लीट है, उस संख्या का सामान खरीदने की जो मिनिट्स हैं उनका आप देखने की कृपा करेंगी ? उनको कृपया देखें। एक मेरा और प्रश्न करना है माननीय मंत्री महोदय, से कि सामान्य रूप से ऐसी जो बड़ी कंसर्न होती है वह जब टेण्डर इन्वाइट करती हैं तब रेट कान्ट्रेक्ट कर लेती हैं एक अमुक साल के लिए, गियर बाक्स के लिए या एक्सल के लिए। वह टेण्डर इन्वाइट करती हैं, रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर टेंडर आ जाता है, स्क्रूटनी हो जाती है, निश्चित हो जाता है। रेट कान्ट्रेक्ट में यही होता है कि रेट तय हो, सामान आने की आवश्यकता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब जिस परिमाण में जरूरत पड़ेगी उस परिमाण में उस कंसर्न से उस वक्त में मांगा लिया जाता है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो अभी जो मनी डम्प होती है वह रुक जाती है और दूसरी जो नेसेसिटि है उसके अनुसार सामान मंगाया जाता है। माननीय मंत्री महोदया आप बताने की कृपा करेंगी कि यह रेट कांट्रेक्ट बड़ी-बड़ी कंसर्न करती हैं जिस आधार पर सरकार भी करती है, क्या यह रोड़वेज इस प्रकार का रेट कॉंट्रेक्ट नहीं कर सकता जो इतना बड़ा सामान खरीदने की आवश्यकता पड़ गई, यह मेरा दूसरा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : मेरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सार्थक नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं।

श्री मोहन प्रकाश : सार्थक नहीं है वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो स्पेयर पार्टस में तो इतनी बड़ी मनी डम्प कर दी गई है, दूसरी तरफ हर रूट पर चलने वाली बसेज रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। हमारे रोड़वेज की स्थिति यह है कि हम रोडवेज में स्टेपनी नहीं देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मोहन प्रकाश : ऐसी स्थिति में इतने बड़े अमाउण्ट में स्पेयर पार्ट खरीद करके डम्प करना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। दूसरी तरफ आप चेयरमैन पर चेयरमैन बदलते जा रहे है। नीचे के जो अधिकारी हैं, ऐसी कुंडलीमार कर बैठे हुए हैं कि ईमानदार चेयरमैन को टिकने नहीं देते हैं, न सरकार टिकने देती है। जैसे ही चेयरमैन ने उनको उलाहना दिया उसको तुरन्त चालू कर दिया। ये नीचे के लोग हैं इसलिए यह मामला पकड़ में आया है। इसमें अगर जांच होगी तो भ्रष्टाचार में लिप्त नीचे के और जो अधिकारी हैं वे पकड में आयेंगे। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी, काल अटेंशन।

श्रीमती कमला : मैं इसका जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो हो गया। जवाब हो गया।

श्री मोहन प्रकाश : नाइट बसों में भी आप स्टेपनी नहीं देते।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे कहा कि टैन पर्सेंट की आप कह रहे हूं आप देख लें, मैं देख कर ही बोल रही हूं। दूसरा आपने कहा कि बजाय खरीदने के रेट लेकर रख लें और जब जरूरत हो तब खरीदें। मैंने

(श्रीमती कमला)

रहा है अभी कि बजाय इसके कि इस फैसले के तहत दस पर्सेंट योंही खरीद लें, सभी बातें इनका एडवांस में देखने की जरूरत है ऐसा हम निर्देश कर रहे हैं। उसके साथ में यह भी कि आप अपने यहां क्या-क्या. तैयार करवा रहे हैं, आपके यहां कितना अवेलेवल है और जो आप रिजेक्ट करेंगे उससे कितना अवेलेवल आने वाले वर्षों में होगा, यह भी एश्योर कर लें। अन्धे घुन्धे ही दस पर्सेंट की लकीर के फकीर बन कर खरीद न करें बल्कि जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग करें। उसी के मुताबिक खरीद करें। बाकी के मुद्दे आपने बताये हैं उसकी जांच के लिए मैंने कह दिया है।

नाथद्वारा में बस स्टैण्ड की व्यवस्था न होने से यात्रियों को असुविधा

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस स्थान की ओर जिसका धार्मिक....

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : मन्त्री महोदया का ही क्या, पीछे मंत्री महोदय बैठे हैं उनका भी ध्यान आकर्षित कराओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (ऊर्जा मंत्री) : आपको क्या हो रहा है ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सी. पी. एम. के एक ही मेम्बर आए हैं, उस पार्टी के एक ही मेम्बर हैं, ये बीच-बीच में बोलते हैं। पहले आप बोल लें मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आराम से, शोपत सिंहजी साहब, आराम से।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : माननीय जोशीजी, ये और इनकी पार्टी एक ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शोपतसिंहजी नहीं बोल रहे हैं इनकी पूरी पार्टी बोल रही है।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आपकी जैसी दिल्ली में हालत हो रही है वही मेरी यहां पर हालत है। दिल्ली में तो आपके दो ही हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): दिल्ली में दो तो हैं, यहां तो आप एक ही हैं। जब श्रद्धांजलि अर्पित करें तो आप अकेले बोलें, और भी कोई कार्यवाही हो तो वह आप अकेले करें।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : माननीय सदस्य सी. पी. एम. के एक ही हैं। आप कुछ कर नहीं सकते इसलिए इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनके अधिकारों की रक्षा की जावे।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ऐसी समस्या के बारे में....

व्यवस्था का प्रश्न

लोंगोवाला एवं प्रधान मंत्री के मध्य हुए समझौते पर चर्चा हेतु नियम निलम्बन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है ग्रापका ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये साहब। गम्भीर मसला है ग्राप सुनिये।

मैं नियम 306 की ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। 306 में मैं ग्रापसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ग्राप नियमों का निलम्बन करिये। बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के सामने ग्रा गयी है। कल इस हाऊस में चर्चा हुई थी, मुख्य मंत्रीजी वापस ग्रा गये हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी है कि राजस्थान का पानी चला गया, राजस्थान का सारा काम चला गया है, राजस्थान का ग्राज सब कुछ संकट में पड़ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति ग्राज हमारे सामने हो गई है। उन्होंने कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने कहा है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस मैटर को लाइटली नहीं लें, ग्रभी इतनी जल्दबाजी नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर बुलाया जाय माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कि दिल्ली में क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दबाजी करने की नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दिल्ली में मिले बिना वह ग्रा गये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : मुख्य मन्त्री महोदय ग्राये हैं तो ग्रावश्यकतानुसार उनको कहना होगा तो कहेंगे। ग्राज ग्राप यह कैसे एज्यूम कर रहे हो कि सत्यानाश हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनसे मिले ही नहीं ..

श्रीमती कमला : ग्रपने ग्राप ही एज्यूम कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो बुला कर बताग्रो क्या हुग्रा। बहुत बड़ी समस्या है, प्रदेश की समस्या है।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रहम मसला है, माननीय सदस्य ने जो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाऊस को बताया जाय इसमें क्या हुग्रा ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाऊस में बुलाया जाय उनको, यहां बताया जाय।

श्री नवरंग सिंह : राजस्थान के पानी का मसला है, मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं इसलिए जरूरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ गये हैं, सारी बातें उनको पता है, उनको बुलाकर पूछा जाय माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आखिर हुआ क्या राजस्थान के साथ में।

श्री नवरंग सिंह : पहले, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विचार किया जाय क्योंकि राजस्थान के साढे तीन करोड़ लोगों का मसला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल राजस्थान की समस्याओं का है।

श्री नवरंग सिंह : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, और सारे जो सदन के काम हैं वह छोड़ सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं ? अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी आ चुके हैं तो यह बात सही है कि पानी के मसले पर दिल्ली में उनकी क्या बात हुई, क्या फैसला हुआ ? उससे सदन को पहले अवगत कराया जाये।

(व्यवधान)

दिल्ली में क्या बात हुई ? हमारा जो हक था वह हमारा हक सुरक्षित रहा या नहीं ? तब और कार्यवाही चलेगी। पहले मुख्य मंत्रीजी से सारी बात साफ करायी जाये। बुलाइये उनको। पहले मुख्य मंत्रीजी को बुलाइये।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता का सवाल है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बुलाओ।

एक माननीय सदस्य : इस पर व्यवस्था दी जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारा पानी चला गया....।

एक माननीय सदस्य : सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी को सदन में बुलवा दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बुलाकर पूछो राजस्थान के हितों का क्या हुआ ?

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़): माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन में भेजा जाय, बताया जाय क्या फैसला करके आये हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री नत्थीसिंह : उसके बाद और कुछ हो जायेगा, लेकिन पानी का सवाल पहले साफ हो, यह जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी): आपको मालूम है कल राजस्थान के मुख्य सचिव आज मुख्य मंत्री ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ी जानकारी करने दीजिये। जानकारी करने दीजिये। थोड़ी जानकारी करने दीजिये।

(व्यवधान)

थोडी जानकारी करने दीजिये। अभी जानकारी करने दीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जानकारी करने दीजिये। माननीय सदस्य, जानकारी करने दीजिये। कोई अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री हरिकुमार औदित्य : × × ×

श्री शोपत सिंह : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब को बुलवाया जाय। कल वह सदन में यह आश्वासन देकर गये थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और आपकी भावनाओं को लेकर दिल्ली में सारे नेताओं को दिल्ली के नेताओं को आपकी भावनाओं से परिचित कराऊंगा।

श्रीमती कमला : आ रहे है, आ रहे हैं। आ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आइये, आइये।

श्री नत्थी सिंह : क्या करके आये दिल्ली में ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : आप लोगों को चिन्ता नहीं करनी चाहिये, बड़ी चिन्ता कर रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : चिन्ता नहीं करनी चाहिए सारे राजस्थान के भाग्य का सवाल है, कैसे नहीं है चिन्ता।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चिता तो इस बात की है कि साढ़े तीन करोड़ जनता के साथ धोखा किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : जो समझौता किया गया था उसको खोलकर राजस्थान के साथ अन्याय किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं....

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एयर कंडीशन के वातावरण को गर्म काहे को कर रहे हैं ?

श्री भेरोंसिह शेखावत : मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता बोल रहे है। माननीय नेता बोल रहे हैं।

श्री भेरोंसिह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली जाकर आये हैं। सदन की भावनायें उन्होंने सारी की सारी वहां दिल्ली के नेताओं को, और प्रधान मंत्री तो शायद उन से मिले ही नहीं हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : हरे राम।

श्री भेरोंसिह शेखावत : अब यह भी बड़ी मुश्किल है। अब उस हालत में मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली में इस समझौते के सम्बन्ध में क्या स्पष्टीकरण हुआ है ? क्या कहीं राजस्थान के हितों के विपरीत 1955 के एग्रीमेंट को खोलने की स्थिति है, क्या नहीं है. इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी सदन को जानकारी दें, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। पहले लिस्ट आफ बिजनेस आपने लिया है या तो उसमें अमेंडमेंट कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता बोल रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : Let me explain it.

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इससे ज्यादा लिस्ट आफ बिजनेस कौनसा है ?

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : यह जो सवाल है, यह सवाल....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप विराजिये।

श्रीमती हमीदा बेगम (नूह) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सी. पी. जोशी का नाम पुकार चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता कुछ कहना चाहते हैं। माननीय नेता कह लें। माननीय नेता कह लें। Please sit down. Please sit down माननीय नेता कुछ कह लें।

श्री सी. पी. जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं। जब माननीय नेता खड़े हो जाते हैं तब बैठ जाना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री पंकज पंचोली (वेगू) : आपने इनका नाम पुकार दिया था, सी. पी. जोशी का।

श्रीमती हमीदा बेगम : नाम पुकार चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता बीच में कह लें।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकार चुके हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती हमीदा बेगम : रेगुलर बिजनेस अन्दर....

एक माननीय सदस्य : नाम पुकार दिया, पहले यह काम है। पहले यह वक्तव्य होगा उसके बाद में होगा।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री शिवराम शर्मा (धनीपार्क) : माननीय सदस्य का नाम पुकार दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य संचेतक): व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। उसके बीच में आपने माननीय सी. पी. जोशी, जो नाथद्वारा से आते हैं उनका नाम पुकार दिया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं हाउस से निवेदन करना चाहूंगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा था....

(व्यवधान)

जरा आप मुलाहिजा कीजिये। श्री सी. पी. जोशी का मैंने नाम पुकार दिया था। मैं यह चाहूंगा कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चूंकि नाम पुकार दिया था वह शुरू हो गया था....

(व्यवधान)

श्री शोभित सिंह : बाद में ले लीजिये। मेरा प्रपोजल है कि इसको आज नहीं लिया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : गम्भीरता का हमें भी ध्यान है लेकिन इसको कल लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....मैं निवेदन करूंगा कि जब एक बिजनेस....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत... माननीय सदस्य।

श्री शोभित सिंह : यह पानी का सवाल राजस्थान की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है। इसको पोस्टपोन किया जाय। पोस्टपोन किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : हमारे हितों की रक्षा हुई है या रक्षा नहीं करके आये ? नहीं करके आये, तो मामला दूसरा होगा । इसलिए हम सोचते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी माननीय नत्थी सिंह जी । नियमों के अनुसार यह है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से आये हैं उन्होंने आपत्ति उठाई है, उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लिया जाय....

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिये। हमको आपत्ति नहीं है । लेकिन पांच मिनट मुख्य मंत्री जी बोल जायें उसके बाद में आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ जायगा । इसमें कौनसी आपत्ति है ?।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप ठहरिये ।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था की बात व्यवस्था की जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । मैं माननीय नेता ...

श्री दाऊदयाल जोशी : यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है सी. पी. जोशी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सूचना देता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयालजी साहब । माननीय दाऊदयालजी माननीय दाऊदयालजी

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्रीमती हमीदा बेगम : विषय की गंभीरता को देखते हुए स्थगित करें....

श्री सी. पी. जोशी : कोई जरूरी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता ने एक प्रश्न उठाया । मैं विपक्ष के माननीय नेता से यह निवेदन करूंगा कि नियमों से से वह वाकिफ हैं उनके बनाये हुए हैं उनके पास किये हुए हैं नियमों के अनुसार जब एक बिजनेस एक पार्ट चल रहा होता है तो उसके बीच में दूसरा नहीं लिया जाता है ...

श्रीमती हमीदा बेगम : हां यह बात....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू नहीं हुआ है ।

श्रीमती हमीदा बेगम : गलत बात करते हैं । हम महसूस करते हैं विषय की गंभीरता को....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद में इस प्रश्न को लिया जाय । मैं यह निवेदन करता हूं । इसलिये पांच-दस मिनट में कोई ऐसी चीज होने वाली नहीं है ।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी जा रहे हैं ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठहरो तो सही....

श्री यदुनाथ सिंह : सदन की इन्सल्ट करते हुए मुख्य मंत्रीजी यहां से जा रहे हैं। सदन का इन्सल्ट करके कैसे जा रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मंत्री को वापस बुलाओ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इंसल्ट का सवाल इसलिये नहीं है कि व्यवस्था हुई है उसके बाद गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद में गये हैं इसलिये कोई इन्सल्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं रूल्स में अन्तिम रूल है आप उसको पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह रूल है ..

श्री उपाध्यक्ष : सस्पैण्ड करने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सस्पेण्ड करने का।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो वह....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करूं मुझे मालुम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी पहले सुन लीजिये

श्री उपाध्यक्ष : रेजीड्यूरी पावर स्वीकर की है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पावर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पावर है उसी पावर को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन पहले तो मैंने नियम का कहा। वह नियम है कि नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय नेता से यह कहना चाहूंगा कि मैंने जिस नियम का हवाला दिया वह नियम है कि नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं वह नियम है।

श्री उपाध्यक्ष : पहली बात। दूसरी बात....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप यह भी कहिये कि 306 भी है।

श्री उपाध्यक्ष : है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम 306 है ?

श्री उपाध्यक्ष : मै मानता हूं मैं उसको

(श्री उपाध्यक्ष)

भी मानता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप, दोनों में इम्पार्टेंट विषय कौनसा है, यह तय कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पर यह दस मिनट के लिये कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय नेता सदन के बैठे हुए हैं, माननीय नेता विपक्ष के बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी के आने तक सी पी. जोशी को 5-10 मिनट अपनी बात कहने दें।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य-सूची समाप्त हो और दोनों बिल पास होने तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री नत्थीसिह : पानी का सवाल हल हो तब तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह दूसरी चीज है। that is a different thing. सदन का समय आज का बिजनेस खत्म होने तक, दोनों बिल पास होने तक बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : पानी का प्रश्न राजस्थान की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस इस बात को महसूस कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, कल भी आ चुका है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साफ कहिए, जब तक इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा तब तक समय बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नाथद्वारा में बस स्टैण्ड न होने से यात्रियों को असुविधा

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं कह चुका हूं, श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा के क्षेत्र नगर नाथद्वारा में सबसे बड़ा धार्मिक स्थान श्रीनाथ जी का मन्दिर है जहां देश के कोने-कोने से यात्री आते हैं। किसी भी वेलफेयर स्टेट के बारे में एक ओपीनियन जनरेट की जाती है वह

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(160)

इस बात पर कि वहां पर यात्रियों के लिए बस स्टैण्ड की सुविधा किस प्रकार की है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि इतने बड़े धार्मिक स्थान पर, जहां देश के कोने-कोने से यात्री आते हों, जहां पर उत्तर प्रदेश की गाडियां आती हों, जहां पर मध्य प्रदेश की गाड़ियां आती हों, बस स्टैण्ड की जो सुविधा उपलब्ध है, यात्रियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है। इसलिए नगर का नागरिक होने के नाते, राज्य सरकार का अंग होने के नाते यह हमारे खुद के लिए बड़ी तकलीफदेह और शर्मनाक स्थिति है कि इस नाथद्वारा में बस स्टैण्ड की व्यवस्था नहीं कर पाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जान कर ताज्जुब करेंगे कि आई. ओ. डी. पी. स्कीम है केन्द्रीय सरकार की स्कीम, जिसके तहत नाथद्वारा म्युनिसिपेलिटी को 13.80 लाख रुपये मिले लगभग चार साल हो गये। वित्तीय साधन की उपलब्धता वहीं पर है लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम वहां पर बस स्टैण्ड का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस स्थान की महत्ता, यात्रियों की कठिनाई और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थान पर बस स्टैण्ड है वहां पर रोडवेज की दो गाड़ियां भी खड़ी नहीं रहती हैं जबकि प्राइवेट आपरेटर की 30-40 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यात्री उतर नहीं सकते। उतरने के बाद वहां पर जो आवारा पशु हैं, उनके द्वारा यात्रियों के सामान के साथ जो दुर्गति होती है उसका जितना वर्णन किया जाय उतना कम है। मैं, माननीय मंत्री महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आमंत्रित करता हूं बरसात थोड़ी और हो जाय आप कभी नाथद्वारा बस के द्वारा आइए, उतरिए। आपका पैर सही सलामत रह जाय और दर्शन करके आ जायें आप, तो मुझे भी खुशी होगी और श्रीनाथजी के मंदिर देखने की आपको भी खुशी होगी। वहां बरसात के अन्दर हालात इतने खराब हो जाते हैं कि यात्री वहां उतरने के बाद काफी तकलीफ पाते हैं मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदया और उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पवित्र स्थान पर आयें और देखें कि जहां पर देश के कोने-कोने से आदमी आते हैं और अपनी भावनाओं की मनौती पूरी करते हैं ...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय, आप तो मत जाना, वर्ना ये टांग तुड़वा देंगे। अभी आप दोनों की टांग तुड़वाने की योजना है नहीं, मत जाना।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय और माननीय मंत्री महोदय का समय इसलिए नहीं लेना चाहता, सदन स्वयं चिंतित है राजस्थान के किसी मसले के बारे में। मैं तो अपना स्पेसिफिक पाइंट माननीय मंत्री महोदया के सामने रखना चाहता हूं, टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा पिछले तीन साल से बस स्टैण्ड के लिए जमीन उपलब्ध करवाने में बिल्कुल एक पर्सेन्ट भी रुचि नहीं ले रहा है म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर सिवाय टेम्पल बोर्ड के कोई भी जमीन अवेलेबल नहीं है। जहां पर बस स्टैंड का कंस्ट्रक्शन किया जाय।

(श्री सी. पी. जोशी)

इसके अलावा जितनी भी जमीनों के बारे में कार्यवाही की जा रही है, आपकी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा की जा रही है। चाहे और किसी एजेंसी के द्वारा की जा रही है, वह नाथद्वारा के ग्रीन बेल्ट को स्पाइल करेगी। लेकिन जिस जगह राजस्थान की जमीन है वहां पर रोडवेज के आदमी ने, वहां पर आपकी कोंपीटेंट आथोरिटी ने साइट को देखा, साइट को अप्रूव किया और अप्रूव करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि टेम्पल बोर्ड ने सितम्बर, 1984 में इस प्रस्ताव को पहले एक्सेप्ट किया कि हम बस स्टैण्ड के लिये जमीन उपलब्ध करवायेंगे, उसके बाद प्रस्ताव में संशोधन करने के लिये बम्बई के अंदर टेम्पल बोर्ड की मीटिंग हुई और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि टेम्पल बोर्ड के रूल्स रेगुलेशन जिसमें लिखा हुआ है कि मेंडेटरी प्रोवीजन है कि मीटिंग नाथद्वारा में होगी लेकिन साल में केवल एक बार मीटिंग होती है। हर मीटिंग बम्बई में होती है, सितम्बर में कलेक्टर का आदेश आने के बाद इन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसके लिये जमीन अलाट करने का प्रस्ताव विचाराधीन है लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26-10, 4 महीने बाद मीटिंग हुई, 26-10-84 में उसमें इस प्रस्ताव को इन–टोटो रिजेक्ट कर दिया कि हम कामर्शियल एक्टिविटी होने के कारण टेम्पल बोर्ड के द्वारा कोई जमीन नहीं दे सकते हैं। फिर कलेक्टर साहब से मिले जो टेम्पल बोर्ड के मेम्बर हैं तत्कालीन मन्त्री महोदय से मिले, तत्कालीन देवस्थान मन्त्री श्री जयकृष्ण शर्मा से उनसे लेटर लिखवाया तो दुबारा एक प्रस्ताव पास किया कि हम इसको मोडीफाई करके सोचते हैं कि जमीन उपलब्ध करायी जाये। मैं केवलमात्र आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो प्रस्ताव उन्होंने कंसीडर किया है उसके मिनिट्स आपके सामने रखूं तो पता पड़ जायेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय,—

The Board in the meeting held on 25.1.1985 had directed the Chief Executive Officer to obtain site plan of the land required for construction of the stand from Municipal Board, Nathdwara and put up the proposal with his comments early. Accordingly Chief Executive Officer submitted his report which was discussed

यह टेम्पल बोर्ड के एग्जिक्यूटिव आफिसर को अधिकार दिया और अधिकार देने के बाद तत्कालीन हमारे जो रोडवेज के एम. डी. थे उन्होंने टेम्पल बोर्ड को लिखा कि मैं म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जो जमीन जितनी चाहिये जिसके लिये 13 लाख 80 हजार उपलब्ध है, उसके साइट प्लान के सारे प्रस्ताव एग्जिक्यूटिव आफिसर को दे दिया, लेकिन तो भी टेम्पल बोर्ड के व्यक्ति नहीं चाहते कि नाथद्वारा में बस स्टेण्ड बनें। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है उपाध्यक्ष महोदय, और मैं चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय, आपसे आशा करता हूं यातायात मन्त्री की हैसियत से आप जवाब देंगे लेकिन आप देवस्थान मिनिस्टर भी हैं, मैं चाहता हूं कि देवस्थान मिनिस्टर की हैसियत से आप इस बात को समझें कि लाखों करोड़ों की जमीन टेम्पल बोर्ड के एक्ट में प्रोवीजन नहीं होने के बाद भी वहां प्राईवेट आदमी

(श्री सी. पी. जोशी)

लीज पर ले रहे हैं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लेकिन बेसिक फेसिलिटी प्रोवाइड करने के लिये चाहे बस स्टैंड की बात हो चाहे और कोई सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, टेम्पल बोर्ड कोई कोआपरेट नहीं करता, मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप माननीय मन्त्री महोदय इस स्थिति को समझें कि आपके पास पैसा उपलब्ध होने के बाद, राज्य सरकार पर एक नये पैसे का वित्तीय भार नहीं और चार साल से म्युनिसिपैलिटी के पास 13 80 लाख रुपये पडे हों, रोडवेज ने अप्रूव कर दिया हो प्लान, डिजाइन बन चुकी हो और केवल मात्र जमीन की उपलब्धता इस आधार पर नहीं हो कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ और लाखों करोड़ों की जमीन वहां व्यक्तिगत टेम्पल बोर्ड के कुछ आदमी मिलकर अपने खाते में करवा लें उसके लिये सरकार को चिंता नहीं लेकिन बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिये यात्रियों को राज्य सरकार के बारे में उम्मीद बन जाती है आशा बनती है वह जमीन उपलब्ध करवाने के लिये पिछले 3 साल से टेम्पल बोर्ड जमीन उपलब्ध नहीं करवा रहा है। मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं आप मेंडेटरी रूल्स बनायें, या आप उनको डायरेक्टिव दें कि जितनी भी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल करनी है नाथद्वारा में, चाहे वह बस स्टैण्ड की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे तांगा स्टैंड की बात हो, चाहे टैक्सी स्टैण्ड की बात हो वह जमीन उपलब्ध हो सकती है केवल मात्र टेम्पल बोर्ड के द्वारा और टेम्पल बोर्ड केवल मात्र इसलिये कोआपरेट नहीं कर रहा है कि वहां के महाराज श्री का कोई मसला देवस्थान मिनिस्टर, सरकार के पास पड़ा हुआ है। आप चाहे डिजाल्व कर लीजिये, मुझे कोई तकलीफ नहीं, वह और जमीन लेना चाहें और प्राफिट लेना चाहें, ले लें, मुझे तकलीफ नहीं इस बात की, लेकिन केवलमात्र इस आधार पर नाथद्वारा का डवलपमेंट नहीं हो और टेम्पल बोर्ड की जमीन जो है उसका कुछ आदमी फायदा उठाते रहें यह खुद मंत्री के लिए, राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान के नागरिकों के लिए शर्मिन्दगी की बात है कि देश के कौने-कौने से जहां आदमी आते हैं उनको इस तरह की तकलीफ में रहना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आप कुछ भी जवाब दें मुझे मालूम है जवाब क्या देंगे ? आप जवाब वही देंगे जो सरकार के आफिस ने आपको लिख कर दिया है। आप कृपया ऐसे जवाब को न दें। मुझे तो एक ही आश्वासन दें आप कि 13.80 लाख रु. म्युनिसिपैलिटी के पास पिछले चार साल से पड़ा हुआ है, साइट प्लान रोडवेज ने बना दिया, अब केवल मात्र जमीन अवेलेबल हो जाय तो बस स्टैंड का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से एक ही जवाब चाहूंगा कि जमीन कब अवेलेबल हो जायेगी और जमीन उपलब्ध हो जायेगी तो उसकी तारीख बता दें 85, 86, 88, 89। उसका काम कब शुरू हो जायेगा। जितना जल्दी हो सके हम यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करा सकें और उपलब्ध करवाने के बाद कम से कम वहां देश के कौने-कौने से आदमी धार्मिक स्थान पर आते हैं उनकी आस्था बनी रहे और ज्यादा यात्री वहां पर आयें। यह सुविधा प्राप्त कर सकें।

श्री शोपत सिंह : यह तो आप बता दें...

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : और शोपत सिंहजी तो कम्युनिस्ट हैं इनको तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हनुमानगढ़ में कुछ नहीं हो पायेगा, यही तकलीफ है इनको। मैं आपको यह कहना चाहता हूं नाथद्वारा के बारे में, यह मेरा पर्सनल मामला नहीं है, मेरा पर्सनल मामला नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार के....

(व्यवधान)

कांग्रेस तो दूसरी बात है, इनके पश्चिमी बंगाल के मंत्री भी वहां धोक लगाने जाते हैं। यह बात तो छोड़ो आप, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह तकलीफ कुछ गांव की तकलीफ नहीं है, यह तकलीफ जहां देश के कोने-कोने से पर्यटन विभाग के यात्री आते हैं और माननीय भाटी साहब जानते हैं इस बात को। 49 लाख यात्री पिछले साल उदयपुर के अंदर आये और मैं कहना चाहता हूं उन 49 लाख यात्रियों में से 30 लाख आदमी नाथद्वारा के अन्दर आते हैं केवल मात्र उदयपुर इसलिए कि उदयपुर भी देख लेंगे और नाथद्वारा के दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन 30 लाख यात्रियों की सुविधा का हम ध्यान नहीं रखते। पैसा हमारे पास उपलब्ध हो तो भी टेम्पल बोर्ड में हमारा काम नहीं हो सके तो मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मन्त्री महोदय टेम्पल बोर्ड के माध्यम से कुछ नगर का विकास हो और नगर के विकास के साथ-साथ आधारभूत सुविधायें यात्रियों को मिल सकें, ये सब सुविधायें टेम्पल बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध हो सके। और आप नियम बनालें कि हर टेम्पल बोर्ड के आपके जो प्रस्ताव पास होते हैं, सरकार उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर, उसमें रूल में परिवर्तन किया जाये। आप माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले मुझे यही उत्तर दें कि यह जो तकलीफ है वहां का जनता की ही नहीं, यात्रियों की है उससे राजस्थान सरकार की एफिसिएन्सी, राजस्थान सरकार का वे आफ वर्किंग, राजस्थान सरकार के बारे में दूसरी स्टेट से आने वाले लोगों की ओपिनियन जो होती है, ऐसा स्थिति को सुधारने के लिए म्यूनिसिपेलिटी के पास साधन उपलब्ध हैं, रोडवेज का साइट प्लान बना हुआ है, उसके लिए जमीन कब उपलब्ध हो जायेगी और कब तक काम शुरू हो जायेगा? जिससे अगली विधान सभा में मैं जब माननीय मंत्री महोदय आपको लेकर जाऊंगा नाथद्वारा और दुबारा विधान सभा आऊं तो मैं कह सकूं कि आपके प्रयत्न से यह बस स्टेण्ड बन सका। यह बात उपयोगी है। यही बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ मिनट का क्वेश्चन है।

(व्यवधान)

जिसका जवाब नहीं चाहूंगा केवल रखना चाहता हूं। डेढ़ मिनट का क्वेश्चन है। यह रोडवेज का जिक्र हो रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : रोडवेज का नहीं नाथद्वारा के बस स्टेण्ड का....

श्री हरिकुमार औदिच्य : वो एक ही बात है। तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि 7 या 6 जून को बात है जयपुर से कोटा के लिए डिलक्स बस में सफर ....

श्रीमती कमला : इसका क्या संबंध है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक मिनट सुन लीजिये। आप जवाब मत दीजिये। लेकिन आप अनुभव कीजिये और सारा सदन अनुभव करे, खास तौर से ट्रेजरी बैंचेज करें। मैं सफर कर रहा था 5 बजे वाली डिलक्स बस से उसको टौंक सवा सात बजे पहुंचना चाहिए था वह पहुंची पौने नौ बजे। रास्ते में 15-20-25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, धीरे-धीरे अटक-अटक कर। मैं आगे की सीट पर बैठा हुआ था. पीछे से आवाज आयी कि एम. एल. ए. साहब यह बस कैसे चल रही है, मैं जवाब नहीं दूं उसके पहले दूसरा जवाब देता है जैसे एम. एल. ए. साहब की सरकार चल रही है। खैर आगे जाकर कुआ आया मैंने ड्राइवर से कहा थोड़ा रोको, पानी-वानी पीयेंगे इतनी देर से चल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ...

श्रीमती कमला : इसका क्या ताल्लुक है ...

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप सुनिये, आप सुनिये।

श्रीमती कमला : इससे क्या ताल्लुक है

श्री हरिकुमार औदिच्य : ताल्लुक है मैंने कन्डेक्टर से पूछा कि यह रुक-रुक कर कैसे चल रही है तो उसने कहा साहब आज टंकी की सफाई करी थी, टंकी के अन्दर काटन रह गया। मैंने कहा ऐसा कौन सा तुम्हारा मैकेनिक डिपार्टमेंट है.....

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के ..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई नीति नहीं है। चर्चा करके समय बर्बाद किया जा रहा है। यह समय बर्बाद नहीं हो रहा तो क्या है? नाथद्वारा से इसका क्या सम्बन्ध है इस वार्ता का....

श्री हरिकुमार औदिच्य : टंकी की सफाई करने की बात कह रहा हूं. ...

(व्यवधान)

इस सरकार में तो पेट में कैंची रह जाती है आप तो टंकी की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी.... .

श्री हरिकुमार औदिच्य : अभी जोशी ने कहा था कि राजस्थान के बारे में बाहर से आने वाले लोग क्या कल्पना करते हैं...

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : इस सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : इस लिए....

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जी आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष जी, मैं तो यह कह रहा था कि सारे सदन को इस प्रकार की गलतफहमी थी, सारे सदन को एक बात की गलतफहमी थी कि सी. पी. जोशीजी तो मुख्य मंत्रीजी के नाक के बाल हैं। लेकिन आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसका क्या ताल्लुक है कोई बात समझ में नहीं आ रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह, माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : कोई ऐसी बात हो। इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह जी। एक-एक को एलाउ कर रहा हूं।

श्री सम्पत सिंह (नगर): जब से श्रीनाथ जी हमारे यहां से उदयपुर गये....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदया वाक आउट कर गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : आ रही हैं, आ रही हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार रूठ कर चली गई, सरकार रूठ कर चली गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके निर्णय से मंत्री महोदया रूठ कर चली गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : आ रही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सचेतक महोदय मना लायेंगे साहब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदया को बुला लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार को बुलवाइये, सरकार रूठ कर चली गयी।

एक माननीय सदस्य : रूठने की आदत नहीं है उनको।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : एक-एक करके सब मंत्री भाग रहे हैं, भाग जायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सचेतक महोदय को भिजवायें मनाने के लिए....

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सचेतक महोदय को भिजवाइये मुख्य मंत्री जी रूठ कर यहां से चले गये और मंत्री महोदया भी चली गई हैं....

(व्यवधान)

सचेतक महोदय को भिजवाइये।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदया से जवाब दिलवाइये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आ गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जवाब दे दिया जायेगा, सम्पत सिंहजी को पुकारा था उनको बोलने दीजिये.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सम्पत सिंहजी नहीं बोलेंगे आप जवाब देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सम्पत सिंह : जब से श्रीनाथ जी हमारे यहां से गये हैं हम तकलीफ में हैं और माननीय सी. पी. जोशीजी की बातों से लग रहा है कि वहां श्रीनाथ जी तकलीफ में हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे श्रीनाथ जी हमको लौटा दिये जाये ....

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उनको वापस कर दीजिये कम से कम....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी, श्रीनाथ जी को तकलीफ है क्या ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय आप भी जानते हैं कि श्रीनाथजी····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : (राजस्व मन्त्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर रोडवेज का बस स्टेण्ड नहीं होने के कारण से बहुत दिक्कत यात्रियों को भी है और वहां के रहने वाले कहीं और जाते हैं तो उनको भी है। और यह भी बात ठीक है कि टेम्पल बोर्ड ने पहले एक प्रस्ताव मांगा था कि कितनी जमीन चाहिए, कैसा करेंगे वहां पर वह हमको प्रस्ताव दें। तो वह प्रस्ताव भी उनको भिजवाया और न सिर्फ निगम की तरफ से बल्कि नगरपालिका ने फिर अपनी तरफ से वह प्रस्ताव दिया और पैसा भी नगरपालिका के पास में है, बोर्ड के पास में जमीन भी है और उसके बारे में 2-3 बार मण्डल की कमेटी के अन्दर चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन अभी उसका अन्तिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसा माननीय सदस्य को आशंका है कि पता नहीं वे देंगे या नहीं देंगे, इस तरह का प्रस्ताव करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा माननीय सदस्य से इतना ही कहना है कि इस बस स्टेण्ड की भूमि के बारे में और पूर्व में आपने नाथद्वारा के सम्बन्ध में कुछ और मुद्दे भी उठाये थे उनके बारे में और इस विधान में किस प्रकार से कुछ और व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे कि इसके साथ साफ सफाई की व्यवस्था की, दर्शकों की, श्रद्धालुओं की, दर्शन की व्यवस्था की और जैसा कुछ, मन्दिर चाहे इतना बड़ा नहीं है जितना त्रिपति का मन्दिर है लेकिन उसके पेटर्न पर इसके धन का उपयोग हो सके इस सारे सन्दर्भ में कुछ और भी सुझाव कई जगहों से आये हैं। उन सबको माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के अपने स्तर पर सुमती बहिन से, और तिलकायत जी महाराज से बातचीत करने के लिए काम

(श्रीमती कमला)

चालू है, उसके लिए चर्चाएं चालू हैं और उनका हम किस प्रकार से जल्दी से जल्दी निराकरण कर सकें इस बारे में सरकार का भरपूर प्रयत्न है। हम सरकार की तरफ से इसमें निर्देश दे नहीं सकते, विधान को तुरन्त बदल नहीं सकते और किसी प्रकार से उनको दबाव डाल के किसी गैर कानूनी ढंग से उसको कर नहीं सकते। इसलिए तरीका यही है कि हम टेम्पल बोर्ड के मेम्बरान को और उनके मुख्य रूप से जो सदस्य हैं या उनके जो मुखिया हैं उनको इस प्रकार से आम हित की बात के लिए समझा कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के स्तर पर यह वार्ता जारी है।

(5.00 म. प.)

और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने जो आशा की है, अगली बार से पहले कुछ न कुछ समस्या का निराकरण हो जायेगा।

श्री शोपत सिंह : अगली बार से मतलब।

श्रीमती कमला : अगले सैशन से मतलब है।

श्री शोपत सिंह : अगली टर्न से पहले। पांच साल बाद।

श्री यदुनाथ सिंह : अब भोजन हो गया होगा। आप बुलायें उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा लगता है कि वो अभी आ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको कैसे लगा। आपको कैसे लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कैसे लगता है यह अलग बात है। अब आधा घंटे की चर्चा ले लें। श्रीमती विद्या पाठक।

आधा घंटे की चर्चा

विद्युत करंट से मृत व्यक्तियों के परिवारजन को राहत

(तारांकित प्रश्न सं. 277
दिनांक 15 जुलाई, 1986)

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इन्श्योर कर लें कि मैं अपनी बात कम्प्लीट भी कर पाऊंगी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं आप कहिये। मेरा ऐसा ख्याल है। आपको सब सुनेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव 15 तारीख को जो मैंने बिजली के सम्बन्ध में प्रश्न के जरिये उठाया था, उसका असंतोषजनक जवाब आया उसके विषय में यह आधा घंटे की चर्चा की यह रिक्वेस्ट की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी स्टेट में बिजली की हालत बहुत खराब है यद्यपि अभी कुछ समय पहले राज्य विद्युत मंडल अभियन्ता संघ ने कुछ ही समय पूर्व कहा था कि तीन वर्षों में बिजली का काम बहुत अच्छा हुआ है। मगर इसके विपरीत जो एक सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी ने सर्वे

(श्रीमती विद्या पाठक)

किया है और उसने अपनी रिपोर्ट में जो कहा उसकी तीन लाइन में कोट करना चाहूंगी :

> "Power crises in Rajasthan has to stay even if one takes into account the projects to be installed in the near future particularly during the 7th Plan."
>
> Again they say "that the gap between the anticipated peak demand and peak availability will only be widened with each passing year has been confirmed by a survey of Central Electricity Authority. The survey points out and so on"...

उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रोथेंटिक सर्वे है। स्थिति बिजली की पहले ही खराब है और और खराब होगी। हम एन्टीसिपेट कर सकते हैं जैसा कि यह सर्वे भी कहता है और हालत भी बताते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ बिजली की हालत अच्छी बता रहे हैं, अभियंता संघ के लोग। 83 से आज तक 70 प्रतिशत तो इसकी रेट बढ़ चुकी है उसके अतिरिक्त लेक आफ सुपरविजन की वजह से 765 लाख रुपये नुकसान पिछले चार वर्षों में बोर्ड को हो चुका है। लेक आफ सुपरविजन आनली अभी अकेले गंगानगर में 40 प्रतिशत ट्रांसफार्मर जल गये, एक करोड़ का नुकसान उसमें हो चुका है। दूसरी ओर रिपेयर के नाम पर ट्रान्सफार्मर उतारे जाते हैं उनके मैटल की सिस्टेमेटीकली चोरी होती है। जो रूटीन में ट्रान्सफार्मर खराब होते हैं उनका रिप्लेसमेंट तो महीनों तक नहीं होता है। मगर जो ट्रान्सफार्मर अच्छे हैं उसमें से मैटल निकालने के लिये, उसको बराबर उतार कर मैटल को रिप्लेस किया जाता है। खूब बिजली की चोरी हो रही है। अभी इसी जून में जो आपने एक प्रोग्राम चलाया बिजली बोर्ड ने उसमें डेढ़ हजार मामले इनके आंकड़े हैं, यानि बोर्ड के कहने के अनुसार डेढ़ हजार मामले मात्र जयपुर जिले में चोरी के पकड़े गए। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पूर्व ... रोड पर एक इण्डो जैक फैक्ट्री है उसका बिजली का मामला था। फैक्ट्री चोरी की बिजली से चल रही थी, वहां के जो अधिकारी हैं उनके घर की बिजली भी चोरी से ही चल रही थी। इस तरह से कितना भारी नुकसान बिजली की अव्यवस्था से हमारे राज्य का हो रहा है, वह एक बड़ी गम्भीर चिन्ता का विषय होना चाहिए। एक तरफ इतना फालतू खर्चा है दूसरी तरफ कर्मचारियों को मेडिकल बिल भी नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ उपभोक्ता पर इतना भारी भार है दूसरी ओर ट्रांसफर्स पर हैल्पर्स के ट्रांसफर्स पर पिछले साल का ही यदि दिखाया जायेगा तो हैल्पर्स के ट्रान्सफर में करोड़ों रुपया इनके इंजीनियर्स ने खाया होगा।

मेरा यह चार्ज है, मैं इस भाषा में बहुत कम बोलती हूं। लेकिन सिर्फ हैल्पर्स के ट्रांसफर्स में इतने घोटाले हुए हैं जिसमें पैसा खाया है बिजली बोर्ड इंजीनियर्स ने। जयपुर जिले के विषय में तो मैं ग्रोथंटीकली बता सकती हूं। इतने कनेक्शन्स पेंडिंग हैं यानि

(श्रीमती विद्या पाठक)

मेरा कहने का मतलब यह है कि बिजली की अव्यवस्था से आज सारा राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है और जहां तक हमारी इकोनोमिक कंडीशन है उसका तो बिल्कुल ही भट्ठा बैठ रहा है। मगर मंडल के कर्मचारी भी बहुत खुश और सुखी नहीं होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैंने जो प्रश्न पूछा था और उसका जो जवाब आया, मैंने पूछा था कितने लोग पांच वर्षों में कर्मचारी लोग मरे बिजली पर काम करते हुए। इसका जवाब राजस्थान विद्युत मण्डल में पिछले पांच वर्षों में बिजली के करंट से हुयी मृत्यु की सूची संलग्न है। सूची तो मुझे मिल गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अब इस सूची में कई नाम तो नहीं हैं। पूरी सूची नहीं है। जिनकी सूची है और इसमें से जो नाम मिसिंग हैं वह नाम मेरे पास हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूची कम्प्लीट तो नहीं है अनेकों नाम इसमें नहीं। ऐसा लगता है कि बोर्ड में एक और अव्यवस्था है कि वहां रिकार्ड भी नहीं रखा जाता है। इस चीज का रिकार्ड ही नहीं रखा जाता है कि कितने लोग मरे हैं, घायल हुए हैं केटेगरिकली जो रिकार्ड हो गये या किसी ने आकर बता दिये जो जो कम्पलसरीली एन्ट्री करनी पड़ती है उसी की एन्ट्री होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वह नाम भी शामिल नहीं हैं, जो आम नागरिक हैं जो बिजली के तार टूटने से घायल हो गये या बिजली के कनेक्शन खराब होने से या बिजली के तारों में शार्ट सर्किट होने से कहीं आग लग गयी है उसका नुकसान भी इसमें शामिल नहीं है। जो व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं उनकी संख्या भी इसमें शामिल नहीं है। यदि इसको भी शामिल किया जाय, तो यह एक होरीफाईज पिक्चर हमारे सामने आयेगी न तो ये एक्सीडेन्ट्स की पुलिस को सूचना देते हैं क्योंकि एक ही विभाग में रिकार्ड रहता है, तो कहीं नहीं है, उसमें घोटाले करने की गुंजाईश है। एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना जायेगी तो कहीं न कहीं तो एक्चुअल पोजिशन लीक हो जायेगी। यह व्यवस्था उनके नियमों में भले ही हो पर व्यवस्था की पालना तो ये लोग करते नहीं हैं और पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती। फिर इस लिस्ट में केटेगरीकली कोई व्यवस्था भी नहीं है कि जो बिजली की वजह से काम करने की वजह से अपंग हो गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट को यदि देखें तो उसमें अधिकांश हैल्पर हैं या श्रमिक हैं जिन्हें बिजली पर जाने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे ट्रेन्ड नहीं होते हैं। उनमें भी अधिकांश डेली वेजेज हैं जिनके घायल होने पर या मरने पर किसी तरह की लायबिलिटी बोर्ड अपने पर मानतो नहीं है। और जिनको बिजली पर काम करने की स्वीकृति ही नहीं दी जानी चाहिए। इस केटेगरी के लोग इस लिस्ट में अधिकांशतः बताये गये हैं जो कि उनकी प्रायोरिटी या प्राफिशियएल लिस्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुआवजे का प्रश्न है जैसा मैंने अभी निवेदन किया डेली वेजेज को देने की तो कोई इनके यहां व्यवस्था ही नहीं है। जो लोग अपंग हो गये या परमानेंटली डिसेबिलिड हो गए। वे चाहते तो हैं कि उनको कुछ मदद मिल जाय, वे चाहते तो हैं कि बोर्ड उनकी कोई सेवा कर दे, उनकी कुछ मदद कर दे मगर वे

(श्रीमती विद्या पाठक)

इससे डरे हुए भी हैं। क्योंकि जैसे ही वह आफिसर के सामने पेश होगा उसकी सर्विसेज समाप्त करदी जायेगी क्योंकि वह किसी भी तरह का काम करने के योग्य नहीं है और एक जवान आदमी यदि उसकी नौकरी समाप्त हो जाती है और वह भी अगर इनवैलिड़ तो वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा ? इसलिए वह अपंग भी हो गया अवैधानिक तरीके से बिजली का काम करवाने की वजह से और उसको जो सुविधा मिलनी चाहिये वह सुविधा लेने जाने में भी घबराते हैं। एक ऐसी विचित्र परिस्थिति बनी हुई है और जो परमानेंट लोग मर गये हैं उनकी तो बोर्ड फिर भी कुछ व्यवस्था कर देता है। पर इस लिस्ट को देखने से यह लगता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी भारी डिस्क्रिमिनेशन है। अब इन्सान तो इन्सान है और मौत भी सबके लिये कायम है। एक आदमी मर गया तो उसको 19 हजार रुपये दूसरा आदमी मर गया तो उसको 5 हजार रुपये, ये कैसी स्केल है। इसका कोई रेश्यो समझ में नहीं आता। बोर्ड को इस बात पर विचार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग मरते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है, अखबार रोज बता रहे हैं सेल आफ बर्निंग फ्लैश। अभी कुछ दिनों पहले कागज देख रही थी उसमें ये कुछ कटिंग्स मुझे मिलीं। जान चली जाय, बिजली नहीं जाय। मतलब ये है वी. आई. पीज. के यहां बिजली हो गयी बन्द, टेलीफोन पर टेलीफोन जा रहे हैं हमारे घर में कूलर नहीं चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रहा है बिजली आन करो। अब वह आदमी जो बेचारा बिजली पर काम कर रहा है उसमें और आफिस में बैठे व्यक्ति में कहीं को-आर्डिनेशन नहीं है। इसलिए बिजली आन कर दी जाय तो वह पोल पर चढ़ा हुआ जो श्रमिक या हेल्पर है उसकी क्या हालत होगी, एक कल्पना करने की और एक बड़ी डरावनी कल्पना होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस महिने दिनांक 16-7-1985 को भीलवाड़ा स्पीनर मार्का के निकट मैनरोड पर बिजली के खम्भे पर काम करता एक लादूराम श्रमिक बिजली के चालू पोल पर उसको चढ़ा दिया गया। श्रमिक मार्क दी वह श्रमिक को बिजली के पोल पर चढ़ा दिया गया, करंट से घायल हुआ। यह भी किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि बिजली पोल पर चढ़ा दिया। वह अपनी मर्जी से चढ़ा क्या ? यह अपने प्रश्न के उत्तर के एक खण्ड में कहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह जवाब है, दुर्घटनाएं होने के जो कारण जानकारी में आये हैं यानि जानकारी में आये हैं अभी तो वह भी जानकारी किसी और ने दी होगी "श्रमिकों द्वारा सुरक्षा नियमों की अवहेलना करना, श्रमिक द्वारा लापरवाही से काम करना, श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का सही रूप से इस्तेमाल नहीं करना, सक्षम अधिकारियों की आज्ञा के बिना कार्य करना, कुछ ही केसज में सुपरवाईजरी नेगलीजेंस है" कंट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस कहीं है। "सिर्फ मंडल में प्रचलित नियमों के आधार पर दुर्घटनाओं की जांच की गयी" यानि प्रचलित नियम क्या हैं कि डिपार्टमेंट का आदमी जाकर देख आये, जांच कर आये एक एन्टर्नल रैकेट है, बाहर तो कोई बतायेगा नहीं और इनकी

(श्रीमती विद्या पाठक)

जांच कोई करेगा नहीं। सब एक दूसरे को बचाने में मस्त रहते हैं। गंभीर दुर्घटनाएं एक घंटे में हुई। वह दूसरे प्रश्न से संबंधित। मतलब यह है कि इन्होंने अपने को एक्जोल्व कर लिया कि बोर्ड की अगर ये मरते हैं तो बोर्ड की तो कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। बोर्ड बोर्ड न हुआ एक सुसाईड स्क्वाड हो गया क्या? ये भी कोई एक सुसाईड स्क्वेड है कि जो बिजली बोर्ड में काम करने से पहले हर इन्सान ये सोचकर जायेगा कि मैं तो मरने के लिये जा रहा हूं और मरेगा तो यह उसकी अपनी की गलती है, विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक बड़ी शर्मनाक परिस्थिति है माननीय मंत्री महोदय, ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब आपने कैसे दे दिया? विभाग वाले तो करेंगे देखिए ये भी आपको आकवर्ड पोजीशन में डालना चाहेंगे। इस वार्निंग को ही समझना चाहिये। आपने कैसे पढ़ दिया यहां पर सदन में? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे यह कहते हैं "उपरोक्त कार्यों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं अजमेर में हुई। जांच के परिणाम में यह पाया गया कि अधिकांश दुर्घटनाएं सुपरवाईजरी अधिकारी की गलती से नहीं हुई," यानि दुर्घटनाएं तो बहुत हुई लेकिन वे तो आत्महत्या करने के लिये निकले थे जब नौकरी करने निकले थे तो वे कहते हैं कि सुपरवाईजरी अधिकारी की गलती से नहीं हुई और कुछ एक केसेज में बेनिफिट आफ डाउट पूरा देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तीन दिन पहले माननीय भार्गव साहब ने इसी सदन में बताया था चांदपोल की सड़क चौड़ी करने के लिये जो बिजली के खंभे उतारे गये, वे खंभे आज भी उनके तार गिरे पड़े हैं, छोटी चौपड़ पर कोतवाली के सामने तार खुले पड़े हैं, नाहरी का नाका हनुमानजी के मंदिर के पास हरिजन बस्ती के खंभे में निरन्तर करंट आ रहा है जिससे पशुओं और मनुष्यों को खतरा बन सकता है। इसी तरह पुराने तारों में जो स्पार्क निकलता है वह कामन बात है। मेरे घर के पास भी एक ट्रांस्फार्मर है और जो ग्रिड बना हुआ है उसमें से भी स्पार्क निकलता है निरंतर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय सार्वजनिक तारों में से जो करंट निकलता रहता है वह सब के लिये आम नागरिक के लिये खतरा साबित हो सकता है। इसी तरह यानि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं और एक्चुअल पोजीशन ये है माननीय मंत्री महोदय, नोट करें, भीलवाड़ा, जोधपुर 220 के वी. स्टेशन पर आपके पोल की हाईट पर तार कितने ऊंचे लगने चाहिये यह तो स्पेसिफिकली मैं बता रही हूं, 17 से 18 फीट जमीन से ऊपर होना चाहिए पोल और इसको आप नपवाकर देख लीजिये 13 फीट है। इसमें पोलों की आप जांच करवायें और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करें। यह आवश्यक है। इसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई टेंशन, लो टेंशन तारों के बीच में भी दूरी बहुत कम होती है जिसकी वजह से काम करने वाले पोल पर चढ़कर काम करने वाले कर्मचारियों को निरन्तर खतरा बना रहता है। डेप्थ आफ दी पोल वह भी अर्थिंग के लेवेल तक नहीं पहुंचता इसलिए पूअर अर्थिंग होने की वजह से करंट लगने की वजह से करंट लगने की सम्भावना पूरी रहती है और यहां जयपुर में भी और ऐसा यहां है तो अन्य सब जगह भी हो सकता है।

(172)

(श्रीमती विद्या पाठक)

जो बिजली के खम्भे गड़े हुए हैं वे नालियों के बीच में गड़े हुए हैं जिनका पानी से निरंतर कॉन्टेक्ट बना रहता है। तो अब यह मारने की व्यवस्था तो इनके बोर्ड ने खुद ही कर दी है। इनके बोर्ड में एक पर्सनल आफिसर भी है जो कर्मचारियों की ग्रीवांसेज को इरैडिकेट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हुआ करता है पर उसने कभी रिपोर्ट नहीं की कि ये सारी व्यवस्थायें हैं जिनको सुधारना जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह टूल्स जो इनको दिये जाते हैं या तो वेल इन्सुलेटेड होते नहीं, सब-स्टैंडर्ड रहते हैं, ग्लव्स या तो दिये ही नहीं जाते हैं, अधिकांशतः नहीं दिये जाते, रबर ग्लब्स या इन्सुलेटेड ग्लब्स और इसी तरह जूते रबर में अगर कहीं दिये भी जाते हैं तो वे प्रोपर स्पेसिफिकेशन के नहीं होते हैं। कुछ अंश तक बोर्ड का जवाब सही भी हो सकता है कि कर्मचारी इस्तेमाल नहीं करते मगर सब जगह नहीं है। केवल 2%, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। मगर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये कभी बोर्ड ने विचार ही नहीं किया। करते इसलिए नहीं कि वे कम्फर्टेबल होते नहीं हैं, उसको यूज करने की ट्रेनिंग होती नहीं है। उसको यूज करना कम्पलसरी बोर्ड के द्वारा किया जाता नहीं और इसकी जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं है तो किसकी हो सकती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

इसी तरह बिजली का तार जो जमीन के अन्दर भी होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के पास इसका नक्शा होना चाहिए, कि बिजली के तार जमीन में कहां पड़े हुए हैं ? क्योंकि जब पी. एच. ई. डी. वाले काम करते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. वाले काम करते हैं, टेलीफोन्स वाले काम करते हैं या किसी और जगह खुदाई की आवश्यकता होती है तो उस करंट से भी लोग मरते हैं। जयपुर के जे. के. लान हास्पिटल में अभी कुछ ही वर्षों पूर्व खुदाई करते हुए वहां एक बिजली कर्मचारी की मृत्यु हो गई। बिजली के करंट से, तार के कटने से और उससे झटका लगने की वजह से।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि बोर्ड का यह जवाब, मंत्री महोदय का यह जवाब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के प्रति बहुत क्लेस है। कैटेगोरिकली इनको व्यवस्था करनी चाहिए कि लाईन मैन बिजली पर काम न करे। कम्पलसरी कर दिया जाना चाहिए कि उन प्रीकाशनरी मेजर्स को इस्तेमाल किया ही जाय और अपंग जो लोग हो गये हैं या जो आम नागरिक हैं जिनको बिजली की अव्यवस्था ढीले तार या स्पार्किंग चाहे वह फैक्ट्रीज में हों, चाहे प्राईवेट लोग हों, पशु हों, उन सबके लिए बोर्ड को जिम्मेदार किया जाय कि उसका टोटल कम्पेनसेशन बोर्ड करेगा। यही बात मैंने अपने आधे घंटे की चर्चा के मुख्य मुद्दे बनाकर निवेदन किया है इस अपेक्षा से कि माननीय मंत्री महोदय मानवीय दृष्टिकोण अपना कर नियमों को अधिक रैशनेल करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्या ने बहुत

(श्री नाथूसिंह)

विस्तार से मामले को रख दिया है फिर भी 2–3 बातों पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दो बातें हैं। एक तो वह जो बिजली विभाग के कर्मचारी.....

व्यवस्था का प्रश्न

विधायी कार्य के लिए समय

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने आसन से यह व्यवस्था दी थी कि चार बजे के बाद दूसरा बिजनिस शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए, पांच तो बज गए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आधा घंटा यह बोलेंगे, फिर दूसरा बोलेगा तो सात बजे, बिजनिस कब शुरू होगा, यह जो बिल है.....

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : यह भी बिजनेस है।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका कोई अन्त तो है नहीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसका कोई अन्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल जी मोदी।

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय मोदी जी, आपको क्या करना है? आपके न छोरा, न छोरी, बैठे रहिये। आपका क्या रखा है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलालजी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप कह दीजिये कि जो बिल है वह सोमवार के दिन लिया जायेगा। यह कह कर फिर आप इनको बुलाओ, मेरे को एतराज नहीं है। परन्तु यह रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे तक आपने और अध्यक्षजी ने मिलकर विश्वास दिलाया था कि चार बजे तक का सारा काम खत्म हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल जी मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच बजे तक खत्म नहीं हुआ है।

श्री बाऊदयाल जोशी : मोदी जी, आपका तो टाइम हो गया हाथ-मुंह धोने का। आप तो यहां धो ही लेते हैं, रोटी यहां खा ही लेते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : विश्वास दिलाया था मेरे को माननीय अध्यक्ष जी ने।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : हमेशा डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अशर्फ अली टांक (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने यह व्यवस्था दी है कि नाथूसिंह जी बोल रहे हैं, नाथूसिंहजी को बोलने का मौका दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये, यह डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री शिवराम शर्मा : दोनों कंवारे आपस में लड़ते हैं, इनको सलाह दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी। श्री नाथू सिंह।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने कहा था........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मोदी जी।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए। माननीय सदस्य को बोलने नहीं देते।

श्री लालचन्द (भादरा) : मोदी जी आपके कौन बच्चे इन्तजार कर रहे हैं जो जल्दी कर रहे हो घर जाने की।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : भले ही सोमवार के लिए कह दें आसन से, हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग दें तो उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सही एतराज है कि काफी समय लग रहा है। यह दो बिल हैं इनको तो सरकार सोमवार को ले। लें यह कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज के विधेयक आज ही होंगे। श्री नाथूसिंह।

आधा घंटे की चर्चा

विद्युत करंट से मृत व्यक्तियों के परिवारजन को राहत

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उन से सम्बन्धित मामला है। दूसरे वे हैं जो कर्मचारी नहीं हैं लेकिन जो नैग्लिजेंन्स........

श्री उपाध्यक्ष : नाथूसिंह जी, बहुत शार्ट में। बिजनेस ज्यादा है,

श्री नाथूसिंह : विद्युत विभाग की नैग्लिजैन्स के कारण जो मरते हैं, या जिनको नुकसान होता है। दो कैटेगिरी हैं इसमें। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, स्थायी या अस्थायी, उनके सम्बन्ध में तो कुछ न कुछ प्रोविजन आपके यहां है लेकिन ऐसे लोग जो विद्युत विभाग के कर्मचारी नहीं हैं जो जनरल पब्लिक में आते हैं या पशु हैं और विद्युत विभाग की नैग्लिजैन्स के कारण जिनका नुकसान होता है उनके बारे में आपके नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय कि इस बारे में आप नियमों में प्रावधान करें। और इस सम्बन्ध में आप आश्वस्त करें कि आप नियमों में प्रावधान करेंगे।

दूसरा एक और निवेदन करना चाहता हूं कि डेलो वेजेज के, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नाथूसिंह)

इनके यहां जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं या दूसरा कोई टैक्निकल स्टाफ है, जिन लोगों की ड्यूटी होती है फाल्ट लगाने की या चैक करने की, वह उचित स्थान पर नहीं जाकर, वह लोग जो सम्बन्धित हैं वह नहीं जाकर अपने सबॉर्डिनेट, जो लेबर हैं उनको भेज देते हैं। तो वे अनट्रेन्ड होते हैं। इस कारण कई बार उनके साथ दुर्घटनायें हो जाती हैं। इस प्रणाली को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? और उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे जो इस तरह का काम करवाते हैं?

तीसरा मेरा एक प्रश्न और है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इनके पास प्रॉपर सामान का। अलग अलग स्थानों पर जो लोग जाते हैं चैक करने या फॉल्ट ठीक करने, उनको प्रॉपर सामान नहीं दिया जाता है।

उदाहरण के लिए अभी पिछले दिनों टौंक डिस्ट्रिक्ट में मालपुरा के पास एक लेबर को बिना रबर के चढ़ा दिया पोल पर, सामान पूरा दिया नहीं। उसने कहा, मुझे पूरा सामान दीजिए। कह दिया, जाकर ठीक करो। करण्ट आया, झटका लगा, नीचे गिरा, बच गया लेकिन घायल हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके बाद भी आपकी तरफ से ऐसे लोगों को जो घायल हो जाते हैं उनकी दवाई के लिए, उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप इस तरह का नियमों में प्रावधान करेंगे कि आपकी नैग्लिजैन्स से, आपके अधिकारियों की नैग्लिजैन्स से या जिनकी ड्यूटी होनी चाहिए वह ड्यूटी नहीं देकर के दूसरों से काम लेते हैं, सामान देते नहीं हैं, एनी टाइप ऑफ नैग्लिजेन्स आपकी तरफ से होगी उनको आप मुआवजा देंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे और इस तरह के कड़े निर्देश देंगे कि इस तरह की जो व्यवस्था है वह रुके।

एक अन्तिम प्रश्न है कि इनके यहां जो तार खींचे जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तार खींचते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि बीच में मकान आ रहा है तो उसके ऊपर भी होकर तार खींच लिये जाते हैं। तार लटके हुए रहते हैं। उसमें कितना खिचाव रहेगा, कितने किस हिसाब से, कितने दूरी में तार आने चाहिए इस बारे में ध्यान नहीं दिया जाता।

खम्भे गड़ते समय वह जगह सीमेण्टेड होनी चाहिए लेकिन मैं, माननीय मन्त्री महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस समय में जो खम्भे गाड़े जा रहे हैं स्थान स्थान पर, चुनाव के दिनों में गाड़े जाते हैं जल्दबाजी में सीमेण्टेड न होकर सीधे ही मिट्टी में या यों ही गाड़ दिये जाते हैं। थोड़े ही दिन बाद वह खम्भे गिर जाते हैं, टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, तारों का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस कारण भी जन-धन की हानि होती है तो, यह कुछ बिन्दु हैं जिनके आधार पर विद्युत बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। जो इन्जीनियर्स नैग्लिजेन्स बरतते हैं इस मामले में, उनके विरुद्ध आपको कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्तिम प्रश्न है कि जो तार आप काम में लेते हैं वह भी घटिया काम में लेते हैं। इनकी क्वालिटी तारों की, इसको भी आप

(नाथूसिंह)

चैक करवायेंगे समय-समय पर और अगर इनकी खरीद-फरोख्त में कहीं गड़बड़ होती है या क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होती है तो उन लोगों के विरुद्ध भी आप उचित कार्यवाही करें। यही मेरे मुख्य बिन्दु हैं जिन पर मन्त्री महोदय....

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक सवाल

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है लिखित में, ऐसे उत्तर आगे से न दें इसके लिए आग्रह करूंगी। बड़ा गैर जिम्मेदाराना उत्तर है कि हमें मालूम नहीं कौन कहां मरा, हमें तो पता ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, मैं शिकायत करने गयी। मेरे यहां दरीबे में बाहर दूध लेने के लिए निकला एक आदमी। 80 वर्ष की उम्र थी। जाने वाला तो था पर इन्हें हत्या की शुभकामना मिल गयी। वह निकला ऊपर से तार गिरा, एकदम तड़पकर वहीं की वहीं मर गया। हमने कहा कि इसका कम्पनसेशन दें। उसकी बुढ़िया थी बेचारी, और कोई था नहीं। विद्युत विभाग ने कुछ नहीं दिया। मैं समझती हूं, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है जीवन बहुत बड़ी चीज है। बच्चों की जिन्दगी गयी है शास्त्री नगर में खुले बाक्स से। उधर से बच्चा निकल रहा था। उसने सोचा, शायद कुछ खेलने की चीज है। उसकी गलती मान सकती हूं बच्चे की। लेकिन खुला रखने की गलती किसकी थी? इस तरह से विद्युत के बॉक्स आपके खुले पड़े हुए हैं इनको तो आप बंद कराइये। यह शिकायत आपके यहां प्रतिदिन होती है। लेकिन शिकायतों के रजिस्टर पर कोई काम आपके यहां नहीं होता, आपके जो उप-केन्द्र हैं, जहां-जहां भी आप शिकायतों के रजिस्टर अधिक से अधिक रख सकते हैं वहां रजिस्टर रखवाइये जिससे शिकायतों पर काम हो सके। उन शिकायतों की जांच करने वाले, सुपरविजन करने वाला आपका अधिकारी हो जो 15 दिन में कम से कम यह देखे कि जांच करने के बाद कुछ हुआ या नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां एक पंजाबी कॉलोनी है जहां बाई-पास जाता है दिल्ली रोड पर।

मैंने खुद ने यहां के अधिकारियों से शिकायत की कि उनके घर के अन्दर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, रोज आवाज करता है, आग लग जाती है, उनका कुछ नहीं बचा, लेकिन घर छोड़कर कहां जायं। उन्होंने फिर कोई सामाजिक इन्तजाम किया। रोज कहीं सीलन का हल्का सा वातावरण हुआ और गडबड़ हुई और आवाज होने लगती है लेकिन आपके अधिकारियों ने आज तक उस ट्रांसफार्मर को उनके घर में से नहीं निकलवाया। खाली जगह में ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा यह मैं मानती हूं। इसी तरह से कृषि भूमि अन्य जगहों पर गांवों में और शहरों में जहां पर पहले मकान नहीं होंगे, आपने खाली जमीन देखी होगी। अब हर व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जिसके घर में तार जा रहा है इसमें गलती आपकी है। आवासीय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजनाओं में मकान बने और आप उनसे खम्भा हटाने के पैसे मांगते हैं। या तो जल के मर जाते हैं विद्युत के करेन्ट से या फिर आपको पैसा दें। यह कहां की आपकी इन्सानियत है, यह आपकी कहां की है नीति। मैं समझती हूं कि आप इसमें सुधार कीजिये। यहां पर सिविल लाइन्स में, इकलौता बच्चा था, वह अपनी चाची के साथ, चाची के मकान पर आया हुआ था। मकान पर गया और उस बच्चे को करन्ट लग गया, चाची बचाने के लिए गई तो वह भी मर गई वहीं की वहीं। मैं समझती हूं कि इस तरह की हरकतें आये दिन रोज सुनने में आती हैं।

जयसिंहपुरा खोर में मेरा सरपंच छुट्टनलाल माली, उसने कहा कि खम्भे में बल्ब लगा दो, आपके कर्मचारियों ने मना कर दिया। वह जैसे ही खम्भे पर बल्ब लगाने के लिये चढ़ा और आपके विभाग के कर्मचारियों ने लूप खोल दिया और वह झटका लग कर गिरा और मर गया। मैं समझती हूं ऐसी घटनायें आपके यहां आये दिन हो रही हैं और आपकी जानकारी में है। फिर भी न तो आप कम्पनसेशन देते हैं और न उन घटनाओं को रोकने की कोई चेष्टा करते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपके यहां बड़े-बड़े लोग ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): पाइन्ट ऑफ आर्डर। कहीं अश्कअली जी डिजायर तो नहीं दे रहे हैं मन्त्री महोदय को अभी आते हीं, डिजायर देने लग गये।

(व्यवधान)

आते ही डिजायर देने लग गये हो साहब, मंत्री महोदय बीमार हैं साहब।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क): आप सब बोल लेंगे उसके बाद देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह शब्द तो बड़ा अच्छा है अंग्रेजी का। अब वह किस सैन्स में लेते हैं वह बात दूसरी है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अब डिजायर के भुक्तभोगी हम भी हैं और आप भी हैं....

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन देखिये वह...

श्रीमती उजला अरोड़ा: हम और आप भी भुक्तभोगी हैं। पर छोड़िये इस चीज को मैं मन्त्री महोदय से कह रही थी कि आपको पैसे की व्यवस्था करनी है तो पिछले 2-3 सत्र पहले मैंने प्रश्न रखा था कि लिकेज कहां कहां पर है और कहां कहां बिजली की चोरी हो रही है? तो मन्त्री महोदय आपके मंत्री चोरी में शामिल, आपके विधायक चोरी में शामिल हैं और नाम बता दूं कहो तो नाम बता सकती हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू): बता दो, बता दो।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नाम बता सकती हूं। मंत्री महोदय के यहां चोरी, चोरी तो मेरी नजर के सामने हैं, मेरी आंखों के सामने है। उन्होंने उत्तर दिया था लिखकर, वह चोरी आपके यहां भी छिपी हुई नहीं है। उपर से पैसा लीजिये, उस चोरी को समाप्त कीजिये और ऐसे मानवीय तकाजों में आप कुछ कीजिये अन्यथा इस पद से इस्तिफा दे दीजिये और किसी के मत्थे मंढने दीजिये यह सारी हत्यायें।

(व्यवधान)

यह हंसने की बात नहीं है। जिनके घर का आदमी जाता है दुःख तो उनको होता है। मैं समझती हूं आये दिन हम जब इस तरह की हरकत करते देखते हैं कि बाजारों में तार खुले पड़े हैं तो किसको कहने जायें और यहां विधानसभा में आपसे कहें और आप हंसे, मैं समझती हूं बड़ा अनुत्तरदायित्व पूर्ण उत्तर और अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार यह क्षम्य नहीं है, यह विधान सभा आपको माफ नहीं करेगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (ऊर्जा मंत्री) : यह तो अपनी-अपनी समझ का फर्क है··· अपनी-अपनी समझ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो आप क्या जन संख्या···

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप अपनी समझ से बोल रही हैं इसका अनुत्तरदायित्व मैं क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो क्या आप जनसंख्या को इस तरीके से कम करना चाहते हैं ? क्या जनसंख्या कम करने का यह भी प्रावधान है कि लोगों की इस तरीके से हत्यायें की जाये ?

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, ढीले तार हैं, जगह-जगह तार ऐसे ढीले हैं कि हवा चलती है तो बिजली जलती है और हवा उधर गई तार हिला और बिजली बन्द। कितनी ही शिकायतें इस दृष्टि से होती हैं लेकिन आपके यहां पर कुछ नहीं किया जाता है। मेरे यहां की इन्द्रगढ़ पंचायत में, पर्टीकूलर नाम बताती हूं आपके यहां पर जिस तरीके से ढिले होती है काम में, इन्द्रगढ़ के पहाड़ी गांव की ढाणी अरड़ा में मुझसे कहा गया पिछले दिनों तार गिर गये, तो कहा गया कि पैसे जमा करा देंगे तो तार बदलेंगे, लाइन बदलेंगे। मान्यवर, 4 साल हो गये मुझे चार सौ रुपया जमा कराये और इनका डिपार्टमेंट वह लाइन नहीं बदलता और पैसे लेकर बैठ है। इस तरह की, मान्यवर, मैं समझती हूं कि यह अच्छी हरकतें नहीं हैं। इन शिकायतों को आप महसूस करें, मैं सही नाम लिखा दूं। जयपुर ग्रामीण की इन्द्रगढ़ पंचायत के पहाड़ी गांव की ढाणी अरड़ा की इसने चार सौ रुपये जमा कराये चार साल हो गये लेकिन लाइन नहीं बदली गई। फिर चाहे उनके कच्चे झोंपड़ों पर बिजली के तार गिरें उनकी भैंस मरे या वे खुद मरें या उनके घर जलें आपको दुःख नहीं होगा। मैं समझती हूं एक मानवीय हृदय लेकर चलिए, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जिम्मेदारी निभायेंगे। इस तरह से आप नियम बनाइए कि सामान्य जन को भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अगर नुकसान होता हो तो उसकी क्षतिपूर्ति, नेगलीजेंसी आपके डिपार्टमेंट की तो है अगर उसको क्षतिपूर्ति देंगे और ऐसे मामले केवल पुलिस में नहीं आपके यहां भी रिपोर्ट होनी चाहिए और आप उनको कम्पनसेट करें। इसके साथ ही नियमों में जो आपके विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए नियम बनाइये कि वे वर्दी पहिनें और जो-जो चीजें उनके साथ होनी चाहिये वह उनके नियम में हो और वह उसको लेकर चलें ताकि क्षति न हो।

एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहूंगी। 57 दिन की हड़ताल का जिक्र इसमें आया नहीं, 57 दिन की हड़ताल में आपने कितने व्यक्ति मारे ? आपने टेम्प्रेरी व्यक्तियों को लेकर चढ़ा दिया खम्भों पर। उस दौरान जितने मरे उतने कभी नहीं मरे होंगे। मान्यवर, मन्त्री महोदय, अब अगर कोई हड़ताल करें या कुछ भी करें चाहे हम नुकसान भुगतलें, चाहे हम अन्धेरे में बैठ जायें पर इस तरह से निरपराध लोगों को मारने की जिम्मेदारी आप मत लीजिये। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि आप सचेष्ट होकर काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जिन्होंने प्रस्ताव रखा, माननीय सदस्य, प्रस्तावक पहले बोलेंगे श्री मोहन प्रकाश।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले इन्हें तो बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्तावक पहले बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सम्पत सिंह जी ने कहा कि पहाड़ी गांव में तार लटके हुए हैं, तो मैं भी यह उल्लेख कर रही हूं, यह बात तो मैंने कही है इंगित करके लेकिन आम जगह यही हालत है इसमें आप सुधार करेंगे, नियम बनायेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जो लाइनमैन्स हैं उनको प्रशिक्षण देंगे। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है यह दुर्घटनायें क्यों हुई, उनकी जांच एवं खोज-बीन किस प्रकार से की गई और क्या परिणाम सामने आये ? मैं इस भाग दो पर ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

माननीय बिजली मंत्री महोदय को

एक माननीय सदस्य : वह मुख्य मन्त्री बनेंगे।

श्री मोहन प्रकाश : वह नहीं बनेंगे, बिजली मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री महोदय मौत तो किसी की भी बुरी होती है लेकिन जो तड़फा तड़फा कर आप मार रहे हैं इसका जो पाप है वह बहुत ज्यादा है और

(श्री मोहन प्रकाश)

किसी भी दृष्टि से यानि जो हवाई जहाज में मर जाये उसको मिलेगा एक लाख रुपया क्योंकि वह बड़े बाप का बेटा है और जो भूखे बाप का बेटा है उसको आप कहते हैं कि "चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम", कर रहे हैं आपका काम । करन्ट आ रहा है सिर्फ इस वजह से कि तार अगर टूटा और वहां का फ्यूज नहीं उड़ा इसलिये लाइन उसमें रह गई। देखिये तकनीकी सवाल है इसमें कि कोई भी लाइन अगर टूटती है तो जो फ्यूज वायर होता है वह अपने आप फ्यूज हो जाता है चूंकि आप फ्यूज वायर की चोरी करते हैं, वहां पर आप मोटा तार वान्ध देते हैं इसलिये जब वह तार टूटता है तो वह फ्यूज नहीं उड़ता जिसकी वजह से करन्ट चालू रहता है और उसके नीचे चाहे पशु आ जाय तो मर जायेगा, और इन्सान आ जाये तो मर जायेगा। लेकिन आप जानते हैं कि गरीब बाप का बेटा है....

एक माननीय सदस्य : किसी कांग्रेसी का मरे तो ...

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, कांग्रेस वाले तो 10 लाख के नीचे आते ही नहीं, इसलिये मैं मानता ही नहीं कांग्रेसी आवेगा उसके लिये अलग से दृष्टि होगी। इसमें बताया कि क्यों हुई दुर्घटनायें उसमें एक कारण बताया, जिस तरीके से इस देश में अनुभव-हीन लोगों को मन्त्री बनाने का सिलसिला हुआ है तो यह अनुभवहीन तो मन्त्री होते ही हैं वैसे ही श्रमिक भी अनुभवहीन रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक इंजीनियर से लेकर आर. एस. ई. बी. के श्रमिक तक इनको कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था नहीं है। एक इंजीनियर मुझसे कह रहा था कि डिग्री लेकर आते हैं युनिवर्सिटी से और दूसरे ही दिन हमको विभाग में काम सौंप दिया जाता है कि आप जाइये साहब और अपना काम शुरू करें। और नतीजा क्या होता है कि जब इंजीनियर्स को ट्रेनिंग नहीं, श्रमिक को जब ट्रेनिंग नहीं है तो आप बताइये उससे आज कैसे उम्मीद करते हैं कि उसको गलती से काम नहीं होगा। न डिपार्टमेंट के पास ग्लोब्ज है, न डिपार्ट-मेन्ट में प्लास है, न इन्सुलेटर हैं और यह जो बिजली का टेस्टर होता है, टेस्टर तक का अभाव, जबकि वहां पर काम बिजली का, प्रशिक्षण का तो सवाल ही नहीं। और जब आप प्रशिक्षण नहीं देते तो आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि श्रमिक की गल्ती से हुआ और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लाइन है उसमें अर्थ वायर आप इतने नीचे तक नहीं ले जाते कि बिजली अगर आ भी जाय, उसमें लाइन आ भी जाय तो अपने आप अर्थ हो जाय। अर्थ न होने की वजह से श्रमिक मर रहा है और आप यह कह रहे हैं कि जो मौत उनकी हो रही है वह श्रमिकों की अपनी गलती से हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, कहिये मन्त्रीजी मैं फोटो खींचकर आपको लाकर दिखा दूं कि तार ऐसे ऐसे हिलाता रहता है जैसे श्रावण के झूले झूलते हैं। और अगर आपको इसका उदाहरण चाहिये तो हम उदाहरण नहीं देना चाहते अपने विभाग से पूछ लीजिये।

पिछले दिनों यहां से बिजली की चोरी पकड़ने के लिए जयपुर से ऐक एफ. सी. ई.

(श्री मोहन प्रकाश)

राजाखेड़ा गये और जब वो गांव में पहुंचे तो इनके नीचे था तार कि एक लड़का आराम से उन पर चद्दर डाल देता था उन्होंने चोरी पकड़ ली। यह प्रकाश में कैसे आया मामला, अपने हाथ से डाल देता था वो और जब हाथ से उधार लेता था तो जब चोरी पकड़ने एक्स. ई. एन. गये तो वहां गांव वालों ने उनके साथ वहां के लोकल एक्स. ई. एन. थे उन्होंने पकड़ा उनको मशीन लाने लगे उन लोगों ने कहा कि साहब देखिये, ये ए. ई. साहब हैं ये 500/– हमसे लेते हैं, अभी परसों लेकर गये हैं और हमारी मशीन दे दो नहीं तो हमारे पांच सौ रुपये वापस करो। यानि एक लड़का भी आपकी तार में चद्दर डाल देता है और चोरी कर रहा है तो सवाल श्रमिकों का नहीं, सवाल यह है कि बिजली विभाग में लगातार चोरी हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि लाइनें हैं उनको प्रोपर तरीके से लगाने का काम हमने नहीं किया तो मैं आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय बिजली मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कोई हिसाब नहीं, गांवों में आदमी मर जाते हैं, सोचते है कि भगवान की यही कृपा थी न मन्त्री महोदय तक पहुंचती है न एम. एल. ए. तक पहुंच पाता है, पशु कितने मर जाते हैं, हर आंधी में हमारे यहां, हर आंधी में गरमी में, हर दूसरे दिन आंधी आती है और आंधी में किसी न किसी गांव में एक न एक पशु बड़े आराम से मर जाता है और उसका कोई भी नोटिस नहीं लिया जाता। लेकिन जिस किसान का पशु मरता है उसके परिवार से आप पूछिये कि उसको दुबारा पशु खरीदने के लिए कितना लगता है।

इसलिए मैं माननीय बिजली मन्त्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि एक भी मौत, क्षमा करियेगा, कोई भी आदमी अपनी मौत पर चलने का काम नहीं करता है सिवाय आत्म हत्या करने वाले के और जिसके पेट में रोटी नहीं होती उस वजह से जो काम वह कर रहा है, आत्म हत्या करने के लिए वो नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी मौतें होती हैं वो सारी की सारी विभागीय कमजोरियों की वजह से होती हैं। आप उनको उचित सामान नहीं देते, आप उनको उचित प्रशिक्षण नहीं देते और जो इस तरह की लाइनिंग करने में, उसको स्थापित करने में या उसकी व्यवस्था करने में जो गड़बड़ियां होती है उसकी गलती होती है और एक भी मौत पर चाहे वो पशु की हो चाहे वो इन्सान की हो, हर मौत पर सरकार को पूरी तौर पर जॉच करानी चाहिये। उसके लिए बाकायदा रजिस्टर होना चाहिये। अगर मौत किसी की भी होती है तो कम से कम विभाग को इतना कष्ट तो करना चाहिये, उस पर आंसू बहाये या न बहाये, उसकी मौत को अपने रजिस्टर में दर्ज करने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सवाल आप करेंगे ?

श्री मालाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं बिजली विभाग के बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जो गांवों में कुओं में लाईनें खेंची हुई हैं उनमें जो तार लिये हैं उन तारों के कारण जो पशु गांवों में मरते हैं, खम्भे के पास आते ही, चौमासा में हर गांव में दो-दो तीन-तीन, चार-चार पशु मर जाते हैं और बिजली विभाग उनकी सुनता नहीं आज तक उस इलाके में कोई जांच नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की बिजली, बरसात में उस पोल में नीचे हो जाय और

(श्री मालाराम)
पोल के अन्दर नीचे आते ही वो पशु मर जायगा और बिजली विभाग ने उसकी कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। मेरा कहना यही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवर लाल जी। एक एक करके सब

(व्यवधान)

को टाईम दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्वाइन्ट उठाना चाहता हूं। जिन जिन बस्तियों का विकास हुआ और मकान बने हैं या बन गये और आपके तार वहां से जा रहे है। कहीं–कहीं तो ऐसी स्थिति बन गई है कि मकान से बिल्कुल तार छतों से छू गये हैं। ऐसी जो स्थिति है, जहां कच्चे मकान हैं या पक्के मकान हैं इस प्रकार के मकानों में से, कालोनियों में से तार जा रहे हैं, उन तारों को हटाने के लिए आपकी कोई योजना है उस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे, इसका उत्तर भी देवें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्रीजी से एक बात पूछूंगा कि जो भी आपके पोल्स को हैल्प करने के लिए हैल्पिंग या सपोर्टिंग तार लगा रखे है उन तारों में जनरली जब भी कोई करन्ट आता है तो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : (पर्यटन मन्त्री) यदुजी थोड़ा मेनर सीखो, आपको बैठने दो।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : औपचारिकता में हम विश्वास नहीं करते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं मैं तो जा रही हूं।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : बड़ा ध्यान रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आपके जो ये सपोर्टिंग तार हैं उन तारों में, खम्भों में जब करन्ट आता है उसे तार में दिया जाता है और तार किसान के फील्ड में होते हैं। किसान को यह पता नहीं होता है कि इसमें करंट है या नहीं, जब भी वो खेत में हल चलाता है या उसके नजदीक से गुजरता है या फसल काटता है और खास तौर से वर्षा के मौसम में जब किसान अपने खेत को जोतता है तो मेरे इलाके में बहुत से किसान और जानवर उन तारों से टच होने के बाद में मर जाते हैं। आप उनमें इन्सुलेटर या ऐसी कोई व्यवस्था कीजिये, मैंने हरियाणा में देखा है, मेरे यहां पर जब घटनायें हुईं तो स्वाभाविक रूप से मैं हरियाणा में गया, मेरी नजर उन पोल्स के सपोर्टिंग वायर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि हरियाणा के अन्दर इन एक्सीडेन्ट से बचने के लिए उन्होंने इन्सुलेटर्स चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं जो उसमें रहते हैं तो मेहरबानी करके कोशिश कीजिये इस बात को हम आपके यहां पर रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए नहीं आते। किसान मरने के बाद में या उसका पशु मरने के बाद में वो अपने करम को रोता है और अभी भगवान के भरोसे पर है। आपकी काबिलियत का उसको पता नहीं लगा, पता लग जायेगा कि इनकी कमजोरियों की वजह से, गलतियों की वजह से हुई तो पता नहीं वो क्या तूफान खड़ा कर देगा, मगर अपनी तकदीर को रोता है, भगवान ने ऐसा ही कर दिया इसलिए आये दिन इस तरह की बहुत गम्भीर घटनायें हमारे गांवों में होती हैं। शहरों में तो मेरे ख्याल से बिजली ज्यादा होती है, ज्यादा टाइम रहती है इसलिए ज्यादा मरते होंगे। मगर आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्री शोपत सिंह)

कोई 5-7-6 घटे बिजली देते हैं उसमें भी सैंकड़ों लोग मर जाते हैं सैंकड़ों पशु मर जाते हैं तो सपोर्टिंग वायर तो कम से कम उसमें लगायें।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक सवाल करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके यहां आर.एस.ई.बी. में इलेक्ट्रीकल्स इन्सपेक्टर का आपने जो एक विभाग खोल रखा है जिसका मूल रूप से यही काम है कि जहां भी आपका कोई भी डिफेक्ट हो, लाईन में फाल्ट हो, एच टी की लाईन खेंची जाती है उसके पूर्व जो सैंक्शन ली जाती है और अन्य किसी भी प्रकार की फैक्टरीज में चैंकिग करने, जो भी जिस प्रकार की आपकी लाईन है उसके बारे में आपने सारी व्यवस्था कर रखी है लेकिन आप बताइये आपने कितने मुकदमे दर्ज किये हैं कितनी आपने जांच की है, इस ओर आप कतई ध्यान नहीं देते हैं, अगर इस विभाग के ऊपर जिसके लिए आपने अलग से पोस्ट बना दी है चीफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, लेकिन इसके तहत कार्य कुछ भी नहीं होता अगर इसी ओर आप मूल रूप से ध्यान दें तो निश्चित कोई न तो एक्सीडेन्ट होगा कोई इस प्रकार का, न कोई आदमी मरेगा न पशु मरेगा और न इस प्रकार की कोई शिकायत आयेगी इसलिए मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं इस बिन्दु पर ध्यान दें तो सारे एक्सीडेन्ट बिल्कुल बन्द हो जायेंगे।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र जो बानसूर है जिला अलवर में उसमें भी एक गांव है पहाड़ी—

श्री उपाध्यक्ष : देखिये ये सब बातें आ गई, आप यह समझिये सब जगह की यही समस्या है।

श्री जगत सिंह दायमा : उसमें मैंने और गांव के लोगों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा कि हमारे गांव में बिजली के तार इतने ढीले हैं, बैलों के सींगों में फंस जाते हैं और वा सिर पर लगते हैं। आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई आखिर अगर कोई मर भी जाय तो फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी या फिर अधिकारियों की।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत हो गया। प्रोब्लम सब जगह यही है....

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव दे रहा हूं आधे मिनट में।

एक तो कृषि भूमि में जितने भी मकान बने उन सब पर हाई टेन्शन लाईन दी हुई है उनको राज्य सरकार द्वारा बदला जाना चाहिये, नम्बर एक, नम्बर दो विद्युत पर कर भी बढ गया, पुराने जो रोड वायर्स हैं जिनमें इस प्रकार से होता है, एक वायर आकर के जयपुर शहर में घोर अन्धेरा, कल रात आठ बजे लाइट गई सुबह पांच बजे आई उन्होंने कहा फाल्ट हो गया। तो मेरा कहना है ये रोड वायर जो लगे हुए हैं उनको बदलना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं जो

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

मैंने जिक्र किया था जयपुर शहर में कई खुले तार पड़े हैं....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दिस इज ए जनरल प्रोब्लम।

(व्यवधान)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आधे मिनट में मैं यही कह रहा हूं, आप न्यूगेट पर पधार जायं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरीश शर्मा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री हरीश जी।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इन सारी बीमारियों, की एक ही जड़ है, मन्त्री महोदय इन सारी बीमारियों की एक ही जड़ है, आप इस बारे में सोच रहे होंगे, आप इस मण्डल का पुनर्गठन कर दीजिये सारी बीमारियां दूर हो जायेंगी। इस मण्डल का पुनर्गठन कर दीजिये यह सारी बीमारियां दूर जायेंगी। इसमें बहुत सी बातें हैं और इसमें ऐसी स्थिति हो गई आधा तेल और आधा पानी वाली बात हो गई। आप तो इस मण्डल का पुनर्गठन कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह :

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरकार को जानकारी है, क्या सरकार ने इसकी जानकारी की है कि हमारे राजस्थान भर की लाइनों के ढीले तारों को और टाइट कर दिया जाये तो दो प्रतिशत लाइन लासेज कम हो सकते हैं। दूसरे, लोगों की जो जानें जाती हैं वह भी तो क्या सरकार इन लाईन लोसेज को कम करने के लिये तारों को ठीक करने का काम करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक चर्चा तो हो गयी।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंत्री जी से सवाल करते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, ढीले तार से जो खिचाई के काम कराये हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह नगर से संबंध नहीं हैं उन तारों में इन्टीटी आती है और उस कारण से जो हीट डवलप होती है इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने के बाद उसमें कन्डक्शन के कारण ज्यादा एक्सपान्सन होता है और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तार नीचे आ जाते हैं। क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कभी इन लटकने वाले तारों से कभी एक्सीडेन्ट हुए हैं तो क्या आर. एस. ई. बी. ने जानकारी की है कि जो तार लगाये गये हैं उनमें कितनी इन्टेंसिटी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुक्तिलाल जी आप मंत्री जी को बोलने दें।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : मेरा एक सुझाव है उपाध्यक्ष महोदय, कि आप बैठो आप बैठो। मोदीजी आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप तो मन्त्री जी से जवाब दिलवा दीजिये।

श्री रमजान खां : आप बैठो आप बैठो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर कब तक बहस चलेगी? यह तो दूसरी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन घण्टे से ज्यादा समय हो गया है।

(व्यवधान)

यह कौन है मुझे बैठो कहने वाले।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपसे नहीं कह रहे हैं मोदीजी आपसे नहीं कह रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तरीका गलत है, उपाध्यक्ष जी।

एक माननीय सदस्य : यह क्यों हर बार बीच बीच में बोलने खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप यह कह दीजिये कि या तो दस मिनट, पांच मिनट, या दो मिनट बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री रमजान खां : मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अल्मूनियम के तार इतने हल्के होते हैं कि वे एक झटके में ही टूट जाते हैं अगर आप तांबे के तार लगा दें तो तार कम टूटेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (ऊर्जा मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल 49 के तहत यह आधे घण्टे की चर्चा मेरे द्वारा इस सदन में दिये गये प्रश्न के सन्दर्भ में उठाई गयी है जो दिनांक 15-7-85 को इस सदन में दिया गया था। मैं माननीय सदस्यों से जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न में दो मुद्दे थे एक मुद्दा तो यह था कि जितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनको क्या मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया। पिछले पांच सालों का सवाल पूछा गया। दूसरा इसमें पूछा गया था कि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मृत्यु के कारण क्या रहे हैं। यह सवाल पूछा गया था और तीसरा यह पूछा गया था कि बिजली बोर्ड कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरे लोगों या पशुओं की मृत्यु अगर हुई है तो उसकी जानकारी विभाग के पास है या नहीं। और उनको मुआवजा देने का नियम बना हुआ है या नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : आदमियों के ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने दोनों ही बातें कही है। आप अगर बातें ही करते रहें और सुनें नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : आगे चलिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चलने का क्रम तो चलता ही रहेगा। तो मैं आज अपनी बहस का मुद्दा रूल 49 के तहत आधा घन्टे की चर्चा में एक प्रश्न के जवाब में जो सवाल खड़े हुए हैं उस तक ही सीमित रखूंगा। जहां तक बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रश्न है उनके किसी एक्सीडेन्ट से डैथ हो जाने पर या कोई इनएबिलिटि हो जाती है तो नियमानुसार वेतन के अनुपात में निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाता है और दिया जाता रहा है। बिजली विभाग के अलावा अन्य कर्मचारियों या पशुओं की मृत्यु हो जाने पर जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि अब तक बिजली विभाग या बिजली बोर्ड ने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपना रखी थी कि किसी भी स्थान पर उसकी सूचना संकलित की जा सके। इसलिए यह आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। 'वैसे तो आप को जानकारी है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली विभाग की गलती से या तार के टूटने से या बिजली विभाग की किसी कमी की वजह से किसी की डैथ हो जाती है तो ऐसे लोगों को आपको मालूम है उसको इन्डियन फैटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1885 के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। मैं पढ़ रहा हूं मान्यवर, इन्डियन फैटल एक्सीडेन्ट एक्ट, 1885 के तहत प्रावधान किया गया है।

(व्यवधान)

इन्डियन फैटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1855। मैंने 1855 कहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1885 कहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर विभाग के खिलाफ में अपना केस प्रस्तुत करके मुआवजा प्राप्त कर सकता है। यह उसका अपना अधिकार है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो मर गया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसका उत्तराधिकारी जाता है। माननीय भंवर लाल जी शर्मा आपको पता है रास्ते पर मोटर चलती है और उस मोटर से एक्सीडेन्ट हो जाता है तो इस एक्ट के तहत प्रोविजन किया हुआ है उस का मुआवजा प्राप्त करने का कानून में प्रावधान है।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : यह तो जनरल कानून है, आपका मण्डल क्या कर रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो अंग्रेजों का कायदा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अंग्रेजों का सही, पर किसी भी कायदे के तहत इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपना कम्पेनसेशन देने का राईट कानून में दिया हुआ है। आप सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कानून में ऐसा संशोधन करे कि सुप्रो मोटो, कोई भी आदमी मर जाय तो बिना किसी जांच के, बिना किसी फाईडिंग उसका मुआवजा मिल जाय।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : नियम आप बनाइये और जांच कराइये जांच होने के बाद बोर्ड पर जिम्मेदारी डालिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस तरह माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : मन्त्री महोदय, इस तरह से धर्मेन्द्र की तरह एक्टिंग मत करिये।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : यह आपने मन्त्री महोदय की तरह जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुनिये। माननीय सदस्य। पहले आप सुनिये।

श्री लालचन्द डूडी : मन्त्री स्तर का जवाब देना चाहिए। यह मन्त्री स्तर का जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य।

(6.00 म.प.)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब तो आने दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके ऐसे कई सम्माननीय सदस्य हैं जो मंत्रिमंडल में रहे हुए हैं। यह इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मौजूद था और बोर्ड भी मौजूद था। आपने बोर्ड के नियमों में ढाई साल में परिवर्तन करना क्यों नहीं आवश्यक समझा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बात तो अब ध्यान में आई। आप कुछ नहीं करोगे तो मना कर दो। आप यह अधिकार ले लो कि आपको जान से मारने का हक है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1981 के थोड़े पहले की बात नहीं करता हूं।

श्री खंगार सिंह : पैंतीस साल हो गये हैं कांग्रेस की सरकार को। यह कानून आपका बनाया है।

(188)

श्री लालचन्द : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को हाऊस में सीमा में रहकर जवाब देना चाहिए, यह कोई जवाब नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, फिर एक घन्टा खराब हो गया....

श्री उपाध्यक्ष : जैसा आप कहेंगे वैसा ही जवाब दिया जायेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों के इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड में क्या प्रोविजन है यह जानने की कोशिश की है और मुझे पता लगा है कि कई लोगों ने एक्सग्रेसिया देने का प्रोविजन कर रखा है जिसकी राशि पांच सौ से पांच हजार तक है। पांच हजार से अधिक नहीं है। कई राज्यों के बिजली बोर्ड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हैं। यह मामला सेंट्रल इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड की गठित कमेटी के सामने विचाराधीन है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सेंट्रल इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड आथोरिटी द्वारा गठित बोर्ड, माननीय चतुर्वेदी साहब जरा ध्यान से सुनें, मैंने तो पहले भी कहा था, क्या करूं इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब ठीक है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : विचाराधीन है। जो कि इण्डियन इलेक्ट्रिकसिटी एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं होने की वजह से इसमें क्या संशोधन लाना चाहिए यह प्रश्न विचाराधीन है और अब तक इस प्रश्न पर कोई निर्णय हो जायेगा तो राजस्थान सरकार, बोर्ड को तदनुसार निर्देश देगी।

एक माननीय सदस्य : हो गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हो गया, आप संतुष्ट हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं बिजली की लाइनें ठीक नहीं हैं, उनकी दूरी कम है, बिजली के तार ठीक ढंग से लगने चाहिए, नीचे आ जाते हैं, बिजली की चोरी हो जाती है और ज्यादा नुकसान हो जाता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक्सीडेन्ट के कारण यह हैं कि लोग ट्रेंड नहीं हैं और अन-ट्रेंड लोग काम पर चले जाते हैं और अधिकारी उनसे काम लेते हैं जिसका वजह से यह एक्सीडेंट हो जाते हैं। माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बात सही है कि हमारे जो हेल्पर की संख्या है वह बहुत बड़ी तादाद में अन-ट्रेंड है। हमने प्रयत्न किया है और आगे भी प्रयत्न करना चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य : अब कम कर दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, उनको निकालने के लिए रोटी–रोटी का सवाल पैदा हो जायेगा इसलिये इलेक्ट्रिकसिटी की बढ़ती हुई मांग है, गांव में विद्युतीकरण फैलता जा रहा है, हम लाइन मैन को किस तरह ट्रेंड करें इस तरह से व्यवस्था की बात चल रही है। इन हेल्पर्स को ट्रेनिंग किस तरह से दें, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग तो इस तरह की होती है कि जो नई लाइनें खींची

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जाती हैं वह खींचने में, खम्भा गाड़ने के लिए, खम्भे पर चढ़ने का काम, तार बांधने का काम, जहां कनेक्शन नहीं है वहां यह काम सौंपते हैं। वह यह काम करते हैं और दो ढाई साल के बाद जब यह महसूस हो जाता है कि यह खम्भे पर चढ़ सकता है, तार जोड़ सकता है तो उस आदमी को हेल्पर से ग्रेड सेकिंड में करते हैं और ग्रेड सेकिंड से ग्रेड फर्स्ट में लेते हैं और फिर हम उसको लाइन मैन की थोड़ी ट्रेनिंग देकर लाइन मैन अपाइंट करते हैं। सरकार यह चाहेगी कि वह ऐसे स्थान पर काम करें जिसमें बिजली की लाइनें आलरेडी काम कर रही हैं ताकि कम से कम एक्सीडेंट हों।

जो सामान जरूरी है उनको सूत किस क्वालिटी का दें, उनको ग्लोब्ज दिये हैं या नहीं, मैं इस बात को देखूंगा कि जो मेटिरियल सप्लाई किया जाता है वह स्पसिफिकेशन के अनुसार निश्चित रूप से है या नहीं। यदि किसी अधिकारी ने गलती से स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं दिया तो जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अनुकूल सामान उनको निश्चित रूप से दिया जायेगा ताकि इस प्रकार की दुर्घटनायें जो होती हैं वह आगे से रुक सकें। यह सबकी चिन्ता का विषय है, आपकी और मेरी ही नहीं है। आपने लूज वायरिंग की बात कही, खम्भे की बात कही कि उसको गाड़ने में सीमेंट ज्यादा नहीं लगाया जाता, मजबूत नहीं किया जाता। वह भी सुझाव आपने दिये, कई सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं इन सुझावों को मैंने नोट किया है और मैं इन सुझावों के आधार पर बिजली बोर्ड के विभाग को किस तरह से कार्यवाही सम्पन्न हो उसके लिए आवश्यक निर्देश दूंगा, इसके कार्य को निश्चित रूप से इम्प्रूव करने की कोशिश की जायेगी।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

लोंगोवाल व प्रधान मंत्री के बीच हुए समझौते पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मुख्य मन्त्रीजी पधार गये, अब नहीं चलेगा हाउस। अब बुलाओ मुख्य मन्त्रीजी को खाना खाने में लगे हुए थे....

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : बुला लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, अब तो उन्होंने भोजन कर लिया, स्वस्थ हो गये, शान्त चित्त हो गये।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनका स्वागत करने में लज्जा आनी चाहिये। वह स्वागत करने का काम कर रहे हैं, लज्जा आनी चाहिए उनको। अभी खाने के लिये गये थे।

(व्यवधान)

नहीं सुनेंगे। नहीं सुनने वाले हम।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी आ गये, पानी की चिन्ता दूर करें और बतायें कि दिल्ली में क्या फैसला करके आये हैं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : क्या उनको दिल्ली में दुत्कार कर भगा दिया गया है....

(व्यवधान)

आप मुख्य मन्त्री नहीं हैं अभी।

(व्यवधान)

आपके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप तो और कूंडा कर दोगे। बैठे रहो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या दिक्कत है, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : मुख्य मन्त्री जी को बुलायें।

श्री यदुनाथ सिंह : दिक्कत यह है कि खाना खाने का कहकर गये थे।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : इससे ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण सवाल इस समय नहीं है। देश बड़ा है सदन नहीं बड़ा है प्रदेश के लिए सदन है, सदन की व्यवस्था के लिए प्रदेश नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अति महत्वपूर्ण सवाल पर तत्काल माननीय मुख्य मंत्रीजी का बयान दिलायें और यह जो साजिश और ज्यादा करके आये हैं दिल्ली में, उस फैसले का स्वागत करने की यह तैयारी कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं स्वागत नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : हम हाउस नहीं चलने देंगे।

श्री मोहन प्रकाश : आज इस प्रदेश में प्रधान मंत्री अगर आयेगा आठ तारीख को तो प्रधानमन्त्री का भी राजस्थान में जबरदस्त विरोध होगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : लड्डू खाने के लिये गये हैं मुख्य मंत्रीजी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या कह रहे हैं आप ? आप कब से मुख्य मंत्रीजी हो गये !

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज कृपया बैठें। जरा सुनने का कष्ट करें....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह आपके बस का नहीं है, पानी का मामला है....

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : इनको मुख्य मंत्री बना दीजिये। हम लोग सुन लेंगे। इनको शपथ दिला दीजिये, हम इनका बयान सुन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा सुनने का कष्ट कीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय मन्त्री महोदय को सुनने का कष्ट करें, प्लीज ग्रार्डर।

श्री मोहन प्रकाश : ग्राप इनको मुख्य मंत्री पद की शपथ दिला दीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लगता है खाली हाथ ग्राये हैं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री को सुनिये। Kindly, order please order.

(व्यवधान)

Please order. माननीय मन्त्रीजी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : खाली हाथ ग्राये। खाली हाथ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रंकित नहीं किया जाय।

ग्रनेक माननीय सदस्य : XXX

सदन के लिये कुछ न्यूज है। सदन के लिए कुछ ग्रच्छी न्यूज है। ग्रच्छी खबर है। जरा तसल्ली रखिये। जरा बिराजिये। सदन के लिये ग्रच्छी न्यूज है।

ग्रनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री उपाध्यक्ष : ग्रंकित नहीं किया जाय।

ग्रनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री उपाध्यक्ष : ग्रंकित नहीं किया जाय।

ग्रनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री उपाध्यक्ष : ग्रंकित नहीं किया जाय।

ग्रनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। ग्राप सुनिये····

ग्रनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

XXX माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री नत्थी सिंह : नरेन्द्र सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, इन नहर मन्त्री जी ने तो पहले ही स्वागत किया था। कहा था, कोई हमारे हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वह नहर मन्त्री हमको क्या निहाल करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनना तो पसन्द करेंगे आप।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य, आपको क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सुनना ही नहीं चाहते। क्या बोलें। पहले सुनकर फिर कहिये।

(व्यवधान)

(6. 14 म प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : भये प्रकट कृपाल दीन दया ला····

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): राजस्थान के हितों की सुरक्षा के लिए जब तक गारन्टी नहीं होगी तब तक····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप लोग चाहते यही हैं, मैं क्या कर सकता हूं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आज दिल्ली गया था, वहां पर मैं प्रधान मंत्रीजी से मिला, दूसरे लोगों से भी मिला। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहना चाहता हूं और मेरा विश्वास आज की प्रधान मन्त्री जी से बातचीत के बाद में और भी दृढ़ हो गया है कि जो भी हमारे मुहायदे हुए हैं रिवर वाटर्स के उनके अन्दर कहीं भी कोई फर्क नहीं आयेगा। राजस्थान के····

श्री घनश्याम तिवाड़ी व अनेक माननीय सदस्य : प्रमाण कहां है ?····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आप सुनना भी नहीं चाहते····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज··· अंकित न हो

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। बैठें। आर्डर प्लीज। आप एक-एक बोलें। आप जो कह रहे है न कुछ लिखा जा सकता है

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज····

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या लिखा हुआ है, यह तो बतायें।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह :""क्या टर्म्स एण्ड रेफरेन्स है ? क्या कन्टेक्स्ट है, क्या उसका मैटर है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सुनने की कोशिश करें आप सुनें तो सही पहले । आप सुनना ही नहीं चाहते और पहले से ही बोलना चाहते हो । आप प्रोसपोज कर रहे हो, क्या कह रहे हैं वह आप सुन लीजिए उसके बाद जो आपका रीएक्शन हो, कहिये कौन मना करता है उसके लिए ।... आर्डर प्लीज । आपके शब्द तो वेह नहीं कहेंगे जैसा वह ठीक समझेंगे वैसा कहेंगे । आप सुनिये उनको पहले ।

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । मुख्य मन्त्री जी

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह चुका हूं इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है ..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान सरकार को सुप्रिम कोर्ट में जाना पड़े ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठें...

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आप चाहते हैं मैं बार बार बोला करूं मैं बारबार नहीं बोलना चाहता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : बार बार बोलना पड़ेगा बार-बार बताना पड़ेगा । यह सारे राजस्थान का सवाल है । यह आपकी पर्सनल राज नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते । माननीय शोपत सिंह जी आप बैठें । आप शांति रखें वरना वह कैसे बोलेंगे ।

(व्यवधान)

आप सब एक साथ बोलेंगे तो मुख्य मन्त्री जी को सुनेंगे क्या । आप सुनना ही नहीं चाहते ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य आप बैठें । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप सब साथ खड़े हो जाते हैं । आप सुन लें एक बार । मैंने आपको स्पष्ट कहा जैसा भी वह कहें वह सुन लें । मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि आपका रिएक्शन क्या है आप देना चाहें एक एक करके दे दें तो कुछ व्यवस्थित बात होगी । आप सबके सब साथ खड़े हो गये और फिर कहते हैं कि हमें मुख्य मन्त्री का सुनाई नहीं आता कैसे सुन पायेंगे आप कृपया शांत रहें । आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । आप कुछ कहना चाहते हैं बीच में ?

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : मुख्य मन्त्री जी कम्पलीट कर लें...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री कम्पलीट कर लें....आप सुनना नहीं चाहते। आप सुनना चाहते हैं तो मैं मुख्य मन्त्री से पुनः रिक्वेस्ट कर सकता हूं। आप सुनना चाहें तो मैं कह सकता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी एक बार।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गवर्न हो सकता हूं। मगर मैं +++मैम्बर्स से गवर्न नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : राजस्थान पर कुठाराघात नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।

एक माननीय सदस्य : हठधर्मिता है आप लोगों की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। अपना स्थान ग्रहण करें।

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। अपना स्थान ग्रहण करें।

अनेक माननीय सदस्य : (राजस्थान हमारा है के नारे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।....

(व्यवधान)

सदन के जो भी माननीय सदस्य हैं मैं चाहूंगा कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मुख्य मन्त्री जी ने +++ मात्र कहा है ...

श्री अध्यक्ष : +++सदस्य कहा है। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल नहीं कहा मैंने।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल +++ कहा। यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने +++ कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने +++ नहीं कहा है। +++ सदस्य कहा है!

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी: +++ मैम्बर्स कहा है।

(व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्य हैं, मैं चाहूंगा कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। आवेश में भी कभी कोई शब्द कहे जा सकते हैं। यह सब आवेश में हुआ है इसको अन्यथा न लें ...

(व्यवधान)

कृपया ध्यान ग्रहण करें....

श्रीमती कमला : × × × मेम्बर्स कहा है, गाब नहीं कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले जो कुछ मुख्य मन्त्री जी ने कहा है × × × सदस्य, वे विदड्रा करें....

श्री हरिदेव जोशी : मैं बोलने के लिए खड़ा होऊं और 25 आदमी खड़े हो जायें तो × × × नहीं हैं तो क्या है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। एक्सपन्ज किया मैंने × × × वर्ड एक्सपन्ज किया मैंने। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कोई कार्यवाई करना चाहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आवेश में, दोनों तरफ आवेश में आते हैं....आप भी चुनकर आये हैं सब चुनकर आये हैं, माननीय सदस्य। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सदस्यों से....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। ये सब बातें, कभी-कभी शब्दों का प्रयोग जो नहीं होना चाहिये आम तौर पर वह आवेश में कभी-कभी कई माननीय सदस्य कर लेते हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं और बार-बार मैं इसीलिए कहता हूं कि इस सदन की गरिमा आपके साथ जुड़ी हुई है और जो शब्द आप बोलते हैं उनका भी एक अर्थ निकलता है। और आवेश में जब बोलते हैं तब मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आवेश में आपको भी ध्यान नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं। आवेश में न आयें और शांति से अपनी बात कह दें, आपको अधिकार है जिस बात को आप एफर्फेटिकली कहना चाहते हैं उस बात को जिस तरह से आप कहते हैं उसके अतिरिक्त भी आवेश में आये बिना भी आप कह सकते हैं, फोर्सफुली शब्दों में कह सकते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। मैं समझता हूं उससे सदन की कार्यवाही चलने में सहूलियत होगी और सदन की गरिमा बनी रह सकेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पानी का विवाद, मुख्य मन्त्री जी दिल्ली जाकर आये और वह कुछ कह रहे थे; कुछ सुना नहीं और सुनने के कारण हम कोई इसलिये नहीं चाहते कि मुख्य मन्त्री जी को सुनना नहीं चाहते, लेकिन मुख्य मन्त्री जी यदि हमको, सदस्यों को यह कह दें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाद में कहा है। कृपया यह देखें आप। उसके कान्टेक्स्ट में देखें। मुख्य मन्त्री जी पहले

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

बोलने शुरू हुए, पूरा बोल नहीं पाये उससे पहले 25 आदमी खड़े हो गये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं किसी कान्टेक्स्ट में मुख्य मन्त्री जी को यह कह कह सकता हूं कि यह × × × हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आपने कहा है बिल्कुल यह एक्सपंज नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। × × ×

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। न तो आप कह सकते हैं न कोई और कह सकता है। न तो आप कह सकते हैं न कोई दूसरा कह सकता है। मैंने आपसे एक बात कह दी कि सभी सदस्य इस सदन के माननीय सदस्य हैं....

श्री हरिदेव जोशी : मेरी अर्ज सुन सुन लीजिये। मैं एक बात कह सकता हूं भैरोंसिंह जी, ...

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिये आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। फिर सुनता हूं ...आपको....

श्री हरिदेव जोशी : मैं निष्ठापूर्वक कहता हूं मैंने कभी भी आपको × × × नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एग्री करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने बिल्कुल एक बात कही है, इसका बुरा मानें चाहे कुछ मानें ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कहा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने एक ही बात कही है कि XXX मैम्बर्स। XXX मैम्बर्स कहा है, अनहोली नहीं कहा है। × × × और कुछ नहीं कहा है। × × × मैम्बर्स कहा है और मैंने इसलिए कहा कि आप चाहते थे कि मैं बोलूं, आपने कहा है इसलिये मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और मेरी बात मैंने पूरी भी नहीं कही कि 25 आदमी खड़े हो गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। Matter ends now मैंने इसका फैसला कर दिया है। मैटर एण्ड होता है....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह प्रार्थना की है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदेश मानना चाहता हूं। मैंने यह कहा, जैसे ही आपने कहा खड़े हो जायें, मैं खड़ा हुआ....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय, जो बात आप कहना चाहें कह दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द तो विदड्रा करना पड़ेगा।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया उसके लिये। आपने कहा मैंने कर दिया उसको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि XXX मैम्बर्स का मैं कहना नहीं मानूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन बातों को तो एक्सपंज कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : उससे गवर्न नहीं होऊंगा, यह कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक्सपंज कर दिया उसको।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, अनावश्यक रूप से उत्तेजना पैदा हो रही है। मैं तो कहना चाहता था और आपकी बात मेरे को पसन्द नहीं आवे, मेरी बात आपको पसन्द नहीं आवे, यह संभव है, आप मेरी बात को स्वीकार करें, यह सम्भव है, अस्वीकार करें यह भी संभव है। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कम से कम मैं बात अपनी पूरी करूं इतनी बात मेरी तो रखिये। और इसलिये मैंने कहा था कि आप बीच में मत बोलिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि राजस्थान के हितों के ऊपर कभी भी नुकसान नहीं होगा, और कल जैसा मैंने कहा था मैं दिल्ली गया था मैं प्रधान मन्त्री जी से मिला, उनसे मिल करके राजस्थान में क्या किस प्रकार से लोग सोचते हैं इस बात को मैंने उनको अवगत कराया उनसे लम्बी चर्चा हुई, विगत में बातचीत हुई। इसके बाद में मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं पूर्ण तरह से कि राजस्थान के हितों में जो भी मुहायदे हुए हैं उन मुहायदों के ऊपर कहीं कोई चोट नहीं आयेगी और राजस्थान के हिस्से का जो पानी है उसमें कहीं किसी तरह से कमी नहीं होगी। राजस्थान की जनता को, राजस्थान की इस विधान सभा को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे हितों में कहीं भी कोई चोट नहीं आयेगी कोई कमी नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय अकाली दल और प्रधान मन्त्री जी के बीच में जब समझौता हो गया था उसके विषय को लेकर सारा सदन विक्षुब्ध था और उसी समय सदन में जो चर्चा प्रारम्भ से लेकर अन्त तक हुई, राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय जब यहां से जाने लगे एक विचार था, कोशिश भी की गई उसकी कि सर्वसम्मत प्रस्ताव वे लेकर जायें। वह सम्भव नहीं हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री जी जाने लगे, एक ही बात सभी सदस्यों के मन में थी कि जो 9.1 और 9.2 में समझौते की जितनी भी चर्चा हुई है, 9.1 में जिस

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान शब्द का प्रयोग हो गया, एक रिटन डाकूमेंट है, इस रिटन डाकूमेंट से अकाली दल देश के प्रधान मन्त्री, सारा देश और विभिन्न प्रदेश बन्धे हुए है ।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आप बात करके पधारे हैं। उन्होंने जो वर्बल टाक हो गई प्रधान मंत्रीजी से, उसका जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, वे मुख्य मन्त्री जरूर हैं, दो पहले मुख्य मन्त्री हो गये जिनके समय दो समझौते हुए थे। एक ने कहा था कि मैं चट्टान के समान हूं। दूसरे मुख्य मन्त्री ने कहा था कि किसी प्रकार का असर समझौते से नहीं पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यह रिटन डाकूमेंट है जो आज देश में चर्चा का विषय है। कभी जब मौका आयेगा तो अकाली दल खड़ा भी हो जायेगा, 1 जुलाई, 85 को जितना पानी मिल रहा था उससे कम पानी नहीं होगा। आज हैड वर्क्स हमारे पास नहीं हैं। बी बी. एम. बी. में नहीं सौंपे गये। आज तक पंजाब का उस पर कब्जा है। उसका उपयोग तभी भी करता रहा है, लगातार किन्तु, हम जब अपना विरोध पत्र भेजते रहे, विरोध पत्र की चर्चा होती रही, पंजाब की सरकार को दबना पड़ा और हैड वर्क्स से हमारे लिये पानी रिलीज करने का मौका आया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब पानी की वह स्थिति होगी हैड वर्कस में पंजाब हो, यह रिटन डाकूमेंट लेकर खड़े हो जायेंगे पंजाब के लोग, अकाली दल के लोग खड़े हो जायेंगे, 9.1 को लेकर क्या करेगा राजस्थान उस समय। आपकी दर में क्या बात हो गई है, आपने कौनसी बात कर ली है अगर वह कहीं लीपिबद्ध नहीं हुई, उसकी चर्चा समझौते में क्लियर कट वे में नहीं हुई तो राजस्थान के हितों का क्या होगा, मैं आप से पूछना चाहता हूं. आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं केन्द्र में आपकी सरकार है यह बात सच है, प्रदेश में आपकी सरकार है, यह बात सच है। आप सदन के नेता हैं यह बात सच है किन्तु कल सदन ने चाहा था कि सर्व सम्मत प्रस्ताव लेकर जाया जाय, लेकिन वह नहीं किया गया तो जहां तक राजस्थान के हितों का सवाल है, राजस्थान का सारा सदन, जो सारा सर्वोच्च बाडी है इस प्रदेश की का कोई प्रस्ताव लेकर गये होते तो आपके हाथ मजबूत होते किन्तु शायद मुख्य मन्त्रीजी उस समय भी कांग्रेस की साजिश डोर में बन्धे हुए थे। कहते तो जरूर थे कि पार्टी आड़े नहीं आयेगी किन्तु कई बातें आती रहीं, इसलिये मन में शंका हुई। और आज वह लौटकर आये हैं, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब उस समय यह स्थिति होगी तो पंजाब हमारे साथ क्या करेगा, अकाली दल क्या करेगा। आपके इन कहे हुए शब्दों की क्या कीमत होगी प्रदेश की दृष्टि से। मैं कहना चाहता हूं आपने प्रदेश के हितों का बलिदान किया है। ये कोरे शब्द कोरे शब्द रहेंगे, प्रदेश की बहूबदी की दृष्टि से कभी हाथ में नहीं आयेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और आज जो वक्तव्य मुख्य मन्त्री महोदय ने दिया है वह राजस्थान के हितों का बलिदान करने वाला वक्तव्य है, राजस्थान के हितों को सब प्रकार से चोट पहुंचाने वाला वक्तव्य है। आज जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है शब्द राजस्थान के हितों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का कभी विरोध करने की दृष्टि से कभी आड़े नहीं आयेगा। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री नत्थी सिंह : (कुम्हेर) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जो हमारा पानी है, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे कि समझौता हुआ जिससें कि इस सदन में चिन्ता व्यक्त की गई, और मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं यह कहा कि मैं स्वयं चिन्तित हूं, उस वक्त भी एक माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह जो समझौता हुआ है यह राजस्थान के हितों के प्रतिकूल नहीं अनुकूल है। यह बात इस सदन में कही गई माननीय नहर मन्त्रीजी द्वारा। हम यह जानते हैं कि पंजाब की जो समस्या उठ खड़ी हुई और उस समस्या के परिणामस्वरूप जो समझौता हुआ है इस सबकी पृष्ठ भूमि में राजनीति है। पंजाब की समस्या बढ़ी ही इसलिये, पंजाब की समस्या इतनी उग्र इसलिये हुई. हमारे दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से जाकर के कहा, और यह कहा देश बड़ा है, वोट बड़ा नहीं है। अगर राष्ट्र रहेगा तो राज करने वाले जिन्दा रहेंगे, विरोध करने वाले जिन्दा रहेंगे, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र के हित को सर्वोपरि देखो, वोट के खातिर राष्ट्र के हितों की कुर्बानी मत दो। और तब उन्होंने कहा था कि आज ही कड़ाई के साथ, जो कुछ हो रहा है पंजाब में, उसका विरोध करो। कहा था कि अगर जाना पड़ता है गोल्डन टेम्पल में, जावो। मुजरिम जो जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन उस वक्त बात को वोट की खातिर नहीं माना गया, राजनीति की खातिर नहीं माना गया। तब यह सोचा गया, शायद इस तरह से हम लोगों को अपील करके प्लीज करके राजी करके राजनीतिक लाभ उठायेंगे लेकिन उसका दुष्परिणाम इस देश ने भोगा। सेना को भेजना पड़ा, हजारों लोग मरे निरीह और निर्दोष लोग मारे गये और अन्त में स्व. प्रधान मन्त्रीजी को भी उस सारे वातावरण का शिकार होना पड़ा। यह राजनीति का कुपरिणाम हमने भोगा।

आज हमारे मुख्य मन्त्री जी साफ तौर पर नहीं कहना चाहते, 1955 का जो हमारा समझौता है, जो पानी हमारा तय हुआ है उस पानी के समझौते को मारा जा रहा है और समझौते पर कोई चोट नहीं आ रही, ये साफ शब्दों में कहने में क्या डर आ रहा है। मुझे भय है और आशंका साक्षात दिखाई देती है कि जो राजनीति आज चल रही है, तब उन लोगों की नजर लगी है, चुनाव आयेंगे पंजाब में, कौन किसको राजी करे लेकिन राजस्थान के लोगों का हित भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्र का हित है लेकिन राजस्थान के हितों की कुर्बानी नहीं की जाय इसलिए हम साफ तौर पर चाहते हैं कि यह बात साफ होती। जब राजस्थान का नाम 9.1 में आ गया, जोड़ दिया गया बिना बात के जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसका कोई औचित्य नहीं था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब जोड़ा गया है तो उसका साफ-साफ अर्थ है कि राजस्थान के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, हैड वर्क्स का कन्ट्रोल पंजाब के हाथ में है। कल चुनाव होते हैं, किस तरह की सरकार वहां

(200)

(श्री नत्थीसिंह)

आती है और उसके बाद हमको पानी नहीं मिलता है तो आज मुख्य मन्त्री जी की कही हुई बात, वह तो हमारे लिये उस ताले के खोलने वाली चाबी साबित नहीं होगी। उस वक्त राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की जमीन को प्यासा मरना पड़ेगा और हमारी जमीन असिंचित रहेगी, हमारे किसान बरबाद होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, एक बड़े नाजुक मौके पर आज हम यहां हैं, इस वक्त हमें किसी तरह से कोई कमजोरी अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिये। हम लोगों ने जो इस बात पर जोर दिया था, इस सदन का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव जाय, उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। हमारी साफ मंशा थी कि सारा राजस्थान एक स्वर से यह बोले कि राजस्थान के पानी की एक बूंद, हमारे हिस्से की एक बूंद को हम नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। यह बात सारे राष्ट्र को भी लिखो, प्रधान मन्त्रीजी को भी लिखो, संसद को भी लिखो। लेकिन यह मौका नहीं आने दिया गया और उसके पीछे भी राजनैतिक कारण थे। इसलिये नहीं आने दिया गया, मैंने पहले कहा था और आज फिर कहता हूं यहां डर तो यह लग रहा है, कि दिल्ली में हमारे नम्बर नहीं कट जायं। दिल्ली में नम्बर कम नहीं होने चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नम्बरों से राजस्थान के हित नहीं बचाये जा सकते हैं। राजस्थान के हित बचाये जाने हैं तो राजस्थान कैसे सुरक्षित रहेगा, राजस्थान का पानी कैसे सुरक्षित रहेगा, इस पर हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी।

आज जो मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है, गोलमोल भाषा बोली है, हमारे जो मुहायदे हुए हैं, हमारा जितना पानी है वह नहीं जायगा। लेकिन यह केवल जबानी बात है। हम जानते हैं कि आज देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, सत्तारूढ़ दल की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें यहां कहे हुए मुख्य मन्त्रियों के वचनों की कोई कीमत नहीं होती। हमने देखा है आन्ध्र का जमाना, क्या होता है और आज भी देख रहे हैं 3-3 महीने में मुख्य मन्त्री बदल जाते हैं, दो-दो महीने में मुख्य मन्त्री बदले जाते हैं, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी एक बार हिम्मत लायें, साहस जुटायें और कहें इस सदन में यह प्रस्ताव करें सर्व सम्मति से 1955 का मुहायदा बदस्तूर रहेगा। उस मुहायदे से हम किसी तरह से विचलित नहीं होने देंगे, हमारे पानी की एक बूंद नहीं जाने देंगे। तब तो हम सन्तुष्ट होंगे और नहीं तो यह जबानी बातों से केवल टलाने की बातों से चुनाव हों तब तक की बातों से, हम तो भुक्त भोगी हैं, हम भरतपुर के रहने वाले लोग हैं जिनको कहा गया, जमुना का पानी मिलेगा लेकिन मुख्य मन्त्री जी को हमने निवेदन किया, मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी, मुख्य मन्त्री के प्रतिनिधि और बैठे हैं दिल्ली में, इन 25 में से एक नहीं बोला था। 5-7 मिनिस्टर्स हैं, दो मिनिस्टर तो वह है जिनका हित राजस्थान के साथ नहीं है, जीत कर राजस्थान से गये हैं लेकिन हित उनका पंजाब के साथ है। तीन मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको रात दिन यह चिन्ता रहती है, अगर हमने एक शब्द बोला, तो यह आई हुई गद्दी छिन नहीं जाय। हमने भुगता है, हमारे भरतपुर जिले में एक बूंद पानी अबकी बार नहीं दिया

(श्री नत्थीसिंह)

गया आपके कोशिश करने के बाद, और लोगों की कोशिश करने के बाद यू पी. की सरकार ने मना कर दिया। हमारी गुड़गांवा की केनाल में नहीं आता। हमारे तमाम तालाब और पोखर सूखी पड़ी हैं और आज फिर हम यह मान लें यह सब आश्वासन से, यह सब आश्वासन दिये गये हैं कि हम ओखला बनायेंगे, दूसरी चीज बनायेंगे, पानी देंगे हिस्सा दिया गया है, नहीं मिला भुक्त भोगी लोग, जो दूध का जला है वह छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। राजस्थान दूध का जला हुआ है, उसका हिस्सा पहले मारा गया है। उसका हिस्सा पहले काटा गया है। कमजोर मुख्य मन्त्रियों ने 1981 में हमारे हिस्से को और कमजोर बनाया है और इसलिये आज केवल मौखिक बातों से हम सन्तोष कर लें कि हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा यह बात गले नहीं उतरती इसलिये एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी साफ तौर पर कहें और इस सदन का प्रस्ताव आज करायें कि 1955 का मुहायदा अटल है, अपरिवर्तित है उसमें किसी भी तरह की फेर बदल नहीं की जायगी तब यह सदन सन्तुष्ट होगा, इससे पहले नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से राजस्थान के हितों के बारे में इस सदन में चर्चा हुई और चर्चा का मैन मुद्दा यह है कि 9.1 और 9.2 के जो क्लाज इन्क्लूड किये गए हैं वे राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। मान्यवर, मैं पिछले दो दिन को चर्चाओं के आधार पर और जिस 1955 के समझौते को करने वाले सदस्य माननीय नाथूराम जी इस सदन के अन्दर मौजूद हैं उनकी बातों को और माननीय भैरोंसिंह जी के सारे आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद मैं एक आर्गूमेंट आपको देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है कि 1955 की ट्रीटी इन्टरनेशनल जो समझौता था उसके आधार पर हमने इन्टरनेशनल ट्रीटी के आधार पर फैसला करवाया....

एक माननीय सदस्य : इन्टर स्टेट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : इन्टर स्टेट' हमने समझौता करवाया उसमें पाकिस्तान से जो पानी हमने लिया है उसमें सबसे बड़ी एक कन्डीशन यह थी कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसको डवलपमेंट करने के लिए पाकिस्तान का इतना पानी हम यूज में लेंगे तो पाकिस्तान को कनविन्स करके हमने यह पानी लिया। यह सबसे मोटा मुद्दा हमारा यह है कि 1955 की जो ट्रीटी है वह 9.1, 9.2 से इफेक्ट नहीं होती है। क्योंकि जब हमने पाकिस्तान से पानी लिया था, वह तो एक कन्ट्री है, जब हमने रिप्रजेन्ट किया था और किसी को रिप्रजेन्ट नहीं किया था हमारी कन्ट्री को इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : क्या कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आता है ।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी अपनी बात सुन लें । आप अपना इन्टरप्रिटेशन दें, इसमें मुझे क्या तकलीफ है ।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 9.1 और 9.2 को इन्टरप्रेट करना पड़ेगा कि 1955 का राजस्थान का शेअर था वह किस कंडीशन में पाकिस्तान से हमको मिला । वह इस कंडीशन में मिला कि राजस्थान का डवलपमेंट करने लिये हमको हिन्दुस्तान को इतना पानी चाहिये । उसमें हिन्दुस्तान एज ए नेशन, हमने प्लीज पाकिस्तान के सामने कि हमारे को इतना पानी चाहिये । यह ट्रीटी पाकिस्तान को पानी का उपयोग करने के लिए की थी । इसलिए 9.2 1055 के एग्रीमेंट को रिवोक नहीं कर सकता है. मेरी ऐसी अपनी मान्यता है तो जितना एप्रीहेंसन माननीय सदस्य कर रहे हैं मैं इस एप्रीहेंशन को ठीक नहीं मानता । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बात को जानते हैं कि 9.1 और 9.2 को एक साथ रखते हैं हम, लेकिन हम आप उसमें देखें कि 9.2 का जो क्लाज है उसमें क्लियर कट यह मैन्डेट रखा है कि डिस्प्यूट बिटविन हरियाणा एण्ड पंजाब, उनको जो शेयर है उसको डिस्प्यूट करने के लिए यह क्लाज है 9.1 के अन्दर राजस्थान को कवर किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी ने इस देश के सामने यह कहा था कि इस पंजाब की समस्या का निपटारा हमारी पहली प्राथमिकता होगी । इस मेंडेट के आधार पर इस हिन्दुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को शासन दिया था, मेसिव मैन्डेट मिला इस बात का, हमने जनता के सामने यह कहा था कि पंजाब की समस्या को हम सुलझायेंगे । पंजाब की समस्या का निपटारा करने के लिए राष्ट्र हित बड़ा था, आज हम बड़ी सिम्पल बात कह सकते हैं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत भी कह रहे हैं । कि राजस्थान का हित इसमें नहीं है । माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मध्यप्रदेश से सदस्य रहे हैं । जब मध्यप्रदेश से सदस्य थे राज्य सभा के तब वह कहते थे, कि मध्य प्रदेश का हित इस बात में है । आज राजस्थान का हित इस बात में है । और बी. जे. पी. जो पंजाब की है उसका हित इस बात में है । बी. जे. पी. के पंजाब के नेता एक बात कहें राजस्थान के बी. जे. पी. के नेता एक बात कहें । राष्ट्र का हित होना चाहिये, राष्ट्र की अखण्डता रहनी चाहिये । और 9.1 और 9.2 के हमारे एप्रेहेंशन हैं । मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर हम डवलप करेंगे । पहले जनता पार्टी का शासन था, भैरोंसिंह जी खुद मुख्य मंत्री थे, राजस्थान के हित की बड़ी चिन्ता थी, हमने कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया राजस्थान कैनाल के बारे में । केवल मात्र पोलिटिकल गेन करने के लिए हम सदन के अन्दर यह कहें, हम तो यह चाहते हैं, राजस्थान के हित की रक्षा करने के लिए केवल मात्र बी. जे. पी. और लोकदल, जनता पार्टी ही चिन्तित हैं, कांग्रेस पार्टी में

(श्री सी. पी. जोशी)

चिन्तित नहीं हैं। राष्ट्र बड़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्र नहीं रहेगा, राष्ट्र की अखण्डता नहीं रहेगी तो यह पानी और पानी को डिस्प्यूट, 8.6 मिलियन एकड़ फीट की बात कर रहे हैं, हमने 35 साल में कितना इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलप किया है, मेरी अपनी जानकारी है, 5000 क्यूसेक का पानी लेने के लिए हमारे पास इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलपमेंट है। यह तो पिछले पांच साल में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। इस इन्फ्रा स्ट्रक्चर को बढ़ाया है। कि राजस्थान में पानी का उपयोग हो, इसकी चिन्ता कांग्रेस पार्टी को ज्यादा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होती, सत्ता करने का उनको मौका मिला है वह केवल भाषण दे सकते हैं भाषण के आधार पर चाहते हैं हम चिन्तित हैं राजस्थान के हितों के बारे में, राजस्थान में मुख्य मन्त्री कमजोर हैं मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोस्टेरिट इस बात को इवेल्यूएट करेगी, राष्ट्र की एकता का सवाल हो, प्रदेश को आगे बढ़ने का सवाल हो, पानी का उपयोग करने का सवाल हो, यह कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और नेताओं का कमिटमैन्ट है, हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 9.1 और 9.2 का इन्टरप्रिटेशन आप देखिये, 9.1 में क्या लिख रखा है, 1-7-1985 इस बाद लिख रखा है, कन्जम्पशन आफ वाटर, फिर क्वान्टम आफ यूजेज लिख रखा है। इन तीनों चीजों को साथ-साथ पढ़ें। हम तीनों चीजों को छोड़ चुके कि कन्जम्पशन आफ वाटर का क्या मतलब है, क्वान्टम आफ यूजेज का डिटरमिनेशन कैसे करेंगे। केवल मात्र इसलिये कि 9.1 में राजस्थान को इन्क्लूड कर दिया है इस लिये 9.2 को इन्टरप्रिटेशन इसके साथ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपने एप्रिहेंशन हो सकते हैं पर एक राष्ट्र चलाने वाला जो राष्ट्र का प्रधान मन्त्री है, जिसका कमिटमेंट है इस नेशन के प्रति, राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखना है, जिसका कमिटमेंट इस बात का है कि इस प्रदेश से जो 25 सांसद जीतकर गये है, वह प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हित को समझते है, इस राजस्थान की जनता ने उस नारे के आधार पर 25 सांसदों को जिताकर भेजा है, आपका एक भी नहीं भेजा है। इस प्रदेश को जनता का हित पार्टी के अध्यक्ष के नाते, देश के प्रधानमन्त्री होने के नाते, मैं समझता हूं, राजीव गांधी हमारे इन्ट्रेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा उनका कमिटमेंट ज्यादा है, केवल मात्र पोलिटिकल गेन करने के लिये इस बात को कहें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम जिम्मेदारी की पोस्ट पर होते हैं, माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे मुख्य मन्त्री की हैसियत से उन्होंने जो भाषण दिये हैं, मुख्य मन्त्री की हैसियत से जो उन्होंने कमिटमेंट किये हैं कि इन्टर वाटर डिस्प्यूट माननीय भैरोंसिंह जी के अच्छे सम्बन्ध थे प्रकाश सिंह जी बादल से, अकालियों से बड़े मधुर संबंध थे इनके; इन्टर वाटर डिस्प्यूट में आपका इतना इन्ट्रेस्ट था, नाथपा झाकड़ी में इतना इन्ट्रेस्ट था, सतलज और रावी व्यास के

(204)

(श्री सी. पी. जोशी)

पानी में इतना इन्ट्रेस्ट था, जब आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे तो समस्या का निदान कर देते लेकिन मुख्य मंत्री की हैसियत से आप भी जानते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी स्वयं जानते हैं कि उस समय जनता पार्टी का राज था, मोरारजी देसाई भारत के प्रधान मन्त्री थे, भैरोंसिंह जी राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे, पंजाब में अकाली दल के मुख्य मंत्री थे उस समय इन्टर वाटर डिस्प्यूट नजर नहीं आया। इसलिये नहीं आया कि जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठने के बाद स्टेट के इन्ट्रेस्ट क्या होते हैं, नेशन के इन्ट्रेस्ट क्या होते हैं, वह खुद इस बात को जानते है। जब हम जिम्मेदारी की पोस्ट पर नहीं हों तो हम बड़ी अच्छी तरह से भाषण दे सकते हैं। शेपत सिंह जी भाषण देते हैं, इनको राज तो करना ही नहीं है, भाषण देने हैं इनको। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं इस बात को, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी चिंता राजस्थान के पानी के बारे में है कि हमारा 1955 का एग्रीमेंट है जो हमारा 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है उतना पानी राजस्थान को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इसके लिये जद्दोजहद करेगी। हमें इसकी भी चिन्ता है लेकिन पालिटिकल इन्ट्रेस्ट के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र सदन के अन्दर यह बताना चाहें, केवल मात्र हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लोकदल पार्टी, पानी के लिये चिन्तित हैं, हम और हमारे जितने आदमी कांग्रेस पार्टी में हैं, हमारा मुख्य मंत्री में विश्वास है, हमारा प्रधान मन्त्री में विश्वास है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हमारा हित हमारे पानी के मामले में हमारी पार्टी और हमारे मुख्य मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री ने निर्णय किया वह राष्ट्र हित में निर्णय और राष्ट्र हित में देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिये किया गया है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमको चिन्ता और एप्रिहेंशन नहीं करने चाहिये। राष्ट्र एक रहेगा, राष्ट्र की अखण्डता रहेगी तो हम और आप बैठकर राजस्थान के स्टेट के हित की बात कर सकेंगे। देश एक नहीं रहे एक्सट्रीमिस्ट एक्टीविटीज बढ़ती रहीं, देश की एकता और अखण्डता खतरे में रहे और हम भाषण देते रहें कि प्रदेश का पानी का यह हो रहा है, मैं समझता हूं कि हम सही न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी पानी के बारे में चिन्ता माननीय सदस्यों की है उतनी चिंता हमारी भी है और हम चाहते हैं कि पानी के बारे में जितना ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी. पी. एम. ने तो फैसला किया राजीव गांधी ने अच्छा फैसला किया, और यह पता नहीं कौन सी. पी. एम. के आदमी हैं हल्ला कर रहे हैं। समझ में नहीं आता मुझे। पोलिट ब्यूरो, माननीय अध्यक्ष

(श्री सी. पी. जोशी)

महोदय आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि पंजाब की समस्या को निदान करने में कम्युनिस्ट पार्टी के मार्कसिस्ट के बहुत बड़े नेता का हाथ था, और यह पता नहीं कौनसी कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हैं, पोलिट ब्यूरो की बात नहीं मानते हैं, अपने नेता की बात नहीं मानते हैं। इनको पता नहीं, मैंने पहले भी कहा, इनके समझ में नहीं आ सकती यह बात। यह कम्युनिस्ट बनते हैं, कम्युनिस्ट नहीं हैं। इस हिन्दुस्तान के अन्दर राजीव गांधी के फैसले को सबने एडमिट किया है....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आप तो नाथद्वारा का प्रसाद खाओ और मजे करो। माथुर साहब वह हैं पूछो। यह 1955 की ट्रीटी को हाथ नहीं लगाने दिया जब जब ट्रीपार्टाइट फैसला हुआ।

(व्यवधान)

सुरजीत ने जो रोल अदा किया वह माथुर साहब को मालूम है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी उम्र कम है, मेरे से ज्यादा अनुभवी सदस्य यहां बैठे हुए हैं, जो मुख्य मंत्री की हैसियत से इन्टर वाटर डिस्प्यूट के बारे में उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है और माननीय नाथूराम जी मिर्धा यहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने 1955 की ट्रीटी में अपना इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले किया है। माननीय जोशी जी बैठे हुए हैं। इन सबका काफी अनुभव है लेकिन हमारा अनुभव इस बात को कहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 9.1 जो क्लाज है, राजस्थान स्टेट के इन्ट्रेस्ट किसी तरह से 9.2 से क्लैश नहीं करता। इसलिये मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी, इस पानी के मसले में राजस्थान को पानी का हक मिलना चाहिए। 1955 की जो ट्रीटी है ओपन नहीं होनी चाहिए, इसमें हम बिलकुल राजस्थान के हित के साथ हैं और हम कन्धे से कन्धा मिलाकर इस बात को कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। हम खाली एप्रीहैंशन के आधार पर सोचें, यह ठीक नहीं है। और माननीय राजीव गांधी जी ने जो निर्णय किया है वह एक बहुत बड़ा निर्णय है, एक अच्छा निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं और हम कहेंगे, इतिहास इस बात का रहेगा साक्षी कि राजस्थान के हित को, इन्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए देश की एकता और अखंडता करने के लिए जो निर्णय किया है वह अच्छा निर्णय है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां कही गई, एक प्रस्ताव हम लाना चाहते थे....

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, पहले सब पार्टियों की बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष : मैं दूंगा, मौका दे दूंगा। मैं दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं आपको।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मौके का प्रश्न नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बाद में कहें। जनता पार्टी को भी यहां अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरी पार्टियों को है। आपने कांग्रेस को मौका दिया.....

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं बाकी कोई लम्बा भाषण नहीं कर रहा हूं।

कल यह कहा गया था कि कोई यूनेनिमस प्रस्ताव लाया जाय। अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव में हम यह लिखना चाहते थे कि राजीव गांधी और सन्त लोंगोवाल ने मिलकर के जो देश को आतंकवादियों से और विघटनकारी शक्तियों से आक्रांत था और देश के विभाजन का एक खतरा पैदा हो गया था हम उस समझौते का स्वागत करते हैं। आपकी ओर से किन्हीं भाइयों ने इसका विरोध किया। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने इन टोटेलिटी इस बात का वह किया होता, समझने की कोशिश की होती कि देश के हित में था कि आतंकवादी शक्तियों से भयाक्रांत नहीं हो करके और लोंगोवाल निगोशिएटिंग टेबल पर आवें और आकर के निगोसिएशन के जरिये देश की समस्या का समाधान करें तो आपको उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी एक पार्टी हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : सन्त हरचंद सिंह लोंगोवाल एक पार्टी है, उनको यह कहें कि कि उन्होंने निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आ करके, चर्चा करके और एक बहुत बड़ा काम इस देश के अन्दर किया, इसमें मैं क्या बुरा कहना चाहता था। आप इस चीज को भी स्वीकार नहीं करें, निगोशिएटिंग टेबल, सारे देश की सारी पोलिटिकल पार्टीज चाहती थीं, एक भी पोलिटिकल पार्टी इस देश के अन्दर नहीं थी जो यह चाहती हो कि निगोसिएशन के जरिये हल होवे। इस चीज का मैंने कहा और आपने नहीं माना इसलिए कोई रिजोल्यूशन नहीं हो सका। इसका दोष मेरे ऊपर आप डालते हो, यह दोष आपके ऊपर है, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने की तो आवश्यकता नहीं समझता था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : पकड़ में आ गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी के साथ अब कोई चैम्बर में आपकी अनुपस्थिति में या उपस्थिति में बात करना, यह भी भविष्य के लिए उचित नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां उपस्थित थे। प्रश्न इस बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का आया कि इस समझौते से असहमति व्यक्त की जाय....

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है लेकिन यह ऊपर वाली बात भी आई तो थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले आप मत बोलो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बीच में आपने मुझे डाल दिया इसलिए कहा है। आपने मुझे बीच में डाल दिया इसलिये कहा है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 9-ए में जो राजस्थान का नाम शामिल किया गया है यह सदन उससे असहमति व्यक्त करता है, यह कहा था।

श्री अध्यक्ष : यह भी कहा था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा, 'असहमति' शब्द का प्रयोग न किया जाये और इसमें लिखा जाए 'अनावश्यक'। विवाद था 'अनावश्यक' का और असहमति' का। हमारी तरफ से यह कहा गया कि यदि 'असहमति' आप नहीं मानते तो उसको 'अनुचित' मान लो और, अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव हमारा नहीं था, यह श्रीमती कमला जी का सुझाव था कि इसको 'अनुचित' मान लो। और जब 'अनुचित' के ऊपर हम मजूर कर गये तो मुख्य मन्त्रीजी कहने लगे, 'अनुचित' भी नहीं मानते। फिर आया तीसरा शब्द कि 'अनुचित' के स्थान पर 'अनुपयुक्त' कर दिया जावे। 'इनएप्रोप्रियेट'। वह भी सरकारी पक्ष से सुझाव आया। उसको हमने स्वीकार किया तो मुख्य मन्त्रीजी कहने लगे कि यह भी नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मानते हो 'इनएप्रोप्रियेट'।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : देखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, झगड़ा ही खतम हो, आप कह दीजिये, 'इनएप्रोप्रियेट'।

श्री हरिदेव जोशी : सारी चीज टूटी इस बात के ऊपर कि आप जो पहले वाला पैराग्राफ था उसको अस्वीकार कर रहे थे कि यह होना ही नहीं चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : मैं यह कह रहा था कि कल हुआ सो हुआ। अगर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आज कुछ शब्द जो आप चाहो वह जोड़ लें और यह जोड़ ले और आज प्रस्ताव कर लें तो क्या तकलीफ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज कर लो। नहीं वही, मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि आपने ऊपर वाली बात नहीं मानी.....

(व्यवधान)

मेरी बात सुनो हरिदेव भाई, मुख्य मंत्री जी, मेरी....

(व्यवधान)

बात गौर कीजिए। आज थोड़े नाराज हैं।

श्री हरिदेव जोशी : नाथूरामजी साहब, हां मैं नाराज हूं। जिस प्रकार से मेरे साथ में व्यवहार किया जा रहा है कि मैं खड़ा होऊं बोलने के लिए और मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया जावे। मैं इसको उचित नहीं मानता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं इससे सहमत हूं। मुख्य मंत्री जी, मैं तो फिर भी सोचता था कि आप बहुत गहरे हैं, कोई आप पर असर नहीं होता, हम तो चाहे करें सो करें।

श्री हरिदेव जोशी : मनुष्य मैं भी हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : खैर, कोई बात नहीं। हो गई सो हो गई। मेरी बात तो आगे के लिए है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वह जिक्र आ गया कल की बात का। अब वह जिक्र आ गया, आपने कहा कि यह शब्द आप तारीफ वाले नहीं लिखने को तैयार थे। मेरे ख्याल से....

श्री हरिदेव जोशी : तो यह बात गलत है।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने तो बोला। मैंने बोला इनको, मैंने कहा, यह मनवा लेंगे। आप हिन्दुस्तान के हक में देश की दृष्टि से यह समझौता हुआ, अच्छा हुआ। मैं बोला और यह लिखने को तैयार थे हम। और मैं आपको फिर कह दूं कि अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। अभी भी अगर यह प्रस्ताव आप समझ जायं सारी स्थिति, आपने उस स्थिति को समझने के बाद में काफी अच्छी तरीके से अपनी बात....

श्री हरिदेव जोशी : अब तो मैं कन्विन्स हूं कि राजस्थान के हितों को कहीं कोई चोट पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए किसी रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब पोल निकल गई। समझौता नहीं करना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब आ गई बात ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप हरिदेव भाई सहाब, मेरी बात सुनिये । आप देखिये, प्रस्ताव में कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं । कि है कोई ? नुकसान हो तो बता दो । आज अगर प्रस्ताव हो जावे और कल लोग राजी खुशी बैठकर प्रस्ताव पास कर दें, ताली बजा कर कर दें, फालतू की बहस बंद हो जावे, बुरा क्या होगा ? सी. पी. जोशी ने जो बैकग्राउण्ड दी और जो उन्होंने कुछ अपनी बात कही, मैं सोचता हूं कि उनकी भावनाओं से सब लोग सहमत हैं । अगर भावनाओं से सहमत है तो एक टैक्नीकल मिस्टेक कल हो गई उसको आज अगर आप सुधार लें और राजस्थान का बढ़िया वातावरण रहे, प्रथम मंत्रीजी के हाथ मजबूत हों, देश में सुन्दरता बढे तो आपको क्या कष्ट हो रहा है । आप जरा और विचार करो ठण्डाई से । इसमें कोई बुराई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना ।

आप बोल रहे हैं ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक पोइन्ट कहना चाहता हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह शब्द कहे कि राजस्थान के हितों को कोई आघात नहीं होगा । अध्यक्ष जी, हमारा यह मतलब था कि इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी जोड़ दें, जो हमारा रिवर्स वाटर में जो शेयर है, 1955, फिफ्टी फाइव में जो बेसिक एग्रीमेंट है और जिसको री-इट्रेट किया, 1981 में, वह जो हित है - वह सुरक्षित रहेंगे, हम इतने लफ्ज जोड़ना चाहते हैं और कोई जोड़ना नहीं है । हित कौनसे, कौनसे शेयर, कौन से हित, 1-7-85 के या 1955 को आप बताइये, हाउस के सामने है, यह सवाल । यह सारे हाउस के सामने सवाल है । माननीय अध्यक्ष जी, जब कल हमने माननीय जोशीजी को देखा, मैं सन् 45 से जानता हूं, कल मैंने कुछ उनमें हिम्मत देखी, जब आज बोल रहे थे, मैंने देखा, बिलकुल हिम्मत है ही नहीं । ईमानदारी की बात कीजिये आप । अगर कोई पर्सनल सवाल होता तो हम आपकी बात मान लेते । परन्तु हमें भी लोगों ने जिम्मेदारी देकर यहां भेजा है और हमारा अपना अपना कैरियर है किसी का 35 साल का, 40 साल का, 50 साल का कैरियर है कुछ जिम्मेदारी लेकर आए हैं, हमारी कुछ एकांउन्टेबिलिटी है पब्लिक के साथ और राजस्थान के लोग बोनाफाइड इन्ट्रेस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं, वह छोड़ नहीं सकते । इसलिए मेहरबानी करके इतना ही शब्द जोड़ दीजिए आप कि राजस्थान का हित कौन सा ? जो 55 में हमारा असाइन किया गया है हिस्सा जिसको रिइट्रेट किया 81, 31 दिसम्बर में वह हित हमारे सुरक्षित रहेंगे । हम राजी और आप भी राजी, कोई झगड़ा नहीं । अब इस बात पर आपका यह कहना कि राजस्थान, हिन्दुस्तान में भी हवा बनी, एक क्लाईमेट पैदा हुई । इस समझौते के बाद, टैरेरिज्म समाप्त होगा, पंजाब का जो

(श्री केदारनाथ)

मसला तय हुआ। यह शब्द जोड़ने से सारा डिसरप्शन हो जाएगा, यह मैं नहीं समझ पाया, मुझे लोजिक नहीं समझ आई। डिसरप्शन कहां होता है। और 1-7-85, अध्यक्ष जी, कल तो और समझ रहे थे, आज जब हमने रात को सोचा इस बात को, पहले तो हम समझते थे इर्रेलेवेंट है यह, अब तो यह मिसचीवियस है। मिसचीवियस ही नहीं, यह हमारे लिए सुसाइडल है। मिसचीवियस है, जिन लोगों ने यह ड्राफ्ट किया है यह माननीय राजीव जी का ड्राफ्ट नहीं है, जो आफिसियलस बैठे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में वहां पर जो लाबी क्रियेट की हुई है पंजाब के हक में, हिमाचल प्रदेश के वह लाबी का काम है। मुझे अफसोस है, हमारे 25 एम पीज थे, मुझे अफसोस है, हमारे चार मंत्री थे केबीनेट में, मुझे अफसोस है स्पीकर जो वहां पर बैठे हैं वे पढ़ते ही नहीं 55 के एग्रीमेंट को किसी ने पढ़ा ही नहीं, 81 का एग्रीमेंट किसी ने पढ़ा ही नहीं। बड़ा अफसोस है, हमारी कोई लोबी नहीं है। दिल्ली के सैक्रेटेरियट में हमारी कोई लॉबी नाम की चीज नहीं है। आपकी जो उपलब्धि है, 37 साल की उपलब्धि यह है कि वहां कोई आदमी नहीं है आपके कोई हमदर्द, आपकी पैरवी करने वाला कोई आदमी नहीं है। तो, अध्यक्ष जी, राजस्थान ने हिन्दुस्तान के पोलिटिकल मैप पर अपनी एक पर्सनलिटी की छाप कायम की हुई है। एक अपनी इंडिविजुअलिटी की छाप कायम की हुई है। माननीय जोशी जी, इस समझौते के साथ हमेशा के लिए यह स्टेटमेंट हो जाता है। हिन्दुस्तान के मैप में हमारा जो नाम है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर यह आप चाहते हो उपलब्धि करना, मैं समझता हूं कि फैडरल स्ट्रक्चर में ओटोनोमी समाप्त हो जाय, कोई बात नहीं, राजस्थान का अपनी कमाई का, अपनी ब्रेवरी प्रिवेलेन्सी से, अपनी कल्चरल हेरिटेज से जो नाम हासिल किया हिन्दुस्तान के नक्शे पर, वह कम से कम आप साफ कर दोगे, उसको साफ आप तो कर दोगे, लिक्वीडिशन आप तो कर सकते हो पर हम लोग उस लिक्वीडिशन में शामिल नहीं हैं। इसलिए इस समझौते में पंजाब ने जो उसकी हमेशा मिसचिवियस डिजाइन रही है हमारे खिलाफ, 55 में, जब भी समझौता हुआ, उसकी आंख इस बात पर रही है कि यह हैड वर्क्स का सारा एक्सक्लूजिव कन्ट्रोल हमारे पास रहे, पानी को हम बांटें वहां पर। वह उसके हाथ में रह गया। पानी का एग्रीमेंट उसने री-ओपन कर दिया। अब ट्रिब्यूनल में माननीय जोशी जी, कौन जाने देगा आपको? यह मेमोरेण्डम आफ सैटलमेंट है। यह कोई आपस में बातचीत होती लोंगोवालजी और राजीवजी में तो हम मान लेते। यह मेमोरेंडम आफ सैटलमेंट है। कौन जाने देगा आपको? अगर यह भी हम सोचते, अगर क्वाण्टम आफ यूजेज के बारे में, शेयर के बारे में स्टेट्स में झगड़ा हो गया तो रेफरेंस सेन्टर को कर दो तो भी हम आपकी बात मान लेते। माननीय राजीव जी ने भाषण दिये, कल दिये कि परसों, इस भाषण में मान लेते, वह हमारा प्रधान मंत्री है हितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। पूरा ध्यान दिया जाएगा। लफ्ज यही है 'पूरा ध्यान'। मैंने जो पढ़ा है उसमें लफ्ज यह है, "पूरी अटेंशन दी जाएगी।" अगर मेमोरेंडम आफ सैटलमेंट नहीं होता, यह मेमोरेंडम आफ सैटल-

(श्री केदारनाथ)

मेंट है, कौन रेफरेंस करने देगा आपको ? कौनसे लेजिटिमेट अधिकार हैं आज ? लीगली आपके पास कौन सा आधार है कि आप वहां पर रेफरेंस करोगे। रेफरेंस के आपके दरवाजे बन्द हो गए। इसलिए मेहरबानी करके सोचिये इस बात को, माननीय जोशी जी हमारी तरफ से कोई जिद्द नहीं। कोई जिद्द नहीं है। हमने तो जो आपने कहा मान लिया, 'असहमति लफ्ज' इन एप्रोप्रियेट शब्द पर हम आ गये। अब तो यह कहते हैं कि आप जो बोले हो उसमें यह लफ्ज जोड़ दो कि जो हमारा शेयर 55 में है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया है 8। में वह शेयर हमारा इन्टेक्ट रहेगा, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं।

(7.00 सायं)

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कल एग्रीमेंट हमने पढ़ा, वास्तव में यह एग्रीमेंट अकाली पार्टी का ड्राफ्ट किया हुआ एग्रीमेंट है। अकाली पार्टी का एग्रीमेंट किया हुआ आपने साइन किया। अगर कोई सरकार का एग्रीमेंट होता,.... ...

(व्यवधान)

यह ड्राफ्ट अकाली पार्टी का किया हुआ है, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी सरकार का और सरकार के अधिकारियों का ड्राफ्ट किया होता तो आपसे पूछते, आपसे बात करते कि भाई यह शब्द, यह क्लाज, जो 9 में हम दे रहे हैं वह देवें कि नहीं देवें। अगर सरकार का यह एग्रीमेंट होता। यह इसलिये मैं कह रहा हूं, न केन्द्र सरकार का ड्राफ्ट किया हुआ है, न आपके किसी मंत्री, जो केन्द्र में बैठे हुए हैं, से सलाह ली गई है, न आपकी सलाह लेने की जरूरत समझी। जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, क्या पता क्या अंधेरी आ गई उनकी आंखों में, वह तो कहते थे अभी हो जाय, इसी वक्त हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाता हूं, राजस्थान के अन्दर हमारे भाखरा क्षेत्र के अन्दर 2.25 हमको पानी मिलता है परन्तु- उजेण्ड क्यूसेक भाखरा में सबसे कम पानी मिलता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : भाखरा की नहरों में कम पानी मिलता है। हमारी सरकार ने लिंक चैनल बनायी है उसमें पानी लेने के लिये। क्या आप उससे पानी ले सकते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ? उस चैनल में पानी ले नहीं सकते, राजस्थान कैनाल का पानी। क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट किया, 55 के बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, 1955 में या कुछ इसके नजदीक उस वक्त एग्रीमेंट में हमने एक गलती कर दी कि राजस्थान कैनाल का पानी भाखरा की नहरों में जितना लेंगे

(श्री शोपत सिंह)

जिस एरिया के अन्दर उतना ही आपका पानी काट दिया जायेगा। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप भांखरा में पानी नहीं ले सकते, दो बूंद पानी नहीं ले सकते। आपने लिंक चैनल लिया। अब जो आपने खतरनाक लैंग्वेज लिखी है, अभी जोशीजी बोल रहे थे जिन्होंने श्रीनाथजी का प्रसाद खाया हो उनको क्या पता। वह बात करते हैं, वह ट्रीटी की बात करते हैं, एग्रीमेंट की बात करते हैं, देश की भावनाओं की बात कहते हैं और कहते हैं सी पी एम की लाइन यह है। सी पी एम की लाइन थी और सी पी एम के लीडर की लाइन थी। पंजाब का मसला था, पंजाब का जो प्रतिनिधि था कामरेड सुरजीत, पंजाब से पार्लियामेंट के मेम्बर थे, माथुर साहब भी थे उस एग्रीमेंट के अन्दर जब तीन पार्टियों का फैसला हुआ। कितना पार्ट प्ले किया? सुरजीत ने यह कहा, अकालियों को इस बात के लिये रजामन्द किया कि 55 के सवाल को मत भूलिये आप, यह भी एग्रीमेंट आपका है। सदन में बैठे हैं माथुर साहब। अभी कोई महाशय, संत आ गये × × × वह नाथद्वारा से माल खाते खाते आ गये और असेम्बली में पहुंच गये और अब हमको पाठ पढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। रेलेवेन्ट बात करो आप।

श्री शोपत सिंह : हमको देश की एकता की बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : आपको बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिस सुरजीत ने पंजाब में रहते हुए अकालियों का विरोध किया और उनको रजामन्द किया कि 55 के सवाल को ओपन मत कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिये कह रहा था जो खतरनाक बात थी, कल भी मैंने कहा था और आज भी मैंने कहा, यह एक जुलाई कहां से आ गई? इसको आपने क्यों रखा? माननीय मुख्य मन्त्रीजी गये होंगे, प्रधान मन्त्रीजी से बात की होगी। आपने कहा कि हमारे प्रधान मन्त्री हमारे हितों की सुरक्षा करेंगे। अजी मान ली बात। अब तक आप हमारे मुख्य मन्त्री हैं, जब तक हमारे देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी हैं तब तक तो आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे मगर यह गारन्टी ले ली क्या आपने कि सारी उम्र तक राजस्थान के हितों की रक्षा करेंगे, हजार साल आप जीयेंगे, यह कोई गारन्टी नहीं है जनता बहुत महान् है....

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : आपने भी नहीं ली।

श्री शोपत सिंह : जनता बहुत महान् है, कोई पता नहीं। यही बात कही थी माथुर साहब ने, इस सदन में कहा थी, 31 दिसम्बर, 81 के....

(व्यवधान)

आप थोड़ा चुप रहिये।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : 31 दिसम्बर, 81 के फैसले के बारे में इसी राजस्थान की असेम्बली में माथुर सहाब ने कहा था कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे हितों की रक्षा करेंगी। अभी नहीं रहीं। न माथुर साहब रहे, न हमारे देश की प्रधान मंत्री रहीं।

श्रीमती हमीदा बेगम : माथुर साहब बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : इसलिये आप मुख्य मन्त्री....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : अब माथुर साहब मुख्य मन्त्री नहीं रहे, न हमारे देश की प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी रहीं। तो मेहरबानी करके यह राजस्थान, यह देश आपकी कोई जागीर नहीं है। इसमें बदलते रहते हैं, प्रजातन्त्र है। आज हमारे देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी हैं, पांच साल बाद हो सकता है कोई दूसरा हो। आप आज हमारे मुख्य मन्त्री हैं, कल चले जा सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं। इसलिए आप यहां पर यह कहते हैं कि हमको यह कहा कि हमारे हितों की रक्षा करेगा हमारा देश का प्रधान मन्त्री, तो यह गारंटी नहीं है, यह जागीर नहीं है आपकी। प्रजातन्त्र है बदलते रहते हैं लोग। मगर यह एग्रीमेंट कायम रहेगा। आपने जो गुनाह किया है, आपका यह गुनाह का एग्रीमेंट, कत्ल का एग्रीमेंट आपके इलाके के, राजस्थान के लोगों का तो कायम रहेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइये मुझे कोई भी। आप दिल्ली जाकर आये हैं, यह एक जुलाई क्यों डाली गई है? एक जुलाई से कम पानी नहीं देंगे। आप गये थे, मैंने कल बात कही थी, इतना तो अमेण्डमेंट करवा लेते आप, माननीय राजीव गांधी जी, आप फैसला 24 तारीख का करते हो तो उसके अन्दर 24 तारीख ही दी जानी चाहिये थी कि जितना 24 तारीख को पानी हमको, राजस्थान को मिल रहा है उतना मिलेगा तो समझ में आ जाती बात।

मगर मैं जानता हूं अकालीज को, अकालीज ने वही तारीख देखी जिस दिन हमारी नहरें बंद थीं, अपनी नहरें सूखी थीं। इससे कम और पानी क्या देंगे हमको आप? जब नहरें जिस दिन सूखी हैं उससे कितना पानी कम देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के लोग एफेक्टेड होंगे, उनके हितों का बहुत बड़ा कुठाराघात करके आये हैं, बहुत बड़ी कमजोरी दिखाई है हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने थोड़ी सी भी जरूरत नहीं समझी इन्होंने। बात करते हैं देश की एकता को। देश की एकता इस तरह नहीं रहती है। तानाशाही से देश की रक्षा नहीं होगी। अगर कोई डेमोक्रेसी की बात होती तो प्रधान मन्त्री को उस प्रदेश के मुख्य मन्त्री को पहले बुलाना चाहिये था, कान्फिडेंस में लेना चाहिये था, हम यह एग्रीमेंट कर रहे हैं।

(214)

एक माननीय सदस्य : बुलाया था।

श्री शोपत सिंह : कहां बुलाया ? हवाई जहाज के अड्डे पर बुलाया जैसे कोई हमला बोलने जा रहे हों आप किसी देश पर। किस तरह से बुलाया, XXX ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता लड़ेगी। इसका खामियाजा राजस्थान के सारे लोगों को भुगतना होगा। हमारे मुख्य मन्त्री जी और देश के प्रधान मन्त्री की भूल का असर हम पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बुरा असर राजस्थान की जनता पर पड़ेगा, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है। आप बोलना चाहती हैं ? श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने आज भी और कल भी, कल अपने इस भरोसे के साथ में कि राजस्थान का अहित माननीय प्रधान मन्त्री जी के हाथो से नहीं हो सकता है और आज बात करने के बाद पूर्ण भरोसे के साथ में सदन के सामने जो विचार प्रकट किया है कि राजस्थान के नदी पानी के बंटवारे का हिस्से का एक बूंद भी पानी कतई तौर पर टच नहीं किया जा सकेगा और हमको पूरा पानी जो मुहायदों के साथ में मिलना पूर्व में निर्धारित है, वह जरूर मिलेगा। और माननीय प्रधान मन्त्री जी ने भी इस बात को जो स्टेटमेंट दिया है, अखबारों में आया है उसको मानने के दो तीन कारण मैं अपनी दृष्टि से समझती हूं। जो 9.1 के अन्दर सबसे ज्यादा हम लोगों की दृष्टि में दुखदायी है कि 1–7–85 का उल्लेख करना हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक मानते हैं। इसमें यह लिखा है कि 1–7–85 को जो पानी मिल रहा है उससे कम कतई नहीं मिलेगा, उससे अधिक कितना भी मिल सकता है, इसके अन्दर कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर यह भाषा होती तो समझ में आता था कि हमारा बिल्कुल गला बांध दिया गया। लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा, इसका मतलब, ज्यादा किसी भी हद तक हमको दिया जा सकता है। इसलिए हम वें बहुत बडा सेविंग क्लाज है, इससे कम नहीं मिलेगा।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा और पंजाब को ही उनके जो सरप्लस वाटर का डिस्प्यूट है उसको सैटल करने के लिये रखा है, इसका मतलब यह है कि राजस्थान के पानी का कोई डिस्प्यूट नहीं है और राजस्थान के 1955 और 1981 के जो एग्रीमेंट हैं उनको कहीं पर भी भारत सरकार को छेड़ने के लिये तैयार नहीं थी, इसलिये इसमें राजस्थान को इन्क्लूड नहीं किया गया है वरना अगर इन्क्लूड करते, इसका मतलब राजस्थान की ट्रीटीज और एग्रीमेंट को भी री-ओपन करके चर्चा का मुद्दा बन सकता था। इसलिये अपने आप में यह बहुत बड़ा आधार है और बहुत बडा फारमिडेबल आधार है कि उन दोनों के लिये अपने सरप्लस हिस्से का जो डिस्प्यूट है उसी पर चर्चा होगी, राजस्थान को इसमें कतई नहीं छेड़ा गया।

तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अच्छी तरह से समझती हूं और

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्रीमती कमला)

माननीय सदस्यगण भी इस बात को मानेंगे कि जिस 1955 की ट्रीटी के तहत में या इन्डो पाक की ट्रीटी के तहत में राजस्थान के सारे रेगिस्तानी भू भाग का बहुत डिटेल में रेफरेंस देकर, उसको मूल आधार बनाकर कि इस इंडस का पानी आखिर जब कहां होगा, यूटिलाइज कहां होगा, यह राजस्थान के रेगिस्तान में ही यूटिलाइज किया जा सकेगा और हमारे इन्जिनियर्स ने इसको योजना बना करके दी कि इस तरह से हम इसको युटिलाइट करेंगे इसलिये इतना हिस्सा हिन्दुस्तान को मिलना चाहिये और इसी के आधार पर हमको, राजस्थान को सबसे ज्यादा हिस्सा तैनात किया गया और आज उसके बाद में इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान कैनाल का इरिगेशन सिस्टम का क्रिएट किया गया है वह सारा कितना बड़ा है और कितना उसके आगे तक की योजना है, यह सब कोई भी सरकार जो जिम्मेदार सरकार है इस बात को कभी भी अपने दिमाग से, मन से, दृष्टि से ओझल नहीं कर सकती कि जिसकी बैक ग्राउण्ड ही राजस्थान पर आधारित है और जिसके आधार पर इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जिसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार का वर्षों से करोड़ों अरबों रुपया लगा है उसको हम क्या सूखी नहर के तौर पर चलायेंगे। यह एक तीसरा मुद्दा है जिसके आधार पर हमको भरोसा जमता है कि भारत की सरकार, माननीय प्रधान मन्त्री जी राजस्थान के हितों को कतई आंच नहीं आने देंगे और मुहावरों के मुताबिक जो हमारा पानी है उसका एक एक बूंद पानी हमको मिलेगा, इस पर भरोसा करने में कहीं पर शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचंद सुराना।

श्री मानिकचंद सुराना : अध्यक्ष महोदय जिस महत्वपूर्ण सवाल पर यह सदन चर्चा कर रहा है उस सवाल के राजनीतिक पहलू हैं और इस सवाल के बहुत महत्वपूर्ण कानूनी पहलू हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कुछ कह रहे हैं और उनके बयान को भी इन्दिरा गांधी नहर सिचाई मन्त्रीजी ने भी एड कर दिया, इस स्पष्टीकरण के एक-एक शब्द को मैं मान लूं। पर, अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस एग्रीमेंट को पढ़ता हूं, 9.1 और 9.2 को तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके स्पष्टीकरण और आपकी जो अच्छी भावना है, जो गुड विशेज हैं राजस्थान के लिये कि हमारे हितों पर आंच नहीं आयेगी, मैं मानता हूं कि यही आपकी सही भावना है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस देश में सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा, उस ट्रिब्युनल के सामने कोई भावना नहीं होगी, टर्म्स आफ रेफरेंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जज टर्म्स आफ रेफरेंस की बारीकियों में जाता है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि 9.1 का सिर्फ इतना ही मतलब हो कि 1.7.85 को जितना पानी मिलेगा उससे कम नहीं मिलेगा और अधिक कितना भी मिल सकता है मैं कहना चाहता हूं कि यदि यही मंशा थी कि अधिक कितना भी मिल सकता है तो माननीय इन्दिरा गांधी नहर सिचाई मन्त्री और अभी माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कहा मैं यह लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं 9.1 की, जहां लिखा है कि पानी

(216)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

कम नहीं मिलेगा उसके बाद में लिखा है :–

"Waters used for consumptive purposes will also remain unaffected."

कंजम्पटिव पर्पजेज के लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या है कंजम्पटिव पर्पज, अध्यक्ष महोदय, कंजम्पटिव पर्पज यह है पीने का पानी, नहर जो बन रही है, निर्माण हो रहा है उसके यूज का पानी, वह अप्रभावित रहेगा क्यों? क्योंकि उसके बाद में नीचे कहा है :–

"The quantum of usage claimed be verified by a Tribunal referred te in para 9.2".

इसको कौन देखेगा ? वह ट्रिब्यूनल, जो बनाया गया है। वह ट्रिब्यूनल इस बात को वेरिफाई करेगा कि हम कितना पानी ले रहे हैं। उस क्वांटम को वेरिफाई करेगा कि हम कितना पानी कजप्टिव पर्पज के लिए ले रहे हैं। इसलिये मेरा यह निश्चित रूप से, मैं अपनी ही बात कहता हूं, मैं यह नहीं कहता कि मैं जो व्याख्या कर रहा हूं वह शत प्रतिशत सही है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी व्याख्या गलत साबित हो। लेकिन मैं कोशन करना चाहता हूं कि यह जो वेरीफिकेशन करना है किसलिए, किस नियत से, इस नियत से कि इससे अधिक पानी नहीं मिलेगा जितना एक जुलाई को आपने लिया और कंजम्पटिव पर्पजेज के लिए इतना यूज किया एक जुलाई 85 को उससे अधिक पानी आपको नहीं मिलेगा और ट्रिब्यूनल उसको वेरीफाई करेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 9.2 कहता है–

"The claims of Punjab and Haryana regarding the shares in their remaining waters will be referred for adjudication."

बाकी बचे पानी में हरियाणा और पंजाब का विवाद है। अध्यक्ष महोदय, their share की बात है, their share किसका ? मैं कहना चाहता हूं कि their share से यदि भारत सरकार की इंटेशन आप समझ रहे हैं their share से मतलब शेयर 52.6 जो हमारा हिस्सा है उसको छोड़ कर है तो फिर आपको यह कहने में क्या हिचक है कि राजस्थान की विधान सभा 55 और 81 के मुहायदों को बिल्कुल इसमें एक इंच भी कटौती को बरदाश्त नहीं करेंगे और इस बात को आज भी रिपीट कर देना चाहते हैं। जब आप समझते हैं कि their share का यही मतलब है, तो क्या कारण है कि आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहते हैं ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, मैं तो चाहता हूं कि इनकी व्याख्या सही निकले लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वार हो चुका है, हमला हो चुका है, 55 के एग्रीमेंट को निरस्त करने की सारी प्रक्रियायें भारत सरकार अपना चुकी है और 55 के एग्रीमेंट को, राजस्थान के हकों को बलिदान करने की पूरी तैयारी

(श्री मानिकचन्द सुराना)

भारत सरकार की है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो हिस्सा है उस हिस्से को स्पष्ट रूप से लिखने में क्या बुराई थी कि राजस्थान का हिस्सा अनग्रफेक्टेड रहेगा एक लाइन लिखना काफी था कि राजस्थान का हिस्सा इस एग्रीमेंट से प्रभावित होता रहेगा, मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं है। प्रधान मंत्रीजी की यही भावना होगी राजस्थान के हित के लिए आखिर उनकी मां का नाम जुड़ा है इन्दिरा गांधी नहर, जिससे कि जैसलमेर में, जोधपुर के जर्रे जर्रे में और गांव गांव में हम पानी ले जाना चाहते हैं, वह शायद न भी चाहते हों कि इसमें राजस्थान के पानी की कटौती हो लेकिन ट्रिब्यूनल और जज सुप्रीम कोर्ट का उनकी भावनाओं से ही नहीं चलेगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा को, अध्यक्ष महोदय, को और इस सरकार को जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन शब्दों का उपयोग कर लिया मुहावदों में जो पानी मिला और नदी विवाद समझौतों में जो हमारा हिस्सा है पानी का उसमें कोई कमी नहीं आयेगी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को अगर-मगर क्यों रखना चाहते हैं।

यदि अकाली दल हमारे प्रस्ताव से नाराज़ हो तो हो, एक बार नहीं सौ बार नाराज हो, क्योंकि इस बात से हमको बिल्कुल कैटेगोरिकल होना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, we have to be very categorical, इतना कैटेगोरिकल और इतना स्पष्ट कि अगले को यह कहने का मौका न हो कि हमने एक जुलाई का कहा तो आप तो बोले ही नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह विवाद 9.1 और 9.2 का है। सवाल यह है 9.1 और 9.2 में आप जो व्याख्या दे रहे हैं मैं तो चाहता हूं कि इस व्याख्या को मान लें परन्तु फिर आपको क्या एतराज है कि आप यह कहें कि 55 का एग्रीमेंट और उसके बाद जो भी 81 में रिस्टेट हुआ और रिस्टेट के साथ उसमें जो हमारा बहुत जबरदस्त नुकसान हो गया, उसकी चर्चा कहां हुई, उसको भी मैं नहीं लाना चाह रहा उसको जो रिस्टेट किया उसके अनुसार आज भी हम कैटेगोरिकली इसको रीएसर्ट करें और रिस्टेट करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सवाल जो है वह और महत्वपूर्ण है, और सवाल यह है कि राजस्थान कैनाल स्टेज टू जो हम बना चुके मोहनगढ़ तक यानि पानी नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय, एक-जुलाई तक हो मिला, हम क्या करेंगे उस नहर का, हम वितरिकायें कहां से बनायेंगे और लिफ्ट में पानी यदि ले भी गए क्योंकि लिफ्ट से पानी को छोड़ा जायेगा, ले जाना और जरूरी है, आवश्यक है, तो फ्लो में भी ले जाना है, तो इसलिए पानी जब पूरा मिलेगा 55 के समझौते के अनुसार तभी हम ले जा पायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई कैटेगोरिकल होने में बहुत आवश्यक है कि हम कैटेगोरिकल हो जायं, बहुत आवश्यक है कि हमें स्पष्ट हो जाय। और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और यह बहुत स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय, किसकी सरकार वहां बनेगी। आखिर हम लोग राजनीति के लोग हैं ऐसा नहीं कि सोच नहीं सकते कि पंजाब में किसकी सरकार बनने वाली है।

हैड वर्क्स पर कन्ट्रोल की बात अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब मुख्य

(श्री मानिकचंद सुराना)

मंत्री जी भैरोंसिह जी थे, हैड वर्क्स पर राजस्थान में बराबर उसका जोइन्ट कन्ट्रोल हो इस बात के लिए माननीय तत्कालीन प्रधान मन्त्री के सामने सवाल उठाया गया, पंजाब के मुख्य मंत्री तक को बुलाया गया, यह तो वह सरकार नहीं चली अन्यथा स्टेट्स रिम्रार्गनाइजेशन एक्ट के अन्दर जोइन्ट कन्ट्रोल का प्रावधान है। और मैं पूछना चाहता हूं उसके बाद के मुख्य मंत्रियों से, बैठे हैं, जगन्नाथ जी पहाड़िया बैठे हैं, शिवचरण जी माथुर, और आज आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, आपने पिछले 1980 से लगातार आज तक राजस्थान की सरकार ने स्टेट रिम्रार्गनाइजेशन एक्ट के तहत जोइन्ट कन्ट्रोल करने के क्या आपने प्रयत्न किये, और क्या ठोस कदम आपने आज तक उठाये ?

मैं कहना चाहता हूं कि अकाली दल की ही सरकार बनेगी और आज की स्थिति जो है, जो स्थिति बिल्कुल गैर-कानूनी है पंजाब सरकार को अकेले उसका कन्ट्रोल रखने का कोई अधिकार नहीं है। स्टेट रिम्रार्गनाइजेशन एक्ट के तहत मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री की कोई भी राजनीतिक मजबूरी होगी लेकिन राज्य सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के यदि दरवाजे हमको खटखटाने पड़ते हैं हैड वर्क्स के कन्ट्रोल के लिए हमको सुप्रिम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए। इन्टर स्टेट डिस्प्युट तो सिर्फ सुप्रिम कोर्ट तय करता है इसलिए कोई पाबन्दी नहीं है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि 9.1 और 9.2 यह राज्य सरकार जरा सुने, यह यूनीलेटरल एक्ट है उनका, भारत सरकार का और अकालियों का, हम उससे पाबंद भी नहीं हैं। यह यूनीलेटरल एक्ट है भारत सरकार के प्रधान मन्त्री का कोई यूनीलेटरल एक्ट सन् 55 की स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता। उसमें हमारे जो अधिकार हैं राजस्थान के वह अधिकार हमारे लिए सुरक्षित हैं जब तक हमारे मुख्य मन्त्री जी के उस समझौते पर दस्तखत नहीं हैं हम उससे बिल्कुल कतई पाबंद नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए जोइन्ट कन्ट्रोल के लिए सरकार बहुत फौरी कदम तत्काल उठायें। और कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इस विधान सभा का 55 और 81 के द्वारा जो एग्रीमेन्ट्स थे जल विवाद के उनको रिइट्रेट किया जाय और बिना किसी अगर मगर के उसको रिइट्रेट यह राज्य सरकार, यह विधान सभा करे, यह मैं अध्यक्ष महोदय, मांग करता हूं और इस प्रस्ताव के मार्फत इस सदन के प्रस्ताव को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश। आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, कोई वजह नहीं है कि उनकी बात....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप मे। रिपीट नहीं करें।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, नहीं; रिपीट करने का सवाल ही नहीं साहब, मैं कल से एक जानकारी देने के लिए खड़ा होना चाहता हूं लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बोले हैं, बीच में।

श्री मोहन प्रकाश : कोई वजह नहीं है कि उनकी बात का विश्वास न किया जाये लेकिन मैं एक शंका जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : शंका मेरे मन में है, और बहुत ज्यादा गहराई में न जाकर, ये दिल्ली से होकर आये हैं, कल पूरा सदन इस बात के लिए चिन्तित था। आप जरा देखिये क्लाज 9.1 और 9.2 के बारे में तो वह कौन सी वजह है, निर्गुण बात नहीं होनी चाहिए, सगुण बातें हों कि कौन सी वजह थी जिस वजह के चलते राजस्थान का नाम शब्द उसमें उल्लेख किया था और वे कौन से सगुण कार्यक्रम या सगुण नीति है जिसके तहत हमको यह आश्वासन मिले कि राजस्थान के हितों का कुठाराघात नहीं होगा। यह बात मैं, अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में कह रहा हूं कि 24 मार्च, 1984 को मैं स्वर्ण मन्दिर के अन्दर गया; और उस समय भिंडरावाले और लोंगोवाल समुद्री हाल के अन्दर लोंगोवाल की पूरी जो समिति थी उसके साथ जो मेरी बात हुई है, वह टेप है मेरे पास, अध्यक्ष महोदय; दो दिन के समय के अन्दर मैं धौलपुर से लाकर आपके कमरे में सुना सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा है, जब हमने यह कहा कि राजस्थान से मेरा रिश्ता है और आप जब राजस्थान के मामले को उठाते हैं, जातीय प्रदेश को तो आप उचित नहीं करते। उसमें साफ लोंगोवाल ने कहा है कि राजस्थान से हमारा कोई टकराव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एकता की बात हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जी के बारे में बात हुई है, लोंगोवाल की जुबान से मेरे पास टेप है, जिसमें कहा गया है कि सन् 78–79 में जब यह सवाल आया तो हमने खुद प्रधान मंत्री से कहा कि पानी के विवाद को सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाये, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल, पंजाब की समस्या इसलिए खड़ी हुई कि 80 में इन्दिरा गांधी जब वापस आयीं तो उन्होंने तीनों राज्यों के मुख्य मंत्री को बुला कर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसको वापस लिया और जो दिसम्बर एकार्ड के नाम से जाना जाता है यह काला फैसला 81 में हुआ। और लोंगोवाल की जुबान से मेरे पास टेप है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने इन्दिरा गांधी से बार बार कहा है कि यह जो पानी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाये, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा एक एक अक्षर हम उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। आज उस टेप को मैं बजा कर आपको सुनवाने के लिए, माननीय मुख्य मंत्री जी को बजा कर सुनवाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो चण्डीगढ़ और हरियाणा को लेकर दिया गया है, जो चंडीगढ़ पंजाब को दिया

(श्री मोहन प्रकाश)

गया है, असली इसके पीछे मंशा यही है, हरियाणा का चंडीगढ़ का लेकर ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहन प्रकाश : हरियाणा से चंडीगढ़ लेकर जो मुकम्मल पंजाब को दिया गया है, मंशा यही है कि राजस्थान का पानी काट कर हरियाणा को दिया जायेगा और हरियाणा की आत्मा को संतोष दिया जायेगा। राष्ट्रीय एकता की बात खड़ी है, हम लोग चिल्ला रहे थे कि यह बात टेबिल पर करो। तीनों पार्टियां विपक्ष सत्ता, और अकाली दल से बात करें। माननीय विपक्ष के नेता यहां से गये लेकिन उस समय हम राष्ट्रद्रोही थे, अध्यक्ष महोदय, उस समय यह प्रस्ताव करने वाले राष्ट्रद्रोही थे लेकिन आज जब उनको बात करना रहा, उसके लिए अनुकूल अवसर रहा तो वे आज राष्ट्रभक्त हो गये और हमको अभी भी राष्ट्रद्रोही का प्रमाण-पत्र मिला हुआ है हुकूमत की तरफ से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, एक मात्र रास्ता बचा है कि राजस्थान की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कलेक्टर एक पटवारी से व्यवहार करता है, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के उन लोगों के साथ, राजस्थान की सरकार के साथ एक पटवारी का सा व्यवहार किया है। हम तो उसमें हिस्सा मांग रहे है। हम तो उस लड़ाई में, एक पार्टी मान रहे हैं। लेकिन हमको इस काबिल भी नहीं समझ रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी बजट सैशन में थे। लेकिन माननीय सिंचाई मन्त्री जी यहां से जा सकते थे, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, एक नौकरशाही के हाथों पूरे राजस्थान के लोगों के हितों की नुमाइन्दी करने के लिए हम छोड़ नहीं सकते है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह साजिश शुरू हो गयी, है इस साजिश का मुकाबला करने के लिए बात सिर्फ रावी. ब्यास और सतलज की नहीं, आज तो गंगा जमुना और चम्बल और सारी इन नदियों में भी हिस्सा मांगने के लिये यही मौका आया है कि इसमें आप बिगुल बजाइये, जब चार जगह की लड़ाई में आप अपने आपको झोंकेंगे तब आपकी उस लड़ाई का, जो अपने हिस्से का पानी है वह बचेगा, वरना यह बता दें, दिल्ली से लौट कर आये हैं उन वजह को हमको बता दें जिस वजह से चलते वह 9 1 में राजस्थान शब्द जोड़ा है यह जो एक जुलाई की तारीख दी गयी है वह भी इसलिए दी गयी है। पंजाब का मामला सही है, पंजाब के लोग संतुष्ट हैं। वह तो मामला अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए उस समय आन्दोलन के रूप में उठाया गया था और राष्ट्रीय एकता की हम तमाम लोग भावना से कद्र करते हैं। लेकिन इस हुकूमत, देश की हुकूमत चलाने वाले लोगों ने राष्ट्रीय एकता शब्द का अवमूल्यन कर दिया है मित्रों....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : इस शब्द का इतना उपयोग किया, इतना गलत अर्थों में उपयोग किया कि पूरे के पूरे शब्द का अवमूल्यन हो गया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना

(श्री मोहन प्रकाश)

चाहता। जब भी मौका देश पर आया है तो इस पक्ष में बैठे हुए लोगों ने अपना खून देकर भी इस धरती की राष्ट्रीय एकता को कायम करने के लिए काम किया है। यहां तक कि हमारी राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम कभी भी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी नहीं किया था। यह इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी की हुकूमत भिण्डरवाला को दिल्ली में लाईसेंस दे रही थी कि हथियार लेकर घूमो, उस समय भी चौधरी चरणसिंह एक आदमी था जिसने कहा था कि इसका मुखालफत करते हैं। देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो आज तमाम लोगों को कहना चाहते हैं हम उस पार्टी के लोग हैं, इस पार्टी में बैठे हुए लोग हैं राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी जान कुर्बान देने के लिये तैयार हैं। माननीय भैरोंसिह शेखावत जी के पास बनारस हिंदु विश्वविद्यालय का वीडियो कैसेट है अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए उसमें हम लोगों ने लोंगोवाल को यह सुझाव दिया था कि यह आंदोलन इसमें हिंसा हो रही है देश के नौजवानों के नाम इस आन्दोलन को आप समर्पित कर दीजिये और देश के चुने हुए नौजवान नेताओं को हम लोगों ने इकट्ठा किया था।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : उसमें भी यह प्रस्ताव था इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करनी चाहिए, न्यायाधीकरण के चक्कर में, ट्रिब्यूनल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अगर नहीं तो यह आज स्पष्ट करें कि कौन सी वजह थी कि एक तारीख उसमें लिखी गई और उसके साथ साथ राजस्थान शब्द क्यों जोड़ा गया ? इन शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष जी, जो आज यह क्लोज 9.1 और 9.2 के बारे में जो हमने कल पेपर में पढ़ा था उसके आधार पर शंका होने से सदन में दो दिन से गम्भीर रूप से बहस चल रही है। विरोधी पक्ष के नेताओं ने मिल कर कोशिश यह की कि इस तरह का प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित किया जाय। इस प्रश्न को ले कर के यह विवाद का प्रश्न बन करके वड़े उग्र रूप से अब इस समय भी दुबारा यह बहस शुरू हुई है माननीय मुख्य मंत्री जी के दिल्ली से वापस आ करके स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी विरोधी पक्ष के सदस्य इस बारे में संतुष्ट नहीं हैं।....

एक माननीय सदस्य : नयी बात कहें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नयी बात तो हो चुकी थी। नयी हो पुरानी हो आप शांति से सुनें तो सही।

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के बारे में विरोधी पक्ष के नेता महोदय और लोकदल के नेता महोदय नाथूराम जी मिर्धा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

साहब ने भी इसमें काफी भूमिका निभाने की कोशिश की परन्तु उनके भी आपस में मतभेद रहे। यह दुर्भाग्य है उनका। और अभी छोटी छोटी बात को ले करके यह सदन में उत्तेजना जो पैदा हो रही है यह भी उचित नहीं है क्योंकि इस सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो या न हो परंतु सत्ता पक्ष की ओर से माननीय नेता महोदय ने कल भी पूरा स्पष्टीकरण इस बारे में जब एम्बीग्यूटी थी तो उन्होंने कह दिया मैंने सरकार की तरफ से कनवे कर दिया है कि इसके बारे में जो कन्फयूजन है हम अगर इसमें राजस्थान के पानी के बारे में अहित होगा तो हम इसमें सहमत नहीं हैं। उसी रूप में वापस यही कहा गया और इसी रूप में वापस उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया। परन्तु अब प्रश्न सिर्फ इतना ही रहता है कि सदन से सर्वसम्मति से इस बारे में प्रस्ताव जाये।

माननीय नाथूराम जी मिर्धा, भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी यहां बैठे हैं, के समय में यह, 55 का समझौता हुआ था, और यह पानी का विवाद पाकिस्तान पंजाब का विभाजन और पाकिस्तान का सवाल उस समय में पैदा हुआ था और उस समय में जैसा माननीय मिर्धा जी ने कहा कि 52 पर्सेन्ट पानी रावी व्यास समझौते में मिलना चाहिए। उस समय में पंजाब का इतना आग्रह पाकिस्तान को समझाने में, कि इतने पानी का पंजाब क्या करेगा, आखिर सिंधु का पानी कहां जायेगा, किस तरह से उसका उपयोग करेंगे उस बारे में राजस्थान और थार डेजर्ट की बात कह करके इतने पानी का समझौता हुआ। उस समय में अकाली दल ने और विरोधी पक्ष के नेताओं ने जैसा माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा, पहले जबकि दुबारा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जब त्रिपाठी जी और विरोधी पक्ष के नेताओं के जरिये और जब माथुर साहब थे उस समय में भी जाकर के सारा ट्रेस आउट हो करके यह बहस में सबने भाग लिया। विरोधी पक्ष के नेता भी कह रहे थे कि उस समय में राजस्थान के बारे किसी को कोई ऐतराज नहीं और इस समझौते के बाद में सर्वप्रथम प्रतिक्रिया श्री अडवानी जी की आयी है और वो भी बी. जे. पी. के नेता हैं और दूसरे जितने भी पार्टी, विपक्ष के नेता हैं, इस समझौते के बारे में कही शंका इसमें किसी बारे में, जैसे हम तो इस बारे में गम्भीरता से चिंतित हैं कि हमारा पानी किसी तरह से कम नहीं मिले और 1955 की जो ट्रीटी है वह अप्रभावित रहे, यही हमारा मकसद है, तो इस बारे में किसी पार्टी के, हिन्दुस्तान के इतने वरिष्ठ नेता बैठे हैं, जो भी समझौता होने पर सारी प्रतिक्रिया, कितनी प्रसन्नता व्यक्त की है और उन नेताओं और सब पार्टीज ने इतना सर्वसम्मति से उसका स्वागत किया है तो राजस्थान के बारे में क्या उनको कोई चिंता नहीं थी। हमको ही चिंता है उनको है ही नहीं, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि लोंगोवाल ने ही कई बार, बार-बार कहा है कि राजस्थान के पानी के बारे में मेरे को भी कोई इसके बारे में, पंजाब के नेताओं ने भी यही कहा है कि राजस्थान के पानी के बारे में हमको कोई एतराज नहीं है। तो इसलिए यह जो बात बार-बार कही जाती है कि राजस्थान में इसमें अहित होगा अगर यह बात होती तो अभी अलवर से राज्य सभा के जो सदस्य आये हुए हैं डाक्टर हरिप्रसाद

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि 25 ही जो एम. पी. हैं वहां जा कर के तुरन्त मिले। उस समय बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से वह सारे कन्विन्स हो गये। माननीय विरोधी पक्ष के नेता भी जाकर हमारे प्रधान मंत्री से मिलकर बात कर सकते हैं। कोन मना किया है। अब सिर्फ एक सर्वसम्मति प्रस्ताव ही जाये, वह डाकूमेंट जाकर के हाथों में दे दें, उससे ज्यादा क्या मजबूती आयेगी, मेरी समझ में नहीं आता। आपने भी यह विचार व्यक्त किया है और हमने भी विचार व्यक्त किया है कि राजस्थान का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे और पंजाब और हरियाणा को ज्यादा यूज नहीं करने देंगे और जितना 52 पर्सेन्ट या जो भी एग्रीमेंट में हुआ है, 1955 की ट्रीटी का उसमें राजस्थान को कोई घाटा नहीं हुआ है, इसमें किसी का मतभेद नहीं है। तो अगर इसमें प्रस्ताव जाये या न जाये परन्तु भावनायें तो इस सदन के अन्दर व्यक्त कर दी गयी है, इसमें मतभेद किस बात का ? कल भी यह बहस हुई और अब भी वह ही है। अगर किसी नेता के दिमाग में और कोई शंका समाधान है तो अपना विचार व्यक्त कर सकता है। तो यह सर्वसम्मति राय तो एक है। जैसे मिर्धा साहब ने कहा कि सी. पी. जोशी के यही विचार हैं। और मेरा भी यही विचार है और सब को ही इस राजस्थान की चिन्ता है कि अरबों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च करके मोहनगढ़ तक तो नहर पहुंचा दी और दूसरे फेज की नहर बनने जा रही है और लिफ्ट योजनाओं के जरिये सूखे राजस्थान में पानी पिलाने का भी इन्तजाम गांव, सारी सारी जगह पानी का इन्तजाम किया जायेगा तो बगैर पानी यह रुपये खर्च हों, ये × × × लोग हैं कि खर्च ही करते जायेंगे और पानी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। कतई ऐसी बात नहीं हो सकती और जितनी हम को चिन्ता है, भारत के प्रधान मंत्री को उससे ज्यादा चिन्ता है। और सारे देश के नेताओं ने इस प्रस्ताव का और समझौते का जो स्वागत किया है और अपन इतनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे हितों की सुरक्षा करना नहीं चाहते हैं दिल्ली के नेता और हमारे एम. पी. भी नहीं चाहते और वह भावना अपनी व्यक्त करके उनके भी कान अपन ने खड़े कर दिये हैं। तो ऐसी हालत में अब आपको क्या शंका रह गई, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री भंवर लाल : × × × शब्द असंसदीय है। × × × शब्द हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई शब्द के पकड़ने में और, छोटी मोटी चीज पर उत्तेजना लाने से कोई फायदा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहने के बाद मेरे खयाल से जो आपके प्रस्ताव की मंशा थी वह तो पूरी हो गयी और उसमें किसी माननीय सदस्य ने इस ओर बैठे हों या उस ओर बैठने वाले किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि हम राजस्थान का अहित चाहते है और 1955 की ट्रीटी का कोई हवाला इन पैरा में नहीं दिया गया है और, समझौते में भी नहीं है। पानी का विवाद का अगर ट्रिब्यूनल के सामने मामला

× × × शब्द मा. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से अपलापित किये गये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जायेगा तो हरियाणा और पंजाब का जायेगा, परन्तु राजस्थान इसमें कोई पार्टी नहीं है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा माननीय सुराणा साहब ने कहा कि अगर मंशा यही है और मैं भी अगर गलत हो सकता हूं, मेरी तो शंका है, शंका तो जाहिर करना बहुत जरूरी है, शका का समाधान तो होना चाहिये। कल इधर भी शंका थी तब ही तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने टेलेक्स भेजा। अब शंका का समाधान हो गया तो आप चाहो कि उधर बैठने वाले सदस्य बहुत ही ज्यादा राजस्थान का हित चाहते हैं और हम अहित चाहते हैं। हम भी डेजर्ट में रहने वाले हैं। हमारे भी फोर फादर डेजर्ट में ही रहते हैं और वह दिन भर कुओं से पानी लाते हैं। 300-300 मीटर अगर ग्राउन्ड पानी है, वह भी दिन भर कुए पर रहते हैं। हमको भी इसका दर्द इसकी वेदना मालूम है, आपसे भी ज्यादा है और पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान तो पूरा ही इसमें अगर पानी नहीं आये तो समाप्त हो जायेगा, इससे कौन इन्कार कर सकता है। अगर यह मामला वापस खुलता है तो आप स्पष्टतया समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी अपनी वोइस रेज कर सकता है क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी पार्टी थी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर मानलो वापस इसके बारे में मामला खुलता है तो पंजाब के कहने से और इस तरह से ट्रिब्यूनल के अन्दर जाकर वापस मामला खोल सकते हैं? नहीं खुल सकता इसलिए यह जो शब्दों का जाल है और शंकायें हैं वह आपने व्यक्त अच्छी तरह से सदन में कर दी हैं। और यह प्रोसिडिंग्स राजस्थान विधान सभा में वैसे ही रहेगी। और इसको अच्छी तरह से हम भी देखेंगे. यहां मामला समाप्त नहीं होता है। आगे क्या होता है। आप भी विजिलेंट हैं। हम भी विजिलेंट हैं और राजस्थान का जो हक है इसके लिए हमने भी कहा है एक बूंद जैसा माथुर साहब ने उस समय में कहा था मैंने सुना था भाषण कि राजस्थान का अहित जहां होगा मैं इस पद पर रहना उचित नहीं समझूंगा, राजस्थान का जो हित है वह सर्वोपरि है और पद सर्वोपरि नहीं है। इसलिये आपने भले ही इस्तीफे की बात कही है।

हम भी इधर बैठे हैं परन्तु हमको ऐसा कोई शक नहीं लग रहा है, इस बारे में एक नया पैसा भी शक नहीं है कि राजस्थान में जो 1955 में एक ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार पानी कम आने में या हमारा अहित होने में हमको कोई संदेह नहीं लग रहा है। ऐसी हालत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यही अपील करना चाहता हूं कि अब इस बारे में कोई शंका समाधान हमारे विचार से तो है नहीं, और अगर शंका है तो आगे व्यक्त करने जायेंगे परन्तु ये सिर्फ प्रस्ताव पास करके, और आप नाराज हो करके और इस तरह से आप हर बात में लड़ाई करने पर उतरे हो यह उचित नहीं है। यह आपकी जो भावना है वह तो आ गयी। इस सम्बन्ध में जो भी आपकी आपत्ति है वह तो प्रोसिडिंग्स में छप जायगी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। बैठें आप। माननीय सदस्य, कृपया

(श्री अध्यक्ष)

बैठें। सबका बोलना जरूरी है, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिये आपकी प्रस्ताव की मन्शा है....

(व्यवधान)

नाथूराम मिर्धा और ये मोहन प्रकाश जी बोल रहे थे तब दोनों हाथों से कान दबा लिये जैसे कान के पर्दे ही फट रहे हों....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस समय दोनों यों कर रहे थे। इसलिये जरा जोर से बोलने से या कम जोर से बोलने का सवाल नहीं है। सवाल इतना ही है कि इसमें कोई कनफ्यूजन दिख नहीं रहा है। अगर दिखेगा तो और भी क्लेरिफिकेशन कराने के लिए आगे कोई समय खत्म नहीं हुआ और अपन दो सौ हैं मौजूद हैं इसलिये सरकार की मन्शा क्लीयर तौर से व्यक्त कर दी गयी है कि राजस्थान के पानी का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी हालत, मेरे ख्याल से इसमें कोई कनफ्यूज नहीं है और आप लोगों को मान लेना चाहिये....।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र सिंह। कृपया बैठें। बृजेन्द्र सिंहजी बोलना चाहते हैं बार बार कह रहे हैं। कृपया बैठें मैं आपसे अर्ज करूंगा। आपसे मैं कह दूंगा अभी...

श्री अमर चन्द (गंगरार) : एक दो सवाल....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। एक दो सवाल को छंगाणी जी बैठे हैं। आप एक बार बैठें। माननीय जगमाल सिंह जी बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री अमर चन्द : एक दो शब्द ही निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठें। माननीय श्री अमर चन्द जी, बैठें कृपया। आर्डर प्लीज। यह सब का विषय नहीं है। हरएक आदमी बोले, यह कोई जरूरी थोड़े ही है। आप इस विषय की जितनी गम्भीरता है उस गम्भीरता से इसको लें।

श्री बृजेन्द्र सिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया कि राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह प्राइममिनिस्टर का आश्वासन मिला है। पर दुःख की बात यह है कि राजस्थान का 9.1 में जो मेन्शन किया गया वह क्यों किया गया? उसका क्या कारण है?, मैं आपको यह बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एग्रीमेंट संत लोंगोवाल और प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुआ यह कोई पंजाब की गवर्नमेन्ट के साथ तो हुआ नहीं। संत लोंगोवाल क्या हैं, अध्यक्ष अकाली दल। अकाली दल का वहां राज नहीं। तो राजस्थान पर यह बाइंडिंग क्यों हो? इसका मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कांग्रेस की सरकार है जरूर पर अगर जनता पार्टी की या बी. जे. पी. की सरकार होती तो क्या वह इसको मान्यता देती? उस पर बाइंडिंग होती? और प्राइम मिनिस्टर यह

(श्री बृजेन्द्र सिंह)

कह भी सकते थे या नहीं ? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस. ग्रार. सी. की रूलिंग है कि बिना राजस्थान के पूछे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जावेगा जिससे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा। ग्राडर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा तो बहुत हुई लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया कि पहले तो जो दो भूतपूर्व मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं जिन्होंने अपने-अपने समय में इस विषय पर एग्रीमेंट्स किये हैं वह अभी कुछ बोले नहीं। इनको भी अपने विचार....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। किसी को कम्पेयर नहीं कर सकते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कम्पेयर नहीं मेरा निवेदन है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पहली बात।

दूसरी बात यह है कि जब इस मामले पर दो राय नहीं है, सत्ता पक्ष भी चाहता है कि राजस्थान के हितों का संरक्षण हो, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान के हितों का संरक्षण हो, कोई दो राय नहीं हैं। सवाल यह है कि राजस्थान के हितों का संरक्षण कैसे हो ? बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट किया है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि यह समझौता अकाली दल और प्रधान मंत्री के बीच में हुआ है। पंजाब सरकार कहीं पिक्चर में नहीं है इसलिए उसकी क्या लीगल स्थिति बनने वाली है, यह तो पंजाब के चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह कोई पंजाब गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच में समझौता नहीं हुआ है। अकाली दल के बीच में समझौता हुआ है।

दूसरी बात यह है कि पंजाब का जो रवैया हमारे साथ आज तक रहा है, इस इतिहास को राजस्थान के लोग भुला नहीं सकते। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मैं डिटेल्स में कुछ नहीं बताऊंगा, रोपड़ का कूलिंग प्लांट, जिसमें पंजाब हमारी इच्छा के खिलाफ सेन्टर की इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती 500 क्यूसेक पानी काम में ले रहा है। हमारी आपत्ति के बावजूद भी, सेन्टर की आपत्ति के बावजूद भी, एग्रीमेंट के बावजूद भी अभी तक पंजाब अपनी जिद् पर अड़ा हुआ है। हैड वर्क्स का मामला है, पंजाब ने अभी भी उसके मैनेजमेंट में हमको शामिल नहीं किया बावजूद हमारे बार-बार कहने के बाद भी।

मान्यवर, एक और उदाहरण देता हूं, नागौर में हैंड टूल्स बनते हैं। उन हैंड टूल्स के इन्स्ट्रूमेंटेशन के लिए एक प्रपोजल आया था; नागौर के लिये था लेकिन दिल्ली में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी वहां कोई लाबी नहीं है, इसलिये सारे यह हैंड टूल्स नागौर में बनते हैं, नागौर से जालन्धर में जाते हैं, नागौर से बम्बई में जाते हैं और वहां जाकर मेड इन बम्बई, मेड इन जालन्धर की छाप

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

लग कर एक्सपोर्ट होते हैं। परन्तु वह इन्स्ट्रूमेंटेशन जालंधर में खुल गया है बावजूद इसके कि उस समय मैं स्वयं पार्लियामेंट मे था, मैं बहुत लड़ा मुझे एस्योरेन्स भी दिया गया कि नागौर में कम से कम इसकी ब्रांच खोल दी जायेगी। आज तक वह ब्रांच भी नहीं खुली। लेकिन वह जालंधर में खुल गया। आप मुझे हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य की राजधानी का नाम बताइये, जहां रेलवे है, एकाध दो को छोड़कर है, जो ब्राडगेज से जुड़ी हुई नहीं हो। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर आज तक ब्राडगेज से नहीं जुड़ी। क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि हमारी वहां पर कोई लाबी नहीं है। आज तक हमारा एक-दो को छोड़कर कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री भी सेन्टर में नहीं रहा कि जो हमारे राजस्थान की वकालात कर सके।

इसलिए बहुत यह बात अहम् है कि हमारे साथ में पंजाब का जो व्यवहार रहा है, जिस तरीके से अकाली दल ने, अब आज तो समझौता हो गया है, हम उसके बारे में संतोष करने की बात कर रहे है लेकिन इसी अकाली दल ने हमारे गंगानगर के हिस्से के गांवों को मांगा है, तहसीलों को मांगा है। इस अकाली दल ने भी 1955 से इस एग्रीमेंट को बार-बार खोलने के लिए मांग की है और यह जो सुप्रीम कोर्ट की बात आयी थी वह इसी को लेकर आयी थी, सुप्रीम कोर्ट तय करे, 1955 का एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तय करे कि राजस्थान का उसमें कितना हिस्सा होगा? अब यही अकाली दल है जिससे समझौता हुआ है। आज तक पंजाब का यही रवैया है। हमारा पानी हमारी बिजली हमको जो हमारे एग्रीमेंट से मिलना चाहिए वह आप नहीं ले पाते। रोज झगड़े होते हैं। आपकी तरफ से कितनी बार प्रोटेस्ट होता है लेकिन वह हम नहीं ले पाते। उससे नहीं ले पाते, मध्य प्रदेश से नहीं ले पाते।

सबसे बड़ा कारण एक है कि सेंटर में हमारी कोई लाबी नहीं है। सेन्टर में हमारी वकालात करने वाला कोई नहीं है। यह बहुत अहम् बात है। जब यह सवाल है, पिछला यह इतिहास है तब आज हमारे सामने जब दोनों पक्ष इस बात पर एक मत है कि राजस्थान का हित संरक्षण कैसे हो, इस पर कुछ लोगों से ऊपर, कुछ लोगों की एस्योरेन्स के ऊपर यह कहने वाले ने ठीक कहा, मुख्य मंत्री जी आज एस्योरेन्स देंगे लेकिन यह मुख्य मंत्री जी कब तक रहेंगे कौन जानता है? आगे भी गवर्नमेंट चेन्ज हो सकती है, पंजाब की भी बदल सकती है, राजस्थान की भी बदल सकती है। इसलिये यह एस्योरेंसेज से यदि काम होता तो फिर हिन्दुस्तान का कांस्टीट्यूशन नहीं बनता। फिर हिन्दुस्तान के अन्दर लोग बैठ कर आपस में बातचीत करके हिन्दुस्तान का राज चलाते। हिन्दुस्तान का कांस्टीटूशन बना, इसलिए बना कि यहां पर कांस्टीटूशन के आधार पर राज चलेगा। इसलिये हमको रास्ता यह निकालना चाहिए। इसमें कोई हमारी प्रेस्टिज का सवाल नहीं है। हम कोई इसमें अपनी प्रेस्टिज नहीं अड़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल और मुख्य मंत्री जी इस पर अपनी प्रेस्टिज नहीं अड़ायें। बल्कि जो लीगल कम्प्लीकेशन हैं, अब जैसे एक शंका आयी है, ट्रिब्यूनल बैठेगा। कहने के लिए तो यह आया है कि वह पंजाब और

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

हरियाणा को करेगा लेकिन उस ट्रिब्यूनल को कौन रोकेगा, यदि वह राजस्थान के हिस्से का पानी चाहे हरियाणा को दे दें, चाहे पंजाब को दे दें। उस समय आपको जाना पड़ेगा, आप झगड़ा करेंगे, आप लड़ेंगे और उसमें न तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बीच में आती है और न कोई बीच में आता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा। उसको न्याय करना है। आपने ये प्रतिबन्ध लगा दिया, वह उस पर बाइंडिंग होगा निश्चित रूप से, तो उस हालत में हमारी क्या स्थिति बनेगी? हमारे आज के एस्योरेन्सेज यह जो मुख्य मन्त्री जी ने यहां पर एस्योरेन्सेज दिये है उसका क्या बनेगा? या हमारे प्रधान मंत्री ने भी हमको एस्योर किया है उसका क्या बनेगा? इसलिये इसकी रोक थाम के लिये बैठ कर आपस में हम चर्चा कर सकते हैं। देखिये आप रहे हैं यहां, हम यहां रहेंगे, कल हम वहां आ सकते हैं आप यहां आ सकते हैं। यह बात नहीं है, आप ही रहें यह परिस्थितियां बदल सकती हैं। सोचता वह नहीं है जो मुर्दा है जिसके अन्दर जान नहीं है वह नहीं सोचता जिसमें जान है वह सोचता है, जिसमें ज्ञान है वह सोचे बिना रहेगा नहीं। इसलिये ऐसा मत कहिये कि सोचो मत अब यह हो चुका है और कभी भी हो सकता है। हिन्दुस्तान की जनता का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। इसलिये मेहरबानी करके इस गम्भीर चर्चा को राजनीतिक रूप देने की कोशिश मत करिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय बैठें, हमारे साथ में बैठ करके यह स्कीम बनायें कि भविष्य में कानूनी पेचीदगियां पैदा होने पर हम रहें या न रहें लेकिन जो बात आज हम तय कर दें उसमें उस कानूनी पेचीदगियों में राजस्थान का हक सुरक्षित रहे। यह बात है महत्वपूर्ण। यह एश्योरेन्स या इस तरह के भाषण या यहां पर जो कुछ रिकार्ड हो गया, यह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं वहां पर जो निर्णय होगा, जहां कानून में सुप्रीम कोर्ट का जज बैठकर निर्णय करेगा उसके आधार पर सोचिये।

इसलिए उस पक्ष को लेकर कानून, राजस्थान का हित किसमें है, उस रास्ते को अपनाइये, वरना टकराव की बात तो आप कर ही रहे हैं। जहां तक पंजाब के समझौते का सवाल है, अभी उप-नेता महोदय ने कहा उसका स्वागत किया है। पंजाब के समझौते के प्रति किसकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में कोई ठेका नहीं ले सकता। हर आदमी अपनी अपनी प्रतिक्रिया करेगा। अभी समझौते का स्वरूप क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगा, यह अभी देखने को है। यह आज कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता। जितना हुआ है ठीक हुआ है। आगे क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। हर आदमी के अपने-अपने इस सम्बन्ध में विचार हैं। इसलिए इस विचार से आप सब को बांधना चाहें, हो सकता है कि किसी का विचार हो कि मैं इस समझौते का स्वागत नहीं करूंगा मुझे इसमें लैकूनाज नजर आ रहे हैं, या मुझे लगता है कि इसमें कमियां हैं। हरियाणा में विद्रोह शुरू हो गया है। पंजाब स्वयं में विद्रोह शुरू हो गया है। पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या अन्त होगा। कोई नहीं जानता इस बात को। इसलिए इस आधार पर कि हम सब को बांध लें कि हम इसका स्वागत करें, और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

राजस्थान के हितों को लेकर स्वागत करें। उनके हितों पर चोट पहुंचा कर महज प्रधान मन्त्री को प्रसन्न करने के लिए यह शब्द जोड़ें, मैं समझता हूं, इससे हमको बचना चाहिए। केवल राजस्थान के हितों की बात जहां पर आ रही है, हमारे हितों पर कोई चोट नहीं हो, उसमें आने वाले भविष्य में कानूनी अड़चन कहीं पैदा नहीं हो इसके लिए हम बैठकर कोई चीज तैयार करें, एक मत होकर उसको तय करें ताकि हम रहें, ना रहें, यह जो काम हम करते हैं वह काम रहेगा और वह राजस्थान के हितों का संरक्षण करेगा। आप और मैं नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ जो समझौता किया है और उस से देश में परिस्थिति में बदलाव आया है उसका सारे क्षेत्रों में स्वागत किया गया है।

मैं ऐसा मानता हूं कि देश की जनता ने एक राहत की सांस ली है। एक ऐसी समस्या, जिसके पीछे न केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का ही यहां पर हाथ था लेकिन विदेशी शक्तियों का भी हाथ था। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि आज जो कुछ भी पंजाब में पिछले दिनों में हुआ उसके पीछे केवल यहां के लोगों का हाथ नहीं बल्कि दुनिया की कई शक्तियों का हाथ था। अरबों रुपए, मिलियन आफ रुपीज यहां पर आकर उस आंदोलन को चलाने की बात आम तौर से कही गयी, और वह बात हमने देखी। यहां तक कि स्टेट्स में अमरीका में टैरेरिस्ट के जो स्कूल्स हैं उनमें ट्रेनिंग देने वाली बात आम तौर पर की जाती रही और देश में एक अस्थिरता पैदा करने का वातावरण बनाया गया। सब लोग चिन्तित थे। मैं कोई इस पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं करता लेकिन देश का हर व्यक्ति इस बात से चिन्तित था कि पंजाब की समस्या का कोई न कोई हल निकाला जाय। जैसा कि यहां कहा गया हमारे पक्ष की ओर से कि जब हम पार्लियामेंट के चुनाव में गये थे उस समय हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि हम तो देश के सामने विकट समस्यायें हैं उनका हल निकालना चाहते हैं।

सबसे प्रमुख समस्या जो हमारे सामने मौजूद थी वह पंजाब की समस्या थी। उन्होंने कैटेगरिकल टर्म में इस बात को दोहराया था कि मैं पंजाब की समस्या का हल निकालने के लिए सब कुछ करने के लिये तैयारी रखना चाहता हूं। उन्होंने पिछले सात महीने के अन्दर, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब सरदार भगतसिंह की मूर्ति का अनावरण वहां पर जलियांवाला बाग में हुआ और पहली बार जब प्रधान मंत्री जी ने वहां जाकर पंजाब के संबंध में घोषणायें कीं, पंजाब के लोगों को ढाढस बंधाया, यह कहा कि हम और आप सब एक हैं। उन्होंने यह बात भी कही कि हिन्दुस्तान की आजादी का जहां पर सवाल

(2-30)

(श्री शिवचरण माथुर)

आया वहां पर सिख समुदाय में, सिख कौम ने इस देश को आजादी के लिए कुर्बानी दी। इस बात से कोई नागरिक इन्कार नहीं कर सकता, यह तो ठीक है, मजबूरी थी, एक एक्शन लेना पड़ा। लेकिन किसी को उससे सन्तोष नहीं था। इन्दिरा जी भी बहुत दुखी थीं। जब उन्होंने ब्ल्यू स्टार आपरेशन के आदेश दिये, उनको बड़ा दुख था और वैसा ही दुख था जैसे मां किसी बच्चे को दुरुस्त करने के लिए थप्पड़ मारती है और फिर बाद में उसको पुचकारने की बात करती है। वही भावना इन्दिरा जी के दिमाग में थी। लेकिन समय पर वह समस्या का हल निकालने के लिए चिन्तित थीं। दुर्भाग्य की बात है कि उनकी हत्या कर दी गयी, राजनीतिक कारणों से या किन कारणों से, यह समय पर आगे जांच में बताया जायेगा लेकिन एक ऐसे आधार पर हत्या की गयी जिसके लिये गांधी जी ने कुर्बानी दी। जिन सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी ने कुर्बानी दी उसी प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर इन्दिरा गांधी जी ने अपना बलिदान दिया। इस देश की जनता ने उसका अहसास किया।

राजीव गांधी ने इसी बात को लेकर देश के सामने विकट समस्याओं का हल निकालने की बात सबसे पहले देश की जनता के सामने की। इन पिछले 6–7 महीने के अन्दर एक नही कई कदमों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि इस समस्या का हल निकाला जाय। इससे आप लोग इन्कार नहीं करेंगे। एक ऐसा वक्त आया कि जो बिलकुल डाई हार्ड आपोनेंट थे, जो कहीं नैगोशिएटिंग टेबल पर बैठने की बात नहीं कहते थे वह नैगोशिएटिंग टेबल पर आये, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और यह महसूस किया कि आखिर लड़ाई-झगड़े से कभी भी देश की समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। नैगोशियेटिंग टेबल पर वह आये और उन्होंने फैसला किया। जो फैसला आपके सामने एग्रीमेंट है वह आपके सामने हुआ है।

अब जहां तक उस एग्रीमेंट का सवाल है, "सूत्री जो एग्रीमेंट हुआ उसमें राजस्थान का जहां तक जिक्र आता है, मैं ऐसा मानता हूं कि उस बात के लिए हम सब चिंतित हैं, इधर बैठने वाले, उधर बैठने वाले, कोई भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। जहां पर राजस्थान का अहित होगा वहां हम सब लोग एक हैं। यहां पर यह चर्चा की जाती है, साहब, एक मुख्य मंत्री रहा उसने कुछ वायदे किये, कुछ यहां पर एश्योरेंसेज दिये। प्रजातन्त्र में मुख्यमंत्री आयेंगे, पार्टियां बदलेंगी, कई लोग आयेंगे लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो उसूल हैं वे परपीच्युटी में चलेंगे, हमेशा चलेंगे राजस्थान का जो व्यापक हित है उसको चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, पहाड़िया जी मुख्य मंत्री रहे हों, आज जोशी जी मुख्य मंत्री हैं, सब एक ही लाइन में, एक ही आधार पर सोचने की कल्पना करते हैं। हमारे सोचने का कोई तौर-तरीका दूसरा नहीं। मैं तो यह भी कहता हूं, जनता पार्टी के मुख्य मंत्री की तरह से शेखावत साहब ने भी इस समस्या पर अपने विचार प्रकट किये थे। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से बात कही होगी लेकिन एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, कई परिस्थितियां उनके सामने भी आयीं।

(श्री शिवचरण माथुर)

इसी सदन में जब हमको मीर जाफर और जयचन्द कहा गया 1981 के एग्रीमेंट को साइन करने के वक्त में तब हमने कहा था कि हमने तो एक बहुत नेशनल इन्ट्रेस्ट में, व्यापक हित में 1955 के एग्रीमेंट को रिइट्रेट कराते हुए, आप 31 दिसम्बर, 1981 के एग्रीमेंट को उठा कर देख लीजिये, उसके एक-एक क्लाज को यदि आप पढ़ें तो उसमें एक ही बात आपको मालूम पड़ेगी कि हमने 1955 के एग्रीमेंट को बेसिस माना है। उसका कहीं आल्टर करने की कोई बात हमने कभी स्वीकार नहीं की। बल्कि रि-इटेशन किया है। 1981 के एग्रीमेंट में उसको रि-इट्रेट करवाया गया है। बल्कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द जी सुराना कह रहे थे कि जनता पार्टी को हुकूमत में हमने जोइन्ट कंट्रोल की बात कही थी। आप एग्रीमेन्ट के क्लाज 4 को उठाकर देख लीजिये। शायद क्लाज 4 या 5 है, मुझे मालूम नहीं लेकिन उस क्लाज 4 में हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, क्लाज 5, उसमें हमने जोइन्ट कंट्रोल की बात कही, बल्कि यह कहा कि कंट्रोल पाइन्ट कौन से होंगे, उसको बी. बी. एम. बी. हमारी सहमति से तय करेगा, उन कंट्रोल पाइन्ट्स में गेज को रीड करने का काम बी.बी.एम.बी. करेगा, उसको पंजाब पर नहीं छोड़ा जायगा। रहा सवाल हैड वर्क्स कंट्रोल का, मैं समझता हूं, वैक्स्ड प्राब्लम है, इतनी पेचीदा समस्या है जिसको भैरोंसिंह शेखावत साहब भी बहुत इच्छा होते हुए भी पूरा नहीं कर पाये। आपको मालूम है, तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने तो बहुत आदेश दिये थे कि इनका कंट्रोल हम बी.बी.एम.बी. को दिलवा देंगे। बहुत सख्ती से उन्होंने आदेश दिये थे, उनको बहुत बड़ा गांधीवादी और अपनी बात पर टिकने वाला प्रधान मंत्री माना जाता था लेकिन क्या इस बात से आप इन्कार कर सकते हैं कि उस समय की अकाली दल की जो पंजाब की सरकार थी उसको गिरने से बचाने के लिए उस बात को टाल दिया गया? उसके आर्डर होते हुए, भारत सरकार के आदेश देने के बाद भी उन हैड वर्क्स पर कंट्रोल के बारे में हमेशा इस बात को कहा और 1981 के एग्रीमेन्ट में इस बात को बहुत साफ तौर से कहा गया कि हैड वर्क्स का कंट्रोल, हैड वर्क्स का जो कुछ नियन्त्रण होगा वह बी.बी.एम.बी. करेगा,

(8.00 रात्रि)

... और उसमें एक बात खास तौर से और कहना चाहता हूं, मैं मेरी याददास्त के आधार पर कह रहा हूं, मेरे सामने एग्रीमेन्ट अभी नहीं है, उसमें केवल हरिके के हैडवर्क्स की बात ही हमने नहीं कही उसमें माधोपुर के हैड वर्क्स को भी इसमें शामिल किया जो कि प्रो-पार्टीशन जो एज्यूम है वाटर का, आजादी के पहले का, माधोपुर के पास कोई हैड वर्क्स थे उसके भी कंट्रोल की बात हमने कही। यह एक एडीशन था, यह हमारे लिए उपलब्धि थी लेकिन उस बात को यहां पर स्वीकार नहीं किया गया, तरह तरह के एडजेक्टिव लगाकर के यहां पर कहने वाली बात कही।

मैं आपको बहुत गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं, ये मसले कोई साधारण मसले नहीं हैं, ये राष्ट्रीय हित के मसले हैं

(श्री शिवचरण माथुर)

और इन राष्ट्रीय हित के मसलों को हमें बहुत व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए।

हमारे फाउण्डिग्स फादर्स ने, इस मुल्क के फाउण्डिग्स फादर्स ने, जिसमें जवाहर लाल जी, श्रीमती इन्दिरा गांधी, महात्मा गांधी ये लोग रहे हैं, उन्होंने देश को एक बड़ा पिक्चर देखकर के सामने रखा है। इस देश की महानता को सामने रख करके उन्होंने कुछ फैसले लिये थे। आपको याद नहीं है क्या? एक इण्ड्स वाटर ट्रीटी का सवाल आया 1960 में, इण्ड्स वाटर ट्रीटी हुई उस समय सवाल यह था कि पंजाब की 5 नदियों का पानी कैसे बांटा जाय? रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत के हिस्से में आया। चिनाव और झेलम का पानी पाकिस्तान को गया। पाकिस्तान की यह दलील थी कि रावी-ब्यास और सतलज के पानी को आप इम्पाउण्ड नहीं कर सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर स्टेट की राइपेरियन थ्योरी को हम स्वीकार करते हैं तो केवल पंजाब इस पानी का उपयोग नहीं कर सकता। उस समय जवाहरलाल जी ने यह बात कही थी कि हमारे सामने कोई पंजाब और हरियाणा, और एक प्रदेश का सवाल नहीं है, हमारे सामने देश है। और राजस्थान की सूखी धरती पड़ी हुई है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के चैयरमैन को उसमें इन्वाल्व किया। वर्ल्ड बैंक ने उसमें भी ऐशन करने के बाद में यह तय किया कि यह पानी कोई राइपेरियन थ्योरी पर हम नहीं देना चाहते बल्कि रिवर्स बेसिन थ्योरी पर हम इस पानी को देना चाहते हैं। रिवर्स का जो बेसिन होगा, जहां तक इस पानी को ले जा सकता हो फ्लो से उस पानी को हम ले जाने वाली बात करना चाहते हैं और उस समय राजस्थान का जिक्र सामने आया मेरे पास वह नहीं है वरना कोट करता आपको। जवाहरलाल जी ने वर्ल्ड बैंक के चैयरमैन को भी लिखा। उन्होंने लिखा कि राजस्थान की सूखी धरती पर यह पानी जायेगा और उस धरती में यह कैपेसिटी है, यह क्षमता है कि वह सारे देश की अन्न की कमी को पूरा कर सकेगी, और इस पानी को हम पाकिस्तान में जाने के बजाय राजस्थान को इस पानी को डाइवर्ट करेंगे। तो वह हमारे फाउण्डिग फादर्स के दिमाग में कल्पना थी।

मुझे खेद है और कभी-कभी बैठे हुए हम बातें सुनते हैं उधर की, मैं दुःख के साथ में कहना चाहता हूं कि आज हम कितने पैरोन्चिअल बन गए, कितना अपने आपको सिकोड़ते जा रहे हैं, शायद हम एक राष्ट्र की कल्पना नहीं करके अब हम इन्टर स्टेट पर आ गए। इन्टर स्टेट के बाद में हम इन्टर डिस्ट्रिक्ट पर जायेंगे। क्या आप यह नहीं महसूस करते कि अगर इन्टर डिस्ट्रिक्ट भी कोई बजट होता है तो हम यह कहते हैं कि नागौर का पानी नागौर को मिलना चाहिए, चूरू में नहीं मिलना चाहिए, झुन्झुनूं में नहीं मिलना चाहिए। और एक वक्त ऐसा आ जायेगा जब तहसील में हम पहुंच जायेंगे, और फिर शायद मोहल्लों में पहुंच जायेंगे, और फिर घरों में पहुंच जायेंगे। यह मुल्क कभी भी इस प्रकार से नहीं बना करता। मुल्क को बनाने के लिए हमें कुछ बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा। और यदि हमें कुछ बलिदान देने की भी कल्पना करनी पड़े तो शायद राष्ट्रीय हित में हमको बलिदान के लिए सोचना चाहिए। यह

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारे फाउण्डिग फादर्स की कल्पना थी, जवाहरलाल जी की कल्पना थी। और यदि यह कल्पना नहीं होती तो मैं बहुत नम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं यह पानी तो हिमाचल प्रदेश से निकलता है। यदि हिमाचल प्रदेश यह कहे कि मैं तो इस पानी को कहीं नहीं जाने दूंगा न पंजाब को जाने दूंगा, न हरियाणा को जाने दूंगा न राजस्थान को जाने दूंगा। तो क्या हिमाचल प्रदेश इस पानी को रोक सकता है ? वह तो पानी पहाड़ों के नीचे आयेगा, आकर के पंजाब में जायेगा और यदि इस पानी को हम पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो निश्चित बात है कि राजस्थान के सिवाय और कोई भूमि नहीं है जहां, पर इस पानी का उपयोग हो सके। और विरोधी दल के माननीय नेता इस बात को नहीं जानते हैं क्योंकि जब हमारी फूली सीरीज का रिविजन हो रहा था आपको मालूम है मैं थोड़ा इसके बैंक ग्राउण्ड में जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय आप दें, इसके बैंक ग्राउण्ड ...

सुश्री पुष्पा जैन : आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कम बोलें।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं; मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मैं यहां दो घंटे भी बोल सकता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं वह नहीं कह रहा....

श्री शिवचरण माथुर : आपको मैंने दो घन्टे पहले जवाब दिया है इन बातों पर और आज भी बोल सकता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं, मुझे चार वर्ष हो गये। आपको दो महिने हुए हैं....

श्री शिवचरण माथुर : कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कोई दखल नहीं करना चाहता। मैं केवल इसलिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आभारी हूं कि आपने मेरे स्वास्थ्य की चिंता की।

श्री भैरोंसिह शेखावत : केवल इसीलिये कि आप लम्बा बोल रहे हैं और कोई बात नही है।

श्री शिवचरण माथुर : धन्यवाद, धन्यवाद।

मैं थोड़े से बैंक ग्राउण्ड में आपको ले जाना चाहता हूं। जब 55 का यह एग्रीमेंट हुआ था उस समय जो पानी अवेलेबल था पोस्ट पार्टीशन यूटिलाइजेशन के लिये, प्रो-पार्टीशन युटिलाइजेशन का प्रश्न अलग था, वह पानी उपयोग हो गया। जितना पानी

(श्री शिवचरण माथुर)

बचा था पार्टीशन के बाद में उस पानी के उपयोग के लिये एक फलो सीरीज को जांचा गया, कितना पानी इन तीनों नदियों में आयेगा। उसमें 15.85 मिलियन एकड़ फिट पानी का हिसाब लगाया गया कि यह पानी हमको उपलब्ध होगा। उसमें चूंकि राजस्थान के पास सबसे ज्यादा जमीन थी इसलिये हमको उसमें से 52 पाइन्ट समथिग हमारा हिस्सा बना। 52.60 वाटर का उसमें हिस्सा हमारा बना। उसके आधार पर एक मिलियन एकड़ फीट पानी हमको मिला। उसके बाद में अनडिवाइडेड पंजाब को 7 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला। उस समय हरियाणा नहीं था उस समय पंजाब अनडिवाइडेड था, उसको 7 मिलियन एकड़ फीट मिला, .2 मिलियन एकड़ फुट पानी देहली को पानी के लिये मिला और 5.65 मिलियन एकड़ फीट जम्मू एण्ड कश्मीर को मिला, जो कि अनाल्टर्ड रहा, आगे कितने भी समझौते होंगे लेकिन जम्मू एण्ड कश्मीर का शेयर, जो 5.65 मिलियन एकड़ फीट है वह कभी चेंज नहीं होगा। यह बात तय हो करके 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी के हिस्से का हिसाब लगाया गया। दिल्ली को 0.2 मिलियन एकड़ फीट था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है। लेकिन यह 15.85 मिलियन एकड़ फीट का हिसाब लगाया गया। उसके बाद में 1966 में हरियाणा और पंजाब बने। पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट बना। उसके बाद में जब उनके 7 मिलियन एकड़ फीट के डिवीजन का सवाल आया तो आधा-आधा पानी उनमें बांट दिया गया, 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को मिला और 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को दिया गया। अब उस समय हरियाणा को कम मिला ज्यादा मिला, यह उस समय की परिस्थितियों का सवाल है लेकिन वह झगड़ा राजस्थान के साथ उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त भी राजस्थान का जो शेयर था 8 मिलियन एकड़ फीट, बिल्कुल इन्टेक्ट रखा गया। उसके बाद में हरियाणा कुछ विवाद को लेकर सुप्रिम कोर्ट में गया, उनके झगड़े आपस में चल रहे थे और इतना विवादास्पद विषय बन गया था कि हरियाणा के हिस्से का जो पानी था वह भी लेना मुश्किल हो गया था। जब तक उनका सतलज जमुना लिफ्ट नहीं बनती हरियाणा को अपने हिस्से का पानी लेने में कठिनाई होती थी। तो एक बहुत बड़ी पेंचीदा समस्या हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी के सामने थी। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिये इन स्टेट्स को बुलाया और कहा कि भाई आप लोग सुप्रीम कोर्ट से अपने केसेज को वापस लीजिये और नेगोशियेटिंग टेबल पर आकर कोई फैसला कीजिये। 31 दिसम्बर, 1981 को वह फैसला हुआ जिसमें यह तय किया गया कि जो फ्लो सीरीज 25 साल की पहले थी उसके आधार जो पानी मिलता था अब चूंकि 40 साल की फ्लो सीरीज हमारी रिवाइज हुई है इसलिये रिवाइज्ड फ्लो सीरीज के आधार पर वह पानी 15.85 मिलियन एकड़ फीट के बजाय 17.17 मिलियन एकड़ फीट बन गया और उसमें राजस्थान के हिस्से के मुताबिक जो 52.60 का जो हिस्सा हमारा आता है उससे हमको

(श्री शिवचरण माथुर)

8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला। .6 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको और अधिक मिला। और हमने उसको कहा कि इस पानी को हमारे दूसरे रास्ते से दीजिये ताकि हमारे नोहर का जो सिद्धमुख का जो हिस्सा है उसमें जो हम राजस्थान कैनाल से पहले लिफ्ट से पानी ले जाने वाली बात करना चाहते थे और लिफ्ट से पानी ले जाने के कारण मुश्किल से उसमें 30 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी बैठती थी जिससे कि वहां के इलाके का कोई लाभ नहीं मिल सकता था। इसलिए हमने कहा कि हमको आप रूट चैंज करके हमारे हिस्से का पानी, सिद्धमुख की तरफ दीजिये। और इसमें, करीब 0.6 मिलियन एकड़ पानी से, वह सारे पलों से उस पानी के आने से नोहर के इलाके में जो सूखी धरती है उस पर गंगानगर की तरह खेती होने लगेगी, यह एक आधार इसका बना था। यह सारा बैकग्राउण्ड था जिसके जरिये से 1981 का एग्रीमेंट हुआ। 1981 के एग्रीमेंट में आप देख लीजिये, इसमें जगह-जगह 1955 के एग्रीमेंट रिइट्रेट किया गया है। और मैं समझता हूं कि उसमें कहीं पर भी राजस्थान के हितों को कहीं पर भी असुरक्षित रखने वाली नहीं कही। हमने जब-जब भी इस सदन से चर्चा उठी मैंने बहुत गम्भीरता से इस बात को कहा था कि हम इधर बैठने वाले तो राजस्थान के हितों को बेच देंगे और राजस्थान के हितों को केवल उधर बैठने वाले लोग ही सुरक्षित रखेंगे। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी अकाउन्टेबिलिटी है, जैसे कि हमारी तो कोई अकाउन्टेबिलिटी है ही नहीं। जैसे कि हमको 5 साल के बाद में जनता के सामने जाना ही नहीं है। हमको भी उतना ही अकाउन्टेबल होना है जितनी अकाउन्टेबिलिटी प्रोफेसर केदारनाथ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये, और ऐसा कौनसा राजनैतिक दल होगा जो सत्ता को अपने पास रखने के लिए जो उसका समाजिक उद्देश्य है जो नीतियां हैं वह लागू करना चाहता है देश में और राज्य में वह इस सरकार को एक माध्यम मानकर सत्ता को अपने पास नहीं रखना चाहेगा, मुझे बताइये क्या आप नहीं रखना चाहेंगे? हम लोग सत्ता में रहना चाहेंगे, हम सत्ता को आधार मानते हैं सामाजिक परिवर्तन का....

(व्यवधान)

सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : हम सत्ता को कोई व्यक्तिगत आधार नहीं मानते। हम सत्ता को एक सामाजिक परिवर्तन का एक स्रोत मानते हैं। सत्ता के रहने से एक प्रजातंत्र में एक सामाजिक परिवर्तन जो हमारी नीतियां होती हैं उन नीतियों के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हर राजनैतिक दल सत्ता में रहना चाहेगा और उस नाते आप यह कहें कि

(230)

(श्री शिवचरण माथुर)

साहब, केवल हमारी अकाउन्टेबिलिटी है और सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग जनता के प्रति अकाउन्टेबल नहीं हैं, यह मैं समझता हूं कि केवल उनका खयाल हो सकता है लेकिन यह तथ्य से परे की बात है। हम भी उतने ही अकाउन्टेबल हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं. मैं यहां बहुत इज्जत से आपको कहना चाहता हूं, इस पक्ष में बैठने वाले, उस पक्ष में बैठने वाले सबके लिए राजस्थान का हित सर्वोपरि है। हम जहां देश की बात करते हैं, हम जहां प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देते हैं, एक बहुत बड़ी वास्ट प्रोब्लम को उन्होंने सोल्व करने की बात कही। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत हिम्मत से आज पंजाब की समस्या को हल करने के लिए एक पहल बतलायी है। लोग बैठना नहीं चाहते थे, उनको बहुत गालियां देते थे और वहां अमेरिका में जाकर उनकी हत्या की एक प्रकार से षडयंत्र की बात चलती थी, ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस करके और यह कहा कि हम आपसे बैठ करके भूलना चाहते हैं सब बातों को। कितने लोगों को रिलीज किया, क्या-क्या नहीं किया, सारे फैसले करके उन्होंने एक परिस्थिति बतलायी, वातावरण बतलाया और उस वातावरण के कारण जो लोग बिलकुल बैठना ही नहीं चाहते समझौते की टेबल पर, उन्होंने भी सोचा कि भई सरकार जब इतना आगे झुककर कहना चाहती है, इस समस्या का वास्तविक हल निकालना चाहती है तो फिर हमारा तो हठ होगा, यदि हम बैठ करके वहां बात नहीं करते। उनको भी एक प्रकार से गुड सेन्स प्रिवेल किया और वह नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे और बैठ करके समझौता हुआ जिससे कि आज सारे देश में एक अजीब तरह की परिस्थितियां बनी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहिये, आभार प्रकट करना चाहिये।

इसको मैं कोई पार्टी बेसिस पर नहीं कह रहा हूं, और सवाल क्या था, जब प्रस्ताव का मसविदा सामने आया, मैं भी यहां पर मौजूद था, प्रस्ताव के मसविदे में "अनावश्यक" और "अनुचित" और उसका सवाल तो एक तरह से मुख्य मंत्रीजी ने हल कर लिया था। उन्होंने कहा, भई, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड कर लीजिये जिससे कि मैं भी मेरी पार्टी को कैरी कर सकूं क्योंकि हमारी सरकार केन्द्र में है, हम लोग यहां पर राजस्थान में बैठे हुए हैं, दोनों एक पार्टी की सरकार हैं, मेरी पार्टी के लोगों की भी कुछ फीलिंग है इसलिए हम यह कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम टर्न डाउन करते हैं, उससे असहमति प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए कोई ऐसा आप वर्ड निकाल लीजिये जिससे कि हमारी सुन्दरता भी लगे और हमारा मतलब भी इस प्रकार से हो जाये। मैं भी था वहां पर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कोई शब्द आप चुन लीजिये, उसमें उनका कोई दुराग्रह नहीं था। लेकिन मूल बात जहां तक मैं समझता हूं और विरोधी पक्ष के नेता सब इस बात को मानेंगे, यदि हमारे दिमाग में ईमानदारी से सोचने की बात है। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि हम राजनीतिक लाभ राजीव गांधी को क्यों दें? राजीव गांधी को लाभ तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक

(श्री शिवचरण माथुर)

महत्वपूर्ण कदम उठाया है आज इस समस्या को हल करने के लिए.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मुख्य प्रश्न यह था कि राजीव गांधी को और उसके साथ में सन्त लोंगोवाल को भी हम धन्यवाद देना चाहते थे। उसमें जो मुख्य मंत्री जी ने कहा, उसमें लम्बी चौड़ी भाषा नहीं थी, एक साधारण आभार प्रकट करने वाली बात थी....

एक माननीय सदस्य : पालिटिकल भाषण हो गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। कृपया बैठें। श्री जगजीतसिंह जी कृपया बैठें।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोला हूं इस सदन में इस बार और मैं समझता हूं, जो मैं महसूस करता हूं मुझे कहने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : जारी रखें।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं यह कह रहा था, हमारी केवल एक ही बात थी कि प्रधान मंत्री जी के सही कदम को हमें सराहना चाहिये और मैं समझता हूं कि सभी दलों ने सराहा है। अभी शोपतसिंह जी कह रहे थे, उनकी पार्टी के नेताओं ने तो इसकी सबसे बड़ी सराहना की है। मधु दण्डवते साहब ने सराहना की है और लोगों ने सराहना की है और उसके बाद में शाम को जब आपने टी. वी. पर प्रोग्राम सुना होगा उसमें जब पालिटिकल पार्टीज के लीडर्स का जो एक इन्टरव्यू हुआ था उसमें सभी पालिटिकल पार्टीज के लोग थे, और उसमें सबने इस चीज को सराहा है। ठीक है, राजस्थान का अपना एक पहलू है उसमें हमारा एतराज हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य,।

श्री शिवचरण माथुर : तो यही तो हम कह रहे थे....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : नहीं सराहने का कहां सवाल आता है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : खैर ठीक है, छोड़िये। अब मैं आता हूं...

श्री मानिकचंद सुराना (लूणकरणसर): 1955 की ट्रीटी को आप आज भी इस सदन के द्वारा रि-इट्रेट करें, यही हम मांग कर रहे हैं और यही हिम्मत राज्य सरकार के मुख्य मंत्री में नहीं है यही मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं जहां तक समझता हूं कि कल जो मसविदा बना था, कमला जी ने जो ड्राफ्ट किया था उसमें इस सब बात का जिक्र किया गया था कि हमारा जो पुराना एग्रीमेंट है उसके बाद में जितने मुहायदे हुए हैं और जो इतिहास की कसौटी पर खरे उतरे हैं जिनको कि रि-इट्रेट बार-बार किया गया है, उन सारे एग्रीमेंट को हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं यह कमला जी ने उसमें शामिल किया था। उसमें कहीं कोई आपका विरोध नहीं था। इसलिए वह बात तो हम आज भी कहते हैं। 1955 का एग्रीमेंट हमारा बेस है उसको बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठना और उसके बाद में 1981 में हमने रिइट्रेट किया है आज भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब तक 1955 का एग्रीमेंट का हमारे हिस्से का सवाल है कहीं पर भी उसको बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथूराम मिर्धा : शिवचरणजी, हमारी असहमति कहां है, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि कल नहीं हुआ प्रस्ताव, आप अभी ड्राफ्ट कर लो, ले आओ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुन लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप वाली बात को ही लिख दें। मेरी बात सुन लीजिये, आप जो कह रहे हैं उससे सहमति है हमारी। आप उनकी तारीफ करना चाहें। और बाकी बात है 1955 वाली जोड़ दें। कल गलती हो गई आज सुधार लो।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : आप कह रहे हैं, हम यह प्रसंशा करते हैं, राजीव गांधी ने जो काम किया अच्छा किया, तहे दिल से प्रसंशा करते हैं, और यह भी चाहते हैं कि 81 का समझौता, जैसे आप उसकी सफाई दे रहे हैं, 81 के समझौते के तहत जो हमने सरप्लस वाटर देने का सौदा किया, ऐसा नहीं होना चाहिये चाहे हमारा अनयूज्ड वाटर हो चाहे कुछ वाटर हो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : और हमारा 55 का हिस्सा है वह मिलना चाहिये। राजीव गांधी ने पंजाब समस्या का हल करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं तहे दिल से करता हूं प्रसंशा. आप बधाई के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है। मैं तो समझता हूं कि 81 के एग्रीमेन्ट का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : आप अपना दृष्टिकोण रखिये। मुझे फोर्स तो नहीं कर

(श्री शिवचरण माथुर)

सकते । मैं समझता हूं, 81 के एग्रीमेन्ट में हमने राजस्थान के हितों को बिल्कुल सुरक्षित रखा है, हमने उसका ध्यान रखा है, कहीं पर उसको कम्प्रोमाइज करने का कोई प्रश्न नहीं है और आज भी मैं आपसे कह सकता हूं, गम्भीरता से कह सकता हूं....

(व्यवधान)

सुनिये, इससे क्या फायदा । आप डिबेट कर लीजिये अलग से ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : अब रहा सवाल इस एग्रीमेंट में जो यह 9.1 की बात कही जाती है, 1 जुलाई, 85 को जो पानी, जो फार्मर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के यूज कर रहे थे उसको एक प्रकार से सुरक्षित रखा जायगा, उससे कम नहीं किया जायगा, यह जो एक उसमें प्रावधान है उस पर राजस्थान के प्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान का जो पानी है वह तो फार्मर्स वर्ड आपने यूज किया है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही तो खतरा है

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, उसमें कन्जम्पटिव यूज भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि हमारी राजस्थान कैनाल को बनाने के लिए, राजस्थान कैनाल आगे प्रोसेस करती है उसके साथ में हम चैनल बनाते हैं जिसमें 600, 700 क्यूसेक पानी डाला जाता है, उस पानी को बनाने के लिए, आगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम पाइप से पानी लिया जाता है । उस पानी को भी कन्जम्पटिव यूज कर रहे हैं, यह हम बरते ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और जो हमारा पीने के पानी के लिए पानी उपयोग कर रहे हैं वह एक प्रकार से कन्जम्पटिव यूज है तो जहां तक मेरी जानकारी है उसको भी शामिल कर लिया जाय, कन्जम्पटिव यूज भी उसमें एक प्रकार से साथ माना जाय । अब प्रश्न यह रहता है कि यह जो पानी, मैं पूछता हूं कि इसमें कहां पर यह जिक्र किया गया है कि राजस्थान को 55 का एग्रीमेन्ट रिसाइन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

सुनिये, मेरी बातें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आपस में नहीं । माननीय सदस्य । आपने अपनी बात कह दी है ।

श्री मानिकचंद सुराना : एक सेकिण्ड, अध्यक्ष महोदय । आप यह बताइये कि कन्जम्पटिव यूज का यह ट्रिब्यूनल करेंगे । इस ट्रिब्यूनल में कन्जम्पटिव यूज तय कराने की जरूरत क्या है ? हिस्सा कम नहीं लेना है तो यह ट्रिब्यूनल क्यों तय करेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मानिक चंद सुराना : ट्रिब्यूनल तय करेगा हमारा कन्जम्पटिव यूज कितना पासिबल है । क्यों तय करेगा ? आप इस बात का जवाब दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री मानिकचंद सुराना : यह इन्टर-वेंशन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें । नाराज न हों, बैठें आप ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, तरीका तो यह होता है कि एक व्यक्ति को कहने की इजाजत दी जाय ...

श्री मानिकचंद सुराना : मैंने आपसे सवाल पूछा है समझने के लिए कि आप यह बता दें कि यह क्यों वह डिटरमिन करेगा कि कन्जम्पटिव यूज क्यों करेगा । यह है सवाल ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं, जब जनवरी-फरवरी, 83 में शायद यह महिने थे जबकि ट्रीपार्टाइट पारले चल रही थी, बातचीत चल रही थी और मैंने तो सभी हमारे विधान सभा के जितने भी अपोजीशन के ग्रुप थे उन सब के लीडर्स को बुलाया था, विरोधी पक्ष के माननीय नेता भी थे, आपके नेता, आवाम की बात कहने वाले त्रिलोक सिंह जी वह भी मौजूद थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी थे और सब लोग थे और हमने हर वक्त में हर बात में विरोधी पक्ष के लीडर्स को शामिल रखा था, और शायद अकाली दल से कन्फण्ट्रेशन अगर हुआ तो राजस्थान का ही हुआ था, हरियाणा के लोगों से नहीं, आपको याद होगा अकाली दल ने जो पांच सूत्री फार्मूला रखा था, प्रस्ताव रखा था उसमें पहली बात तो यह कही गई थी कि 55 के एग्रीमेंट को आप रिसाइन कीजिये । हमने बहुत साफ तौर से कहा था, हम यह कभी नहीं होने देंगे और उसी दिन मुझे याद है, तारीख तो अभी जबानी नहीं कह सकता लेकिन शायद 20 फरवरी 83 का लैटर होगा जिसको कि मैंने आपको भी दिखाया था और उस लैटर को मैंने लिख करके सबकी सलाह से उसी वक्त में तत्कालीन गृह मन्त्री श्री पी. सी. सेठी को जाकर के मैंने कहा कि राजस्थान इस बात को कभी भी बरदाश्त नहीं करेगा यदि आपने भी बिहाइन्ड दी कर्टेन कोई अकाली दल के साथ में हमारे 55 के एग्रीमेंट को रिसाइन करने वाली बात कही तो राजस्थान को वो बात स्वीकार नहीं होगी, यह हमने बहुत साफ कहा था । वह लैटर रिकार्ड पर है । उस लेटर रिकार्ड पर मुख्य मंत्रीजी देख लें, वह लेटर मैंने कोई छिपा कर नहीं दिया था, वह लेटर मैंने विरोधी पक्ष के नेताओं को बुलाकर पी. सी. सेठी का, गृह मन्त्री जी को भेजा था । और यह कहा था कि राजस्थान को यह बरदाश्त नहीं होगा । हम 55 के एग्रीमेंट को रिसाइन करने वाली बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

अरे सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर हमारी भावनाओं पर क्यों शंका करते हैं ? हमारी भावनायें वही हैं जो आपकी हैं। जहां तक राजस्थान के हित का सवाल है हमारी आपकी भावना में कोई अन्तर नहीं है, हम राजस्थान के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, और इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से मुख्य मंत्री जी ने कल के वक्तव्य में और आज के वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट किया है। इसलिये अब यह प्रश्न कहां उठता है कि आप दूसरी तरह सोचें और हम दूसरी तरह सोचें। मैं समझता हूं कि कल जब यह सवाल आया तो अन्त में आप लोगों ने, सब ने कहा, ठीक है, अगर प्रस्ताव की बात नहीं बैठती है तो मुख्य मंत्री जी एक बार फिर से उस बात को कह दें। यह बात कोठारी साहब ने यह बात कही थी, अगर प्रस्ताव की बात नहीं बैठती है तो इस बात को दुबारा मुख्य मन्त्री जी रिइट्रेट कर दें। मैं समझता हूं कि वह जो असेम्बली के रिकार्ड पर बात आ जायगी तो प्रस्ताव की तरह से बात हो जायेगी, इस बात को कहने के बाद ही मुख्य मंत्री जी ने दुबारा यहां आ करके इस बात का रिइट्रेट किया और बहुत स्पष्ट शब्दों में रिइट्रेट किया और यह कहा मैं आपकी भावनाओं को, सदन की भावनाओं का केन्द्रीय नेतृत्व के सामने रखूंगा और यह कहूंगा कि इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। यदि राजस्थान के हित में समझौता नहीं किया गया। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री ने आज प्रधान मन्त्री से मिल करके उन बात को बहुत स्पष्ट रूप से जो कहा है और जो आश्वासन प्रधान मन्त्री जी ने दिया है, मैं बैक ग्राउण्ड में जाकर कहना चाहता हूं। एक परम्परा के आधार पर कहना चाहता हूं कि जब जब भी हमारी बात, ट्री पार्टीइटेट पार्ले चलती थी ...

(व्यवधान)

सुनिये, भई घनश्याम जी, ऐसी क्या बात है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : हम आपकी बात को बहुत आराम से सुनते हैं, हमें आप की बात अच्छी लगती है नहीं लगती है, सुनते हैं। इसलिये हमारी बात सुनिये मेहरबानी करके यह क्या बात है। कम से कम दूसरी टर्म में आप आये हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन यह करना चाहता था कि ट्रीपट्राइट पारलेज के वक्त भी जब हम इंदिरा गांधी के पास जाते थे तो उन्होंने यही कहा कि आप ने राजस्थान के हितों की बात बहुत स्पष्ट रूप में कही है कहीं पर भी, आपके राजस्थान के हितों का बलिदान करने का प्रश्न नहीं होता है। जो भी झगड़ा है पंजाब हरियाणा का है। यह बात इंदिरा जी ने एक बार नहीं दस बार कही और जब भी समझौते का सवाल आया उन्होंने राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखा है। आज वही बात राजीव गांधी के विषय में लागू होती है, राजस्थान के हितों को हम उनके हाथ में बहुत सुरक्षित मानते हैं। फिर कोई प्रश्न नहीं उठता है कि आज हमारे देश के प्रधान मन्त्री

(242)

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान के हितों का बलिदान करके हमारी बात को टाल देंगे और एक ऐसा समझौता कर लेंगे जिससे कि राजस्थान का हित संवर्धन नहीं हो और पंजाब और दूसरे प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिले। इसलिये इस बात की शंका, मैं समझता हूं यह निर्मूल है। और इस आधार पर जो बहस यहां पर हुई है, मैं समझता हूं, वहीं काफी है। अखबारों में रिपोर्टिंग होती है, वरबेटिम, इसकी रिपोर्टिंग होती है, सब चीजें हैं, विरोधी पक्ष के नेता भी बोले, हम भी बोले, आप बोले, इन सब बातों को एक तरह से दुनियां जानती है। कौन नहीं जानता कि इस सदन की भावना क्या है। इसलिये मैं यह मानता हूं कि यह शंका निर्मूल है कि राजस्थान के हितों का बलिदान किया जायेगा। हमारे हित प्रधान मन्त्री के हाथ में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हमें पूरा विश्वास है, जो उन्होंने आश्वासन दिया है राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखने का, उसमे पूरा विश्वास है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुनिये, मैं प्रक्रिया की बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत चर्चा हो गई। माननीय सदस्य, दूसरा बिजनेस भी आगे है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये।

एक माननीय सदस्य : इस पर राजनैतिक चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं यह जो मेमोरेन्डम आफ सेटलमेंट हुआ है यह राजीव गांधी और संत फतेहसिंह के बीच में हुआ है जो अकाली दल के अध्यक्ष जहां तक मुझे जानकारी है, सरकारी काम की प्रक्रिया की आखिर इसका कोई पत्र ड्राफ्टिंग होगा, मेमोरेन्डम बनेगा और वह शायद सैन्ट्रल केबीनेट के पास जायेगा, स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट के पास में एन्डोर्समेंट के लिये जायेगा, उस समय कई मौके आयेंगे जब प्रधान मंत्री जी से या भारत सरकार से हमारे मुख्य मंत्रीजी अपनी बात को बहुत दृढता से कहेंगे। इसलिये आज ऐसा कौनसा प्रश्न उठता है कि केवल एग्रीमेंट के आधार पर ही सब कुछ बात हो गयी हो। जब हमारे पास एन्डोर्समेंट के लिये प्रश्न आयेगा उस समय हम अपनी बात को कह सकते हैं। रिजोइन्डर के माध्यम से कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें कोई शंका इस बात में नहीं करनी चाहिये कि राजस्थान के हितों का बलिदान कर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो कुछ भी फैसला हुआ है वह राष्ट्र के हित में है राजस्थान के हित हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यही बात मुझे आपसे निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष के नेता कनक्लूड करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दीजिये। इस पर राजनैतिक चर्चा करना चाहते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे भी दें।

श्री अध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी कनक्लूजन पर आप पहुंच पायेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी, सारे सदन की भावनायें इसमें आ गयी।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न हैं मेरे इसमें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न हैं मेरे।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह। बहुत संक्षेप में। दोहराये नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सिर्फ एक मिनट आप मुझे भी दें। इसके बाद में मुझे एक मिनट।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि 24 तारीख के साथ साथ खून खराबा जुड़ा हुआ है। यह आज जो समझौता होने की बात हुई पंजाब की समस्या आयी उसकी जड़ में भी 24 तारीख थी 24 मार्च, 1976 उससे पहले कोई झगड़ा नहीं था इस तरह का, फिर 24 ता. को फिर समझौता हुआ, उसके कारण तरह तरह की शंकायें पैदा हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस समझौते की कोम्पीटेन्स पर इसकी लीगेलिटी पर क्वेश्चन करना चाहता हूं यानि बाकायद 55 का समझौता लीजिये या 81 का जो समझौता हुआ उसमें क्या गड़बड़ है उस बात को छोड़िये। चाहे बीच-बीच में कोई भी समझौते हुए, चाहे बी. बी. एम. बी. का समझौता हुआ है, साफ कहा गया है कि राजस्थान, कहीं राजस्थान हरियाणा कहीं राजस्थान पंजाब है, जब पंजाब नहीं बना था, उसमें साफ कहा गया है कि राजस्थान पंजाब और हरियाणा में कोई डिस्प्यूट होगा तो वह केन्द्रीय सरकार को रैफर किया जायेगा, उसमें केन्द्रीय सरकार अपना फैसला देने का काम करेगी। चाहे जज को सौंपे, चाहे ट्रिब्यूनल को सौंपें, चाहे कुछ छोटी-मोटी समस्याओं के बारे में केन्द्रीय सरकार खुद अपना फैसला करे। लेकिन यह समझौता पंजाब सरकार के साथ नहीं हुआ, यह समझौता हरियाणा सरकार के साथ नहीं हुआ, यह समझौता राजस्थान सरकार के साथ नहीं हुआ। यह समझौता अकाली दल से हुआ है। इसलिए पहला मेरा प्रश्न है, कि क्या कानूनी पहलू इसके आपने देखे, क्या अकाली दल से हुआ समझौता किसी भी प्रकार से संवैधानिक रूप से किसी एग्रीमेंट की किसी धारा में आता है? क्या पंजाब की सरकार पंजाब के गव-

(श्री यदुनाथ सिंह)

नंर के इस समझौते पर हस्ताक्षर हैं ? अकाली दल से समझौता किसी भी सूरत में समझौता नहीं है। पहली मेरी शंका यह है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, आप बड़े नाराज हो रहे थे, कल भी हाउस एजीटेट हुआ, आज भी हाउस एजीटेट हुआ, हम आपको एजीटेट करना चाहते हैं न हम एजीटेट होना चाहते हैं। जो आपका उत्तर आया उससे हम एजीटेट हुए, आपने हमें एजीटेट किया। हम आपका बहुत आदर करते हैं बुजुर्ग की हैसियत से। हम कभी आपको न बगैर बात एजीटेट करना चाहते हैं। जब हमारे मन में शंका होती है उसका समाधान नहीं है तो एजीटेशन आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी अब खड़े होकर निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देंगे क्या यह समझौता किसी रूप में संविधान की धाराओं के या किन्हीं एग्रीमेंट की धाराओं के रूप में लीगली ठीक है ? क्या इसको मान्यता है ? अगर मान्यता नहीं है तो इस राजस्थान सरकार को निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अपनी रिट करनी चाहिये, अपनी अपनी अपील करनी चाहिये। नम्बर वन। नम्बर दो।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं नई बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कोई जोड़ नहीं रहा राजनैतिक बात, क्योंकि देश में परिस्थिति पैदा हो रही है। मैं इस चर्चा को छोड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है संक्षेप में कहें।

श्री यदुनाथ सिंह : राजनैतिक भाषण बहुत लम्बा जायेगा, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता हूं पचड़े में। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने धारा 9.1 और धारा 9.2 के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा यानि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अब क्योंकि जो भी टर्मस एण्ड रैफरेन्स होंगे, ट्रिब्यूनल में मामला जायेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में जायेगा, आगे जो भी झगड़े चलेंगे, इस समझौते को अगर मान्यता किसी प्रकार से जबरदस्ती से दस्तखत करा लिए हों, आज अर्जुन सिंह जी को बुलाया कि तुम दस्तखत करो इस पर रेफरेन्स देओ और बैक डेट में सुना है ऐसा किया गया है दिल्ली में, मेरी जिन लोगों से बात हुई, उनको फौरन जब राजस्थान विधान सभा यह मामला कल उठा उसके बाद में पंजाब के राज्यपाल के दस्तखत करा के मंगाए गये। खैर इस बात को छोड़िये, मान लीजिए किसी भी रूप में यह समझौता लीगल है तो धारा 9.1 में अब तक जितने भी समझौते हुए हैं, शंकायें हमारी, अध्यक्ष महोदय, फालतू नहीं हैं, कारणवश है अब तक जितने भी समझौते हुए चाहे बी. बी. एम. बी. के सम्बन्ध में, चाहे और कोई नया से नया हुआ उसके सम्बन्ध चाहे और कोई सन् 81 मे समझौता हुआ, चाहे और कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई बात निकली है, उनमें शब्द यूज किया गया है राजस्थान का पानी, शेयर आफ····

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप खुद तो समझते नहीं हैं इस बात को।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी बात कह दीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : आपसे ज्यादा ही समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे, अध्यक्ष महोदय, कई बिन्दु शंका के हैं, अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिये।

आप दस बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो गया। मेरी शंका फिर भी है तो मैं फिर पूछना चाहता हूं।

बार-बार शब्द इसमें इस बार क्यों जोड़ा गया। इसका मुख्य मन्त्री जी जवाब दें, आप इसका अर्थ लगाते हैं। केन्द्र सरकार से आप बात करके आये हैं, प्रधान मन्त्री जी क्या अर्थ लगाते हैं आपकी बात का एक 15 जुलाई का ही क्यों मामला रखा गया? नम्बर दो। जो कन्जम्पटिव वाटर की बात कही गई है, अध्यक्ष महोदय। कन्जम्पटिव वाटर कब और कितना और किसके लिये यानि कन्जम्पटिव वाटर क्या हमको जो 15 जुलाई को मिल रहा है वही मिलेगा। या आगे मिलेगा? यह कोई बात इसमें स्पष्ट नहीं है।

इसलिये हम चाहते तो यह थे कि जिस तरह की घोषणा, जो टेलेक्स का विवरण मन्त्री जी ने दिया, उस टेलेक्स की लाइन पर कोई बात करके आये हो। मुझे उम्मीद है कि अपने सदन की भावना को लेकर टेलेक्स के आधार पर ही बात की होगी, लेकिन आपको वहां इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, आपको कोई संतुष्टि नहीं मिली है। आपको वहां कह दिया गया, जाइये आप, हम आपका ख्याल रखेंगे इन शब्दों से काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान कैनाल में अब कन्सट्रक्शन होगा, कन्जम्पटिव वाटर की अगर डेड लाइन यह जुलाई की तारीख मान ली गई तो आप किस प्रकार से राजस्थान में नहर का काम हम सम्पन्न करेंगे। तो कन्जम्पटिव वाटर को भी अगर जुलाई का आधार मान लिया गया तो आगे आपकी राजस्थान कैनाल में काम होने वाला नहीं है। यह ऐसी शंकायें हैं राजस्थान का जब आप 9.2 का जिक्र करते हैं या पंजाब और हरियाणा का जिक्र है तो क्यों राजस्थान का इसमें जिक्र किया गया। इस बारे में आप कोई स्पष्टीकरण लेकर आये होंगे इसका भी कोई स्पष्ट जवाब देते तो हमको संतुष्टि होती, हम कोई उत्तेजना नहीं फैलाना चाहते।

मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी, जो बातें हैं, सदन से कोई छिपी नहीं है, सबका हित राजस्थान में है आप क्या बात करके आये. उसका खुलासा यह कहकर कि प्रधान मन्त्री ने कह दिया कि राजस्थान के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। इससे हमको न संतुष्टि होने वाली है न राजस्थान की जनता को होने वाली है। मुझे मालूम है कि माननीय सदस्यों को भी नहीं होने वाली है, हम किस आधार पर मुख्य मंत्रियों के वचन का भरोसा करेंगे अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब रोपड़ का पानी देने का सवाल चला था और इसी सदन में बड़ी उत्तेजना फैली थी तो माननीय परसराम जी मदेरणा ने कहा था, किसी विपक्षी सदस्य ने कहा था कि दिल्ली की डांट से आप चूहे की तरह बिल में घुस जायेंगे और उन्होंने कहा था बड़े गरजकर, हम कोई चूहा नहीं जो बिल में घुस जाएं। इस सदन

(श्री यदुनाथ सिंह)

ने दो लाख रुपये उनको इस बात के लिए दिये थे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइये. सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइये। लेकिन नहीं हुआ। दिल्ली पहुंचकर निश्चित तौर पर वह बिल में घुस गये। और राजस्थान के हितों को गिरवी रख दिया। न सिर्फ उन्होंने रोपड़ को पानी देना मंजूर किया आनन्दपुर साहब जो चैनल है उसके लिए भी आप एग्री कर आये। इसके क्या हमारे सामने परिणाम निकलने आने वाले हैं उसको भी सोचने की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, 600 क्यूसेक पानी इस सिस्टम में है, भाखड़ा सिस्टम में, उसमें से 1250 क्यूसेक की हमारा नांगल हाइडल कैनाल आ रही है जिससे राजस्थान को पानी आता है।

आप आनन्दपुर साहब के लिए उतना ही उनकी कैपेसिटी का पानी दे आये तो हमारे राजस्थान के हिस्से का क्या होगा। कोटला गंगवाल में बिजली बनेगी उसके लिये पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिये आपने जो यहां वचन दिये उनकी हमेशा अवहेलना देखता चला आ रहा हूं घोषणाओं की अवहेलना देखता चला आ रहा हूं, इसलिये आपके सिर्फ वचन देने से संतुष्ट नहीं होंगे। हमें कागज पर लिखा हुआ चाहिये, जो समझौता हुआ है उसमें कोई आप परिवर्तन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इस बारे में हमें स्पष्टीकरण चाहिए। हमारी यही शंकायें हैं इन शंकाओं की वजह से सदन में उत्तेजना हो रही है। मुख्य मन्त्री जी, आप अगर इसके बारे में स्पष्टीकरण लाये हों और हमको संतुष्ट कर पाये तो आपको बहुत-बहुत बधाई देने वाले और माला पहनाकर स्वागत करने वाले हम लोग सबसे पहले होंगे।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं नहीं भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विभिन्न दलों के सम्मानीय सदस्य, माननीय नेताओं ने अपनी अपनी बात इस डिबेट में रखी है मैं उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनको एक सबसे बड़ी शंका है, मुझे आशा है कि मैं उनकी शंका को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा ....

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये, पहले अखबारों के आधार पर यह सारी डिबेट कल और आज हुई है अखबार के आधार इनको सबसे बड़ी शंका है वह यह कि हरियाणा और पंजाब के पानी के बंटवारे में कमीशन बैठेगा और कमीशन ने अगर कोई फैसला कर दिया तो क्या होगा। यही इनको शंका है सबसे बड़ी....

(व्यवधान)

सुन लीजिये पहले, मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं, जो अखबार पढ़े उसके आधार पर, बात सुन लीजिए मेरी × × × मैं एक बात

× × × शब्द मा. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

निवेदन कर देना चाहता हूं कि ग्राधार, ग्रखबार में यह ग्राया है 1-7 85 जो पानी राजस्थान को मिलता है वह मिलता रहेगा', इसमें यह नहीं लिखा है कि इससे ग्रधिक नहीं मिलेगा। सुन लीजिए पहले जो ग्रखबार में बात है वह, यह मिनिमम है, यह कहीं नहीं लिखा कि इससे ग्रागे नहीं मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा दूसरी बात जो इनकी शंका है सून लीजिये ग्राप।

श्री शोपत सिंह : बाढ़ ग्रा गई तो कैसे रोकेंगे....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापस में बात नहीं माननीय शोपत सिंह जी।

श्री ईश्वर लाल सैनी : जो शंका है वह यह है कि हरियाणा ग्रौर पंजाब के पानी के बंटवारे में एक कमीशन बैठेगा वह कमीशन जो फैसला करेगा वह पंजाब ग्रौर हरियाणा को बाध्य करेगा कि वह इसको मानें। इसमें यह शब्द नहीं है कि राजस्थान उससे बाध्य होगा। हम बाध्य नहीं हैं। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट में जायें, क्यों कहीं पैरवी करें ? जो भाषा है, इससे हम कहीं भी बाध्य नहीं हैं। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ग्रगर राजस्थान उसमे पार्टी हो, बाध्य केवल वही होंगे, हरियाणा ग्रौर पंजाब, उस फैसले से जो कमीशन बैठेगा ग्रौर कमीशन में फैसला किन-किन ने किया है, भारत सरकार ने ग्रौर लोंगोवाला ने, जो ग्रकाली दल के ग्रध्यक्ष हैं उन्होंने फैसला किया है कि वह जो फैसला होगा पानी के बंटवारे का पंजाब ग्रौर हरियाणा के बीच, राजस्थान के बीच नहीं। इसलिए हम इसमें पार्टी नहीं हैं ग्रौर पार्टी नहीं हैं का मतलब सीधी सी बात है कि ग्रगर कोई फैसला होगा तो उसमें पंजाब ग्रौर हरियाणा बाध्य हैं, हम बाध्य नहीं हैं। हम फिर कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ग्राज समझता हूं कि मिनिमम वाटर तो यह है ग्रौर मैक्सीमम हमारा तो वही होगा जो 1955 ग्रौर 1951 की संधि में हुग्रा था। यही मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। ग्रभी नाथूसिंह जी।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। ग्राप संक्षेप में कहिये।

श्रीमती हमीदा बेगम : एक मिनट मुझे सुन लीजिये।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, बैठिये। नाथूसिंह जो को कह दिया है। श्री नाथूसिंह।

श्री शोपत सिंह : कितने जालिम हैं यह लोग।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हमें विश्वास है कि उधर जितने माननीय सदस्य बैठें हैं वह भी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। उनके भाषणों से पता लगा है, लेकिन दो तीन बातें हैं जो मैं माननीय मुख्य मन्त्री से जानना चाहूंगा...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : पहली बार मुख्य मन्त्री जी को हमने उग्र रूप से आज हाउस में देखा, इससे पहले मुख्य मन्त्री जी को इस रूप में हमने नहीं देखा । इसलिए जो शंका हमारी थी उस शंका को बल मिला, आज वह सीधे दिल्ली से आये हैं, कल उन्होंने कहा था कि इस मामले मे मेरी भी उतनी चिंता है जितनी आप लोगों की इसलिए मैं प्रधान मन्त्री जी से बात करने जा रहा हूं और आते ही उग्र रूप में देखा जिसका तात्पर्य यह था कि सदन की भावनाओं को प्रधान मन्त्री के सामने रखा उन्होंने और वहां से उनको बहुत बुरी तरह से लताड़ मिली, इस कारण.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने प्रिजम्प्शन पर बात नहीं करें, जो बात आप जानते हैं वह कहें, कृपया आप इर्रेलेवन्ट हो रहे हैं । फिर उत्तेजना पैदा होगी सदन में ।

श्री नाथूसिंह : हो सकता है, प्रधान मन्त्री जी ने मौखिक रूप से उनको कुछ भी आश्वासन दिया होगा, लेकिन रिटिन में, कानून में रिटिन डाकूमेंट. ...

श्री अध्यक्ष : यह सब बातें हो चुकी हैं । आप दोहरा रहे हैं उनको ।

श्री नाथूसिंह : मैं पूछना चाहता हूं सेक्शन 9 के क्लाज 1 में जो 'राजस्थान' शब्द एड किया गया है, आप या तो उसे हटा दें या आप 9 में दूसरा कोई क्लाज ऐसा जुड़वा देते जिसमें लिख दिया जाता कि राजस्थान इसमें अफेक्टेड नहीं होगा । यह अगर राजस्थान सरकार अपनी पैरवी दिल्ली में करती, क्योंकि सारे क्लाजेज को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, 9.1, 9.2, 9.3 । इनको अलग-अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई अलग क्लाज जुड़वाकर यदि आप करा देते कि राजस्थान के हित इससे अफेक्ट नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि इससे हमारी शका है....

श्री अध्यक्ष : वही बात कह रहे हैं जो आपके नेता कह चुके हैं । आप उसको दोहरा रहे हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : हो सकता है उनके समझ में नहीं आई हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए यह समझौता हुआ है, राष्ट्रीय एकता को विरोधी दल विशाल हृदय से लें, राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में सोचना चाहिए । यह हम स्वीकार करते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह लगता है कि यह आपकी वही पार्टी है जिसने त्रिपुरा में युवा विद्यार्थी संघ ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, आप बैठें कृपया बैठें । आर्डर

(श्री अध्यक्ष)

प्लीज, कृपया समाप्त करें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप बैठें कृपया। आप लालचन्द जी पहले बैठें....

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी। आर्डर प्लीज। आप अपनी बात कहें। आप दूसरी बात कह रहे हैं—.

श्री नाथूसिंह : दूसरी नहीं कह रहा हूं .

श्री अध्यक्ष : इर्रेलेवेन्ट कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इसलिए माननीय सदस्य जनता सरकार पर आक्षेप लगा रहे थे.....

श्री अध्यक्ष : लालचन्द जी, बैठें। खड़े नहीं रहें, आप बैठें।

श्री नाथूसिंह : जनता सरकार ने यह किया, जाइन्ट कन्ट्रोल की बात की तो पंजाब की जाइन्ट कन्ट्रोल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। कहा गया कि यह जनता सरकार ने किया। जनता सरकार ने इस तरह का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस संबंध में आप नया कोई क्लाज जुड़वायें, और यदि वे नहीं जोड़ते तो सुप्रीम कोर्ट में जायें.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। श्री मोहन छंगानी। संक्षेप में।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : संक्षेप में अध्यक्ष महोदय, आज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने काफी मुद्दे कवर किये और हमको भी कवर करने की आज इजाजत दें।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना ध्यान रखें जो बातें आ चुकी हैं उनको नहीं दोहरायें।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही गहरे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम यह नहीं मानते, कम से कम मैं तो नहीं मानता कि इधर बैठने वाले सदस्य कम देशभक्त हैं और वे ज्यादा देशभक्त हैं। राज्य सरकार भी राजस्थान के लिए इतनी ही कमिटेड है जितने हम हैं। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री और लोंगोवाल के बीच में जो भी समझौता हुआ वह समझौता पंजाब की समस्या को हल करने में एक अच्छा कदम है और स्वागत योग्य है। इसमें भी कोई दो बात नहीं है। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि मुख्य मन्त्री जी बहुत बड़े देशभक्त हैं और हम उनको श्रद्धा से देखते हैं।

यह भी मैं मानता हूं कि जो फाउन्डिंग फादर का जो रेफरेन्स दिया है शिवचरण जी ने, वह बहुत मौजूं दिया है। फाउन्डिंग फादर मैं नेहरू को मानता हूं और नेहरू का मैं फ़लोअर ही नहीं भक्त भी हूं। पर सवाल यह उठता है कि आज काफी लम्बे चौड़े एरिया को कवर कर किया है शिवचरण जी ने, राष्ट्रीय एकता से लेकर सिख

(258)

(श्री मोहन छंगाणी)

समस्या तक सारी की सारी बातें आज सदन में आई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिख समस्या के बारे में जब से शुरू हुई तब से कहना चाहता हूं पर लम्बा वक्त लग जायेगा इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन थोड़ा इस पर जाऊंगा जरूर। 9(1) और 9(2) का जब इन्टरप्रिटेशन आता है तो हम मानकर चलते हैं कि इसको ग्रामर हम भी समझते हैं कि 9(1) में मिनिमम वाटर के लिए कहा गया है मैक्सीमम वाटर के लिए नहीं कहा गया है। यह हम समझते हैं, और 1-7-1985 की बात मानी गयी है। पर सवाल यह है कि इस समस्या को हमें सिख राजनीति की परिप्रेक्ष में समझना पड़ेगा। सत्य कौनसा है? आज लीगल डाकुमेंट के लिए भी आपको इन्टरप्रिटेशन के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है। यों हर एक शब्द को समझने के लिए सीमान्तक का सिद्धांत बना हुआ है उसके आधार पर हम समझते हैं कि इस वर्ड का मध्यकालीन मतलब क्या था और आज का मतलब क्या है। इस 9 (1) और 9 2) को समझने के लिए हमें शब्दों से परे जाना पड़ेगा तब जाकर सत्य का पता लगेगा। वैसे हम सत्य को फिर भी ढूंढ नहीं पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या सिखों की समस्या है। जब सिखों पर ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने फतह पाई तो सबसे पहले कलकत्ता का जो गैरीजन कमाण्डर था उससे पूछा गया कि तुम 30 हजार आदमी इतने बड़े हिन्दुस्तान के ऊपर कैसे राज्य करोगे तो उसने कहा हम इसलिए राज कर सकते हैं कि हमें अंग्रेजों को बाहर से यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहीं हमारे दो सबसे बड़े दोस्त हैं एक तो सिख और एक गोरखा। यहीं से सिखों की राजनीत शुरू हुई, अध्यक्ष महोदय। इसके बाद में ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने लाहौर में सर्वे शुरू करवाया। उस वक्त इनकी करीब साढ़े तीन लाख की आबादी थी। उस समय तक अध्यक्ष महोदय, हिन्दुओं और सिखों में कोई भेद नहीं था। फण्डामेंटल भेद नहीं था, फंक्शनल भेद माना जाता है। कोई हिन्दू सिख हो जाता था और कोई भी सिख हिंदू हो जाता था। दाढ़ी कटाई और हिन्दू बन गया। जब भी लड़ने की जरूरत पड़ी सिख बन गया। फंक्शनल डिफरेन्स था फण्डामेन्टल डिफरेन्स नहीं था। इसके बाद अंग्रेजों ने इनकी जड़ों में जहर बोना शुरू किया। सिख धीरे-धीरे अपने को अलग महसूस करने लगे। यहां तक कि हिन्दुओं की जो मूर्तियां थीं वह भी सब गुरुद्वारों से हटा दी गयीं। पहले पहल, अध्यक्ष महोदय, जब गांधी जी 1916 में पंजाब गये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके विषय पर ही बोलिये। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका ध्यान रखें कृपया।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे राजनीति के बारे में बात तो कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : करें आप बात लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका ध्यान रखें।

श्री मोहन छंगाणी :... आप जब तक सिख राजनीति में नहीं जायेंगे, जब तक

(श्री मोहन छंगाणी)

अकाली राजनीति में नहीं जायेंगे तब तक 9 (1) और (2) का कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया नेशनल लेवल पर सोचिये।

श्री मोहन छंगाणी : आप सुनिये, अध्यक्ष महोदय। 1916 में जब गांधी जी गये तो गांधी जी मानकर चलते थे कि हिन्दू और सिखों में कोई डिफरेन्स नहीं था। जब उन्होंने पहले पहल भाषण देना शुरू किया तो एक गुजराती उठकर गांधी जी के कान में आकर कहता है कि तुम सिखों को इस तरह से ट्रीट करोगे तो सिख बड़े नाराज होंगे। महात्मा गांधी ने 1916 में अपनी डायरी में लिखा कि उस दिन से मैं हमेशा सावचेत रहा और कोई भी ऐसी बात कहने को मजबूर नहीं हुआ कि जिससे सिखों और हिन्दुओं दोनों में अलगाव की स्थिति आये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आप और हम सबको मालूम है कि अकाली राजनीति की शुरूआत हुई यहां से। माउण्ट बेटन के सामने यह सब गये तारासिंह वगैरहा उस समय भी, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हिस्से की बात हुई। लार्ड स्टेनले ने यह वर्णन किया है कि किस-किस के हिस्से कौन सा खालिस्तान है। उस समय अंग्रेजों ने पहली दफा खालिस्तान और सिखिस्तान के बारे में किताब पब्लिश की वार टाइम में। वह सबसे ज्यादा कीमती किताब थी। इस प्रकार सिखों में अलगाववाद के बीज बोये गये। इसके बाद की अकाली राजनीति आपके सामने है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आनन्दपुर प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव यह है कि हैड वर्क्स पर हमारा कब्जा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद वाइट पेपर में आया। वाइट पेपर में यह खुल्लमखुल्ला लिखा है कि यह ...

प्रो. केदार नाथ : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य सारे सिखों का नाम ले रहे हैं। सिखों ने तो आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वही मैंने कहा।

श्री मोहन छंगाणी : मैं राजनीति के परिप्रेक्ष में ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, अकाली राजनीति की शुरूआत....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : That I have already told. यह मैं कह चुका हूं पहले। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती इकबाल कौर : मैं एक ही बात पूछना चाहती हूं, क्या आप यह चाहते हैं कि आपस में लड़ाई-झगड़े होते रहें और आपको मजा आता रहे? ... आप क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आपका नाम आये।

252

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।.... कृपया बैठें, माननीय सदस्या, आप बैठें।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इस पर अकाली राजनीति में एक आनन्दपुर प्रस्ताव आया। उसमें पहली शर्त थी कि हैड वर्क्स सारा का सारा हमारे कब्जे में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी देश की सबसे मजबूत प्रधान मंत्री थी। साफ तौर से जब मांग की गयी राजस्थान के एरिया की, राजस्थान के पानी की तो उन्होंने भी एग्री कर लिया था कि 1955 के एग्रीमेंट रीसाइन्ड कर दिया जाये और सारे राइट्स, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों और चाहे पंजाब के हों, सुप्रीम कोर्ट के जज को रेफर करा दिये जायें रिवर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर ...

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : एग्रीमेंट को कोई रीसाइन्ड कर दिया जाये प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने कभी नहीं कहा।

श्री मोहन छंगाणी : मैं प्रधान मंत्री की नहीं, व्हाइट पेपर की बात कर रहा हूं। तो रिवर वाटर डिस्प्युट जो भी है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में जो भी रिवर डिस्प्युट है उस सारे डिस्प्युट को रैफर कर दिया जाये सुप्रिम कोर्ट के जज को।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 9 (1) और 9 (2) के बारे में रेज करें समस्या, वह समस्या उस राजनैतिक परिप्रेक्ष में, उस राजनैतिक सदर्भ में जिस संदर्भ में अकाली डिमाण्ड आगे बढ़ी, अकाली डिमांड टैररिज्म के जरिये, हिंसा के जरिये और देश के बीच में काम करके जिस देश से व्यवहार किया जाये उस राजनीति की उपज है अकाली डिमाण्ड और अकाली डिमाण्ड पर जब भी हम समझौता करेंगे राजस्थान का पानी देना का तो हमारा सरेन्डर बडा ही शर्मनाक सरेन्डर होगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि 9 (1) और 9 (2) का इन्टरप्रिटेशन उसके वर्ड से नहीं लिया जाये बल्कि उस राजनैतिक संदर्भ में लेना चाहिये। आज, अध्यक्ष महोदय, हम हैड वर्क्स के ऊपर बावजूद इसके कि हमारा राज था, मैं भी उस राज का मैम्बर रहा एक समय हम हैड वर्क्स पर अपना कब्जा नहीं जमा सके जो हिस्से का कब्जा होन चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये हमें करना पड़ता है। फैडरलिज्म का जो ढांचा था जो नेहरू जी ने बनाया आज वह चरमरा गया है। आज, अध्यक्ष महोदय, असम की पुलिस और मणिपुर की पुलिस आपस में लड़ती है जब फैडरलिज्म का ढांचा चरमरा गया, माननीय शिवचरण जी कह रहे थे कि हमने यह प्रयत्न किया, हमने यह प्रयत्न किया। मैं उनमें अविश्वास नहीं करता पर सवाल यह है कि प्रयत्नों का क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला ? अध्यक्ष महोदय, आज भी हैड वर्क्स की वो को वो हालत में हैं। आज फैडरलिज्म का जो फंक्शन होना चाहिये उस फैडरलिज्म के आधार पर हमारा कब्जा होना चाहिये हैड वर्क्स पर हम कब्जा नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय, सन् 1981 में जो एग्रीमेंट हुआ इसलिये हम उसकी निन्दा करते हैं कि हमारे हिस्से का पानी दे दिया गया पंजाब को, और आज हम लेने में सक्षम भी

(श्री मोहन छंगाणी)

नहीं हैं। इसलिए हमें डर यही है, 9 (1) और 9 (2) का स्पेसिफिक इन्टरप्रिटेशन राजस्थान को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी ? कोई जरूरत नहीं थी, राजस्थान का कोई डिस्प्युट ही नहीं था। राजस्थान का डिस्प्युट पंजाब और हरियाणा के साथ नहीं था। तो राजस्थान को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर हम सोचें कि राजस्थान क्यों आया, और आया तो राजस्थान के बारे में काफी स्पेसेफिक बात कहनी चाहिये थी कि जो 8.60 हमारा शेयर है 1955 के एग्रीमेंट में, वह राजस्थान का शेयर इन्टैक्ट रहेगा। हम यह नहीं कहते कि राजीव गांधी हमको धोखा देना चाहते हैं या कुठाराघात करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम बात करते हैं....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जो आप फरमा रहे हैं, 9 (2) यही कहता है।

श्री मोहन छंगाणी : 9 (2) अपने को अफैक्ट नहीं करती।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : The fact that you are not a party, in effect recognises your non-participation in this agreement.

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, We may not be a party, I agree, but why Rajasthan came in in 9.1 ? That is the question.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 9.1 is with reference to 1981.

श्री मोहन छंगाणी : That is a far fetched interpretation. Rajasthan came in because Rajasthan has been roped in the agreement. It should not have been. That is our interpretation.

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : और हम यह कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, अकाली राजनीति के फलस्वरूप आज हैड वर्क्स पर उनका कब्जा है, आज पानी कितना दें, क्या दें, यह भी उनका कब्जा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी यह हमारी कमजोरी रही है। जब हम पहले पहल प्लानिंग कमीशन में मिले 1972 में, डी. पी. धर हमारे मित्र थे और जब हम मिले तब उन्होंने कहा, आपको लिफ्ट केनाल की क्या आवश्यकता है जब कि आप के पास से पानी का यूटिलाइजेशन होता है, अनयूज्ड वाटर रहता है। आप को लिफ्ट कैनाल की क्या आवश्यकता है इसलिये पानी दूसरों को दे दया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जितना पानी हमारे हिस्से का था उसको हम यूटिलाइज भी नहीं कर पाये। कमाण्ड एरिया डवलपमेंट में हमारी कमजोरी रही जो पानी था वह यूं का यूं ही पड़ा रहता था, या उसे डिप्रेशन में भरते थे या इधर-उधर उपयोग करते थे। और यही घग्घर के शिफ्ट वाटर और सारे के सारे पानी का है। मैं नरेन्द्र सिंह जी भाटी को ईमानदार मानता हूं, सब के सामने कहता हूं परन्तु

(257)

(श्री मोहन छंगाणी)

सवाल यह है कि राजस्थान कैनाल पर जितना पैसा लगा, उतना का उतना पैसा वहां के इन्जीनियर खा गये। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में खास तौर से आपके द्वारा ब्यूरोक्रेसी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसी समस्या और ऐसे चौराहे पर राजस्थान खड़ा हो गया है कि आप कम से कम इस समय, इस वक्त देश भक्ति बतायें, और जो हमारा पानी है उसे हम कम से कम खेतों में यूटिलाइज कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, आज भी हम 8.60 की बात करते हैं और हमारे यहां मैक्सिमम वाटर 4.50 आता है। आज 3.50 एम ए एफ हम सिर्फ खेतों में यूटिलाइज कर रहे हैं। यह हमारे लिये शर्म की बात है, अध्यक्ष महोदय, आज जब हम हमारे हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर सकते तो उनकी दृष्टि जाती है कि आप पानी उपयोग ही नहीं करते हो। देश भक्त बन जाओ, प्यारों-तो देश भक्त हम बन जाते हैं जैसे शिवचरण जी बने। लेकिन देश भक्त बनने से पहले अपने हिस्से का पानी भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने यहां पर कुछ कहने का दूसरा असर भी होता है, कृपया ध्यान रखें। राजस्थान के हितों की बात करते-करते कहीं अपने राजस्थान के अहित की बात न कर जायें।

श्री मोहन छंगाणी : कभी नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : इसलिये मैं कहता हू, अध्यक्ष महोदय यह बातें सब जानते हैं। दिल्ली वाले जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं इसलिए इस 9(1) और 9(2) को उस सन्दर्भ में इन्टरप्रिटेट करें ताकि इसका मामला साफ हो।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। हम जो बात करते हैं मुख्य मन्त्रीजी के बारे में, राजनैतिक बात करते हैं, सही है। हमारे और मुख्य मंत्रीजी में कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई अन्तर्द्वन्द्व नहीं है। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान को पानी मिले और मुख्य मन्त्री जी भी चाहते हैं कि राजस्थान का हिस्सा किसी तरह से कटे नहीं। पर सवाल यह है कि आज जिस तरीके से राजनीति चल रही है उस संदर्भ में हमें कहना पड़ता है, उस राजनीति में राजस्थान नाकामयाब रहता है, अकाली कामयाब हो गए। सारी हिंसा की राजनीति, मर्डर की राजनीति, बम मारने की राजनीति, प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी की राजनीति, वह राजनीति कामयाब होती है ज्यादा पानी ले लेती है। चण्डीगढ़ हम चाहते हैं। चण्डीगढ़ दे दो, कोई बात नहीं। पंजाब के जो हक हैं उनको देने चाहिए। परन्तु आज उस राजनीति की फतह होती है और हमारी शिष्टता की राजनीति है, हम अच्छी तरह से बात करने की राजनीति करते हैं उस राजनीति की हार होती है। यह हमने 1981 के समझौते में देखा है हम उस समझौते को कभी भी रिपीट नहीं होने देंगे। हम यह

(श्री मोहन छंगाणी)

चाहते हैं कि यह जो 9(1) और 9(2) में राजस्थान को बिना मतलब घसीटा गया, उसको साफ किया जाये। यह स्पेसिफिकली एनग्राउंस होना चाहिये कि 1955 के जो राइट्स हैं सतलज-रावी-व्यास में पानी के अन्दर, हमारे उन हितों का नुकसान न हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं समझता हूं ··· आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमुवा राम गढ़) : मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूं, भाषण नहीं देना चाहता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्लोक हो गये अब।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : यह एक इससे सम्बन्धित नीति का श्लोक सुनाना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : श्लोक सुन लीजिये, साहब····

श्रीमती हमीदा बेगम : मैंने एक मिनट मांगा है।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : चाणक्य नीति का एक श्लोक सुनाना चाहता हूं ··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें आप। कृपया बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट दूसरी है, माननीय सदस्या। आप बैठें।

श्रीमती हमीदा बेगम : लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक मिनट मांगा है इस सदन का।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

वैद्य भैंरूलाल भारद्वाज : चाणक्य, जो इस देश के महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हुए हैं उनका एक श्लोक सुनाना चाहता हूं :–

राष्ट्रं हितं च सौख्याय,
प्रांतं चिन्हो न भवेत,
प्रान्तं हितं समालम्ब्यम,
जनपदे न दुख भवेत।
जनपदे हितं साव्येन्तु,
ग्रामं हितं न धारेत,
ग्रामं.हितं समाख्यातम,
कौटम्कम न पोक्ष्येत ॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाणक्य जिसने इस देश को राजनीति और कूटनीति का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ गये। कृपया बैठें। हमीदा जी, भी कुछ कहना चाहती हैं। आर्डर प्लीज।

(258)

श्रीमती कमला : एक बार में स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने सदन में बार-बार ट्रिब्युनल का रेफरेंस देकर बहुत भय और गलतफहमी पैदा करने की चेष्टा की है कि आप यहां तो आश्वासन दे रहे हैं माननीय प्रधान मंत्रीजी भी आश्वासन दे रहे हैं....

(व्यवधान)

सुनिये तो सही। मैं कह रही हूं, मेरा कहने का हक है। आप सुनिये....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको हक नहीं है, अध्यक्ष महोदय, सरकार एक बार बोलती है...

श्रीमती कमला : बार-बार भी बोल सकते हैं, बहुत से माननीय सदस्य बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्रीमती कमला : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया था, और कई माननीय सदस्यों ने उठाया था कि आप यहां तो आश्वासन दे रहे हैं लेकिन ट्रिब्युनल में जब जायेंगे तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या....

श्रीमती कमला : मैं ट्रिब्युनल की बात कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में कह दीजियेगा एक बार सुन लें औरों की भी।

श्रीमती कमला : ट्रिब्युनल में जब आप जायेंगे तो किस की पैरवी करेंगे, कैसे अपने हकों को बचायेंगे, यह गलत फहमी पैदा करने की चेष्टा की गई है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : माननीय चतुर्वेदी जी, एक मिनट सुन लीजिए। ट्रिब्युनल का जो रेफ्रेंस दिया गया है बार-बार ...

श्री अध्यक्ष : आप बाद में कह दीजियेगा, एक दो मैम्बर और बोल लें....

श्रीमती कमला : कहने लग रही हूं तो कहने दें। वह फिर एक साथ बोल लेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : बार-बार बोले रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : फिर सरकार की तरफ से कुछ कहना है तो कह दीजियेगा। श्रीमती हमीदा जो, क्या कहना चाहती हैं ?

(व्यवधान)

आप कहियेगा, बहुत ढंग से कहियेगा। आप बिलकुल संक्षेप में कहें।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : बिलकुल संक्षेप में कहूंगी। न पार्वी की बात कहूंगी न कोई चीज। एक बात जो कल से अटक रही है मैं कहना चाहती हूं। यह सदन राजस्थान का सर्वोच्च सदन है। कल जब हमारे सामने पजाब का समझौता आया तो हमने एक तरफ राहत की सांस ली थी वहीं हमें खटका हुआ था कि पानी के समझौते के तहत हिन्दुस्तान का थार का रेगिस्तान फिर रेगिस्तान नहीं रह जाये जिसको हरा करके हम हिन्दुस्तान का पेट भरना चाहते

(श्रीमती हमीदा बेगम)

हैं लेकिन कल इस बात को गम्भीरता से लिया गया। मैं जहां तक सोचती हूं पूरा सदन इस पर सहमत हुआ, हमारे मुख्य मन्त्री जी इस बात से कन्विन्स्ड हुए। उन्होंने यह बात कही सदन के सामने कि राजस्थान के हकों के अन्दर अगर किसी प्रकार का कुठाराघात हुआ तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। सदन के अन्दर जब कई माननीय सदस्यों ने पुनः इस बात को उठाया कि पहले हाउस एडजार्न किया जाये....

(9.00 रात्रि)

तो उस बात की गम्भीरता को सदन ने लिया, हाऊस एडजोर्न हुआ....

श्री शोपत सिंह : इस बारे में नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : मैं कुछ कहना चाह रही हूं। विपक्ष के सभी नेताओं के साथ हमारे दल के माननीय नेता बैठे हैं, आप बैठे हैं सभी बैठे हैं। हमें उस समय बीच में खटका पैदा हुआ था। क्या से क्या बात है कि एक प्रस्ताव पास कराने गये और वह प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ। क्यों? हमारे दिल में एक खटका हुआ था लेकिन जब हमारे सदन के नेता, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी जब दिल्ली से लौटकर आये तब हमें कहीं किसी बात का खटका नहीं था। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, जिन्होंने 21वीं सदी के भारत का वचन दिया है, क्या राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करेंगे? लेकिन जब आज हमारे सदन के नेता इस बात के प्रमाण लेकर यहां पहुंचे और हमें इस बात का पता चला....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती हमीदा बेगम : कृपया मुझे सुनें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सदन के माध्यम से मेरी बात को सुना जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्रीमती हमीदा बेगम : मुझे अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि एक नेशनल प्रोबलम थी....

(व्यवधान)

श्री मुक्ति लाल मोदी : चार घंटे हो गये, माननीय अध्यक्ष जी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती हमीदा बेगम : मैं खास बात कहने आई हूं और मैं बैठूंगी नहीं....

(व्यवधान)

(श्रीमती हमीदा बेगम)

मैं निवेदन करना चाहूंगी, मेरी बात को सुनें।

(व्यवधान)

आज माननीय मिर्धा जी ने यह कहा जो कल नहीं हो सका वह आज हो। हमारे दल के नेता ने, सदन के नेता महोदय ने यह बताया कि एक नेशनल प्राबलम थी जिसको किस प्रकार से हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने सुलझाया। अगर उनकी एक शब्द में तारीफ की जाती तो राजस्थान के लिए यह बहुत बड़ा हक साबित होता, हम हमारे हक की मांग कर सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उनके लिये चिन्तित हैं जिनके लिये तूफान मचा, जिसके लिये इन्होंने किसी को हत्यारा कहा, किसी को लोकतन्त्र का हत्यारा कहा। ये माननीय सदस्य क्या इस बात पर नहीं आ सकते थे कि जो समझौता हुआ उसके ऊपर यह कह सकें कि हम उसकी सराहना करते हैं। हमारे राज्य को पानी ...

(व्यवधान)

मैं सदन से कहना चाहती हूं और किसी को इंगित नहीं करना चाहती हूं कि राजस्थान का हक हमारे युवा प्रधान मन्त्री के हाथ में और राजस्थान के मुख्य मन्त्री के हाथ में अपने आप हिफाजत में है। वह हक कभी नहीं मरेगा, इस बात का हमें विश्वास है लेकिन आप लोगों के मन में नेशनलिटि की भावना....

(व्यवधान)

मैं इंगित नहीं करना चाहती हूं....

(व्यवधान)

मैं यही बात कहने के लिए उठी हूं। मुझे यह मतलब नहीं है कि 9(i) में क्या कहा गया है, मैं यह नहीं कहती कि 9(2) में क्या कहा गया है लेकिन वह बहुत क्लीयर है। 1955 का फैसला हमारे सामने है, 1981 का फैसला हमारे सामने है, 1984 का फैसला हमारे सामने है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग जहां राजस्थान की बहुत बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के माननीय नेता राजस्थान के हित की बात करते है, हमारे विपक्ष के नेता वहां पर....

(व्यवधान)

मुझे बहुत अफसोस हुआ, इस बात पर। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर....

(व्यवधान)

अब समाप्त करें, कृपया माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

काफी कुछ हो चुका है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है। अभी माननीय शिवचरण जी माथुर साहब ने अपने भाषण में एक नई बात कह दी। उन्होंने भाषण समाप्त करते हुए यह कहा कि इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास में यह प्रस्ताव आएगा। उस वक्त हम इसको देख लेंगे और हम रिट्रीट कर देंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं कहा है....

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अगर यह समझा जाय कि राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए आयेगा तो मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा की अनुमोदन करने से पहले इस सदन को विश्वास में ले करके फिर कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, 9(1) के अन्दर जो 1–7–1985 तारीख फिक्स की गई है, उस तारीख को जितना पानी होगा उससे पानी कम नहीं होगा....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में थोड़ी शंका पैदा होती है कि 1–7–1985 का सिग्निफिकेशन्स क्या है। क्यों उसी तारीख को लिखा गया कि उस दिन जितना पानी आया उसमें कम नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि 1–7–1985 को सारी नहरें बन्द थीं, राजस्थान कैनाल बन्द थी।

श्री अध्यक्ष : यह तो शोपत सिंह जी ने कह दिया ...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : वही तो मुख्य मंत्री जी को बताना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं.....

श्री लालचन्द डूण्डी : और दूसरी नहरें जो थीं। तो यह 1–7–1985 की जो दिन लिया है, यह जानबूझ करके इसके अन्दर...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : वही तो नहीं मान रहे हैं। मुख्य मंत्री जी को बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका नाम लेना ही गुनाह है क्या? मैंने तो आपकी बात याद दिलाई है।

श्री लालचन्द डूण्डी : इस मुद्दे को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। उसके बाद जैसा माननीय शिवचरण जी माथुर साहब कह रहे थे, जब से पंजाब के बारे में अकालियों से कभी बात हुई, उस 1955 के समझौते को रद्द करने की कोशिश की जाय तो जो आज प्रधान मंत्री जी को हिस्सा बनाया है, पार्टी बनाया है उसके पीछे शायद

(श्री लालचन्द डूण्डी)

कोई यह अण्डरस्टेडिंग हो कि एक बार सिखों को अपीज करके हम किसी तरह का समझौता करवा लें। अध्यक्ष महोदय, पीछे का रेकार्ड है जब भी कभी कोई समझौता हुआ है वह इतिहास यह साबित करता है कि जितने भी गलत हम उनके नीचे दबे हैं उतने ही गलत रिजल्ट्स उसके आये हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री लालचन्द डूंडी : उल्टे रिजल्ट्स आये हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका फिर क्या रह गया बाकी ? जगमाल सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से पानी के विवाद को लेकर बहस चल रही है। मेरा एक निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी और कांग्रेस के सदस्य राजस्थान के हित के लिये चिन्तित हैं, विपक्ष के समस्त माननीय सदस्य चिन्तित हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी भी राजस्थान के हितों की रक्षा करना चाहते हैं और अकालियों से भी हमारा कोई टकराव नहीं है। पंजाब भी राजस्थान के बारे में कोई हक नहीं मांगना चाहता है। एक शब्द है जो 9 (1) में जोड़ा है, वह राजस्थान शब्द हटा दिया जाय। प्रधान मंत्री हमारी रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, पूरा हक देना चाहते हैं, पंजाब को कोई एतराज नहीं, हमको कोई एतराज नहीं तो फिर मात्र इतना सा काम कि एक राजस्थान शब्द 9 (1) में जोड़ दिया उसके लिये दो दिन से सदन में हल्ला हो रहा है। प्रधान मंत्रीजी जब यह चाहते हैं कि राजस्थान का पानी नहीं कटे तो उस शब्द को क्यों नहीं हटा दिया जाय ? माननीय मुख्य मंत्री जी इतना सा निवेदन कर देते। दो दिन से सदन का समय जाया हो रहा है। आप हमारी रक्षा कर रहे हैं तो अकालियों से कह कर शब्द हटा दीजिये....

(व्यवधान)

मेरा एक निवेदन छोटा सा और है....।

श्री अध्यक्ष : हो गया एक तो। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

जगमाल सिंह यादव : एक छोटा सा प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय। कांग्रेसी सदस्य, जो केवल पार्टी के हित को ध्यान में रख कर यहां विरोध कर रहे हैं, ये माननीय सदस्य याद करें, चुनाव लड़ते वक्त, फार्म भरते वक्त इन्होंने राजस्थान के हितों की और देश के हितों की रक्षा करने के लिये शपथ ली थी। मन में इनके भी शंका है आप बाहर ले करके देख लीजिये, इनके मन में शंका है लेकिन....

(व्यवधान)

यह प्रत्येक व्यक्ति कहता है पार्टी की मजबूरी है, इनके भी मन में शंका है लेकिन आज ये उस शपथ को भूल गये। तालियां

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बजाते हैं बिजली का बिल बढ़ता है तो, तालियां बजाते हैं जब राजस्थान का पानी कट कर पंजाब को चला जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, श्री नवरंग सिंह जी, बैठें कृपया। श्री भैरोंसिंह। आप क्या देखना चाहते हैं? आप तो शायद यही चाहते हैं कि मुझसे कुछ कठोर शब्द सुनें। कारण अब मेरे कहने के बावजूद आप एकदम बैठकर हंस रहे हैं क्या समझूं मैं इसको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पूर्व में दिये गये सरकारी पक्ष के भाषण और राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये ज्ञापन इस बात के साक्षी हैं कि हमने राजस्थान कैनाल में 7.5 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग करने का पोटेन्शनल क्रीएट कर लिया है। अब मैं, अध्यक्ष महोदय, कुछ गलत बोल रहा हूं इन आंकड़ों के सम्बन्ध में, तो राजस्थान कैनाल मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा वह मुझे करेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष : इम्तहान लेने के लिए गलत मत कह देना आप। इम्तहान लेने के लिए गलत मत कहना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (पर्यटन मंत्री): I am glad you have given me that opportunity.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह कर लीजिए लेकिन मैंने आपको बताया कि 7.5 मिलियन एकड़ फीट पानी यूटिलाइज करने का पोटेन्शयल क्रीएट हो गया। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आर्गुमेंट के लिए यह मान लूं कि 6 मिलियन एकड़ फीट पानी यूटिलाइज करने का पोटेन्शयल क्रीएट हुआ है तो मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सन् 1955 और सन् 1981 का समझौता माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने है। माननीय सदस्यों ने भी उसका अध्ययन किया होगा। उस समझौते में साफ लिखा हुआ है कि respective States shall be entitled to utilise their full share. मैं समझता हूं इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 1955 में अधिकार मिला, 1981 में हमको अधिकार मिला कि हम अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर सकते हैं। कितने पानी का उपयोग कर सकते हैं 8.6। 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग करने का अधिकार 1955 में एग्रीमेंट से हमको मिला और 1981 के एग्रीमेंट से वह रीट्रीट हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि हमें कोई यह कहे कि आपको एक जुलाई सन् 1985 का जो पानी उपयोग में मिल रहा है, उसी पानी का उपयोग आप करते रहेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम 8.6 का उपयोग क्यों नहीं करते रहेंगे? हमें जब एक अनइन्टरप्टेड राइट था कि हम 8.6 का इस्तेमाल कर सकते हैं और करने का हमारा अधिकार है तो इस समझौते में यह बाधा उपस्थित करने का क्या मतलब कि एक जुलाई सन् 1985 को राजस्थान के काश्तकार जितने पानी का उपयोग करते थे वह पानी उनको मिलता रहे। इन दोनों एग्री-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मेंट्स के संदर्भ में इस शर्त का अर्थ क्या है ? यह शर्त लगाना आवश्यक था क्या ? यह शर्त यदि अनावश्यक थी तो इस एग्रीमेंट मे शामिल क्यों की गयी ? अध्यक्ष महोदय, इन एग्रीमेन्ट्स के आधार पर हमारा अधिकार है।

माननीय सदस्य यह कहें कि मिनिमम वाटर यूटिलाइज करने का, इस लेवल तक वाटर यूटिलाइज करने का अधिकार हमारे लिए सुरक्षित होगा, इसकी क्या आवश्यकता थी भारत सरकार को कहने की? हमें तो 1955 के समझौते में अधिकार मिला हुआ था, 1981 के समझौते में अधिकार मिला हुआ था। भारत सरकार को किसने जाकर जगाया और किसने जाकर रिक्वेस्ट की कि वह इस तरह का एग्रीमेंट करे और उसमें यह कहे कि 1-7-1985 को जितना पानी आप उपयोग करते थे काश्तकारों को उतना पानी मिलता रहेगा ? कहने को आवश्यता क्या है ?

मैं कहना चाहता हूं पूछना चाहता हूं श्री शिवचरण जी माथुर साहब से उन्होंने एग्रीमेंटस किये हैं, और लोगों ने भी एग्रीमेंट्स किये है, एग्रीमेंट्स में कोई सुपरफ्लुअस भाषा का उपयोग, अनावश्यक रूप से पैरा उसमें एड नहीं किये जाते, अनावश्यक बातों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। इस आधार पर मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप यह समझते हैं कि यह अनावश्यक है ? क्या आप यह समझते है कि इसकी इस संदर्भ में कोई आवश्यकता थी ? इस संदर्भ में इसकी आवश्यकता थी इसलिए भारत सरकार ने इसको शामिल किया है।

अब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है कि हमारा पोटेन्शल क्रीएट हो गया, हम पानी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और हमें क्या पानी की स्थिति में सुरक्षित रखा गया है। इन तीनों बातों को मिलकर देखा तो इसका सीधा अर्थ निकलता है सीधा चाहें मुख्य मंत्री जी स्वीकार करें या नहीं करें कि 1955 और 1981 में हमको जो अधिकार मिला था उस अधिकार के ऊपर यह अंकुश लगाया है, उस अधिकार पर यह अंकुश है। अब मैं घर में दो रोटी खा सकता हूं, मुझे दो रोटी मिलती है पर तमाम दिन भर में मेरा दो रोटी से काम नहीं चलता। मेरी 6 रोटी खाने की आदत है। एक तारीख तक मुझे दो रोटी मिली और आगे मेरी 6 रोटी की खुराक है। मेरे घर वाले यह फैसला कर लें कि आपको मिनिमम दो रोटी तो मिलती रहे मतलब 4 की तो कोई गारंटी नहीं और इस आधार पर मैं कहता हूं कि इस संदर्भ के अन्दर बात कही गयी है कि 1-7-1985 को जितने पानी का उपयोग किया जा सकता है उतना आपको पानी मिलता रहेगा, मिनिमम इतना मिलता रहेगा।

मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के प्रधान मंत्री को कि राजस्थान के हिस्से में मिनिमम और मैग्जिमम को तय करने का अधिकार आपको किसने दिया, किसने अधिकार दिया ?

अब अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि अभी यह बात कही गयी, माननीय शिवचरण माथुर ने कही कि 1981 का समझौता, यह केवल मात्र रीइट्रेशन है। माथुर सहाब, यह यदि केवल मात्र रीइट्रेशन होता.... .

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, केवल मात्र नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो इस पर कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन केवल रीइट्रेट ही नहीं किया। आप अपने पक्ष की बात कहते हैं कि हमें 1.6 मिलियन एकड़ फिट ज्यादा पानी मिला। यह आपकी जानकारी में तो है लेकिन सदन को यह बताना चाहता हूं कि 1955 के एग्रीमेंट में भी एक क्लाज है कि यदि फ्लो सोर्स के आधार पर पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो 1950 के बेसिस पर प्रो रोटो पानी की मात्रा में इन्क्रीजेज होंगे, अध्यक्ष महोदय, इस समझौते में यह बात आ गयी यहां तक मुझे इस समझौते से कोई आपत्ति नहीं मुझे समझौते में उस समय आपत्ति हुई जिस समय इस समझौते में यह लिख दिया गया कि राजस्थान जब तक अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर सके, वह सरप्लस वाटर होगा और वह पंजाब को उपयोग करने का अधिकार होगा। इसका विरोध इसी आधार पर किया था उसी आधार पर मैं आज भी 1981 के समझौते को ठीक नहीं समझता। केवल मैंने ही ठीक नहीं समझा हो ऐसी बात नहीं माननीय शिवचरण जी माथुर ने ट्रीपारटाइट की बात कही जो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मजबूर होकर मुझे कहना पड़ेगा कि यही मुख्य मंत्री जी हैं, जिन मुख्य मंत्री जी ने अपने हाथ से किये हुए समझौते को ट्रीपारटाइट कान्फ्रेंस के अन्दर स्टैप करने की बात को मंजूर किया और, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस आधार पर नहीं कह रहा कि भारत सरकार का व्हाइट पेपर और इस व्हाइट पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा है, यह मैंने नहीं लिखा है यह लिखा है भारत सरकार ने ट्रीपारटाइट कान्फ्रेन्स में क्या तय हुआ था क्या निर्णय हुआ उसमें अकाली दल के प्रतिनिधि थे, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि थे, विरोधी पक्ष के नेता उसमें थे और अखिल भारतीय स्तर पर विरोधी पक्ष के नेता उसमें थे। भारत सरकार के 5 मंत्री इन सबके बाद निष्कर्ष क्या निकला वह एक लाइन आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं–

"After a series of protracted discussion and taking in to account the views of the States of Punjab Haryana and Rajasthan, the following formula for settling the river waters issue was put to the Aqali representatives."

उसको रिसाइन्ड कर दिया जाय। सारे जो राइट्स हैं–चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे पंजाब के हों सारे सुप्रिम कोर्ट के जज को रैफर कर दिये जायं। रिवर वाटर डिस्प्युट में जो भी चैप्टर आता है उसमें रैफरेंस है....

अकाली रिप्रजण्टेटिव को हमने सब ने मिलकर तय किया वह यह था कि :

"Agreement of December 31, 1981 between the Governments of

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

Punjab, Haryana and Rajasthan regarding allocation of surplus flow of Ravi Beas will be treated as rescinded.

अब इसका मतलब यह है कि केवल मेरे स्वीकार करने की बात नहीं है। जिन्होंने समझौता किया शिवचरण जी माथुर ने, उन समझौता करने वाले मुख्य मंत्री जी ने उस समय स्वीकार किया कि it should be scraped and it was scraped at that time.

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं कि उस वक्त इस प्रकार का कोई समझौता हुआ नहीं था। यह कभी स्वीकार नहीं किया, यह तो डिस्कशन का पार्ट है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कब कह रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : इसका एग्रीमेंट हुआ नहीं था। उनकी खुद की पार्टी की मांग थी, उसको हमने कंटेस्ट किया और यह जो आप कह रहे हैं कि वाइट पेपर में बात आई है यह जिस्ट है डिस्कशन की, एग्रीमेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कब कहा कि एग्रीमेंट किया है। मैं एग्रीमेंट की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि उस ट्रीपार्टाइट कांफ्रेंस में हम एग्री कर गए थे कि इस समझौते को स्क्रेप किया जावे।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कहा था, मैंने अपने वक्तव्य में बहुत साफ कहा था कि जब रिसाइन्ड करने का सवाल आया तो हमने उसको नहीं माना और हमने कहा, मैंने यह सवाल दिया था उस वक्त 20 फरवरी, 1983 को कि मैंने जा करके भारत के गृह मंत्री को पत्र दिया था जो रिकार्ड पर है, मौजूद है फाइल पर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसका मतलब यह मानूं कि भारत सरकार ने गलत भी किया है।

श्री शिवचरण माथुर : यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको मालुम होता है कि भारत सरकार गलत काम कर गई है। जब कि आज आपको तीन वर्ष के बाद मालुम हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : भारत सरकार ने कोई फैसला थोड़े ही लिखा है इसमें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं फैसला नहीं कह रहा हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, फैसले की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो मान्यता...

श्री शोपत सिंह : फिर यह कोट कहां से है किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं तो मान्यताओं की बात कह रहा हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं कोई फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं कोई एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा था। शिवचरण माथुर ने जब कहा तब मैं यह कह रहा हूं वरना मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करता। वह इसलिए कह रहा हूं, आपसे इस बात की शुरुआत की इसलिए मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके मन में भी थोड़ी कमजोरी थी।

श्री शिवचरण माथुर : कोई कमजोरी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब कमजोरी थी या नहीं थी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, फैसला यह हुआ कि 1981 को जो एग्रीमेंट हुआ उसको स्क्रेप किया जा सकता है, इसमें हमारी भी सहमति थी। अब प्रश्न यह आता है कि 1983 में ट्रीइपारटाइट कान्फ्रेंस हुई और उस कोन्फ्रेंस में भारत सरकार ने एक कोंसस ओपीनियन बना कर अकाली रिप्रजन्टेटिव्ज को एक बात कही और उस बात के अन्दर साफ लिखा है, हाऊएवर... बाद में ह ऊएवर... यह सारी बातें कहने के बाद :

> "However later the Akali Dal representatives resiled from the consensus reached earlier and took the stand that the scopeot the reference of the Tribunal should cover the 1955 agreement with Rajasthan and the question of Yamuna waters."

यह सारी ट्रीइपारटाइट कांफ्रेंस सफल क्यों नहीं हुई उसका मूल कारण यह था कि हम सब ने मिलकर एक फार्मूला निकाला था। इस फार्मूले में 1955 के एग्रीमेंट को री-ओपन करने की बात नहीं थी और जिसको अकाली दल ने स्वीकार नहीं किया। अगर हम 1955 के एग्रीमेंट को खोलने की बात को स्वीकार कर लेते तो मैं समझता हूं कि अकाली दल से कोई विवाद नहीं रहता। 1983 में अकाली दल से कोई विवाद नहीं रहता तो हिन्दुस्तान में, पंजाब में जो इस प्रकार की स्थिति बनी, पंजाब के कारण देश के अन्य भागों में जिस प्रकार की स्थिति बनी और जिस स्थिति के कारण हमने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री को खोया और अध्यक्ष महोदय, अगर 1955 का समझौता का आधार मानने के प्रश्न पर हम जिद नहीं करते तो शायद अकाली दल उस समय कोई विवाद में नहीं पड़ता और समझौता हो जाता।

अब यह समझौता हो गया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरह से या मुख्य मन्त्री जी की तरह से विद्वान तो नहीं हूं लेकिन ले-मैन के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस अकाली दल ने और जिस अकाली दल के सम्बन्ध में माननीय माथुर साहब ने कहा कि हमारी भी अकाउन्टेबिलिटि है जनता में। हमने भी जनता से वायदा किया है। माथुर साहब आपको याद दिलाना चाहता हूं, चुनाव में इन्हीं प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव राष्ट्र विरोधी है। आपने एक बार नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हर चुनाव भाषण में कहा था, एक पोस्टर में कहा था कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव राष्ट्र विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्र विरोधी जनता से वोट लेने के लिए आपने बताया था? क्या आपने यह जान बूझ कर कहा था?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को हम कांस्टीट्यूशन के फ्रेम वर्क में, जो भारत का संविधान है उसके फ्रेम वर्क में विचार करने को तैयार है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माथुर साहब की नोलेज की तो दाद देता हूं। सारे चुनाव के प्रचार में आनन्दपुर साहब प्रस्ताव मुख्य मुद्दा रहा, मुख्य मुद्दा। और चुनाव जीतने के बाद यह जरूर पूछा कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या राय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब आपने इसी आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को आड़ के अन्दर इसको इन टोटो एक्सेप्ट किया है, इन टोटो। आप कहेंगे कि पार्ट स्वीकार किया है। मैं कहता हूं पार्ट नहीं, इन टोटो स्वीकार किया है। चुनाव के दिनों में यही हरचन्दसिंह लोगोंवाला जो चुनाव के दिनों में स्पष्टीकरण कर चुके थे कि आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव यह हिन्दुस्तान के संविधान के अनुकूल है। संविधान की सीमा में है। उस समय उन्होंने सीमा में बताया और उस समय हमारे देश के प्रधान मंत्री ने यह कहा कि यह राष्ट्र विरोधी है। आज वह आनन्दपुर साहब प्रस्ताव सीमा में आ गया। उसके लिए सरकारिया कमीशन को रैफर किया जायेगा। आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के अनुसार नदी पानी के विवाद का निपटारा किया गया है। आज आनन्दपुर साहब प्रस्ताव बिल्कुल ठीक हो गया, चुनाव के दिनों में वह राष्ट्र विरोधी था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब पंजाब में चुनाव होंगे। आज से ही अखबारों में पंजाब के चुनाव की चर्चा चलने लगी है। मैं सदन को सावधान करना चाहता हूं कि चुनाव अकाली दल अकेला नहीं लड़ेगा, आज मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी और अकाली दल दोनों मिल कर लड़ेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और दोनों मिलकर लड़ेंगे तो इस समझौते का इन्टरप्रिटेशन क्या होगा, इसका आप अनुमान लगा लें अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अभी आपके जितने भी वक्ता बोले हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, इस एग्रीमेंट के संबन्ध में कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया। और आपने कल एक बात कही····

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सन्देह है ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं, आपने कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया। मैं आपकी वफादारी को चुनौती थोड़े ही दे रहा हूं। मैं तो आपकी वफा-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बारी को प्रकट कर रहा हूं कि आपने किसी प्रकार का कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया और मुख्य मन्त्रीजी ने कल सन्देह प्रकट किया। और संदेह इस रूप में प्रकट किया कि राजस्थान का जो रेफरेन्स आया है वह अनावश्यक है। और, अध्यक्ष महोदय, अब मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने किसी से बात किसी विषय पर की होगी या नहीं की होगी, प्रधान मंत्री से निश्चित रूप से आपने इस बात को कहा होगा कि मैंने टैलेक्स मैसेज के द्वारा जिस चीज को अनावश्यक बताया, प्रधान मंत्रीजी आपकी क्या प्रतिक्रिया है और यदि आज आप अनावश्यक नहीं कहते तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपने प्रधान मंत्रीजी के सामने हमारी भावनाओं को सही ढंग से प्रकट नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो चीज कल अनावश्यक थी वह चीज आपके भाषण में ऐसा लगता है कि आवश्यक है। अब मुख्य मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण करना चाहें और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण दें और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से, मुख्य मंत्रीजी की तो आक्वर्ड पोजीशन हो गई, कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे एक बात के लिए कन्वींस कर दें कि पैरा 9 (2) हरियाणा और पंजाब के लिए है, 1955 का एग्रीमेंट इनटेक्ट आपके कहने से रहता है, 1981 का एग्रीमेंट आपके कहने से इनटेक्ट रहता है तो फिर 9 (1) में राजस्थान का नाम आने की आवश्यकता क्या थी? क्यों आवश्यकता थी? 1955 का समझौता आपके हिसाब से टूटेगा नहीं, 1981 का समझौता आपके हिसाब से टूटेगा नहीं, 9(2) हरियाणा और पंजाब के बीच का विवाद है फिर मैं पूछना चाहता हूं यह नाम राजस्थान का क्यों आया? माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण करना चाहेंगे, या तो यह कहेंगे कि कल तक मेरी मिसअण्डरस्टेंडिंग थी और इस कारण से मैंने टेलक्स मैसेज दिया था, कहेंगे कि कल जो मेरी मिसअण्डरस्टेंडिंग थी आज भी वैसी की वैसी मिसअण्डरस्टेंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, वह नहीं कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्री जी दिल्ली जाकर आये हैं और दुर्भाग्य से दिल्ली जाकर आने वाले मुख्य मन्त्री यहां से बड़े जोश में जाते हैं लेकिन भगवान जाने वहां पर किस प्रकार की हवा चलती है, किस प्रकार का वातावरण है, वापस आते वक्त बिलकुल फिज होकर आते हैं।

एक माननीय सदस्य: आपने महसूस किया होगा? आपने भी महसूस किया होगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नहीं, मैंने महसूस नहीं किया। यह अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहता था कि इस प्रकार का कोई इन्टरप्शन हो जाय तो मैं माथुर साहब को कुछ जवाब दे पाऊं। नहीं तो मैं ऐसा समझ रहा था कहीं स्पीकर साहब मुझे यह नहीं कहते कि ..

श्री केदार नाथ (गंगानगर): आयरनी आफ फेट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं भी दिल्ली जाता था, दिल्ली जाता था तो इन तीन हैड वर्क्स का जिनका जिक्र माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया, उनका ही करना चाहूंगा। यह बात सही है कि बादल साहब मुख्य मन्त्री थे और श्रीमान् शिवचरण जी माथुर ने यह कहा कि प्रधान मन्त्री जी ने, मोरारजी भाई ने पंजाब की गवर्नमेन्ट को यह आदेश दिया कि हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी. को ट्रांसफर कर दिये जाये। बिलकुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले तो यह पूछना चाहूंगा कि 1955 में एग्रीमेंट हुआ....

(व्यवधान)

आप सुनिये, चिढ़िये मत 1955 में एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट से लेकर आज है 1985, इस 1985 के बीच में कांग्रेस के किसी प्रधान मन्त्री ने पंजाब के मुख्य मन्त्री को कैटेगोरिकली यह लिख कर भेजा है कि हैड वर्क्स के ऊपर बी बी एम बी का कब्जा होगा और उनको ट्रांसफर कर दिये जायं? यह भी प्रधान मन्त्री ने लिखा हो तो बता दें? नहीं लिखा। अब माननीय शिवचरण जी माथुर ने कहा, कि 1978 में लैटर लिखा गया। यह मुख्य मन्त्री रहे फरवरी, 1980 तक। दो वर्ष में हैड वर्क्स ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? आपको बहुत बड़ी शिकायत है लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैंने 1981 में समझौता करके हैड वर्क्स को अपने अधिकार में लेने की बात कही और वह समझौता हो गया था। मैं आपसे, पहाड़िया जी से और जोशीजी से पूछना चाहता हूं कि 1981 से 1985 हो गया, चार वर्ष में आप हैड वर्क्स पर क्यों नहीं पहुंचे? अब यह चार वर्ष कहां गये? 30 साल हो गये। वह भी नहीं। एक चिट्ठी भी लिखवा लेते वह चिट्ठी भी नहीं लिखवायी। अध्यक्ष महोदय, चिट्ठी लिखवायें किस मुंह से? चिट्ठी लिखवाने का अधिकार ही इनका नहीं रहा। और इसलिये नहीं रहा कि हैड वर्क्स के मामले को तो यह खतम करके आ गये। आज अगर 1981 का समझौता आप पढ़ें तो उसमें हैड वर्क्स का कन्ट्रोल लेने की बात नहीं है, बी बी एम बी को अधिकार दिया है पानी के डिस्चार्ज के मैजरमेंट का। जल के रेकार्डिंग का अधिकार दिया है और रेकार्डिंग कहां-कहां हो जाय वह पाइन्ट्स तय करने का अधिकार भी बी बी एम बी को दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो इनका कहना है और इन्हीं की सरकार, दरबारा सिंह मुख्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी ने जो पंजाब का ह्वाइट पेपर पेश किया है उस पंजाब के ह्वाइट पेपर के पैरा 24 में लिखा "Control of headworks to remain in Punjab."

लिखा क्या है वह भी सुन लीजिये :

"The Punjab reorganisation Act 1966 vested the control of 3 irrigation headworks at Ropar, Harike and Firozpur in the Bakhra Beas Management Board As a consequence of the agreement of 1981.. ...."

आप जरा ध्यान से सुन लें :

"As a consequence of the agreement of 1981, which was

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

signed by Shri Shiv Charan Ji Mathur, the physical, administrative and operational control of the headworks would continue to be with Punjab."

(व्यवधान)

इतना ही नहीं, आगे सुनिये :

"....Which has been accepted by Government of India as well as by the State Governments of Harayana and Rajasthan."

यह है पंजाब का व्हाइट पेपर । अध्यक्ष महोदय, इतनी हमारी तारीफ की है इस हैड वर्क्स पर । आपसे तो हैड वर्क्स कब्जे में ले लिए और पंजाब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारी तारीफ की है वह तारीफ किस रूप में की है :

"This is in direct contrast with the former Prime Minister's letter of December, 1977, rejecting the plea of the than Chif Minister of Punjab, Mr. Prakash Singh Badal, for the retention of the control of headworks. The Prime Minister asked for the reinforcement of the provisions of thie Act."

क्या मतलब ? कि हमने जो 1977 में लैटर लिखवाया था और उस समय जब पंजाब के मुख्य मन्त्री को हैड वर्क्स ट्रांसफर करने के लिए भारत सरकार ने कहा था, यह फैसला उसके विपरीत है। जब हैड वर्क्स पंजाब के कब्जे में आ गये, अब हैड वर्क्स पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं रहा। इसलिए माननीय माथुर साहब, आपने समझौता किया बहुत अच्छी बात है, आप । समझौता खतम हो गया, खतम होने की स्थिति में आ गया यह भी बहुत अच्छी बात हुई। और मैं तो भगवान से आज भी प्रार्थना करता हूं कि 1981 का समझौता स्क्रैप हो जाय, हमें कोई चिन्ता नहीं है। और यह इसलिए हो जाये, अध्यक्ष महोदय, इसकी जो लैंग्वेज है इतनी f फेक्टिव है, जो अभी छंगाणी जी कह रहे थे कि ड्राफ्टिंग के अन्दर थोड़ा ध्यान रखना चाहिये, वह ध्यान नहीं रखा गया उसका रिजल्ट क्या निकला। इसी समझौते के पार्ट 2 में लिखा है

"Until such time has Rajasthan is in a position to untilise its full share...."

राजस्थान जब तक अपने सारे पानी का उपयोग करने की स्थिति में नहीं आता।

"Punjab shall be free to utilise the waters surplus to Rajasthan's requirements."

राजस्थान की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा यदि राजस्थान के हिस्से का पानी सरप्लस रहता है तो पंजाब को यूज करने का उसको अधिकार होगा और इसीलिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमने विरोध किया था कि यह समझौता किसी भी तरह लागू नहीं होना चाहिये, यह राजस्थान के हितों के विपरीत है।

श्री शोपत सिंह : भाखरा से नहीं ले सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो 1981 का समझौता है। और इस समझौते के साथ ही.....

(व्यवधान)

मैं थोड़ा दो पांच मिनट का टाइम लूंगा।

मैं इन समझौतों के साथ एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। राजस्थान में 1955 का एक समझौता था जो राजस्थान का स्तम्भ है, जो राजस्थान के विकास का एक पिलर है, जो राजस्थान की एक हार्ट लाइन है। उसके बाद जो समझौता हुआ 1981 को, उसने हमारे हितों पर कुठाराघात किया। उसके बाद माथुर साहब, आपको याद होगा आपने एक समझौता 10 मई, 1984 को किया। और आपको याद होगा, आप ही के शब्दों में रिपीट करना चाहूंगा, आपने इसी सदन में कहा था कि रावी, व्यास और सतलज नदियों के पानी से पैदा होने वाली बिजली में राजस्थान का हिस्सा है, कोई हिस्सा खतम नहीं हुआ। आपने यह भी कहा था कि राजस्थान का पानी रोपड़ के फ्लशिंग के लिए नहीं ले जाया जायेगा। आपने यह भी कहा था कि आनंदपुर साहिब कनाल के लिए पानी नहीं जायगा। आपने यह भी कहा था मुकेरियां में राजस्थान का हिस्सा है। आपने यह भी कहा था, थीन में राजस्थान का हिस्सा है। आपने शाहपुर कांडी में राजस्थान का हिस्सा बताया और आपने बारी और दुआब के अन्दर राजस्थान का हिस्सा बताया। यह सदन इस बात का गवाह है कि आपने यह कहा हमारा हिस्सा है।

यह कोई डिस्प्यूट नहीं है और हम अपने हिस्से का पानी और बिजली लेंगे। अब मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन दिनों की जिन दिनों में आप और परसराम जी, हो सकता है कि हमारी भाषा बोल रहे हों, लेकिन हम जो बोलते थे उससे आगे हम अदालत में चले जायेंगे, दो लाख रुपये का हमने प्रावधान रखा है, हम भारत सरकार के सामने सरेण्डर नहीं करेंगे, राजस्थान के हित सर्वोपरि है, राजस्थान का मैं मुख्य मंत्री हूं और मैं सिंचाई मन्त्री हूं।....

श्री शोपत सिंह : कल जैसे जोशी जी बोल रहे थे वैसे ही बोलते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी थोड़ा गाढ़ेंह बोल रहे है। जोशीजी को तो आज पहली बार गुस्सा आया है और मैं समझता हूं यह गुस्सा बना रहता तो कुछ न कुछ प्रगट हो जाता। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सारी स्थिति में अब, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, यह 1984 का समझौता है, सदन की प्रोसिडिंग्स निकाल ले, उस समझौते को निकाल लें, अब उस समझौते में लिखा क्या है :

"In view of the claims raised by Harayana and Rajasthan

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

to sharing of power in Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project, U.P.D.P. Phase II, Shahpur–Kandi Hydel Scheme, it is hereby agreed that the Government of India shall refer the matter to Supreme Court for its opinion."

अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे और सदन से कहना चाहता हूं मैं अपने किसी घर में रह रहा हूं और पांच आदमी मेरे घर के सामने आकर नारे लगाना शुरू कर दें की तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। मकान पर तुम्हारा अधिकार है तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर फैसला करा कर आओ। अब बिजली में हमारा अधिकार है, हमने भाखरा के पानी से बिजली ली है, हम व्यास, सतजल लिंक बना कर उससे पानी लाए हैं, हमने वहां के सारे निकास के ऊपर पानी के डाइवर्सन के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, हम आज भी पानी लेना चाहते हैं, आज भी पानी पर हमारा हक है, पौंग डैम पर जो यूनिट बनी उस पर हमारा हक है, भाखरा के पानी से जो, नांगल में और कोटला में बिजली पैदा हो, उसमें हमारा हक है और जब हमारा हक है तो पंजाब और हरियाणा यह कहें कि तुम्हारा हक नहीं है! वह तो वही बात हो गई कि मकान के सामने पांच आदमी खड़े होकर कह दें कि तुम्हारे बाप दादा के जमाने से रहते होंगे, तहसीलदार का फैसला करा कर आओ कि यह जमीन तुम्हारी है। मुख्य मंत्री जो भूतपूर्व आपने उस समय बिजली के मामले को सुना, यह आपका दूसरा समझौता है और आज मैं हरिदेवजी जोशी से निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि वह नाराज न हों। वह कोई टैंपर लूज नहीं करें। हम आपके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते हैं और न दुर्व्यवहार करने के आदि हैं वह भी जो एक खेदजनक प्रसंग आया वह हमारे कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। वह उत्पन्न आपके शब्दों के कारण से हुआ और शब्द आपके मुंह से निकले और मैं खेद प्रकट करूं, कोई चिंता की बात नहीं है, सदन का नेता, अध्यक्ष महोदय; कोई गलती कर जाए ....

श्री हरिदेव जोशी : मैं फिर कहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा। सदस्य जो हैं ××× हैं यह कहा। ××× थे, अगर अब भी आप समझते हों कि उस समय ××× नहीं थे तो आप कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं इससे ज्यादा....

श्री हरिदेव जोशी : आपने इससे ज्यादा कहा कि मैंने अनहोनी कहा, मैं कहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा अनहोनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो ठीक है, मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ा सावधान हूं और इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि राजस्थान में मैं समझता हूं कि मुझे 30 वर्ष हो गए इस

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(272)

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

विधान सभा में बैठते हुए, किसी मुख्य मंत्री के शब्द एक्सपंज नहीं हुए, वह सौभाग्य आपको मिला है। इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : वह आप चाहें तो कर लीजिए, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने नहीं कहा, नहीं कहा और नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसको रिपीट नहीं करता। मतलब आप अध्यक्ष को भी चुनौती देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जो कहता हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है अपने बाबत में, अपने आपको डिफेण्ड करने की और सारे सदन ने सुना है, इस बात को, अध्यक्ष जी, ने सुना है इस बात को और अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने यह कहा है। आपने कहा क्या ऐसा ?

श्री अध्यक्ष : अनहोली मैंने नहीं कहा। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं बोलता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर नहीं बोलूंगा। मैं अपने आप को इस प्रश्न से विदड्रा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सवाल आता है मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन जिक्र आ गया इसलिये कहना चाहूंगा। हम आपस में बैठकर एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं मुझे खुशी होता प्रस्ताव पास करके लेकिन मुख्य मंत्री जी आपकी जानकारी में शायद है भी या नहीं, लेकिन माथुर साहब की जानकारी में है कि 23-2-1983 को इस सदन में प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में बहुमत था आपका।

उस प्रस्ताव में आपने लिखा पूरा बैक ग्राउण्ड देते हुए कि राजस्थान विधान सभा का यह सदन पुरजोर शब्दों में केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता है कि रावी-व्यास नदियों के पानी के आवंटन से राजस्थान को मिलने वाले 52.6 प्रतिशत हिस्से वह अन्य हिस्सों के विरुद्ध किसी भी मांग पर किन्हीं दबावों आन्दोलनों व अन्य परिस्थितियों में भी विचार नहीं किया जाए। यह सदन का प्रस्ताव है। अगर सदन के प्रस्ताव की सेंक्टीटी है उसकी कोई वेल्यू है तो 9 (1) के अन्दर जो राजस्थान को मिनीमम वाटर देने की बात कही है वह सदन के प्रस्ताव के विरोध में है, मैं चाहूंगा आपसे और मुख्य मंत्री जी से कि सदन की भावनाओं का सम्मान रखना चाहते हैं तो यह समझौता जो आज से दो दिन पहले किया गया है वह सदन के प्रस्ताव के विरुद्ध है। आप चाहते हैं कि सदन का प्रस्ताव इस तरह से लूजली वर्डेड चला जाए। अब आपका आपत्ति यह थी कि हमने यह कहा कि राजस्थान का हित इस प्रस्ताव से सुरक्षित नहीं है और, अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रोसिडिंग को देखने से आपको पता लगेगा कि हमारे और मुख्य मंत्री जी मे कोई अन्तर नहीं है।

हम उस समय प्रस्ताव में जो यह लिखवाना चाहते थे कि मुख्य मंत्री जी ने जो जुबान से इस सदन में कह दिया उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रारूप के रूप में लिया जाए और जुबान से मुख्य मंत्री जी ने दो बातें कही थीं। एक बात तो यह कही, टेलेक्स मेसेज उन्होंने पढ़ कर सुनाया कि अनावश्यक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया गया कि राजस्थान को इस में जो सब्स्टिट्यूट किया गया है अनावश्यक है। भाषण में दो बात कह गए कि मैं सदन की भावनाओं से सहमत हूं, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनके साथ हूं। और उसके साथ यह कह गए कि राजस्थान को जो इसमें शामिल किया गया है उससे मैं असहमत हूं।

मैं यां तो मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने शब्दों को वापस लें और यदि वापिस न लें तो आपमें और हमारे में मतभेद क्या था? मैं आज भी कहना चाहता हूं आपके हाथ में कलम है और कागज है, आपने जो सदन में कहा था उसको प्रारूप के रूप में ले आयें, प्रस्ताव के रूप में हम स्वीकार कर लेंगे लेकिन जो हाउस में कह गये उसको चैम्बर में इन्कार कर गए जो चैम्बर में कह गये हैं उसको प्रधान मंत्री के सामने इन्कार कर गए। प्रधान मंत्री ने कभी नहीं कहा और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य नाराज हैं नहीं मुख्य मंत्री जी की नीयत तो साफ थी इस सदन में बैठे थे उस समय तो नीयत साफ थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पार्टियों में मतभेद तो चलते हैं आखिरकार लोकतन्त्र में मतभेद न हो पार्टी जीवित है या मुर्दा है इसका पता नहीं लगता, मतभेद तो बहुत हैं बाहर सुरसराहट होने लगी कि यदि यह प्रस्ताव पास करदें तो हरिदेव जी जोशी को उठा सकते हैं। सीधे पहुंचें राजीव गांधी के पास और उनको कहें कि हरिदेव जी ने आपके प्रस्ताव को अवमान्य कर दिया है, असहमति प्रकट कर दी है जब इस तरह की चर्चा चलने लगी गुस्से में सदस्य जाने लगे, कुछ तो चाहते थे हरिदेवजी गलती कर जायें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कहने से कांग्रेस ने एकता प्रकट की है। है नहीं बिलकुल। आपने एकता प्रकट की, बहुत खुशी की बात है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से कोई इन्कार नहीं करता, मुख्य मंत्री जी जब बार बार यह कहने लगे कि आप ऐसा प्रस्ताव बनाओ जिससे मेरी पार्टी साथ रहे। आपको पार्टी साथ लेना आवश्यक था या राजस्थान के हितों की चिंता आवश्यक थी। लेकिन आपके दिमाग में आया कि ऐसा प्रस्ताव बनाओ जिससे पार्टी मेरे साथ रहे। और यह जो प्रसंग आया यह दूसरा है यह प्रसंग दूसरा है कि पार्टी को साथ लेने के लिए कि इसमें जो राजीव गांधी ने समझौता किया है उसकी प्रशंसा की जाए। मैंने केवल एक बात कही थी कि हम उनकी प्रशंसा करें और बीच में लिखें कि राजस्थान के हितों के संबंध में जो बात कही गई है उससे हम असहमत हैं, मैंने कहा कि दोनों में कोंट्राडिक्शन है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक आदमी को अध्यक्ष महोदय, कहें कि आप बड़े खूबसूरत हैं, आपका चेहरा बड़ा सुन्दर है, आपकी नाक बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे हैं और फिर कहें कि आपकी दोनों आंखें नहीं हैं तो क्या मतलब हुआ। तो क्या उसको सुन्दरता की तारीफ करने वाला पागल है जो बिना आंखें देखे ही सुन्दरता का बखान कर रहा है तो सरकार यदि यह कहे कि इसमें यह तारीफ होनी चाहिए मुख्य मंत्री जी चलो आओ यह सौदा भी मंजूर करता हूं। यह सौदा भी मैं मंजूर करता हूं, तारीफ भी करेंगे, मजबूरी से करेंगे और तारीफ इसलिए करेंगे कि राजस्थान के हित में यदि कोई काम होता हो तो आपकी भी तारीफ कर दें, वह तो राजीव गांधी का मामला है, हम आपकी भी तारीफ कर दें। अभी कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे आपने सुना नहीं कि युवा प्रधान मंत्री के हम साथ हैं वह भूल गये कि बूढ़े मुख्य मंत्री के भी हम साथ हैं, युवा प्रधान मंत्री के साथ तो हो गये, लेकिन बूढ़े मुख्य मंत्री के साथ होने को तैयार नहीं होते हैं। हम तो हैं आपके साथ, हम दे रहे हैं आपका साथ, आप राजीव गांधी की प्रशंसा कराना चाहो करा लो। राजस्थान के हितों में यदि राजीव गांधी की प्रशंसा हमें करनी पड़े तो हम करेंगे। कोई गड़बड़ की बात नहीं होगी। हम करेंगे। लेकिन आप भी अपने शब्दों पर डटे रहिए कि जो आपने असहमति व्यक्त की है वो प्रस्ताव में असहमति का शब्द भी आ जाना चाहिए। लिख लाइये और आपके लिखे हुए पर मैं हस्ताक्षर करा दूंगा।

लेकिन अब, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जाकर आये हैं। अब जोशी जी वो नहीं हैं जो कल 11 बजे यहां थे। अब जोशी जी दिल्ली रिटर्न हैं और अध्यक्ष महोदय, अपने यहां आप भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जब गांव में पहले कोई आदमी शहर में जाकर आता था उदयपुर में, और किसी को लोग बात नहीं सुनते थे, वो उदयपुर से कोन आया उसकी बात सुनते थे। तो आज मुख्य मन्त्री जी दिल्ली से आये हैं। मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता कि प्रधान मंत्रीजी ने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन यह निश्चित बात है कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि इस समझौते का समर्थन करो और उस समझौते के समर्थन की बात चली।

मैं, अध्यक्ष महोदय, अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस समझौते के बाद में स्थिति क्या पैदा हुई? हरियाणा में विरोधी पक्ष के सदस्य सामूहिक रूप से त्याग-पत्र देने की सोच रहे हैं। अकाली दल के दो प्रमुख बादल और तोहड़ा मौन रहे। तीसरे प्रमुख तलवन्डी। यह टोहरा बादल और तलवंडी इन तीनों ही ने मिलकर हरचंदसिह लोंगोवाल को नेता बनाया और इन तीनों में से एक तो बिल्कुल ही विरोध कर गये तलवडी और दो बोल नहीं रहे हैं और संयुक्त अकाली दल उसका विरोध कर रहा है। स्टूडेन्ट फैडरेशन ने उनका विरोध कर दिया। अब उस आधार पर आप यह कहना चाहें कि आपकी पार्टी के नेता ने समर्थन किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी पार्टी के नेताओं की प्रशंसा करने का तो भगवान ने आपको मौका दिया। कभी-कभी मुंह से हमारी प्रशंसा आपके मुंह से निकल जाती है। आज बी. जे. पी. के नेताओं की, लोकदल के नेताओं की आपने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज ही कर रहे हो कि आगे भी करते रहोगे....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

अच्छा काम तो यही है कि आपका समर्थन किया जाये तब अच्छा काम है और आपका विरोध किया जाय तो बुरा काम है। यही तो है ना आपकी सारी परिभाषा ? अब मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि किसने कहा और किसने क्या नहीं कहा, क्या आप जोशीजी इस बात को पसंद करेंगे कि शिवचरण जी माथुर जिस समय मुख्य मन्त्री थे राजस्थान के, पंजाब में मुख्य मन्त्री कांग्रेस के दरबारासिंह एक ही पार्टी के दो मुख्य मन्त्री। इन दो मुख्य मन्त्रियों ने आपस में फैसला आश्वस्त किया है कि सन् 1955 और सन् 1981 के एग्रीमेंट में राजस्थान का जो 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का हिस्सा है उसमें एक इन्च भी पानी कम नहीं होगा। और यदि प्रधान मंत्री ने आपको इन शब्दों में एश्योरेंस नहीं दिया और केवल यह कहा है जैसा कि अंग्रेजी के अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि राजस्थान और हरियाणा के इन्ट्रेस्ट बिल भी सेफगार्डेड यह हम जान गये। इतना ही यदि आपको कहा है तो मैं समझता हूं कि दाल में काला है। राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होगा यह ठीक बात है और यदि आपको इन दोनों बातों के लिए कहा है तो राजस्थान का नाम अनावश्यक रूप से शामिल किया गया। 1955 और 1981 के एग्रीमेंट में जो राजस्थान का हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट है उसमें एक इंच भी पानी कम नहीं होगा और राजस्थान का यदि एश्योरेंस आपको दिया है प्रधान मन्त्री जी ने तो मैं समझूंगा कि आपका कहना सही था और हमें केवल सन्देह है।

ये दोनों बातें अगर आप नहीं कहते हैं और प्रधान मन्त्री जी ने आपको नहीं कही और आप सदन को नहीं कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सन्देह नहीं है यह तथ्य है कि आप और प्रधान मन्त्री दोनों मिलकर अकालियों को खुश करने के लिए राजस्थान के हितों का बलिदान देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आपको अपनी कुर्सी प्यारी है और उसके सामने पंजाब के चुनाव में कांग्रेस और अकाली दल दोनों मिलकर राजस्थान को खाना चाहते हैं। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई राजनीति नहीं है। माननीय माथुर साहब ने राजनीति लाने की कोशिश की, आपने भी थोड़ी बहुत राजनीति लाने की कोशिश। मैं तो खुला अवसर देता हूं कोई राजनीति नहीं, हमने जो कुछ कहा हम उसको विथड्रा करेंगे। जो मैंने दो बातें आपके सामने रखी हैं उनका आप क्लेरीफीकेशन कर दें, हम विथड्रा करेंगे। और अगर यह क्लेरिफिकेशन आप नहीं कर पाते हैं तो मुख्य मंत्रीजी कोई रास्ता नहीं है जिससे राजस्थान को आप बचा लें।

अब माननीय सदस्यों ने कल भी कहा था कि जोशीजी इस्तिफा दे दें। मैं भी कल जोश में कह गया, जोश में कहा। मैं सोचता हूं कि जोशीजी चले गये तो यहां कल किसको लाओगे भाटीजी तो कल ही डुबो चुके थे, फिर किसको लाना चाहोगे ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शिवचरण जी माथुर साहब को आप लाओ तो पहले ही राजस्थान के ऊपर बिजली और पानी का एक ऐसा ठप्पा लगा चूके कि राजस्थान पीढ़ियों तक रोयेगा····

(व्यवधान)

क्यों नहीं किया। आज गुजरात और राजस्थान में एक ही पार्टी के दो मुख्य मन्त्री, नर्मदा के पानी का समझौता क्यों नहीं होता। मध्यप्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस के मुख्य मन्त्री, सतपुड़ा की बिजली आपको क्यों नहीं मिलती चम्बल के कैचमेंट एरिया में इन्टरप्शन्स को आप क्यों नहीं रोक पाते। आखिर दो मुख्य मंत्री एक ही पार्टी के मुख्य मंत्री हैं। यदि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुख्य मन्त्री के सामने अपने राज्य का हित सर्वोपरि है और यदि सर्वोपरि है तो यह कहना कि ऊपर से नेताओं ने तारीफ कर दी और आप विरोध कर रहे हैं मेरे सामने भी समस्या आयी और मेरी पार्टी के सामने भी समस्या आयी कि मैं राजस्थान के हितों का बलिदान नहीं करवा सकता....

(व्यवधान)

श्रीमती इकबाल कौर (चिड़ावा) : भैरोंसिंह जी मेरे....

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आप बैठें माताजी...

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माताजी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठें माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्रीमती इकबाल कौर : मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका श्रेय होयेगा लड़ाई झगड़ा करने में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कह गयी मैं तो कुछ समझा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय सदस्या की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मैं जब भी बोलते बोलते थकता हूं, मुझे रेस्ट करने की आवश्यकता है, और भगवान जाने....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा: जोग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोग नहीं हैं। वो उनके ससुर मेरे मित्र थे उन्होंने शायद इनको कहा होगा....

(व्यवधान)

श्रीमती इकबाल कौर : भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आपने इस देश की स्थिति ऐसी बनायी जाति बिरादरी, बहुत बहुत धन्यवाद....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै इस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं तो आपको केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में क्या मुख्य मन्त्री जी इस सदन को कैटेगरिकली दो बातों का विश्वास दे सकेंगे, केटेगरिकली कि राजस्थान का जो रेफरेंस 9 (1) में लाया है उसको आज भी आप अवश्य मानते हैं । क्या प्रधानमन्त्री जी की बात के बाद आप सदन में केटेगरिकली यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आपको इस बात के लिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने इस्तीफे की मांग की है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहाड़ियाजी को ले आयेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं पहाड़िया जी ठीक है, लेकिन वह केन्डीडेट होता तो खड़ा हो जाता.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी हम नहीं चाहेंगे तो भी आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा क्योंकि मुझे कल से आपके आने के बाद, कल आप बड़े जोश में थे, गुस्से में भी थे । आज जोश नहीं है गुस्सा ही गुस्सा है । और गुस्सा भी हम पर ही है समझौते पर नहीं है । अगर समझौते के सम्बन्ध में गुस्सा होता, तो हम समझ लेते कि आपकी दाद देते, तालियां बजाते पर यह गुस्सा हम पर है । हमने क्या कसूर किया है कि आप हम पर गुस्सा करें और समझौते का समर्थन करें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी, चाहे किसी भी बिन्दू के ऊपर आप विचार कर लें । किसी भी विंदू पर विचार कर लें यह समझौता राजस्थान के हितों के विपरीत है ।

प्रधान मन्त्री जी आज केटेगरिकली नहीं कह सकते हैं, आप क्या हैं ? आपके ये युवा नेता केटेगरिकली नहीं कह सकते । राजस्थान के हितों का ध्यान दिया जायेगा, संरक्षण दिया जायेगा । इस भाषा के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री जी यह नहीं कह सकते कि 1955 के समझौते के अनुसार राजस्थान का जो हिस्सा है उस हिस्से में कटौती नहीं होगी । आप नहीं कहें वो कह दें । वो भी नहीं कहते, आप भी नहीं कहते तो हम किसके पास जायेंगे । इस सदन में ही आना पड़ेगा और इस सदन में ही रहना पड़ेगा और इस सदन में ही विचार करना पड़ेगा । इसलिए मुख्य मन्त्री जी से कहना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं कि आज आपको ज्यादा समय नहीं दिया शायद प्रधान मन्त्री जी उड़िया जा रहे थे, टाईम कम मिला हो, आप वापस चले जायें और जाकर प्रधान मन्त्री जी को कह दें कि वो कैटेगोरिकल एश्योरेन्स राजस्थान की जनता चाहती है कि 1955 के 1981 के एग्रीमेंट्स से राजस्थान का जो हिस्सा है 8.6 मिलियन एकड़ फीट का उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और तब तक मैं आपको कहता हूं कि आप दिल्ली जायें और हम राजस्थान की विधान सभा में धरना देकर बैठेंगे।

(10.00 रात्रि)

आप यह मत समझिये कि लड़ाई केवल भाषण तक होगी। यह लड़ाई केवल हमने एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने के लिए भाषण दिया, ऐसा नहीं है। हमारा भी दिल दुखता है। आप अगर घोषणा-पत्र में देखें तो इन्हीं प्रधान मन्त्री जी ने, इसी भारत सरकार ने यह कहा है कि इस सारी योजना के ऊपर दो हजार करोड़ रुपया खर्च, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर दो हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इसलिए हम पंजाब को 1955 का एग्रीमेंट खोल कर पानी नहीं दे सकते। आज आप और हम सब जानते हैं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण में हमने कोई कुर्बानियां कम दी हैं? हमका मतलब आप भी शामिल हैं मैं विरोधी दल को क्लेम नहीं कर रहा कि हमने राजस्थान कैनाल का निर्माण करवा दिया। मैं इसका क्लेम नहीं करता, लेकिन हम सब ने मिल कर राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं और इस कुर्बानी को ठोकर मारने वाले का पैर तोड़ने की ताकत भी हम रखते हैं। कोई इसको तोड़ नहीं सकता और खून पर मिट्टी डालना चाहते हैं। राजस्थान की गरीब जनता का खून हम सब ने मिल कर चूसा है कि राजस्थान कैनाल का निर्माण हो जाय। आज उसको ठोकर मार कर उसका अनादर करना चाहते हैं।

मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान विधान सभा में बहुमत आपका है, कोई चिंता की बात नहीं है हम पराजित हो जायेंगे, जनता में जाकर हार जायेंगे लेकिन मुख्य मन्त्री जी यह ध्यान रखिये कि कल जब मिर्धा साहब ने कहा था कि पंजाब से दियासलाई वहां से निकाल कर आपने राजस्थान में आग लगाने की चेष्टा की है, राजस्थान में आग लगाने की कोशिश की है। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मेरी केवल एक ही भावना है कि राजस्थान के हितों का कुठाराघात नहीं हो और इस भावना के अनुरूप आपका आश्वासन नहीं था। मैं आपके मन को चुनौती नहीं देता, मन में आपके भी है कि राजस्थान के हितों का बलिदान नहीं हो लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी जुबान में ताकत नहीं है। मन की बात यदि मुंह से निकल जाती तो समस्याओं का समाधान होता लेकिन मन की बात मुंह से नहीं निकल रही है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो हिम्मत करो, मन की बात मुंह से कह दो और यदि आपको मुंह से कहने से संकोच होता है तो प्रधान मन्त्री के मुंह से कहलवा दो और प्रधान मन्त्री आपको मुंह से नहीं कहना चाहते, ठीक है हमको नहीं कहना चाहते तो आप प्रधान मन्त्री की बात हम तक

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पहुंचा दो और तीनों ही नहीं करो तो मजबूरी है। मैं इस प्रकार की कार्यवाही के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हम सब ने बैठकर विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम विधान सभा में आये क्यों हैं? क्या विधान सभा में कट मोशन मूव करने के लिए आयें, क्या विधान सभा में केवल एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करने के लिए आयें, क्या रोज किसी शिकायत को लेकर आरोप-पत्र पढ़ने के लिये आये हैं? विधान सभा में हमारी एकाउन्टेबिलिटि के लिए हम इस बात को मान कर चलते हैं कि सबसे सर्वोपरि काम यदि विधायकों का है तो राजस्थान के हितों की सुरक्षा करना और यदि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते तो हमारे सामने, अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोपरि है। हम इस सदन में ही बैठकर इस बात की प्रार्थना करेंगे कि भगवान जोशी जी को सद्बुद्धि दें, भगवान भारत को सद्बुद्धि दें और जो 9 (1) में राजस्थान को शामिल करके राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने का जो दरवाजा खोल दिया उस दरवाजे को बन्द कर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी दुर्भावना से नहीं, कोई पाइन्ट स्कोर करने की दृष्टि से नहीं, कोई राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से नहीं, कोई व्यक्तिगत लाभ उठाने की दृष्टि से नहीं, कोई दलगत राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से नहीं, हमने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं वह राजस्थान के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से की है। हमारी भावनाओं को आप उसी रूप में एप्रोसिएट करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज लम्बे समय तक इस विषय के ऊपर इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहते थे वे बोले। मैंने दिल्ली से आते ही अपनी बात संक्षेप में जो कुछ मैं कहना चाहता था मैंने कह दी और आज भी मैं कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता जो कि कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं, सबसे बड़ी बात तो यह कही कि मैंने सदन के सदस्यों का अपमान किया....

श्री भैरोंसिह शेखावत : जाने दीजिये। अब आप इस बात को भूल जाइये।

श्री हरिदेव जोशी : आप इस बात को भुलाने को कहते हैं और दुर्व्यवहार करके मेरा अपमान भी करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

मैंने तो कोई वो नहीं किया। अलबत्ता आज मैंने पहली मर्तबा 65 वर्ष की उम्र में मैंने भैरोंसिह जी आपको इस प्रकार से देखा जैसा कभी नहीं देखा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जो कहा, आज तक सदन में किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो कह दे।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने किसी को नहीं कहा, उन लोगों को कहा जो खड़े होकर मुझे टोक रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे, मैं अलग-अलग हैं आप उनको हमको अलग-अलग करना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : जो खड़े होकर × × × होवें उनको × × × मेम्बर कहा उसमें क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह कहने की कोशिश की कि जैसे हम तो केवल मुख्य मन्त्री होने के लिए और अगर यहां से कोई अपनी भावना व्यक्त करे तो मंत्री होने के लिये और अगर कोई यहां पर कुछ बात कहें तो केवल किसी स्वार्थ के कारण से, राजनैतिक स्वार्थ के कारण से हम यहां पर बोल रहे हैं और अगर वहां पर विरोधी पक्ष में बैठकर कोई मतभेद जाहिर करें तो वे तो डेमोक्रेसी लाकरके बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी में पार्टियों में मतभेद भी होते होंगे। अगर मैं आपकी बात से कुछ समझा तो वह यह था कि बहुत चोट लगी भैरोंसिंह जी को इस बात की कि राजीव गांधी ने आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव के बाबत क्या कहा और उसके कारण से विपक्ष क्यों हार गया और क्यों कांग्रेस जीत गई। आपने जो कुछ भी कहा है उसी बात को कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बी सीरियस।

श्री हरिदेव जोशी : जब आप बोले तो बहुत सीरियस थे और मैं जब बोल रहा हूं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये आपकी मर्जी....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में सौभाग्यवश डेमोक्रेसी है और आपको भी इस जनता में जाने का अधिकार है, हमको भी जाने का अधिकार है। आप भी जनता में गए, हम भी जनता में गए, इस हिंदुस्तान की जनता ने आपको भी सुना और हमको भी सुना और यह आंका कि कौन सही है और कौन गलत है और उसका परिणाम आपके सामने है। आपने महसूस किया कि लोकसभा के इलेक्शन के अन्दर आप लोगों की आवाज डिवाइडेड थी इसलिए आप बहुमत में नहीं आ सके। आपने कोशिश भी की इस बात की कि आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर आम जनता के समक्ष जायें तो शायद एक यूनाइटेड टीम के रूप में आप अपनी बात को रख सकें और राजस्थान की जनता उसको स्वीकार कर सके। मगर उसका भी परीक्षण करके आपने देखा और उसका परिणाम आपके सामने है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब बार-बार आप जनता को चुनौती देते हैं, आप कहते हैं कि जनता का हित आप कर रहे हैं और जनता का अहित हम कर रहे हैं। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता का हित जैसे आप सर्वोपरि मानते हैं वैसे हम भी सर्वोपरि मानते हैं और जब आप ये कहते हैं कि आपके मन में केवल जनता का हित है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मन में जनता के हित के

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

सिवाय और कोई चीज दूसरी नहीं है और इसलिए जब कल मैंने कहा था कि मैं राजस्थान के हिस्से का पानी कहीं कटाव होवे, उसके हक में कतई नहीं हूं। आज फिर इसको रीइट्रेट करना चाहता हूं कि मैं कतई इस हक में नहीं हूं, नहीं हूं और नहीं हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि इस बात को जितनी भी शालीनता से, स्पष्टता से मैं कह सकता था मैंने प्रधान मन्त्री को कहा। उन्होंने उतने ही संतोष के साथ में उसको सुना। यहां की भावनाओं को जितना जिस रूप में मैं रख सकता था, आपकी जितनी बुद्धि मेरे में नहीं है, आपकी जितनी दृढ़ता मेरे में नहीं है, आप मुझे कमजोर और बिल्कुल वैसा आदमी मानते हैं और इसलिये ये समझते हैं कि आप तो जो कुछ कहते हैं वह सही कहते हैं और मैं कहता हूं वह गलत कहता हूं।

मगर मैं यह निवेदन करता हूं कि जितनी भी मेरे में प्रबल थी, जितनी भी क्षमता थी, जितनी भी बात थी उसको सारे को मैंने प्रधान मन्त्री जी के सामने रखा और उनकी बातचीत के बाद में मैं इस बात से कंविन्सड हूं कि राजीव गांधी राजस्थान का अहित नहीं होने देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और इसलिये मैंने बहुत साफ-साफ कह दिया था, आपने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली गये थे दिल्ली से क्या बात करके आये, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं कंविन्स्ड होकर के आया हूं कि राजीव गांधी राजस्थान का अहित नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी चौड़ी इतिहास की बात यहां पर कही गयी है। इस देश के इतिहास के अन्दर अनेक बातें हैं आज उस गहराई के अन्दर मैं नहीं जाना चाहता। किन परिस्थितियों में किसने किस समय क्या कहा, आपने क्या कहा, हमने क्या कहा वह उस समय की बात हो गयी। मेरे मन में एक अगर कोई चीज सुप्रीम है वह यह है कि जो आपने कहा वह मैं भी दुहरा रहा हूं कि इस राजस्थान कैनाल को बनाने के अन्दर एक-एक नया पैसे का टैक्स लगा करके राजस्थान की जनता ने अपने योगदान से इसको बनाने का काम हाथ में लिया है। वह योगदान न केवल हमारा बल्कि आपका भी है और उन लोगों का भी जो यहां पर नहीं हैं मगर हम सब जिनके प्रतिनिधि हैं।

इसलिये जितनी वेदना आपके मन में है इसके प्रति, जितनी लगन आपके मन में है वही मेरे मन में भी है और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के मन में है। अलबत्ता आप मुखर होकर के उस बात को कह सकते हो, उसको कल मैंने मुखर होकर के कहा होगा। अब आप किसी को कहें कि तुम इस्तीफा दे दो, तुम तो ये कर दो, मैं एक बात कहना चाहता हूं एक हमारी भाषा में बांसवाड़ा की जो भाषा है वहां की भाषा में एक कहावत है कि विधवा के सामने सुहागिन ने नमस्कार किया तो उसने कहा कि तुम भी मेरी जैसी होना। तो आप अगर ये चाहो कि हम भी तुम्हारे जैसे हो जावें तो यह इच्छा तो नहीं है हमारी ? ये इच्छा नहीं है हमारी ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये इच्छा तो शिवचरण जी की भी नहीं थी लेकिन होग.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को लहर में बह गये तो पता ही नहीं चला।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो हमारी बात कहता हूं। ये इच्छा हमारी नहीं है और इसलिए विधवा के सामने जा करके सुहागिन सिर झुकाती तो ये इच्छा नहीं है कि वह भी वैसी ही हो जाय। हम यह कहना चाहते हैं कि हम जनता को निगाह में रखना चाहते हैं। जनता की भावनाओं को निगाह में रखना चाहते हैं। राजीव गांधी डैमोक्रेटिकली इस देश के नेता चुने गये हैं। वे भी इस देश की जनता को निगाह से बाहर रख करके कोई फैसला नहीं करना चाहते और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जनता को निगाह से बाहर करके और किसी प्रकार से आ जाते हैं वे जनता के द्वारा ठुकरा दिये जाते हैं। उनका कोई अर्जन नहीं रहता। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपकी बातों का ही सारा मतलब, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं. यही तो बात है जो मैं कहना चाहता हूं। यही तो बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि जो आप कहें वह तो सब कुछ ठीक और मैं कहूं तो ठीक नहीं। आप कहें कि साहब हम तो यूं तारीफ कर देंगे, राजीव गांधी की तारीफ आप मत कीजिये। राजीव गांधी की तारीफ आपके कहने से हो जायेगी, मेरे कहने से हो जायेगी ? आज वे लोग जो राजीव गांधी को ठीक नहीं समझते थे दुनिया के उन लोगों ने स्वीकार किया है कि राजीव गांधी ठीक हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको आज हरचदसिंह लोंगोवाल और दूसरे लोग टाकिंग टेबल पर कैसे आये, नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर कैसे आये। एक समय था जब वह उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे. मगर उनके इस ज्ञान ने, उनके चातुर्य ने और उनकी पालिटिकल स्किल ने और उनकी पालिटिकल सेगेसिटी ने आज इस देश के अन्दर ये स्थितियां पैदा कीं कि जो लोग बिल्कुल डायवर्जेन्ट थे, पूरब-पश्चिम थे, वे एक ही टेबल पर बैठ सके और एक टेबल के ऊपर बैठ करके किसी एक नतीजे के ऊपर आए और वे इस बात के अन्दर एक मत हुए कि हिंसा और विभाजन इस देश के शत्रु हैं। विभाजनकारी शक्तियां इस देश की शत्रु हैं। जो लोग हिंसा के द्वारा कोई चीज पाना चाहते हैं, वह गलत हैं। इसलिये नेगोसियेशन के जरिये हम जाकर के इसका समाधान ढूंढ़ें।

राजीव गांधी की यह सफलता है और मैं यह चाहता हूं कि हम और आप मिलकर के उन्होंने जो एक हासिल किया है उसको सफल बनावें। मैं यही फिर रीइट्रेट करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हम में से कोई भी राजस्थान के हितों को अनदेखा नहीं करना चाहता। आज की बातचीत के आधार के ऊपर जो बात मेरी उनसे हुई है प्रधान मन्त्रीजी से, मैं फिर कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी किसी भी स्थिति के अन्दर जो भी मुहायदे हमारे हुए हैं उनको अनदेखा नहीं करना चाहते, अनदेखा नहीं करना चाहते, अनदेखा नहीं करना चाहते। वे यह चाहते हैं कि राजस्थान भी देश के अन्दर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसके अन्दर भागीदार होवे। माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हरियाणा में ये हो रहा है पंजाब में ये हो रहा है हो सकता है हरियाणा में इस प्रकार की शक्तियां हों

(श्री हरिदेव जोशी)

जो राजीव गांधी के मिशन को सफल नहीं होने देना चाहती हों। हो सकता है पंजाब में वे ताकतें हों जो राजीव गांधी के मिशन को सफल नहीं होने देना चाहती हों। हो सकता है हिन्दुस्तान के बाहर भी वैसी ताकतें हों जो राजीव गांधी और हरचंदसिंह लोंगोवाल की मिशन को सफल होने नहीं देना चाहते हों। मगर हम यह कहना चाहते हैं कि वह मिशन सफल हो, यह हमारी भावना है और इसलिये मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझिये, इसकी चेष्टा कीजिये कि चार घण्टे बैठ करके आपकी बात को आखिर क्यों सुना ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मजबूरी थी....

श्री हरिदेव जोशी : अगर हमारी मजबूरी थी तो आपकी भी एक मजबूरी है। फिर यही समझना चाहिये, इसके सिवाय मुझे दूसरी कोई चीज समझ में नहीं आती। हमारी मजबूरी तो यह है कि हम आपकी बात को ये समझ करके कि आप देश के हित में कह रहे हैं हम उसकी कद्र करते हैं। आपकी मजबूरी यह है कि आप यह सोचते हैं कि हमारी आंखों के अन्दर जनता का कोई हित चिन्तन नहीं है। अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, मेरे पास में इसका कोई इलाज नहीं है, धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरिदेव जोशी : आप कहेंगे फिर जवाब दो, मैं कहूंगा....It is a never ending process.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं....

श्री हरिदेव जोशी : इसका कोई अन्त नहीं है। आप पहले भी बोल चुके हैं, बोल चुके, मैं बोल चुका, फिर बोला तो इसका कोई अन्त नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस संबंध में नहीं बोल रहा हूं। आपने बांसवाड़ा का किस्सा कहा और अब मैं एक सीकर का किस्सा कहना चाहता हूं। वहां गांव में ये कहा जाता है कि कमजोर हसबैंड हो उसकी बजाय तो विधवा रहना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। जो जवाब आने थे वे जवाब दे चुके। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

(284)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, कृपया । आर्डर प्लीज । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य अपने स्थान ग्रहण करें । आर्डर माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हुई ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में धरने पर बैठ गये)

मैं आगे का कार्यक्रम ले रहा हूं । माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । विधायी कार्य .. आर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

विधायी कार्य, श्री हरिदेव जोशी, प्रभारी मंत्री राजस्थान भूमि कर विधेयक 1985 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करेंगे ।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

जनमत जानने हेतु परिचालित करने ।

मुझे कोई माननीय सदस्य दिखाई नहीं देते ।

कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को जनमत जानने हेतु ।

प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार ।

खण्ड–2 पर प्रभारी मन्त्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड–2 में एक संशोधन प्रस्तावित कर रही हूं ।

इस में,

विधेयक के खण्ड–2 के उपखण्ड (क) (1) में शब्दों "भाटक की रकम का चार गुना" के स्थान पर शब्द "भाटक की रकम के बराबर" और शब्दों "रायल्टी की रकम का दुगुना" के स्थान पर शब्द "रायल्टी की रकम का आधा" प्रतिस्थापित किये जायें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड (2) में प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 26 तक कोई संशोधन नहीं हो रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 26 तक पारित किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 26 तक पारित किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : संशोधित रूप में।

श्रीमती कमला : संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है....

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कहिये, आर्डर प्लीज।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, और धाराओं के ऊपर नहीं, वैसे कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह आज संशोधित बिल लाये हैं उसके लिए तो ठीक है। उसका तो मैं विरोध नहीं करता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से कि यह बिल जो रायल्टी और डैड रेंण्ट, दोनों का उन्होंने 50 पर्सेन्ट, 25 पर्सेन्ट, 10 पर्सेन्ट और 20 पर्सेन्ट। तो मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी, कि डैड रेंण्ट का, और रायल्टी का, यह दोनों निश्चित किये गये हैं इसमें बड़ी भारी गफलत होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेण्ट अगर रायल्टी का असैसमैण्ट करता है और डैड रेंण्ट का भी, माननीय सरकार डैड रेंण्ट को फिक्स डैड रेंण्ट करती है तो मेरा यह कहना है कि उसका बीस गुना सरकार तय कर दे और उसके अनुसार माइनिंग डिपार्टमेंट है वह इस पैसे को जमा करे। चूंकि इसके अन्दर क्या है, माननीय अध्यक्ष जी, कि इस पैसे को, भूमि कर का जो आफिस है वह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इस पैसे का असैसमैंट करेगा। वह रायल्टी का असैसमैंट करेगा, डैड रैण्ट का भी असैसमैण्ट करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कत होगी। आप खुद भी इस बात को माननीय अध्यक्ष जी, मानेंगे कि जब माइका पर जो सेल्स टैक्स लगाया भारत सरकार ने तो आप के माइका वैलफेयर आफिसर ने यह कहा कि माइनिंग डिपार्टमेण्ट इसको वसूल कर ले और हमारे यहां जमा कर दे। तो माननीय मन्त्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि इस टैक्स को ले लें, मैं इस टैक्स का विरोध नहीं करता हूं। परन्तु टैक्स लेने की सुविधा की दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो माइनिंग डिपार्टमेंट असैसमेंट रॉयल्टी का करता है, और डेड रैण्ट तो फिक्स होता है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माइनिंग डिपार्टमेंट है वह इस टैक्स को जब रायल्टी और डैड रेन्ट जमा करे उसका 50 पर्सेन्ट का किया, ज्यादा से ज्यादा 50 पर्सेन्ट का किया है। तो मेरा यह कहना है कि इसके अन्दर या तो डैड रेन्ट को मेजर मिनरल के अन्दर डैड रेन्ट जितना होता है उतना डैड रेन्ट सरकार ले ले, पूरा का पूरा डैड रेंट ले ले, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। मैं आप से कहना चाहता हूं, और माइनर मिनरल के अन्दर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, अकेला तो बोलने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी संक्षेप में कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष जी, जो डैड रेन्ट है माइनर मिनरल के अन्दर.....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं तो शायद आपको पूछना नहीं पड़ेगा। इसमे दोनो चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं होंगी। डैड रेन्ट कैलकुलेट होगा जितना डैड रेन्ट है उसके मुताबिक और रायल्टी का होगा आधा। इनमें से जो भी ज्यादा होगा वह लागू किया जायेगा। दोनों एक साथ लागू नहीं किये जायेंगे। इसलिए आपको यह गलत फहमी है कि दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर दोनों ही हम लागू करेंगे, ऐसा नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह गलतफहमी की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं माइनर मिनरल का डैड रेन्ट...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपकी भावनाओं के मुताबिक इसको उसी प्रकार से देखेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी अर्ज तो सुनें।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि माइनर मिनरल का डैड रेन्ट सरकार

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

फिक्स करती है और मेजर मिनरल का जो डैड रेन्ट है वह भारत सरकार फिक्स करती है। वह राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, तो मेरा यह कहना है कि जो आपने कहा, रायल्टी का होगा या डैड रेन्ट का होगा, इसके अन्दर मेरा यह निवेदन है सरकार से....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : भारत सरकार जहां पर आती है उस पर यह लागू नहीं हो रहा है। यह राज्य के एरिया में है, परव्यू में ही लागू होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, वह तो मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि रायल्टी की बात है वह मेजर मिनरल की है। रायल्टी देते हैं माइनर मिनरल की रायल्टी में तो डैड रेन्ट हो जाता है वैसे ही। मेरा यह कहना है कि मेजर मिनरल रायल्टी का जो 50 पर्सेन्ट किया है, उसको माफ कर दें कि 25 पर्सेन्ट लेंगे या 20 पर्सेन्ट लेंगे मेजर मिनरल का और माइनर मिनरल की जो रायल्टी होगी उसका माफ कर दें सरकार।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो खण्ड पास हो चुके, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, मेरा यह अर्ज करना है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह खंड तो पास हो चुके, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया है और पहले वाले में बहुत फर्क हो गया है। पहले यह था कि उसकी ऐनुअल वैल्यु होगी। वह आंकी जावेगी रायल्टी का डबल और डेड रेन्ट का चौगुना से भी ज्यादा होगा, वह आंका जायेगा। अब यह किया गया है कि रायल्टी का आधा और डेड रेन्ट का बराबर, इसमें आंका गया है। इसमें वैसे ही बहुत कम हो गया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह तो आपने जो संशोधन किया है वह तो ठीक है परन्तु....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। बैठें माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो यह कहना है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज कृपया बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह कर लिया जो तो ठीक है, मैं मान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर हो गयी बात, बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : परन्तु मेरा यह कहना है कि जो वसूल करें पैसा वह माइनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर जमा हो, यह मेरा कहना है माननीय मिनिस्टर साहब से ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, दूसरा डिपार्टमेंट जो पैसा जमा करेगा भूमि कर विभाग जो पैसा जमा करेगा उसके मैं खिलाफ हूं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने जो संशोधन किया है उसको भी मान लेता हूं लेकिन इसका पैसा जो जमा करें असेसमेन्ट तो माइनिंग डिपार्टमेंट करता है रायल्टी का समझ लो, डेड रेन्ट का समझ लो, माइनिंग विभाग उस पैसे को जमा करे भूमि कर विभाग उस पैसे को जमा न करे इतना ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आ गई आपकी बात समझ में, बैठें।

मन्त्री महोदया कुछ कहेंगी।

श्रीमती कमला : मैं कह चुकी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर विधेयक, 1985 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमिकर विधेयक, 1985 संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985। प्रभारी मंत्रीजी।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः इसमें कोई संशोधन नहीं है।

विधेयक का पारण

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक

(व्यवधान)

29 जुलाई, 1985 के मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.35 बजे, सोमवार दिनांक 29 जुलाई, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 557 की सूची)

भाग (1) से संबंधित सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	ढाणी पीडावाली	24.	बड़ाबंध तन रायपुर पाटन
2.	ढाणी करोड़ा	25.	ग्रानाजी की ढाणी तन नारदा
3.	खड़का तन खड्ग बीजपुर	26.	भारूवाला तन त्यौराना
4.	ढाणी घाटवाली (मारक्लवास)	27.	लाम्बी की ढाणी तन मोकलवास
5.	ढाणी ढाबाला तन खड्ग बीजपुर	28.	स्वामी की ढाणी तन मोकलवास
6.	ढाणी भुरसली तन मोकलवास	29.	खारिया तन नोराना
7.	ढाणी नवोड़ी तन गोविन्दपुरा	30.	लादी का बास
8.	मुंगावाला तन दरीबा	31.	घाटा तन घाटामवगुवार
9.	श्यामपुरा	32.	ढाणी होला की तन गुवार
10.	ग्रजमेरी	33.	फूटा तन घाटागुवार
11.	ढाणी सल्लाजीवाली तन गोविन्दपुरा	34.	कुण्डाला
12.	उदयसिंहपुरा	35.	गोवड़ी भीतरली
13.	नृसिंहवाली तन डोकन	36.	पूटाला तन मोकलवास
14.	न्यौराना	37.	भूदोली बहादुरसिंह की ढाणी
15.	बाघावाली तन भूदोली	38.	भूदोली ढाणी की राकी
16.	ढाणी देवतावाली तन भूदोली	39.	ढाणी नीमालाली तन चोपलाठा
17.	खोरा तन भूदोली	40.	भूदोली ढाणी फिराना
18.	नाथावाली तन डोकन	41.	लादिया तन चीपलाटा
19.	मालावाली तन भूदोली	42.	टेहरा की ढाणी खिजूरिया
20.	कालाखेड़ा	43.	किशोरपुरा
21.	गाडराटा	44.	खाती की ढाणी
22.	ढाणी चोटावाली तन रायपुर पाटन	45.	नारदा की ढाणी
23.	गोविन्दवाला तन रायपुर पाटन	46.	डोकन ढाणी धोवाला

291

भाग-(2) से संबंधित सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	श्यामपुरा	14.	ढाणी आनाजी की
2.	ढाणी मोरूवाला	15.	ढाणी स्वामी वाली
3.	किशोरपुरा	16.	ढाणी ढाबाला
4.	ढाणी लाम्बी	17.	ढाणी मूंगावाला
5.	ढाणी गोविन्दाली	18.	ढाणी घिसली
6.	ढाणी बड़ाबन्ध	19.	ढाणी खरका
7.	चोठावाला	20.	ढाणी गाडराटा
8.	ढाणी मालावाली	21.	लादिया तन चौपलाटा
9.	ढाणी भिराना	22.	उदयसिंहपुरा
10.	ढाणी कालाखेड़ा	23.	ढाणी कुण्डाला
11.	लादी का बास	24.	ढाणी नाथूवाला
12.	ढाणी नृसिंहवाला	25.	ढाणी नवोड़ीतन गोविन्दपुरा
13.	नारदा		

292

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची)

ग्राम सिवाड़ा के भूतपूर्व जागीरदार के पास दिनांक 25-2-58 व 9-12-59 को कृषि भूमि की सूची

	नाम ग्राम	25-2-58	9-12-59
1.	सिवाडा	148.10	148.10
2.	गजनीपुरा	92.00	92.00
3.	दौलजी का गुडा	572.10	572.10
4.	माता जी (कुन्दन कंवर के नाम ग्राम सिवाड़ा)	470.07	470.07
5.	ग्राम वालेलाव	759.02	759.02
6.	ग्राम भागेश्वर	539.06	539.06
7.	ग्राम दयालपुरा (लाडी जी के नाम)	2198.13	2198.13
		4780.08	4780.08

ग्राम सिवाड़ा के ठाकुर द्वारा भूमि को हस्तान्तरित किये जाने की सूची

क्र. सं. 1	नाम ग्राम 2	हस्तान्तरित का नाम 3	रकबा 4	दिनांक
1.	सिवाड़ा	श्रीमती अमर कौर जोजे दौलत सिह	51.10 बीघा 51.10 बीघा	26-12-65
2.	सिवाड़ा (माता कुन्दन कंवर।	1. महेन्द्र सिंह वल्द सज्जन सिंह, उदयपुर	100 बीघा	28-2-66
		2. जयबल्लभ पुत्र इन्दर लाल, उदयपुर	100 बीघा	28-2 66
		3. सुन्दर लाल पुत्र राधा बल्लभ	100 बीघा	28-2-66
		4. दुर्गा शंकर लक्ष्मीचंद ब्राह्मण	100 बीघा	21-6-67
		5. देवारि मल गोकुल चन्द्र, जोधपुर	70 07	19-2-69
			470.07	

293

1	2	3	4	
3.	दौलजी का गुड़ा	1. मोती जोजे नरसिंह	10.15	11-12-65
		2. शांती जोजे शंकर	10.10	11-12-65
		3. अयोध्या जोजे पूनया	10.10	11-12-65
		4. भोली बेवा प्रभूजी	10.15	,, ,,
		5. नृसिंह पुत्र नेमजी दरोगा	14.8	,, ,,
			56.18	
4.	बालेवाब	1. अब्दुल रज़ा वल्द मितलखां जी	94.18	19.3.69
		2. कालूखां वल्द मोहम्मद	94.18	,, ,,
		3. लालमोहम्मद पुत्र मुबारक खां	94.18	,, ,,
		4. छोटू खां पुत्र सुभानखां	94.18	,, ,,
		5. मोती पुत्र रमजान खां अब्दुल रंजाक	94.18	,, ,,
		6. भोरू खां पुत्र मांगूखां जोधपुर	94.17	,, ,,
		7. धोली सत्तर खां पुत्र मोहम्मद खां	94.17	,, ,,
		8. धोली इब्राहिम पुत्र गफ़ूरखां	95 बीघा	,, ,,
			759.02	

क. सं. 1	नाम ग्राम 2	हस्तान्तरित का नाम 3	खसरा नं. 4	दिनांक 5
5.	भांगेसर	1. भुड़िया पुत्र लाल राईका	348/1	30-12-69 से पूर्व
		2. गिरधारीलाल पुत्र सालु	,,	,,
		3. वेना पुत्र नवला	,,	,,
		4. शिवनाथ पुत्र ठोला	,,	,,
		5. चिकिया वल्द भाकर	,,	,,
		6. गिरधारी वल्द थाना	,,	,,
		7. रामा वल्द केना	,,	,,
		8. लच्छा वल्द गोकुल	,,	,,
		9. राणा पुत्र हेमा	,,	,,
		10. पोकर वल्द लाला	,,	,,

294

1	2	3	4	5
		11. लोगा वल्द रावत	384/1	30-12-69 से पूर्व
		12. गोकुल वल्द शिमरथा	,,	,,
		13. नारायण वल्द लाभू	,,	,,
		14. गेपर वल्द सवाई	,,	,,
		15. अबु वल्द बलु	,,	,,
		16. घेवरिया वल्द पुखा	,,	,,
		17. नारायण वल्द पाबुदान	,,	,,
		18. काना वल्द पाबुदान	,,	,,
		19. सवाई वल्द भोला राईका	,,	,,
		समस्त साकिन भांगेसर		409.05
		20. केसरसिंह वल्द रामसिंह	575/348	40 बीघा
		21. नारायणसिंह वल्द केसरसिंह राजपूत	रकबा 40 बीघा	539.06 कुल रकबा

क्र. सं.	नाम ग्राम	हस्तान्तरित का नाम	रकबा	नामांतरण करण सं.	दिनांक
1.	दयालपुरा (श्रीमती लाडीजो सक्तावतजी के नाम)	1. दुनिया वल्द प्रेमा पोटल अणदिया वल्दासमा पोटल	50 बीघा	58	27-9-65
		2. हीरका वल्द केशा भाम्बी	50 बीघा	69	,,
		3. अमरचन्द वल्द घेवरचन्द	4.15	61	,,
		4. रानोया वल्द समन्दरभाट	50 बीघा	232	,,
		5. गमोया वल्द बाला गोरण वल्द चमना जीवा वल्द भोया पोटल	100 बीघा	59	,,
		6. सोनिया वल्द हरा गोपीया वल्द प्रेमा	50 बीघा	55	,,
		7. नारीया वल्द सावल	50 बीघा	57	,,
		8. बाबू वल्द मूरा	100 बीघा	56	,,
		9. अमराराम वल्द खंगारजी	50 बीघा	60	,,
		10. हरसुखां वल्द करीमखां	55.5 ,,	62	,,
		11. पीरा वल्द गुलाब	100 बीघा	68	,,

क्र. सं.	नाम ग्राम	हस्तांतरित का नाम	रकबा	नामांतरण करण सं.	दिनांक
		12. पना वल्द भगा	100 बीघा	64	27.9.65
		13. राणमल वल्द भूटमल	88.4 ,,	53	,,
		14. चूना वल्द किस्तूर	62.3 ,,	52	,,
		15. रूपला वल्द किस्तूर	25.8 ,,	51	,,
		16. गोला वल्द बाला	92.5 ,,	65	,,
		17. सवीया वल्द प्रताप	50 ,,	66	,,
		18. नेना वल्द गुलाब	99.12	69	,,
		19. पोरा वल्द कस्तूर भाट	120.18	70	,,
		20. चुनीया वल्द प्रभु	25.17	37	,,
		21. टीका वल्द प्रभु	25.15	38	,,
		22. रूगीया वल्द प्रभु	25.15	39	,,
		23. रसोग वल्द प्रभु	25.10	40	,,
		24. रूपचन्द वल्द लालचन्द	77.12	41	,,
		25. नेमा वल्द भोमा	25.15	42	,,
		26. वोजा वल्द वेना	25.15	43	,,
		27. अचला वल्द रूपाजी	51.10	44	,,
		28. वीजीया वल्द सुरा	25.15	45	,,
		29. सवीया वल्द लक्ष्मण	25.15	46	,,
		30. मोहम्मद सलीम खां वल्द हासुखां	26.05	47	,,
		31. हासुखां वल्द करीम खां सिपाही	26.01	48	,,
		32. दुर्गा वल्द नवा	25.15	49	,,
		33. प्रकाश चन्द वल्द उत्तमखां	100.00	50	,,
		34. रूपला वल्द कस्तूरा	100.00	51	,,
		35. चुन्नीलाल वल्द कस्तूरा	100.00	51	,,
		36. राणमल वल्द भुठमल	12.15	53	,,
		37. रूपा वल्द खंगार			
		भीमा वल्द त्रिलोक	75.00	54	,,
			2198.13		

परिशिष्ट - 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति, गोगुन्दा व कोटड़ा में आंगनबाडी केन्द्र

563. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, गोगुन्दा व कोटढ़ा में कितने आंगनबाड़ी बाल बाडी केन्द्र हैं ? उनका संचालन कौन कर रहा है ?

(2) आई. सी. डी. एस. अधिकारी कितने हैं तथा पंचायत समिति कोटड़ा, गोगुन्दा का वार्षिक खर्च कितना है ? कृपया सूची सदन पटल कर रखें।

(3) समाज कल्याण अधिकारियों ने इस क्षेत्र में कितनी बार जाकर परीक्षण किया तथा कितनी अनियमितताएं पाई गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गोगुन्दा में 104 तथा कोटड़ा में 125 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा गोगुन्दा में 84 व कोटड़ा में 118 संचालित किये जा रहे हैं। इनका संचालन एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है और उसकी सहायता के लिये एक सहायिका भी होती है।

(2) प्रत्येक बाल विकास परियोजना में एक अधिकारी होता है। वार्षिक व्यय की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) बाल विकास परियोजना का निरीक्षण कार्य बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षण कर अनियमितता पाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कितनी बार प्रारम्भ से अब तक निरीक्षण किये गये एवं निरीक्षण में पाई अनियमितता की सूचना एकत्रित की जा रही है।

पंचायत समिति कोटड़ा एवं गोगुन्दा का वर्ष 84-85 के खर्च का विवरण :

क्र. सं.	नाम परियोजना	खर्च
1.	कोटड़ा	2,30,657.00
2.	गोगुन्दा	3,06,816.00

नहर निर्माण व सामान क्रय के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये मामले

564. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नहर निर्माण व सामान खरीद के कुछ मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से मामले किन-किन के खिलाफ थे तथा वह कितनी-कितनी राशि के थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को मामले सौंपने के बाद उनकी पैरवी किस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अधिकारी के द्वारा की गई और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस प्रकार के मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति गत निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण संबन्धी मामलों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। खरीद का कोई मामला नहीं है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इन मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों का विवरण सूची में अंकित है, 27 में से तीन मामलों में आरोप प्रमाणित नहीं होने से अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया व एक मामले की जांच पूरी हो जाने व आरोप प्रमाणित हो जाने से चालान किया गया तथा बाकी के 23 मामलों पर जांच जारी है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को वे ही गंभीर मामले सौंपे जाते हैं जिसमें विभागीय जांच द्वारा तथ्यों का स्पष्ट होना कठिन होता है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सम्बन्धित अपराधों की सूची मय चाहे गये विवरणानुसार

क. स.	अपराध संख्या	विरुद्ध	राशि	अन्वेषणाधिकारी का नाम	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1–	79/82	श्री चतराराम जैमन, आर, सी. पी.	—	पुलिस उप अधीक्षक भ्र. नि. वि. बीकानेर	अन्वेषण से आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया।
2–	80/82	श्री जे. एन. मित्तल, जे. ई. न. आर. सी. पी.	अनुमानित राशि 59,822/– रु.	पुलिस उप अधीक्षक भ्र. नि. वि. बीकानेर	अन्वेषणाधीन
3–	81/82	श्री जे. एन. मित्तल, जे. ई. न., आर. सी. पी.	अनुमानित राशि 19,095/– रु.	,, ,,	अन्वेषणाधीन
4–	82/82	श्री रामलुभाया जे. ई. न. आर., सी. पी.	1110 सीमेंट थैलों का घोटाला, सही अनुमानित राशि बाद अन्वेषण ज्ञात होगी	,, ,,	अन्वेषणाधीन
5–	83/82	श्री रामलुभाया जे. ई. एन., आर. सी. पी.	करीब रु. 15,000/–	,, ,,	चालान 25-3-85

299

1	2	3	4	5	6
6–	84/82	श्री लक्ष्मण सिंह एवं श्री बजरंग सिंह जे. ई. एन., आर. सी. पी.	900 सीमेंट थैलों का घोटाला, अनुमानित राशि 25,000/- रु.	पु. उ. म. अ. नि. वि. बीकानेर	अन्वेषणाधीन
7–	4/83	श्री सम्पतराम मथुर, जे. ई. एन. गन्देडी सब डिवि. आर सी पी	अनुमानित राशि 33,000/– रु.	नि. पु. अ. नि. वि. बीकानेर	अन्वेषणाधीन
8–	5/83	श्री आर. एन. घीगंड़ा, जे. ई. एन. सब डिवि. अनुपगढ़, आर. सी. पी.		डी. वाई. एस. पी. ए. सी. डी., बीकानेर	प्रमाणित न होने पर अन्तिम प्रतिवेदन नं. 21 दि. 21-8-84 दिया गया।
9–	6/83	श्री किस्तूराराम जे. ई. एन., सब डिवि. खण्ड-3, आर. सी. पी.	—	,, ,,	प्रमाणित न होने पर अंतिम प्रतिवेदन नं 23 दि. 24-8-84 दिया गया।
10–	53/84	श्री कश्मिरी लाल जे. ई. एन., व श्री एम. आर. भवानी, जे. ई. एन., आर. सी. पी.	1230 सीमेंट थैले सही मात्रा एवं राशि अन्वेषण पूर्ण होने पर ज्ञात होगी।	डी. वाई. एस. पी. भ्र. नि. वि. विप्रनुई, राज. जयपुर।	अन्वेषणाधीन
11–	54/84	श्री यू. के. गुप्ता, जे. ई. एन. आर. सी. पी.	210 सीमेंट थैले सही मात्रा एवं राशि अन्वेषण पूर्ण होने पर ज्ञात होगी।	,, ,,	अन्वेषणाधीन

1	2	3	4	5	6
12–	55/84	श्री आई. एस. बीका, जे. ई. एन., आर. सी. पी.	780 सीमेंट थैले सही मात्रा एवं राशि अन्वेषण पूर्ण होने पर ज्ञात होगी।	डी. वाई. एस. पी. अ.नि.वि., विग्रनुई जयपुर	अन्वेषणाधीन
13–	64/84	श्री एन. के. तावल, जे. ई. एन., आर. सी. पी.	सीमेंट के थैलों एवं राशि का अन्वेषण के बाद ही ज्ञात होगी।	डी. वाई. एस. पी. अ. नि. वि., विग्रनुई, जयपुर	अन्वेषणाधीन
14–	65/84	श्री कश्मिरी लाल जे. ई. एन., श्री शांति लाल, जे. ई. एन., श्री मुकनाराम कनि. अभियन्ता, श्री एम. आर. भवानी जे. ई. एन., श्री मनोहर लाल, बलवंत सिह, रामजीलाल, गणपत सिंह, जे.पी. श्रीवास्तव सब इन्जिनियर	,, ,,	डी. वाई. एस. पी. अ. नि. वि. विग्रनुई जयपुर।	अन्वेषणाधीन
15–	66/84	श्री महेन्द्र कुमार सहा. अभि. व श्री रूप सिंह क. अभि., आर. सी. पी.	175 सीमेंट थैले, सही मात्रा एवं राशि अन्वेषण पूर्ण होने ज्ञात होगी।	डी. वाई. एस. पी. अ. नि. वि., राज. जयपुर।	अन्वेषणाधीन

1	2	3	4	5	6
16–	67/84	श्री त्रिलोक चन्द कनि. अभि. आर. सी. पी.	रु. 13,806/– राशि अनुमानित	डी.वाई.एस.पी. भ्र.नि.वि. राज., जयपुर	अन्वेषणाधीन
17–	68/84	श्री बजरंग लाल कनि. अभियंता, आर. सी. पी.	सीमेंट एवं राशि की सही मात्रा अन्वेषण पूर्ण होने पर ज्ञात होगी	,, ,,	अन्वेषणाधीन
18–	69/84	श्री के. एन. माथुर, ए. ई. एन., एन. आर. कालरा, जे. ई. एन., आर. सी. पी.	,, ,,	डी. वाई. एस. पी. भ्र. नि. वि., विग्रनुई, जयपुर	अन्वेषणाधीन
19–	73/84	श्री अनिलकुमार माथुर जे. ई. एन., आर. सी. पी.	,, ,,	,, ,,	अन्वेषणाधीन
20–	74/84	श्री एफ. सी. माथुर, कनि. अभि. आर. सी. पी.	,, ,,	डी. वाई एस. पी. भ्र. नि. वि. चूरू	अन्वेषणाधीन
21–	75/84	श्री एन. आर. कालरा, जे. ई. एन., आर. सी. पी.,	8600 सीमेंट थैलों की राशि, सही मात्रा अन्वेषण पूर्ण होने पर ज्ञात होगी।	,, ,,	अन्वेषणाधीन

1	2	3	4	5	6
22–	76/84	श्री एन. सी. गर्ग, श्री वी. एन. शर्मा जे. ई. एन,, आर. सी. पी.	3375 सीमेंट के थैलों बाबत राशि का अनुमान अन्वेषण पर ज्ञात होगा।	डी. वाई. एस. पी. भ्र. नि. वि. चूरू	अन्वेषणाधीन
23-	77/84	श्री एस. पी. भागेला, कनि. अभि. आर. सी. पी.	400 सीमेंट के थैले सही मात्रा व राशि का अनुमान अन्वेषण पूर्ण होने पर ज्ञात होगा।	,, ,,	अन्वेषणाधीन
24–	79/84	श्री एस. एस. माथुर, जे. ई. एन., श्री एन. आर. भास्कर जे. ई. एन., आर. सी. पी.	सही मात्रा व राशि का अनुमान अन्वेषण पूर्ण होने पर होगा।	,, ,,	अन्वेषणाधीन
25–	81/84	श्री सुमेरमल माथुर, ए. ई. एन., आर. सी. पी.	,, ,,	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. वि. श्रीगंगानगर	अन्वेषणाधीन
26–	82/84	श्री एस. के. आहूजा, क. अभि., मनीराम सुथार क. अभियन्ता, आर. सी. पी.	,, ,,	पु. उ. अ. भ्र. नि. वि. विमतुई, जयपुर	अन्वेषणाधीन

1	2	3	4	5	6
27–	82/84	श्री आर. पी. शर्मा, अधि अभि. श्री एस. सी. दास छाबड़ा सहा. अभि., श्री जगजीतसिंह उप अभि.	सूरतगढ़ रेल्वे स्टेशन पर कोयले को वेगनों से उतरवाने व उसकी ढुलाई में अनियमिततायें	अपर पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. वि. श्रीगंगानगर	अन्वेषणाधीन

(304)

अस्पतालों के लिये ग्लूकोस का क्रय

565. **श्री खेमराज कटारा** (उदपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय सहित प्रदेश के सभी अस्पतालों में गत वर्ष किन-किन फर्मों से ग्लूकोस खरीदा गया व कितनी राशि का ?

(2) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज जयपुर में फार्मोकोलोजी विभाग ग्लूकोस बनाता है ? यदि हां, तो गत वर्ष कितना बना व कहां-कहां गया ?

(3) क्या उक्त ग्लूकोस बनाने की फार्मेसी ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो किस रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक से ?

(4) वर्तमान में ड्रग कन्ट्रोलर की क्या योग्यतायें निर्धारित हैं तथा इस पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे अधिकारी की क्या योग्यतायें हैं ? कृपया उनके प्रमाण-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में ग्लूकोस की बोतलों के क्रय बाबत सूची सदन के पटल रख दी गई है।

(2) जी हां। मेडिकल कालेज, जयपुर के फार्मोकोलोजी विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 में जो कुल 36,800 ग्लूकोज की बोतलें बनी जिसमें से 30,700 बोतलें निम्न चिकित्सालयों को दी गई–

1–सवाई मानसिंह चिकित्सालय
2–जनाना चिकित्सालय
3–संक्रामक रोग चिकित्सालय
4–सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान
5–क्षय रोग चिकित्सालय
6–मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय

(3) शेष बोतलें टैस्ट में काम आ गई। जी नहीं। इस हेतु प्रक्रिया जारी है।

(4) राज्य में ड्रग कन्ट्रोलर का अलग पद स्वीकृत नहीं है अतः इस हेतु योग्यता भी निर्धारित नहीं है। वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर का कार्य निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, अपने कार्य के अतिरिक्त देख रहे हैं। अतः इनके प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जा रहे हैं।

क्र.सं. फर्म का नाम	राशि
1–मैसर्स माउन्ट मैटूर फार्मास्यूटिकल लि., जयपुर।	19,53,211.02
2–मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (मेडिकल ब्रांच), जयपुर।	1,292.32
3-मैसर्स सुपर मेडिकोज, जयपुर।	229.00

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नोट—मेडिकल कालेज, जोधपुर तथा इससे सम्बद्ध अस्पतालों एवं कोटा, झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों से सम्बन्धित सूचना जो संकलित की जा रही है, उपरोक्त सूचना में सम्मिलित नहीं है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरीमन्ना का छात्रावास भवन

566. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडा-मालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरीमन्ना में छात्रों के निवास हेतु बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत छात्रावास भवन का निर्माण हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उसकी छत से बरसात का पानी बहने के कारण वह भवन गिरने की स्थिति में है? इसके बचाव के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उच्चाधिकारियों को भवन की दुर्दशा की सूचना दे दी है? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अगस्त, 1984 में अत्यधिक वर्षा के कारण भवन की छत से पानी टपकने लगा था, किन्तु भवन की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है कि वह गिर जाय। सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यक मरम्मत हेतु लिखा जा चुका है।

(2) जी हां। प्रधानाध्यापक ने भवन की छत टपकने आदि की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन की मरम्मत की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नागौर जिले के राजकीय व अनुदानित छात्रावास

567. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में समाज कल्याण विभाग के राजकीय व अनुदानित छात्रावास कितने हैं? प्रत्येक छात्रावास में छात्रों की संख्या कितनी है? गत 5 वर्षों में संचालित छात्रावासों सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी के उत्तीर्ण छात्रों का क्या प्रतिशत रहा?

(2) अनुदानित छात्रावासों की क्या व्यवस्था है? छात्रावासों के अध्यक्ष व मंत्री कौन हैं तथा संस्था के अध्यक्ष व मंत्री के चुनाव गत 5 सालों में किस-किस तारीख को हुए? यदि चुनाव नियमानुसार हुए तो कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम वर्षवार कृपया सदन की पटल पर रखें।

(3) अनुदानित छात्रावासों में सरकार प्रति छात्र प्रतिमाह कितना व्यय करती है? छात्रों को किस स्केल के अनुसार भोजन, लेखन सामग्री, कपड़े आदि दिये जाते हैं?

(श्री मोहनलाल चौहान)

(4) अनुदानित छात्रावासों के संचालकों के विरुद्ध गत 5 वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? नहीं की, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूर्व छात्रावासों में प्रशासक नियुक्त किये थे ? यदि हां, तो अब क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में समाज कल्याण विभाग के 6 राजकीय एवं 6 अनुदानित छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास की संख्या व गत 5 वर्षों के सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी के परीक्षा फलों के प्रतिशत की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ')

(2) छात्रावासों की व्यवस्था हेतु एक अंशकालीन अधीक्षक तथा एक सहायक अधीक्षक होता है एवं भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था "मेस समिति" जिसके सदस्य 6 वरिष्ठ छात्र तथा एक सहायक अधीक्षक एवं अधीक्षक होता है, जिनमें से वरिष्ठतम छात्र सचिव होता है, के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व मंत्री के नाम तथा चुनावों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'ब')

(3) अनुदानित छात्रावासों में सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिये प्रति छात्र 104 रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 11 तक छात्रों के लिये 112 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं। भोजन, लेखन सामग्री, कपड़े आदि की व्यवस्था मेस समिति द्वारा इसी राशि में की जाती है।

(4) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'स')

(5) जी हां। छात्रावास के भूतपूर्व मंत्री श्री मोहन लाल चौहान, भूतपूर्व उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष की शिकायत दिनांक 24-12-78 के क्रम में विभाग द्वारा अपने पत्रांक 79297–307 दिनांक 8 12-78 द्वारा अनुदानित छात्रावास, नागौर, जायल, परबतसर एवं मेड़ता सिटी में व्याप्त अव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कथित कार्यकारिणी को निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से भंग कर उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारीगण को प्रशासक नियुक्त किया गया था। दि. 24-12-78 को महात्मा गांधी छात्रावास नागौर की साधारण सभा द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी को विभागीय पत्रांक 16819–23 दिनांक 27-3-79 द्वारा मान्यता देकर पूर्व आदेश को निरस्त किया गया।

परिशिष्ट "अ"

सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी के उत्तीर्ण छात्रों की छात्रावास वार संख्या व उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत

क्र. सं.	नाम छात्रावास मय स्थान	छात्र सं.	सैकण्डरी परिणाम (प्रतिशत)					हायर सैकण्डरी परिणाम (प्रतिशत)				
			80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
1.	राजकीय छात्रावास, नागौर	60	61	77	68	75	72	87	87	72	77	59
2.	राजकीय छात्रावास लाडनूं	50	100	56	100	40	60	100	100	75	88	100
3.	राजकीय छात्रावास, मकराना	25	—	—	60	100	25	—	—	—	80	50
4.	हरिजन छात्रावास, नागौर	25	—	50	75	—	90	—	100	60	75	83
5.	कन्या छात्रावास, नागौर	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	राजकीय छात्रावास, डेगाना	35	50	30	88	72	100	20	100	33	86	33
7.	अनुदानित छात्रावास, नागौर	45	54	50	60	50	50	100	100	100	50	100
8.	अनुदानित छात्रावास, मेड़ता	45	71	68	65	72	65	79	81	74	73	72
9.	अनुदानित छात्रावास, परबतसर	60	67	72	71	73	57	70	77	75	76	55
10.	अनुदानित छात्रावास, लाडनूं	50	75	100	71	50	50	75	100	71	75	73
11.	अनुदानित छात्रावास, डीडवाना	25	—	—	—	50	66	—	—	—	75	80
12.	अनुदानित छात्रावास, जायल	35	—	100	20	—	50	—	—	—	80	—

(3?P)

परिशिष्ट 'ब'

अनुदानित छात्रावासों में नियुक्त अध्यक्ष व मंत्रियों की सूची अनुदानित छात्रावासों में संस्था के मंत्रियों की सूची

क. सं.	नाम छात्रावास	नाम मंत्री	अवधि
1.	अनुदानित छात्रावास, नागौर	श्री बिठल सिंह	वर्ष 1971 से लगातार
2.	अनुदानित छात्रावास, मेड़ता सीटी	श्री कमल किशोर एडवोकेट	वर्ष 1980 से लगातार
3.	अनुदानित छात्रावास, परबतसर	श्री मदनमोहन	वर्ष 1975 से लगातार
4.	अनुदानित छात्रावास, लाडनूं	श्री गोमाराम बावरी	वर्ष 1971 से लगातार
5.	अनुदानित छात्रावास, डीडवाना (यह छात्रावास जनवरी, 84 से प्रारम्भ हुआ है)	श्री तेजाराम	वर्ष 1984 से लगातार
6.	अनुदानित छात्रावास, जायल	श्री भगवाना राम श्री चुन्नीलाल	16-7-81 से 17-7-82 18-7-82 से लगातार

राजस्थान अनुदानित संस्था लाडनूं, कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची

वर्ष 1980–81

1.	श्री जेठमल शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री गोमाराम बावरी	मंत्री
3.	श्री परशुराम	सदस्य
4.	श्री गुमानाराम	"
5.	श्री जीवनराम	"
6.	श्री लाधूराम	"
7.	श्री बिरधाराम	"
8.	श्री राजूराम	"
9.	श्री भंवराराम	"
10.	श्री शंकरलाल	"
11.	श्री नाथाराम	"

वर्ष 1983-84

1.	श्री मदनमोहन शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री गोमाराम बावरी	मंत्री
3.	श्री राजूराम	सदस्य
4.	श्री भंवराराम	सदस्य
5.	श्री नरसाराम	,,
6.	श्री परतुराम	,,
7.	श्री लादूराम	,,
8.	श्री जीवनराम	,,
9.	श्री गुमानाराम	,,
10.	श्री बिड़दाराम	,,

वर्ष 1984-85

1.	श्री अनोपकुमार शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री गोमाराम बावरी	मन्त्री
3.	श्री नाथाराम	सदस्य
4.	श्री परतुराम	,,
5.	श्री जीवनराम	,,
6.	श्री गुमानाराम	,,
7.	श्री राजूराम	,,
8.	श्री शंकरलाल	,,
9.	श्री बिड़दाराम	,,
10.	श्री लादूराम	,,

अनुदानित छात्रावास, जायल, कार्यकारिणी की सूची

वर्ष 1981 (10-7-81)

1.	श्री रामकरण कताला	अध्यक्ष
2.	श्री भगवानाराम	मन्त्री
3.	श्री रतनाराम नायक	सदस्य

4.	श्री गोरधनराम भाम्बी	सदस्य
5.	श्री रामूराम भाम्बी	,,
6.	श्री भंवरलाल खटीक	,,
7.	श्री सुरजाराम भाम्बी	,,
8.	श्री जालाराम रेगर	,,
9.	श्री प्रहलादराम भाम्बी	,,

वर्ष 1982 (18–7–1982)

1.	श्री रामकरण कताला	अध्यक्ष
2.	श्री रतनाराम नायक	उपाध्यक्ष
3.	श्री चुन्नीलाल	मन्त्री
4.	श्री रूपाराम	कोषाध्यक्ष
5.	श्री गोरधनराम भाम्बी	सदस्य
6.	श्री घासीराम	,,
7.	श्री सुरजाराम नायक	,,
8.	श्री भंवरलाल खटीक	,,
9.	श्री रामूराम भाम्बी	,,
10.	श्री उमाराम	,,
11.	श्री मोहनराम हरिजन	,,
12.	श्री खुमाराम भाम्बी	,,
13.	श्री नानूराम भाम्बी	,,

महात्मा गांधी, अनुदानित संस्था, नागौर के कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची

1.	श्री प्रकाश चन्द आर्य	अध्यक्ष
2.	श्री रामकरण कताला	उपाध्यक्ष
3.	श्री चेनाराम	मन्त्री
4.	श्री कमलकिशोर चौहान, एडवोकेट	उप मंत्री
5.	श्री जेठमल बरबड़	सदस्य
6.	श्री बिठलसिंह	,,

डा. अम्बेडकर छात्रावास समिति संस्था, डीडवाना के कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची

1.	श्री रामरख पुत्र श्री श्यामराम	अध्यक्ष
2.	श्री श्रीराम पुत्र श्री अर्जुनराम	उपाध्यक्ष
3.	श्री तेजाराम पुत्र श्री उदाराम	मन्त्री
4.	श्री रामकुमार पुत्र श्री बिरलाल	उप मन्त्री
5.	श्री प्रेमाराम पुत्र श्री पूर्णमल	व्यवस्थापक
6.	श्री मुमानाराम पुत्र श्री पनाराम	कोषाध्यक्ष
7.	श्री राजूराम पुत्र श्री रहेमराम	सदस्य
8.	श्री लूनाराम पुत्र श्री रामूराम	सदस्य

परिशिष्ट 'स'

अनुदानित छात्रावासों के संचालकों के विरुद्ध गत 5 वर्षों में केवल 4 शिकायतें प्राप्त हुई :—

1. अनुदानित छात्रावास, मेड़ता सीटी के संचालक के विरुद्ध अध्यक्ष, मेघवाल नवयुवक मन्डल, मेड़ता सीटी, नागोर से दिनांक 19-3-84 को प्राप्त हुई जिसकी जांच हेतु निदेशालय के पत्र क्रमांक 23067 दिनांक 24-4-84 को पत्र लिखकर जांच करवाई गई। जांच में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी नागोर के पत्रांक 943 दिनांक 21-6-84 के द्वारा जांच में लिखा है कि दो गुटों में आपसी सामाजिक झगड़ा होना पाया गया है।

2. महात्मा गांधी छात्रावास, नागोर के छात्रों के द्वारा दिनांक 21-1-82 को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच विभागीय क्रमांक 13972 दिनांक 2-3-82 के द्वारा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, नागोर से रिपोर्ट मांगी गई। जिला कार्यालय नागोर के पत्रांक 1100 दिनांक 17-3-82 के पत्र में लिखा है कि छात्रों को बोर्ड की फीस नहीं दी गई थी। छात्रावास के तीन छात्रों की ओर से हस्ताक्षर करके शिकायत भेजी है और वह भी किसी के बहकाने में आकर की गई है।

3. अनुदानित छात्रावास, परबतसर के सन्दर्भ में दिनांक 26-12-81 को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसके सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक 13973 दिनांक 13-2-82 को पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को लिखा गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागोर ने क्रमांक 1100 दिनांक

17-3-82 द्वारा लिखा है कि छात्रों ने कभी मुझे व्यवस्था सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं की थी और कार्यालय में संस्था के विरुद्ध संस्था का रेकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

4. महात्मा गांधी छात्रावास, नागौर की आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणियों को सख्त सजा दिलवाने बाबत भारतीय दलित वर्ग संघ, नागौर ने दिनांक 10-9-84 को शिकायत की है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधीश, नागौर को विभागीय पत्रांक 49872, दिनांक 28-9-84, 53458, दिनांक 16-10-84, 23324 दिनांक 16-7-85 को पत्र लिखे गये परन्तु जिलाधीश नागौर से अभी तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सीपेज व सेम का प्रभाव

568. श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के बहुत से क्षेत्रों में सीपेज व सेम का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो इस समय कितना क्षेत्र सेम से प्रभावित है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम के कारण कुछ गांव भी तबाह हो चुके हैं ? यदि हां, तो कितने गांव इससे प्रभावित हुए हैं व कितने मकानात को नुकसान हो चुका है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल नोरंग देसर वितरिका व रावतसर वितरिका के मसितावाली हैड के आस-पास प्राथमिक सर्वे के आधार पर लगभग 4000 एकड़ क्षेत्रफल सेम से प्रभावित हैं।

(2) दो गांव विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इनका नाम डबली खुर्द व लूणे की ढाणी हैं। जिनमें क्रमशः 1333 व 88 कुल 1421 कच्चे व पक्के झोंपड़े व मकानों को नुकसान पहुंचा हैं।

रूपवास क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय

569 श्री विजय सिंह (रूपवास) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए इस साल क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्य व उपवैद्य तथा अन्य कर्मचारी सही रूप में ड्यूटी नहीं देते ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष कोई नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(आयुर्वेद मन्त्री)

(2) जी नहीं। वैद्यों/कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा ऐसे मामले विभाग के ध्यान में आने पर नियमानुसार जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों व्यक्तियों को दण्डित किया जाता है।

तिनकी रूडी (अलवर) स्थित बीज फार्म

570. श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले की मुण्डावर तहसील के ग्राम तिनकी रूडी स्थित बीज फार्म के पास कुल कितनी भूमि है? इसमें कितनी सिंचित चाही व कितनी असिंचित (बारानी) है?

(2) इस बीज फार्म में कौन-कौन सी फसलों का बीज तैयार किया जाता है?

(3) पिछले 5 वर्षों से इस फार्म में किस-किस फसल का कितना-कितना बीज तैयार किया गया?

(4) उपरोक्त अवधि में बीज उत्पादन से इस फार्म को कितनी आय हुई और उस पर मदवार कितना व्यय हुआ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उपरोक्त फार्म में जिन फसलों का बीज तैयार किया जाता है उन फसलों से इस ग्राम की औसत उपज क्या है?

(6) क्या सन् 1984 में इस फार्म के उत्पादित बीज को अवैध रूप से बेचने के सिलसिले में फार्म के किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में कोई मामला दर्ज हुआ? यदि-हां, तो किसके खिलाफ व उसमें क्या कार्यवाही हुई और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) तिनका रूडी कृषि फार्म के पास कुल 40 हैक्टेयर भूमि है। इसमें से 30 हैक्टेयर भूमि सिंचित व 10 हैक्टेयर भूमि असिंचित है।

(2) गेहूं, चना, सरसों, तोरिया व ज्वार, मूंग, ग्वार, चंवला आदि का बीज तैयार किया जाता है।

(3) यह कृषि फार्म अगस्त, 1983 में राज्य सरकार ने राज्य बीज निगम को हस्तानांतरित किया था। वर्ष 1983–84 से निम्न प्रकार बीज तैयार किया गया :–

रबी 1983–84 में :

गेहूं सोनालिका	121.00	क्विंटल
सरसों वरूणा	59.20	"
चना सी. 235	60.25	"
चना आर.एस.बी.–2	56.50	"

खरीफ 1984 में :

ग्वार दुर्गा सफेद	26.00	"
मूंग पूसा बैसाखी	1.90	"
चंवला सी.–152	2.25	"
ज्वार एस.पी.बी.–245	0.05	"

(कृषि मंत्री)

रबी 1984-85 में :

तोरिया टी.–9	12.00	क्विंटल
सरसों वरूणा	39.16	,,
गेहूं सोनालिका	87.00	,,
चना सी.–235	5.80	,,
चना ग्रार.ए सी जी.–2	49.02	,,
गेहूं राज–2184	16.70	,,

(4) फार्म वर्ष 1983–84 से इस निगम के पास ग्राया है। वर्ष 1983–84 में इससे रुपये 1,27,454.50 की ग्राय हुई है। जबकि व्यय रुपये 23,739.20 स्टाफ पर व रुपये 66,427.51 उत्पादन कार्यो पर किया गया।

(5) उपरोक्त फार्म में निम्नलिखित प्रमुख फसलों का बीज तैयार किया जाता है। उन फसलों की इस फार्म पर 1984-85 में ग्रौसत उपज निम्नांकित है :–

गेहूं	4.18	क्विंटल/हैक्टेयर	
सरसों	4.68	,,	,,
चना	7 21	,,	,,

(6) जून, 1984 में फार्म के उत्पादित बीज को ग्रवैध रूप से बेचने के सिलसिले में श्री रामकुमार सिंह फार्म मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज हुग्रा था। उक्त मामले की जांच श्री ग्रार. एन. माथुर भूतपूर्व मैनेजर (फार्म्स) द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट उनके पैत्रिक विभाग में भिजवा दी गई है तथा श्री रामकुमार सिंह, को भी उनके पैतृक विभाग में स्थानान्तरण करवा दिया गया है।

छात्रावासों की संख्या में ग्रभिवृद्धि

571. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण के छात्रावासों में भर्ती में हुई ग्रव्यवस्था की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने ग्रब तक क्या कार्यवाही की है?

(2) क्या यह सत्य है कि इन छात्रावासों में स्थान की कमी रहती ग्रौर ग्रादिवासी छात्रों को इनमें जगह पाने के लिए 20-20 दिन तक वहां रहना पड़ता है तथा इसके बाद भी भर्ती नहीं हो पाने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ता है तथा पढ़ाई बन्द करनी पड़ती है?

(3) क्या सरकार इसके लिये छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है? नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) छात्रावासों में भर्ती में हुई ग्रव्यवस्था की जब भी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके सम्बन्ध में जांच कर उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया।

(2) जी नहीं। ग्रादिवासी क्षेत्र के अधिकांश छात्रावासों में स्थान की कमी नहीं है। विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि छात्रों को छात्रावास में जगह पाने के लिए 20-20 दिन रहना पड़ता हो

(समाज कल्याण मन्त्री)

और भर्ती नहीं होने के कारण पढ़ाई तक बन्द करनी पड़ी हो।

(3) जी हां। वर्ष 85-86 में 35 नये छात्रावास खोले जा रहे हैं।

सामोद के महलों का पर्यटन के रूप में विकास

572. **श्री रामेश्वर दयाल (चौमूं)**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि चौमूं तहसील के अन्तर्गत सामोद व उसके महलों को लेकर सरकार के समक्ष पर्यटन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उसको कब तक क्रियान्वित करने जा रही है ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) सामोद के महलों को लेकर कितनी फिल्में फिल्माई जा चुकी हैं ? ऐसे ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल को उपेक्षित व अविकसित रखने में कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उनको दण्डित करने का इरादा रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि यह महल निजी सम्पत्ति है।

(2) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। चूंकि यह महल निजी सम्पत्ति है अतः राज्य सरकार द्वारा इसको विकसित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फतेहपुर क्षेत्र के चिकित्सालयों में मेडिकल स्टाफ की पूर्ति

573. **श्री अश्क अली (फतेपुर)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले के निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के चिकित्सालयों में कितने डाक्टर्स, लेडी डाक्टर्स, कम्पाउडर्स एवं नर्सेज के पद रिक्त हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर करना संभव होगा।

316

चिकित्सालय का नाम	स्वीकृत स्टाफ	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कब से
1	2	3	4	5	6
रैफलर अस्पताल	सी. ए. एस	4	4	–	
फतेहपुर	मेलनर्स श्रेणी-I	2	–	2	नवम्बर, 1984
	मेलनर्स श्रेणी-II	4	3	1	,,
	सिस्टर	1	–	1	,,
	स्टाफ नर्स	2	–	2	,,
	एल. एच. वी.	1	1	–	
	रेडियो ग्राफर	1	1	–	
	लेब टेक्नीशियन	1	1	–	
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–	
	कनिष्ठ लिपिक	1	–	1	नवम्बर, 1984
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8	3	5	,,
2. प्राथमिक स्वास्थ्य	सी. ए. एस.	3	3	–	
केन्द्र, ताजसर	मेलनर्स श्रेणी-II	2	2	–	
	एल. एच. वी.	2	1	1	जून, 1985
	प्रसाविका	1	1	–	
	वाहन चालक	1	1	–	
	एस. आई.	1	1	–	
	च. श्रे. क.	4	4	–	
	बी. ई. ई.	1	1	–	
	संगणक	1	1	–	
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	–	
3. राजकीय चिकित्सा-लय रामगढ़सेठान	सी. ए. एस.	3	3	–	
	मेलनर्स-II	5	3	2	अप्रेल, 1983
	एक्स-रे टैक्नीशियन	1	1	–	
	प्रसाविका	3	1	2	जून, 1985
	च. श्रे. क.	9	8	1	मई, 1985

1	2	3	4	5	6
	एल. एच वी.	1	–	1	जून, 1985
4. राजकीय डिस्पेन्सरी	सी. ए. एस.	1	1	–	
ढाढ़ए	मेलनर्स-II	2	2	–	
	प्रसाविका-I	1	–	1	अप्रैल, 1984
	च. श्रे. क.	4	4	–	
5. राजकीय चिकित्सा-लय वेसवा	सी. ए. एस.	1	1	–	
	मेलनर्स-II	2	1	1	अप्रैल, 1983
	प्रसाविका	1	–	1	अक्टूबर, 1984
	च. श्रे. क.	4	4	–	

नगर परिषद सेवा में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण

574. श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने परिषद सेवा में 240 दिवस पूर्ण कर लिए हैं, स्थानीय निकाय विभाग के आदेश दिनांक 5-4-1981 द्वारा एवं श्रम अधिनियम द्वारा हटाया जाना सम्भव नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को दैनिक वेतन शृंखला देने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है ?

(2) क्या नगर परिषद, जयपुर ने वर्ष 1984 में स्वायत्त शासन सेवा चयन आयोग के माध्यम से 35 कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) ऐसे कर्मचारियों को नगर परिषद, द्वारा रिक्त स्थान होने पर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर उनकी योग्यतानुसार नियमित वेतन शृंखला में नियुक्ति दी जाती है ।

(2) राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधिनस्थ सेवा आयोग, जयपुर ने नगर परिषद, जयपुर में 35 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 9-10-84 को विज्ञापन प्रकाशित किया था ।

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के लिए क्रय सामग्री में अनियमितता की शिकायत

575. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में कार्यरत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर ने लेखा शाखा एवं उप अधीक्षक की राय के विरुद्ध ब्याज भुगतान अधिक दर पर किया जिससे राज्य कोष पर लगभग रु. 6,000/- का अधिक भार पड़ा ? यदि हां, तो अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि माह अप्रैल, मई, 1982 में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में 62 हरे पेड़ों की कटाई की गयी ? यदि हां, तो वह पेड़ किसकी अनुमति से काटे गये व क्यों ? सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व उक्त पेड़ों की लकड़ी का क्या हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि माह जनवरी, 1983 में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में चावल 3.50 पैसे के स्थान पर रु. 7.25 की दर से क्रय किया गया ? यदि हां, तो क्यों व सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, महानिरीक्षक कारागार द्वारा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से दिनांक 22-2-83 से 26-2-83 तक किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, द्वारा वर्ष 1982-83 में क्रय किये गए ब्याज का भुगतान अधिक दर पर करने के कारण राज कोष को 5,860/- रु. 57 पैसे की हानि होने का उल्लेख किया गया है। इस निरीक्षण प्रतिवेदन में बतायी गयी अनियमितताओं के लिए महानिरीक्षक कारागार से राज्य सरकार के पत्र दिनांक 8-9-82 द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था किन्तु महानिरीक्षक कारागार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप व अभियोग पत्र अभी तक अपेक्षित है।

(2) जी हां, महानिरीक्षक कारागार के उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में ही केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के परिसर में 62 हरे पेड़ काटे जाने का उल्लेख है, इस निरीक्षण प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि इतने पेड़ों की लकड़ियां किस कार्य में ली गयी, इसका कोई रिकार्ड नहीं है। इस आरोप के संदर्भ में महानिरीक्षक कारागार से सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप व अभियोग विवरण पत्र उपलब्ध कराने को लिखा गया था, जो अभी तक अपेक्षित है।

(3) जी हां, महानिरीक्षक कारागार के उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में केन्द्रीय कारागृह जयपुर, द्वारा सहकारी उपभोक्ता संघ से आम तौर पर चावल 3.50 पैसे व 3.75 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय किये जाते रहने का उल्लेख है, किन्तु अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह द्वारा दिनांक 3-1-83 व 4-1-83 को 2 क्विंटल, 30 किलो, 500 ग्राम चावल 7.25 की दर से क्रय किये गये। इस आरोप के सन्दर्भ में भी महानिरीक्षक कारागार से संबन्धित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप व अभियोग

(कारागार मंत्री)

विवरण पत्र उपलब्ध कराने को लिखा गया था, जो अभी तक अपेक्षित है।

स्टेट वूलन मिल, बीकानेर

576. श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर में स्टेट वूलन मिल की उत्पादन क्षमता क्या है ?

(2) स्टेट वूलन मिल की मशीनें किस देश से मंगवाई गई हैं और उसमें कुल कितना विनियोजन हुआ ?

(3) क्या उक्त स्टेट वूलन मिल राज्य सरकार ने किसी फर्म या कम्पनी को लिज पर दे रखी है ? यदि हां, तो वार्षिक लीज की राशि क्या है ?

(4) राज्य सरकार को कितने समय से वार्षिक लीज राशि प्राप्त नहीं हो रही है ? लीज राशि प्राप्त न होने पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और लीज राशि प्राप्त न होने के मुख्य कारण क्या है ?

(5) राज्य सरकार ने स्वयं ने जब मिल चलाई, तब राज्य सरकार को किस-किस वर्ष में कितना-कितना घाटा/मुनाफा हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर में स्थित राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर की उत्पादन क्षमता 4,80,000/– किलोग्राम प्रतिवर्ष है।

(2) मिल की मशीनें जापान से आयात की गई, जिन पर रुपये 55.26 लाख का विनियोजन हुआ। मिल में कुल विनियोजन 83.73 लाख रुपये का है।

(3) जी हां, उक्त राजकीय ऊनी मिल राज्य सरकार ने मैसर्स जगन्नाथ जीवन मल वूलन मिल्स प्रा. लि. को दस वर्ष के लिए पट्टे पर रु. 18,12,012/– की प्रतिवर्ष की दर से लाइसेन्स फीस पर दी थी।

(4) प्रथम पार्टी ने लाइसेंस फीस की राशि को कतिपय अधिक बताते हुए जनवरी, 1981 में लाइसेंस राशि देना बन्द कर दिया। विभाग ने अनुबन्ध के अनुसार पार्टी की सहमति से मामले को पंचाट हेतु पंच महोदय को भेजा। पार्टी ने मई व जून, 81 की लाइसेंस राशि-भुगतायी तथा फिर जुलाई, 81 से अभी तक लाइसेंस की राशि का कोई भुगतान नहीं किया है। लाइसेंस फीस प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार के द्वारा 14 दिसम्बर, 1982 को तीन माह का नोटिस देकर मिल का कब्जा लेने की कार्यवाही की गई थी परन्तु कब्जा लेने से पूर्व पार्टी ने न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया। इस स्थगन आदेश के विरुद्ध (सत्र न्यायालय में) राज्य सरकार ने अपील की है कि जो वर्तमान में विचाराधीन है।

320

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(5) राज्य सरकार ने वर्ष 69-70 से वर्ष 75-76 तक राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर को चलाया एवं इस अवधि में हुए घाटे का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है:–

वर्ष	राशि (लाखों रु. में)
1969-70	11.05
1970-71	14.51
1971-72	16.11
1972-73	13.02
1973-74	10.30
1974-75	29.77
1975-76	31.50

रेफरल हॉस्पिटल, ग्राम खाटू (सीकर)

577. **श्री नारायण सिंह** (दातारामगढ़ : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सीकर जिले के ग्राम खाटू की पी. एच. सी. को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है ? यदि हाँ, तो किस साल में स्वीकृति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि आज तक उस अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं लगाया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? अब कब तक स्टाफ लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

मंडी रायसिंह नगर की समस्त बस्तियों में पेयजल व्यवस्था

578. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मंडी रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में पेयजल योजना द्वारा मंडी की समस्त बस्तियों में पाइप लाइन बिछाकर नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कबसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मंडी रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर की अधिकांश बस्तियों में पाइप लाइन बिछा कर नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है, किन्तु माह मई, 1985 में गंग कैनाल की माइनर के कुछ समय के लिये बंद होने के कारण जल वितरण पूर्ण मात्रा में नहीं हो सका ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

579. **श्री रघुवर दयाल** (रामगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आतंक,

(श्री रघुवर दयाल)

अत्याचार एवं हिंसा से पीड़ित होने पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किस-किस तरह के पीड़ितों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1984-85 में किस-किस जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किस-किस पीड़ित को कब-कब, किस-किस कारण से कितनी-कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के हिस्सा राशि हेतु 500/- रुपये तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति के हिस्सा राशि हेतु 250/- रुपये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये ऋण राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की हिस्सा पूंजी में से दी जाती है जबकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 500/- रुपये का अनुदान विशेष केन्द्रीय सहायता से दिया जाता है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये ऋण पर केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है।

(2) सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त कराने हेतु हिस्सा राशि उपलब्ध कराई जाती है जो आर्थिक योजनाओं के लिए होती है अतः जब वे समितियों से प्राप्त ऋण चुकाते हैं तो हिस्सा राशि ऋण जिस पर ब्याज नाम मात्र का होता है जिसे चुकाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस ऋण से भी तो उनके आर्थिक स्रोत बढ़ते हैं।

इन्दिरा गांधी नहर में जल नहीं छोड़ने से कृषकों को क्षति

580. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा)-श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर में पीने का पानी माह मई, 1985 में नहीं छोड़ा गया ? यदि हां, तो नहर को किस तारीख को बन्द किया गया और किस तारीख से पीने का पानी छोड़ा गया ?

(2) क्या यह सही है कि नहर में पीने का पानी नहीं छोड़ने से हजारों पशु पानी के अभाव में मर गये ? यदि हां, तो कुल कितने पशु मरे ? क्या सरकार ने मरे हुए पशुओं की जांच करवाली है ? यदि हां, तो किससे ?

(3) क्या यह सही है कि नहर में पीने का पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा है और किस्तें व सिंचाई आबियाना वसूल कर रहे हैं ? क्या सरकार वसूली को रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के खाजूवाली व पूगल के हजारों किसान पीने के पानी के अभाव में वापिस चले गये हैं ?

322

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)

(5) क्या यह सही है कि नहर के नहीं चलने से कितना गन्ना और नमी के बिना रह गया ? यदि हां, तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है ?

(6) क्या सरकार किसानों को इस नुकसान का हर्जा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(3) नहर व प्रणालियों में पीने व सिंचाई हेतु क्रमवार तथा योजनाबद्ध पानी का प्रवाह किया जा रहा है। अतः सिंचाई का शुल्क नियमानुसार लिया जा रहा है वसूली रोके जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

(4) ऐसा कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया।

(5) जी नही।

(6) प्रश्न नहीं उठता। खरीफ फसल की बुवाई से पहले किसानों को यह बता दिया गया था कि इन्दिरा गांधी नहर से निकलने वाली नहरों को 35 दिन की अवधि में सप्ताह भर पानी देना सम्भव होगा और अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार 33 दिन में एक बार पानी दिया गया है। अतः हर्जा देने का प्रश्न ही नहीं है।

जे. एन. टी. मेडिकल कालेज, अजमेर

581. **श्री ललित भाटी** (केकड़ी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में जेरिआरटिक क्लिनिक खोलने के लिए माह फरवरी, 1983 में सेमिनार एवं प्रदर्शनी लगायी गयी थी और क्या डोनेशन टिकिट रखे गये थे ? यदि हां, तो कितने-कितने मूल्य के और कितना रुपया इकट्ठा हुआ ?

(2) क्या इसी मौके पर आयोजकों द्वारा एक सोविनियर प्रकाशित की गई थी? उसमें किस-किस फर्म द्वारा विज्ञापन दिये गये और कितने-कितने रुपये के ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या मेडिकल कालेज में 2 अप्रेल, 1983 से 12 अप्रेल, 1983 तक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ? क्या उसमें टिकिट रखे गये थे ? यदि हां, तो कितनी कितनी राशि के ? कुल कितने मूल्यों के टिकटों की बिक्री हुई ? यह रुपया कहां-कहां इस्तेमाल किया गया ? इस प्रदर्शनी के आयोजन का क्या उद्देश्य था ?

उत्तर

(1) सेमिनार नहीं अपितु प्रदर्शनी लगायी गयी थी। इसमें कोई डोनेशन टिकट नहीं रखे गए थे। अतः इस मद में रुपया इकट्ठा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(323)

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) 2 अप्रेल, 1983 से 12 अप्रेल, 1983 तक एक जीव विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रवेश टिकट व्यस्कों के लिए 2/– रु. एवं विद्यार्थियों तथा बच्चों के लिए 1/– रु. रखा गया। टिकटों की बिक्री से रु. 102876/– की राशि अर्जित की गयी। इस आय से प्रदर्शनी के आयोजन का खर्च निकालकर शेष राशि 71341.07 रु. बैंक में जमा है। प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य जन स्वास्थ्य शिक्षा था।

सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन पर प्रतिबन्ध

582. **श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूखा सम्भावित क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवण्टन पर रोक लगाई हुई है ?

(2) यदि हां, तो सरकार कब तक इस रोक को हटायेगी ?

(3) क्या सरकार बाड़मेर जिले में 1-7-1975 के बाद के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि (सवाय चक) पर किए गये अनधिकृत कब्जों के नियमन की छूट देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक ऐसी छूट दी जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान सरकार रोक हटाने का विचार अभी नहीं रखती है।

(3) जी नहीं सूखा संभावित क्षेत्रों में भूमि के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए अनुमति देना उचित नहीं है।

उप अधीक्षक, जिला कारागृह, गंगापुर सिटी के विरुद्ध शिकायत

583. **श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :** क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप अधीक्षक जिला कारागृह, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध राज्य सरकार को धोखाधड़ी से अपनी जाति कालवेलिया (जोगी सपेरा) लिखाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जबकि यह जोगी जाति के हैं, जो अनुसूचित जाति में नहीं आती ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई।

(2) क्या उक्त अधिकारी के बारे में यह भी शिकायत की गयी कि उसने अपनी अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार किया और अपने अधीनस्थ जेलर को मारने के लिए उसके खाने में जहर मिलवा दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। कारागार विभाग को श्री शिवचरण लाल कारापाल के विरुद्ध

(324)

(कारागृह मन्त्री)

जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें उनके उच्च जाति का होने की शिकायत की गयी थी। श्री शिवचरण लाल ने उपखंड अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 25-1-1963 को जारी किया गया प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति का होने का प्रमाणित किया गया था विभाग द्वारा इसी आधार पर इन्हें उन्हें अनुसूचित जाति का व्यक्ति माना जा रहा है। अतः जाति सम्बन्धित दिये गये प्रमाण पत्र की जांच करवायी जायेगी।

(2) जी नहीं। गंगापुर सिटी कारागृह में कोई महिला कर्मचारी पदस्थापित नहीं है और न कोई ऐसी शिकायत ही प्राप्त हुई है। जांच पर संबन्धित जेलर श्री करतार सिंह ने स्वयं को जहर दिए जाने की बात को असत्य बताया है।

ग्राम पंचायत रोडवाल का पंचायत भवन

584. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम रोड़वाल, पंचायत समिति, नीमराना का पंचायत भवन अगस्त, 1983 में बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है ?

(2) क्या दिनांक 13-12-1983 को विकास विभाग ने उपरोक्त पंचायत भवन का भुगतान करने पर रोक लगा दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या ग्राम पंचायत रोड़वाल का पंचायत भवन मुताबिक नक्शे से बना है ?

(4) क्या जिस भूमि पर यह भवन बना है उस बाबत किसी अदालत में कोई मुकदमा विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि सरपंच ने पंचायत घर विवादग्रस्त भूमि पर बनाया है। जिसके संबंध में न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड़ द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। इसलिए भुगतान पर रोक लगा रखी है।

(2) जी हां। सरपंच द्वारा पंचायत घर विवादग्रस्त भू-खण्ड पर बनवाने के कारण भुगतान पर रोक लगाई गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड़ में मुकदमा विचाराधीन है।

जयपुर नगर में अग्नि शमन सेवा

585. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में अग्नि शमन के लिए वर्तमान में कितने फायर स्टेशन कितनी गाड़ियों सहित कार्यरत है ?

(2) क्या वर्तमान फायर स्टेशन व गाड़ियां जयपुर नगर स्थित पांच औद्योगिक क्षेत्र व जयपुर की सीमा की दृष्टि से पर्याप्त

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इनके विस्तार के क्या प्रयत्न कर रही है ?

(3) शहर में आग बुझाने वाली गाड़ियों को पानी भरने के लिए हाईड्रेंट्स पुराने एवं नये बने हुए हैं, और उनमें कितने चालू हालत में हैं, व कितने सड़कों के नीचे दब गये हैं ?

(4) क्या फायर सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के कर्मचारियों से कम है ? अग्नि शमन सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में दो फायर स्टेशन 24 गाड़ियों सहित कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर में दो अन्य स्थान एक विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र दूसरा इण्डस्ट्रीयल स्टेट 22 गोदाम पर फायर स्टेशन खोलने की कार्यवाही नगर परिषद्, जयपुर द्वारा की जा रही है तथा नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा तीन नई गाड़ियां तैयार कराई जा रही हैं।

(3) 13 नये एवं 14 पुराने कुल 27 हाईड्रेंस चालू हैं एवं 71 हाईड्रेंस सड़कों के नीचे दब गये हैं।

(4) जी नहीं। नागरिक सुरक्षा विभाग के अग्नि शमन कर्मचारियों का वेतन नगर-परिषद् में कार्यरत अग्नि शमन कर्मचारियों से कम है। अग्नि शमन सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नगर परिषद् द्वारा दी गई सुविधाओं की सूची संलग्न है।

अग्नि शमन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नगर परिषद् द्वारा सुविधाओं की सूची

1. अग्नि शमन कर्मचारियों को नियमों में निर्धारित समस्त अवकाश।

2. साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त राजपत्रित अवकाशों की एवज में 10 दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है।

3. वर्दी दी जाती है।

अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों में अनुदान व ऋण के मामले में भेदभाव

586. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि राज्य में अनुसूचित जन जाति के सदस्य को सहकारी सदस्य के रूप में 500/– रुपये हिस्सा राशि अनुदान एवं अनुसूचित जाति के सदस्य को 250/– रुपये हिस्सा क्रय करने हेतु ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाती एव जन जाति में अनुदान व ऋण का भेदभाव रखने का क्या औचित्य है ?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति को भी सहकारी ऋण प्राप्त करने हेतु हिस्सा राशि ऋण के बजाय अनुदान देना उचित समझती है ? यदि हां, तो वह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

326

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ब")

परिशिष्ट अ

Government of Rajasthan

Social Welfare Department

No. F. 11 (67) R & P/SWD/8?-82/7559 Jaipur, dated 8-5-85

ORDER

Sub:— Scheme for monetary relief to victims of atrocities on members of Scheduled Castes & Scheduled Tribes due to caste consideration.

In Supersession of this Department Order of even number dated 4-1-82 the Governor has been pleased to order that the grant for relief to the victims of atrocities on the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes due to caste consideration will be sanctioned for the following offences at the revised rates as indicated against each with immediate effect :—

Offence	Revised rates of grant for relief.
1. Murder	Rs. 10,000/-.
2. Permanent Incapacitation	Rs. 10,000/-
3. Temporary incapacitation	Rs. 2,000/-
4. Permanent damage to house	Rs. 2,000/-or the compensation for the loss which ever is less.
5. Rape victims	Rs. 5,000/-
6. Loss of moveable property	Rs. 2,000/-

In sanctioning the above grants to the victims of atrocities on members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes the Collector of the district will exercise suitable discretion on the basis of factual position at the spot. In case of murder, the grant will be given to the nearest kith and kin, say wife/son of the deceased. In other cases, the grant will be disbursed to the grantee after identifying them.

The expenditure on the scheme is to be incurred from the following budget head :—

288-Social Security and Welfare

(Ga)-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes.

(Cha)-Other Expenditure

(I) Assistance to Sch. Caste, Sch. Tribes and Other Backward Classes for Protection of Civil Rights. (Non-plan expenditure)

This issues with the concurrence of Finance (Exp-II) department vide their I.D. No. 1936 Dated 6-5-85.

Your faithfully,

(O. P. JOSHI)
Spl. Secretary to Govt.,
Social Welfare Department
Rajasthan, Jaipur.

No. F. 11 (67 (R&P/SWD/81-82/7560-7624 Dated : 8-5-85

Copy for information and necessary action to :

1. The Member, Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, Govt. of India. Vth Floor. Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003 with reference to his D.O. No. 42/6/SCTC/80 RU dated 25-1-85 for information.

2. The Development Commissioner & Spl. Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur,

3200

3. The Secretary, Home Department, Jaipur.
4. Finance Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. Commissioner, T.A.D., Udaipur.
6. Spl. Secretary, Planning. Govt, of Rajasthan, Jaipur.
7. Director, Rural Development & Panchayati Raj., Jaipur.
8. Dy. Secretary, Home (Harijan Cell) Deptt., Raj. Jaipur.
9. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
10. All Collectors.... ....
11. Asstt. Director Planning/Sr. A.O. H.q.
12. Asstt. Director, Social Welfare Deptt., Jaipur/Kota/Udaipur/ Jodhpur/Bikaner.
13. All Disstt. Probation & Social Welfare Officers, S. W. D., ...

Sd/-

(O.P. JOSHI)
Spl. Secretary to Govt
Social Welfare Department
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट–'ब'

वर्ष 1984–85 में अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की जिलेवार सूची

क.सं.	स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	व्यक्ति व परिवार का नाम जिसको अत्याचार सहायता दी गई	स्थायी पता	जाति	अत्याचार (किस्म)	सहायतार्थ राशि
1	2	3	4	5	6	7
		1. अलवर				
1.	3422 दि. 26-3-85	श्री गोपीचंद पुत्र श्री झमनराम	शाहबाद थाना तिजारा,	जाटव	आई.पी.सी. 436	2000
2.	,, ,,	श्री सुल्तान पुत्र श्री मोती चमार	मालूताना थानागाजी	चमार	आई.पी.सी. 307/148	1000
3.	,, ,,	श्री परसराम पुत्र श्री हुलसाराम	तिजारा थाना अलवर	जटिया	आई.पी.सी. 435	2000
4.	3462 दि. 28-3-85	श्रीमती कमला पत्नी श्री रामचन्द्र	मलावार पुलिस थाना कोटकालिया अलवर	धानका	आई.पी.सी. 452, 323, 376, 551	1000
					योग	6000
		2. टौंक				
1.	982-992 दि. 19-4-85	श्री रमेशचन्द्र पुत्र पांचू बैरवा	नि. ग्राम औरलिया, टौंक	बैरवा	फसल को नुकसान	500
2.	1435-1444 दि.6-6-84	श्री जगदीश पुत्र जमनालाल	नि. तथोना तह. ,,	,,	,,	600

1	2	3	4	5	6	7
3.	1485 दि. 3-7-84	श्री श्रवणलाल पुत्र बालू	नि. टोडारायसिंह टौंक	रैगर	मारपीट	1000
					योग	2100

3. बून्दी

1	2	3	4	5	6	7
1.	1624-29 दि.11-3-85	श्रीमती सुशीला बाई पत्नी लदूर	ग्रा. जालमड़ थाना तलेड़ा बून्दी	हरिजन	बलात्कार	2000
					योग	2000

4. सीकर

1	2	3	4	5	6	7
1.	614 दि. 21-3-85	दुर्गाराम पुत्र श्री भूराराम	बलाई मोहल्ला वार्ड 33, सीकर	बलाई	मारपीट	1000
2.	615 दि. 21-3-85	लालराम पुत्र श्री भागीरथराम	नायक मोहल्ला वार्ड 32, सीकर	नायक	,,	500
3.	616 दि. 21-3-85	श्री हीरालाल पुत्र महादेव धानका	मु.पो. मुडरू तह. श्रीमाधोपुर	धानक	,,	1000
4.	617 दि. 21-3-85	श्री रतन पुत्र श्री नानगराम	नायक मोहल्ला वार्ड 32, सीकर	नायक	,,	1000
5.	613 दि. 21-3-85	श्री रूडाराम पुत्र श्री मोटाराम	मु पो. गोकुलपुरा, सीकर	बलाई	,,	500
6.	612 दि. 21-3-85	श्री रूडाराम पुत्र श्री कृष्णाराम	मु.पो. हरनाक की ढाणी तह. दातारामगढ़	बलाई	,,	500
7.	611 दि. 21-3-85	श्रीमती फडी पत्नि रामेश्वर	मु.पो. टीबावसी की ढाणी दातारामगढ़	बलाई	आगजनी	2000

1	2	3	4	5	6	7
8.	610 दि. 21-3-85	श्री किशना पुत्र श्री रामूराम खटीक	खटीक मोहल्ला वार्ड 24, फतेहपुर	खटीक	आगजनी	1500
9.	609 दि. 21-3-85	श्रीमती शान्ती देवी पुत्री प्रेम नायक	मु.पो. जेरठी, सीकर	नायक	बलात्कार	2000
10.	608 दि. 21-3-85	भूराराम पुत्र लादूराम बलाई	मु.पो. जांवा तह. दातारामगढ़	बलाई	कत्ल	5000
					योग	15000
		5. सिरोही				
1.	1058 दि. 20-3-85	अमरिया पुत्र नेरसा जी	नि. प्रेसर्वा तह. शिवगंज	बागरी	गम्भीर चोट	1500
2.	,, ,,	जयरूप पुत्र श्री गोमाजी	चुकीहाल उवमनं तह. सिरोही	मेघवाल	,,	500
3.	,, ,,	बेना पुत्र नंशा	तह. रेवदर, खांबल	मेघवाल	,,	500
4.	,, ,,	हंसा पुत्र श्री मगा जी	खांबल	मेघवाल	,,	500
5.	,, ,,	हरिया पुत्र श्री भरता जी	सेउडा	सरगड़ा	,,	500
6.	,, ,,	चमड़ा पुत्र श्री रूड़ा	जावाल	मेघवाल	,,	500
7.	,, ,,	श्रीमती फाबू पत्नि कालू	कालड़	मेघवाल	,,	1000
					योग	5000
		6. पाली				
1.	9021 दि. 29-3-85	श्रीमती लोला/तेजाराम	ग्राम खारड़ी तह. मारवाड़	बावरी	बलात्कार	1500

1	2	3	4	5	6	7
2.	9021 दि. 29-3-85	हनुमान प्रसाद/बेनाराम	सुभाष नगर, पाली	बलाई	पुत्र हत्या	2500
3.	" "	धीनू/भाना ग्रा. डाकरवास	थाना जैतारण, पाली	सरगड़ा	गम्भीर चोट	400
4.	" "	रामचन्द्र/शिवदास	मा. रामपुर	बावरी	"	400
5.	" "	भालूराम/मोहनलाल	सा. जैतारण	सरगरा	"	400
6.	" "	बादूराम/उम्मेदराम	सा. पांचटिबा	धोबी	"	400
7.	" "	पकाराम/खूभा	सा. टोकरला मगर बलाव	मेघ	"	400
8.	" "	धूला/भोपा	साकिन पांचेटिबा पाली	नायक	"	400
9.	" "	पकाराम/भीमाराम	सा. दुढारिया	सरगरा	"	400
10.	" "	जगदीश/कालू	साकिन सरदारपुरा	ढोली	"	400
11.	" "	राजूराम/मंगलाराम	साकिन गरनिया जैतारण	मेघ	"	400
12.	" "	गिरधारी/केसा	साकिन कालूजी की बगोची	हरिजन	"	400
13.	" "	पुखिया/बेनाराम	साकिन सोनाभी मांजी	सरगरा	"	400
14.	" "	साभरा/डूगा	साकिन दूबोड़ जोड़	बावरी	"	400
15.	" "	बोरिया/गणेश	साकिन भांबिया	बावरी	"	400
16.	" "	मुन्नाराम/पूराराम	साकिन सेंदड़ा	मेघ	"	400
17.	" "	नवीया/वुपा	साकिन पाका थाना तखतगढ़	बावरी	"	400
					योग	10,000

1	2	3	4	5	6	7
		7. जालोर				
1.	326 दि. 15-1-85	श्री घेवरचन्द पुत्र हसाराम रावल	निवासी देसू जिला जालोर	मेघवाल	गम्भीर चोट	3000
					योग	3000
		8. जोधपुर				
1.	728 दि. 9-7-84	श्रीमती डगली पत्नि दूलाराम मेघवाल	सुरपरा खुर्द	मेघवाल	मारपीट व फसल का नुकसान	750
2.	950 दि. 14-9-84	श्री पताराम पुत्र भोगाराम	रावड़िया	मेघवाल	दोनों व्यक्तियों के खवास जला दिये	1500
					योग	2250
		9. कोटा				
1.	3356-60 दि. 7-6-84	घासी पुत्र बिसना	गणेशपुरा तह. किशनगंज	रैगर	मारपीट	750
2.	,, ,,	राम भरोली/किशनलाल	लक्ष्मीपुरा तह. बारां	रैगर	मारपीट	200
3.	,, ,,	नन्दा/मांगीलाल	मु. डींगसी तह. रामगंज मन्डी	चमार	,,	500
4.	3871-75 दि. 20-6-84	बृजमोहन पुत्र रामप्रताप	खेडली फाटक कोटा	चमार	,,	500

1	2	3	4	5	6	7
5.	6937-41 दि. 6-9-84	श्रीमती कंचन पत्नि सगरा	नि. जुलमी तह. रामगंजमण्डी	कंजर	मारपीट	500
6.	9039-44 दि.23-11-84	रामलाल/श्रवण	नि. बाहरणा तह. छीपाबरोड़	चमार	,,	200
7.	,, ,,	बद्रीलाल	नि. अटरू तह. अटरू	चमार	फसल को नुकसान	500
8.	125-219 दि. 9-4-85	छोटूलाल/किशन	नि. आलीपुरा तह. लाड़पुरा	मेघवाल	दुर्घटना	400
9.	,, ,,	चोथमल/फूलचन्द	नि. गावड़ी कोटा	कोली	मारपीट	500
10.	,, ,,	कन्हैयालाल/कवंरलाल	नि. बयानकला	धोबी	,,	250
11.	,, ,,	नाथूलाल पुत्र श्री भंवरलाल	नि. नयापुरा कोटा	खटीक	,,	500
12.	2525-33 दि.27-3-85	रतनलाल/सुन्दरलाल	नेहरू नगर हरी बीच कोटा	माहवर	,,	300
13.	,, ,,	अम्बालाल/नानूराम	रामदेव जी मन्दिर के पास कोटा	बागड़ी	आगजनी	2000
14.	3026-31 दि.28-3-85	श्रीमती रामकल्याणी/भैंरूलाल	नि. खड़िया	बलाई	बलात्कार	1000
15.	,, ,,	बजरंगलाल/डालू	नि. निमाड़ा	मेघवाल	मारपीट	400
					योग	8000

10. बीकानेर

1.	8198 दि. 17-9-84	श्रीमती हस्तु पत्नि पुनाराम	ग्रा. करणीसर तह. बीकानेर	मेघवाल	बलात्कार	2000
2.	,, ,,	श्री नन्दराम/जेमाराम	ग्रा. बीकासर तह. नोखा	नायक	झोपड़ा जलादिया	1000
3.	,, ,,	श्री चतराराम/चूनाराम	ग्राम. पांचू तह. नोखा	मेघवाल	अस्थाई क्षति	1000
4.	8948 दि. 7-11-84	श्री चूनाराम/पूर्णाराम	ग्राम. खारबारा तह. बीकानेर	मेघवाल	,,	1000
5.	,, ,,	श्री फरकाराम पुना/सरदाराराम	ग्रा. पालना तह. बीकानेर	मेघवाल	,,	1000

1	2	3	4	5	6	7
6.	8948 दि. 7-11-84	श्री हरणाराम पुना/रावतराम	ग्रा. जालवाली तह. बीकानेर	मेघवाल	अस्थायी क्षति	1000
					योग	7000
		11. नागौर				
1.	498 दि. 8-2-85	श्री मालाराम रेगर की विधवा शान्ती	ग्रा. मगलाना तह. परबतसर	रेगर	हत्या	4000
2.	8485-99 दि. 4-3-85	किशनाराम बावरी की विधवा	ग्रा. डारू तह. रिवरसर	बावरी	हत्या	5000
					योग	9000
		12. बाड़मेर				
1.	1816-22 दि. 26-3-85	दुर्गाराम/खंगाराम	कमोका बाड़ा	मेघवाल	फसल को नुकसान	500
					योग	500
		13. स. माधोपुर				
1.	3092-95 दि. 23-11-84	श्रीमती शान्ती पत्नि श्री आनन्ता	बेरई की ढाणी भीमपुरा तह. खण्डाल	बैरवा	बलात्कार	2000

1	2	3	4	5	6	7
2.	3092 दि. 23-11-84	श्रीमती शान्ती पत्नि श्री कल्याण	बेरई की ढाणी भीमपुरा तह. खंडाल	बैरवा	बलात्कार	2000
3.	,, ,,	श्रीमती सोमोती पत्नि श्री परमा	,, ,,	बैरवा	,,	2000
4.	,, ,,	श्रीमती रामपति पत्नि श्री रतन	,, ,,	बैरवा	,,	2000
5.	,, ,,	श्रीमती धप्पो पत्नि गंगाधर	,, ,,	बैरवा	,,	2000
6.	3092-95 दि.23-11-84	श्री कल्याण पुत्र बिहारी	बेरई की ढाणी भीमपुरा तह. खण्डाल	बैरवा	शारीरिक क्षति	500
7.	3151-55 दि.26-11-84	सोमा बैरवा	धोड़ क्या थाना कैलादेवी, करौली	,,	बलात्कार	2000
8.	,, ,,	सुजान बैरवा	,, ,,	,,	,,	2000
9.	,, ,,	सम्पत बैरवा	,, ,,	,,	,,	2000
					योग	16500

14. झुन्झुनूं

1	2	3	4	5	6	7
1.	399-404 दि. 30-5-84	दिलीप कुमार पुत्र ढूहाराम	इकतारपुरा झुन्झुनूं	नायक	मारपीट/आगजनी	1000
2.	,, ,,	रणजीत पुत्र डदाराम	,, ,,	,,	,, ,,	1000
3.	,, ,,	बिड़दाराम/हेमाराम	,, ,,	,,	,, ,,	1000
4.	,, ,,	पतासी/पत्नी बिड़दाराम	,, ,,	,,	,, ,,	1000
6.	,, ,,	बिड़दाराम पुत्र हेमाराम	,, ,,	,,	,, ,,	500

1	2	3	4	5	6	7
6.	1112-14 दि. 29-10-84	हेमाराम पुत्र हरसनराम	बाकरा	चमार	मारपीट	500
7.	1115-17 दि. 29-10-84	अमरराम पुत्र मालाराम	बासड़ी	,,	,,	1000
8.	1118-20 दि. 29-10-84	गिरधारीलाल/डालूराम	चिड़ावा	,,	,,	1000
9.	1121-23 दि. 29-10-84	बंशीलाल/मालाराम	मण्डेला	मोची	,,	500
10.	1124-26 दि. 29-10-84	मांगीलाल/मालाराम	बुगीनियां	चमार	,,	500
11.	117-19 दि. 29-10-84	रामकुमार पुत्र शिवचन्द	काकोड़ा	,,	,,	500
12.	115-17 दि. 29-10-84	दयाचन्द पुत्र मालाराम	बामड़ी	,,	,,	1000
13.	1227-39 दि. 15-11-84	मखनलाल पुत्र भगवानाराम	नवलड़ी	,,	मकान की तोड़फोड़	2000
14.	,, ,,	भगवानाराम/धन्नाराम	,,	,,	,,	2000
15.	,, ,,	कुरड़ाराम पुत्र नेताराम	,,	,,	,,	2000
16.	,, ,,	नाथाराम/कुरड़ाराम	,,	,,	,,	2000
17.	,, ,,	रामकुमार/सुरजाराम	,,	,,	,,	2000
18.	1227-39 दि. 15-11-84	आशाराम/भानाराम	नवलड़ी	चमार	मकान की तोड़-फोड़	1500
19.	,, ,,	झाबरमल/लादूराम	,,	,,	,, ,,	2000
20.	,, ,,	मांगूराम/श्योजीराम	,,	,,	,, ,,	2000
21.	,, ,,	शीशपाल/मांगूराम	,,	,,	,, ,,	2000
22.	,, ,,	सांवतराम/श्योजीराम	,,	,,	,, ,,	2000
23.	,, ,,	फताराम/धन्नाराम	,,	,,	,, ,,	2000
24.	,, ,,	मालाराम/नूताराम	,,	,,	,, ,,	2000

1	2	3	4	5	6	7
25.	1249-51 दि. 15-11-84	श्रीमती गुलाब पत्नी महावीर	भगीना	चमार	बलात्कार	2000
26.	1246-48 दि. 15-11-84	हेमाराम/मनरूप	,,	,,	मारपीट	500
27.	24-26 दि. 3-1-85	श्रवण कुमार पुत्र श्री मानाराम	वाहिदपुरा	,,	मारपीट	500
28.	22-23 दि. 3-1-85	मोजीराम/श्री लालूराम	पातुसरी	,,	,,	500
29.	18-20 दि. 3-1-85	कु. बेद कौर पुत्री श्री मूलाराम	बासकटेवा	,,	बलात्कार	2000
30.	439-41 दि. 27-3-85	सुखदेवराम पुत्र श्री राजूराम	मोबतसरी		मारपीट	500
					योग	38600

15. जयपुर

1	2	3	4	5	6	7
1.	368 दि. 15-3 85	श्रीमती प्रभाती पत्नी मदन	नि. चालाण बालाजी ताव- रियों की ढाणी त. रामपुरा सेथल	बावरिया	बलात्कार	2000
2.	,, ,,	श्री दाना पुत्र बोदू	नि. ठोठस की ढाणी फुलेरा	,,	अस्थायी शारीरिक क्षति	1000
3.	,, ,,	श्रीमती भूरी पत्नी पोखर	नि. श्यामा की ढाणी सांभरलेक	,,	,,	1000
4.	,, ,,	श्री लाद्या पुत्र भूथा	नि पणाच थाना फागी	,,	,,	1000
5.	,, ,,	श्रीमती मगटी पत्नी लाद्या	,, ,,	,,	,,	1000

1	2	3	4	5	6	7
6. 481	दि. 27-3-85	श्रीमती गीता पत्नी भंवरलाल	नि. खुमारों का मोहल्ला पुनियारों का रास्ता चांदपोल बाजार, जयपुर	बलाई	बलात्कार	2000
7. "	"	श्री बाबूलाल/सुडारा	नि. सिरसी थाना बगरू	"	हत्या	5000
					योग	13000

16. अजमेर सूचना शून्य है ।
17. बांसवाड़ा "
18. भीलवाड़ा "
19. चितौड़गढ़ "
20. चूरू "
21. धौलपुर "
22. डूंगरपुर "
23. गंगानगर "
24. जैसलमेर "
25. झालावाड़ "
26. उदयपुर "

1	2	3	4	5	6	7
			27. भरतपुर			
1.	—	श्रीमती दुलारी पत्नी स्वर्गीय हरचंदी	उदयपुरी त. व थाना डीग	जाटव	हत्या	5,000
2.	—	श्री रामजीलाल महायना पुत्र किशन	भरतपुर	खटीक	सामान चोरी व स्थायी सम्पत्ति का नुकसान	1,000
3.	—	श्री रामचन्दी पुत्र शिवलाल	ग्राम व पोस्ट गुनसारा त. डीग	जाटव	छप्पर पूर्णतया जला कर नष्ट	500
4.	—	श्री बिहारी पुत्र सुखदेव	ग्राम गुलपाड़ा त. नगर	जाटव	हाथ में चोट	500
5.	—	श्री रामचन्द्र पुत्र प्रभाती	—	जाटव	मारपीट	500
6.	—	श्री हिले पुत्र प्रभाती	—	"	"	500
7.	—	श्री मंगल पुत्र रामचन्द्र	—	"	"	500
8.	—	श्री फुन्दी पुत्र हरचन्दी	—	"	"	500
9.	—	श्री कन्जी पुत्र सुन्दर	ग्रा. फतेहसिंह का बास मजराजसवर थाना मुसावर	जाटव	मारपीट	500
10.	—	श्री रमेश पुत्र राधे	ग्रा. वहाज त. व थाना–डीग	जाटव	मारपीट	500
11.	—	श्री राजहंस पुत्र मनसुखो	ग्राम मुसावर	जाटव	मारपीट	1,000

1	2	3	4	5	6	7
12.	—	श्री सुगोरा पुत्र जोधा	नगला श्राजऊ त. डीग	जाटव	श्राग लगने के कारण	300
13.	—	श्री छोटे पुत्र जोधा	"	"	"	300
14.	—	श्री प्यारे पुत्र जोधा	"	"	"	300
15.	—	श्री दुल्ला पुत्र चेतू	—	"	"	300
16.	—	श्री मनीराम पुत्र चेतू	—	"	"	300
17.	—	श्री पूरण पुत्र चेतू	—	"	"	300
18.	—	श्री पतराम पुत्र डूंगरिया	—	"	"	300
19.	—	श्री मोहनसिंह पुत्र मानपाल	ग्राम बरताई थाना कुम्हेर	"	"	300
					योग	13,600

कोटा की नगर परिवहन सेवा

587. **श्री मदन महाराजा** (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद् कोटा की नगर परिवहन सेवा कबसे कोटा शहर में चालू की गई है ? अब तक नगर परिषद् को इससे कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

(2) क्या बस सेवा अभी चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से ?

(3) परिवहन बस सेवा में कितने कर्मचारी सेवारत हैं, और उनसे इस समय क्या कार्य लिया जा रहा है ? क्या इसका वार्षिक वित्तीय भार नगर परिषद पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या सरकार नगर परिवहन बस सेवा को और उससे संबंधित कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान राज्य परिवहन निगम को देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(5) क्या नगर परिषद्, नगर परिवहन सेवा पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद् कोटा की नगर परिवहन सेवा 4 अक्टूबर, 1973 से चालू की गई थी। नगर परिषद् कोटा को इससे अब तक 1, 40, 12, 636/–रुपये की हानि हुई है।

(2) जी हां।

(3) नगर परिवहन सेवा में कुल 95 कर्मचारी हैं, इनमें से 50 कर्मचारी परिवहन सेवा में कार्यरत हैं। 45 अन्य कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप नगर परिषद् में अन्य कार्य, ड्राइवर, परिचालक, चौकीदार, लिपिक आदि का कार्य लिया जा रहा है। परिवहन सेवा के लिए कुल स्वीकृत पूरे कर्मचारियों को वार्षिक वित्तीय भार लगभग 9, 92, 000/–रु. का है।

(4) नगर परिवहन बस सेवा से संबंधित कर्मचारी नगर परिषद् द्वारा ही नियुक्त हैं, जिन्हें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपनी सेवा में लेने को बाध्य नहीं है।

(5) नगर परिवहन सेवा के लिए नगर परिषद् द्वारा बसें चलायी जा रही हैं।

सादत अस्पताल टोंक में कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक)

588. **श्रीमती जकिया इनाम** (टोंक) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक के सादत अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपैडिक) का पद सृजित किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) इस पद पर अब तक कौन-कौन चिकित्सक कार्य कर चुके हैं, एवं क्या वे इस पद की निर्धारित योग्यता पूरी करते थे।

(श्रीमती जकिया इनाम)

(3) क्या यह सही है कि आज भी इस पद पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक) योग्यता का चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक कनिष्ठ विशेषज्ञ इस पद पर लगायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

असावरा माता, बड़ी सादडी, धरियावद, जयपुर–बांसवाड़ा बस सेवा

589. **श्री उदयराम धाकड़** (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य-पथ-परिवहन निगम की बस जयपुर से वाया चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादडी, प्रताप गढ़ होती हुई बांसवाड़ा पहुंचती है ?

(2) यदि हां तो क्या निगम असावरा माता, बडी सादडी, धरियावद होती हुई जयपुर से बांसवाडा तक बस चलाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पथ पर निगम की बहुत ही कम बसें चलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को मद्दे नजर रखते हुए और भी बसें क्र. सं. 2 के अनुसार जयपुर से बांसवाडा तक चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। असावरा माता-बडी सादडी-धरियावद-बांसवाडा मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस मार्ग पर वर्तमान में निजी वाहनें संचालित हैं। अतः वर्तमान में जयपुर से बांसवाडा वाया असावरा माता बडी सादडी-धरियावद होते हुए बस सेवा संचालित करने का निगम का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 776 का विवरण)

ऋणों की प्राप्ति का स्त्रोत	दिनांक 1–4–85 को बकाया ऋणों का विवरण संशोधित अनुमानों के आधार पर (आंकड़े करोड़ रुपयों में)
1. केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज और पेशगियां	1872.69
2. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	
अन्य साधनों से प्राप्त ऋण	
(1) भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	17.56
(2) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	14.59
(3) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन से कर्ज	0.01
(4) राष्ट्रीय वेयर हाउसिंग विकास निगम से कर्ज	1.28
(5) भारतीय दुग्ध निगम से कर्ज	0.42
(6) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	20.43
(7) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से कर्ज	0.28
(8) भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	4.93
(9) हुडकों से कर्ज	0.48
(10) बाजार कर्ज	406.52
(10) जागीर बान्डस	0.24
योग:–	2339.43

(355)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 780 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

निविदा दाताओं के नाम, निविदा प्राप्ति दिनांक एवं निविदा में अंकित शर्तों का विवरण

क्र. सं.	नाम व्यापारी	निविदा प्राप्ति दिनांक	निविदा में अंकित शर्तें
1.	मैसर्स जे. के. एण्ड कं. ज्वैलर्स, जयपुर	10-9-94	1. तेल एग मार्का सप्लाई किया जावेगा, फिर भी यदि विभाग को आई. पी. डी. चाहिए तो हम से सहमति प्राप्त करने के बाद ही अन्य व्यापारी को सप्लाई आदेश दिया जावे। 2. निविदा राशि को सुरक्षा राशि में परिवर्तन करना होगा। 3. यदि हमारे नाम आइटम स्वीकृत नहीं होता है तो एक माह में निविदा राशि लौटानी होगी।
2.	बिस्को कम्पनी, बम्बई	10–9–84	
3.	प्रेमजी हरिदास एण्ड कं. बम्बई	10–9–84	
4.	रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी जयपुर	10–9–84	1. तेल तिल्ली तथा तेल सरसों एग-मार्का देने की शर्त दी।
5.	श्रीनाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर	10–9–84	1. तेल तिल्ली तथा तेल सरसों एग मार्का देंगे।
6.	शंकर ट्रेडर्स, अजमेर	10–9–84	1. निविदा राशि भाग क–त्र क–0 की मानी जावे, यूनानी की निविदा की निविदा राशि नहीं दी है अतः इस टेण्डर को केन्सिल माना जावे। 2. तेल तिल्ली एग मार्का देंगे।

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज., अजमेर

क्रमांक लेखा (3) क्रय (84–85) 14255 दिनांक 6-8-84

निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 1984-85 (दिनांक 1-7-84 से 30-6-85) आयुर्वेद विभाग अजमेर अन्तर्गत संचालित रसायनशालाओं के उपयोगार्थ लगभग 40.00 लाख रुपये मूल्य की आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों क्रय करने हेतु निम्नांकित सम्भागों की सीलबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं।

सम्भाग	नाम औषध/वस्तु	क्रय हेतु अनुमानित राशि (लाख रु. में)	निविदा राशि	निविदा फार्म का शुल्क
भाग क–1	आयुर्वेदिक/औषधियां/किराने का सामान/जड़ी बूटियां (आईपी बीपी औषधियों को छोड़कर)	23.00	5000	50.00
भाग क–2	गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों	2.70	1500	50.00
भाग क–3	आईपी/बीपी/औषधियां/जैसे पीपरमेंट, गंधक, आंवलासार, अजवायन सत्व, वैसलीन, अरण्ड तेल आदि (केवल वे ही व्यापारी निविदा दें जिनके पास ड्रग लाइसेंस उपलब्ध हो)	10.35	4000	50.00
भाग क–4	यूनानी औषधियां	0.20	1000	5.00
भाग क–5	लिन्ट, कोटन, एडिसिव प्लास्टर	3.25	4000	50.00
भाग क–6	उपले, हांडिया	0.50	1000	15.00
		40.00		

प्रत्येक सम्भाग के निविदा फार्म का मूल्य उनके सम्मुख अंकित है। व्यापारी एक अथवा एक से अधिक सभी संभागों की निविदा दे सकते हैं। निविदा फार्म मय विवरण

व शर्तों के व्यक्तिगत रूप से नकद अथवा मनीआर्डर द्वारा सदस्य स्टोर परचेज कमेटी (लेखाधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर) के नाम भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।

(1) निविदा फार्म विक्रय/क्रय करने की अन्तिम तिथि	23-8-84	को दोपहर 12 बजे तक
(2) निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	23-8-84	को सायं 4.00 बजे तक
(3) निविदा खोलने की तिथि व स्थान	24-8-84	को प्रात: 11.00 बजे उपशासन सचिव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग जयपुर के कक्ष में

ह./–

(एल. एन. पुरोहित

सदस्य सचिव

एवं

लेखाधिकारी, आयुर्वेद

विभाग, अजमेर

प्रतिलिपि :—

1. विभागीय भण्डार समिति के मानद सदस्यगण।
2. व्यवस्थापक/प्रभारी अधिकारी राज. आयु. रसा. (समस्त)
3. सबन्धित व्यापारीगण
4. नोटिस बोर्ड

ह./–

सदस्य सचिव

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान–अजमेर

क्रमांक लेखा–3 (क्रय) 17416 दिनांक 23-8-84

निविदा विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय की निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 14252 दिनांक 6-7-84 द्वारा प्रसारित आयुर्वेदिक औषधियों के लिये भाग (क) के सभी सम्भागों की निविदा विक्रय, प्राप्ति एवं खोलने के दिनांकों में निम्न संशोधन किया जाता है :–

(1) निविदा फार्म विक्रय की अंतिम दिनांक	10-9-84 को प्रात: 12 बजे तक
(2) निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	10-9-84 को सायं 4 बजे तक
(3) निविदा खोलने का दिनांक	11-8-84 को प्रात: 11.30 बजे।

नोट:–अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

ह./–23-8-84
(एल. एन. पुरोहित)
सदस्य–सचिव,
आयुर्वेद स्टोर परचेज कमेटी
आयुर्वेद विभाग अजमेर।

प्रतिलिपि–

1. समस्त सदस्य गण, आयुर्वेद स्टोर परचेज कमेटी।
2. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेदिक रासायनशालाएँ, अजमेर।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएँ, अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
4. संबंधित व्यापारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह./–23-8-84
सदस्य सचिव,

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : लेखा/3/क्रय/18568 दिनांक 12 सितम्बर, 84.

निविदा विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के पत्रांक 14253, दिनांक 6–7–84 एवं संशोधन क्रमांक 17416, दिनांक 23-8-84 द्वारा प्रसारित निविदा विज्ञप्ति में केवल भाग का, आयुर्वेदिक औषधियां/किराए का सामान/जड़ी बूटियां (आई. पी. बी. पी. औषधियों को छोड़कर) की निविदा विक्रय, प्राप्ति एवं खोलने के दिनांकों में निम्न संशोधन किया जाता है:—

1. निविदा फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि	21–9–84 को प्रात: 12 बजे
2. निविदा फार्म कार्यालय में स्वीकार करने की अन्तिम तिथि	21–9–84 को सायं 4 बजे तक
3. निविदा खोलने की दिनांक,	22–9–1984 को प्रात: 11.30 बजे (उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के कक्ष में)

ह./–

(एल. एन. पुरोहित)

सदस्य सचिव,

आयुर्वेद स्टोर परचेज कमेटी,

आयुर्वेद विभाग, अजमेर

भाग क-II

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायन शाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
1.	1	गुड़ (विभागीय नमूने के अनुसार)	5455	अजमेर	प्रतिकिलो	4.40	चार रुपये चालीस पैसे मात्र
2.	2	तेल तिल्ली (आईपी/बीपी टेस्ट) (अच्छी पीपों में पैकिंग)	12717	अजमेर (एगमार्का सप्लाई करेंगे)	प्रतिकिलो	18.95	अठारह रुपया पिचानवे पैसे प्रति
3.	3	तेल सरसों (आईपी/बीपी टेस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	840	अजमेर (एगमार्का सप्लाई करेंगे)	प्रतिकिलो	18.75	अठारह रुपये पिचेतर पैसे प्रति किलो

नोट:—निविदा के साथ 1500/—रुपये निविदा राशि के लिये प्रेषित करना है।

Sd/-
For J.K. & Co.
हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
Propriter

भाग क-II

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर

गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों

क्र.स.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
1.	1	गुड़ (विभागीय नमूने के अनुसार)	5455	अजमेर	प्रतिकिलो	4.50	Rs. Four & fifty Paise only
2.	2	तेल तिल्ली (आईपी/बीपी टेस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	12717	अजमेर	प्रतिकिलो	19.00	Rs. Ninteen & P. Nill
3.	3	तेल सरसों (आईपी/बीपी टेस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	840	अजमेर	प्रतिकिलो	19.25	Rs. Ninteen & P.25

नोट:—निविदा के साथ 1500/–रुपये निविदा राशि के लिये प्रेषित करना है।

Sd/-
Far Bisco Co.
हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील
Partenar

राजस्थान सरकार

भाग क-II

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो म)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की ईकाई	दर	
						अंकों मे	शब्दों में
1	1	गुड (विभागयीय नमूने के अनुसार)	5455	अजमेर	प्रतिकिलो	'20.00	Rs. Twenty only.
2	2	तेल तिल्ली (आईपी/बीपी टैस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	12717	अजमेर	प्रतिकिलो	34.00	Rs. Thirty four only.
3	3	तेल सरसों (आईपी/बीपी/ टैस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	840	अजमेर	प्रतिकिलो	30.00	Rs. Thirty only

नोट:—निविदा के साथ 1500/– रुपये निविदा राशि के लिये प्रेषित करना है।

Sd/-
For Mrs. Premji Haridas & Co.
Constituted Authority
हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

भाग क-II

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों

क.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानित मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की ईकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
1	1	गुड़ (विभागीय नमूने के अनुसार)	5455	अजमेर	प्रतिकिलो	4.45	चार रुपया पेंतालीस पैसा
2	2	तेल तिल्ली (आईपी/बीपी टैस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	12717	अजमेर (एग मार्क सप्लाई करेंगे)	प्रतिकिलो	19.75	उन्नीस रुपया पिचेहतर पैसा
3	3	तेल सरसों (आईपी/बीपी/ टैस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	840	अजमेर (एग मार्क सप्लाई करेंगे)	प्रतिकिलो	20.00	बीस रुपया

नोट:—निविदा के साथ 1500/– रुपये निविदा राशि के लिये प्रेषित करना है।

Sd/-
For Ram Gopal & Co.
(भगवान सहाय)
Partner
हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों

क्र सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायन शाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
1.	1	गुड़ (विभागीय नमूने के अनुसार)	5455	अजमेर	प्रतिकिलो	4.70	चार रुपये सत्तर पैसे मात्र
2.	2	तेल तिल्ली (आईपी/बीपी टेस्ट) (अच्छे पीपों में पैंकिंग)	12717	अजमेर (एगमार्का सप्लाई करेंगे)	प्रतिकिलो	19.25	उन्नीस रुपये पचीस पैसे मात्र
3.	3	तेल सरसों (आईपी/बीपी टेस्ट) (अच्छे पीपों में पैंकिंग)	840	अजमेर (एगमार्का)	प्रतिकिलो	19.00	उन्नीस रुपये मात्र

नोट:—निविदा के साथ 1500/–रुपये निविदा राशि के लिये प्रेषित करना है।

Sd/–
वास्ते श्रीनाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर
हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
मैनेजर/पार्टनर

भाग क-II

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

गुड़, तेल तिल्ली, तेल सरसों

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
1.	1	गुड़ (विभागीय नमूने के अनुसार)	5455	अजमेर	प्रतिकिलो	4.22	चार रुपया बाइस पैसे
2.	2	तेल तिल्ली (आईपी/बीपी टैस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	12717	अजमेर	प्रतिकिलो	19.50	उन्नीस रुपये पचास पैसे एगमार्का देय
3.	3	तेल सरसों (आईपी/बीपी टैस्ट) (अच्छे पीपों में पैकिंग)	840	अजमेर	प्रतिकिलो	19.80	उन्नीस रुपये अस्सी पैसे

नोट:—निविदा के साथ 1500/–रुपये निविदा राशि के लिये प्रेषित करना है।

ह०

नारायणलाल

श्री शंकर ट्रेडर्स, आगरा गेट, अजमेर

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक लेखा-3 (क्रय) (   )   दिनांक :

मैसर्स जे. के. एण्ड कम्पनी ज्वेलर्स
परतानियों का मन्दिर
जौहरी बाजार, एल. एम. बी के पास
जयपुर (राजस्थान)

विषय:—जनरल टेण्डर निविदा वर्ष 84-85 के क्रय आदेश।

उपरोक्त विषय में आपको आदेश दिये जाते हैं कि जनरल टेण्डर निविदा वर्ष 84-85 में आपके नाम स्वीकृत औषधियों की सप्लाई संलग्न सूची के अनुसार रुपया 2, 56, 737. 15 (शब्दों में) दो लाख छप्पन हजार सात सौ सेंतीस रुपया पन्द्रह पैसा सम्बन्धित रसायनशालाओं में उनके सामने अंकित मात्रा में उत्तम माल एवं विभागीय नमूने के अनुसार क्रय आदेश दिनांक से 45 दिन (पैंतालीस दिन) की अवधि में करने का श्रम करें।

निश्चित अवधि में उत्तम माल सप्लाई नहीं करने की अवस्था में निविदा वर्ष 84-85 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ह./-

निदेशक

क्रमांक लेखा-3 (   )   (   ) 24641-45   दिनांक 15-12-84

प्रतिलिपि:—

1. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शालाएँ, राजस्थान, अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. आयकर/बिक्रीकर अधिकारी, जयपुर।

ह -/

निदेशक

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क-II

मैसर्स जे. कि. एण्ड कं. ज्वेलर्स, जयपुर

क्र.सं.	आ.नं.	नाम वस्तु	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	अनुमानित मात्रा	दर	राशि
1.	2	तेल तिल्ली (अच्छे पीपे में पैकिंग) (एगमार्क)	अजमेर	12717	18.95	240987.1
2.	3	तेल सरसों (अच्छे पीपे में पैकिंग) (एगमार्क)	अजमेर	840	18.75	15750.00
						256737.15

बिक्री कर पृथक से देय होगा।

हा/–
निदेशक

परिशिष्ट "ख"

क्रय की गई कच्ची औषध के उपयोग एवं उससे निर्मित औषधियों का विवरण

क. सं.	नाम कच्ची औषध (तेल)	नाम औषध जिसका निर्माण किया गया	निर्माण में उपयोग मात्रा (किलो में)	क्रय दिनांक	निर्मित औषधि की मात्र (किलो में)	विशेष विवरण
1.	तेल तिल्ली	पंचगुण तेल	1800–000	छः छः सौ किलो तीन बार करके लिया गया	893 200	—
		कृष्ण मरहम	1600–000	—	2325–500	—
		रोगन बाबूना	75–000	17 4-85	—	निर्माणाधीन है।
		नारायण तेल	100–000	31-5-85	—	निर्माणाधीन है।
2.	तेल सरसों	निशा तेल	200–000	25-4-85	—	निर्माणाधीन है।

परिशिष्ट – "ग"

निर्मित औषधियां वितरण केन्द्रों को वितरण, मात्रा एवं दिनांक का विवरण

क्र. सं.	नाम वितरण केन्द्र	मात्रा (किलो में)			
		पंचगुण तेल		कृष्ण मरहम	
		मात्रा	दिनांक	मात्रा	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	बांसवाड़ा	36.000	15-5-85 व 1-6-86	65.000	15-5-85 व 1-6-85
2.	डूंगरपुर	36.000	15-5-85 व 1-6-85	65.000	15-5-85 व 1-6-85
3.	पाली	36.000	4-6-85	40.000	4-6-85
4.	जोधपुर	48.000	4-6-85	80.000	4-6-85
5.	सिरोही	36.000	4-6-85	40.000	4-6-85
6.	बीकानेर	24.000	8-5-85	80.000	8-6-85
7.	चूरू	24.000	8-6-85	40.000	8-6-85
8.	गंगानगर	24.000	8-6-85	40.000	8-6-85
9.	सवाई माधोपुर	12.000	8-6-85	40.000	8-6-85
10.	टोंक	12.000	8-6-85	40.000	8-6-85
11.	जयपुर	24.000	25-8-85 व 8-6-85	80.000	25-5-85 व 8-6-85
12.	भरतपुर	12.000	8-6-85	40.000	8-6-85
13.	अलवर	12.000	8-6-85	40.00	8-6-85
14.	सीकर	12.000	8-6-85	40.000	8-6-85
15.	अजमेर	36.000	4-5-85 व 8-6-85	40.000	4-5-85 व 8-6-85

1	2	3	4	5	6
16.	भीलवाड़ा	52,800	8–6–85	40,000	8–6–85
17.	चित्तौड़	48,000	4–5–85 व 8–6–85	40,000	4–5–85 व 8–6–85
18.	कोटा	68,000	2–5–85 व 30–5–85	40,000	2–5–85 व 30–5–85
19.	बून्दी	60,000	2–5–85 व 30–5–85	40,000	2–5–85 व 30–5–85
20.	झालावाड़	60,000	2–5–85	40,000	2–5–85

परिशिष्ट – 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 783 की सूची)

खराब हैण्ड पम्पों की सूची, तहसील–कामां

क्र. सं.	गांव का नाम	खराब हैण्ड पम्पों की संख्या	कारण	कब से
1	2	3	4	5
1.	नन्देरा	1	मिट्टी पत्थर भर दिये जाने के कारण	मई, 1985 से
2.	जुरहेरी	2	,,	,,
3.	मंडारा	1	,,	,,
4.	बरखेडा	1	,,	,,
5.	उधन	1	,,	,,
6.	नगला महकी	1	,,	,,
7.	भीरी	2	,,	,,
8.	जोत रोहल्ला	1	,,	,,
9.	मूंगसका	1	,,	,,
10.	घाटमीना	1	,,	,,
11.	खन्डेबला	1	,,	,,
12.	मूसेपुर	1	,,	,,
13.	पथवारी	1	,,	,,
14.	मालीनो	1	,,	,,
15.	ऊंतेडा	1	,,	,,
16.	लुहेसर	1	,,	,,
17.	लवासना	1	,,	,,
18.	नगला सहजा	1	,,	,,
19.	उरार	1	,,	,,
20.	भोजाका	1	,,	,,
21.	नावदा	1	,,	,,

1 2	3	4	5
22. बिलग	1	मिट्टी पत्थर भर दिये जाने के कारण	मई, 1985 से
23. मुल्लाका	1	,,	,,
24. इन्द्रोली	2	,,	,,
25. रांप	2	,,	,,
26. जोधपुर	2	,,	,,
27. कान्डोर	2	,,	,,
28. बिनोंद	3	,,	,,
29. पल्ला	1	,,	,,
30. घघकाडी	1	,,	,,
31. झीलपट्टी	1	,,	,,
32. ऊघावा	1	,,	,,
33. धीमरी	1	,,	,,
34. गाधानेर	1	,,	,,
35. खोरा	1	,,	,,
36. अरुका	1	,,	,,
37. कटकरका	1	,,	,,
38. सतबही	2	,,	,,
39. सामलेर	2	,,	,,
40. केथवाडा	2	,,	,,
41. बम्बाडी	1	,,	,,
42. धाना	1	,,	,,
43. लेबडा	1	,,	,,
44. भीरी	1	,,	,,
योग.–	55		

भाग 3 की सूची

अबान्डेड हैण्ड पंप की गांव वाइज सूची (तह. नगर)

क्र. सं.	गांव का नाम	पूर्ण किये गये हैंड पंप की संख्या	अबान्डेड हैण्ड पम्प की संख्या	कब से
1.	तारोंदर	7	3	मई, 1985 से
2.	थून	6	2	,,
3.	पलका	63	2	,,
4.	कासोडा	3	2	,,
5.	चिरावाल	2	1	,,
6.	पथराना	4	1	,,
7.	सिरथाला	3	1	,,
8.	गंगावक	6	2	,,
9.	मोराका	5	1	,,
10.	स्वजालपुर	2	1	,,
11.	मुधेरा	8	2	,,
12.	अरसी	4	1	,,
13.	चिरावालमाली	3	1	,,
14.	भाटपुरा	3	1	,,
15.	पुनाय	3	1	,,
16.	राजपुर खुर्द	3	1	,,
17.	जयशेरा	1	1	,,
18.	झायहार	8	2	,,
19.	खोरी	8	2	,,
20.	अलामशाह	5	1	,,
21.	गुलपारा	8	2	,,
22.	दोमेराकी	4	2	,,
23.	पलटा	4	1	,,
24.	उदेपुरी	3	1	,,
25.	काकाराला	5	1	,,
26.	डोंडेका	2	1	,,
27.	सोलपुर पट्टी	5	2	,,
28.	बिरथाला	4	2	,,
29.	उरकी दाला	3	1	,,
30.	बजहेरा	3	1	,,
			योग 42	

(374)

364

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 795 की सूची

कोलिया तह. डीडवाना जिला नागौर के लीज पर दिये गये खनन पट्टों की सूची

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	समय
1.	श्री विनोद कुमार, डीडवाना	23-6-80 से दस वर्ष
2.	श्री मांगीलाल, डीडवाना	25-9-80 से दस वर्ष
3.	श्री जय हनुमान रोडी, डीडवाना	27-8-79 से दस वर्ष
4,	श्री चेनाराम, डीडवाना	24-9-80 से दस वर्ष
5.	श्री पंवार स्टोन रोडी, डीडवाना	8-12-80 से दस वर्ष
6.	श्री ओम प्रकाश, डीडवाना	25-9-80 से दस वर्ष
7.	श्री जय हनुमान रोडी, डीडवाना	19-6-80 से दस वर्ष
8.	श्री शिवकरण, नि. कोलिया	11-2-85 से पांच वर्ष
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, बीकानेर	22-4-85 से दस वर्ष
10.	श्री शिव करण, नि. कोलिया	15-6-85 से दस वर्ष

परिशिष्ट–8

(प्रतारांकित प्रश्न संख्या 796 का ब्योरा)

तालिका 'ए'

वर्ष 1975-76 से लेकर 1984-85 तक किये गये रॉक फास्फेट का खनन

वर्ष	खनन की गई रॉक फास्फेट की मात्रा (मैट्रिक टन में)
75–76	3,51,198
76–77	5,00,340
77–78	5.06,313
78–79	5,35,767
79–80	4,03,975
80–81	2,79,603
81–82	3,08,991
82–83	3.09,285
83–84	3,57.464
84–85	3,55,453

366

तालिका "बो"

झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट का विक्रय मूल्य

वर्ष	अवधि	रु/मीट्रिक टन
1975–76	5-4-75	525/–
	26-7-75	450/–
	2-12-75	425/–
	5-1-76	400/–
1976–77	1-4-76	300/–
1978–79	6-1-79	318/–
1979–80	5-7-79	415/–
	3-1-80	522/–
	5-3-81	600/–
1981–82	1-5-82	495/–
1984–85	6-4-84	585/–
	10-8-84	609/–
	12-10-84	659/–
1985–86	1-1-85	682/–

तालिका "सी"

राक फास्फेट से प्राप्त आय का विवरण

वर्ष	रु. (लाखों में)
1975–76	1,048.02
1976-77	1,784.50
1977–78	1,651.00
1978–79	1,517.50
1979–80	1,610.00
1980–81	1,751.00
1981–82	2,180.63
1982–83	2,300.00
1983–84	2,730.00
1984–85	3,700.00

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 795 की सूची)

क्र.सं.	नाम पद	कार्यरत
1.	सी.ए.एस.	2
2.	मैल नर्स प्रथम	–
3.	मैल नर्स–II	1
4.	एल.एच.वी.	2
5.	स्वा. निरीक्षक	1
6.	प्रसाविका	6
7.	वाहन चालक	1
8.	बी. ई. ई.	1
9.	कम्पूटर	–
10.	सेक्टर सुपरवाइजर	1
11.	वरिष्ठ लिपिक	–
12.	वार्डवाय/स्वीपर	4
13.	हैल्पर (दैनिक)	–
14.	अंशकालीन स्वी.	–

369

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 798 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

दाल चीनी हेतु निविदा दाताओं के नाम, निविदा प्राप्ति दिनांक एवं निविदा में अंकित शर्तों का विवरण :—

क्र.सं.	नाम व्यापारी	निविदा प्राप्ति दिनांक	निविदा में अंकित शर्तें
1	2	3	4
1.	प्रेमजी हरिदास एन्ड कं., बम्बई	10-9-84	–
2.	बिस्को कं., बम्बई	21-9-84	–
3.	शंकर ट्रेडर्स, अजमेर	21-9-84	–
4.	गीता ट्रेडिंग कं., जयपुर	21-9-84	2. निविदा राशि को सुरक्षा राशि में बदलना होगा। 2. विवाद होने पर न्यायालय का क्षेत्र जयपुर होगा। 3. कोई भी आइटम स्वीकार नहीं होने पर टेण्डर मनी एक माह में लौटानी होगी। 4. माल रसायनशाला में पहुंचते ही क्रय समिति की बैठक बुलानी पड़ेगी तथा उसी दिन माल तुलवाना पड़ेगा। 5. बिलों का भुगतान माल पास होने पर तुरन्त करना होगा। 6. विभाग किसी व्यापारी की अव्यवहारिक शर्तें मानी हैं तो अनुबन्ध से पहले हम शर्तें लगाने को स्वतन्त्र हैं।
5.	श्रीनाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर	21-9-84	–

1	2	3	4
6.	रामगोपाल शर्मा एण्ड कं., जयपुर	21-9-84	–
7.	प्यारेलाल गिर्राज प्रसाद, डीग (भरतपुर)	21-9-84	–
8.	दीनदयाल औषधालय, ग्वालियर	21-9-84	–
9.	सत्यनारायण मालपाणी एण्ड सन्स जयपुर	21-9-84	1. कानूनी न्यायालय का क्षेत्र जयपुर होगा। 2. हमारी शर्तें वर्ष 1983–84 में मानी गयी थी वे ही शर्तें 1984–85 में ही मानी जावे।
10.	नन्दकिशोर शर्मा एण्ड कं., जयपुर	21-9-84	–
11.	सौभाग्य ट्रेडर्स ग्वालियर	21-9-84	–

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान–अजमेर

क्रमांक लेखा–3 ( ) ( ) दिनांक..............

मैसर्स रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर (राजस्थान) रजिस्टर्ड ए. डी.

विषय:–जनरल टेण्डर/अल्पकालीन निविदा वर्ष 84–85 के क्रय आदेश।

उपरोक्त विषय में आपको आदेश दिये जाते हैं कि जनरल टेण्डर/अल्पकालीन निविदा वर्ष 84–85 में आपके नाम स्वीकृत औषधियों की सप्लाई संलग्न सूची के अनुसार रुपया 1565778.10 (शब्दों में) पन्द्रह लाख पैंसठ हजार सात सौ अठहतर रुपया 10 पैसे सम्बन्धित रसायनशाला में उनके सामने अंकित मात्रा में उत्तम माल एवं विभागीय नमूने के अनुसार क्रय आदेश दिनांक से 45 (पैंतालीस दिन) की अवधि में करने का श्रम करें।

निश्चित अवधि में उत्तम माल सप्लाई नहीं करने की अवस्था में निविदा वर्ष 84–85 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ह./–

निदेशक

क्रमांक लेखा–3 ( ) ( ) 25372-76 दिनांक 26-12-84

प्रतिलिपि–

1. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेदिक रासायनशालाएँ, राजस्थान–अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. आयकर/बिक्रीकर अधिकारी, जयपुर।

ह./–

निदेशक

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क-I एवं क-III

मै. रामगोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर

क्र. सं.	आई. नं.	नाम औषधि	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	मात्रा (किलों में)	दर प्र. कि.	राशि
1.	13	इलाइची छोटी	अजमेर	950	430.00	408500.00
2.	24	कुटकी	अजमेर	11027	53.00	54431.00
3.	46	दालचीनी	अजमेर	41	80.00	3280.00
4.	56	प्रवाल मूल	अजमेर	2004	68.00	136272.00
5.	77	सुहागा	अजमेर	3237	14.50	46936.50
6.	83	सौंठ	अजमेर	5525	82.00	453050.00
			भाग क-III			
7.	3	जिंक आक्साइड (आई पी/बी पी) निर्माता के ओरिजनल पैकिंग में)	अजमेर	5074	36.70	186215.80
8.	9	वेसलीन सफेद (आईपी/बीपी) ड्रम पैकिंग मे)	अजमेर	15024	18.45	277192.80

योग:– 1565878.10

(रु. पन्द्रह लाख पैंसठ हजार आठ सौ अठत्तर एवं दस पैसा मात्र)

नोट:— बिक्री कर पृथक से देय होगा।

ह0/-

निदेशक

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

भाग क–1

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

(आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई.पी.वी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	73.00	Rs. Seventy three only

Sd/-
For Sobhagya Traders
हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (ए.ई.जी.बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

भाग क-I

क.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर	
						अंकों में	शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	140.00	One hundred forty only

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील
Prop Haridas & Co.
Sd/–
Constituted Attorney

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क-I [illegible]]

आयुर्वेदिक औषधियां, जडी बूटियां, किराने का सामान (आई.पी.बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायन शाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	96.00	छियानवे रुपये मात्र

ह.
प्यारेलाल गिर्राज प्रसाद
कमीशन एजेन्ट, डीग (भरतपुर)
हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984-85

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटिया, किराने का सामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

भाग क-I

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की ईकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	95 00	पिचानवे रुपया मात्र

वास्ते श्री शंकर ट्रेडर्स
हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
ह
नारायणलाल
मैनेजर

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

भाग क–1

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	96 40	छियानवे रुपये चालीस पैसा मात्र

– वास्ते श्रीनाथ मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर

ह. गोपीचन्द,

मैनेजर/पार्टनर

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984-85

भाग क-I

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटिया, किराने का सामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क्र सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की ईकाई	दर: अंकों में	दर: शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	98 00	अठानवे रुपये मात्र

वास्ते नन्दकिशोर शर्मा एण्ड कम्पनी

ह.
नन्दकिशोर
मालिक

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

भाग क–1

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क.सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	95.50	पिचानवे रुपये पचास पैसे

For Ram Gopal Sharma & Co.
Sd/–
(भगवान सहाय)
Partner

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क्र.1

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	92.00	रुपया बानवे केवल

हस्ताक्षर निविदादाता

मय सील

For Dendayal Auivadhalya

Sd/-

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क-I

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटिया, किराने का मामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की ईकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	97.25	सत्तानवे रुपये पच्चीस पैसे मात्र

(फोर गीता ट्रेडिंग कम्पनी)
ह
पार्टनर
For Geeta Tradings Co.
Sd/-
Partner

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई.पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

भाग क-I

क्र.सं.	आइटम नं.	नाम औषधि	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायनशाला जहां डिलेवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	91.50	Ninty one & fifty paisa only

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील
For Bisco & Co.
Sd/-
Partner

[आंशिक प्रति]

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

जनरल टेण्डर वर्ष 1984–85

भाग क-1

आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, किराने का सामान (आई पी./बी.पी. औषधियों को छोड़कर) जिन्हें विभागीय नमूने के अनुसार सप्लाई करना है।

क्र सं.	आइटम नं.	नाम औषध	अनुमानिक मात्रा (किलो में)	रसायन शाला जहां डिलीवरी ली जावेगी	दर की इकाई	दर अंकों में	दर शब्दों में
46	46	दालचीनी	41	अजमेर	प्रतिकिलो	94.50	चौरानवे रुपये पचास पैसे

[आंशिक प्रति]

ह.
वास्ते सत्यनारायण मालपाणी एण्ड सन्स
हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
ह.
प्रोपराइटर

परिशिष्ट "ख"

दालचीनी से निर्मित औषधि व्योषादिवटी के वितरण का विवरण

क्र सं.	नाम वितरण केन्द्र	वितरण	
		मात्रा	दिनांक
1.	उदयपुर	20 किलो	28-5-85
2.	बांसवाड़ा	6 किलो	28-5-85
3.	डूंगरपुर	7 किलो	28-5-85
4.	सीकर	10 किलो	29-5-85
5.	चूरू	6 किलो	29-5-85
6.	बीकानेर	8 किलो	29-5-85
7.	श्री गंगानगर	10 किलो	29-5-85
8.	जयपुर	40 किलो	29-5-85
9.	भरतपुर	12 किलो	30-5-85
10.	झालावाड़	4 किलो 8 किलो	30-5-85 3-6-85
11.	जोधपुर	15 किलो	3-6-85
12.	पाली	6 किलो	3-6-85
13.	सिरोही	5 किलो	3-6-85
14.	कोटा	20 किलो	3-6-85
15.	बून्दी	5 किलो	3-6-85
16.	चित्तौड़	6 किलो	3-6-85
17	भीलवाड़ा	10 किलो	1-5-85
18.	टोंक	25 किलो	1-5-85
19.	सवाईमाधोपुर	50 किलो	29-4-85
20.	अलवर	—	—

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 804 की सूची)

Position of W/courser D/s P.S. IV

S.No.	Name of W/c		Remarks
Direct out leps			
1.	R.D.	482000 R	Completed
2.	R.D.	483500 L	Work in progress
3.	R.D.	486250 R	,,
4.	R.D.	489900 R	,,
5.	R.D.	489500 L	Completed
6.	R.D.	493350 L	Work in progress
7.	R.D.	493500 R	Completed
8.	R.D.	496150 L	Work in progress
9.	R.D.	496150 R	Completed
Nagasar Minor			
10.	Chak	1 NGM	Completed
11.	Chak	2 NGM	,,
12.	Chak	3 NGM	,,
13.	Chak	4 NGM	,,
14.	Chak	5 NGM	Work in progress
15.	Chak	6 NGM	,,
Bikaner Minor			
16.	Chak	1 BKM	Complated
17.	Chak	2 BKM	,,
18.	Chak	3 BKM	,,

S.No.	Name of W/c	Remarks
19. Chak	4 BKM	Work in progress
20. Chak	5 BKM	,,
21. Chak	6 BKM	,,
22. Chak	7 BKM	,,
Bikaner sub-minor		
23. Chak	1 BSM	Completed
24. Chak	2 BSM	,,
25. Chek	3 BSM	,,
26. Chak	4 BSM	,,
27. Chak	5 BSM	,,
28. Chak	6 BSM	,,
29. Chak	7 BSM	,,
30. Chak	8 BSM	,,
31. Chak	9 BSM	,,
32. Chak	10 BSM	in progress
33. Chak	11 BSM	contractor has not started the work as yet
34. Chak	12 BSM	,,
35. Chak	13 BSM	,,
36. Chak	14 BSM	Completed
37. Chak	15 BSM	,,
38. Caak	16 BSM	,,

लूणकरणसर लिफ्ट परियोजना के चकवार की गई सिंचित क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं	नाम चक/वितरिका	सिंचित योग्य क्षेत्र	क्र.सं.	नाम चक/वितरिका	सिंचित योग्य क्षेत्र
1	2	3	1	2	3
1.	1.750 आर	120	26.	196208 आर	406
2.	1.835 एल	250	27	230000 आर	300
3.	8.300 एल	210	28.	232600 एल	560
4.	13000 एल	140	29.	23500 आर	525
5.	16400 आर	345	30.	239935 आर	360
6.	16600 एल	[illegible]	31.	244000 आर	496
7.	21000 आर	140	32.	244000 एल	500
8.	27560 एल	20[illegible]	33.	247000 आर	471
9.	28280 आर	2[illegible]0	34.	247800 एल	400
10.	35000 आर	350	35.	249200 एल	512
11.	35000 एल	200	36.	251800 आर	504
12.	64200 आर	502	37.	253000 आर	425
13.	64200 एल	653	38.	258300 आर	480
14.	79200 एल	656	39.	258300 आर	450
15.	35300 आर	312	40.	263200 एल	371
16.	85300 एल	273	41.	264030 आर	310
17.	92600 एल	567	42.	266472 आर	604
18.	92600 आर	302	43.	269600 एल	643
19.	99125 आर	718	44.	272000 आर	646
20.	10300 आर	622	45.	273150 एल	445
21.	10300 एल	267	46.	274200 आर	722
22.	110000 एल	205	47	275500 आर	761
23.	113340 आर	108	48.	276500 एल	422
24.	117475 एल	205	49.	277600 एल	643
25.	172200 एल	535	50.	280500 एल	343

1	2	3
51.	882208 आर	608
52.	282600 एल	400
53.	286400 आर	750
54.	289800 एल	475
55.	290700 आर	790
56.	291700/293400 एल	584
57.	294500 आर	500
58.	295200 एल	417
59.	298800 आर	638
60.	299600 आर	370
61.	301700 एल	406
62.	301700 आर	432
63.	302000 आर	415
64.	303900 एल	818
65.	308200 एल	507
66.	346900 आर	163
67.	355000 आर	613
68.	355500 आर	270
69.	361000 एल	507
70.	381700 एल	735
71.	409150 आर	505
72.	416250 आर	265
73.	407500 एल	620
74.	417500 आर	765
75.	425600 एल	953
76.	431000 एल	328
77.	433100 एल	300
78.	439000 आर	791
79.	482000 आर	430
80.	483500 एल	483
81.	487000 आर	386
82.	489500 एल	387
83.	489800 आर	388
84.	493350 एल	440
85.	493500 आर	328
86.	496150 एल	348
87.	496150 आर	350
फुलेजी माइनर		
88.	1 पी एच एम	312
89.	2 ,,	700
90.	3 ,,	720
91.	4 ,,	406
92.	5 ,,	422
93.	6 ,,	234
94.	7 ,,	422
95.	8 ,,	300
96.	9 ,,	256
97.	10 ,,	185
98.	11 ,,	256
99.	12 ,,	675
100.	14 ,,	393
चारण डिस्ट्रीब्यूटरी		
101.	1 सी एच डी	260
102.	2 ,,	
103.	3 ,,	315

1	2	3
104.	4 सी एच डी	240
105.	5 ,,	416
106.	6 ,,	435
107.	7 ,,	412
108.	8 ,,	223
109.	9 ,,	410
110.	10 ,,	285
111.	11 ,,	551
112.	12 ,,	265
113.	13 ,,	440
114.	14 ,,	315
115.	16 ,,	135
116.	17 ,,	196
117.	18 ,,	387
चारण माइनर		
118.	1 व 2 सी एच एम	194
119.	3 ,,	390
120.	4 ,,	150
121.	5 ,,	281
मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटरी		
122.	1 एम के डी	302
123.	2 ,,	517
124.	3 ,,	148
125.	4 ,,	530
126.	5 ,,	399
127.	6 ,,	801
128.	7 ,,	4771
129.	9 एम के डी	422
130.	10 ,,	593
131.	11 ,,	360
132.	12 ,,	312
133.	13 ,,	327
134.	14 ,,	365
135.	15 ,,	400
136.	16 ,,	525
137.	17 ,,	360
138.	18 ,,	242
139.	19 ,,	306
140.	20 ,,	480
मलकीसर माइनर		
141.	1 व 2 एम के एम	460
142.	3 ,,	227
143.	4 ,,	210
144.	5 ,,	490
लूनकरणसर डिस्ट्रीब्यूटरी		
145.	1 एल के डी	366
146.	2 ,,	398
147.	3 ,,	457
148.	4 ,,	409
149.	5 ,,	355
150.	6 ,,	218
151.	7 ,,	295
152.	8 ,,	223
153.	9 ,,	324

1	2	3
154.	10 व 12 एम के डी	625
155.	11 ,,	588
156.	12 ,,	342
157.	13 ,,	509
भाडेरा डिस्ट्रीब्यूटरी		
158.	1 बी एच डी	500
159.	2 ,,	363
160.	3 ,,	372
161.	4 ,,	211
162.	5 व 6 ,,	729
163.	7 ,,	410
164.	8 ,,	646
165.	9 ,,	454
भाडेरा माइनर		
166.	1 बी एच एम	722
167.	2 ,,	330
168.	3 ,,	644
169.	4 ,,	413
170.	5 ,,	248
171.	6 ,,	660
172.	7 ,,	185
173.	8 ,,	480
फूलवेसर माइनर		
174.	1 पी एल एम	304
175.	2 ,,	422
176.	3 ,,	465
डेलाना डिस्ट्रीब्यूटरी		
177.	1 डी एल डी	425
178.	2 ,,	382
179.	3 ,,	720
180.	4 ,,	350
181.	5 ,,	447
182.	6 ,,	443
183.	7 ,,	493
दलमेरा माइनर		
184.	1 डी एल एम	170
185.	2 ,,	193
186.	3 ,,	330
187.	4 ,,	307
188	5 ,,	128
189.	6 ,,	660
बामसर डिस्ट्रीब्यूटरी		
190.	1 जे एम डी	667
191.	2 ,,	469
192.	3 ,,	460
193.	4 ,,	420
194.	5 ,,	589
195.	6 ,,	595
196.	7 ,,	390
197.	8 ,,	642
198.	9 ,,	337
199.	10 ,,	537
200.	11 ,,	313

1	2	3
201.	12 जे एम डी	693
202.	13 ,,	503
203.	14 ,,	635
204.	15 ,,	578
205.	16 ,,	541
206.	17 व 18 ,,	876
207.	19 ,,	843
208.	20 ,,	613
209.	21 ,,	513
210.	22 ,,	578
211.	23 ,,	485
212.	24 ,,	496
213.	25 ,,	505
214.	26 ,,	805
215.	27 ,,	501
216.	28 ,,	585

खिचिया माइनर

217.	1 के एच एम	467
218.	2 ,,	725
219.	3 ,,	492
220.	4 ,,	515
221.	5 ,,	233
222.	6 ,,	892
223.	7 ,,	531

धोलेरा माइनर

224.	1 डी एच एम	386
225.	2 डी एम एच	759
226.	3 ,,	627

हुसंगसर माइनर

227.	1 एच एस एम	747
228.	2 ,,	464
229.	3 ,,	454

नागासर माइनर

230.	1 व 2 एम जी एम	
231.	3 ,,	360
232.	4 ,,	330
233.	5 ,,	370
234.	6 ,,	370

बीकानेर माइनर

235.	1 बी के एम	472
236.	2 ,,	438
237.	3 ,,	394
238.	4 ,,	567
239.	5 ,,	465
240.	6 ,,	605
241.	7 ,,	307

बीकानेर सब माइनर

242.	1 बी एस एम	324
343.	2 ,,	510

1	2	3	1	2	3
344.	3बी एस एम	560	351.	10 बी एस एम	520
345.	4 ,,	525	352.	11 ,,	506
346.	5 ,,	530	353.	12 ,,	351
347.	6 ,,	518	354.	13 ,,	507
348.	7 ,,	508	355.	14 ,,	406
349.	8 ,,	499	356.	15 ,,	379
350.	9 ,,	494	357.	16 ,,	288

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 809 की सूची)

बून्दी जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

	छात्र विद्यालय	छात्रा विद्यालय	योग
स्वीकृत पद			
व्याख्याता	136	18	154
अध्यापक द्वितीय वेतन शृंखला	462	81	543
अध्यापक तृतीय वेतन शृंखला	1112	214	1326
योग	1710	313	2023
रिक्त पद			
व्याख्याता	9	1	10
अध्यापक द्वितीय वेतन शृंखला	21	1	22
अध्यापक तृतीय वेतन शृंखला	62	34	96
योग	92	35	128

परिशिष्ट-13

(पतारांकित प्रश्न संख्या 815 की सूची)

राज्य में विधवा पेंशन प्राप्त करने वालों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3
1.	धोलपुर	2180
2.	झालावाड़	976
3.	झुंझुनूं	1167
4.	भीलवाड़ा	1600
5.	अजमेर	1740
6.	बून्दी	1074
7.	सवाई माधोपुर	3685
8.	जोधपुर	4393
9.	चित्तोड़गढ़	1126
10.	चुरू	1152
11.	पाली	1224
12.	सिरोही	642
13.	टौंक	1940
14.	जयपुर	6311
15.	गंगानगर	1638
16.	जैसलमेर	624
17.	कोटा	2110
18.	भरतपुर	4713
19.	अलवर	5500
20.	उदयपुर	3200
21.	बाड़मेर	1237
22.	जालोर	847
23.	बांसवाड़ा	1028
24.	नागौर	1950
25.	बीकानेर	1682
26.	डूंगरपुर	746
27.	सीकर	2283
	कुल योग—	56768

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 819 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के उन गांवों की सूची जहां योजनाऐं बन्द हैं:—

क्र.सं.	गांव का नाम
1.	लालपुर
2.	हरड़िया
3.	काकरिया
4.	कानोता
5.	किशनपुरा
6.	माधोगढ़
7.	अजीतगढ़
8.	दोसी
9.	सरदारपुरा

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 822 की प्रति)

PERSONAL PROMOTION AGAINST EX-CADRE POSTS : –

11. Personal Promotion Against Ex-cadre Posts : (1) Not withstanding anyting contained in the relevant law or in this Act, State Government may, in order to provide promotional opportunities to stagnant deserving teachers, create ex cadre posts of Professors or Readers in each faculty of a University to the extent of one-third of eligible persons as on Ist January of each year.

(2) A Lecturer or a Reader in a University shall be entitled to only one personal promotion under this section during his service in any of the Universities subject to his being eligible for such promotion under this section.

(3) When ex-cadre posts are created by the State Government in a faculty of a University, the distribution of such posts within the various departments of the University in a particular faculty would be made by a committee consisting of the Vice-Chancellor of the University concerned, Dean of the faculty concerned and the Education Secretary.

(4) The Ex-cadre posts of Professors created in a year shallbe filled in by personal promotion on the basis of merit alone from amongst Readers who :—

(a) have been regularly selected to the post of a Reader;

(b) have, after regular selection, put in continuous ten years' service as Reader as on the Ist day of January of the year in which such promotion is to be considered ;and

(c) possess the qualifications laid down in the relevant law of the University concerned for appointment to the post of Professor.

(5) The ex-cadre posts of Readers shall be filled in by personal promotion on the basis of seniority-cum-merit from amongst Lecturers

who :—

(a) have been regularly selected on the post of a lecturer;

(b) have, after regular selection, put in, on the Ist day of January of the year in which such personal promotion is to be considered :—

(i) continuous fifteen years service as Lecturer.

or

(ii) continuous twelve years service as Lecturer subject to his possessing the qualifications as laid down in the relevant law of the University concerned for appointment to the post of a Reader.

EXPLANTION : For the purposes of seniority and counting of years of service as Reader or as Lecturer, under clause (b) respectively of sub-sections (4) and (5) the service rendered as Lecturers or Vice-Principal or Principal after regular selection as Lacturer in a college established or run by the State Government or in a University as also the service rendered, in an ad-hoc or temporary capacity immediately before regular selection shall also be taken into account.

(6) For the purpose of consideration for personal promotion to any of the categories of ex-cadre posts referred to in sub-section (4) and sub-section (5), the Vice-Chancellor of the University concerned shall prepare separate eligibillity lists of Lecturers and Readers who are eligible under this section to be considered for such promotion on ex-cadre posts of Professors or Readers allocated to a department of a faculty by the committee referred to in sub-section (3).

(7) For every selection of a lecturer of a Reader in a University for personal promotion to an ex-cadre post in accordance with and under this section there shall be constituted a committee consiting of members specified in column 2 of Second Schedule for the selection to the ex-cadre posts mentioned in column-1 thereof.

(8) The committee referred to in sub-section (7) shall consider the cases of all eligible Lecturers and Readers for personal promotion

to the ex-cadre posts of Reader or, as the case may be, of Professor of a department of a faculty of the University to which such post is allocated under this section and in doing so, shall take into account the service record, the Annual Performance Appraisal Reports (including, Special Performance Appraisal Report), the academic work done, disciplinary proceedings initiated and penalties, if any, imposed on such Lecturers or, as the case may be, such Readers. The committee may also take personal interview of such eligible lecturers and Readers to test their suitability. It shall prepare a list containing names of Lecturers and Readers found suitable for personal promotion to such ex-cadre posts in order of preference.

EXAMPLANATION : The expression "academic work" in this sub-section shall mean and include guidance of research work. publication of books and rese: rc-papers in standard journals.

(9) The committee shall send the list refereed to in sub-section (8) with its recommendations to the Syndicate of the University conc rned. If the Syndicate disapproves the recommendations of the Selection Committee, the Vice-Chancellor of the University concerned shall submit such list and recommendations alongwith reasons for disapproval given by the syndicate to the Chancellor of the University concerned for his consideration and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

(10 Personal promotion to an ex-cadre post shall be made by the authority competent to make appointment of Readers or as the case may be, of Professors in the University coneerned according to the approval of the Syndicate of the University concerned and in case of disapproval of the recommendations of the Selection committee by the Syndicate, according to the decision of the Chancellor.

(11) The personal promotions granted against ex cadre posts under this section shall be entirely personal to the teacher concerned and the ex-cadre posts to which such personal promotion is granted shall case to exist as soon as to teacher promoted to such a post ceases to hold that post permanently for any reason and on eeasing of such

ex-cadre post, the original post from which such personal promotion was made of a teacher shall revive.

(12) The interse seniority of Readers and Professors regularly appointed in a University under the relevant law or in pursuance of the selection made under section 5 and section 6 and of all those who are granted personal promotions to an ex-cadre post after the date of commencement of the Rajasthan Universities Teachers and Officers (Special Conditions of Service) (Amendment) Act, 1984 shall be regulated by the date of their regular appointment or, as the case may be, personal promotion to an ex-cadre post.

(13) Notwithstanding anything contained in this section, where a teacher, due to retire during the year in which the cases for personal promotion are being considered or during the year next following, inspite of his being eligible for such promotion, is not likely to get such promotion because of the want of sufficient number of ex-cadre posts; he may one year before the date of his retirement, be promoted to such an ex-cadre post of a Professor or, as the case may be, a Reader as may be created by the State Government or and above the number of posts created under sub-section (1).

(14) Notwithstanding anything contained in this section, an ex-cadre post of a Professor or, as the case may be a Reader over and above the number of posts created under sub-section (1) may be created also where the State Government is satisfied that such a creation is necessary to cover an exceptionally hard case of stagnancy.

(15) Where, as a result of the creation of, or appointment to, the ex-cadre posts of teachers the existing workload on a teacher or a category of teachers in a Faculty gets disturbed, suitable redistribution of work shall be made by the Vice-chancellor of the University concerned subject to the directions, if any, of the State Government.

(16) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this section.

SECOND SCHEDULE

1	2
1. Psofessor	i. Vice-Chancellor of the University concerned Chairman.
	ii One of the Professors in the concerned department to be nominated by the Vice Chancellor by rotation every year or, where there, is no post of a Professor in that department or, in the case of the non-availability of the Professor for any good cause on subject expert to be nominated in the manner laid down in item (iii) below
	iii. One subject expert from a University in Raj. not being the University concerned or in the case of the non-availability of such an expert an expert from outside Rajasthan to be nominated by the State Government.
	iv. Education Secretary, Government of Rajasthan or in his absence, the Director of College Education, Rajasthan.
2. Reader	i. Vice Chancellor of the University Concerned ....Chairman,
	ii. One of the Professors in the concerned department to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation every year or, where there is no post of a Professor in that department or in the case of the non-availability of the Professor for any good cause, one subject expert to be nominated in the manner laid down in item (iii) under column 2 against Serial No.1
	iii. Education Secretary, Government of Rajasthan, or in his absence, the Director of College Education, Rajasthan.

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 825 की सूची)

वर्ष	इन्चार्ज का नाम	अवधि	राशि	विशेष विवरण
1982–83	डा. जी. एस. अग्रवाल, क. वि.	6/82	965.50	स्थानान्तरण व्यय विपत्र
	डा. ,, ,,	7/82 से 8/82	273.25	यात्रा व्यय
	डा. ,, ,,	9/82	375.50	–यथा–
	डा. गणेश शंकर अग्रवाल	7/82	151.20	–यथा–
	डा. ,, ,,	9/82 से 11/82	413.30	–यथा–
1983–84	डा. कुशालसिंह गहलोत क. वि.	4/83	1051.25	स्थानान्तरण व्यय भत्ता
	डा. ,, ,,	10/83 से 2/84	382.30	यात्रा भत्ता
	डा. ,, ,,	3/84	248.40	–यथा–
1984–85	डा. कुशालसिंह गहलोत, क. वि.	8/84	515.30	–यथा–
	डा. कुशालसिंह गहलोत क. वि.	11/84 से 12/84	329.60	–यथा–

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 830 की सूची)

भारत सरकार (योजना आयोग) द्वारा घोषित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों —

1. जैसलमेर
2. सिरोही
3. अलवर
4. जोधपुर
5. उदयपुर
6. चुरू
7. नागौर
8. भीलवाड़ा
9. टोंक
10. बांसवाड़ा
11. डूंगरपुर
12. जालोर
13. झुन्झुनू
14. झालावाड़
15. सीकर
16. बाड़मेर

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 832 की सूची)

पाली जिले में 1 अप्रेल, 80 से अब तक प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

वर्ष 1980-81

1. गरनियां	2. चांग
3. सियाट	4. खारची
5. कोटड़ी	6. मढिया
7, कोढार	8. वायदा रोहट
9. बिदूड़ा (सुमेरपुर)	

वर्ष 1981-82

1. कोलर	देसूरी	2. हरी	पाली
3. कणेजा	जैतारण	4. सिदरू	सुमेरपुर
5. वीमदड़ा	पाली	6. नाइदावेरा	सोजत
7. खेड़ावास	सोजत	8. दूदनी	बाली
9. जैतपुर	रोहट	10. रामपुराकलां	रायपुर
11. फलना स्टेशन	पाली	12. धनेरी	देसूरी
13. गादाणा	मारवाड़ जंक्शन	14. कीरवा	रानी
15. सोनाईमाजी	पाली	16. कुड़की	जैतारण
17. ढोला	सुमेरपुर		

वर्ष 1982-83

1. भादरलाऊ	रानी	2. लोरोतो	जैतारण
3. मालनू	बाली	4. लीलांबा	रायपुर
5. नेतरा	पाली	6. जीनावास	सोजत
7. धेगाड़ी	खारची	8. कुलथाना	रोहट
9. गुढ़ातेजसिंह	रानी	10. सांवलाना	(केथूरी)

वर्ष 1983-84

1. सीतला	रायपुर	2. मेसिया	रायपुर
3. जाटों का गुढ़ा	देसूरी	4. काउल	रानी

5.	नाणा (क.)	वाली	6.	क्षेत्रथवास	मारवाड़ जंक्शन
7.	आखंडी (बगड़ी)	सोजत	8.	सांवलता खुर्द	पाली
9.	वांगला (चोकडिया)	मारवाड़ जंक्शन	10.	वारसा	मारवाड़ जंक्शन
11.	जवाई बांध	सुमेरपुर	12.	बसन्त	सुमेरपुर
13.	सांगावास	जैतारण	14.	पृथ्वीपुरा	जैतारण
15.	सेसली	बाली	16.	केडकल (कन्या)	जैतारण
17.	मंडला (क.)	सोजत	18.	पांचमदरिया	रोहट
19.	मिल ऐरिया (क.)	पाली शहर	20.	कुरजा (कन्या)	सुमेरपुर
21.	मेगदड़ा	रायपुर	22.	रानीकलां (कन्या)	रानी
23.	जाखुदा (कन्या)	मारवाड़ जंक्शन	24.	खतरली	बाली
25.	देवली हुला	सोजत	26.	सिवास	खारची
27.	सरामता	सोजत			

वर्ष 1984-85

1.	चित्तौड़	रायपुर	2.	रायकलां	सोजत
3.	बूटीवास	रायपुर	4.	बीराटिया कलां	रायपुर
5.	पीपलिया कलां (क.)	रायपुर	6.	कावलिया	जैतारण
7.	रावडिया वास	जैतारण	8.	बीझाकुड़ी	जैतारण
9.	संवरिया	जैतारण	10.	जोजून्दा (कन्या)	जैतारण
11.	गिरादडा	पाली	12.	सदेशिया	रोहट
13.	बीटू	रोहट	14.	दिवादी	रोहट
15.	गुडऐदला	पाली	16.	वणदार	रानी
17.	गांधी	देसूरी	18.	खिमालिया	मार. जं.
19.	जाडन	मार जं.	20.	सेवाज	मार. जं.
21.	बोरनडी	मार. जं.	22.	नरसिंहपुरा	मार. जं
23.	खारिया सोडा	सोजत	24.	चामण्डेरी (कन्या)	बाली
25.	फालना स्टेशन (क.)	बाली	26.	माडूड (क.)	बाली
27.	मोखलसर	बाली	28.	घणा	सुमेरपुर
29.	पांवा (क.)	सुमेरपुर	30.	अनोपपुरा	सुमेरपुर
31.	मोरखा	देसूरी	32.	नारलायी (क.)	देसूरी
33.	टारिया	रानी	34.	सालरिया	रानी

35. सोडावास	रानी	36. चेंडा	रोहट
37. नीमलीउर्रा	रोहट	38. रेलड़ा	रायपुर
39. चंडावल कन्या	रायपुर	40. कोटसोलीकेयार(क)	देसूरी
41. बोरीमांदा	मार. जं.	42. सेवाडी	बाली
43. कोयलवाव	बाली	44. टोवडी	जैतारण
45. जाजनव स	जैतारण	46. रानी नं. 2	रानी
47. डिगाई	पाली	48. दीपावास	रायपुर
49. मोहरा	रायपुर	50. धुंधला (क.)	मार. जं.
51. गागूड़ा	सोजत	52. चौपड़ा	सोजत
53. चिरपाटियां	मार. जं.	54. राजाकुंड	जैतारण
55. पिपलोरा	जैतारण	56. कानपुरा	सुमेरपुर
57. गोगरा	सुमेरपुर	58. जोड़किया	मार. जं.
59. वोरडी	रानी	60. कुरणा	पाली
61. हुजारणा (कन्या)	सुमेरपुर	62. जैलावास	रोहट
63. खेरवा (कन्या)	पाली	64. करणवा	देसूरी
65. नयागांव (कन्या)	सोजत		

पाली जिले में 1 अप्रेल, 80 से अब तक उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

वर्ष 1980–81

1. लाम्बिया
2. बीलावास
3. सीरीयारी
4. ढहोई
5. खुड़ाला
6. वावली (सुमेरपुर)
7. गुड़ावीजा (सोजत)

नोट : वर्ष 81-82 से 83-84 तक कोई विद्यालय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत नहीं किया गया।

वर्ष 1984–85

1. सांडिया (रायपुर)
2. अगेवा (जैतारण)
3. जैतपुरा (पाली)
4. जैतारण (कन्या) जैतारण

5. मोड़ावास (पाली) 6. पिलावनी (रानी)
7. सारण (मार. जं.) 8. भाटूड़ (काली)
9. गुडाकलां (सोजत) 10. धाकड़ी (सोजत)
11. लोटाड़ा (बाली) 12. नोबी (सुमेरपुर)
13. सिन्दरली (देसरली) 14. बालराई (देसूरी)
15. कोटकिराना (रायपुर) 16. तख्तगढ़ (कन्या) सुमेरपुर

पाली जिले में 1 अप्रेल, 80 से अब तक माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

वर्ष 1980–81 :
कोई नहीं।

वर्ष 1981–82
कोई नहीं।

वर्ष 1982–83

1. खारची (मार. जं.) 2. सोजत (बगड़ी नगर)
3. जैतारण (आनन्दपुर कालु) 4. देसूर (नाडोल)
5. बाली (पेड़ा) 6. रोहट (रोहट)
7. रायपुर (रायपुर) 8. सुमेरपुर (सुमेरपुर)

वर्ष 1983-84 :

कोई नहीं।

वर्ष 1984–85

1. खोड़
2. कंढालिया
3. सुमेरपुर (कन्या)

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 457 की सूची

अतिक्रमण हटाये गये की सूची

क्र. सं.	नाम	दिनांक
1	2	3
1.	दोदे/खां/इब्राहीम खां कंधारी	15-6-85
2.	रमजान खां/निजाम खां/जलाल खां	,,
3.	कादर बक्स जुम्मे खां/कंधारी	,,
4.	नवी बक्स बेले खां/नागे खां	,,
5.	चनेसर गुलू खां	,,
6.	दुर्गाराम छानूराम मेघवाल	,,
7.	किसना राम तेजराम सुथार	,,
8.	नूराम सलाराम सुथार	,,
9.	देवपुरी जसबनापुरी स्वामी सुजानपुरी लला	,,
10.	छूडो चूनाराम भील	,,
11.	नोखों भील	,,
12.	नेक मोहम्मद जुमोखां कंधारी	,,
13.	भीखों बाई जेटपुरी स्वामी	,,
14.	छगन गिरी अमृत गिरी स्वामी	,,
15.	अब्दुल भूले खां कंधारी	,,
16.	करीम खां बसन्त खां गांव कुछडी	,,
17.	हाजी खां जुम्मे खां कंधारी	,,
18.	छोटू खां जुम्मे खां कंधारी	,,
19.	मीरण खां	,,
20.	निजाम खां रिड़मल खां सोरा	,,
21.	साले मोहम्मद मेराज खां सोरा	,,
22.	अरब खां मेहर खां	,,
23.	अमीन खां डूंगर खां राजड़	,,
24.	आलम खां दोदे खां सोरा	,,

1	2	3	4
25.	जुम्मे खां जमाल खां सोरा	15-6-85	
26.	दाले खां मठार खां सोरा	,,	
27.	सुरजन खां चादू खां कलट	,,	
28.	अब्दुल खां कंधारी	,,	
29.	पपी खां अलू खां	,,	
30.	हमीर खां आनड़ खां	16-6-85	
31.	गुल्लू खां लाल बक्स फकीर	,,	
32.	फलेखां रामधन खां कलट	,,	
33.	अब्दुल रहमान अब्दुल खां कसाई	,,	
34.	वली मोहमद गुल मोहम्मद कसाई	,,	
35.	भूराराम प्रभूराम माली	,,	
36.	वली मोहम्मद गुल मोहम्मद कसाई	,,	
37.	रहीमा अब्दुल खां	,,	
38.	अन्नू खां रामधन खां	,,	
39.	कासम खां	,,	
40.	गोकुलराम साडाराम मेघवाल	,,	
41.	गणाराम बागाराम भील सिपला	,,	
42.	अचलाराम कस्तूरा राम भील	15-6-85	
43.	जगदीश सोनाराम भील	,,	
44.	शेराराम कस्तूरा भील	,,	
45.	लूणेखां आखे खां मगणिहार	,,	
46.	मिरे खां नूरे खां सिराई	,,	
47.	चांदा बाई खोने खां सिराई	,,	
48.	रमेश इंजिनियरिंग कम्पनी के पीछे	,,	
49.	पीर खां अकबर खां	,,	
50.	छोटू खां मोहमद खां सोरा	,,	
51.	सुमार खां पाचे खां	,,	
52.	लाल मोहमद जीवन खां	,,	

1	2	3
53.	ईसमाइल खां मोहम्मद खां	15-6-85
54.	कल्याण एण्ड ब्रदर्स	,,
55.	विक्की फ्रोटो रिपेयर्स	,,
56.	कचराराम अचलाराम रामलाल भील	14-6-85
57.	भिमाराम खंगार राम भील	,,
58.	मेहरानराम चिमाराम भील	,,
59.	जवाराराम चिमाराम भील	,,
60.	गोकुराम लखाराम भील	,,
61	लूणाराम जोधाराम भील	,,
62.	सज्जनराम आशाराम भील	,,
63.	विश्नाराम रिड़मलराम	,,
64.	खेताराम सज्जनराम भील	
65.	चूनाराम सरदाराराम भील	
66.	लखाराम किसनाराम भील	
67.	अचल सिंह डूंगर सिंह सोलंकी	
68.	मोहनराम सेवक	
69.	हरी हंसराज वजीर	
70.	अमृत लाल माली	
71.	भगवान दास ओझा	
72.	कालू राम नाई	
73.	प्रताप पुरी करन पुरी स्वामी	
74.	महादान मालाराम मेघवाल	
75.	केवलपुरी जेटपुरी स्वामी	
76.	शंकर पूनमा हजूरी	
77.	जीवन राठी	10-4-85
78.	लीलाधर/रूपाराम	
79.	चतणा राम/डुगराराम	
80.	नेहचल राम/हीराराम	
81.	उदा राम/गोकल दास	

1	2	3
82.	होतु राम/भारूराम	
83.	हरचन्दराम/नखतुराम	
84.	हिम्मतसिंह/तख्तसिंह	
85.	भवरूराम/खुशालाराम	
86.	नखतराम/ग्रमोलख राम	
87.	गंगा राम/होतु राम	
88.	खेता राम/काशम राम	
89.	रिडमल खां/साईदाद खां	
90.	ग्रजीता राम/मनसुख राम	
91.	मनुराम/पोला राम	
92.	भगाना राम/प्रभु राम	
93.	छोटु राम/कानजी राम	
94.	हरदेव राम/कानजी राम	
95.	भंवर लाल/ताराचन्द	
96.	महेन्द्र राम/ग्रमर दास	
97.	थाना राम/पिरा राम	
98.	हीरा राम/बिरबल राम	
99.	गोविंदा राम/माणका राम	
100.	हड्डू राम/पुरखा राम	
101.	हड्डू राम/माणला राम	
102.	ग्राम्ब सिंह/जेठ माल सिंह	
103.	ग्रनोपा राम/माणका राम	
104.	भगाना राम/ शंकरा राम	
105.	हरिकिसन/ग्रचल.चन्द	
106.	माधु राम/लिखमन चन्द	
107.	तारा राम/माणका राम	
108.	बाबु राम/वागा राम	
109.	धेवरा राम/लगा राम	
110.	रसुल खां/इस्माल खां	

1	2	3
111.	रमझा/सुरगण	
112.	भगवान सिंह/सांवल सिंह	
113.	रुप दास/भीखु दास	
114.	लारा चन्द/पन्ना लाल	
115.	चनण दास/पन्ना लाल	
116.	हेम दास/मोहन दास	
117.	भुल नाथ/तेज नाथ	
118.	लिला राम/उतमा राम	
119.	मुलताना राम/कबिरा राम	
120.	कस्तुरा राम/देदा राम	
121.	मुला राम/स्नतोका राम	
122.	किसना राम/तेजा राम	
123.	भेरा राम/सता राम	
124.	स्वरूपा राम/डूंगरा राम	
125.	सगत सिंह/भंवर सिंह	
126.	देवी सिंह/लग सिंह	
127.	सांवल सिंह/नवल सिंह	
128.	समरू खां/इनाम खां	

विषय:—क्या जलाए रोड की तरफ बसाया जाने हेतु

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री लीलाधर	श्री रूपाराम	
2.	श्री चनणाराम	श्री डूंगराराम	
3.	श्री नेहचलराम	श्री हीराराम	
4.	श्री उदाराम	श्री गोकलदास	
5.	श्री होतुराम	श्री श्री मारूराम	

(422)

1	2	3	4
6.	श्री हरचंदराम	श्री नखतुराम	
7.	श्री हिम्मतसिंह	श्री बख्तसिंह	
8.	श्री भवरूराम	श्री खुशालाराम	
9.	श्री नखताराम	श्री अमोलखराम	
10.	श्री गंगाराम	श्री होतुराम	
11.	श्री खेताराम	श्री कशमराम	
12.	श्री रिडमलराम	श्री साईदादखां	
13.	श्री अजीताराम	श्री मनसुखराम	
14.	श्री मनुराम	श्री पोलाराम	
15.	श्री भगानाराम	श्री प्रभूराम	
16.	श्री छंटूराम	श्री कानजीराम	
17.	श्री हरदेवराम	श्री कानजीराम	
18.	श्री भंवरलाल	श्री ताराचंद	
19.	श्री महेन्द्रराम	श्री अमरदास	
20.	श्री धानाराम	श्री पीराराम	
21.	श्री हीराराम	श्री बीरबलराम	
22.	श्री गोविन्दराम	श्री माणकाराम	
23.	श्री हडूराम	श्री पुरखाराम	
24.	श्री हडूराम	श्री माणकाराम	
25.	श्री आम्बसिंह	श्री जेठमालसिंह	
26.	श्री अनोपाराम	श्री माणकाराम	
27.	श्री भगानाराम	श्री शंकरराम	
28.	श्री हरिकिशन	श्री अचकचन्द	
29.	श्री माधूराम	श्री लक्षमनचन्द	
30.	श्री ताराराम	श्री माणकाराम	
31.	श्री बाबूराम	श्री बागाराम	
32.	श्री घेवराराम	श्री बागाराम	
33.	श्री रसूलखां	श्री ईस्माईलखां	
34.	श्री रमझां	श्री सूरगण	

1	2	3	4
35.	श्री भगवानसिह	श्री सांवलसिंह	
36.	श्री रूपदास	श्री भीखूदास	
37.	श्री ताराचन्द	श्री पन्नालाल	
38.	श्री चनणदास	श्री पन्नालाल	
39.	श्री हेमदास	श्री मोहनदास	
40.	श्री मूलनाथ	श्री तेजनाथ	
41.	श्री भिलाराम	श्री उतमाराम	
42.	श्री मुलतानाराम	श्री कबीराराम	
43.	श्री कस्तूराराम	श्री देदाराम	
44.	श्री मुलाराम	श्री श्री सन्तोकाराम	
45.	श्री किसनाराम	श्री तेजाराम	
46.	श्री भीराराम	श्री सताराम	
47.	श्री स्वरूपाराम	श्री डूंगराराम	
48.	श्री सगतसिंह	श्री भंवरसिंह	
49.	श्री देवीसिंह	श्री तनसिंह	
56.	श्री सांवलसिंह	श्री नवलसिंह	
51.	श्री समरूखां	श्री इब्राहिमखां	

विषय :– दशहरा बुर्ज के पास बसाया जाने वालों की सूची —

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जाति
1.	श्री मेहरानराम	श्री चिमाराम	भील
2.	श्री जबराराम	श्री चिमाराम	"
3.	श्री गोकलराम	श्री लखाराम	"
4.	श्री लूणाराम	श्री जोधाराम	"
5.	श्री सज्जनराम	श्री आशाराम	"
6.	श्री किशनाराम	श्री रिड़मलराम	"
7.	श्री खेताराम	श्री सज्जनराम	"
8.	श्री चूनाराम	श्री सरदाराराम	"
9.	श्री लखाराम	श्री किशनाराम	"